बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल 1891 परिनिर्वाण : 6 दिसंबर 1956

बाबासाहेब
डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 5

डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड 5
डॉ. अम्बेडकर – गोलमेज सम्मेलन में

पहला संस्करण : 1994
दूसरा संस्करण : 1998
तीसरा संस्करण : 2011
चौथा संस्करण : 2013

ISBN : **978-93-5109-005-2**

© सर्वाधिकार सुरक्षित

आवरण परिकल्पना : विनय कुमार पॉल
पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेटरहेड से साभार

मूल्य : सामान्य (पेपरबैक) : ₹ 40

प्रकाशक :
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571, 23320576, 23320589
फैक्स : 23320582
वेबसाइट : www.ambedkarfoundation.nic.in

मुद्रक : अरिहंत ऑफसेट, जनकपुरी, नई दिल्ली

राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण कर सकता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उनमें सामाजिक-भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए।

डा. भीमराव अम्बेडकर

परामर्श सहयोग :

श्री सीताराम केसरी
माननीय कल्याण मंत्री
भारत सरकार

श्री के.वी. थंगाबालू
माननीय कल्याण राज्य मंत्री
भारत सरकार

श्री माता प्रसाद, आई.ए.एस
सचिव
कल्याण मंत्रालय

श्री गंगा दास, आई.ए.एस
संयुक्त सचिव
कल्याण मंत्रालय
सदस्य सचिव
डा [illegible] प्रतिष्ठान

प्रधान संपादक

डा. श्याम सिंह शशि
पी-एच.डी., लिट्,

संपादक

श्री कैलाश चन्द्र सेठ
श्रीमती भारती नरसिंहमन्

संकलन (अंग्रेजी)

श्री वसंत मून

अनुवादक तथा पुनरीक्षक

श्रीमती संतोष खन्ना
श्री राम कृपाल सिंह
श्री नूरनबी अब्बासी
श्री देवेश चन्द्र
श्री कृष्णा गोपाल अग्रवाल
श्री कन्हैया लाल चंचरीक
श्री बनारसी सिंह
श्री पूरन पाल

द्वितीय संस्करण के पुनरीक्षक
डा. के.सी. गौतम

तृतीय संस्करण के पुनरीक्षक

श्री सुधीर हिलसायन

सत्यमेव जयते

आमुख

भारतरत्न बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर हमारे संविधान निर्माता के साथ-साथ प्रबुद्ध चिंतक एवं महान समाजशास्त्री भी थे। उन्होंने भारतीय दर्शन में विद्यमान रूढ़िवादी तत्वों को चुनौती दी। वे दलित, शोषित एवं सर्वहारा समाज के मसीहा बन गए, लेकिन उनके विचार एवं साहित्य भारतीय भाषाओं में उपलब्ध न होने के कारण आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि कल्याण मंत्रालय के संस्थान डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान ने डा. अम्बेडकर के संपूर्ण वांङ्मय को हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में अनूदित करके यथाशीघ्र प्रकाशित कराने का संकल्प लिया है। गत वर्ष बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर इस वाङ्मय का दूसरा खंड हिंदी एवं तमिल भाषा में प्रकाशित कर राष्ट्र को समर्पित किया गया था।

अब इस वांङ्मय के तीसरे, चौथे और पांचवें खंड को हिंदी और तमिल भाषा में तथा प्रथम खंड को पंजाबी भाषा में अनूदित करके प्रकाशित किया गया है, जिसे पाठकों को समर्पित करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है।

आशा है कि यह प्रायोजना प्रधान संपादक डा. श्याम सिंह शशि, संपादक मंडल के सभी सदस्यों, अनुवादकों, पुनरीक्षकों आदि के सहयोग से यथाशीघ्र पूरी होगी और बाबा साहेब के विचार जन-जन तक पहुंचकर समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे।

(सीताराम केसरी)
कल्याण मंत्री
भारत सरकार

नई दिल्ली
5 मार्च 1993

संदेश

बाबा साहेब हिंदू समाज के सभी दमनकारी स्वरूपों के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक मात्र नहीं थे, अपितु वह बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। एक राजनीतिज्ञ तथा राष्ट्रीय नेता के नाते उन्होंने अपने पीछे संविधान के रूप में एक मूल्यवान विरासत छोड़ी है। उनका यह दृढ़ मत था कि शिक्षा के बिना प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने दलितों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए अनेक स्कूलों और कालिजों की स्थापना की। शोषितों के उद्धार के लिए उन्होंने जीवन-भर जो संघर्ष किया, उससे उन्हें सामाजिक और आर्थिक अन्याय से पीड़ित मानवता के उद्धारक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई।

मुझे प्रसन्नता है कि उनके विचारों के प्रचार-प्रसार के लिए *डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान* हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में उनके भाषणों और लेखों को खंडबद्ध रूप में प्रकाशित कर रहा है।

मैं इस प्रायोजना की सफलता की कामना करता हूं।

थंगा बालू
कल्याण, राज्य मंत्री
भारत सरकार

dqekjh lsyt k
KUMARI SELJA

Lkkekftd U;k; vkj vf/kdkfjrk e=h
Hkkjr ljdkj
MINISTER OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
rFkk
v/;{k] Mk- vEcsMdj ifr"Bku
CHAIRPERSON, DR. AMBEDKAR FOUNDATION

Lkns'k

e>s ;g tkudj vR;ar çlUurk gks jgh gS fd lkekftd U;k; vkj vf/kdkfjrk e=ky; dk Lok;Ùk'kklh lsLFkku] Mk- vEcsMdj çfr"Bku }kjk ckcklkgsc Mk- vEcsMdj ds ys[kksa ,oa Hkk"k.kksa ds [kMs ls;k 5 dk iqu% lsLdj.k çdkf'kr fd;k tk jgk gSA

Hkkjr jRu Mk- ch- vkj- vEcsMdj Hkkjrh; lkekftd&jktuhfrd vkUnksyu ds ,d lsuk ijk/kk jgs gSa] ftUgksus thoui;Ùr lekt ds vkf[kjh ik;nku ij l?k"kjr 0;fDr;ksa dh cgrjh ds fy, dk;Z fd;kA Mk- vEcsMdj cgqeq[kh çfrHkk ds /kuh Fks blhfy, muds ys[kksa esa fo"k; dh nk'kfud ehekalk çLQqfVr gksrh gSA ckcklkgsc dk fpUru ,oa dk;Z lekt dks ckf) d] vkfFkd ,oa jktuhfrd lef) dh vkj ys tkus okyk rks gS gh] lkFk gh eu"; dks tkx:d ekuoh; xfjek dh vk/;kfRedrk ls lqlfTtr Hkh djrk gSA

Ckkcklkgsc dk lqiq.k thou neu] 'kks"k.k vkj vU;k; ds fo#) vuojr Økfr dh 'kks;Z&xkFkk gSA os ,d ,sls lekt pkgrs Fks ftlesa o.kZ vkj tkfr dk vk/kkj ugha cfYd lerk] LorU=rk] c/kRo o ekuoh; xfjek lokZifj gks vkj lekt esa tUe] o'k vkj fyax ds vk/kkj ij fdlh çdkj dh HknHkko dh dksbZ xqatkbZ'k u gksA lerk] LorU=rk vkj c/kRo ds çfr dSlsdYi ckcklkgsc dk ys[ku çcq) e/kk dk çkekf.kd nLrkost gSA

Hkkjrh; lekt esa 0;kIr fo"kerkoknh o.kZ0;oLFkk] ftlds rgr ekuo&ekuo esa Hkn fd;k tkrk Fkk] ls Mk- vEcsMdj dbZ ckj Vdjk,A bl VdjkgV ls Mk- vEcsMdj esa ,sls tTck iSnk gqvk] ftlds dkj.k mUgksus lerkoknh lekt dh lqjpuk dks viuk thou dk fe'ku cuk fy;kA lerkoknh lekt ds fuekZ.k dh çfrc)rk ds dkj.k Mk- vEcsMdj us fofHkUu /kekZ dh lkekftd&/kkfeZd 0;oLFkk dk v/;;u o ryukRed fpUru&euu fd;kA

Mk- vEcsMdj çfr"Bku] ckcklkgsc Mk- vEcsMdj ds vU; [kMksa dks Hkh 'kh?k çdkf'kr djus esa ç;kljr gSA e>s iqjh vk'kk gS fd ikBdksa dks 'kh?k gh vçdkf'kr vU; [kMs Hkh iqLrdksa ds vkdkj esa çkIr gksa tk,saxsA

vk'kk gS] ikBdx.k bl [kMs ds ckjs esa viuk veZY; fopkj ,oa lq>ko miyC/k djok,saxs ftlls fd bu vufnr [kMksa dh xq.koÙkk ,oa lkt&lTtk dks vkxkeh [kMksa esa vkus okys le; esa cgrj cuk;k tk ldsA

¼dqekjh lsyt k½

परामर्श सहयोग

कुमारी सैलजा
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार
एवं
अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री डी. नैपोलियन
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री पी. बलराम नाईक
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्र

श्री अनिल गोस्वामी
सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

श्री संजीव कुमार
संयुक्त सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
एवं सदस्य सचिव, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री विनय कुमार पॉल
निदेशक
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री कुमार अनुपम
विशेष कार्याधिकारी

डॉ. शशि भारद्वाज
सम्पादक

श्री जगदीश प्रसाद 'भारती'
व्यापार प्रबंधक

संपादकीय

हमें यह लिखते हुए हर्ष होता है कि 'डा. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय प्रायोजना' का कार्य अनेक कठिनाइयों के बावजूद अबाध गति से आगे बढ़ रहा है। हमने बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय को हिंदी तथा भारतीय भाषाओं में अनूदित करते समय विषयानुसार श्री वसंत मून के अंग्रेजी संकलन को आधार तो बनाया है, किंतु सुविधा की दृष्टि से उसे कुछ अधिक खंडों में समाविष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।

अनुवाद कार्य अत्यंत कष्ट साध्य होता है तथा उसका पुनरीक्षण और संपादन उससे भी अधिक परिश्रम की अपेक्षा रखता है। हमारे समक्ष समय की सीमा भी है, यद्यपि पूरी प्रायोजना को दो-तीन वर्षों में पूरा करने का संकल्प असंभव सा लगता है, फिर भी हमें अपने विद्वान अनुवादकों, पुनरीक्षकों तथा संपादन-सहयोगियों की क्षमता पर पूरा भरोसा है, जिनके अनवरत परिश्रम से हम इस कार्य को यथाशीघ्र पूरा कर लेंगे।

हमारा अपने कृपालु पाठकों से पुनः निवेदन है कि वे इस अनुवाद को साहित्यिक अनुवाद की भांति नहीं, बल्कि ज्ञान-विज्ञान के सीधे-साधे रूपांतर की तरह अपनाएंगे तथा बाबा साहेब के चिंतन को आत्मसात् करेंगे।

हमने बाबा साहेब डा. अम्बेडकर के अंग्रेजी लेखों एवं भाषणों के दूसरे खंड को पाठकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में तीन खंडों में विभाजित किया है। इन तीन खंडों के विषय है: डा. अम्बेडकर—बंबई विधान-मंडल में, साइमन कमीशन के साथ, गोलमेज सम्मेलन में।

हमने उपाधि स्वरूप प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी के 'सर' शब्द के स्थान पर 'माननीय' शब्द का प्रयोग किया है। हमें आशा है, हमारे सहृदय पाठक 'माननीय' शब्द को उसी रूप में लेंगे। हमारा विश्वास है, इस खंड को भी पाठकों का पूर्ववत् प्यार मिलेगा।

डा. श्याम सिंह शशि

विषय-सूची

आमुख	7
संपादकीय	9
1. पूर्ण अधिवेशन	15
2. पूर्ण सम्मेलन की समिति (संघीय संरचना)	22
3. उप-समिति संख्या 2 (प्रांतीय संविधान)	25
4. उप-समिति संख्या 3 (अल्पसंख्यक)	42
5. उप-समिति संख्या 6 (मताधिकार)	73
6. पूर्ण सम्मेलन की समिति (रक्षा)	99
7. उप-समिति संख्या 8 (सेवाएं)	102
8. पूर्ण अधिवेशन (सामान्य पुनर्विलोकन)	120
9. संघीय संरचना समिति	125
10. अल्पसंख्यक समिति	185
11. भारतीय संवैधानिक सुधार समिति	208
अनुक्रमणिका	350

डा. अम्बेडकर
गोलमेज सम्मेलन में

1
पूर्ण अधिवेशन

पांचवी बैठक—20 नवंबर 1930

दलित वर्गों के लिए राजनीतिक सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता

डा. भीमराव अम्बेडकर: सभापति महोदय,* मैं इस सभा में संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर उन दलित वर्गों का पक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, जिनका मुझे और मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवासन को प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह ब्रिटिश भारत की 430 लाख जनता अथवा 1/5 जनसंख्या का पक्ष है। दलित वर्ग स्वयं में ऐसे लोगों का समूह है, जो मुसलमानों से भिन्न एवं अलग है। यद्यपि उन्हें हिंदू कहा जाता है, किंतु वे हिंदू जाति का किसी भी अर्थ में अविभाज्य अंग नहीं हैं। वे न केवल उनसे अलग रहते हैं, अपितु उन्हें जो दर्जा प्राप्त है, वह भी भारत में अन्य जातियों के दर्जे से बिल्कुल भिन्न है। भारत में अनेक जातियां अत्यंत दयनीय एवं गुलामी की स्थिति में रह रही हैं, किंतु दलित वर्गों की स्थिति बिल्कुल भिन्न हैं। अंतर केवल इतना है कि कृषि कर्मियों और नौकरों के साथ अस्पृश्यता का बर्ताव नहीं किया जाता, जब कि दलित वर्ग अस्पृश्यता के अभिशाप का शिकार हैं। उससे भी खराब बात यह है कि अस्पृश्यता के कारण उन पर लादी गई गुलामी से न केवल सार्वजनिक जीवन में उनके साथ भेदभाव बरता जाता है, बल्कि उन्हें समान अवसरों और मानवीय जीवन के लिए आवश्यक नागरिक अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। मुझे विश्वास है कि इतने बड़े वर्ग, जिसकी जनसंख्या इग्लैंड अथवा फ्रांस की जनसंख्या के बराबर है और जो अपने अस्तित्व के लिए सघंर्ष करने के लिए भी सक्षम नहीं है, के दृष्टिकोंण को हृदयंगम करने से ही राजनीतिक समस्या का सही समाधान संभव होगा। मैं चाहता हूं कि उस दृष्टिकोंण से यह अधिवेशन प्रारंभ से ही अवगत हो जाए।

मैं दलित वर्गों के पक्ष को यथासंभव संक्षेप में रखने का प्रयास करूंगा। भारत में

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि राउंड टेबिल कांफ्रेस,* (फर्स्ट सैशन), गवर्नमेंट आफ इंडिया, पब्लिकेशन ब्रांच, कलकत्ता, 1931, पृ. 123–29

नौकरशाह शासन प्रणाली को बदलकर एक ऐसी सरकार स्थापित की जाए,जो जनता की हो, जनता द्वारा चलाई जाए और जनता के लिए हो। मुझे विश्वास है कि दलित वर्गों के इस पक्ष पर कुछ हलकों में लोगों को विस्मय होगा। दलित वर्ग और ब्रिटिश एक असाधारण बंधन में बंधे हुए हैं। दलित वर्गों ने अंग्रेजों का रूढ़िवादी हिंदुओं के सदियों पुराने जुल्मों और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वालों के रूप में स्वागत किया था। उन्होंने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के विरुद्ध युद्धों में लड़कर अंग्रेजों को भारत का यह विशाल साम्राज्य जीत कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने दलित वर्गों के संरक्षक की भूमिका ग्रहण की थी। दोनों में इस प्रकार के घनिष्ठ संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति दलित वर्गों के विचारों में इस प्रकार का परिवर्तन निस्संदेह एक अत्यंत अद्भुत एवं महत्वपूर्ण घटना है।इस परिवर्तन के कारणों को जानने के लिए दूर नहीं जाना होगा। हमने यह निर्णय इसलिए नहीं लिया कि हम बहुसंख्यक जाति के साथ अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुसंख्यकों और दलित वर्गों में कोई मधुर संबंध नहीं हैं, हमने यह निर्णय स्वतंत्र रूप से लिया है। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर हमने वर्तमान सरकार का मूल्यांकन किया है और देखा है कि इसमें एक अच्छी सरकार के आवश्यक आधारभूत तत्वों का भी अभाव है। जब हम अंग्रेजी शासन से पहले की अपनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से अपनी वर्तमान स्थिति की तुलना करते हैं, तो हम देखते हैं कि आगे बढ़ने के बजाए हम वहीं के वहीं खड़े हैं। अंग्रेजी शासन से पहले अस्पृश्यता के अभिशाप के कारण हम घृणास्पद जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्या अंग्रेजी शासन ने अस्पृश्यता को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया है? अंग्रेजी शासन से पहले मंदिरों में हमारा प्रवेश वर्जित था। क्या अब हम मंदिरों में प्रवेश कर सकते हैं? अंग्रेजी शासन से पहले हमें पुलिस में नौकरी नहीं दी जाती थी। क्या अब हम पुलिस में जा सकते हैं? अंग्रेजी शासन से पहले हम सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे। क्या सरकार ने हमारे लिए यह रास्ता खोला? इन प्रश्नों में से किसी प्रश्न का उत्तर 'हां' में नहीं है। हम पर अंग्रेजी शासन का लंबे अरसे तक काफी प्रभाव रहा है। उन्होंने हमारा जो भी भला किया, हम उसे स्वीकार करते हैं। किंतु हमारी स्थिति में निश्चय ही कोई मूलभूत अंतर नहीं आया है। वस्तुत:, जहां तक हमारा संबंध है, ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक व्यवस्थाओं को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया और विश्वासपूर्वक उन्हें उस चीनी दर्जी की भांति सुरक्षित रखा,जिसे पुराने कोट के नमूने पर जब नया कोट सिलने दिया गया, तो उसमें गर्व से पैबंद, खौंच आदि सभी लगा दिए गए। अंग्रेजी शासन के 150 वर्ष बीत जाने पर भी हमारी तकलीफें उन खुले घावों की तरह हैं, जिन पर मरहम लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

हमारा आरोप यह नहीं है कि अंगेजी शासन ने हमारी उपेक्षा की है अथवा उनकी हमारे प्रति सहानुभूति नहीं है। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि वह हमारी समस्याओं का समाधान

कर ही नहीं सकते। यदि उन्होंने हमारी उपेक्षा की होती,तो बात इतनी गंभीर नहीं थी और उसके कारण हमारे विचारों में इतना गंभीर परिवर्तन नहीं आता। स्थिति का गहन विश्लेषण कर हम यह जान गए हैं कि यह केवल उपेक्षा का मामला नहीं है, बल्कि इस कार्य को करने के लिए उनमें बिल्कुल भी काबलियत नहीं है। दलित वर्गों ने देखा है कि भारत में अंग्रेजी सरकार के सामने दो बड़ी गंभीर सीमाएं हैं। पहली आंतरिक सीमा है, जो सत्तारूढ़ लोगों के चरित्र, उद्देश्य और हितों के द्वारा पैदा हुई है। बात यह नहीं है कि ऐसा करना उनके चरित्र, उद्देश्य और हितों के विरुद्ध है। बाहरी विरोध के भय से भी वह हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार उन सामाजिक बुराइयों को दूर करने की आवश्यकता को समझती है, जो भारतीय समाज को घुन की तरह खाए जा रही हैं, जिनके कारण दलित वर्ग अनेक वर्षों से अभिशप्त जीवन जीने को विवश है। भारत सरकार जानती है कि जमींदार जनता का खून चूस रहे हैं और पूंजीपति कामगारों को जीवनयापन के लिए उचित मजदूरी नहीं दे रहे हैं तथा उनके लिए काम की बेहतर स्थिति भी पैदा नहीं करते हैं। बड़े दुःख की बात है कि सरकार ने इन बुराइयों को दूर करने का साहस नहीं दिखाया। इसका कारण क्या है? क्या इन बुराइयों को दूर करने के लिए उसके पास कानूनी शक्ति का अभाव है? नहीं, यह बात नहीं है। इसका कारण यह है कि उसे भय है कि वर्तमान सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन करने से उसका विरोध होगा। ऐसी सरकार जनता के लिए किस काम की है? इन दो सीमाओं के पाटों में फंसी सरकार दलित वर्गों की स्थिति में सुधार करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकती। *हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे व्यक्ति देश के हित में अविभाजित राज्यनिष्ठा प्रदान करेंगे। हमें ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे व्यक्ति इस बात को समझते हों कि कब सरकार की आज्ञाकारिता समाप्त हो जाती है और प्रतिरोध आरंभ हो जाता है, फिर वे न्याय और समय की आवश्यकताओं को देखते हुए सामाजिक और आर्थिक जीवन की आचार संहिताओं में परिवर्तन करने में नहीं हिचकिचाएं। अंग्रेजी सरकार यह भूमिका कभी नहीं निभा सकेगी। यह कार्य केवल वही सरकार कर सकती है, जो जनता की सरकार हो, जनता के लिए हो, तथा जनता द्वारा चुनी गई हो।*

दलित वर्गों की ओर से उठाए गए यह कुछ प्रश्न हैं और उनकी दृष्टि में उन प्रश्नों के ये उत्तर हैं। इसलिए दलित वर्ग इस अनिवार्य निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत की नौकरशाह सरकार सदाशय के बावजूद हमारी तकलीफों को दूर करने के लिए किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं ला सकती। हम महसूस करते हैं कि हमारे अतिरिक्त हमारे दुःख-दर्द को कोई भी दूर नहीं कर सकता और जब तक राजनीतिक शक्ति हमारे हाथों में नहीं आती, हम भी उसे दूर नहीं कर सकते। जब तक अंग्रेजी सरकार बनी रहेगी, तब तक इस राजनीतिक सत्ता का अंश मात्र भी हमें मिलने वाला नहीं। स्वराज्य के अंतर्गत ही हमें राजनीतिक सत्ता में साझेदारी

का कोई अवसर मिल सकता है, राजनीतिक सत्ता के बिना हमारे लोगों का उद्धार संभव नहीं है।

महोदय, मैं एक बात की ओर आपका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने दलित वर्गों का पक्ष प्रस्तुत करते समय डोमिनियन स्टेटस शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इस शब्दावली का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया कि मैं उसका अभिप्राय: नहीं समझता और न ही इसका यह अर्थ है कि दलित वर्ग भारत को डोमिनियन स्टेटस दिए जाने के विरोधी हैं। इस शब्दावली का इस्तेमाल न करने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य यह हैं कि दलित वर्ग क्या चाहते हैं, इससे उसका संप्रेषण नहीं हो पाता। दलित वर्ग भारत के लिए सुरक्षोपायों सहित डोमिनियन स्टेटस चाहते हैं, किंतु इस प्रश्न पर वे बल देना चाहते हैं कि डोमिनियन भारत का कैसे संचालन किया जाएगा? राजनीतिक सत्ता का केंद्र कहां होगा? यह सत्ता किसके हाथों में होगी? क्या दलित वर्ग उसके वारिस होंगे? उनके लिए यह विचारणीय प्रश्न है। दलित वर्ग यह अनुभव करते हैं कि जब तक नए संविधान की निर्मात्री राजनीतिक मशीनरी विशिष्ट प्रकार की नहीं होगी, दलित वर्गों की राजनीतिक सत्ता में रत्ती भर भी साझेदारी नहीं होगी। नए संविधान का निर्माण करते समय भारत की सामाजिक व्यवस्था के कुछ ठोस तथ्यों को ध्यान में अवश्य रखा जाना चाहिए। इस बात को मानकर चलना होगा कि यहां की सामाजिक व्यवस्था उच्च वर्ग के लिए आदर और निम्न वर्ग के लिए घृणा की अन्याय-परक मान्यताओं पर आधारित है। इसलिए वर्ग और जाति पर आधारित इस व्यवस्था में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के लिए आवश्यक समता और बंधुत्व की मानवीय भावनाओं के विकास की कोई संभावना नहीं है। इस बात को भी मानना होगा कि यद्यपि बुद्धिजीवी भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, किंतु यह सभी उच्च वर्ग से आते हैं, यद्यपि यह देश-हित की बात करते हैं और राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व करते हैं, किंतु वे जातिगत संकीर्णताओं का परित्याग नहीं कर पाते। दूसरे शब्दों में, दलित वर्ग यह चाहते हैं कि राजनीतिक तंत्र ऐसा हो, जो समाज के मनोविज्ञान के अनुकूल हो। अन्यथा आप एक ऐसे संविधान का निर्माण करेंगे, जो चाहे कितना ही संतुलित क्यों न हो, वह एक विकृत संविधान होगा और जिस समाज के लिए उसे बनाया जाएगा, उसके लिए उपयुक्त नहीं होगा।

इस विषय पर अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमें बार-बार याद दिलाया जाता है कि दलित वर्गों की समस्या एक सामाजिक समस्या है और उसका समाधान राजनीति में नहीं है। हम इस विचार का जोरदार विरोध करते हैं। हम यह महसूस करते हैं कि जब तक दलित वर्गों के हाथ में राजनीतिक सत्ता नहीं आती, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। यह सत्य है और हमारे विचार में इसके अलावा और कुछ सत्य हो ही नहीं सकता कि दलित वर्गों की समस्या मुख्य रूप से एक राजनीतिक समस्या है और उसे ऐसा ही माना जाना चाहिए। हम जानते हैं कि राजनीतिक सत्ता अंग्रेजों के हाथ

से निकल कर ऐसे लोगों के हाथों में जा रही है, जिनका हमारे जीवन पर अत्यधिक आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक प्रभुत्व है। हम चाहते हैं कि सत्ता का हस्तांतरण हो, चाहे स्वराज्य का विचार अतीत में हम पर किए गए जुल्म, अत्याचार और अन्याय की याद दिलाता हो। और हो सकता है कि स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात हमें पुन: उन जुल्मों और अत्याचारों का शिकार होना पड़े। हम इस आशा पर यह खतरा भी उठाने के लिए तैयार हैं कि अपने देशवासियों के साथ-साथ हमें भी राजनीतिक सत्ता में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलेगा। उसे हम एक ही शर्त पर स्वीकार करेंगे कि हमारी समस्याओं के समाधान में विलंब नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमने किसी चमत्कार के होने की पहले ही लंबी प्रतीक्षा की है। जब-जब अंग्रेजी सरकार ने सरकार में और प्रतिनिधित्व देने के लिए कदम उठाए हैं, हर बार दलित वर्गों को जान-बूझकर छोड़ दिया गया है। राजनीतिक सत्ता में उनके दावे पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं और अब हम इसे और सहन नहीं करेंगे। सामान्य राजनीतिक समझौते के साथ ही हमारी समस्या का समाधान किया जाना चाहिए और उसे भावी शासकों की सहानुभूति और सद्भावना की बालू पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दलित वर्ग इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं, इसके स्पष्ट कारण हैं।

यह सर्वविदित है कि जिस व्यक्ति के पास सत्ता होती है, वह उस व्यक्ति की अपेक्षा अधिक ताकतवर होता है, जिसके पास यह नहीं होती। हम सभी जानते हैं कि जिनके पास सत्ता होती है, वे उनके पक्ष में यह सत्ता छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते, जो सत्ता के बाहर होते हैं। अत: हमें आशा नहीं है कि हमारी सामाजिक समस्या का समाधान होगा। आज हम जिन्हें सत्ता और सम्मान के सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए सहायता कर रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए हमें एक और क्रांति करनी होगी, तभी सत्ता हमारे हाथों में आ सकेगी। अपनी सुरक्षा के लिए अत्यधिक विश्वास कर बरबाद हो जाने के बदले अपनी दुश्चिंताओं और आशंकाओं के कारण हमसे कोई घृणा करे, हम इसे अधिक पसंद नहीं करेंगे। इस बात पर बल देना उचित है कि हमारी समस्या के समाधान के लिए एक ऐसा अनुकूल राजनीतिक तंत्र हो, जिससे हमारा भी उस पर कुछ अधिकार हो। हम उनकी इच्छा पर निर्भर नहीं रह सकते, जो उस तंत्र पर अपना निरकुंश अधिकार जमाने के लिए जोड़-तोड़ कर रहे हैं।

दलित वर्ग अपनी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए किस प्रकार का राजनीतिक तंत्र चाहते हैं, इसके बारे में मैं अधिवेशन को उचित समय पर बताऊंगा। इस समय मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि यद्यपि हम एक उत्तरदायी सरकार चाहते हैं, किंतु हम ऐसी सरकार नहीं चाहते जिसमें केवल शासक बदल जाएं। यदि कार्यपालिका को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाना है, तो विधायिका को वस्तुत: पूरी तरह एक प्रतिनिधि संस्था बनाया जाना होगा।

अध्यक्ष महोदय, खेद है कि मुझे अपनी बात इतने स्पष्ट शब्दों में कहनी पड़ी है। इसका कोई और विकल्प नहीं था। दलित वर्गों का कोई मित्र नहीं है। सरकार ने अपना अस्तित्व

बनाए रखने के लिए अभी तक उनका इस्तेमाल किया है। हिंदू उन पर अपना दावा उनको अधिकारों से वंचित करने अथवा यों कहना चाहिए उनके अधिकारों को हड़पने के लिए करते हैं। मुसलमान उनके पृथक अस्तित्व को इसलिए मान्यता नहीं देते, क्योंकि उनको भय है कि एक प्रतिद्वंद्वी को शामिल करने से उनके अधिकार कम हो जाएंगे। सरकार द्वारा दबाए, हिंदुओं द्वारा सताए और मुसलमानों द्वारा उपेक्षित दलित वर्ग बिल्कुल ऐसी निस्सहाय एवं दयनीय स्थिति में हैं, जिसकी कोई मिसाल नहीं है और इसकी ओर मुझे आपका ध्यान आकर्षित करना पड़ा।

चर्चा के लिए रखे गए एक अन्य प्रश्न के बारे में मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विषय को एक सामान्य बहस के साथ जोड़ दिया गया है। यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर बहस के लिए एक सत्र की आवश्यकता है। सरसरी उल्लेख से इस विषय के साथ न्याय नहीं हो सकता। यह ऐसा विषय है, जिसमें दलित वर्गों की गहरी रुचि है और वे इसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मानते हैं। अल्पसख्यंकों के लिए सुरक्षोपायों के रूप में हम चाहते हैं कि बहुसंख्यकों के कुशासन से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार को प्रांतीय बहुसंख्यकों पर प्रभावी अंकुश लगाना चाहिए। भारतीय होने के नाते भारतीय राष्ट्रवाद में मेरी गहरी रुचि है, मैं यह स्पष्ट तौर पर कह देना चाहता हूं कि एकात्मक शासन प्रणाली में मेरा अटूट विश्वास है और इसमें किसी प्रकार के विघ्न की बात मुझे विचलित कर देती है। भारतीय राष्ट्र के निर्माण में एकात्मक शासन प्रणाली की जबरदस्त भूमिका रही है। एकीकरण की प्रक्रिया, जो एकीकृत शासन प्रणाली के कारण आरंभ हुई, अभी तक पूरी नहीं हुई है और निर्माण काल में और इस प्रक्रिया के पूरी होने से पहले इस शक्तिशाली प्रणाली को समाप्त करना अनुचित होगा।

तथापि, जिस रूप में इस प्रश्न को प्रस्तुत किया गया है, उसका मात्र एक सैद्धांतिक महत्व है और यदि यह सिद्ध कर दिया जाए कि स्थानीय स्वायत्तता एकात्मक शासन प्रणाली के प्रतिकूल नहीं है, तो मैं संघीय शासन प्रणाली पर विचार करने के लिए तैयार हूं।

महोदय, दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में उनकी ओर से मुझे जो कहना था, मैंने कह दिया है। भारतीय होने के नाते मैं आपकी अनुमति से एक-दो शब्दों में यह बताना चाहता हूं कि हम किस स्थिति में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस संबंध में इतनी बातें कही गई हैं कि उसकी गंभीरता के संबंध में मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता, यद्यपि मैं इस आंदोलन का मूक दर्शक नहीं हूं। इस संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम समस्या के समाधान के लिए सही दिशा में जा रहे हैं? उसका समाधान केवल इस पर निर्भर करेगा कि ब्रिटिश प्रतिनिधि मंडल के सदस्य क्या रुख अपनाते हैं? मैं उनसे केवल यही कहना चाहूंगा कि यह उन्हें तय करना है कि समस्या का समाधान समझौते से करना है अथवा बल प्रयोग से, क्योंकि यह केवल उन्हीं की जिम्मेदारी है। जो बल प्रयोग करना चाहते हैं और जिन्हें विश्वास

है कि इससे स्थिति सुधरेगी, मैं उन्हें राजनीतिक-दर्शन के महान विद्वान एडमंड बर्क के स्मरणीय शब्दों की याद दिलाना चाहता हूं। जब अंग्रेजी राष्ट्र अमरीकी उपनिवेशों की समस्या का सामना कर रहा था, तो उन्होंने कहा था :

> बल प्रयोग से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं होता है, यह नीति थोड़ी देर के लिए तो सफल हो सकती है, किंतु इससे पुनः दमन की जरूरत समाप्त नहीं होती। जिस राष्ट्र को बार-बार जीतना पड़े उस पर शासन नहीं किया जा सकता। दमन से अनिश्चय की स्थिति समाप्त नहीं होती। दमन से हमेशा आतंक पैदा नहीं होता और शस्त्र और सेना से विजय नहीं होती। यदि आप सफल नहीं होते, तो कोई विकल्प शेष नहीं रहता। समझौते की कोई आशा नहीं बचती। सत्ता और प्राधिकार कभी-कभी दयालुता दिखाकर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु उन्हें निरुपाय और पराजित हिंसा द्वारा भिक्षा के रूप में कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता। शक्ति के बल पर समस्या के समाधान के विरुद्ध यह भी आपत्ति है कि उससे जिस चीज को सुरक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं, वह विकृत हो जाती है। जनता की वफादारी को जीतने के लिए लड़ाई की जाती है। वह प्राप्त नहीं होती, अपितु हाथ लगती है निंदा, अवज्ञा, विनाश।

आप सभी जानते हैं कि यह कितनी मूल्यवान और अच्छी सलाह थी। आपने इस सलाह को माना नहीं और इसके लिए आपको अमरीका महाद्वीप से हाथ धोना पड़ा। आपने जब इसे माना, तो उससे आपका भला हुआ। शेष डोमीनियन आपके साथ हैं। जो लोग समझौते की नीति अपनाना चाहते हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूं। एक ऐसी धारणा बन गई है कि प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों को यहां डोमीनियन स्टेटस के पक्ष और विपक्ष में बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है और जिस पक्ष का पलड़ा भारी रहेगा, डोमीनियन स्टेटस देना अथवा न देना उस पर निर्भर करेगा। जो लोग तर्क-वितर्क के लिए तैयार हो रहे हैं, मैं उनसे पूरे आदर के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर तर्क के सूत्र के आधार पर निर्णय करने से बड़ी और कोई भूल नहीं हो सकती। मेरा तार्किकों के साथ कोई झगड़ा नहीं है, किंतु मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि वे अपने निष्कर्षों के लिए सही तर्कों का चयन नहीं करेंगे, तो निश्चय ही उसके विनाशकारी परिणाम होंगे। मुझे भय है कि इस बात को पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा रहा है कि देश की वर्तमान मानसिकता को देखते हुए ऐसा कोई संविधान सफल नहीं होगा, जो अधिकांश जनता को मान्य न हो। वह दिन चले गए,जब आप जैसा भी निर्णय लेते थे, भारत उसे मान लेता था। अब वह समय कभी वापस नहीं आएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका संविधान मान्य हो,तो आप उसे तर्क पर नहीं, जनता की सहमति के आधार पर बनाएं।

2
पूर्ण सम्मेलन की समिति

उप-समिति संख्या 1 (संघीय संरचना) के अंतरिम प्रतिवेदन पर टिप्पणियां * — 16 दिसंबर 1930

डा. अम्बेडकर[ψ]: मेरे मित्र श्री जोशी ने बैठक स्थगित होने से पहले जो मुद्दा रखा था, मैं उसे उठाना चाहता हूं। इस उप-समिति के सभापति के रूप में लार्ड चांसलर ने कुछ सदस्यों को इन बातों पर अपने विचार पेश करने के लिए आमंत्रित किया था और मुझ सहित कुछ सदस्यों ने उप-समिति के सभापति को एक पत्र भेजा था, जिसमें यह इच्छा व्यक्त की गई थी कि इस पत्र को उप-समिति के विचारार्थ रखा जाए। मुझे इस प्रतिवेदन में उस पत्र का कहीं कोई उल्लेख नहीं मिला और लार्ड सेंकी ने मुझे सूचित किया है कि पत्र को उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि, महोदय, उसे प्रधानमंत्री के रूप में आपके पास भेज दिया गया है। मेरे विचार से ऐसा करना उचित नहीं था। यह पत्र उप-समिति के सभापति को उप-समिति के प्रयोग के लिए भेजा गया था और इसमें संघ के प्रश्न पर हमारे कुछ निश्चित विचारों को व्यक्त किया गया था। मुझे यह बात कहने के लिए बाध्य होना पड़ा है, क्योंकि मेरे विचार से यह प्रतिवेदन जिस प्रकार से तैयार किया गया है, वह पत्र में व्यक्त सिद्धांतों के एकदम विपरीत है। हमें बाद में किसी समय इस प्रश्न पर पूरी चर्चा करवानी होगी और मैं जानना चाहता हूं कि लार्ड चांसलर इस संबंध में क्या कदम उठाना चाहते हैं?

लार्ड सेंकी: मैं डा. अम्बेडकर का आभारी हूं कि उन्होंने यह मुद्दा उठाया, क्योंकि मैं भी इस मुद्दे को उठाना चाहता था। इससे मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिल गया है। मुझे यह बात आरंभ में ही कह देनी चाहिए थी। . . . इस बारे में यह पूरी तस्वीर नहीं है . . . शीघ्र ही आपको पूरी वस्तु स्थिति से अवगत कराया जाएगा। डा. अम्बेडकर, मैं आपकी

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि राउंड टेबिल कांफ्रेंस*, पृ. 193-95

ψ डा. अम्बेडकर इस उप-समिति के सदस्य नहीं थे। किन्तु उन्हें दूसरे गोलमेज सम्मेलन में संघीय संरचना संबंधी समिति के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था।

सहायता चाहूंगा . . . जहां तक पत्र का प्रश्न है, आपने यह पत्र मुझे भेजा था। मैंने उस पर पूरी सावधानी से विचार किया। जब हम मद संख्या 6* को लेंगे, तब इस पर विचार करना उचित होगा।

डा. अम्बेडकर: मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस पत्र को समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप इस पत्र को समिति के समक्ष कब प्रस्तुत करेंगे, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं।

लार्ड सेंकी: डा. अम्बेडकर, मैं न केवल आपका पत्र समिति के समक्ष रखूंगा, बल्कि मैं स्वयं उसकी ओर समिति का ध्यान आकर्षित करूंगा।

डा. अम्बेडकर: मैं आपका आभारी हूं। मेरे लिए यही पर्याप्त है।

लार्ड सेंकी: एक क्षण रुकिए। मैंने अपनी बात अभी समाप्त नहीं की है। जब आप मेरी आयु के हो जाएंगे, आप भी इतनी शीघ्रता नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि इस कार्य को स्वयं करने के स्थान पर मैं उन भद्र व्यक्तियों, जिन्होंने यह पत्र प्रस्तुत किया है, को आमंत्रित करूं कि वे आकर यह कार्य करें। यदि यह कार्य मैं करूंगा, तो मैं इसे इतनी अच्छी तरह नहीं कर सकूंगा, जितनी अच्छी तरह आप इसे कर सकेंगे। किंतु मैं इसे करूंगा। पत्र की हर बात पर विचार किया जाना चाहिए, किंतु इस पर विचार करने का समय यह नहीं है। जब हम मद संख्या 6 पर चर्चा करेंगे, तब उस पर विचार किया जाएगा।

गवर्नर-जनरल की विशेष शक्तियों संबंधी प्रतिवेदन के पैरा 16 पर टिप्पणियां

*डा. अम्बेडकर***: महोदय, इससे पहले कि आप अपनी बात कहना आरंभ करें, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जनता के किसी वर्ग के हितों के संबंध में घोर पूर्वाग्रह से बचने के लिए गर्वनर जनरल को हस्तक्षेप की जो शक्ति प्रदान की गई है, उसे बने रहने दिया जाए। इसके लिए संविधान में कनाडा के संविधान की धारा 93 के अनुरूप शक्ति का प्रावधान किया जाए।

लेफ्टी. कर्नल गिडने: महोदय, ऐसे मामलों में गवर्नर जनरल की शक्ति के संबंध में जो बात डा. अम्बेडकर ने कही है, मैं उससे सहमत हूं और उनका पूरा समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष[ψ]: पैरा 34, अब कर्नल गिडने अपने विचार व्यक्त करेंगे।

लेफ्टी. कर्नल गिडने: मैं इस पैरा के संबंध में एक टिप्पणी करना चाहूंगा और इसे मैं पैरा 29 के संदर्भ में पढ़ना चाहूंगा। जहां पैरा 29 में ऊपरी सदन में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व का अनुमान लगाने के लिए जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है, पैरा 34

---

*मद संख्या 6 संघीय कार्यपालिका के गठन, स्वरूप, शक्तियों और दायित्वों के बारे में है।

** *प्रोसीडिंग्स आफ दि राउंड टेबिल कांफ्रेंस*, पृ. 261

ψ*वही*, पृ. 278-79

में 'संभव' शब्द का प्रयोग किया गया है। उससे अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के द्वार और भी बंद हो जाते हैं और ऊपरी सदन में उनका एक भी प्रतिनिधि नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि इस पैरे से 'संभव' शब्द हटा दिया जाए और उसके बाद के शब्द 'और निचले सदन में निश्चित रूप से' का भी लोप किया जाए। यह संशोधित पैरा इस प्रकार से होगा:

दोनों सदनों में प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया जाए, चाहे यह प्रतिनिधित्व कितना ही कम क्यों न हो।

मेरे विचार से ऊपरी सदन में प्रत्येक समुदाय को प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए।

डा अम्बेडकर: मैं कर्नल गिडने की बात से सहमत हूं।

(पैरा 34 संघीय विधान-मंडल में विशेष हितों के और सम्राट के प्रतिनिधित्व के संबंध में है।)

●

3

उप-समिति संख्या 2
(प्रांतीय संविधान)

प्रथम बैठक — 4 दिसंबर 1930

*डा. अम्बेडकर**: मैं अपने विचार तीन शीर्षकों के अंतर्गत रखूंगा, यथा (1) प्रांतीय स्वायत्तता, (2) प्रांतों में उत्तरदायित्व; और (3) प्रांतीय सेवाएं। मैं प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतीय सेवाओं को पृथक-पृथक मानता हूं। प्रांतीय स्वायत्तता के प्रश्न से प्रांतीय कार्यपालिका और विधायिका बनाम केंद्र सरकार और केंद्रीय विधान-मंडल के संबंधों की परिभाषा का प्रश्न उठता है। पहली बात यह है कि कुछ लोगों का विचार है कि अब समय आ गया है, जब प्रांतीय सरकारों को परिस्थितियों के अनुरूप पूर्ण स्वायत्तता दे दी जानी चाहिए और केंद्र सरकार के वर्तमान नियंत्रण से मुक्त कर दिया जाना चाहिए। महोदय! इस संबंध में मैं अपना यह विचार व्यक्त किए बिना नहीं रह सकता कि इस सम्मेलन में, मैं जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, उनकी तथा समूचे भारत के हितों और विशेष रूप से मेहनतकश वर्गों की विचारधारा यह है कि प्रांतों को स्वायत्तता देने के लिए भविष्य में नए संविधान के निर्माण के समय हमें उन तथ्यों को ध्यान में रखना होगा, जो प्रांतीय स्वायत्तता में बाधक सिद्ध हो सकते हैं।

प्रांतीय स्वायत्तता में सबसे पहला बाधक तत्व यह है कि इसे प्रांतीय स्वरूप के ऐसे प्रश्नों के अंतर्गत होना चाहिए, जो प्रांतीय होने के साथ-साथ अखिल भारतीय स्वरूप के भी हों। ऐसे विषयों के बारे में प्रांतों को तो अधिकार होने चाहिए, किंतु उन्हें केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं रखा जा सकता। इस संबंध में, मैं एक उदाहरण देकर अपनी

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं.2 (प्रोविंसियल कांस्टीट्यूशन), गवर्नमैंट आफ इंडिया, सैंट्रल पब्लिकेशन ब्रांच, कलकत्ता, 1931, पृ. 18-22

इस समिति के विचारणीय विषय थे:

(1) प्रांतीय विधान-मंडल की शक्तियां;

(2) प्रांतीय कार्यपालिका की रचना, स्वरूप, शक्तियां और दायित्व।

बात स्पष्ट करना चाहूंगा। श्रमिक कानूनों का संबंध काश्तकारों और कृषि विषयक, दोनों को प्रभावित करने वाले कानूनों से है। भारत जैसे देश में निस्संदेह इन्हें प्रांतीय विषय माना जाना चाहिए। फिर भी, इन्हें सीमित नहीं किया जा सकता। इन्हें केवल प्रांतों का विषय नहीं माना जा सकता। प्रांतीय स्वायत्तता के होते हुए भी इस प्रकार के विषयों पर केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र भी होना चाहिए।

दूसरे, प्रांतों को यथासंभव पूर्ण स्वायत्तता देने की दृष्टि से भारत के भावी संविधान में केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच शक्तियों के विभाजन के समय अपरिभाषित शक्तियों को केंद्र में ही निहित किया जाना चाहिए। इस संबंध में दूसरा दृष्टिकोंण भी हो सकता है। किंतु हम जानते हैं कि भारत में अलगाव की भावनाएं विद्यमान हैं। यहां राष्ट्रीय भावना की तुलना में प्रांतीय एवं संकीर्ण भावनाएं अधिक प्रबल हैं। जब हम एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण कर रहे हैं, जिसके एककों को पूर्ण स्वायत्तता होगी, हमें भारत को एक मजबूत और संगठित देश बनाने की समस्या का भी सामना करना है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे विचार से शक्तियां केंद्र सरकार में निहित करने से प्रांतों की स्वायत्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कनाडा के मामले में प्रिवी कौंसिल की न्यायिक समिति ने जिस प्रकार शक्तियों के आरक्षण का निर्वचन किया है, उसका यह अभिभावी प्रभाव नहीं पड़ा है। इसका अभिप्राय: ऐसी शक्ति से है, जिसे विशेष रूप से प्रांतों को आबंटित नहीं किया जाता, बल्कि किसी क्षेत्र में आपात रूप में अस्तित्व में आती हैं। मेरे विचार से इससे प्रांतीय स्वायत्तता बिल्कुल प्रभावित नहीं होगी।

प्रांतीय स्वायत्तता के संबंध में दूसरी चीज जिस पर मैं विचार प्रकट करूंगा, वह यह है कि अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के हित-संरक्षण की दृष्टि से स्वायत्तता को सीमित किया जाना चाहिए। भारत के नए संविधान के कारण पैदा होनें वाली स्थिति का अनुमान लगाते हुए यह कहा जा सकता है कि कतिपय प्रांतों में कुछ जातियां बहुसंख्यक होंगी, किंतु प्रांतों में दलित वर्ग जिनका मैं प्रतिनिधि हूं, अल्पसंख्यक होंगे। चूंकि सभी प्रांतों में दलित वर्ग अल्पसंख्यक होंगे, हम प्रांतों में बहुसंख्यक वर्गों को इन गरीब लोगों के भाग्य पर निरकुंश एवं अविछिन्न अधिकार कैसे दे सकते हैं कि उन्हें कुप्रशासन के विरुद्ध अथवा उनके हितों की उपेक्षा किए जाने पर अपील करने का अधिकार भी न हो। प्रांतीय सरकार के ऊपर किसी प्रकार का प्राधिकरण अवश्य हो, जो उन्हें प्रांतीय बहुसंख्यकों द्वारा पैदा की गई विपरीत स्थिति से बचाने के लिए हस्तक्षेप कर सके।

मैंने इन तीन बातों की ओर आपका ध्यान दिलाया है, जो मेरी राय में भारत में प्रांतीय सरकारों की स्वायत्तता पर अंकुश लगाती हैं।

प्रांतीय सरकारों में उत्तरदायित्व के प्रश्न के बारे में सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि यह इस बात पर निर्भर है कि प्रांतों में विधान-मंडल का स्वरूप क्या होगा? यदि विधान-

मंडल में प्रांत की समूची जनता को प्रतिनिधित्व मिलेगा, यदि प्रत्येक अल्पसख्यक वर्ग, जिसे अपना अस्तित्व खतरे में होने का भय हो, को प्रभावी भूमिका दी जाएगी,तो प्रांतीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत को मान लेने में कोई हानि नहीं है। यह मेरा प्रथम विचार है।

यदि विधान-मंडल में सभी वर्गों को पूरा और पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो जिन विषयों को सार्वजनिक नियंत्रण के लिए हस्तांतरित किया जा रहा है, उनके संबंध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

जहां तक इस प्रश्न का संबंध है कि क्या प्रांतों में सामूहिक उत्तरदायित्व हो अथवा व्यक्तिगत, यह कहने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है कि उत्तरदायित्व न सिर्फ सामूहिक हो, अपितु अनिवार्यत: सामूहिक हो। मैं विधान परिषद का सदस्य रहा हूं और मैंने देखा है कि प्रांतों में सरकारों ने कैसे कार्य किया है। मेरा तथा अन्य लोगों का, जो सौभाग्य अथवा दुर्भाग्य से विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, यह दुखद अनुभव है कि सरकारें ढीले महासंघ के रूप में कार्य करती रही हैं, जिनका किसी स्वीकृत नीति विशेष पर पूर्ण अथवा एकमत दृष्टिकोंण नहीं रहा। मंत्रियों की भिन्न-भिन्न राय रही हैं और उनमें एक-दूसरे के समर्थन की कभी इच्छा नहीं रही।

इसका परिणाम क्या हुआ है? ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से किसी सुविचारित नीति को विधान परिषद के समुख प्रस्तुत किया हो। किसी भी कार्य को सुव्यवस्थित रूप से नहीं किया गया और हम नहीं चाहते कि भविष्य में भी ऐसा हो।

मैं स्वीकार करता हूं कि मंत्रिमंडलों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सुझाव का मैं बहुत अधिक समर्थक नहीं हूं। मैं इस तथ्य को भूला नहीं हूं, बल्कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि यदि मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो संभव है और इस बात की पूरी संभावना है कि प्रशासन के उन मामलों पर, जो उनके दैनिक जीवन के हितों को प्रभावित करते हैं, उन मंत्रियों की नीति से विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जिनका मुख्य हित संप्रदायवाद है। मैं इस बात को एक क्षण के लिए भी नहीं भुला सकता, किंतु इस प्रकार की बुराई से बेहतर ढंग से भी निपटा जा सकता है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि अल्पसंख्यकों को उनके हितों के संरक्षण की संवैधानिक गांरटी अधिनियम में ही दे दी जाए, तो हमारी आशंका कि मंत्रिमंडल में सांप्रदायिक तत्वों का प्राधान्य रहेगा, दूर हो जाएगी और मंत्रिमंडल में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

यद्यपि मेरी इच्छा है कि चाहे मुख्यमंत्री कोई भी हो, उसे यह अनुभव करना चाहिए अथवा उसे यह अनुभव कराया जाना चाहिए कि मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, क्योंकि हम यह बात एक क्षण के लिए भी

नहीं भूल सकते कि मंत्रिमंडल का पद अत्यधिक महत्वपूर्ण पद होता है। एक मंत्रिमंडलीय मंत्री का दायित्व न केवल अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना है, बल्कि उसे पूरे प्रांत की सुरक्षा और हितों को भी देखना होता है। उसके लिए योग्यता और क्षमता की जरूरत होती है, केवल सांप्रदायिक दृष्टिकोंण की नहीं। मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यक एवं दलित वर्गों के हितों की सुरक्षा के ऐसे प्रावधान किए जाएं कि बहुसंख्यक समुदायों से आए मंत्री संवैधानिक दृष्टि से अल्पसंख्यकों के विरुद्ध कोई कार्य अथवा उनके हितों की उपेक्षा न कर सकें।

गवर्नर और मंत्रिमंडल के बीच संबंधों के प्रश्न के बारे में यह स्पष्ट है कि उत्तरदायी सरकार और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर आधारित किसी भी संविधान के अंतर्गत गवर्नर देश के दिन-प्रतिदिन प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह उत्तरदायी सरकार और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के विपरीत होगा। सरकार को सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर दिन-प्रतिदिन के प्रशासन का संचालन करने दिया जाना चाहिए।

जब यह सुझाव दिया जाता है कि आपात शक्तियों को गवर्नर में निहित किया जाए, तो,मैं उसका तात्पर्य नहीं समझ पाता। क्या इसका तात्पर्य यह है कि जब आपात स्थिति पैदा हो, तो गवर्नर को सरकार को बरखास्त कर देना चाहिए और जो कानून, अध्यादेश अथवा उपाय वह उचित समझे, उन्हें जारी कर दे, चाहे मंत्रिमंडल ने उनका विरोध किया हो। मैं अच्छी तरह समझता.हूं कि गवर्नर को ऐसी सरकार को बरखास्त करने का पूरा अधिकार होना चाहिए, जो उसके विचार में देश के हित में कार्य नहीं कर रही, किंतु मैं यह बात नहीं समझ सकता कि यदि गवर्नर को मंत्रिमंडल के बिना कार्य करने की अनुमति हो, तो उस प्रांत में उत्तरदायी सरकार कैसे हो सकती है? यह एक बात है कि गवर्नर का मंत्रिमंडल ऐसा हो कि किसी आपात स्थिति में वह उसके साथ सहमत हो सके, किंतु यह कहना दूसरी बात है कि जब आपात स्थिति पैदा हो, तो गवर्नर को मंत्रिमंडल की बिल्कुल परवाह नहीं करनी चाहिए। इस प्रश्न पर कुछ समझौता होना चाहिए,क्योंकि मैं इसे पूरी तरह समझ नहीं सका हूं।

सेवाओं के प्रश्न पर मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। मैं सिद्धांत रूप से स्वीकार करता हूं कि प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत प्रांत की सेवाओं को विनियमित करने की शक्ति उसी प्रांत में विहित हो और प्रांतों को अपनी इच्छा, साधनों और परिस्थितियों के अनुरूप सेवाओं के भारतीयकरण करने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। मैं एक विचार व्यक्त करने के लिए बाध्य हूं और वह यह है: मैं इस तथ्य को भूल नहीं पाता कि भारतीयों में सांप्रदायिक मानसिकता है। हमें आशा है और यही मात्र एक आशा है कि ऐसा समय आएगा, जब सभी भारतीय समस्याओं को सांप्रदायिक दृष्टि से देखना बंद कर देंगे, किंतु यह मात्र एक आशा है, सत्य नहीं है। तथ्य यह है कि भारतीय वर्ग और वर्ग में, संप्रदाय और संप्रदाय में भेदभाव

करते हैं और उनके भेदभाव की यह भावना अपने विधि-प्रशासन को लागू करते समय भी रहती है। मैं इस तथ्य को भुला नहीं पाता। मैंने इस तथ्य के कारण गंभीर मुसीबतों का सामना किया है। भारत के भावी संविधान को लेकर मेरे मन में यह आशंका है कि दलित वर्गों की वर्तमान स्थिति और उनमें शिक्षा के कम प्रचार-प्रसार के कारण तथा इस तथ्य को देखते हुए कि उदाहरण के तौर पर बंबई प्रेसिडेंसी में राजपत्रित पद पर शायद एक भी व्यक्ति नहीं...

एक माननीय सदस्य: एक व्यक्ति है।

डा. अम्बेडकर: हां, एक व्यक्ति है, जो अपवाद है। इस व्यक्ति को वहां पहुंचाने के लिए मुझे कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ा, इसे आप जानते हैं? मुझे भय है कि सेवाओं में भारतीयों को लेने से अत्याचार फिर बढ़ेगा और इसलिए मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि कुछ समय के लिए सेवाओं में अंग्रेजों को रखा जाए। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं कि भारतीयों को लिया ही न जाए। हमारे हितों को ध्यान में रखकर सेवाओं का भारतीयकरण धीमी गति से किया जाए। मेरे दृष्टिकोंण में यही बातें थीं, जिन्हें मैं व्यक्त करने का इच्छुक था।

तीसरी बैठक–8 दिसंबर 1930

डा. अम्बेडकर:* मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। द्वितीय सदन का यह प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि चर्चाधीन विषयों के साथ इसे जोड़ने से इस पर उचित और पर्याप्त चर्चा नहीं हो सकती। इस विषय पर चर्चा के लिए एक विशेष दिन नियत किया जाना चाहिए। द्वितीय सदन और अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण अथवा मद 1 और 2 में दिए गए अन्य किसी मुद्दे के बीच कोई संबंध नहीं है। मैं समझता हूं कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चर्चाधीन विषय-सूची का 'विधान-मंडल की संरचना' के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें इस विषय पर चर्चा करने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष: आप इस पूरे विषय को अलग कैसे कर सकते हैं?

डा. अम्बेडकर: द्वितीय सदन के प्रश्न को निश्चय ही अल्पसंख्यकों से पृथक किया जा सकता है।

अध्यक्ष: इसे पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता। द्वितीय सदन होना चाहिए अथवा नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है, जो हर उठने वाले विषय को, गवर्नर बनाम कार्यपालिका और विधान-मंडल, विधान-मंडल की शक्तियों आदि को प्रभावित करता है। मैं समझता हूं कि हम इस विषय पर बहस करें और यदि अंत में हम यह महसूस करें कि इस पर पर्याप्त चर्चा नहीं हो सकी है, तो हम इस पर और चर्चा करने की व्यवस्था कर देंगे।

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 2 (प्रोविंसियल कांस्टीट्यूशन), पृ. 56

चौथी बैठक – 9 दिसंबर 1930

*डा. अम्बेडकर**: इस समय मैं इन दो समुदायों को ले रहा हूं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण समुदाय हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस तथ्य पर आधारित तर्क से हम ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि हम कानून और व्यवस्था का अंतरण कभी नहीं कर पाएंगे। अत: इस तर्क को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। मुझे यह भी लगता है कि नोबल मारक्वेस की धारणा है कि यदि कोई मुसलमान अथवा हिंदू कानून और व्यवस्था का प्रभारी बनता है, तो वह उसी समुदाय विशेष की सनक से प्रभावित होकर कार्य करेगा, जिस समुदाय का वह होगा। महोदय! मेरा निवेदन है कि इससे यह धारणा बनती है कि भविष्य में भारत में राजनीतिक दलों का गठन राजनीतिक अथवा आर्थिक विचारधारा के आधार पर नहीं, बल्कि धार्मिक आधार पर होगा। किंतु मेरे विचार से स्थिति को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि भारत के भावी संविधान में कार्यपालिका का गठन ऐसा होगा कि धार्मिक और जातिगत भेदभाव कम उभरेंगे और एक हिंदू मंत्री के दल और अनुयायियों में काफी संख्या में मुसलमान होंगे और मुसलमान मंत्री के समूह और अनुयायियों में हिंदू होंगे। यदि ऐसा होता है, और मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि ऐसा होगा, तब यह समझना कठिन है कि उदाहरण के तौर पर कानून और व्यवस्था का प्रभारी मंत्री कानून और व्यवस्था को लागू करने में उस समूह के एक हिस्से की भावनाओं का आदर क्यों नहीं करेगा, जिसका उसे समर्थन प्राप्त है। इसलिए इस तरह की आशंकाएं बेबुनियाद और निराधार हैं।

दूसरी जिस बात पर न्यूनाधिक रूप से सहमति हो गई है, वह यह है कि कार्यपालिका को न केवल एकीकृत होना चाहिए, बल्कि उसका अलग नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व होना चाहिए। महोदय! बहस के दौरान जिन बातों पर मुख्यतया मतभेद सामने आए हैं, वे कार्यपालिका की रचना के प्रश्न को लेकर हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या कार्यपालिका में विधान-मंडल के सदस्यों को ही लिया जाए अथवा इसमें विधान-मंडल के बाहर से शासकीय अथवा गैर-शासकीय व्यक्तियों को भी शामिल किया जाए? दूसरा प्रश्न है कि क्या इसमें अल्पसंख्क वर्गों के सदस्यों को भी शामिल किया जाए? तीसरा प्रश्न है कि क्या इन मंत्रियों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व गवर्नर का हो अथवा क्या उसे केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति का उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए और उसके सहयोगियों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व मुख्यमंत्री का हो।

महोदय, मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर 'हां' में देना चाहता हूं। मेरे विचार से मंत्रिमंडल की सदस्यता विधान-मंडल के सदस्यों तक सीमित नहीं रखी जानी चाहिए। कार्यपालिका में यथासंभव उन सभी समुदायों के प्रतिनिधि शामिल किए जाएं, जिन्हें विधान-मंडल में

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 2 (प्रोविंसियल कांस्टीट्यूशन), पृ. 95-102

प्रतिनिधित्व प्राप्त है अथवा नहीं और इस संबंध में उचित प्रावधान किया जाए। दूसरा प्रश्न है कि क्या इसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि भी होने चाहिएं? तीसरा, जहां तक गवर्नर द्वारा मंत्रिमंडल के गठन का संबंध है, हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि यह उसका परमाधिकार है और मंत्रिमंडल के सदस्यों के चयन का कार्य उसके विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए। महोदय। क्या कार्यपालिका के सदस्यों का चयन केवल विधान-मंडल तक सीमित न हो, क्या मंत्रिमंडल में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रावधान किया जाए और क्या गवर्नर को मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में विवेकाधिकार दिया जाए, इन तीन प्रश्नों का मैं 'हां' में उत्तर देता हूं, किंतु इसके लिए सबसे बड़ी शर्त यह होगी कि कार्यपालिका का गठन कैसे भी किया जाए, वह सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करे। यदि कार्यपालिका के लिए सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अनिवार्य बना दिया जाता है, तो मेरे विचार से इसमें बाहर से किसी सदस्य को सम्मिलित करने से कुछ क्षति नहीं होगी। उदाहरणार्थ, यदि कार्यपालिका में किसी ऐसे सदस्य को लिया जाता है, जिसका विधान-मंडल से संबंध नहीं है, यदि वह मंत्रिमंडल के साथ सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार करता है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को न अपनाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। यह कहा गया है कि जब मंत्रिमंडल के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव पारित हो जाने पर सरकार का पतन हो जाता है, तो ऐसा मंत्री जो विधान-मंडल का सदस्य नहीं है, बरखास्त नहीं होगा, जब कि मंत्रिमंडल के अन्य सभी सदस्यों को जाना होगा और नए मंत्रिमंडल में उसे शामिल किया जा सकता है, इस तरह वह मंत्रिमंडल में हमेशा बना रहेगा। यह विचार भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि जब तक सरकार बनाने के लिए विधान-मंडल से लिए गए सदस्य उसे अपने साथ लेने तथा उसके कार्यों की जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक वे उसके साथ काम नहीं करेंगे और न ही उसकी सलाह मानेंगे और न ही वह उनकी सलाह मानेगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई मुख्यमंत्री किसी बाह्य सदस्य को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने की स्थिति में है और साथ ही उसे सदन का विश्वास भी प्राप्त है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री को इस प्रकार का विशेषाधिकार न देने का कोई कारण दिखाई नहीं देता।

इसी प्रकार, यदि गवर्नर को अपने मंत्रिमंडल में विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व देने की शक्तियां दी जाती हैं और इसके साथ ही यदि यह भी स्पष्ट कर दिया जाता है कि मंत्रिमंडल के लिए नियुक्त होने वाले सदस्य सामूहिक जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे, तो ऐसे में इस तरह का प्रावधान करने में कोई हानि नहीं है। मेरे विचार से इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि मंत्रिमंडल के गठन का अधिकार गवर्नर का हो, बशर्ते कि मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अधीन कार्य करे।

अगला प्रश्न यह है कि एकीकृत एवं उत्तरदायी कार्यपालिका का गठन कैसे किया जाए? इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि कार्यपालिका के गठन में ही कानून

द्वारा उसके स्वरूप को परिभाषित कर दिया जाए। दूसरा तरीका है कि कार्यपलिका का गठन परिपाटी के आधार पर हो। इन दोनों तरीकों का प्रचलन है। सर्वविदित है कि कनाडा, दक्षिण अफ्रीका अथवा आस्ट्रेलिया के संविधान में-'उत्तरदायी सरकार' शब्द नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि कनाडा के संविधान में इसका भी उल्लेख नहीं है कि गवर्नर को सलाह देने वाले मंत्री विधान-मंडल के सदस्य होंगे, हालांकि वास्तव में वे उसके सदस्य होते हैं। आयरलैंड, माल्टा और रोडेशिया के संविधानों में इस विषय को परिपाटी पर न छोड़कर, उसका कानून में प्रावधान कर दिया गया है। हमें मालूम है कि आयरलैंड में प्रधानमंत्री संविधि की उपज है और सामूहिक उत्तरदायित्व संविधान में परिभाषित कर दिया गया है।

मेरे विचार से हमें इन दो में से एक तरीके को अपनाना होगा और ऐसा करते समय हमें दो बातों को ध्यान में रखना होगा। मैं महसूस करता हूं कि जब किसी बात को परिपाटी पर छोड़ दिया जाता है, तो हो सकता है कि कभी-कभी उसका गलत इस्तेमाल किया जाए। भारत जैसे देश में परिपाटी का तरीका अपनाना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई दल नहीं है, जिसकी इस बात में रुचि हो कि संविधान किस प्रकार से चलेगा। यहां ऐसे मंत्री हैं, जिनकी रुचि इस बात में अधिक है कि मंत्रिमंडल में वे अपना स्थान कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी ओर, जब इसका कानूनी प्रावधान कर दिया जाता है, तो गवर्नर का कोई स्वविवेक नहीं रहता। भारत जैसे देश में जहां सांप्रदायिक और जातिगत कठिनाइयों के कारण राजनीति में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि गवर्नर के पास निर्णय हेतु पर्याप्त स्वविवेक हो। इस संबंध में मेरा यह ठोस सुझाव है कि कार्यपालिका के सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए कानून द्वारा प्रावधान किया जाए और शेष सभी बातें गवर्नर के विवेकाधिकार पर छोड़ दी जाएं। इससे दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। हमें सामूहिक उत्तरदायित्व के प्रावधान के साथ-साथ यह भी व्यवस्था कर देनी चाहिए कि मंत्रिमंडल के संप्रदायों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व मिले और यदि प्रधानमंत्री (मुख्यमंत्री) किसी बाह्य सदस्य को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना आवश्यक समझे तो वह ऐसा कर सके। हमें सामूहिक उत्तरदायित्व के लिए प्रावधान कर देना चाहिए और इसे गवर्नर के स्वविवेक पर नहीं छोड़ना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है, तो शेष बातों को गवर्नर के स्वविवेक पर छोड़ा जा सकता है।

महोदय! अब मैं गवर्नर और उसके मंत्रिमंडल की शक्तियों के विषय पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। हम जानते हैं कि गवर्नर और मंत्री के संबंधों को धारा 52, उपधारा 3 में परिभाषित कर दिया गया है। इस धारा के अनुसार सभी अंतरित मामलों में (अब सभी मामले हस्तांतरित किए जा रहे हैं और कोई भी मामला आरक्षित नहीं रहेगा) गवर्नर अपने मंत्रियों की सलाह पर कार्य करेगा और इसमें एक और उपबंध यह है कि यदि उसे अपने मंत्रियों की सलाह से असहमत होने का कोई पर्याप्त कारण दिखाई देता है, तो वह उस सलाह से

अन्यथा कार्य कर सकता है। इस धारा के बनाने वालों के प्रति पूरे आदर के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे उन्होंने यह धारा सदाशयता से प्रेरित होकर बनाई, किंतु यह धारा अपने वर्तमान रूप में उत्तरदायी सरकार को विकृत कर रही है। इस धारा के चलते उत्तरदायी सरकार सुविधा की बात हो गई है, गवर्नर को अनुकूल लगने पर ही उसे स्वीकार किया जाता है, जब कि वास्तव में हम यह चाहते हैं कि उत्तरदायी सरकार के सिद्धांत को अनिवार्य किया जाए। उत्तरदायी सरकार से तात्पर्य यह है कि गवर्नर किसी भी क्षेत्र में जो भी कार्य करे, उसे ऐसी मंत्री परिषद् का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, जिसे सदन का विश्वास प्राप्त हो इस मूलभूत बात की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि गवर्नर को अपनी मंत्री परिषद् की सलाह हमेशा माननी चाहिए। उसकी सलाह न मानने की बजाए गवर्नर उसे बरखास्त कर सकता है। यदि गवर्नर उसकी सलाह नहीं मानता, तो वह अपनी ओर से कोई कार्य नहीं कर सकता, बल्कि उसे ऐसे मंत्रियों की तलाश करनी होगी, जो उसके कार्यों का समर्थन करें। इसका तात्पर्य यह है कि गवर्नर जब भी कोई कार्य करता है, वह उसके मंत्रियों की राय के अनुकूल हो, जिन्हें सदन का विश्वास प्राप्त होता है। मेरा निवेदन है कि धारा 52 में परिवर्तन कर इसे इस तरह से स्पष्ट किया जाए कि जब तक कुछ विशिष्ट मामलों में, जिनका उल्लेख में थोड़ी देर में करूंगा, कानून के अंतर्गत कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं किया जाता, तब तक गवर्नर को मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा।

महोदय! मैं यह बात सहज ही मानने के लिए तैयार हूं कि कुछ मामलों में गवर्नर को अभिभावी शक्तियां देना जरूरी है। ऐसे में वह अपने मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे। ऐसे मामलों का उल्लेख साइमन कमीशन के प्रतिवेदन के खंड 2 के पृष्ठ 36 पर पैरा 50 में किया गया है। पहला, गवर्नर को प्रांत में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए अभिभावी शक्तियां दी जाएं। दूसरा, उसे कुछ संप्रदायों की तुलना में एक अथवा अधिक संप्रदाय के विरुद्ध घोर पूर्वाग्रह को रोकने के लिए अभिभावी शक्तियां प्रदान की जाएं ; अंत में इसमें कतिपय ऐसे मामलों का भी उल्लेख है, जहां समस्त कार्यपालिका के उत्तरादायित्व के अतिरिक्त गवर्नर का विशिष्ट उत्तरदायित्व होता है। ऐसे मामलों में गवर्नर को अभिभावी शक्तियां दी जानी चाहिए।

इस संबंध में मेरा निवेदन है कि यदि प्रांत में शांति, सुरक्षा और अमन चैन बनाए रखने के लिए आप गवर्नर को उसके मंत्रियों के ऊपर अभिभावी शक्ति प्रदान करते हैं, तो आप प्रांत में उत्तरदायी सरकार की शक्तियों का काफी भाग छीन लेते हैं। हम यह प्रयास कर रहे हैं कि गवर्नर प्रांतों में, यहां तक कि शांति, सुरक्षा और अमन-चैन बनाए रखने के मामले में अपने मंत्रियों की सलाह पर शासन चलाए और यदि आप गवर्नर को यह शक्ति देते हैं तो आप उत्तरदायी सरकार की शक्तियों को काफी सीमा तक रद्द कर रहे हैं। मैं गवर्नर को

इस प्रकार की अभिभावी शक्तियां देने का पक्षधर नहीं हूं। अतः इस संबंध में कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए।

जहां तक कुछ संप्रदायों की तुलना में किसी एक वर्ग के विरुद्ध पूर्वाग्रह संबंधी प्रश्न का संबंध है, चाहे यह प्रावधान बड़ा हितकारी है, फिर भी मैं चाहता हूं कि किसी समुदाय विशेष के हितों पर विपरीत प्रभाव डालने वाले मामलों के संबंध में कानूनी प्रावधान किए जाएं; इसे गवर्नर की स्वेच्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। गवर्नर को मंत्रिमंडल से संपर्क बनाए रखना होता है और मंत्रिमंडल को विधान-मंडल के बहुमत का समर्थन मिला होता है। वह मंत्रिमंडल के प्रतिकूल कार्य नहीं कर सकता, उनमें मधुर संबंध होने चाहिएं। मेरे विचार से गवर्नर अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सदन में बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रिमंडल के साथ हमेशा लड़ता नहीं रहेगा। मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अपेक्षाकृत अधिक पक्के ढंग से किया जाए और इस खंड का लोप किया जाए।

मैं 3,4 और 5 मदों के संबंध में इस बात से सहमत हूं कि गवर्नर को ऐसे मामलों में अभिभावी शक्तियां दी जानी चाहिएं, क्योंकि ये ऐसे मामले हैं जहां प्रशासन के लिए वह निजी तौर पर उत्तरदायी होता है·

अगला विषय गवर्नर और विधान-मंडल की शक्तियों के बारे में है। मैं अपने विचार तीन शीर्षकों के अंतर्गत रखूंगा। पहला, बजटीय विधान, दूसरा, सामान्य विधान और तीसरा, आपात विधान। गर्वनर को इस समय सुरक्षित विषयों के लिए प्रावधान करने के संबंध में प्रमाण-पत्र देने की शक्तियां प्राप्त हैं। प्रांत में सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए व्यय प्राधिकृत करने का भी उसे प्राधिकार प्राप्त है। यदि सुरक्षा और शांति के प्रश्नों के समाधान की जिम्मेदारी उत्तरदायी सरकार को दी जानी है,तो गवर्नर को इसके लिए व्यय का प्राधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उसे विधेयकों के संबंध में प्रमाण-पत्र देने की शक्ति प्राप्त है। यह दो प्रकार की है। वह प्रमाणित कर सकता है कि विधान-मंडल में चर्चाधीन विधेयक पर आगे चर्चा न की जाए, क्योंकि उससे प्रांत की सुरक्षा और शांति भंग हो सकती है और उसे यह भी प्रमाणित करने का अधिकार है कि अमुक विधेयक प्रांत की सुरक्षा और शांति के हित में है, चाहे विधान-मंडल की उसे सामान्य रूप में पारित करने की इच्छा न हो। मेरे विचार से इन दोनों शक्तियों को रद्द कर दिया जाना चाहिए। भारत के भावी संविधान में इन शक्तियों का प्रावधान करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

उसे पूर्वानुमति का अधिकार भी है। कतिपय विषयों पर चर्चा के लिए पूर्वानुमति लेनी पड़ती है और मेरे विचार से यह अधिकार भी समाप्त कर दिया जाए।

माननीय अहमद सईद खां: भेदभाव संबंधी विधान?

डा. अम्बेडकर: उसे भी गवर्नर पर न छोड़कर उसका सांविधिक प्रावधान किया जाए। गवर्नर को निषेधाधिकार करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जो प्रांत चाहें, वहां द्वितीय

सदन नहीं बनाया जाएगा, ऐसे प्रांतों में गवर्नर को निषेधाधिकार दिया जाना चाहिए। गवर्नर को पुन: विचार के लिए विधेयक को सदन में वापस भेजने का अधिकार है। यह बड़ा उपयोगी अधिकार है, जो विभिन्न डोमीनियनों के संविधान में विद्यमान है और मेरे विचार से इसे बनाए रखा जाए। गवर्नर किसी विधेयक को गवर्नर-जनरल के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है और जिन मामलों में भी वह विधेयक उसके विचारार्थ रख सकता है, उन्हें कानूनी रूप से परिभाषित कर दिया गया है। जब हम प्रांतीय सरकारों के केंद्र सरकार के साथ संबंधों की चर्चा करेंगे, तब इस विषय पर विचार किया जा सकता है। किंतु इस समय इस विषय पर मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रांतीय संविधान ऐसा हो कि प्रांतों को हस्तांतरित किए गए विषयों के संबंध में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। संविधान ऐसा हो कि प्रशासन में अथवा कानून बनाने में केंद्र सरकार के निरंतर हस्तक्षेप का कोई अवसर न आए।

कोनून और व्यवस्था एवं अल्पसंख्यकों के सुरक्षापायों के प्रश्न के बारे में मैं कह चुका हूं कि इस विषय को हस्तांतरित कर दिया जाए। इस संबंध में मेरा सुझाव है कि आपात स्थिति के दौरान जब कानून और व्यवस्था खतरे में हो तो गवर्नर को पुलिस अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण के संबंध में मंत्रिमंडल की सलाह से अन्यथा अंतिम आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। मेरे विचार से यह बहुत जरूरी है।

माननीय कावसजी जहांगीर: केवल आपात स्थिति के दौरान?

डा. अम्बेडकर: हां, किंतु दूसरे मामलों में नहीं।

श्री पाल: क्या सामान्य काल में नहीं ?

डा. अम्बेडकर: सामान्य काल में नहीं, जब कोई दंगा होता है, ऐसी आपात स्थिति में गवर्नर जैसा निष्पक्ष अधिकारी, मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है उससे विचलित हुए बिना, यह सुनिश्चित कर सकता है कि दंगे के दौरान किसी संप्रदाय विशेष की सुविधा के लिए लोगों का एक स्थान से दूसरे पर स्थानांतरण न किया जाए। मेरे विचार से इससे गवर्नर को कानून और व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए पर्याप्त अधिकार मिल जाएंगे।

अल्पसंख्यकों के संबंध में कुछ वक्ताओं का सुझाव था कि द्वितीय सदन से अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिल सकेगा और मेरे मित्र श्री वुड ने कहा है कि द्वितीय सदन के संदर्भ में दलित वर्गों की स्थिति पर मैंने पूरी तरह विचार नहीं किया है, मैं इस संबंध में अपने मित्र को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैंने इस विषय पर गंभीरता से विचार किया है और मैं अपने मित्र श्री पाल से पूर्णतया सहमत हूं कि द्वितीय सदन अल्पसंख्यकों को संरक्षण प्रदान करने के स्थान पर उनके लिए अवरोधक सिद्ध होगा।

गवर्नर और उसके मंत्रिमंडल के बीच संबंध के विषय पर मैंने अभी तक अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। संक्षेप में, मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या गवर्नर को मंत्रिमंडल की बैठकों

की अध्यक्षता करने का अधिकार होना चाहिए अथवा नहीं? देश में मंत्रिमंडल द्वारा सम्राट की अनुपस्थिति में अपनी बैठकें करने की पद्धति को अपनाने से प्रश्न उठता है कि मंत्रिमंडल अपने निष्कर्षों और निर्णयों की सूचना गवर्नर को किस तरह से दे? यदि इस बात का विचाराधीन विषय से कोई संबंध नहीं है, तो उसकी चर्चा पर समय बरबाद नहीं करना चाहिए।

अध्यक्ष: हमने सामान्यतया समूचे प्रश्न पर चर्चा की है, इसलिए यदि आप इस पर अपनी बात जारी रखना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

डा. अम्बेडकर: इस संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। साइमन कमीशन का सुझाव था कि आई.सी.एस. अधिकारी के स्तर का एक मंत्रिमंडल सचिव नियुक्त किया जाए, जो गवर्नर के लिए मंत्रिमंडल के संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करे। यह सुझाव देते हुए कमीशन ने कहा था कि इस देश में इस तरह का प्रचलन है, अर्थात मंत्रिमंडल का हमेशा एक सचिव होता है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह कहना एक बात है कि मंत्रिमंडल का एक सचिव होना चाहिए, किंतु यह कहना बिल्कुल भिन्न बात है कि इस सचिव की मंत्रियों के ऊपर गवर्नर तक पहुंच होनी चाहिए। इस देश में शायद सचिव नियुक्त करने की प्रथा है। मेरे विचार से कोई भी मंत्रिमंडल अथवा प्रधानमंत्री यह नहीं चाहेगा कि सचिव की मंत्रियों अथवा प्रधानमंत्री के ऊपर सम्राट तक पहुंच हो: इसे सहन नहीं किया जाएगा। हमें विदित है कि इस देश में मंत्रिमंडल के इतिहास में आरंभ से लेकर अब तक इस बात पर जोर दिया जाता रहा है कि मंत्रियों जैसे लोगों की सम्राट के समीप पहुंच हो सकती है और हम जानते हैं कि यह बात यहां तक चली गई है कि सदन में साम्राज्ञी से भेंट योग्य महिलाएं भी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा नामांकित की जाती हैं। अत: जो सुझाव दिया गया है, वह संभव प्रतीत नहीं होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर कार्य करने वाला कोई भी मंत्रिमंडल इस बात के लिए राजी नहीं होगा कि सचिव को इस तरह से संबद्ध किया जाए।

दूसरी ओर, यदि गवर्नर को मंत्रिमंडल की नीतिगत विषयों पर चर्चा के लिए बैठकों की अध्यक्षता का अधिकार दिया जाता है, तो वह भी व्यावहारिक नहीं लगता, क्योंकि चाहे मंत्रिमंडल को गवर्नर को अपने निर्णयों से अवगत कराना अनिवार्य होगा, किंतु मंत्रिमंडल उसे उन कारणों को नहीं बताएगा, जिनके आधार पर उसने वे निर्णय लिए होंगे। ऐसे निर्णय विशिष्ट अथवा नाजुक हो सकते हैं और मंत्रिमंडल गवर्नर को कभी नहीं बताना चाहेगा कि किसी निर्णय विशेष के कारण क्या हैं? इसका कारण यह है कि गवर्नर को मंत्रिमंडल को बरखास्त करने के अनन्य अधिकार प्राप्त हैं और हो सकता है कि वह मंत्रिमंडल की सदन को भंग करने की सलाह से सहमत न हो, चूंकि इसका प्रावधान संविधान में कर दिया गया है, इस मामले को अनुदेशों पर छोड़ दिया जाए, जिसका अर्थ यह है कि

यदि गवर्नर चाहे तो वह बैठकों की अध्यक्षता कर सकता है, किंतु इसे अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। दूसरी ओर, मंत्रिमंडल के लिए अपनी बैठक में की गई सिफारिशों से गवर्नर को अवगत कराना अनिवार्य हो। इस विषय पर मैं बस यही कहना चाहता हूं।

* * * *

*डा. अम्बेडकर**: मुझे यह कहना है कि द्वितीय सदन की स्थापना पहले नहीं की जानी चाहिए, और तत्पश्चात अपेक्षित बहुमत से संवैधानिक संकल्प पारित कर उसका समापन किया जा सकता है। हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि यदि कुछ प्रांतों में इस विषय को स्वविवेक पर छोड़ दिया जाता है, तो द्वितीय सदन की स्थापना के लिए प्रांतीय विधान-मंडल में इस आशय का संकल्प पारित किया जाए कि वे द्वितीय सदन की स्थापना करना चाहते हैं, तभी द्वितीय सदन की स्थापना की जाए। इसे किसी प्रांतीय विधान-मंडल पर संवैधानिक रूप से थोपा नहीं जाना चाहिए।

पांचवी बैठक – 15 दिसंबर 1930

डा. अम्बेडकर[Ψ]: महोदय, नोबल मारक्विस द्वारा प्रस्तुत संशोधन पर मैं एक या दो टिप्पणियां करना चाहता हूं। मैं आरंभ में ही यह कह देना चाहता हूं कि उन्होंने उसमें बड़ी तर्कसंगत बात कही है। इस प्रतिवेदन में हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि विधान परिषद में कुछ हितों और अल्पसंख्यकों को नामांकन द्वारा प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। इसके साथ इस प्रतिवेदन में हम यह भी व्यवस्था कर रहे हैं कि गवर्नर का यह दायित्व होगा कि वह अपने मंत्रिमंडल में सभी वर्गों और सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रयास करे। महोदय! जब तक आप इस मंत्रिमंडल में इसकी व्यवस्था नहीं करते हैं, गवर्नर को भी नामांकन द्वारा कुछ विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को शामिल करने का अधिकार होगा, मेरे विचार से यह एक अत्यंत असंगत स्थिति होगी। इस प्रतिवेदन में या तो यह व्यवस्था की जाए कि विधान परिषद के लिए कोई नामांकन नहीं किया जाएगा और सभी वर्गों को चुनाव द्वारा अवसर दिया जाएगा अथवा यदि नामांकन की व्यवस्था की जाती है, तो नामांकित सदस्य को, यदि उसके साथी सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर उसके साथ कार्य करने के लिए तैयार हों, मंत्रिमंडल में शामिल होने का अधिकार होना चाहिए।

महोदय! इस ओर बैठे मेरे मित्रों का कहना है कि यदि हम इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि एक नामांकित सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य हो सकेगा अथवा उस पर मंत्रिमंडल

---

* प्रोसीडिंग्स आफ़ दि सब-कमेटी नं. 2 (प्रोविंसियल कांस्टीट्यूशन), पृ. 133

Ψ वही, पृ. 156-57

का सदस्य होने पर प्रतिबंध नहीं, तो यह बात उत्तरदायित्व के सिद्धांत के प्रतिकूल होगी। मैं वास्तव में स्थिति को समझ नहीं सका हूं। जो सज्जन इसे जिम्मेदारी के सिद्धांत के प्रतिकूल मान रहे हैं, वे नामांकित सदस्यों के वोट लेने को तो तैयार हैं। मैं इस प्रतिवेदन को उसके वर्तमान रूप में ले रहा हूं। मैं नहीं जानता कि भविष्य में क्या संशोधन किए जाएंगे। यदि प्रतिवेदन को वर्तमान रूप में स्वीकृत कर लिया जाता है कि विधान परिषद में कतिपय सदस्यों को नामांकित किया जाएगा, तो क्या ये सज्जन व्यक्ति यह कहना चाहते हैं कि उनके वोट अवैध होंगे? यदि सदन के निर्वाचित भाग से बने मंत्रिमंडल के सदस्य विधान परिषद के नामांकित सदस्यों के वोटों का वैध इस्तेमाल कर सकते हैं, यदि इन सदस्यों के वोट सरकार की नीति का आधार बन सकते हैं, तो नामांकित सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य क्यों नहीं हो सकता? मुझे यह बात बिल्कुल समझ नहीं आई। यदि उनके वोटों से लाभ उठाया जा सकता है, तो उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करने पर क्या आपत्ति है? इसलिए, नोबल मारक्विस की बात बिल्कुल तर्कसंगत है। अत: हमें या तो नोबल मारक्विस द्वारा पेश किए गए संशोधन में की गई व्यवस्था को स्वीकार करना होगा अथवा हमें दूसरे प्रस्ताव को स्वीकार करना होगा, जिसके बारे में मेरे मित्र कह रहे हैं कि वे उसे बाद में प्रस्तुत करेंगे कि विधान परिषद में किसी प्रकार के प्रतिनिधित्व का तत्व शामिल न किया जाए। मेरा निजी विचार यह है कि विधान परिषद को एक निर्वाचित निकाय बनाया जाए, जिसमें किसी तरह का नामांकन न हो। इस दृष्टि से मैं नोबल मारक्विस के संशोधन का अधिक समर्थक नहीं हूं। यदि इस समिति अथवा बाद में किसी समय नामांकन की व्यवस्था की जाती है, तो मुझे नोबल मारक्विस के साथ सहमत होना पड़ेगा और उनके संशोधन को स्वीकार करना पड़ेगा।

दीवान बहादुर रामचंद्र राव: मैंने अभी, जो भाषण सुना है, उस पर मुझे आश्चर्य हुआ है।

डा. अम्बेडकर: आप आश्चर्य कर सकते हैं, किंतु आप दोनों तरह से लाभ नहीं उठा सकते।

दीवान बहादुर रामचंद्र राव: वह अच्छी तरह जानते हैं कि वर्तमान पद्धति के अंतर्गत नामांकित सदस्य मंत्री नियुक्त नहीं किए जा सकते। धारा 52 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी मंत्री छह महीने से अधिक अवधि के लिए पद पर नहीं रह सकता, जब तक वह स्थानीय विधान-मंडल के लिए निर्वाचित नहीं हो जाता।

डा. अम्बेडकर: यह संक्रमण काल है।

* * * *

विधान-मंडल में सहयोजित सदस्यता का विरोध

*डा. अम्बेडकर**: मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं। पहली बात यह है कि बंबई में सहयोजित सदस्यता का हमारा अनुभव कोई अधिक उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है। सहयोजित सदस्यता एक कलंक बनकर रह गई है। भ्रष्टाचार और घूस के बोलबाले को देखते हुए बंबई के विधान-मंडल के गठन में मैं सहयोजित सदस्यता के सिद्धांत का विरोध करता हूं।

एक आपत्ति यह भी है कि यदि विभिन्न संप्रदाय चुनावों में निर्वाचित नहीं हो पाते, तो संप्रदाय विशेष के प्रभाव से मुक्त वास्तविक प्रतिनिधित्व के लिए सहयोजित सदस्यता के सिद्धांत से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि संभव है कि सहयोजित सदस्यता के समय केवल उन्हीं को सहयोजित किया जाए, जो बहुसंख्यकों के हाथ का खिलौना बनना चाहें। मेरे विचार से यह स्थिति बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व न मिलने से भी बदतर होगी और इस आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं। महोदय! मेरा निवेदन है कि इस उप-समिति को यह सिफारिश करनी चाहिए कि प्रांतीय विधान-मंडलों का संविधान ऐसा हो कि उसमें नामांकन का प्रावधान न किया जाए।

दीवान बहादुर रामचंद्र राव: यह बेहतर रहेगा।

डा. अम्बेडकर: इस विषय पर यह मेरा विचार है। मैं निश्चय ही सहयोजित सदस्यता का विरोधी हूं।

दीवान बहादुर रामचंद्र राव: मैं सहमत हूं कि इस प्रतिवेदन में कुछ इस तरह की सिफारिश की जाए कि विधान-मंडल के सभी सदस्य निर्वाचित होने चाहिएं और जब तक उप-समिति की ओर से इस तरह का संकेत नहीं दिया जाएगा, नामांकन तत्व हमेशा बना रहेगा, हालांकि हम सब सदस्यों की यही इच्छा है कि नामांकन का चलन समाप्त होना चाहिए। इस संबंध में प्रतिवेदन में सिफारिश की जाए। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि हम सब नामांकन की बुराइयों से परिचित हैं और हम चाहते हैं कि इसे शीघ्रातिशीघ्र समाप्त किया जाए। इन परिस्थितियों में मैं इस संशोधन का समर्थन नहीं करूंगा और अपने मित्र, डा. अम्बेडकर के प्रस्ताव का समर्थन करूंगा।

अध्यक्ष: प्रस्ताव क्या था? मेरे समक्ष प्रस्ताव का पाठ नहीं है।

डा. अम्बेडकर: हम यह कहेंगे कि उप-समिति की यह राय है कि इसके पश्चात प्रांतों में विधान परिषदों के सभी सदस्य निर्वाचित हों।

अध्यक्ष: यह एकदम भिन्न संशोधन है, यदि आप इसे पेश करना चाहते हैं, तो आपको इसे लिखित रूप में देना होगा।

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं. 2 (प्रोविंसियल कांस्टीट्यूशन), पृ. 194

अध्यक्ष: मैं इस मुद्दे पर आपका निर्णय जानना चाहूंगा।

राजा नरेन्द्र नाथ: मैं माननीय ए.पी. पात्रो की बात का समर्थन करता हूं। मेरे विचार से नामाकंन का अधिकार केवल उन्ही हितों तक सीमित रखा जाए, जिन्हें चुनाव से नहीं दिया जा सकता।

डा. शफाअत अहमद खां: जी हां।

राजा नरेन्द्र नाथ: कुछ प्रांतों में ऐसे समुदाय, जिनसे डा. अम्बेडकर संबद्ध हैं, हो सकते हैं, जिनके लिए चुनावों का प्रबंध करना असंभव होगा।

डा. अम्बेडकर: जिस संविधान में मेरे समुदाय को मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा, उससे मेरा कोई संबंध नहीं होगा।

राजा नरेन्द्र नाथ: डा. अम्बेडकर जिस समुदाय के हैं, यदि उसके लिए निर्वाचन की व्यवस्था करनी है, तो उसे एक भिन्न आधार पर किया जाना पड़ेगा और सीमित आधार पर नामांकन की व्यवस्था की जाए।

अध्यक्ष: ऐसा प्रतीत होता है कि उप-समिति के अधिकांश सदस्य खंड (ग) के समर्थक हैं, जैसा कि प्रतिवेदन में दिया गया है।

पूर्ण अधिवेशन की समिति

उप-समिति सं. 2 (प्रांतीय संविधान) के प्रतिवेदन पर टिप्पणियां*—16 दिसंबर 1930

श्री चिंतामणि ने प्रांतों में द्वितीय सदन की स्थापना का विरोध करते हुए कहा है कि यह महंगी विलासिता होगी और इसका कोई उपयोग नहीं होगा। संयुक्त प्रांत में द्वितीय सदन की मांग ऐसे संप्रदाय के एक छोटे से वर्ग ने की है, जिसे साइमन कमीशन के अनुसार, प्रांतीय विधान-मंडल में पहले ही अत्यधिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है। इसलिए उन्होंने सयुंक्त प्रांत अथवा भारत के किसी अन्य प्रांत में काफी लंबे समय के लिए और किसी भी स्थिति में प्रस्तावित द्वितीय सदन को बिल्कुल अनावश्यक एवं अवांछनीय समझा। डा. अम्बेडकर ने कहा है, 'मैं श्री चिंतामणि के विचार से सहमत हूं।'

अध्यक्ष: अब हम पैरा 5(ख) पर चर्चा करेंगे।

(यह पैरा मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में है)

डा. अम्बेडकर: उप-समिति में यह प्रस्ताव पेश किया गया है कि 'निर्वाचित' शब्द

* प्रोसीडिंग्स आफ दि राउंड टेबिल कांफ्रेंस, पृ. 314

को (प्रांतीय विधान-मंडल के निर्वाचित सदस्य) प्रतिवेदन के एक अन्य भाग में समिति द्वारा की गई इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए हटा दिया जाना चाहिए कि विधान-मंडल का गठन शायद कुछ नामांकित सदस्यों से किया जाएगा। तब यह निर्णय लिया गया था कि विधान-मंडल के गठन पर विचार करने के लिए गठित समिति यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि नामांकित सदस्य होने चाहिएं, तो 'निर्वाचित' शब्द को हटा दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष: प्रयुक्त शब्द 'सामान्यतया' है ('मंत्रियों को सामान्यतया . . .से लिया जाना चाहिए')। मेरे विचार से यह बात उसके अंतर्गत आ जाएगी। इसमें असामान्य कार्य की संभव आवश्यकता का संकेत है।

●

4

उप-समिति संख्या 3
(अल्पसंख्यक)

दूसरी बैठक – 31 दिसंबर 1930

*डा. अम्बेडकर**: अध्यक्ष महोदय! मुझे विश्वास है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि दलित वर्ग की समस्याएं रखने का, जो दायित्व मुझे सौंपा गया है, वह काफी कठिन है। मैं समझता हूं कि यह शायद पहला अवसर है, जब दलितों की समस्याओं पर राजनीतिक दृष्टिकोंण से विचार किया जा रहा है। वैसे देश के राजनीतिक उत्थान पर जब-जब बहस छिड़ी है, हर बार दलितों की समस्याओं को रेखांकित किया गया है और सरकारी दस्तावेजों में उन्हें बाकायदा दर्ज किया गया है। लेकिन यह सब कुछ मात्र कागजी कार्यवाही बनकर रह गया। समस्याएं दर्ज कर ली गईं, लेकिन उनका कोई समाधान नहीं खोजा गया। वे ज्यों-की-त्यों बनी रहीं। जो दायित्व हमें सौंपा गया है, वह बड़ा कठिन है। इस समिति में ढेर सारे सदस्य हैं, लेकिन चार करोड़ तीस लाख जनता की समस्याओं को समिति के समक्ष रखने का काम दो लोगों को सौंपा गया है, और समस्याएं ऐसी हैं कि जिनकी देश के अन्य किसी भी समुदाय की समस्याओं से कोई तुलना नहीं हो सकती। इन बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैं चाहता था कि दलितों की समस्याओं को रखने के लिए, जो समय मुझे दिया गया है, वह थोड़ा और बढ़ाया जाता। लेकिन पूर्ण अधिवेशन के अनुभवों को देखते हुए मैंने और मेरे सहयोगी राव बहादुर श्रीनिवासन ने तय किया है कि हम सम्मेलन के समक्ष लिखित ज्ञापन[Ψ] रखेंगे, जिसमें सुस्पष्ट शब्दों में यह बात दर्ज होगी कि दलित अपनी राजनीतिक सुरक्षा के लिए भारत के भावी संविधान में क्या कुछ चाहते हैं। वह लिखित ज्ञापन इस समिति के सभी सदस्यों के बीच वितरित कर दिया गया है। मुझे आशा है कि वह सबको मिल गया

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 3 (माइनारिटीज), 1931, पृ. 73-80

उप-समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार थे:

अल्पसंख्यक और विशेष हितों का स्वेच्छा से सहयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान।

Ψ ज्ञापन इस अध्याय के अंत में पृ. 62-71 पर परिशिष्ट I के रूप में दिया गया है।

होगा और सभी सदस्यों ने उसे पढ़ लिया होगा। ऐसी स्थिति में मैं अध्यक्ष महोदय से अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं ज्ञापन का सारांश रखना चाहूंगा, ताकि उसके मुख्य-मुख्य पहलुओं पर प्रकाश पड़ सके।

महोदय! सर्वप्रथम मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि हालांकि भारत में अनेक अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जिनकी अपनी राजनीतिक पहचान होनी चाहिए, लेकिन ये सभी अल्पसंख्यक वर्ग एक जैसे नहीं हैं, इनमें अनेक असमानताएं हैं, एक दूसरे से भिन्नताएं हैं। प्रत्येक अल्पसंख्यक वर्ग की सामाजिक हैसियत अलग-अलग है। उदाहरण के लिए भारत का सबसे छोटा अल्पसंख्यक वर्ग है, पारसी समुदाय। इस समुदाय की सामाजिक हैसियत बहुसंख्यकों की सामाजिक हैसियत से कम नहीं है। दूसरी ओर दलित वर्ग है। देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय, अर्थात मुस्लिम समुदाय के बाद दूसरे नंबर पर आने वाला अल्पसंख्यक वर्ग! इस समुदाय की सामाजिक हैसियत एक अदना आदमी की सामाजिक हैसियत से भी गई गुजरी है।

एक बात और, यदि हम अल्पसंख्यक वर्गों का वर्गीकरण उनके सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के आधार पर करें, तो पाएंगे कि कई अल्पसंख्यक वर्गों को सामाजिक राजनीतिक अधिकार मिले हुए हैं और उनका अल्पसंख्यक होना उन्हें इन नागरिक अधिकारों से वंचित नहीं करता। लेकिन दलितों के मामले में स्थिति सर्वथा अलग ही है। कुछ मामलों में तो उन्हें कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं है और जहां कुछ मिले हुए भी हैं, वहां बहुसंख्यक वर्ग दलितों को उनके इस्तेमाल से वंचित किए हुए हैं।

इस समिति से मेरा पहला निवेदन यह है कि हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग एक नाव में सवार तो हैं, लेकिन बैठे हैं अलग-अलग श्रेणियों में। जैसे कोई पहले दर्जे में सफर कर रहा है, तो कोई दूसरे दर्जे में और कोई तीसरे दर्जे में। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इसी नाव में सवार दलित तीसरे या चौथे दर्जे में तो क्या, पांचवें दर्जे में भी नहीं हैं।

वैसे मैं यह जानता हूं कि कुछ मामलों में दलित वर्गों की हालत भारत के बाकी अल्पसंख्यकों जैसी ही है। दलित वर्ग की तरह अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को यह भय है कि भारत का भावी संविधान इस देश की सत्ता को जिन बहुसंख्यकों के हाथों में सौंपेगा, वे और कोई नहीं, रूढ़िवादी हिंदू ही होंगे। इन्हें आशंका है कि ये रूढ़िवादी हिंदू अपनी रूढ़ियों और पूर्वग्रहों को नहीं छोड़ेंगे और जब तक वे अपनी रूढ़ियों, कट्टरपन और पूर्वग्रह को नहीं छोड़ते, अल्पसंख्यकों के लिए न्याय, समानता और विवेक पर आधारित समाज एक सपना ही रहेगा। अल्पसंख्यकों को इस बात का खतरा है कि कानून बनाने में, प्रशासनिक कार्यों में या अन्य नागरिक अधिकारों जैसे नागरिकता के अधिकार के मामले में उनके साथ पक्षपात बरता जा सकता है। इसलिए ऐसी व्यवस्था को जानना आवश्यक है, जिससे अल्पसंख्यकों का हितरक्षण हो सके और इनके साथ भविष्य में पक्षपात का खतरा न रहे।

इसके लिए अल्पसंख्यकों को विधायिका और कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व दिया जाए। देश की सार्वजनिक सेवाओं (नौकरियों) में प्रतिनिधित्व मिले। भविष्य में बहुसंख्यक अपने विधायी अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए ऐसा कोई कानून न बनाने पाएं, जो व्यक्ति-व्यक्ति के बीच भेदभाव करता हो। इसके लिए संविधान में ऐसा प्रावधान होना चाहिए, जो भावी केंद्रीय और प्रांतीय विधान-मंडलों में बहुसंख्यकों के विधायी अधिकारों पर अकुंश लगाए, उन्हें ऐसा कानून बनाने से रोके,ज़ो अल्पसंख्यकों के प्रति पक्षपात के परिचायक हों। पक्षपात का यह खतरा सभी अल्पसंख्यक वर्गों के समक्ष है। अत: मैं दलित वर्ग के प्रतिनिधि की हैसियत से इस मामले में अन्य अल्पसंख्यक वर्गों की मांगों का समर्थन करता हूं।

महोदय! अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि भारत में दलित वर्ग की स्थिति अन्य अल्पसंख्यक वर्गों से भिन्न है। पहली बात, इस देश में दलितों को कुछ ऐसे नागरिक अधिकार तक प्राप्त नहीं हैं, जो कानूनी रूप से अन्य अल्पसंख्यकों को प्राप्त हैं। मैं एक-दो उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे पास समय अधिक नहीं है। पुलिस और सेना में भर्ती का मामला लें, भारत सरकार अधिनियम में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार का अधिकार हर व्यक्ति को समान रूप से है। जाति, धर्म या वर्ण के आधार पर किसी को इस अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। इस कानून के हिसाब से दलित वर्ग का कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी नौकरी को पाने का हकदार है, बशर्ते कि वह उसके लिए निर्धारित शर्तें पूरी करता हो। लेकिन हो क्या रहा है? जब भी दलित वर्ग का कोई व्यक्ति पुलिस की नौकरी के लिए अर्जी देता है, तो अधिकारी का दो-टूक जवाब होता है कि दलित वर्ग का कोई व्यक्ति पुलिस विभाग में काम नहीं कर सकता, क्योंकि वह अस्पृश्य है। सेना में भी यही स्थिति है। सन् 1892 तक स्थिति यह थी कि मद्रास आर्मी और बंबई आर्मी के लगभग सारे के सारे सैनिक दलित वर्ग के थे। भारत के इतिहास में जितनी भी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गईं, उन सबमें मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के दलित वर्ग के सैनिक ही थे। फिर भी, सन् 1892 में एक कानून बनाकर दलितों की सेना में भर्ती पर रोक लगा दी गई। आज भी यदि लेजिस्लेटिव काउंसिल में यह सवाल उठाया जाए,तो उत्तर मिलेगा कि दलितों की सेना में भर्ती में सबसे बड़ी बाधा उनका अस्पृश्य होना है। हालांकि अब भारत सरकार अधिनियम बन गया है, जिसके तहत दलितों को अन्य लोगों के समान सेवा में भर्ती का अधिकार मिल गया है, लेकिन यह महज कागजी अधिकार है। अस्पृश्यता की कुरीति आज भी इतनी प्रभावी है, जितनी वह कानून बनाकर लागू की जाती।

मैं अन्य भी अनेक उदाहरण दे सकता हूं, जैसे दलितों को यात्रा के समय किसी सार्वजनिक धर्मशाला में नहीं ठहरने दिया जाता, दूसरे वर्गों के लोगों के साथ यात्रा करने से रोका जाता है। जिन विद्यालयों को दलितों ने अपने श्रम से बनाया है, उनमें उनके ही बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता। यहां तक कि उन्हें कुएं से पानी तक नहीं भरने दिया जाता। ऐसे

अनेक मामले हैं, जिनका ब्यौरा यहां देना आवश्यक नहीं है। मुख्य बात जो दलितों को अन्य अल्पसंख्यकों से अलग करती है, वह यह है कि दलित वर्ग नागरिक अधिकारों से वंचित हैं, और दलितों को नागरिक अधिकारों से वंचित रखने की परंपरा इतनी मजबूत है, जितनी कि कोई कानून बनाकर की जाती।

दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, दलितों का सामाजिक उत्पीड़न। भारत में दलितों का जितना घृणित सामाजिक उत्पीड़न होता है, वैसा दुनिया में शायद ही कहीं होता हो। बंबई प्रेसिडेंसी की सरकार ने 1928 में दलितों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की थी। मैं उस समिति की रिपोर्ट का एक छोटा सा अंश पढ़कर सुनाना चाहता हूं। समिति ने यह पता लगाने का प्रयास किया था कि दलितों को अन्य नागरिकों की तरह कानून ने जो अधिकार दिए हैं, उनकी प्राप्ति में कोई बाधा तो नहीं पहुंच रही है। समिति की रिपोर्ट का एक अंश:

> समाज में दलित अपने नागरिक अधिकारों का उपयोग बिना किसी बाधा के कर सकें, इसके लिए हमने कई उपाय सुझाए हैं । लेकिन हमें आशंका है कि आने वाले समय में दलितों के रास्ते में बाधाएं आएंगी। पहली आशंका तो यही है कि रूढ़िवादी वर्गों के लोग कहीं दलितों के खिलाफ खुली हिंसा पर न उतर आएं। हमें याद रखना चाहिए कि हर गांव में दलितों का एक छोटा-सा वर्ग रहता है और बहुसंख्यक आबादी रूढ़िवादियों की है। ये कट्टरपंथी रूढ़िवादी दलितों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देंगे, जिससे इन कट्टरपंथी रूढ़िवादियों की सामाजिक हैसियत और उनके हित प्रभावित होते हों, उन पर कोई आंच आती हो। वैसे दलितों के विरुद्ध हिंसा का मार्ग अपनाने से ये लोग थोड़ा कतराएंगे, क्योंकि पुलिस और मुकदमें का भय रहेगा।
>
> दलितों में नागरिक अधिकारों के रास्ते में दूसरी सबसे बड़ी बाधा उनकी अपनी आर्थिक स्थिति है। प्रेसिडेंसी के ज्यादातर हिस्सों में दलितों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोग गांव के बड़े जमींदारों के यहां बटाई पर खेती करते हैं, जमींदार जब चाहें उन्हें खेती से बेदखल कर सकते हैं। कुछ लोग जमींदारों के यहां खेतिहर मजदूर हैं और बाकी लोग इन्हीं जमींदारों के यहां मजदूरी करके उसके बदले में मिले भोजन या अनाज से अपना पेट पालते हैं। रूढ़िवादी जमींदारों की आर्थिक हैसियत ही इनका सबसे बड़ा हथियार है, जिसके बल पर ये दलितों का उत्पीड़न करते हैं, उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित रखते हैं। जब भी दलित अपने नागरिक अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, उन्हें खेत से बेदखल कर दिया जाता है, मजदूरी करने से रोक दिया जाता है। गांव की चौकीदारी करने से भी रोक दिया जाता है। दलितों का इस तरह का बहिष्कार सुनियोजित ढंग से किया जाता है, ताकि वे बाध्य होकर जमींदारों की शर्तों पर फिर से काम करने लगें। दलितों के लिए गांव के सार्वजनिक रास्ते तक बंद कर

दिए जाते हैं। बनिए सौदा देने से इंकार कर देते हैं। गांव के साझा कुएं से पानी भरने पर भी रोक लगा दी जाती है। कभी-कभी तो मामूली-सी घटना के चलते दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। इस तरह की कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जैसे किसी दलित ने जनेऊ पहन लिया, जमीन खरीद ली, अच्छे कपड़े या गहने पहन लिए, दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर गांव के आम रास्ते पर चला आए, तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया।

दलितों के दमन का सबसे बड़ा हथियार यही सामाजिक बहिष्कार का हथियार है। दमन के इस सफल तरीके के समक्ष अब खुली हिंसा का तरीका भी कमजोर पड़ गया है। आप जिससे चाहें संबंध रखें, जिससे चाहें न रखें, इस अधिकार ने 'सामाजिक बहिष्कार' के हथियार को कानूनी जामा पहना दिया है, जिससे यह सबसे खतरनाक हथियार सिद्ध हो रहा है। यदि हमें दलितों का उत्थान करना है, उन्हें अभिव्यक्ति और कर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सही मायनों में देना है, तो हमें बहुसंख्यकों के इस अत्याचार को हर कीमत पर रोकना होगा।

दूसरी बात, दलितों को एक डर और है। नए विधान-मंडल में दलितों को चाहे जितना प्रतिनिधित्व दिया जाए, कुल मिलाकर उनका स्वरूप एक छोटे वर्ग का ही रहेगा। विधान-मंडल में प्रभुत्व बहुसंख्यक रूढ़िवादियों का ही होगा। दलितों के प्रति इस वर्ग का जो व्यवहार है, उसे देखते हुए दलितों के मन में यह भय है कि उनके हितों की अनदेखी की जाएगी, या कुछ ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं, जो दलितों के हितों के प्रतिकूल हों। इन सारी बातों के मद्देनजर दलितों के हितों की सुरक्षा के मैं कुछ उपाय सुझा रहा हूं।

सबसे पहले तो प्रस्तावित संविधान में एक ऐसे मौलिक अधिकार की व्यवस्था की जाए, जो सार्वजनिक जीवन में अस्पृश्यता को पूरी तरह अवैध घोषित करे। भावी संविधान के बारे में किसी सहमति पर पहुंचने से पहले हमें इस घृणित सामाजिक कुरीति से पूर्णतः मुक्ति का रास्ता ढूंढना ही होगा। यह मौलिक अधिकार इस तरह की अन्य कुरीतियों को भी दूर करे, जो मानव-मानव के बीच भेदभाव और पक्षपात बरतती हैं। अभी मैंने 'सामाजिक बहिष्कार' का उल्लेख किया था। इसके विरुद्ध भी कानून बनना चाहिए। इस बारे में मैंने ज्ञापन में कुछ प्रस्ताव रखे हैं। ये बर्मा में आजकल लागू एक अधिनियम से लिए गए हैं। इस समय इन प्रस्तावों पर मैं विस्तृत चर्चा नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर हम चाहते हैं कि दमन और उत्पीड़न रोकने की, जो जिम्मेदारी सरकारी अधिकारियों को सौंपी गई है, उसे और प्रभावी बनाया जाए। फिलहाल भारत सरकार अधिनियम की धाराएं 110 और 111 जो अधिकारियों को यह जिम्मेदारी सौंपती हैं, बहुत स्पष्ट नहीं हैं और अंत में हम चाहते हैं कि दलितों को किसी भी तरह के पक्षपात या उनके हितों की अनदेखी के खिलाफ केंद्र सरकार से अपील करने और वहां से असफल होने पर भारत मंत्री के सम्मुख अपील करने

का अधिकार मिले। दलितों के उत्थान के लिए भारत सरकार में एक विशेष विभाग बनाया जाए।

इस तरह मोटे तौर पर हमने आपको बता दिया है कि दलितों की समस्याएं क्या हैं और वे इनके समाधान के लिए क्या सुरक्षा चाहते हैं। इन उपायों में सबसे महत्वपूर्ण है, विधान-मंडल में दलितों के उचित प्रतिनिधित्व का अधिकार। मैं दो-चार शब्द इस बारे में भी कहना चाहता हूं कि एक बात जिस पर हम सभी सहमत हैं, वह यह है कि प्रतिनिधित्व चुनाव के जरिए हो, नामांकन से नहीं। दलितों के मामले में नामांकन से प्रतिनिधित्व का नतीजा बहुत ही खराब रहा है। इसका इस सीमा तक दुरुपयोग हुआ है कि जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। नामांकन पद्धति से दलितों को कभी भी उचित और स्वतंत्र प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया। अब इस पद्धति को दलित वर्ग कदापि स्वीकार नहीं करेगा।

जहां तक संयुक्त या पृथक निर्वाचक-मंडल का सवाल है, हमारा मानना है कि यदि 'समान वयस्क मताधिकार' का सिद्धांत अपनाया जाता है, तो दलित वर्ग के लोग कुछ समय के बाद (उन्हें थोड़ा समय अपना संगठन बनाने के लिए चाहिए) संयुक्त निर्वाचक-मंडल और सुरक्षित सीटों की बात मान लेंगे। लेकिन यदि वयस्क मताधिकार नहीं अपनाया जाता तो हम अपने लिए पृथक निर्वाचक-मंडल की मांग करेंगे।

जहां तक सीटों की संख्या का सवाल है, इस बारे में कोई निश्चित संख्या अभी तय करना हमारे लिए संभव नहीं है। हां, हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि इस मामले में हम किसी तरह का पक्षपात सहन नहीं करेंगे। हम व्यवहार में समानता चाहते हैं। कुल मिलाकर इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर है कि शेष अल्पसंख्यक वर्गों को कितनी सीटें दी जाती हैं। इस बारे में, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। पहली तो यह कि हमें हिंदुओं से पूर्णतः अलग करके देखा जाए। हमें तो महज राजनीतिक कारणों से हिंदू कहा जाता है। हिंदुओं ने हमें कभी भी सामाजिक तौर से अपना भाई नहीं माना। हमारी संख्या और हमारे वोट की शक्ति का इस्तेमाल कर, उन्होंने सारे राजनीतिक लाभ अपनी झोली में डाल लिए और बदले में हमें कुछ नहीं दिया। बदले में हमें मिला शोषण, और उत्पीड़न। हिंदुओं ने हमारे साथ, जो बर्ताव किया है, वैसा तो उन्होंने उन शेष समुदायों के साथ भी नहीं किया, जिन्हें हिंदू नहीं मानते।

तीसरी बात, अधि-प्रतिनिधित्व देने के सिद्धांत को लेकर है। अधि-प्रतिनिधित्व पद्धति का बहुत दुरुपयोग किया गया है। मैं अधि-प्रतिनिधित्व देने के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं हूं। मैं इस सिद्धांत के खिलाफ हूं कि किसी भी दशा में अल्पसख्यकों को यह लाभ उनकी आबादी के अनुपात में ही मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए एक अल्पसंख्यक वर्ग की आबादी बहुत ही कम है। अब अगर आबादी के अनुपात में उसे प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो वह इतना कम होगा कि इससे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो सकेगा। अतः यदि आप सही मायने में अल्पसंख्यकों का भला करना चाहते हैं, तो कुछ मामलों में इस

सिद्धांत को लचीला बनाना होगा। हां, इसके दिए जाने के मामले में कोई स्पष्ट और एक समान सिद्धांत अपनाया जाना चाहिए। आखिर, हम अधि-प्रतिनिधित्व देने की बात इसीलिए तो करते हैं कि कोई अल्पसंख्यक वर्ग अन्यों की तुलना में संख्या, बल अथवा सामाजिक हैसियत या शिक्षा के क्षेत्र में कमजोर है, या उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अन्य समुदायों का मुकाबला कर सकें।

सदस्य: बिल्कुल ठीक।

डा. अम्बेडकर: किंतु आप किसी व्यक्ति को इस सिद्धांत का लाभ उसकी राजनीतिक हैसियत या ब्रिटिश सरकार के प्रति उसकी वफादारी या उसकी सेवाओं के आधार पर दें, यह मेरी समझ में नहीं आ सकता। हमने ऐसा किया,तो फिर हम ऐसी मुश्किल में फंस जाएंगे, जिससे निकलना कठिन होगा।

अब केंद्रीय विधान-मंडल में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का मामला लें। यहां भी वही बात है। अगर केंद्रीय विधान-मंडल के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, तो दलित वर्ग विधान-मडंल में अलग प्रतिनिधित्व की मांग करेगा और सीटों की संख्या इस आधार पर तय होगी कि दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों को कितनी सीटें दी जाती हैं। लेकिन अगर आपने वयस्क मताधिकार के स्थान पर अन्य कोई तरीका अपनाया, जैसे संपत्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार, जिससे कि दलितों के पूरी तरह छूट जाने की आशंका है, तो दलित वर्ग मजबूर होकर केंद्रीय विधान-मंडल में अपने प्रतिनिधित्व के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव की मांग करेगा। यह चुनाव निर्वाचक-मंडलों के माध्यम से होगा, जिसमें प्रांतीय विधान-मंडल, नगरपालिकाओं और जिले की स्थानीय परिषदों के दलित वर्ग के सदस्य होंगे। कुल मिलाकर दलित वर्ग के बारे में मैंने अपनी बात कह दी है। दरअसल, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का मामला ही सारे मामले का निचोड़ है। अगर बहुसंख्यक चाहते हैं कि सभी अल्पसंख्यक वर्ग उनका साथ देकर एक ऐसे संविधान का निर्माण करें, जो भारत में जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता की सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त कर सके, तो उन्हें अल्पसंख्यकों के मन से हर तरह की आशंका को दूर करना होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं साफ-साफ बता दूं कि हममें से अधिकतर लोग फिर डोमीनियन स्टेटस के पक्ष में चले जाएंगे।

पांचवी बैठक – 14 जनवरी 1931

*अध्यक्ष**: अभी-अभी जो प्रस्ताव हमारे सामने आए हैं, उन्हें दृष्टिगत रखते हुए इस ड्राफ्ट रिपोर्ट को जो हमारे सामने है, उसे मंजूर करना असंभव हो गया है, क्योंकि इससे तो समग्र स्थिति ही बदल जाती है। यदि आप लोग सहमत हैं,तो मैं इस उप-समिति की बैठक

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी न. 3 (माइनारिटीज)', पृ. 127-28

यहीं स्थगित कर देता हूं। साथ ही, मैं यह भी चाहता हूं कि जो लोग इस मुद्दे पर बातचीत में रुचि रखते हैं, वे मिलें और हम इसमें डा. अम्बेडकर को अवश्य शामिल करें।

डा. अम्बेडकर: अध्यक्ष महोदय! मुझे खुशी होगी।

अध्यक्ष: हमें इसमें उन्हें शामिल करना चाहिए। हो सकता है विचार-विमर्श से कोई समाधान निकल ही आए।

माननीय पी.सी. मित्र: महोदय! मैं भी इस विचार-विमर्श में शामिल होना चाहता हूं।

डा. अम्बेडकर: अभी हम किस वर्ग को कितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया जाए, इस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन तनिक गौर कीजिए कि विभिन्न वर्गों के लिए,जो प्रतिशत सुझाए गए हैं, उनका योग कितना है। यह तो 100 फीसदी के ऊपर निकल जाता है, जब कि अभी पंजाब, बंगाल व अन्य भागों में बसने वाले अनेक अल्पसंख्यक वर्गों को इसमें जोड़ा ही नहीं गया है। वे पूरी तरह छूट गए हैं। अगर सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं में ही किसी को 49 प्रतिशत, किसी को 20 प्रतिशत और अन्य को कुछ दे दिया गया, तो बाकी के लिए बचेगा ही क्या? यह नितांत गंभीर सवाल है, जिस पर विचार होना चाहिए।

लेफ्टी. कर्नल गिडने: इस बारे में नितांत विनम्रता सहित मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। मैं डा. अम्बेडकर से सहमत हूं। आप एक रुपये में से 15 आना तथा नौ पाई बहुसख्यंकों को देंगे और तीन पाई बाकी सभी अल्पसंख्यक वर्गों में बांटना चाहेंगे, यह कैसे स्वीकार्य होगा? मैं अनेक छोटे समुदायों की ओर से यह मांग करता हूं कि इस मामले में कोई न्यायपूर्ण तरीका अपनाया जाए।

अध्यक्ष: आपकी बात ठीक है। वैसे हम लोग इस मामले पर पहले भी बात कर चुके हैं और वह बातचीत बड़े ही अनौपचारिक माहौल में हुई थी।

श्री फुट: लेकिन शायद कुछ लिखित में दर्ज नहीं किया गया।

अध्यक्ष: अब यदि आप लोग सहमत हों,तो हम माननीय मोहम्मद शफी के सुझावों पर चर्चा करें।

छठी बैठक – 16 जनवरी 1931

*अध्यक्ष महोदय**: 'संविधान में ऐसे मौलिक अधिकारों का उल्लेख करना,जो विभिन्न समुदायों को पक्षपात रहित सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करें' और 'स्वतंत्र निर्वहन', *आदि।*

राजा नरेन्द्र नाथ: इसमें 'स्वतंत्र एवं समान निर्वहन' शब्दों को और जोड़ना चाहिए।

अध्यक्ष: 'स्त्रियों और पुरुषों को आर्थिक, सामाजिक और नागरिक अधिकार'।

---

*प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं.3 (माइनारिटीज), पृ. 129-31

राजा नरेन्द्र नाथ: स्त्री और पुरुष शब्द के बजाए हम क्या नागरिक शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते? यों मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता।

अध्यक्ष : 'समानता' की बात मुख्य है, बाकी चीजें गौण हैं।

राजा नरेन्द्र नाथ: 'स्वतंत्र और समान उपयोग' ठीक रहेगा।

अध्यक्ष: वास्तव में यह मुद्दा तो डा. अम्बेडकर ने उठाया था।

राजा नरेन्द्र नाथ: डा. अम्बेडकर ने ही अपने भाषण में 'समान' शब्द का प्रयोग किया था।

माननीय मोहम्मद शफी: 'स्वतंत्र' शब्द में सभी चीजें आ जाती हैं।

डा. शफाअत अहमद खां: मेरे विचार से इसे यथावत रहने दीजिए।

अध्यक्ष: यह इस प्रकार है, 'हर व्यक्ति को . . . स्वतंत्र उपयोग का अधिकार'। आप समान स्वतंत्र उपयोग कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि 'समान' शब्द व्यक्ति से जुड़ा है, जो इन अधिकारों का उपयोग करेगा। एक व्यक्ति, दूसरे से अलग होता है।

राजा नरेन्द्र नाथ: मैं अधिकारों की समानता की बात कर रहा हूं; समान अधिकार।

श्री चिंतामणि: मेरी समझ से 'समान' शब्द जोड़ना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इससे कोई खास उद्देश्य सिद्ध नहीं होता।

राजा नरेन्द्र नाथ: डा. अम्बेडकर के दस्तावेज में इस शब्द का प्रयोग है।

अध्यक्ष: प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग करे,यह तो आप सुनिश्चित कर सकते हैं, लेकिन यदि कोई नागरिक इन अधिकारों का उपयोग समानता के लिहाज से नहीं करता,तो यह उसकी जिम्मेदारी है, सरकार की नहीं।

राजा नरेन्द्र नाथ: बिल्कुल ठीक।

अध्यक्ष: स्त्री, पुरुष शब्द हटाए जा सकते हैं।

डा. अम्बेडकर: पैराग्राफ के अंत में 'अधिकारों' शब्द के बाद 'बिना किसी भेदभाव के' शब्द जोड़ देने चाहिएं।

अध्यक्ष: इसमें तो लिखा ही है 'नस्ल, जाति, वर्ण या लिंग का भेद किए बिना'।

डा. अम्बेडकर: 'अस्पृश्यता' शब्द होना चाहिए। शायद आपने जोड़ा भी है।

अध्यक्ष: . . . 'अस्पृश्यता'! नस्ल और जाति शब्द तो हैं ही।

डा. मुंजे: मैं समझता हूं, यह ठीक है।

डा. अम्बेडकर: मैं समझता हूं कि स्थिति को और स्पष्ट रूप से रखने के लिए उस शब्द का जुड़ना आवश्यक है।

अध्यक्ष: हमें ऐसा कोई दस्तावेज नहीं तैयार करना चाहिए, जिसके शब्दों और वाक्यविन्यासों को पढ़कर जनता हंसे।

डा. अम्बेडकर: जाति और अस्पृश्यता में हमें भेद करना ही होगा। बहुत-सी जातियों के लोग अस्पृश्य नहीं हैं।

राजा नरेन्द्र नाथ: मुसलमानों में भी जातियां हैं।

दीवान बहादुर रामचंद्र राव: अस्पृश्यों के बीच भी जातियां हैं। जाति शब्द का संदर्भ व्यापक है।

श्री फुट: मेरे विचार में अब इस अवसर पर यदि कोई बहुत महत्वपूर्ण संशोधन सुझाया जाए, तभी हम कोई संशोधन करें। अनावश्यक फेर-बदल न करें।

डा. अम्बेडकर: मैं चाहता हूं कि अस्पृश्यता के संदर्भ में सामाजिक और नागरिक अधिकारों का उल्लेख किया जाए।

अध्यक्ष: अस्पृश्यता, सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन है। यदि आप किसी सामान्य सिद्धांत को किसी विशिष्ट संदर्भ से जोड़ेंगे, तो उस सिद्धांत की महत्ता कम हो जाती है। सामान्य सिद्धातों को व्यापक संदर्भ में ही देखना चाहिए, तभी वे प्रभावकारी सिद्ध होंगे, इसे किसी एक समस्या से नहीं जोड़ना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि सामाजिक अधिकारों के सिद्धांत को संक्षेप में ही रखने दें, बहुत ज्यादा शब्दों को जोड़ने से उसका महत्व कम होगा।

डा. अम्बेडकर: आपकी बात सही है, लेकिन मैं फिर यह कह रहा हूं कि सिद्धांतों की व्याख्या कई तरह से की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि इस रिपोर्ट पर आगे,जो भी व्यक्ति कोई कार्रवाई करे, वह इस उप-समिति की इस भावना को जरूर समझे कि हम लोग अस्पृश्यता के आधार पर किसी के साथ भेदभाव बरतने या उसे अयोग्य करार देने के खिलाफ हैं।

अध्यक्ष: अगर इस बारे में किसी को कोई आशंका है,तो मैं समिति से परामर्श करके उसे दूर कर दूंगा। डा. अम्बेडकर क्या आप अब भी अपनी बात पर अडिग हैं?

डा. अम्बेडकर: मेरी आपत्ति दर्ज होनी चाहिए, ताकि सारी बात स्पष्ट रहे।

अध्यक्ष: एक सुझाव आया है कि विभेद शब्द की जगह पक्षपात शब्द लिखा जाए। इसे स्वीकार किया जा रहा है।

डा. अम्बेडकर: हां, यही उचित है।

अध्यक्ष: यह ठीक होगा?

डा. अम्बेडकर: बिल्कुल ठीक। मेरा सुझाव है कि वाक्य में आखिर में 'बिना किसी भेदभाव के' शब्द आने चाहिए।

अध्यक्ष: तब आप कृपया यह संशोधन करेंगे। फिर यह बिना भेदभाव के पढ़ा जाएगा।

डा. अम्बेडकर: हां।

अध्यक्ष: ठीक है, कृपया यह संशोधन कर लें। यह अच्छा संशोधन है।

* * * *

*डा. अम्बेडकर**: इस समिति के समक्ष विभिन्न समुदायों की जो मांगें रखी गई हैं, पैराग्राफ तीन उन सबका सारांश है।

अध्यक्ष: हां।

डा. अम्बेडकर: मेरा एक सुझाव है। दलितों ने, इसे आधार पर कि उनकी स्थिति अन्य अल्पसंख्यक वर्गों से अलग है, अपने हित में जो मांगें रखी हैं, उन्हें भी इसमें जोड़ना चाहिए। जोड़ने से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि इस सम्मेलन ने इन मांगों को स्वीकार कर लिया है। किंतु पूर्णता के लिए उन मांगों को रखा जाए। इन मांगों के सदंर्भ में उपयुक्त पैराग्राफ में एक और पैराग्राफ जोड़ दिया जाए, जो इस प्रकार हो: 'दलित वर्ग के लोग चाहते हैं कि अस्पृश्यता को कानून के द्वारा पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, अधिकारों के स्वतंत्र और निर्बाध उपयोग की गारंटी दी जाए और इसके प्रति किसी भी तरह की लापरवाही या पूर्वाग्रह के खिलाफ उन्हें गवर्नर-जनरल और भारत मंत्री के समक्ष अपील का अधिकार हो।'

अध्यक्ष : लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे कि तमाम सुझावों के बारे में अभी और भी ब्यौरा जुटाना पड़ेगा। जो भी व्यावहारिक होंगे, उन्हें तो लिया जाएगा।

डा. अम्बेडकर: मैं सहमत हूं।

अध्यक्ष: कुछ विधायी और कुछ प्रशासनिक।

डा. अम्बेडकर: लेकिन इस समिति के समक्ष विभिन्न समुदायों ने अपनी क्या मांगें रखी हैं और दलितों ने अपने हित के लिए इन मांगों के अतिरिक्त क्या-क्या मांगें रखी हैं, पैराग्राफ उनका सारांश तो प्रस्तुत करता ही है, इसे तो जोड़ा ही जा सकता है।

अध्यक्ष : लेकिन इसमें है तो 'बिना किसी भेदभाव के', इत्यादि।

डा. अम्बेडकर: संविधान में यह लिख देना कि किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के स्वतंत्र निर्वहन का हक होगा, काफी नहीं है। हम जानते हैं कि लोग हमें इन अधिकारों का उपयोग नहीं करने देंगे। यह बात मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं। अधिकारों के बारे में मैं मात्र कागजी गारंटी नहीं चाहता। पूरा समुदाय हमारे खिलाफ उठ खड़ा होगा और हम संविधान प्रदत्त अधिकारों के दसवें हिस्से का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि संविधान केवल यही घोषणा न करे कि बाकी समुदाय की तरह दलितों के भी मौलिक अधिकार हैं, बल्कि इस बात की पूरी व्यवस्था की जाए कि दलित इन मौलिक अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें।

अध्यक्ष: मान लीजिए, यदि कोई विधान-मंडल ऐसा कानून नहीं बनाता है, जो आपके पक्ष में जाए, तो यह संविधान का उल्लंघन हुआ।

डा. अम्बेडकर: नहीं, मेरा कहना है कि जो ज्ञापन मैंने आप सबको दिया है, उसमें मैंने

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 3 (माइनारिटीज), पृ. 133 35

कुछ उपाय सुझाए हैं कि कैसे दलितों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। क्या कुछ किया जाए कि दलित संविधान में दिए गए अधिकारों का बिना किसी बाधा के उपयोग कर सकें। जरूरी नहीं कि मेरे सुझाव से समिति के लोग संतुष्ट हों, वे चाहें तो अन्य बेहतर उपाय भी सुझा सकते हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जो दस्तावेज तैयार किया जा रहा है, उसमें यह बात दर्ज होनी चाहिए कि दलित वर्ग के लोग संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा मात्र से संतुष्ट नहीं होंगे। वे चाहते हैं कि संविधान उनके इन अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग की गारंटी भी दे। इसे अमल में कैसे लाया जा सकता है, इस पर मैंने अपने ज्ञापन में कुछ कार्य विधियां सुझाई हैं।

श्री फुट: डा. अम्बेडकर के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम अलग-अलग वर्गों की अलग-अलग मांगों को जोड़ेंगे, तो बड़ी मुश्किल होगी। हमने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और पैराग्राफ 16 के अंत में शामिल भी कर लिया है। अब अलग-अलग मांगों को ब्यौरेवार जोड़ना होगा।

डा. अम्बेडकर: पैराग्राफ 16 के अंतिम दो वाक्य दलितों के लिए सीटों के बंटवारे तक ही सीमित हैं। यह मामला अलग है। मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं, वह यह है कि संविधान हमें चाहे, जो अधिकार दे दे, भारत की 99 फीसदी जनता हमें इन अधिकारों का उपयोग नहीं करने देगी। इन कागजी अधिकारों का मेरे लिए, तब तक क्या मतलब होगा, जब तक कि संविधान यह गांरटी न दे कि, जो भी इन अधिकारों का हनन करेगा, उसे दंड दिया जाएगा। मैं इस पर जोर नहीं दूंगा कि समिति मेरे प्रस्तावों को मंजूर कर ले। मैं इतना चाहता हूं कि दलित वर्ग की ओर से मैंने जो भी मांगें रखी हैं, संविधान में उन्हें स्थान मिले।

अध्यक्ष: मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है। लेकिन संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला एक पैराग्राफ जोड़ना और इन अधिकारों का निर्वहन करने वाले कानून बनाने में बड़ा अंतर है। भविष्य में जिन कानूनों के तहत इन अधिकारों को अमल में लाया जाएगा, आप उन सबका संविधान में उल्लेख नहीं कर सकते। संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा के बाद जब आपके प्रतिनिधि विधान-मंडल में पहुंचें, तो वे अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ऐसे कानून बनाएं, जिनसे इन अधिकारों को अमल में लाया जा सके। यदि आप सारी बातें संविधान में ही लिखवाना चाहेंगे, तो संविधान बनाना ही मुश्किल हो जाएगा।

डा. अम्बेडकर: मैं आपसे सहमत हूं। मौलिक अधिकारों की घोषणा मात्र से क्या होने वाला है। किसी व्यक्ति को यह बताना कि तुम्हारे ये अधिकार हैं, नाकाफी है, जब तक यह सुनिश्चित न हो जाए कि वह इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है, कोई बाधा आएगी, तो उसे दूर किया जाएगा। संविधान में यह गारंटी अवश्य दी जानी चाहिए। महज यह घोषणा कर देने से कि अस्पृश्यता खत्म हो गई, फलां चीज खत्म हो गई, तो काम नहीं चलेगा।

अध्यक्ष: हम सारी बात समझ गए हैं, इसलिए उसे बार-बार दोहराने से क्या लाभ। डा. अम्बेडकर का कहना है कि संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा का तब तक कोई अर्थ नहीं है, जब तक कि इसे कानूनी रूप से लागू करने की गांरटी नहीं दे दी जाती। कानून द्वारा इसे लागू करने के लिए ऐसे कानून होंगे, जो मौलिक अधिकारों के हनन से संबद्ध अपराधों को परिभाषित करें और दंड सुनिश्चित करें। इस मामले में अपराधों को परिभाषित करना आसान काम नहीं है। लार्ड रीडिंग यहां बैठे हैं। वह वकील हैं। मैं तो वकील हूं नहीं। इस बारे में वह बेहतर बता सकते हैं, पर मेरा मानना है कि संविधान आपको कुछ अधिकार देता है। उसके साथ मौलिक अधिकारों के हनन से संबद्ध अपराध और दंड की व्यवस्था जोड़ना उचित नहीं है। मान लीजिए, वास्तव में इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए किसी दलित को प्रताड़ित किया जाता है, तो क्या वह न्याय पाने के लिए अदालत में नहीं जा सकता?

लार्ड रीडिंग: उसे न्याय तो मिलना ही चाहिए और इस तरह के कृत्य को अपराध मानना चाहिए।

अध्यक्ष: क्या इसे संविधान में लिखा जाना चाहिए?

लार्ड रीडिंग: नहीं, मेरा तात्पर्य यह नहीं है। वैसे जहां तक मैं समझ रहा हूं, डा. अम्बेडकर भी यह नहीं चाह रहे हैं। वह महज इतना चाहते हैं कि उनकी यह बात दर्ज कर ली जाए कि मौलिक अधिकारों की घोषणा ही काफी नहीं है। यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि इन अधिकारों का हनन नहीं होने पाए। इसके लिए कुछ उपाय किए जाएं। डा. अम्बेडकर मात्र यही चाहते हैं। अब उपाय तलाशना आपका काम है।

डा. अम्बेडकर: बिल्कुल ठीक।

रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 पर चर्चा

डा. अम्बेडकर: पैराग्राफ 4 के दूसरे उप-पैरा में मैं एक संशोधन चाहता हूं। इसमें 'शुरू का कुछ समय छोड़कर' शब्द जोड़ दिए जाएं। अब यह इस तरह पढ़ा जाएगा, 'शुरू का कुछ समय छोड़कर दलित वर्गों को स्वीकार्य होगा।'

अध्यक्ष: हां, मैं समझ रहा हूं, आपने शायद इसके साथ वयस्क मताधिकार की शर्त भी जोड़ दी है।

डा. अम्बेडकर: मैंने 10 वर्ष की अवधि के लिए पृथक निर्वाचक-मंडल की बात कही है, चाहे वयस्क मताधिकार हो, या न हो।

अध्यक्ष: 'संक्रमण काल के बाद दलित वर्गों को स्वीकार्य होगा'।

डा. अम्बेडकर: हां।

अध्यक्ष: क्या इसके जोड़ने से यह ज्यादा यथार्थवादी हो जाएगा?

श्री चिंतामणि: 'बशर्ते कि निर्वाचन वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर हो।' क्या हम

इस वाक्य को निकालने जा रहे हैं?

अध्यक्ष: नहीं, जो कुछ कहा गया है, हम उसे बदलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन डा. अम्बेडकर ने कहा था कि वयस्क मताधिकार की विधि नहीं अपनाई गई, तो दलित अपने लिए पृथक निर्वाचक-मंडल की मांग करेंगे और अगर वयस्क मताधिकार का रास्ता अपनाया जाता है, तो थोड़े समय बाद वे पृथक निर्वाचक-मंडल समाप्त कर देंगे।

पैराग्राफ 12 पर बहस

डा. अम्बेडकर: मैं पैराग्राफ 12 के प्रारंभ में कुछ जोड़ना चाहता हूं। प्रारंभ में जोड़ा जाए, 'अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों की यह स्पष्ट घोषणा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, वे भारत के किसी भी भावी संविधान को अपनी सहमति नहीं देंगे।' इसके बाद लिखा जा सकता है, 'सुझावों के बारे में आम राय', वगैरह। मैं पहले भी समिति के समक्ष अपने भाषण में कह चुका हूं कि जब तक हमें यह विश्वास नहीं दिलाया जाता है कि भावी संविधान में हमारे हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे, हम संविधान पर अपनी सहमति नहीं देंगे। इस मामले में यदि दूसरे समुदाय मेरा साथ नहीं देते तो न दें। मेरे बयान को दलित वर्ग का बयान माना जाए।

अध्यक्ष: हां, आपने बयान दिया था और मैं आपके बयान को व्यक्तिगत बयान नहीं, एक प्रतिनिधि का बयान मानता हूं। लेकिन यदि हम आपके वक्तव्य को इस रिपोर्ट में दर्ज कर लेंगे, तो आपमें से ही कुछ लोग कहने लगेंगे कि हमारी मांगें दर्ज नहीं की गईं। फिर भी, यदि आप चाहते हैं कि समिति जो रिपोर्ट सम्मेलन में भेजे उसमें सारी बातें दर्ज रहें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। बतौर रिकार्ड के इसे दर्ज किया जा सकता है।

लार्ड रीडिंग: मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि इस पैराग्राफ में इसे जोड़ने की क्या उपयोगिता है? इसका संबंध कार्यपालिका से है। नए संविधान के बारे में, तो इसमें इसके सफल ढंग से काम करने का उल्लेख भर है।

डा. अम्बेडकर: महोदय! मैं बयान देने के लिए बयान नहीं देता और यह भी नहीं चाहता कि उसे मात्र दिखावे के लिए दर्ज कर लिया जाए। जो मांगें मैंने उठाई हैं, कितनी शिद्दत से, कितनी सबल भावनाओं से उठाई हैं। यह सब भी रिपोर्ट में दर्ज होना चाहिए। मैं कोई मांग मात्र उसे स्वीकारने या नकारने के लिए नहीं करता । बाकी चीजों की मंजूरी भी मेरी इस मांग की मंजूरी पर निर्भर है।

लार्ड रीडिंग: मेरी समझ में नहीं आता कि इस पैराग्राफ में इसे कैसे जोड़ा जाए?

डा. अम्बेडकर: इसे कहीं भी लिया जा सकता है। ऊपर रहता तो ठीक रहता। पर यदि आप सहमत नहीं हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं।

अध्यक्ष: इसे यहां नहीं जोड़ा जा सकता। आप इस मामले को फिर उठा सकते हैं। इसे एक नई धारा के रूप में रखना होगा, न कि धारा 12 के संशोधन के रूप में।

डा. अम्बेडकर: तीसरी पंक्ति में लिखा है, 'प्रांतीय कार्यपालिकाओं में हिंदू, मुसलमान, सिख जैसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधित्व का मामला सबसे महत्वपूर्ण है।' मेरा सुझाव है कि इसमें से 'महत्वपूर्ण' शब्द निकाल दिया जाए, क्योंकि मैं अल्पसंख्यक-अल्पसंख्यक के बीच भेदभाव के पक्ष में नहीं हूं। किसी अल्पसंख्यक वर्ग का उल्लेख उसके नाम से न करें और यदि आप करना ही चाहते हैं, तो फिर सारे अल्पसंख्यक वर्गों का उल्लेख उनके नाम से करें।

डा. मुंजे : मैं भी यही बात कहने जा रहा था।

अध्यक्ष: ये शब्द इसलिए लिखे गए हैं, क्योंकि ये उस रिपोर्ट में हैं, जिसके संदर्भ में बात हो रही है। लेकिन बताइए, क्या संशोधन करना है। हम इसमें ऐसी कोई चीज दर्ज नहीं करेंगे, जिससे आप सहमत न हों। तो यह इस तरह हुआ-'प्रांतीय कार्यपालिका में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व'।

डा. अम्बेडकर: इसे इसी तरह रहने दिया जाए। 'हिंदू, मुसलमान और सिख' शब्द निकाल दिए जाएं।

अध्यक्ष: आप देखें, इसका अर्थ क्या निकलता है? अब यह इस तरह पढ़ा जाएगा, 'संविधान के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, प्रांतीय कार्यपालिकाओं में अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व', वगैरह।

डा. अम्बेडकर: ठीक है।

अध्यक्ष: इसका मतलब सभी अल्पसंख्यक समुदायों को चाहे उनकी संख्या 8,9,10 या 12, कितनी भी हो, कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए।

डा. अम्बेडकर: नहीं, तब तो मैं चाहूंगा कि इसमें यह जोड़ दिया जाए, 'जहां तक संभव हो' और यह गवर्नर के विशेषाधिकार पर छोड़ दिया जाए। मैं किसी समुदाय का विशेष रूप से उल्लेख करने के खिलाफ हूं।

लार्ड रीडिंग: हमें ध्यान से इसे पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि यह क्या कहता है। शुरुआत होती है, 'उप-समिति सं. 2 (प्रांतीय संविधान) के सुझावों पर आम सहमति', इसके बाद आगे की बात जुड़ती है।

डा. अम्बेडकर: नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए।

डा. मुंजे: मेरा एक छोटा-सा सुझाव है, जो शायद डा. अम्बेडकर के विचारों से मेल खाए। इसे इस तरह लिखा जाए, 'महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदाय जैसे मुसलमान, सिख, दलित वर्ग'।

लार्ड रीडिंग: तब तो बाकी को भी शामिल करना पड़ेगा।

माननीय ए.पी. पात्रे: क्या दलित वर्ग हिंदू नहीं हैं? क्या आप दलितों को हिंदुओं से अलग कर देंगे? दलित वर्गों में ऐसे भी दलित हैं, जो हिंदुओं से अलग किए जाने के सुझाव

पर विद्रोह कर देंगे। दक्षिण भारत में यदि डा. अम्बेडकर दलितों से जाकर कहें कि वे हिंदू नहीं हैं, तो देखें क्या होता है।

डा. अम्बेडकर: हम यहां उस पर बहस नहीं कर रहे हैं।

माननीय ए.पी. पात्रे : इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रतिनिधित्व की बात करते समय यथार्थ और अनुभवों को नजरअंदाज न किया जाए।

अध्यक्ष: 'हिंदू, मुसलमान व अन्य,' ये शब्द महज उदाहरण के लिए थे। रिपोर्ट में ये शब्द नहीं आएंगे।

माननीय मोहम्मद शफी: मैं भी यही कहने वाला था।

अध्यक्ष: एक मिनट, 'महत्वपूर्ण' शब्द को रखना चाहिए, यानी 'प्रांतीय कार्यपालिकाओं में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व'।

सदस्य: ठीक है।

अध्यक्ष: 'हिंदू, मुसलमान और सिख' शब्दों को निकाल दिया जाए। इनके लिखने का कोई मतलब नहीं है।

डा. अम्बेडकर: जहां यह लिखा हुआ है कि 'यह भी तय किया गया था कि उसी आधार पर मुसलमानों को भी संघीय कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व दिया जाए', इसमें से मुसलमान शब्द निकाल कर 'महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग' मिला दिए जाएं।

अध्यक्ष: हां, ठीक है।

डा. अम्बेडकर: संघीय कार्यपालिका में भी उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए।

अध्यक्ष : 'महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्गों को संघीय कार्यपालिका में प्रतिनिधित्व दिया जाए। अन्य छोटे अल्पसंख्यक वर्गों की ओर से भी मांग की गई है कि उन्हें भी प्रांतीय और संघीय कार्यपालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाए और यदि यह संभव न हो, तो प्रत्येक मंत्रिमंडल में एक ऐसा मंत्री नियुक्त किया जाए, जिसके जिम्मे इस वर्ग के हितों की सुरक्षा का दायित्व हो।' मैं समझता हूं कि जो कुछ भी कहा गया है, वह सारी बातें इसमें आ गई हैं।

लार्ड रीडिंग: बिल्कुल ठीक।

अध्यक्ष: आधिकारिक रूप से।

* * * *

अध्यक्ष:* सारी बात को स्पष्ट ढंग से रखने के लिए 'मुसलमान' शब्द का प्रयोग उचित ही है।

माननीय मोहम्मद शफी: संघीय का अलग ही दर्जा है।

अध्यक्ष: 'मुसलमान' शब्द रहना चाहिए।

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं.3 (माइनारिटीज), पृ. 144-46

श्री जोशी: मैं इससे सहमत हूं।

डा. अम्बेडकर: तो 'मुसलमान' शब्द के साथ 'और अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग' जोड़ना चाहिए।

अध्यक्ष: नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते।

डा. अम्बेडकर: यह मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं। मैं दलित वर्ग के प्रतिनिधि की हैसियत से यह मांग कर रहा हूं।

श्री जोशी: इसे नहीं माना जा सकता। आपने ऐसी कोई मांग नहीं की थी।

डा. अम्बेडकर: सवाल यह नहीं है कि मैंने मांग की थी या नहीं।

अध्यक्ष: अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ग्यारह बजकर दो मिनट हो रहे हैं।

डा. मुंजे: मैं चाहूंगा कि 'सहमत' शब्द की जगह हम लिख सकते हैं कि 'उसी आधार पर यह मांग भी उठी थी', वगैरह।

माननीय मोहम्मद शफी: नहीं, नहीं, सहमति हुई थी और यह वास्तविकता है।

डा. मुंजे: 'संघीय सरंचना समिति' में क्या बात हुई थी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

माननीय मोहम्मद शफी: दस्तावेज इसका गवाह है।

डा. मुंजे: लेकिन मैं यहां इससे सहमत नहीं हूं।

माननीय ए.पी. पात्रो: चलिए, अगले पैराग्राफ पर।

अध्यक्ष: मुसलमान शब्द जोड़ने की बात हुई थी और उस पर सहमति भी हुई थी। बैठक की कार्यवाही के विवरण में यह दर्ज है।

श्री जोशी: क्या इस समिति के रिकार्ड में?

लेफ्टी. कर्नल गिडने: इससे पहले पूर्ण अधिवेशन में मैंने इस बारे में अलग से एक बयान दिया था। मैंने कहा था कि बड़े समुदाय अपने लिए जो मांग कर रहे हैं, वह ठीक है। लेकिन अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व चाहिए।

अध्यक्ष: वह तो है।

लेफ्टी. कर्नल गिडने: यह तो महज एक विकल्प है।

अध्यक्ष: नहीं, ऐसा नहीं है। यह वाक्य एक विकल्प सुझाता है, लेकिन यह भी स्पष्ट करता है कि यह मांग उठी थी कि अल्पसंख्यकों को या तो प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व दिया जाए और यदि ऐसा संभव न हो तो . . .

लेफ्टी. कर्नल गिडने: हम मात्र इतना ही चाहते हैं।

राव बहादुर पन्नीर सैलवम: 'ऐसा न होने पर' की जगह 'अगर ऐसा करना असंभव हो तो' लिखना चाहिए।

अध्यक्ष: हां, 'ऐसा न होने पर' के स्थान पर 'यदि ऐसा संभव हो तो' का उपयोग नहीं किए जा सकने का कोई कारण नहीं है।

लार्ड रीडिंग: फर्क क्या पड़ता है? हम लोग इस वाक्य के बदले उस वाक्य के लिखने पर बेकार समय गंवा रहे हैं।

सरदार उज्ज्वल सिंह: 'महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्गों' शब्दों को रहने दीजिए। हम अन्य समुदायों के लिए भी कुछ व्यवस्था कर सकते हैं। कोई न कोई व्यवस्था तो होनी ही चाहिए।

अध्यक्ष: कृपया परिस्थितियों की गंभीरता को समझिए। यथार्थवादी रुख अपनाएं। आप संघीय कार्यपालिका में सभी अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं दे सकते।

डा. अम्बेडकर: मैं अपनी बात साफ करना चाहता हूं। हमने प्रांतीय संविधान में गवर्नर पर यह उत्तरदायित्व सौंपा है कि वह अधिक से अधिक अल्पसंख्यक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास करें। हमने उन्हें किसी सीमा में बांध नहीं रखा है। गवर्नर को इतनी स्वतंत्रता अवश्य होनी चाहिए कि वह अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्गों में से भी प्रतिनिधियों का चयन कर सके, इसलिए 'मुसलमानों' शब्द के बाद 'अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग' आना चाहिए।

अध्यक्ष: नहीं, इस मुद्दे पर बात हो चुकी है। अब हम अगले मुद्दे पर चर्चा करें।

माननीय ए.पी. पात्रो : क्या मैं पैराग्राफ 13 का उल्लेख कर सकता हूं?

डा. अम्बेडकर: मेरा अनुरोध है कि पैराग्राफ 12 के बारे में मेरा विरोध दर्ज कर लिया जाए।

सरदार उज्ज्वल सिंह: 'मुसलमानों' शब्द के बाद 'अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग' जुड़ना चाहिए।

लेफ्टी. कर्नल गिडने: फिर शेष अल्पसंख्यकों को क्यों नहीं?

अध्यक्ष: आप लोग कृपया मेरी बात सुनें। मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम अन्य अल्पसंख्यक वर्गों को छोड़ नहीं रहे हैं। मैं शब्दों में संशोधन के लिए तैयार हूं। पर आप लोग कृपया निरर्थक मुद्दे न उठाएं। यह तो मान ही लिया गया है कि दूसरे अल्पसंख्यक वर्गों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और अगर ऐसा करना असंभव हो, तो उनके हितों की रक्षा के लिए एक मंत्री नियुक्त किया जाए। इसमें तो सारी बात आ जाती है। पैराग्राफ 12 पर सहमति हुई, यह मान लिया जाए।

डा. अम्बेडकर: मैं समझता हूं कि हमारी आपत्ति दर्ज होनी चाहिए।

अध्यक्ष: ठीक है।

[उप-समिति संख्या 3 (अल्पसंख्यक) द्वारा संशोधन के बाद स्वीकृत पैराग्राफ 12]

12. उप-समिति संख्या 2 (प्रांतीय संविधान) के इस सुझाव पर आम सहमति है कि नए संविधान के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए प्रांतीय कार्यपालिकाओं में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदायों का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक आवश्यक है और इस बात पर भी सहमति है कि इसी आधार पर संघीय कार्यपालिका में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। छोटे

अल्पसंख्यक वर्गों की ओर से यह मांग की गई है कि उन्हें भी प्रांतीय और संघीय कार्यपालिकाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाए और अगर ऐसा करना असंभव हो, तो प्रत्येक मंत्रिमंडल में एक ऐसे मंत्री की नियुक्ति की जाए, जिस पर अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा की जिम्मेदारी हो।

(डा. अम्बेडकर: और सरदार उज्ज्वल सिंह चाहते हैं कि पंक्ति 6 में 'मुसलमानों' शब्द के बाद 'और अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक वर्ग' शब्द जोड़ दिए जाएं।) *

रिपोर्ट के पैराग्राफ 18 पर बहस

अध्यक्ष[#]: 17 को निकाल दिया गया है। अब 18 पर बात करें, जो बाद में 17 हो जाएगा। यह रिपोर्ट पूर्ण सम्मेलन की समिति के समक्ष रखी जाने वाली है।

कौन-कौन लोग इसके समर्थन में हैं? और कौन विरोध में? तो इसे स्वीकार कर लिया गया। अब इसे पूर्ण सम्मेलन की समिति के समक्ष भेजा जा सकता है।

डा. अम्बेडकर: मेरा एक संशोधन है।

अध्यक्ष: अब कुछ नहीं, मैं माफी चाहता हूं।

डा. अम्बेडकर: मेरे संशोधन को पैराग्राफ 16 के बाद एक अलग पैराग्राफ के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

अध्यक्ष: उसे अंतिम पैराग्राफ बनाएं?

डा. अम्बेडकर: जी हां।

अध्यक्ष: तब तो यह अभिभावी पैराग्राफ है।

डा. अम्बेडकर: मेरा संशोधन है, 'अल्पसंख्यक और दलित वर्ग के लोगों का यह दृढ़ निश्चय है कि जब तक उनकी मांगें स्वीकार नहीं की जाती, तब तक वे भारत के किसी भी भावी संविधान को अपनी सहमति नहीं देंगे।'

अध्यक्ष: वस्तुत: आप यह बात कह चुके हैं और हम मान चुके हैं कि यह आपका निजी बयान नहीं है।

डा. अम्बेडकर: मेरे विचार में इसे दर्ज करना चाहिए।

श्री जोशी: लेकिन मेरे विचार में उस बयान के अनुसार श्रमिकों को अल्पसंख्यक वर्ग नहीं माना जा सकता।

अध्यक्ष: मैं इसे नकार भी नहीं सकता।

डा. अम्बेडकर: मुझे ये शब्द स्वीकार होंगे: 'जब तक उनकी मांगें समुचित ढंग से नहीं मान ली जातीं।'

---

*पैराग्राफ संख्या 12 उप-समिति संख्या 3 पर चर्चा के बाद स्वीकृत रूप में।

[#] प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं.3 (माइनारिटीज), पृ. 153

अध्यक्ष: इससे तो यह निरर्थक ही हो जाता है।

डा. अम्बेडकर: अथवा यह कि 'जब तक कि उनकी उचित मांगे नहीं मान ली जातीं।'

श्री जफरुल्ला खां: अगर मांगों को उचित ढंग से मान लिया जाता है तो क्या सभी इससे संतुष्ट होंगे।

श्री फुट: यह तो किसी मांग को दर्ज करने भर की बात है।

अध्यक्ष: हां, यह तो किसी मांग को दर्ज करना भर है। इसे एक नए पैराग्राफ 18 के रूप में जोड़ लिया जाना चाहिए।

●

परिशिष्ट I

स्वाधीन भारत के भावी संविधान में दलित वर्गों की सुरक्षा के लिए कुछ राजनीतिक उपाय

उप-समिति संख्या 3 (अल्पसंख्यक) की रिपोर्ट का परिशिष्ट *

(डा. अम्बेडकर और राव बहादुर आर. श्रीनिवासन द्वारा प्रस्तुत)

स्वाधीन भारत में बहुसंख्यक शासन को स्वीकार करने के लिए दलित वर्गों ने जो शर्तें रखी हैं, वे निम्नलिखित हैं:

शर्त 1

समान नागरिकता

दलित वर्ग के लोग अपनी वर्तमान आनुवांशिक गुलामी की दशा में बहुसंख्यक शासन को अपनी सहमति नहीं देंगे। बहुसंख्यक शासन लागू होने से पहले दलितों को अस्पृश्यता की कुरीति से पूरी तरह मुक्ति मिलनी चाहिए। इस मामले को बहुसंख्यकों की इच्छा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। दलितों को अन्य नागरिकों की तरह सभी अधिकार मिलने चाहिएं।

(क) अस्पृश्यता को समाप्त करने और समान नागरिकता का अधिकार बहाल करने के लिए निम्नलिखित मौलिक अधिकार को संविधान में दर्ज किया जाए।

मौलिक अधिकार

[संयुक्त राज्य अमरीका संविधान संशोधन 14 और आयरलैंड सरकार अधिनियम 1920, 10 व 11, जी.ई.ओ. 5, अध्याय 67, धारा 5 (2)]

'भारत के सभी नागरिक कानून की निगाह में एक समान हैं और सबके नागरिक अधिकार बराबर हैं। वर्तमान समय में अस्पृश्यता के बारे में लागू कोई भी अधिनियम, कानून, आदेश, व्याख्या, या रिवाज,जो किसी व्यक्ति को दंडित करता है, असुविधा पहुंचाता है, अयोग्य करार देता है, या पक्षपात करता है, तो उसे नए संविधान के लागू होते ही समाप्त माना जाएगा।'

(ख) भारत सरकार अधिनियम, 1919 की धारा 110 ओर 111 के तहत अधिशासी

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं.3 (माइनारिटीज)*, पृ. 168-76

[ऐसा सभी संविधानों में है, देखें प्रो. कीथ की टिप्पणी, कमांड पेपर 207, पृ. 56]

अधिकारियों को मिलने वाली छूट को समाप्त करना और उन्हें ठीक उसी तरह की जिम्मेदारी सौंपना,जैसी कि ब्रिटेन और यूरोप में है।

शर्त 2

समान अधिकारों का स्वतंत्र उपयोग

दलितों के समान अधिकारों की घोषणा करना ही काफी नहीं है। यह असंदिग्ध है कि दलितों को समाज की रूढ़िवादी ताकतें समान नागरिकता के अधिकार का उपयोग नहीं करने देंगी। कई तरह की बाधाएं खड़ी करेंगी। अतएव, दलितों का मानना है कि अगर ये अधिकार महज कागजी नहीं हैं,, तो अधिकारों का हनन करने वालों को दंड देने की व्यवस्था की जाए।

(क) इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दलित चाहते हैं कि भारत सरकार अधिनियम, 1919 भाग 11 जो अपराध, प्रक्रिया एवं दंड परिभाषित करता है, उसके साथ निम्नांकित धारा जोड़ दी जाए।

(i) नागरिकता हनन का अपराध

यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, सार्वजनिक वास, लाभ, सुविधा, धर्मशाला में ठहरने के अधिकार, शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश, सड़क, राह, गली, तालाब, कुंआ व पानी के उपयोग के अन्य स्थान, सार्वजनिक वाहन, भूमि, हवा अथवा पानी, नाट्य-गृहों अथवा कला व रंग क्रम से जुड़े अन्य सार्वजनिक स्थलों के उपयोग से रोकता है, तो उसे अस्पृश्यता के बारे में पहले से चली आ रही शर्तों पर विचार किए बिना पांच वर्ष तक के कारावास की सजा अथवा दोनों दी जाएंगी।

(अमरीकी कानून नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 9, अप्रैल 1866 और 1 मार्च 1875। ये कानून नीग्रो लोगों को दासता से मुक्ति के बाद उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए बनाए गए थे।)

(ख) दलित वर्गों के लोग अपने अधिकारों का स्वतंत्र उपयोग कर सकें, इस मार्ग में रूढ़िवादियों की रुकावटें ही दलितों की परेशानी का कारण नहीं है। दलितों को सबसे बड़ा खतरा सामाजिक बहिष्कार से है। रूढ़िवादियों के पास सबसे खतरनाक हथियार यही है, जिसके बल पर वे दलितों को वह सब कुछ करने से रोकते हैं, जो इन रूढ़िवादियों को पसंद नहीं है। बहिष्कार का हथियार कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसका पूरा ब्यौरा उस समिति की रिपोर्ट में है, जिसे 1928 में बंबई सरकार ने गठित किया था। इस समिति का काम बंबई प्रेसिडेंसी के दलित वर्गों (अस्पृश्यों) और आदिवासियों की आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति का पता लगाना और उनके उत्थान के उपाय सुझाना था। रिपोर्ट का संक्षिप्त सारांश:

दलित वर्ग और सामाजिक बहिष्कार

102. समाज में दलित अपने नागरिक अधिकारों का उपयोग बिना किसी बाधा के कर सकें, इसके लिए हमने कई उपाय सुझाए हैं। लेकिन हमें आशंका है कि आने

वाले समय में दलितों के रास्ते में बाधाएं आएंगी। पहली आशंका तो यही है कि रूढ़िवादी वर्गों के लोग कहीं दलितों के खिलाफ खुली हिंसा पर न उतर आएं। हमें याद रखना चाहिए कि हर गांव में दलितों का एक छोटा-सा वर्ग रहता है और बहुसंख्यक आबादी रूढ़िवादियों की है। ये कट्टरपंथी रूढ़िवादी दलितों को ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देंगे, जिससे इन रूढ़िवादियों की सामाजिक हैसियत और उनके हित प्रभावित होते हों, उन पर कोई आंच आती हो। वैसे दलितों के खिलाफ खुली हिंसा का रास्ता अपनाने से ये लोग थोड़ा कतराएंगे, क्योंकि पुलिस और मुकदमें का डर रहेगा।

दलितों के नागरिक अधिकारों के रास्ते में दूसरी सबसे बड़ी बाधा उनकी अपनी आर्थिक स्थिति है। प्रेसिडेंसी के ज्यादातर हिस्सों में दलितों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कुछ लोग गांव के बड़े जमींदारों के यहां बंटाई पर खेती करते हैं, जमींदार जब चाहें उन्हें खेती से बेदखल कर दें। कुछ लोग जमींदारों के यहां खेतिहर मजदूर हैं और बाकी लोग इन्हीं जमींदारों के यहां मजदूरी करके उसके बदले में मिले भोजन व अनाज से अपना पेट पालते हैं। रूढ़िवादी जमींदारों की आर्थिक हैसियत ही इनका सबसे बड़ा हथियार है, जिसके बल पर ये लोग दलितों का उत्पीड़न करते हैं, उन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित रखते हैं। जब भी दलित अपने नागरिक अधिकारों के बारे में आवाज उठाते हैं, उन्हें खेत से बेदखल कर दिया जाता है, मजदूरी करने से रोक दिया जाता है, गांव की चौकीदारी करने से भी रोक दिया जाता है। दलितों का इस तरह का बहिष्कार सुनियोजित तरीके से किया जाता है, ताकि वे मजबूर होकर जमींदारों की शर्तों पर फिर से काम करने लगें। दलितों के लिए गांव के सार्वजनिक रास्ते बंद कर दिए जाते हैं। बनिए सौदा देने से इंकार कर देते हैं।

गांव के साझा कुंए से पानी भरने पर भी रोक लगा दी जाती है। कभी-कभी तो बहुत मामूली-सी बात पर दलितों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है। इस तरह की कई घटनाएं प्रकाश में आई हैं। जैसे किसी दलित ने जनेऊ पहन लिया, जमीन खरीद ली, अच्छे कपड़े या गहने पहन लिए, दूल्हा घोड़ी पर चढ़कर गांव के आम रास्ते पर चले,तो उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया।

हमें नहीं पता है कि दलितों का दमन करने के लिए सामाजिक बहिष्कार से अधिक प्रभावी हथियार भी बनाया जा सकता है। इसके आगे तो खुली हिंसा का तरीका भी निरर्थक हो जाता है, क्योंकि इसके बहुत ही भयंकर और दूरगामी परिणाम होते हैं। यह अत्यंत भयानक हथियार इसलिए है, क्योंकि संपर्क की स्वतंत्रता के सिद्धांत के अनुरूप इसे एक कानूनी तरीका माना गया है। अगर हमें दलितों का उत्थान करना है, उन्हें अभिव्यक्ति और कर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सही मायने में देना है, तो हमें

बहुसंख्यकों के इस अत्याचार को हर कीमत पर रोकना होगा।

दलितों का मानना है कि 'सामाजिक बहिष्कार' की इस कुरीति से उन्हें तभी छुटकारा मिलेगा, जब इसे दंडनीय अपराध के रूप में दर्ज किया जाएगा। अतः भारत सरकार अधिनियम, 1919, भाग 11 में निम्नांकित धारा को जोड़ा जाए।

I. बहिष्कार के अपराध की परिभाषा

[यह बर्मा के बहिष्कार विरोधी अधिनियम, 1922 से लिया गया है। भारत की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं।]

(क) एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को जमीन या मकान किराए या पट्टे पर देने, उसके साथ व्यापार करने, कोई अन्य काम करने से मना करता है, जिसे सामान्य परिस्थितियों में वह करता, तो इसे बहिष्कार माना जाएगा, अथवा

(ख) समाज में प्रचलित ऐसे सामाजिक, व्यावहारिक अथवा व्यापारिक संबंध रखने से, जो संविधान में दर्ज मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते, आपत्ति व्यक्त करता है, अथवा

(ग) दूसरे व्यक्ति के विधिक अधिकारों के उपयोग में बाधाएं खड़ी करता है, रोकने की कोशिश करता है, हस्तक्षेप करता है।

II. बहिष्कार के लिए दंड

कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऐसे काम पर जिसे वह कानूनन कर सकता है, अथवा ऐसा काम न करने पर जिसे कानूनन नहीं करना चाहिए, बहिष्कार करता है, अथवा इस आशय से कि कोई व्यक्ति ऐसा काम करे, जो कानूनन उसे नहीं करना चाहिए, या ऐसा काम न करे, जिसे वह करने का हकदार है, अथवा किसी व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक क्षति पहुंचाने, प्रतिष्ठा गिराने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, कारोबार में बाधा डालने, उसके रहन-सहन को प्रभावित करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति का, या इससे संबद्ध दूसरे व्यक्ति का बहिष्कार करता है, उसे सात साल की कैद अथवा जुर्माना, या दोनों दंड दिए जाएंगे।

अपवाद: अगर अदालत इस बात से संतुष्ट है कि अभियुक्त ने यह काम किसी दूसरे व्यक्ति के उकसाने, या उसकी साठ-गांठ या किसी षड्यंत्र या किसी सामूहिक समझौते के तहत नहीं किया है, तो इस कृत्य को इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा।

III. बहिष्कार के लिए उकसाने अथवा प्रोत्साहित करने के लिए दंड

कोई भी व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति या समूह के बहिष्कार के लिए-

(क) सार्वजनिक रूप से कोई प्रस्ताव रखता हो, प्रकाशित करता हो या बांटता हो, अथवा

(ख) इस उद्देश्य से या यह जानते हुए कि इससे बहिष्कार को बढ़ावा मिलेगा, सार्वजनिक रूप से किसी बयान, अफवाह या रिपोर्ट को पढ़ता हो, प्रकाशित कराता हो या बांटता हो, अथवा

(ग) किसी और तरीके से बहिष्कार करने के लिए उकसाता हो, प्रोत्साहित करता हो

तो उसे पांच वर्ष की कैद अथवा जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण: इस धारा के तहत, अपराध हुआ है, यह मानने के लिए प्रभावित व्यक्ति का नाम या वर्ग इंगित होना जरूरी नहीं है। यदि व्यक्ति या वर्ग प्रभावित हुआ है या प्रभावित हो सकता है, तो माना जाएगा कि अपराध हुआ है।

IV. बहिष्कार की धमकी के लिए दंड

कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के ऐसे काम पर, जिसे वह कानूनन कर सकता है अथवा ऐसे काम न करने पर, जिसे कानूनन उसे नहीं करना चाहिए अथवा किसी व्यक्ति से ऐसा काम करवाए,जो कानूनन उसे नहीं करना चाहिए या ऐसा काम न करने पर मजबूर करें, जिसे वह करने का हकदार है, उस व्यक्ति या उससे संबद्ध और किसी व्यक्ति के बहिष्कार की धमकी देता है,तो उसे पांच वर्ष के कारावास अथवा जुर्माना या दोनों का दंड मिलेगा।

अपवाद: निम्नांकित कार्य बहिष्कार नहीं माने जाएंगे-

(1) श्रमिक विवादों के मामले में,

(2) सामान्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा में।

शर्त 3

भेदभाव के खिलाफ संरक्षण

दलित वर्गों को आशंका है कि भविष्य में जो भी कानून बनाए जाएंगे या सरकारी आदेश जारी होंगे, उनमें दलितों के प्रति भेदभाव बरता जा सकता है। अत: कानूनी रूप से ऐसे उपाय किए जाएं, ताकि विधान-मंडलों या कार्यपालिकाओं के लिए भेदभाव वाले कानून बनाना असंभव हो जाए और जब तक यह सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, दलित वर्ग के लोग भविष्य में बहुसख्यकों के शासन को अपनी सहमति नहीं देंगे:

संविधान में निम्नांकित चीजें दर्ज होनी चाहिएं-

(1) संविदा का अधिकार और उसके अनुपालन का अधिकार, मुकदमा दायर करने, पक्ष बनने, साक्ष्य देने, उत्तराधिकार पाने, खरीदने, पट्टे पर देने, बेचने, रखने और निजी संपत्ति का अधिकार।

(2) नागरिक और सैनिक सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में भर्ती का अधिकार। सरकार विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए शर्तें या प्रतिबंध लगा सकती है।

(3) आवास, सार्वजनिक सुविधाओं, शिक्षण संस्थाओं, धर्मशालाओं, नदियों, झरनों, कुंओं, तालाबों, सड़कों, गलियों, रास्तों, सार्वजनिक वाहनों, विमान सेवाओं, नौवहन, थिएटर व आम सार्वजनिक स्थलों का अन्य नागरिकों की भांति समान रूप से इस्तेमाल करने का अधिकार। सरकार उचित कारणों से कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, बशर्ते ये शर्तें या प्रतिबंध सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हों।

(4) सार्वजनिक हित में गठित किसी धर्मार्थ ट्रस्ट का लाभ बिना किसी भेदभाव के पाने का अधिकार। यदि यह किसी धर्म विशेष के लिए गठित है, तो इस धर्म के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के इसका लाभ मिलने का अधिकार।

(5) नागरिकों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के लिए बने कानूनों और कानूनी प्रक्रियाओं का अन्य नागरिकों की तरह समान रूप से लाभ उठाने का अधिकार। इसमें अस्पृश्यता की कोई पूर्व शर्त या परंपरा आड़े नहीं आनी चाहिए।

शर्त 4

विधान-मंडल में समुचित प्रतिनिधित्व

दलित वर्ग अपने हितों की रक्षा के लिए विधायिका और कार्यपालिका पर अपना प्रभाव डाल सकें, इसके लिए उन्हें पर्याप्त राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिएं। इसके लिए चुनाव कानून में निम्नांकित चीजें जोड़ी जाएं-

(1) प्रांतीय और केंद्रीय विधान-मंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अधिकार,

(2) अपने ही लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार।

(क) वयस्क मताधिकार द्वारा और (ख) शुरू के 10 वर्ष के लिए पृथक निर्वाचक-मंडलों द्वारा और उसके बाद संयुक्त निर्वाचक-मंडलों और आरक्षित सीटों द्वारा। यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि संयुक्त निर्वाचक-मंडल की बात दलित वर्ग तभी मानेगा, जब चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

नोट: दलितों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व क्या है? इस बारे में कोई संख्या बताना, तब तक संभव नहीं है, जब तक कि यह पता न चल जाए कि अन्य समुदायों को कितनी सीटें मिल रही हैं। यदि दूसरे समुदायों को दलितों से बेहतर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, तो दलित इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे मद्रास और बंबई में दलितों को अन्य अल्पसंख्यकों की तुलना में ज्यादा प्रतिनिधित्व तो मिलना ही चाहिए।

शर्त 5

नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व

सरकारी नौकरियों में ऊंची जाति के अधिकारियों ने दलितों को बहुत सताया है। अपने अधिकारों और कानून का अपनी जातियों के हितों के लिए गलत ढंग से इस्तेमाल किया है। न्याय, समानता और विवेक के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाई हैं, दलितों का भयावह शोषण किया है। इसे रोकने का एक ही उपाय है, सरकारी नौकरियों पर हिंदू सवर्णों के एकाधिकार को समाप्त करना। नौकरियों में भर्ती की ऐसी पद्धति अपनाई जाए, ताकि दलित समेत समाज के अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के लोग भी उचित हिस्सा पा सकें। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दलितों की मांग है कि संविधान में निम्नांकित चीजें जोड़ी जाएं-

(1) भारत में तथा उसके सभी प्रांतों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए लोक सेवा

आयोग का गठन किया जाए।

(2) लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को केवल विधान-मंडल में प्रस्ताव पास करके ही हटाया जा सकेगा और उसके सेवा-निवृत्त होने के बाद उसे किसी सरकारी पद पर नहीं रखा जाएगा।

(3) लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह व्यक्ति की क्षमता को परखते हुए-

(क) लोगों की भर्ती इस तरह करे,ताकि सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, और

(ख) प्रतिनिधित्व घटने-बढ़ने पर वह देखें कि किस समुदाय को प्राथमिकता देनी चाहिए।

शर्त 6

पक्षपात अथवा हितों की अनदेखी का निराकरण

दलित जानते हैं कि आजादी के बाद सत्ता बहुसंख्यक रूढ़िवादियों के हाथ में ही होगी। दलितों को आशंका है कि ये बहुसंख्यक उनके साथ न्याय नहीं करेंगे। इस तथ्य पर भी ध्यान देना चाहिए कि दलितों को चाहे जितना प्रतिनिधित्व दे दिया जाए, वे सभी विधान-मंडलों में अल्पसंख्या में ही रहेंगे। दलित चाहते हैं कि संविधान में ऐसी व्यवस्था की जाए, ताकि उनके साथ पक्षपात या उनके हितों की अनदेखी न होने पाए। इसके लिए भारत के संविधान में निम्नांकित चीजें दर्ज की जाएं-

(1) भारत और उसके सभी प्रांतों के विधान-मंडलों, कार्यपालिकाओं और कानूनी मान्यता प्राप्त अन्य संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे शिक्षा, स्वास्थ्य-सफाई, नौकरियों में भर्ती व दलितों के राजनीतिक व सामाजिक उत्थान से संबद्ध अन्य मामलों में दलितों की भेदभाव रहित भागीदारी के लिए प्रावधान बनाएं।

(ब्रिटिश उत्तरी अमरीका अधिनियम, 1867, धारा 93)

(2) भारत में या उसके किसी प्रांत में जहां कहीं भी इस धारा का उल्लंघन होगा, दलितों को संबद्ध प्रांतीय अधिकारी या अधिकारियों के खिलाफ गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहां अपील करने का अधिकार होगा और यदि कोई केंद्रीय अधिकारी या प्राधिकरण इसका उल्लंघन करता है, तो भारत मंत्री के यहां अपील करने का अधिकार होगा।

(3) इस तरह के किसी भी मामले में यदि गवर्नर जनरल या भारत मंत्री को महसूस होता है कि प्रांतीय या केंद्रीय अधिकारियों, प्राधिकरणों ने इस धारा को ठीक से लागू करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए हैं, तो गवर्नर जनरल या भारत मंत्री खुद इस मामले में कोई आदेश जारी कर सकते हैं। इसके खिलाफ अपील सुनने वाला प्राधिकारी इस आदेश को मानने के लिए बाध्य होगा।

शर्त 7

विशेष विभागीय देखभाल

दलितों की वर्तमान दुर्दशा के लिए बहुसंख्यक रूढ़िवादी ही जिम्मेदार हैं। ये किसी भी

हालत में दलितों को अपने बराबर नहीं आने देंगे। यह कहना ही काफी नहीं है कि दलित बहुत गरीब हैं, भूमिहीन हैं, इस तथ्य को दृष्टिगत रखना चाहिए कि दलितों की दयनीय आर्थिक स्थिति का कारण यह है कि जीवन-यापन के सारे रास्ते उनके लिए बंद हैं और यह सब सामाजिक पूर्वग्रहों के कारण हैं। यह एक ऐसा तथ्य है, जो दलितों को अन्य सामान्य जातियों के श्रमिकों से अलग करता है। इसके चलते कई बार दलितों और अन्य निचली जातियों के बीच संघर्ष की नौबत तक आ जाती है। दलितों पर तरह-तरह के भयावह अत्याचार किए जाते हैं। दलितों में इतनी क्षमता नहीं है कि वे अपने लिए बचाव का रास्ता ढूंढ सकें। पूरे भारत में दलितों पर कैसे-कैसे अत्याचार किस-किस तरह किए जाते हैं, इसका ब्यौरा मद्रास सरकार राजस्व बोर्ड की रिपोर्ट (5 नवंबर 1882, संख्या 723) में है। इसका सारांश:

134. अत्याचार के अनेक तरीके हैं। पेरिया लोगों को मालिकों की बात न मानने पर-

(क) ग्राम पंचायतों या फौजदारी अदालतों में झूठे मुकदमें दर्ज कराए जाते हैं।

(ख) पेरिया लोगों की बस्तियों के आसपास की जमीन सरकार से पट्टे पर ले ली जाती हैं, जिससे पेरिया अपने पशुओं को वहां चरा न सकें या सवर्णों के मंदिर में प्रवेश न कर सकें।

(ग) पेरिया लोगों की जमीन हड़पने के लिए सरकारी दस्तावेजों में फर्जी नाम दर्ज करा दिए जाते हैं।

(घ) झोपड़ियां गिरा दी जाती हैं।

(ड.) पीढ़ियों से चली आ रही काश्तकारी से बेदखल कर दिया जाता है।

(च) फसलें काट ली जाती हैं और विरोध करने पर उल्टा पेरिया लोगों के खिलाफ चोरी और दंगे के मुकदमें दायर कर दिए जाते हैं।

(छ) सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया जाता है और बाद में इस पर,जो चाहे लिखकर पेरिया लोगों को सताया जाता है।

(ज) खेतों में पानी ले जाने से रोका जाता है।

(झ) ब्याज नहीं चुकाने पर बिना किसी कानूनी नोटिस के पेरिया लोगों की संपत्ति कुर्क कर ली जाती है।

135. वैसे इस तरह के अत्याचारों के खिलाफ न्याय पाने के लिए दीवानी और फौजदारी अदालतें हैं, लेकिन ये दलितों की पहुंच से बहुत दूर हैं। अदालत में वही जा सकता है, जिसके पास वकील की फीस देने के लिए पैसा हो, अदालत तक जाने का किराया हो और लंबी अवधि तक मुकदमा लड़ने के लिए रोजी-रोटी का पक्का इंतजाम हो। दूसरी बात, ज्यादातर मामलों में निचली अदालत का फैसला ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इन निचली अदालतों में फैसला ज्यादातर भ्रष्ट अधिकारी, जो जमीदारों

की ही मदद करते हैं, उन्हीं के पक्ष में फैसला सुनाते हैं।

136. प्रशासन में इस वर्ग की पहुंच कितनी है, यह बताने की आवश्यकता नहीं। हर कार्यालय में ऊपर से नीचे तक इन्हीं के लोग भरे हैं। इस हालत में इनके हितों की अनदेखी कैसे हो सकती है। इस तरह का कोई प्रयास किया भी गया, तो ये अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर, उसे रुकवाने या निष्प्रभावी बनाने के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे।

इन सारे तथ्यों के मद्देनजर एक बात तो साफ हो गई है कि यदि दलितों को वास्तव में न्याय दिलाना है, तो यह दायित्व सरकार को लेना होगा। कुछ निश्चित नीतियां बनानी होंगी और उन पर अमल के तरीके तय करने होंगे। यह देखना सरकार की जिम्मेदारी होगी कि दलित भी औरों की तरह अपने अधिकारों का स्वतंत्र उपयोग कर पा रहा है या नहीं। जो भी बाधाएं हैं, उन्हें दूर करना सरकार का काम है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दलित चाहते हैं कि सरकार में एक अलग विभाग बनाया जाए। भारत सरकार पर ऐसा विभाग बनाने की कानूनी जिम्मेदारी डालने के लिए भारत सरकार अधिनियम में निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएं:

(1) नए संविधान के लागू होने के साथ ही भारत सरकार में दलितों के हितों की रक्षा और उनके उत्थान के लिए एक अलग विभाग बनाया जाए, जिसका प्रमुख एक मंत्री हो।

(2) मंत्री इस विभाग का कामकाज तब तक देखेगा, जब तक कि उसे केंद्रीय विधान-मंडल का विश्वास प्राप्त है।

(3) मंत्री का काम यह देखना होगा कि पूरे भारत में कहीं भी दलितों के साथ सामाजिक अन्याय, उनका शोषण और उत्पीडन न होने पाए। इस तरह के किसी भी मामले को रोकने के लिए,वह प्रभावी कदम उठाएगा। इसके अलावा, दलितों के उत्थान के लिए भी वह कदम उठाएगा।

(4) गवर्नर जनरल को कानूनी रूप से निम्नांकित अधिकार होंगे-

(क) दलितों के कल्याण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, इत्यादि से संबद्ध किसी अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों, जिम्मेदारियों को वह पूरी तरह या आंशिक रूप से मंत्री को सौंप सकता है।

(ख) प्रत्येक प्रांत में 'दलित वर्ग कल्याण ब्यूरो' बना सकता है, जो मंत्री के अधीन काम करेगा और उसे सहयोग देगा।

शर्त 8

दलित वर्ग और मंत्रिमंडल

दलितों ने अपने हितों की रक्षा के लिए विधान-मंडल में प्रतिनिधित्व मांगा है। सरकार पर अपना प्रभाव डालने के लिए जितना जरूरी यह है, उतना ही आवश्यक है नीति निर्धारण में उनकी हिस्सेदारी। यह तभी संभव है, जब किसी दलित को मंत्रिमंडल में स्थान मिले।

दलितों की मांग है कि अन्य अल्पसंख्यकों की तरह दलितों का भी मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह दलितों का नैतिक अधिकार है। दलितों का प्रस्ताव है कि गवर्नर या गवर्नर जनरल मंत्रिमंडल में दलितों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। यह उनकी जिम्मेदारी होगी।

परिशिष्ट II

उप-समिति संख्या 3 (अल्पसंख्यक) की रिपोर्ट

ये दलित वर्गों के हितों से संबंधित रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ हैं, जो पूर्ण सम्मेलन की समिति द्वारा 19 जनवरी 1931 को अनुमोदित किए गए हैं

3. उप-समिति के समक्ष रखे गए मुख्य प्रस्तावों में से एक यह था कि संविधान में मूल अधिकारों की घोषणा शामिल की जाए, जिसके अनुसार विभिन्न समुदायों के सांस्कृतिक तथा धार्मिक जीवन को सरंक्षण प्रदान किया जा सके और प्रत्येक व्यक्ति को बिना प्रजाति, जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के आर्थिक, सामाजिक तथा नागरिक अधिकार दिलाए जाएं (डा. अम्बेडकर ने संविधान में मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक व्यवस्थाओं को शामिल करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिनमें उनके उल्लघंन किए जाने पर निवारण का अधिकार भी शामिल हो)।

4. हालांकि यह सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया था कि संयुक्त स्वतंत्र निर्वाचक-मंडल की प्रणाली लोकतांत्रिक सिद्धांतों के सर्वथा अनुकूल है, जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है और कुछ ही दिनों की संक्रमण अवधि के बाद वह दलित वर्गों को स्वीकार्य होगी, बशर्ते कि मताधिकार वयस्क मताधिकार पर आधारित हों। किंतु यह भी विचार व्यक्त किया गया कि भारत में समुदायों के वितरण और उनके आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रभाव के असमान होने के कारण इस बात का खतरा है कि ऐसी प्रणाली के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को,जो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, वह सर्वथा अपर्याप्त होगा और ऐसी प्रणाली सामुदायिक सुरक्षा नहीं दे पाएगी।

5. अत: विभिन्न समुदायों ने यह मांगें की हैं कि प्रतिनिधित्व और स्थानों के नियत अनुपात का प्रबंध किया जाए। यह भी अनुरोध किया गया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या किसी जनसंख्या में उसके अनुपात से किसी भी स्थिति में कम नहीं होनी चाहिए। इसे सुनिश्चित करने के मुख्य रूप से तीन तरीके हो सकते थे: (1) नामांकन, (2) संयुक्त निर्वाचक-मंडल जिनमें स्थानों का आरक्षण हो, और (3) पृथक निर्वाचक-मंडल।

8. चर्चा से यह बात स्पष्ट हो गई कि केवल एक मांग,जिसे आम स्वीकृति प्राप्त हो

पाएगी, पृथक निर्वाचक-मंडल की मांग है। इस योजना पर जो सामान्य आपत्ति उठी थी, उस पर पहले ही भारत में बहुत चर्चा हो चुकी है। इसमें एक ऐसी समस्या निहित है, जिसका समाधान बहुत कठिन है, अर्थात् वह है कि विभिन्न प्रांतों और केंद्र में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कितना हो, साथ ही यदि किसी विधान-मंडल में सभी या लगभग सभी स्थान समुदायों को सौंप दिए जाएं, तो स्वतंत्र राजनीतिक मत अथवा असल राजनीतिक दलों के विकास की कोई गुजांइश नहीं रहेगी और दलित वर्गों के प्रतिनिधियों द्वारा इस समस्या के उठाए जाने पर यह और भी जटिल हो गई कि उन्हें हिंदू जनसंख्या में से घटाकर निर्वाचन संबंधी प्रयोजनों के लिए पृथक समुदाय माना जाए।

12. उप-समिति संख्या 2 (प्रांतीय संविधान) की इन सिफारिशों पर आम सहमति थी कि महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक समुदायों की प्रांतीय कार्यपालिकाओं में प्रतिनिधित्व का नए संविधान के सफल कार्यान्वयन के लिए सबसे अधिक महत्व है और इस पर भी सहमति व्यक्त की गई थी कि उसी आधार पर मुसलमानों को संघीय कार्यपालिकाओं में भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। इसमें डा. अम्बेडकर ने 'मुसलमानों के बाद' 'और अन्य महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक' शब्द जोड़े। छोटे समुदायों की ओर से प्रांतीय और संघीय कार्यपालिकाओं में व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से अपने प्रतिनिधित्व के लिए मांग की गई और यदि उस प्रकार का प्रतिनिधित्व संभव न हो,तो प्रत्येक मंत्रिमंडल में एक मंत्री हो, जिसे अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने का दायित्व विशेष रूप से सौंपा जाए।

13. जहां तक प्रशासन का संबंध है, इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि प्रांतीय तथा केंद्रीय सेवाओं की भर्ती लोक सेवा आयोगों को सौंप दी जाए और उन्हें यह अनुदेश दिए जाएं कि वे लोक सेवाओं में विभिन्न समुदायों के संमुचित तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व के दावेदारों की भर्ती करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अर्हता का उचित मानदंड बरकरार रखा जाए।

16. यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार यदि समुदायों पर कोई ऐसा निर्वाचन सिद्धांत आरोपित करेगी,जिसके किसी-न-किसी अंश से असहमति की आशंका हो, तो उसका वे विरोध करेंगे। इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो गई कि सहमति न होने की स्थिति में पृथक निर्वाचक-मंडल, चाहे उनमें कितनी ही कमियां या कठिनाइयां क्यों न हों, नए संविधान के अधीन निर्वाचन व्यवस्थाओं के आधार के रूप में बनाए रखे जाएंगे। इससे अनुपात का प्रश्न उपस्थित होगा। ऐसी परिस्थितियों में दलित वर्गों के दावों पर पर्याप्त रूप से विचार किया जाना आवश्यक होगा।

18. अल्पसंख्यक तथा दलित वर्ग अपने उस दावे पर अटल थे कि यदि उनकी मांगें उचित रूप से पूरी न की गईं,तो वे भारत के स्वशासन के किसी संविधान पर सहमत नहीं होंगे।

5

उप-समिति संख्या 6
(मताधिकार)

दूसरी बैठक—22 दिसंबर 1930

डा. अम्बेडकर*: मैं समझता हूं कि इस गोलमेज सम्मेलन में केवल दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जाएगा। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या भारत को उत्तरदायी शासन सौंप दिया जाए?और दूसरा प्रश्न यह है कि वह शासन किसके प्रति उत्तरदायी होगा?

पूर्ण अधिवेशनों में सभी ने एक स्वर से यह मांग की थी कि भारत में उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए और मैंने उस पूर्ण अधिवेशन में दलित वर्गों की ओर से बोलते हुए विरोध पक्ष में बैठे अपने मित्रों की भारत के लिए उत्तरदायी सरकार की मांग का समर्थन किया था। लेकिन ऐसा करते हुए मुझे यह ख्याल था कि मेरे हम वतन साथी, जो इस गोलमेज सम्मेलन में अपने देश का प्रतिनिधित्व करने आए हैं, वे न केवल उत्तरदायी भारत सरकार की मांग करने में एक जुट हैं, बल्कि इस संबंध में भी उनमें मतैक्य है कि वह सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होगी।

महोदय! मुझे यह कहते हुए खेद है कि मुझे भ्रांति हुई। मैं अब देख रहा हू कि हम में से कुछ लोगों की यह इच्छा होगी कि मैं और अन्य कुछ लोग डोमिनियन स्टेटस की मांग में उनका साथ दें, वे हमारी इस मांग में हमारा समर्थन नहीं करेंगे कि उस डोमियन स्टेटस के अधीन,जो सरकार बनाई जाएगी, वह भारत की जनता के प्रति कुल मिलाकर उत्तरदायी होगी। मैंने कभी यह सोचा ही नहीं था कि ऐसा मतभेद हो जाएगा और मुझे उस स्थिति का पक्षपोषण करना होगा, जो हमने अपनाई है ।

महोदय! अब मैं दलित वर्गों की ओर से बोलते हुए ईमानदारी के नाते उत्तरदायी सरकार या डोमियन स्टेटस के लिए तब तक सहमत नहीं हो सकता, जब तक मुझे यह विश्वास

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज), पृ. 28-35,
इस उप-समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे-
'पुरुषों तथा महिलाओं के लिए मताधिकार किन मुख्य सिद्धांतों पर आधारित होगा'।

न हो जाए कि जिन लोगों की ओर से मैं बोल रहा हूं, उन्हें उस संविधान में स्थान मिलेगा। मुझे अपने सभी मित्रों को यह बात स्पष्ट रूप से बता देनी चाहिए कि क्योंकि मेरे कुछ मित्रों ने वयस्क मताधिकार के प्रस्ताव पर आपत्ति की है, इसलिए उसके विरोध में,जो तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, मैं उन पर चर्चा करना चाहूंगा।

एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि हमें इस देश में निर्धारित इस पूर्वोदाहरण को स्वीकार कर लेना चाहिए कि वयस्क मताधिकार चरणबद्ध ढंग से किया जाना चाहिए। यह सुझाव दिया गया है कि हमें उन्हीं चरणों को अपना लेना चाहिए, जो इस देश में 1832 से 1918 तक अपनाए गए थे। जिन लोगों ने यह रुख इस देश में मताधिकार दिए जाने के राजनीतिक इतिहास को दृष्टिगत रखकर अपनाया हैं, वे शायद यह समझते हैं कि अंग्रेजों ने 1832 के बाद से जनता को मताधिकार देने के लिए जो कदम उठाए थे, वे किसी दार्शनिक प्रक्रिया अपनाने का परिणाम थे। उन्होंने पहले से ही यह निर्णय कर लिया था कि हमें 1832 में सीमित संख्या में ही लोगों को मताधिकार देना चाहिए, क्योंकि अन्यथा ऐसा करना दार्शनिक दृष्टि से गलत होगा, उन्हें अगला कदम 1866 के बजाए 1868 में ही उठाना चाहिए। और बाद में अगला कदम 1866 में नहीं, बल्कि 1867 में उठाना चाहिए और इसी प्रकार उससे अगला कदम 1867 में न उठाकर 1884 में उठाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि,जो इस प्रकार का तर्क देते हैं, उनका यह विश्वास है कि इस तथ्य के पीछे कोई दार्शनिक विश्वास काम कर रहा था। लेकिन मैं अपने उन मित्रों को यह बता देना चाहता हूं कि यदि आप इंग्लैंड के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें, तो आप देखेंगे कि न केवल ब्रिटिश लोगों द्वारा उठाए गए कदमों के निर्धारण के पीछे कोई दार्शनिक विश्वास नहीं था, बल्कि मताधिकार के प्रश्न पर इसी देश में महज दलगत राजनीति के मामले के रूप में उस पर विचार किया गया था। प्रत्येक दल ने मताधिकार के विस्तार या प्रयत्न इसलिए किए कि उसने सोचा कि राजनीतिक नारे के रूप में इसका इस्तेमाल करने से उस दल का प्रभाव-क्षेत्र बढ़ेगा और उस दल को बल मिलेगा। शायद यह बात मेरे मित्र को चौंकाए, जिन्होंने इसी तर्क का प्रयोग किया और मुझे यह कहने में भी संकोच नहीं कि वे इसका हमेशा इस्तेमाल करते हैं और उन्हें इससे एक प्रकार की संतुष्टि होती है और वे यह महसूस करते हैं कि उन्होंने हमारे मार्ग में एक असाध्य बाधा उपस्थित कर दी है। हमें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इंग्लैंड की जनता को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की दिशा में उठाए गए कदमों में वह एक था, जो उदारवादियों अथवा उग्र सुधारवादियों ने नहीं, बल्कि इसी देश की अनुदार सरकार ने उठाया था।

अपने मित्र से जो दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि क्या उनका हमसे कहने का यही अभिप्राय है कि इस देश में मताधिकार सीमित था और इसी कारण उस मताधिकार के अंतर्गत,जो सरकार बनी वह अच्छी सरकार थी, यानि ऐसी सरकार जिसका लक्ष्य लोगों का कल्याण और जनता की खुशहाली थी। क्या अपनी बात से वह यही निष्कर्ष

निकालना चाहते हैं कि मताधिकार सीमित था, इसलिए कहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई और उस देश में हरेक नागरिक उससे संतुष्ट था। निश्चय ही ऐसा नहीं था, यदि मेरे मित्र लार्ड शैफ्ट्सबरी की जीवनी और इग्लैंड के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करें, तो उन्हें निश्चित रूप से यह पता चल जाएगा कि अनसुधरी संसद किसी के लिए वरदान सिद्ध नहीं हुई थी।

तीसरी बात जिसकी ओर मैं अपने मित्र का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वह यह है कि यदि वास्तव में उनके कथन में गंभीरता है और वह जो कुछ कहते हैं, उस पर वास्तव में उनका विश्वास भी है कि वह भारत की जनता मताधिकार की पात्र नहीं है, तो उनके लिए इसके सिवाय कोई चारा नहीं कि वह भारत लौट जाएं और औपनिवेशिक दर्जे या उत्तरदायी सरकार की मांग न करे, क्योंकि यह निश्चित है कि यदि यह एक ऐसे सज्जन का मत है, जो इस बात की वकालत करता है कि भारतीय जनता मताधिकार का प्रयोग करने की पात्र नहीं है, शासन की जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेने के योग्य नहीं हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि वह किसके नाम पर उत्तरदायी सरकार की मांग करते हैं। क्या वह इस वर्ग के लिए? क्या अपने लिए? आखिर यह है किसके लिए? मेरी समझ में उत्तरदायी सरकार और औपनिवेशिक दर्जे के पक्ष में केवल एक ही दलील आती है और वह यही मान्यता है, जो किसी भी दलील का आधार बनती है कि भारत की जनता सरकार का दायित्व उठाने के लिए सर्वथा योग्य है। यदि मेरे मित्र को यह मानते है कि भारत की जनता उस दायित्व का निर्वाह करने के लिए सक्षम नहीं है, तो इससे केवल यही निष्कर्ष निकलता है कि भारत की जनता को न तो औपनिवेशिक दर्जा दिया जाना चाहिए और न ही कोई जिम्मेदारी।

दूसरा तर्क यह दिया गया है कि यद्यपि वयस्क मताधिकार एक आदर्श हो सकता है, किंतु उसे इस समय लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास उसे कार्यरूप देने के लिए आवश्यक तंत्र मौजूद नहीं है। वैसे तो मेरी इस तर्क के साथ पूरी सहानुभूति है, लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि इस मत के विरोध में भी कुछ बातें हैं। आइए, यह देखें कि मताधिकार का वास्तव में अर्थ क्या है। जाहिर है कि मताधिकर का अर्थ केवल मत पेटी मात्र नहीं है, न इससे तात्पर्य मतदान के केंद्र और वहां मतदान अधिकारियों को बैठाने से है। मताधिकार का तात्पर्य उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बातों से है। महोदय! मेरी समझ में मताधिकार का अर्थ आत्मरक्षा के अधिकार के अलावा और कुछ नहीं है, इसका अर्थ यह है कि आप एक ऐसे विधान-मंडल का निर्माण करेगें, जो ऐसे अनेक कानून पारित करेगा, जो जनता के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रभावित करेगें। यदि विधान-मंडल को इन सर्वाधिक महत्व के मामले में आपके जीवन को प्रभावित करने की वह शक्ति प्राप्त होगी, तो यह निश्चित है कि प्रत्येक व्यक्ति को, जो उस विधान से प्रभावित होगा, ऐसे कानूनों के खिलाफ अपने बचाव की शक्ति होनी चाहिए, जो हो सकता है, उसकी स्वतंत्रता का हनन

करते हों, उसके जीवन और उसकी सपंत्ति पर आघात करते हों। यह केवल मत पेटी का प्रश्न नहीं है, न ही वह मतदान केंद्रों का प्रश्न है।

मुझे इसे प्रकारांतर से कहने की अनुमति दें। यदि मैं मताधिकार का सही अर्थ समझता हूं,तो मैं यह भी जानता हूं कि यह उन शर्तों के नियमन का अधिकार है, जो समाज में सम्मिलित जीवन यापन की शर्तें होती हैं और यही मताधिकार का सार है। जब आप किसी व्यक्ति को मताधिकार देते हैं,तो उससे आपका मंतव्य यही होता है कि आप उसे उन शर्तों के नियमन का अधिकार प्रदान कर रहे हैं, जिनके अनुसार आचरण करके वह समाज में अन्य व्यक्तियों से संबंध रखते हुए जीवन यापन करेगा। अत: मताधिकार का यदि यही अर्थ है, तो जाहिर है कि यह नहीं हो सकता कि आप उच्च वर्गों, जिन्हें बुद्धिजीवी के नाम से पुकारा जाता है, या धनी वर्गों को तो सहयोजित जीवन की शर्तों को नियमित करने का अधिकार दें और निम्न वर्गों को, उससे वंचित कर दें। उन्हें भी सहयोजित जीवन की शर्तों के नियमन का अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रकार यदि एक पूंजीपति को, यदि किसी संविधान के तहत इस बात का अधिकार दिया जाता है कि वह सहयोजित जीवन की शर्तें श्रमिकों पर लागू करे, तो उसी प्रकार श्रमिकों को भी उन शर्तों के नियमन का अधिकार मिलना चाहिए, जिसके अनुसार वह अपने पूंजीपति स्वामी के साथ रह सकें। यह एकतरफा सौदा नहीं हो सकता, न ही इसे एकतरफा सौदा होना चाहिए। यदि आप मताधिकार शब्द का सही अर्थ समझते हैं, तो मुझे लगता है कि मताधिकार कुछ ऐसी चीज है, जिसे राज्य के प्रत्येक व्यक्ति का जन्मजात अधिकार माना जाना चाहिए और यदि आप समझते हैं कि मताधिकार प्रत्येक पुरूष या स्त्री का, जो उसे समझ सकता है, जन्मजात अधिकार है,तो आप लोगों के उस जन्मजात अधिकार को अपने प्रशासन की सुविधा का आश्रित नहीं बना सकते। मेरे मित्र ने यह तर्क दिया है कि हमें वयस्क मताधिकार इसलिए स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि हमारे यहां मतदान केंद्रों और मतदान अधिकारियों की व्यवस्था नहीं है। मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय उनकी क्या स्थिति होगी, जब उन्हें यह बताया जाए कि उनके साथ किसी व्यक्ति ने अन्याय किया है और यदि वे अपना मामला न्यायालय में ले जाएं,तो उन्हें निश्चय ही सफलता मिलेगी, लेकिन उन्हें न्याय इसलिए नहीं मिल पाया कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। यह स्थिति उन्हें कैसी लगेगी? जाहिर है, यदि मताधिकार जन्मजात अधिकार है और यदि उस मताधिकार को व्यावहारिक रूप देने में कुछ प्रशासनिक कठिनाइयां हैं,इसका इलाज यह तो नहीं हो सकता कि मताधिकार दिया ही न जाए। बल्कि होना,तो यह चाहिए कि उसके लिए आवश्यक तंत्र की व्यवस्था की जाए,जिससे कि प्रत्येक पुरुष या स्त्री,जो उस मताधिकार से लाभान्वित होने के पात्र हैं, उसे कार्य रूप प्रदान कर सकें।

महोदय! मुझे लगता है कि मताधिकार देने में,जो कठिनाइयां पैदा होती हैं और जिनकी

ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, उनके दो भिन्न स्रोत हैं। हमें बताया गया है कि भारत के निर्वाचन-क्षेत्र बहुत विस्तृत हैं और जैसा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट से जाहिर होता है, उनका स्वरूप बहुत ही विस्मयकारी है। कहा जाता है कि इस समय विद्यमान निर्वाचन-क्षेत्रों में यदि निर्वाचकों की संख्या बढ़ा दी जाए, तो समूचा व्यवस्था-तंत्र भरभरा कर औंधे मुंह गिर पड़े। मेरा इस सम्मेलन से एक ही निवेदन है कि इस कठिनाई को तो आसानी से दूर किया जा सकता है और मेरी दृष्टि में उसका यही तरीका हो सकता है। मेरे विचार में इस कठिनाई का बड़ा कारण आपकी वर्तमान विधान परिषदों की रचना और संख्या है। वह रचना इतनी ज्यादा सीमित है कि आपके पास इतने बड़े-बड़े निर्वाचन-क्षेत्र रखने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं हैं। मुझे लगता है कि संख्या की दृष्टि से प्रांतों में विधान-मंडलों के सदस्यों की वर्तमान संख्या हास्यास्पद है। तनिक उन आंकड़ों की ओर ध्यान दें। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए, तो मद्रास, बंगाल और संयुक्त प्रांत की जनसंख्या कमोवेश वही है, जो फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन और इटली की है। मद्रास की विधान परिषद में 132 सदस्य हैं, बंगाल की विधान परिषद में 140 सदस्य हैं, संयुक्त प्रांत की विधान परिषद में 123 सदस्य हैं। इसके विपरीत फ्रांस के अवर सदन में 626 सदस्य हैं, ग्रेट ब्रिटेन में लगभग 600 से अधिक है और इटली में 560 सदस्य हैं। दूसरी ओर बंबई और पंजाब को लें, जो जनसंख्या के मामले में कमोवेश एक जैसे ही हैं। बंबई में 114 सदस्य हैं। पंजाब में 94 हैं। बंबई और पंजाब की जनसंख्या कमोवेश स्पेन के बराबर है, यदि आप स्पेन के अवर सदन को ही लें, तो आप देखेंगे कि उसमें 417 सदस्य हैं। मैं जानता हूं कि अब उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन वह दूसरी बात है। यहां मामला संविधान का है। फ्रांस में यह मौजूद है, जहां इसमें सदस्यों की भारी संख्या है। इसके बाद मध्य प्रांत को ही लें, जहां की विधान परिषद में 73 सदस्य हैं। मुझे विदित है कि मध्य प्रांत की जनसंख्या यूगोस्लाविया की जनसंख्या के बराबर है। यूगोस्लाविया में 313 सदस्य हैं। असम में 73 सदस्य हैं, जब कि जनसंख्या में वह पुर्तगाल के बराबर है और पुर्तगाल में 146 सदस्य हैं।

अब जाहिर है कि यदि आप लोगों की इतनी भारी संख्या में लोगों को विधान परिषदों में, जिनमें सदस्यों की संख्या 140 से अधिक नहीं है, भरना चाहेंगे तो इसका यह परिणाम होगा कि आपको बहुत बड़े निर्वाचन-क्षेत्र बनाने पड़ेंगे। आप विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाने से क्यों डरते हैं? यदि आप उससे न डरें और दूसरे देशों का इस संबंध में अनुसरण करें, तो आप निश्चय ही निर्वाचन-क्षेत्रों का आकार आसानी से कम कर सकेंगे और ऐसा करके उन कठिनाइयों में से एक पर विजय पा सकेंगे, जो वयस्क मताधिकार को लेकर आ खड़ी हुई हैं।

दूसरी कठिनाई जिसकी ओर संकेत किया गया था, वह यह थी कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में मतदान अधिकारी नहीं हैं। मेरी दृष्टि में यह कठिनाई भी कोई बहुत गंभीर नहीं

है। मेरा ख्याल है कि यदि भारत में जितने भी कालिज छात्र हैं, उन्हें निर्वाचन विभागों में नौकरी दे दी जाए,तो यह कठिनाई बहुत आसानी से दूर की जा सकती है। मेरे विपक्ष में बैठे कुछ मित्र इस पर हंस रहे हैं, लेकिन इसमें हंसने की कोई बात मेरी समझ में तो आती नहीं। मैं जानता हूं और यह एक तथ्य है कि जनगणना के समय कालिज और स्कूल के सभी विधार्थी गणना करने में जनगणना विभाग की सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए यदि चुनाव के दिन यही प्रणाली अपना ली जाए, सभी छात्रों से इस काम में सहायता के लिए कहा जाए और मुझे इसमें लेशमात्र संदेह नहीं है कि वे विभाग की सहायता के लिए आगे आएंगे, तो हमें निश्चित रूप से इससे कहीं अधिक मतदान अधिकारी मिल जाएंगे, जितनों की ऐसे अवसरों पर आवश्यकता पड़ती है।

अत: मैं समझता हूं कि वर्तमान स्थिति में जो कठिनाइयां हैं, वे दुरुस्त नहीं हैं। यह मैं विपक्ष में बैठे अपने उन मित्रों को बता रहा हूं, जिन्हें इसी कारण से वयस्क मताधिकार पर आपत्ति है। उन्होंने जो रुख अपनाया है, वह मुझे कुछ अजीब सा लगता है। जब ब्रिटिश शिष्टमंडल का कोई सदस्य कोई कठिनाई उठाते हुए यह कहता है कि भारत के रास्ते में अनेक कठिनाइयां हैं और इसलिए भारत को डोमियन स्टेटस दर्जा या उत्तरदायी सरकार नहीं मिलनी चाहिए, तो जो सज्जन मेरे सामने बैठे हैं, उन अंग्रेज महाशय को, उन कठिनाइयों को अनुचित लाभ नहीं उठाने देगें और तत्काल उन्हें झिड़क देगें, 'आप हमारे दावों को दबाने के लिए कठिनाइयों की दुहाई क्यों देते हैं? ये ऐसी कठिनाइयां नहीं कि जिनका सामना न किया जा सके।' मैं भी उन महाशय से यही कहना चाहता हूं कि हम जो इस पक्ष में बैठे हैं, आपको इस कठिनाई का लाभ नहीं उठाने देंगे। हम तो कहते हैं कि अगर हमारे हाथों में सत्ता देने के मार्ग में कुछ कठिनाइयां हैं, भी तो उनका हल तलाश किया जाए। हम आपको स्थिति का अनुचित लाभ कदापि नहीं उठाने देंगे।

महोदय! अब तक मैं उन दलीलों पर बहस कर रहा था, जो वयस्क मताधिकार के विरोध में पेश की गई हैं। अब मैं एक-दो ऐसे तर्क प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो मेरी राय में वयस्क मताधिकार के पक्ष में हैं और जिन्हें मैं समझता हूं कि वे कमोवेश निर्णायक हैं। पहला तर्क जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं वह यह है कि आप भारत में ऐसी कोई मताधिकार प्रणाली नहीं ला सकते, जो वयस्क मताधिकार से किसी भी तरह कम हो, जिसमें भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व न दिया गया हो। भारत के लिए आप किसी ऐसी अन्य प्रणाली की कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसकी यही परिणति हो। उदाहरण के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों को ही लें। बंगाल और पंजाब में मुसलमानों का बहुमत है। सिंध में भी, बंबई को छोड़कर, मुसलमान बहुसंख्यक हैं। अब देखते हैं कि इन प्रांतों में मुस्लिम समुदायों की क्या स्थिति हैं? मैं यह प्रश्न टोह लेने के लिए कर रहा हूं, मेरे मुस्लिम मित्र शायद इससे कुछ भिन्न रुख अपनाएं; मैं इसे एक समस्या के रूप में पेश कर रहा हूं। हमारी

आज की मताधिकार प्रणाली के अधीन इन प्रांतों में मुस्लिम समुदायों की क्या स्थिति है? सिंध में तो मुसलमानों की संख्या लगभग 70 प्रतिशत है, लेकिन इसके बावजूद यदि मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो उनमें से मतदाता केवल 49 प्रतिशत ही हैं। उदाहरण के लिए फिर तनिक बंगाल और पंजाब की ओर मुड़ें, वहां भी मुसलमानों की जनसंख्या अधिक है और फिर भी मतदाता सूची में वे अल्पमत हैं। दलित वर्गों पर फिर से विचार कर लिया जाए। वर्तमान मताधिकार प्रणाली में वे निर्वाचन-मंडल में कहीं भी नहीं हैं।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार की मताधिकार प्रणाली अत्यंत अपमानजनक है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि भारतीय समाज की रचना कई जातियों और मतों के लोगों से हुई है और वे जातियां और धर्म एक दूसरे के साथ उर्ध्वाधर लंब के रूप में जुड़े हुए नहीं हैं, जिससे कि यदि आप इस पिंड को किसी भी बिंदु पर काटें तो,आपको वह भाग मिलेगा,जो सभी समुदायों का समान रूप से प्रतिनिधि है। इसके विपरीत यदि मुझे ऐसा कहने की अनुमति हो कि वे इस प्रकार जुड़े हुए हैं कि उनके समानांतर लाभ क्षैतिज रूप में एक-दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ताकि यदि आप किसी भी बिंदु पर उसे काटें, तो आपके हाथ वह भाग आएगा, जो केवल एक ही समुदाय और अधिकाधिक दो का प्रतिनिधि होगा और शेष को कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं होगा। स्पष्ट है कि आप राजनीतिक नहीं प्रशासन की कोई ऐसी प्रणाली शुरू करना चाहते हैं, जिसमें केवल कुछ जातियों या गिने-चुने समुदायों की ही प्रधानता हो। यह भी निश्चित है कि आप भारत में दक्षिण अफ्रीका जैसी व्यवस्था शुरू करना चाहते, जहां केवल कुछ लोगों को मताधिकार दिया जाए और शेष को उससे वंचित कर दिया जाए। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि यदि आप प्रत्येक व्यक्ति को मताधिकार देने में दिलचस्पी रखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति को राजनीतिक मताधिकार देना चाहते हैं, ताकि वह अपना भाग्य स्वयं बना सके, तो आप भारत में वयस्क मताधिकार के अलावा मताधिकार की कोई दूसरी प्रणाली नहीं ला सकते।

मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। मैं यह निवेदन करूं कि मैं नारी मताधिकार का विरोधी नहीं हूं और मैं अपनी महिला सहकर्मी श्रीमती सुब्बरायन का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस मामले में हमारा समर्थन किया है। मैं जी-जान से उनके साथ हूं। मैं यहां एक-दो उदाहरण देकर यह बताना चाहता हूं कि मताधिकार को बढ़ाने और उसे व्यापक रूप प्रदान करने के लिए कौन-कौन से सुझाव दिए गए हैं। यह सुझाव दिया गया है कि देश में साक्षर मताधिकार होना चाहिए। मैं इसे विचित्र मताधिकार तो नहीं कहूंगा, अलबत्ता इसके प्रभाव से आपको अवगत अवश्य करना चाहूंगा। इसका प्रभाव यह होगा कि कुछ समुदायों के मतदाताओं की संख्या तो दुगुनी हो जाएगी, जबकि दूसरे समुदाय जहां हैं, वहीं बने रहेंगे। साक्षरता का भारत में ऐसा असमान वितरण है कि कुछ समुदायों के मताधिकार में तो भारी वृद्धि हो जाएगी, जब कि दूसरे समुदायों की स्थिति यथावत् बनी रहेगी। मुझे पूर्ण विश्वास

है कि आप ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे।

इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि यदि यह सम्मेलन और इस मेज के इर्द-गिर्द,जो सदस्य बैठे हैं, वे अपने विश्वास के प्रति सच्चे हैं, यह धारणा रखते हैं कि भारत को उत्तरदायी सरकार का अधिकार मिलना चाहिए, और शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प है ही नहीं।

महोदय! एक और तर्क है,जिसे मैं पेश करना चाहता हूं और मेरी दृष्टि में वह इस मामले में सबसे अधिक निर्णायक तर्क है। हम सभी यह जानते हैं कि निर्वाचक-मंडल संयुक्त हो या पृथक, यह बड़ा जटिल प्रश्न है और मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं इस सम्मेलन को यह बताना चाहता हूं कि मेरी राय में संयुक्त बनाम पृथक निर्वाचक-मंडल का प्रश्न मताधिकार के प्रश्न से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। आप भारत में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं पूछेंगे, आप भारत में किसी अल्पसंख्यक समुदाय पर दबाव नहीं डालेंगे और आपको भारत के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से इस प्रश्न पर सहमति नहीं मिलेगी कि वह संयुक्त निर्वाचक-मंडल के प्रस्ताव से सहमत हो जाए, जब तक कि उस अल्पसंख्यक समुदाय को आप वयस्क मताधिकार न दे दें। जब तक मुझे यह विश्वास न हो जाएगा कि मुझे चुनावों में निर्वाचन की वही शक्ति मिलेगी, जो मेरी सामाजिक शक्ति के अनुरूप है, तब तक मैं बहुमत की किसी भी सरकार का नियंत्रण या प्राधिकार मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जब तक मुझे यह पता नहीं चलता कि दलित वर्गों के समुदाय के प्रत्येक पुरुष को अपने मताधिकार का प्रयोग करने तथा उस प्रत्याशी के उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने का अवसर नहीं दिया जाएगा,जो देश की विशाल जनता का प्रतिनिधित्व करने जाता है, तब तक मैं निश्चयपूर्वक संयुक्त निर्वाचक-मंडल से सहमति व्यक्त नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मैं अपने आपको अल्पसंख्यकों की स्थिति में नहीं रखना चाहता, न ही मैं बहुसंख्यकों को अपना प्रत्याशी चुनने की अनुमति दूंगा। जी नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मेरा यह भी विचार है कि जो कुछ मेरे समुदाय के अल्पसंख्यकों के लिए सच है, वही मुसलमानों के लिए भी सच होगा। मैं यहां कोई ऐसी बात कहना नहीं चाहता,जो मुझे दूसरी समिति में कहनी है, लेकिन यह बात इतनी प्रासंगिक है कि मैं इसका उल्लेख किए बिना नहीं रह सकता। आपके लिए बंगाल या पंजाब के मुसलमानों के संयुक्त निर्वाचक-मंडल का प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए कहना भी उतना ही अनुचित होगा, यदि आप निर्वाचक-मंडल में उन्हें बहुमत का दर्जा न दें। आप मुसलमानों को मताधिकार देने से वंचित करके उन्हें निर्वाचन शक्ति में अल्पमत का दर्जा दें और फिर कहें, 'आइए, संयुक्त निर्वाचक-मंडल स्वीकार कीजिए' तो यह संभव नहीं हो सकता।

इस तथ्य की निर्णायकता नेहरू समिति और भारतीय केंद्रीय समिति के तीन सदस्यों ने स्वीकार की थी।

अपनी बहस समाप्त करने के पहले मैं अपने उन मित्रों से एक-दो बातें कहना चाहता हूं, जो हमें वयस्क मताधिकार देना नहीं चाहते। मैंने अपने भाषण के प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत को उत्तरदायी सरकार देने का प्रश्न पूर्णत: इस प्रश्न पर निर्भर नहीं है। हालांकि मैं जानता हूं कि 80 या 90 लोगों के इस सम्मेलन में,मैं और मेरे मित्र केवल दो ही है, लेकिन हम 4 करोड़ 30 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

दीवान बहादुर रामचंद्र राव : क्या डा. अम्बेडकर लार्ड जैटलैंड का प्रस्ताव स्वीकार करेगें?

डा. अम्बेडकर: हम प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि मेरे पास इस विषय पर,जो मैंने उठाया है, सैंकड़ों पत्र और तार आ रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

माननीय पी.सी. मित्तर: केंद्रीय विधान-मंडल के बारे में आपका क्या मत है? क्या आप वयस्क मताधिकार चाहते हैं और यदि हां तो विधान-मंडल का क्या आकार हो?

डा. अम्बेडकर: इस प्रश्न पर बाद में निर्णय किया जाएगा। जहां तक केंद्रीय विधान-मंडल का प्रश्न है, मेरी राय में उसमें 500 सदस्य होने चाहिए।

माननीय पी.सी. मित्तर: और वयस्क मताधिकार भी हो?

डा. अम्बेडकर: जी हां।

* * * *

*माननीय कावसजी जहांगीर**: बेगम साहिबा से क्षमा याचना करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के सभी सुझाव इस भावना से उद्भूत होते हैं कि मताधिकार ही परिषदों में प्रतिनिधित्व का आधार होता है। ऐसा ही सब देशों में है भी। लेकिन जहां हमने समुदायों के लिए वरीयता का सिद्धांत लागू कर दिया है, वहां मताधिकार के सिद्धांत की प्रासंगिकता नहीं है।

लेफ्टी. कर्नल गिडने: मैं एक ठोस सुझाव देना चाहता हूं और मेरा ठोस सुझाव है कि लार्ड जैटलैंड द्वारा सुझाई गई योजना को अपनाने के लिए हमें प्रत्यक्ष तथा परोक्ष, दोनों प्रकार के चुनाव कराने चाहिए। जहां तक प्रत्यक्ष चुनाव का संबंध है, मेरा सुझाव यह है कि मताधिकार को अब और व्यापक न बनाया जाए और वर्तमान मताधिकार यथावत् बना रहे।

डा. अम्बेडकर: जी नहीं।

लेफ्टी. कर्नल गिडने: ठीक है।

माननीय कावसजी जहांगीर: चुनाव से विधान-मंडल के लिए कुछ प्रतिनिधि शहरी और ग्रामीण, दोनों निर्वाचन-क्षेत्रों से चुनकर आ जाएंगे, लेकिन अधिसंख्य लोग प्रत्यक्ष मत से वंचित रह जाएंगे और इसलिए जनसंख्या के उस समूचे खंड के लिए मताधिकार को व्यापक बनाया जाए। यह वयस्क जनता के 25 प्रतिशत के आधार पर किया जाए और यह

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज)*, पृ. 68-69

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में परोक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करें। मैं इन दोनों में कोई अंतर नहीं करता। इससे औद्योगिक और कृषि मजदूर, दोनों शामिल हो सकेंगे।

डा. अम्बडेकर : इसमें कोई शामिल नहीं होगा।

* * * *

*डा. अम्बेडकर** : महोदय! आज सबेरे मैंने मताधिकार के प्रश्न पर जो कुछ कहना आवश्यक था, वह कह दिया था। लेकिन सबेरे मैंने जो कुछ कहा, उसमें कोई परिवर्तन किए बिना मैं उन सुझावों की पड़ताल करना चाहता हूं, जो मताधिकार को विस्तृत बनाने के उद्देश्य से इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे। मेरा ख्याल है कि समिति में इस बात पर सहमति है कि वयस्क मताधिकार ही श्रेष्ठ है। हममें से कुछ का विचार है कि इसे तत्काल अपना लिया जाए, जबकि हमारे शेष मित्र चाहते हैं कि इसे चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाए। इस संबंध में हमारे सामने दो ठोस सुझाव हैं। एक सुझाव तो यह है कि हमें किस्त पद्धति अपनानी चाहिए और कुछ वर्षों के अंतराल पर मतदाता-सूची में 25 प्रतिशत वृद्धि करते रहना चाहिए, ताकि मताधिकार और व्यापक होता जाए। दूसरी ओर हमारे मित्र नोबल मार्कवेस आफ जैटलैंड का सुझाव हमारे समक्ष है, जिसमें वयस्क मताधिकार के आदर्श की प्राप्ति पर बल दिया गया है।

इन दोनों सुझावों की तुलना करते हुए मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि मैं नोबल लार्ड का पक्षधर हूं, हालांकि जैसा कि मैं कह चुका हूं, मेरा यह दृढ़ विचार है कि हमें ऐसा वयस्क मताधिकार चाहिए, जिसमें कोई काट-छांट न की गई हो। यदि इन दोनों में केवल विकल्प का प्रश्न होता, तो निश्चित रूप से ऐसी प्रणाली को पसंद करता, जो उस प्रणाली के बजाय जो जनता के केवल एक वर्ग को तो औना-पौना मताधिकार देती और विशाल जनसमुदाय को स्वशासन का अधिकार देने का निर्णय किसी और समय के लिए टाल देती, उस प्रणाली को वरीयता देता, जो तत्काल वयस्क मताधिकार की आधारशिला रखने का संकल्प करती। लेकिन यह कहने के बाद भी मैं उस सुझाव का पूरे मन से समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इसमें कुछ कठिनाइयां दिखाई देती हैं। लेकिन चूंकि मेरा विचार है कि नोबल मार्कवेस हमारी उन कठिनाइयों को, जो हम अनुभव कर रहे हैं, दूर करने में हमारी सहायता को आएंगे, इसलिए मैं एक-दो बातें कहना चाहता हूं। एक तो यह कि यदि समूहों द्वारा निर्वाचन की यह प्रणाली अपना ली जाती है, तो मुझे लगता है कि ऐसी प्रणाली से दलित वर्गों को शायद कुछ विशेष लाभ नहीं पहुंचेगा। मेरे इस कथन का यह कारण है कि दलित वर्ग सारे भारत में फैले हुए हैं और हर गांव में उनकी संख्या थोड़ी ही है, उनके जीवन पर लगभग सभी ओर से गांव वालों के सशक्त संगठनों का प्रभुत्व है, जो सामाजिक

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज)*, पृ. 72-73

तथा आर्थिक दृष्टि से उन पर हावी हैं, यह संभव है, बल्कि मैं समझता हूं कि ऐसा ही होगा कि जब भी यह परोक्ष निर्वाचन उन पर लागू किया जाएगा, ग्रामीण समुदाय दलित वर्गों पर इतना जबरदस्त दबाव डालेंगे कि प्राथमिक निर्वाचन में अपना मत देते समय उन्हें ऐसे लोगों को चुनने पर बाध्य होना पड़ेगा, जो उनके सबसे अच्छे प्रतिनिधि नहीं हैं। सच तो यह है कि मुझे इसी बात का डर है।

दूसरी बात जो मैं देख रहा हूं वह यह है कि यदि इस प्रणाली को किस्तों के रूप में मतों के विस्तार की चरणबद्ध प्रणाली पर वरीयता देकर अपनाया जाना है, तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि हम उसे केवल धनी वर्ग या किसी दूसरे वर्ग तक ही क्यों सीमित रखें? मैं समझता हूं कि हम उस प्रणाली का इस ढंग से क्यों न विस्तार करें कि वयस्क मताधिकार इस प्रणाली की आधारशिला बन जाए?

एक सदस्य: यही तो हमारा उद्देश्य है।

डा. अम्बेडकर: यह सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई कि जहां तक उन कठिनाइयों का सवाल है, जिनकी ओर संकेत किया गया है कि उससे पृथक निर्वाचक-मंडल का मामला और पेचीदा हो जाएगा, मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परोक्ष निर्वाचन की स्थिति में भी आप ऐसे समुदायों के लिए, जो चाहते हों, पृथक रजिस्टर भी रख सकते हैं। मैं नहीं समझता कि उससे इस मामले में कोई कठिनाई होगी।

लेकिन, जैसा कि मैंने कहा है, जब तक यह न जान लें कि इस सिद्धांत पर किस तरह अमल किया जाएगा और इस का संपूर्ण ब्यौरा हमारे सामने न आ जाए, हम इसका समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ठोस सुझाव यह है कि यह समिति इस प्रणाली पर सोच-विचार करने और उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक उप-समिति नियुक्त करें, ताकि हमें इसकी सम्यक् जानकारी मिल जाए और हम बेहतर ढंग से इसकी सिफारिश मताधिकार समिति से कर सकें , जो आगे चलकर इस प्रणाली की रूपरेखा तैयार करे। मेरा विचार है कि इस योजना को सच्चे रूप में स्वीकृति दे देना कुछ मुश्किल जान पड़ता है, नोबल लार्ड मुझे इस अभिव्यक्ति के प्रयोग के लिए क्षमा करें। वैसे भी यह कार्य इतना विशाल है कि हममें से शायद ही कोई इसे अपना सके और यदि मैं अपने ही बारे में कहूं, तो इस सिद्धांत को समर्थन देना संभव नहीं है।

* * * *

श्री बसु :* क्या अधिकतम संख्या देने की कोई आवश्यकता है, जब कि मताधिकार समिति तो होगी ही और उसे ही इस समस्या पर विस्तार से विचार करना है। मैं समझता हूं कि हमें न्यूनतम संख्या ही लेनी चाहिए और वह पर्याप्त होगी। जहां तक अधिकतम का प्रश्न है, उसका निर्णय उन्हीं पर छोड़ दिया जाना चाहिए।

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज)*, पृ. 74 75

डा. अम्बेडकर: मैं आपके संक्षेपण के पहले पैरा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आपने जो पैरा तैयार किया है, उसमें यह उल्लेख भी कर दिया जाए कि समिति की यह राय थी कि प्रशासन तथा तंत्र के मद्देनजर मताधिकार के विस्तार को सीमित कर देना चाहिए। हमारी दृष्टि में तो यही एकमात्र परिसीमन था।

माननीय सी. सीतलवाड: यह केवल प्रशासन की ही बात नहीं है, इसमें कुछ अन्य कारण भी हैं।

श्रीमती सुब्बरायन: व्यावहारिक क्या है?

डा. अम्बेडकर: व्यावहारिक से तात्पर्य तंत्र है। मेरा कहने का मतलब है कि समिति में यह निर्णय हो सकता है कि वर्तमान तंत्र को देखते हुए 50 प्रतिशत लोगों को ही मताधिकार दिया जाना चाहिए।

श्री जफरुल्ला खां: आपका मतलब कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत है?

डा. अम्बेडकर: जी हां।

श्री जफरुल्ला खां: वह तो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार से कुछ ज्यादा ही होगा।

अध्यक्ष: यह सुझाव दिया जाता है कि हमें अधिकतम को निकाल देना चाहिए। सारा मामला विशेष समिति पर निर्भर है कि वह उसे व्यवहार्य और वांछनीय समझती है या नहीं, इसलिए अधिकतम पर बल देने की आवश्यकता को छोड़ ही दिया जाए। क्या आपमें से कोई यह चाहते हैं कि इसे मैं दुबारा पढ़कर सुनाऊं?

श्री के. टी. पाल: यदि आप 25 प्रतिशत इसलिए निकाल देना चाहते हैं कि इससे हमारा बयान कमजोर पड़ जाए, तो मैं इससे सहमत नहीं हूं।

अध्यक्ष: इससे वह कमजोर नहीं पड़ता।

श्री चिंतामणि: ऐसे मामलों में प्राय: यह देखा गया है कि जब न्यूनतम की बात की जाए, तो व्यावहारिक रूप में वह अधिकतम ही हो जाता है। यदि हम अपनी रिपोर्ट में 10 प्रतिशत की संख्या का निर्देश करें, तो उससे गठित मताधिकार समिति यही समझेगी कि यदि वे हमें अधिकाधिक दस प्रतिशत भी दिला दें, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हममें से जिन्होंने 25 प्रतिशत की संख्या का उल्लेख किया है, वह तो वर्तमान स्थिति और वयस्क मताधिकार के बीच एक प्रकार के असंतोषप्रद समझौते के रूप में ही किया है। यदि आप इसे निकाल दें, तो मुझे उससे खुशी नहीं होगी।

श्री फुट: श्री चिंतामणि ने वयस्क जनता का 25 प्रतिशत बताया है न?

श्री चिंतामणि: कुल जनता का।

श्री फुट: क्षमा कीजिए।

श्री जोशी: महोदय। मुझे यह कहते हुए खेद है कि आप रिपोर्ट में यह न लिखें कि सुझाव सर्वसम्मत हैं, क्योंकि मैं इससे सहमत नहीं हूं और मैं पूर्ण सम्मेलन में वयस्क मताधिकार

के प्रश्न को फिर से उठाने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता हूं।

डा. अम्बेडकर: मेरी भी यही स्थिति है।

श्री जोशी: इसे रिपोर्ट में दर्ज कर दिया जाए।

* * * *

डा. अम्बेडकर *: यह दूसरा सबसे अच्छा विकल्प होगा, बशर्ते कि हम यह जान पाएं कि यह सफल हो जाएगा। (सभी को वयस्क मताधिकार)।

अध्यक्ष: इस शर्त के अलावा बाकी मुद्दों पर क्या समिति के शेष सदस्य सहमत हैं?

माननीय कावसजी जहांगीर: मैं 25 प्रतिशत की इस संख्या से सहमत नहीं हूं। हमें तो सभी तथ्य मिलने चाहिए।

अध्यक्ष: हम यह सुझाव रख रहे हैं कि विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए।

माननीय पी. सी. मित्तर: जब तक हमें तथ्यों की जानकारी न हो, हमारे लिए प्रतिबद्ध होना उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष: अपना काम विशेषज्ञों की मताधिकार समिति को सौंप देने से हमारा काम नहीं चलेगा। हम एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हैं कि हमें कोई न कोई सिफारिश करनी पड़ रही है और हम यह भी नहीं कह सकते कि हम सिफारिश केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमारा अपना काम कोई और संभाल ले।

माननीय पी.सी. मित्तर: मैं सिर्फ अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूं। मैं तो मताधिकार समिति को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वृद्धि होनी चाहिए और जितनी वृद्धि संभव हो, उतनी होनी चाहिए और मुझे 10 या 20 या 50 प्रतिशत की वृद्धि पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी, बशर्ते कि मुझे सभी तथ्यों की पहले से जानकारी हो, जिनके आधार पर मैं अपनी राय कायम कर सकूं।

अध्यक्ष: माननीय प्रोवेश! क्या आप कोई ऐसी शर्त रखना चाहते हैं कि कोई भी सिफारिश, चाहे वह अधिकतम से संबद्ध हो या न्यूनतम से, इसका निर्णय मताधिकार समिति पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए? मेरा विचार है कि हमें समिति का कुछ मार्गदर्शन जरूर करना चाहिए। लेकिन हम अपनी मंजिल के काफी करीब पहुंच गए हैं, और आप से बाद में इस विषय पर बातचीत करना चाहेंगे।

श्री चिंतामणि: महोदय! मैं नहीं जानता कि आप उस सुझाव से, जो मैं देने वाला हूं, सहमत होगें या नहीं। लेकिन हमारे पास एक और महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह है कि मताधिकार समिति को ऐसी शर्तें पेश करनी चाहिए, जिनसे यथासंभव यह सुनिश्चित किया जा सके कि विभिन्न समुदायों में मतदाताओं और जनता में वही अनुपात बना रहे। यह प्रस्ताव साइमन कमीशन ने रखा था और इसका कई स्थानीय सरकारों ने समर्थन भी किया है। क्या उसे नया

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज)*, पृ. 76-78

प्रस्ताव माना जा सकता है? यदि मताधिकार समिति उसे संभाव्य न माने, तो वह अस्वीकार कर देगी।

अध्यक्ष: मेरा ख्याल है कि यह अगले शीर्ष के अंतर्गत आता है, यानि 'मताधिकार का सामान्य आधार। (i) क्या मताधिकार संबंधी योग्यताएं एक ही क्षेत्र में सभी समुदायों के लिए समान हों?' मैं आपका ध्यान 'एक ही क्षेत्र में' की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। फिलहाल हमें नारी मताधिकार या उसी प्रकार के अन्य विषय नहीं उठाने चाहिए।

माननीय पी.सी. मित्तर: आपने जो व्यवस्था दी, उससे मुझे लगा कि विशेष हित और सामुदायिक हित अल्पसंख्यक समिति के अंतर्गत आते हैं।

अध्यक्ष: हमें उसके संबंध में कल के बाद और कुछ जानकारी मिलेगी। इस समय तो हम मताधिकार के सामान्य आधार पर चर्चा कर रहे हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि सभी समुदायों के लिए समान अर्हताएं रखी जाएं या नहीं।

दीवान बहादुर रामचंद्र राव: आपने कहा था कि आप प्रधानमंत्री से बात करके हमें बताएंगे कि यह मामला हमारी समिति के अधिकार क्षेत्र में आता है या किसी दूसरी के।

डा. अम्बेडकर: मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं हालांकि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार के बारे में इस समिति के कुछ सदस्यों ने यह बताया है कि यह फिलहाल न संभव है और न ही व्यावहारिक, लेकिन मेरा विचार है कि इस समय दलित वर्गों के लिए वयस्क मताधिकार का प्रश्न,तो विचारार्थ उठाया ही जा सकता है। उदाहरण के लिए इस मत का कोई औचित्य नहीं है कि सभी समुदायों के लिए एक ही प्रकार का मताधिकार हो, बल्कि सच तो यह है कि ऐसे भी मामले होंगे, जो हम जीवन के व्यावहारिक विषयों में देखते हैं कि हैसियत में समानता प्राप्त करने के लिए हमें असमानता के तरीके अपनाने पड़ते हैं। उदाहरण के लिए अधिक धनवान या तुलना में अधिक निर्धन वर्ग के साथ व्यवहार के मामले में हम बाद वाले के साथ कुछ विशेष रियायत बरतते हैं। हम धनी वर्ग पर निर्धन की अपेक्षा ऊंची दर पर कर लगाते हैं और इसका मंतव्य यही होता है कि कर अदा करने की योग्यता के सिद्धांत को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाए। मैं समझता हूं कि यही सिद्धांत दलित वर्गों पर भी लागू किया जाए। यदि समिति का यही उद्देश्य है कि निर्वाचक-मंडल में सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व समान अनुपात में होना चाहिए, तो कोई कारण नहीं है कि एक वर्ग के लोगों के साथ दूसरे वर्ग के लोगों से भिन्न व्यवहार न किया जाए,यदि भिन्न प्रकार का व्यवहार ही उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकमात्र साधन हो। मुझे लगता है कि यदि उदाहरण के लिए वयस्क मताधिकर दलित वर्ग पर ही लागू होता, दूसरे समुदायों पर नहीं लेकिन दूसरे समुदायों की अपनी प्रणाली थी,जैसा कि लार्ड जैटलैंड ने संकेत दिया है- तो वास्तव में इसे अन्तर कहा ही नहीं जा सकता और न ही ऐसा करने से प्रांतों में उपलब्ध निर्वाचन तंत्र पर भी कोई भारी दबाव नहीं पड़ता,क्योंकि दलित वर्गों की वैसे भी विशिष्ट

स्थिति थी और फिर इस संबंध में भी मतैक्य था कि मताधिकार की कोई दूसरी प्रणाली उन्हें मत नहीं देगी और फिर बिना मत के कोई भी उम्मीदवार जो इस समय विधान-मंडल के लिए खड़ा होगा उनके प्रति किसी सहानुभूति का भाव प्रकट नहीं करेगा। मैं समझता हूं कि यदि समिति इस सिद्धांत को दलित वर्गों पर लागू करने के तर्क को मान लें, तो इससे कोई भारी नुकसान नहीं होगा।

तीसरी बैठक—30 दिसंबर 1930

*अध्यक्ष**: अब हम शैक्षिक अर्हता के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको यह याद दिला दूं कि हम जिस दूसरे निष्कर्ष पर पहुचे थे, वह यह था: 'हम सिफारिश करते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में मताधिकार संबंधी अर्हता सभी समुदायों के लिए समान हो, लेकिन हमारी यह इच्छा है कि विशेषज्ञ मताधिकार समिति अपने प्रस्ताव रखते समय यह बात ध्यान में रखे कि आदर्श प्रणाली जहां तक संभव हो सकेगा,प्रत्येक समुदाय को उसकी जनसंख्या के अनुपात में मतों का वितरण करेगी और इस समिति को अपने मताधिकार का निर्धारण जहां तक व्यवहार्य हो इस प्रकार करना चाहिए कि उसका यही परिणाम हो।' मेरा विचार है कि यह एक आदर्श परामर्श है, लेकिन साथ ही जिस ढंग से इसे कार्य रूप देने की उनसे अपेक्षा की जाती है, उसके लिए यह आवश्यक है कि हम उन्हें कुछ स्वतंत्रता दें, यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। इसलिए शैक्षिक अर्हता आदि की समस्याओं पर विचार करते समय आपको यह याद रखना है कि यदि आपने मताधिकार समिति को इन बातों का ध्यान रखने के लिए विशिष्ट अधिकार नहीं दिया,तो आप उनके कार्य की संभावना को बढ़ाने की बजाए घटा देंगे।

डा. अम्बेडकर: महोदय! यदि अनुमति हो,तो मैं उस निष्कर्ष के संबंध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो आपने अभी पढ़ कर सुनाया है और जिस पर जैसा कि आपने बताया उपसमिति पहुंची है। क्या इस निष्कर्ष का यही निहितार्थ है कि मताधिकार समिति को विभिन्न समुदायों के लिए विभिन्न प्रकार के मताधिकार पर विचार करने और इस परिणाम पर पहुंचने की स्वतंत्रता होगी कि मतदाताओं की संख्या उन समुदायों की संख्या के अनुपात में होगी?

अध्यक्ष: मैं नहीं समझता कि यह सही है। हमें मताधिकार समिति का मार्गदर्शन भर करना है, ब्योरे के बारे में वह खुद निर्णय करेगी। हम तो मानों वास्तुकार हैं और वे राजमिस्त्री और भवन-निर्माता।

डा. अम्बेडकर: यह तो मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह निष्कर्ष मताधिकार समिति को यह स्वतंत्रता देता है कि यह समानता स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न समुदायों के लिए भिन्न-भिन्न मताधिकार की व्यवस्था करेगी।

**प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज)*, पृ. 94

अध्यक्ष: जी नहीं। पहले वाक्य में ही कहा गया है कि हमारी यह सिफारिश है कि किसी भी क्षेत्र विशेष में मताधिकार की अर्हता सभी समुदायों के लिए समान होनी चाहिए। अब हम शैक्षिक अर्हता पर अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं।

* * * *

*श्री जाधव**: क्या किसी विधान परिषद के पास यह शक्ति होगी कि वह दस वर्ष के बाद अपना निर्णय बदल दे और मताधिकार को सीमित कर दे। संभव है, उनमें से कुछ ऐसा ही करना चाहें।

अध्यक्ष: उनकी शक्तियां बढ़ाने के लिए होंगी, घटाने के लिए नहीं।

डा. अम्बेडकर: मैं इस विषय पर दो शब्द कहना चाहता हूं, जिसका अब तक अपनाए गए रुख पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि जो भी विकल्प अब तक सुझाए गए हैं, उनकी तुलना में एक सुझाव श्री जोशी ने दिया है कि ऐसा कानून बना दिया जाए, जिसमें अपने आप विस्तार की व्यवस्था हो और दूसरा जो मुख्य प्रस्ताव है, वह यह है कि यह मामला विधान-मंडलों की स्वेच्छा पर छोड़ दिया जाए। साइमन कमीशन ने, जो सिफारिशें की हैं, वे मुझे कहीं बेहतर लगती हैं, और मेरे दृष्टिकोंण से उन्हें अधिक तत्परता के साथ स्वीकार कर लिया जाना चाहिए। मेरा कहना है कि इससे भी कहीं बेहतर होगा कि एक ऐसे प्राधिकरण की स्थापना की जाए, जो एक निश्चित अवधि के बाद इस बात की जांच-पड़ताल करे कि इस अवधि तक मताधिकार के प्रयोग का क्या परिणाम हुआ है। वही संस्था यह भी जान पाएगी कि विभिन्न प्रांतों में किस प्रकार की असंगति हुई है। वही संस्था यह भी देखेगी कि दस वर्ष के अंत में वह कौन-सा तंत्र बच पाया है, जो मताधिकार के बदल दिए जाने पर चुनाव कराने का दायित्व संभाल सकता है, और वही संस्था, जो स्वयं निष्पक्ष होगी, उस विशाल जनता के अधिकारों को अधिक तत्परता के साथ दिला सकेगी और वह ऐसा उन लोगों की अपेक्षा कहीं अधिक न्यायपूर्ण और उचित ढंग से कर पाएगी, जिनमें वर्ग- चेतना प्रबल है और जिन्हें उस समिति में मताधिकार के फलस्वरूप नियुक्त कर दिया गया है, जिसे हम आज ला रहे हैं। इन्ही कारणों से मुझे लगता है कि साइमन कमीशन के प्रस्ताव उपर्युक्त विकल्पों से कहीं बेहतर हैं।

माननीय कावसजी जहांगीर: उस प्राधिकरण की स्थापना कौन करेगा?

डा. अम्बेडकर: जिस प्रकार संसद ने अधिनियम में यह सुझाव दिया था कि एक लोक सेवा आयोग होना चाहिए, उसी प्रकार यह सुझाव दिया जा सकता है कि एक समिति गठित की जाए।

माननीय कावसजी जहांगीर: केंद्रीय सरकार द्वारा?

डा. अम्बेडकर: जी हां।

**प्रोसीडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज)*, पृ. 138 39

अध्यक्ष: मैं समझता हूं कि अब इस विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए मुझे काफी जानकारी प्राप्त हो गई है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी क्या राय है? मेरा मतलब यह नहीं है कि हम यहां इसी समय यह सिफारिश कर दें कि कोई भी विशेषज्ञ मताधिकार समिति या कोई अन्य समिति 15 वर्ष के बाद गठित की जाए। लेकिन इस संभावना के मद्देनजर कि एक प्रांत अपने मताधिकार का दूसरे की अपेक्षा अधिक उदारता के साथ विस्तार कर ले, जिससे कि सारा मामला अस्तव्यस्त हो जाए, क्या हम किसी ऐसी संस्था के गठन की संभावना पर विचार कर सकते हैं, जो उस मामले को संभाल सके और प्रयत्न करके उनमें समायोजन कर सके, या हम सब कुछ प्रांतों पर छोड़ दें, या हम डा. अम्बेडकर द्वारा सुझाए गए समिति के विचार का अनुसरण करें? हमें यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह समिति बन चुकी है या वह कब बनेगी? लेकिन यह जरूर कह सकते हैं कि यदि वह बन गई, तो चलेगी भी?

श्री बसु: किसी भी समय जब केंद्र सरकार समिति नियुक्त करने की इच्छुक होगी।

अध्यक्ष: हम यह तो नहीं कह सकते कि वह कैसे नियुक्त होगी, लेकिन इस प्रकार की संस्था की नियुक्ति की संभावना के बारे में आपका क्या कहना है?

दीवान बहादुर रामचंद्र राव: मेरा विचार है कि भारत सरकार को ऐसी संस्था स्थापित करनी चाहिए, संसद को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।

डा. अम्बेडकर: लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है?

दीवान बहादुर रामचंद्र राव: हम इन सभी मामलों में बहुत अधिक स्वतंत्रता दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इन पर से संसद का नियंत्रण समाप्त कर दिया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि प्रस्ताव क्या है। यदि आप यह कहना चाहते हैं कि कुछ वर्षों के बाद भारत सरकार इस प्रकार की समिति नियुक्त करने में समर्थ होगी, जो समस्त प्रांतों में इस समस्या पर विचार कर सकेगी, तब तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि यह ऐसा प्रश्न हो कि जिस पर संसद को हर दस वर्ष बाद विचार करना होगा, तो मैं इस पर आपत्ति करता हूं। मुझे समिति की नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं है, जिसकी नियुक्ति से मताधिकार का विस्तार होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि समस्त शक्ति भारत सरकार में निहित हो और जब कभी आवश्यक हो, इसका प्रयोग उसी के विवेक के अनुसार किया जाए, कुछ निश्चित अवधि में या कुछ वर्षों के बाद।

डा. अम्बेडकर: इस बात का इस उप-समिति के कामों से क्या संबंध है, चाहे यह समिति संसद द्वारा नियुक्त की जाए या भारत सरकार द्वारा?

दीवान बहादुर रामचंद्र राव: हम प्राधिकार संसद से भारत को सौंप रहे हैं, क्योंकि 1919 में जब यह प्रश्न संसदीय समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ, तो मैंने और मेरे साथ कई दूसरों ने यह दावा किया कि इस प्रकार के प्रश्न तो भारत के प्राधिकारियों को सौंप दिए जाने चाहिए

और चूंकि इस पर कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए आज हमारे सामने मताधिकार से संबंधित अनेक शिकायतें हैं, जिनकी अब छानबीन हो रही है, और उनकी छानबीन इसलिए नहीं की जा सकी कि इसके लिए संसद की अनुमति लेना आवश्यक है। मेरा सुझाव है कि उस दिशा में जो कदम उठाया जाए, वह यह है कि समस्त शक्ति भारत सरकार को सौंप दी जाए, जिसका प्रयोग वह अपने विवेकानुसार मताधिकार के समस्त प्रश्न पर कार्रवाई करने के लिए कुछ वर्षों तक करती रहेगी। यही वह मुद्दा है, जिस पर बल देने की मेरी अब इच्छा है।

* * * *

*डा. अम्बेडकर**: अब यह मुझे और मेरे कुछ मित्रों को तो कम से कम स्पष्ट हो गया है कि हमें कुछ प्रस्तावों पर अपनी विमत टिप्पणी देनी होगी, जो उप-समिति के सामने रखी जाएगी। क्या हमें इसकी अनुमति होगी कि हम उन विभिन्न मुद्दों पर आपको विमत टिप्पणी प्रस्तुत कर सकें, जिसे आप कृपा करके रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दें या आप हमें कोई और पद्धति अपनाने की अनुमति प्रदान करेंगे?

अध्यक्ष: मेरा विचार है कि अभी तक तो किसी उप-समिति ने अल्पसंख्यक रिपोर्ट संलग्न की नहीं है। मैं समझता हूं कि उप-समिति की रिपोर्ट ही एकमात्र रिपोर्ट है, लेकिन उसी के मुखपृष्ठ पर यह निर्देश किया गया है कि कुछ सदस्यों ने, यदि जरूरी हो तो उनके नामों का उल्लेख कर दिया जाए, असहमति व्यक्त की है।

डा. अम्बेडकर: मैं आपकी अनुमति से एक नुकसान की ओर संकेत करना चाहूंगा, जो मुझे उस प्रक्रिया में दीख पड़ा है। यदि हमें अपनी विमत टिप्पणी देने की अनुमति नहीं मिलती, तो इसका यह मतलब होगा कि आप हमें अपने सुझावों को ठोस रूप में प्रस्तुत करने का अवसर नहीं देना चाहते, जो यदि हमें अनुमति मिल जाए,तो हम करना चाहते हैं। हमें तो यह कहने की नकरात्मक स्वतंत्रता मिली हुई है कि हम असहमत हैं और बस।

अध्यक्ष: मैं निश्चयपूर्वक यह नहीं कह सकता कि आपकी मांग पूरी हो सकती है या नहीं। मैं समझता हूं कि आपने अपनी आपत्ति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। आप दरअसल वयस्क मताधिकार चाहते हैं और मेरा ख्याल है कि उसमें एक वाक्य इस बात का निर्देश करता है कि हमारी उप-समिति के कुछ सदस्यों ने, जिनके नाम भी दे दिए गए हैं, इस पर इसलिए आपत्ति की है कि उनके विचार में वयस्क मताधिकार की प्रणाली ही एकमात्र संतोषजनक प्रणाली है। इसी से बात स्पष्ट हो जाती है।

डा. अम्बेडकर: हम जो कुछ करना चाहते हैं, वह रिपोर्ट पर निर्भर है।

अध्यक्ष: जब कठिनाई सामने आएगी, तब देखा जाएगा और तभी देखेंगे कि आपकी बात मानी जा सकती है या नहीं। मेरे विचार से मानी जा सकती है।

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज)* पृ. 147 48

चौथी बैठक-1 जनवरी 1931

मसौदा रिपोर्ट * — मुद्दा 4

4. *मताधिकार का विस्तार:* चूंकि इस बात पर आम सहमति थी कि वयस्क मताधिकार ही हमारा लक्ष्य है, जिसे अंततोगत्वा प्राप्त करना है, यह भी मान लिया गया कि मताधिकार का आधार तत्काल विस्तृत किया जाए और उसमें भारी वृद्धि की जाए।

इस बात पर कुछ मतभेद था कि वर्तमान परिस्थितियों में यह किस सीमा तक व्यवहार्य होगा और यह महसूस किया गया कि उप-समिति के पास यह निर्धारित करने के लिए ऐसे उपाय की क्या निश्चित सीमा हो, आवश्यक सामग्री नहीं है। सांविधिक आयोग ने सुझाव दिया कि निर्वाचकों की संख्या में इतनी वृद्धि की जाए, जो उस संख्या को जनसंख्या के दस प्रतिशत भाग तक पहुंचा दे। हमारे कुछ सदस्यों का विचार था कि वयस्क जनसंख्या में 25 प्रतिशत की वृद्धि तत्काल की जा सकती है।

हम सिफारिश करते हैं कि एक विशेष मताधिकार आयोग की नियुक्ति की जाए, जिसको मतदाताओं की संख्या में तत्काल वृद्धि करने की व्यवस्था करने के लिए अनुदेश दिए जाएं। इससे कुल जनसंख्या के कम से कम दस प्रतिशत भाग को उससे भी बड़ी संख्या को लेकिन कुल जनसंख्या के 25 प्रतिशत से अधिक मत नहीं देने का अधिकार दिलाया जा सकेगा, बशर्ते कि पूरी जांच पड़ताल के बाद ऐसा किया जाना व्यवहार्य और वाछंनीय प्रतीत हो।

हम सिफारिश करते हैं कि आयोग को इस वृद्धि की तत्काल व्यवस्था करने के अलावा ऐसी योजना शुरू करने पर विचार करना चाहिए, जिसके अनुसार सभी वयस्कों को जिन्हें प्रत्यक्ष मत देने का अधिकार नहीं है, बीस-बीस के प्राथमिक वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाए, ताकि प्रत्येक वर्ग से एक प्रतिनिधि सदस्य का चुनाव किया जा सके, जो प्रांतीय चुनावों में उन्हीं निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से अर्ह-मतदाताओं के रूप में या उनके लिए बनाए गए पृथक निर्वाचन-क्षेत्रों में मत देने का पात्र हो। श्री जोशी, श्री शिवराव, डा. अम्बेडकर और श्री श्रीनिवासन ने इन प्रस्तावों को 'अवर श्रेष्ठ' की कोटि में रखा है और उनका विचार है कि वयस्क मताधिकार का तात्कालिक प्रवर्तन व्यवहार्य भी है और वांछनीय भी।

माननीय कावसजी जहांगीर: माननीय पी.सी. मित्तर और श्री बसु हमारे सुझाए गए अधिकतम या न्यूनतम से सहमत नहीं हैं, बल्कि वे तो चाहते हैं कि मताधिकार आयोग का विवेकाधिकार सर्वथा स्वच्छंद हो।

मसौदा रिपोर्ट के मुद्दा सं. 4 पर चर्चा *

डा. अम्बेडकर: मैं पैराग्राफ 4 में एक संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहता हूं और वह

---

* *प्रौसीडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज)*, पृ. 149-50

यह है कि दूसरी धारा की पंक्ति 2 में 'यह किस सीमा' शब्दों के पहले 'वर्तमान परिस्थितियों में उपलब्ध निर्वाचन तंत्र के साथ' जोड़ दिया जाए। तब यह यों पढ़ा जाएगा- 'इस बात पर कुछ मतभेद था कि वर्तमान परिस्थितियों में यह किस सीमा तक व्यवहार्य होगा।'

अनेक सदस्य: अन्य कारण भी तो हैं।

डा. अम्बेडकर: यह मेरा संशोधन है। मैं यह अध्यक्ष महोदय पर छोड़ता हूं,क्योंकि समिति का जो अभिप्राय है वह उसे बेहतर ढंग से समझते हैं। लेकिन मेरे मस्तिष्क पर,जो प्रभाव पड़ा, वह यह था कि उन लोगों में से अधिसंख्य जिन्होंने सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को आसान भविष्य के लिए व्यावहारिक राजनीति समझ कर उसका विरोध किया था कि भारत में पर्याप्त निर्वाचन तंत्र का अभाव है, जो ऐसी स्थिति में निपटने के योग्य हो जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मत देने का अधिकार दिया गया हो।

अध्यक्ष: अब, डा. अम्बेडकर, मेरा अपना यह विचार है कि यही एकमात्र कारण नहीं था, जिस पर मामले की बुनियाद रखी गई हो। हां, यह मुख्य कारणों में से एक अवश्य था। लेकिन समिति के मत को अभिलिखित करते हुए मैं नहीं समझता कि हमें इतना ही कहकर रह जाना चाहिए कि वही एकमात्र कारण था। उदाहरण के लिए संचार संबंधी कठिनाइयों और यात्रा आदि की सुविधाओं का अभाव और उसी प्रकार के अन्य कारणों पर भी बल दिया गया था।

डा. अम्बेडकर: मैं तो यह चाहता हूं कि इसे रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से कह दिया जाए।

श्री जोशी: आप यही बात कुछ इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यह 'निर्वाचन संबंधी व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण है'।

माननीय कावसजी जहांगीर: लेकिन इस पर कुछ और आपत्तियां भी हैं।

श्री जोशी: हम सामान्य बहुमत की बात कर रहे हैं, उन लोगों की नहीं, जो सिद्धांत रूप में मत नहीं देना चाहते।

अध्यक्ष: मेरा विचार है कि जो कुछ पहले ही कहा जा चुका है, उसी से बात स्पष्ट हो जाती है। आखिर आपकी और श्री जोशी की बात टिप्पणी के अंत में आ जाती है।

डा. अम्बेडकर: जी हां, वह तो मैं समझ रहा हूं। हालांकि हम चाहते तो यही हैं कि आदर्श व्यवस्था हो जाए, लेकिन यह भी लगता है कि हमें दूसरे विकल्प पर ही सहमत होना पड़े, लेकिन हम चाहते हैं कि वह विकल्प जितना अच्छा बन सके, बनाया जाए। मैं समझता हूं मेरी बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए, ताकि विशेष मताधिकार समिति उस पर विचार कर सके।

अध्यक्ष: मैं नहीं समझता कि उससे समिति का बहुमत सहमत हो पाएगा। मेरा विचार

प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज), पृ. 152-54

है कि समिति के अधिसंख्य लोग यह महसूस करेंगे कि शब्दों को सशर्त न बनाया जाए।

अब यह बताइए कि अगले वाक्य के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो इस प्रकार शुरू होता है, 'हम सिफारिश करते हैं कि एक विशेष मताधिकार आयोग नियुक्त किया जाए जिसे अनुदेश दिए जाएं कि वह मतदाताओं की संख्या तत्काल बढ़ाने की व्यवस्था करे,ताकि उससे कुल जनसंख्या के कम से कम दस प्रतिशत,बल्कि इससे भी बड़े भाग को – लेकिन जो कुल जनसंख्या के बीस प्रतिशत भाग से अधिक न हो, मतदान का अधिकार प्राप्त हो। ऐसा तभी किया जाए,जब पूरी जांच-पड़ताल के बाद ऐसा करना व्यावहारिक तथा वाछंनीय जान पड़े।'

डा. अम्बेडकर: मैं पृष्ठ 3 पर एक संशोधन करना चाहता हूं। 'लेकिन नहीं' के स्थान पर 'बल्कि' रख दिया जाए।

अध्यक्ष: हममें से अधिसंख्य का, जिनमें मैं भी शामिल हूं, यह विचार था कि 25 प्रतिशत की तत्काल वृद्धि भी कुछ खींच-तान से ही की जा सकती है और इसलिए मैं समझता हूं हमसे इसे और अधिक खींचने का आग्रह नहीं किया जाना चाहिए, अब डा. अम्बेडकर!

डा. अम्बेडकर: मेरा दूसरा संशोधन यह है कि 'और वांछनीय' शब्द निकाल दिए जाए। यह मामला, चाहे जो वृद्धि भी वांछनीय हो या नहीं, ऐसा है जिसका निर्णय समिति को ही करना चाहिए। इसका निर्णय विशेषज्ञ मताधिकार आयोग नहीं कर सकता। आयोग की नियुक्ति तो इसलिए की जाती है कि वह उन निर्णयों को कार्य रूप देने के उपाय तलाश करे जो हमने किए हैं। यह मामला कि कितनी वृद्धि वांछनीय है,निश्चित रूप से ऐसा है,जो नए मताधिकार आयोग की सामर्थ्य पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस दृष्टि से देखा जाए,तो मेरे विचार में इन शब्दों को निकाल देना जरूरी है।

अध्यक्ष: क्या व्यवहार्य है और क्या वांछनीय, इन दोनों को अलग करना बहुत मुश्किल है। 'व्यवहार्य' शब्द में बड़ा लचीलापन है। इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम है या तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत आसान भी है, लेकिन इसे प्राप्त करना संभव भी हो सकता है और तब आप इसे व्यवहार्य कहते हैं। वांछनीयता पर विचार करते समय आप अपने मस्तिष्क से इस बात को नहीं निकाल सकते कि वह किस सीमा तक व्यवहार्य है। इन दोनों को किसी हद तक एक दूसरे के निकट आना ही होगा।

डा. अम्बेडकर: हमने यह निर्णय किया है कि हमारी राय में ऐसी वृद्धि जिसमें 25 प्रतिशत जनसंख्या आती हो, वांछनीय है।

अध्यक्ष: आपने 'व्यवहार्य' जैसे लचीले शब्द का प्रयोग किया है और यही मेरे लिए उलझन की बात है। आप इन दोनों शब्दों को एक दूसरे से अलग-अलग नहीं रख सकते। व्यवहार्य और वांछनीय अनयोन्याश्रित नहीं है और आपने ऐसे ही लचीले शब्द का प्रयोग किया है। मेरी राय में यदि दोनों शब्दों को वहां रख दिया जाए,तो बेहतर होगा। हमने शुरू

में ही यह कहकर अपना मत स्पष्ट कर दिया है कि हम वयस्क मताधिकार को एक आदर्श मानते हैं और उसकी कामना करते हैं।

* * * *

*अध्यक्ष** : अच्छा हो,यदि इस पर पंक्तिवार चर्चा करें। यदि कोई संशोधन पेश हो,तो कोई सज्जन टोकेंगे तो नहीं: 'हम सिफारिश करते हैं कि आयोग को इस वृद्धि की व्यवस्था के अलावा इस योजना के समावेश पर भी विचार करना चाहिए, जिसके अनुसार उन सभी वयस्कों को,जो प्रत्यक्ष मत के पात्र नहीं हैं 20-20 के प्राथमिक वर्गों में एकत्र कर लिया जाए', और उसके पहले इन शब्दों के समावेश का प्रस्ताव किया जाता है, 'या किसी अन्य उपयुक्त ढंग से'।

क्या इस पर कोई आपत्ति है?

'ताकि प्रत्येक वर्ग से एक प्रतिनिधि सदस्य का चुनाव किया जा सके,जिसे या तो उन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्यक्षत: अर्ह मतदाताओं या उनके लिए निर्मित पृथक निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रांतीय निर्वाचनों में मतदान करने की पात्रता प्राप्त हो।'

'(श्री जोशी, श्री शिवा राव, डा. अम्बेडकर और श्री श्रीनिवासन इन प्रस्तावों को केवल 'दूसरा सबसे अच्छा विकल्प' मानते हैं और उनका विचार है कि वयस्क मताधिकार का प्रवर्तन व्यवहार्य और वांछनीय, दोनों है)।'

डा. अम्बेडकर: मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री के. टी. पाल की भी वही राय है,जो मेरी है।

अध्यक्ष: इसे नोट किया जाएगा।

श्री जोशी: मेरा प्रस्ताव है कि 'दूसरा सबसे अच्छा विकल्प' के स्थान पर 'सर्वथा अपर्याप्त' शब्द रख दिए जाएं।

अध्यक्ष: यह तो वास्तव में आप महानुभावों के सोचने की बात है। यदि आप 'दूसरा अच्छा विकल्प' के स्थान पर 'सर्वथा अपर्याप्त' रखना चाहते हैं, तो यह आपकी इच्छा पर निर्भर है। अत: प्रस्ताव यों पढ़ा जाएगा: 'श्री जोशी, श्री शिवा राव, डा. अम्बेडकर, श्री श्रीनिवासन और श्री के. टी. पाल इन प्रस्तावों को सर्वथा अपर्याप्त मानते हैं और उनका मत है कि वयस्क मताधिकार का प्रवर्तन व्यवहार्य भी है और वांछनीय भी।'

श्री जाधव: इस सूची में मेरा नाम भी लिख लीजिए।

अध्यक्ष: इसे नोट कर लिया जाएगा। आगे यह लिखा जाएगा, 'माननीय कावसजी जहांगीर, पी.सी. मित्तर और श्री बसु हमारे सुझाए गए न्यूनतम या अधिकतम से सहमत नहीं हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि मताधिकार आयोग का विवेकाधिकार सर्वथा स्वच्छंद होना चाहिए।' जाहिर है कि यह मामला ऐसा है,जिस पर वे जो चाहें कह सकते हैं।

* * * *

**प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज)*, पृ. 159

*अंध्यक्ष**: छोटे समुदायों को वास्तव में मतदाताओं की संख्या से इतना संरक्षण नहीं मिलता जितना उनके प्रतिनिधियों की संख्या से मिलता है,चाहे उनके पृथक निर्वाचक-मंडल अथवा उनके संयुक्त निर्वाचक-मंडल हों। जिनमें आरक्षण का प्रावधान हो। वही उनका मुख्य संरक्षण है।

लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए क्या हम 'प्रत्येक समुदाय' शब्द का प्रयोग करने के बजाए यह नहीं कह सकते,जो श्री चिंतामणि ने मुझे बताया था, 'हमारी यह इच्छा है कि मताधिकार आयोग को अपना प्रस्ताव रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आदर्श प्रणाली बड़े समुदायों को यथासंभव आनुपातिक संख्या में मत प्रदान करेगी', आदि। मैं समझता हूं,इससे काम चल जाएगा।

माननीय कावसजी जहांगीर: 'दो बड़े समुदाय।'

अध्यक्ष: इनका तर्क यह है कि ये अपने आपको बड़े समुदायों के साथ सीमित नहीं करना चाहते, बल्कि वे उसे इस प्रकार पेश करना चाहते हैं कि ये केवल बड़े समुदायों के संबंध में ही सिफारिश कर रहे हैं, छोटे समुदाय उनकी सिफारिशों की परिधि में आते ही नहीं। क्या आप उनसे इस मामले में सहमत हैं?

माननीय कावसजी जहांगीर: यह बहुत खतरनाक बात है। जब आप पृथक निर्वाचक-मंडल की बात करते है, तो हमारे तो पृथक निर्वाचक-मंडल है ही नहीं और न ही हम उन्हें चाहते हैं।

डा. अम्बेडकर: इसका अर्थ यह है कि बड़े निर्वाचक-मंडल की सुविधा को बनाए रखने के लिए मताधिकार अधिसंख्य जनता को नहीं दिया जाना चाहिए। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि मतदाताओं की संख्या के अनुपात में माननीय कावसजी जहांगीर की जनसंख्या के वर्तमान अनुपात को बनाए रखने के लिए देश के अन्य लोगों को मतदाताओं की सूची में होना ही नहीं चाहिए।

माननीय कावसजी जहांगीर: मेरे कहने का केवल यह अर्थ है कि छोटे-छोटे समुदायों को खतरा नहीं होना चाहिए।

डा. अम्बेडकर: मताधिकार जब भी घटाया जाएगा,आपकी स्थिति तो निस्संदेह खतरे में पड़ जाएगी और यदि आप यह महसूस करते हैं कि अन्य मतदाताओं के अनुपात में आपका स्थान नीचे आ जाएगा,तो आपकी सुरक्षा इसी में है कि या तो आप बहुमत पर विश्वास रखें या पृथक निर्वाचक-मंडलों की मांग करें। लेकिन आप यह नहीं कह सकते: 'चूंकि हमें नीचे ढकेल दिया जाएगा, हम डूब जाएंगें। इसलिए अन्य समुदायों को यह लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।' आपके तर्क से सिर्फ यही अर्थ निकलता है और कोई नहीं।

माननीय कावसजी जहांगीर: मैं यह तो नहीं कह रहा।

अध्यक्ष: मेरा ख्याल है कि हमें अपना निष्कर्ष ही निकालना होगा। याद रखिए हमने

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज)*, पृ. 171-72

वयस्क मताधिकार को इसलिए माना है कि हम उसे एक आदर्श समझते हैं, हम रिपोर्ट का वह भाग स्वीकार कर चुके हैं। मैंने इन शब्दों का सुझाव दिया है, "कम से कम बड़े समुदायों को यथासंभव आनुपातिक संख्या में मत प्रदान करेगी"।

सबसे पहले तो मैं समिति से कहूंगा कि ये शब्द ज्यों के त्यों रहे, 'यदि संभव हुआ तो प्रत्येक समुदाय को देगी'। इसका कौन विरोधी है?

इस बात को नोट किया जाएगा कि माननीय कावसजी जहांगीर, कर्नल गिडने और सरदार उज्जवल सिंह बाद वाले भाग से असहमत हैं।

डा. अम्बेडकर: यदि आप इसे मताधिकार समिति के समक्ष रखना चाहते हैं, तो हम अब भी यही कहना चाहेंगे कि हमारी दृष्टि में वयस्क अधिकार का सिद्धांत दलित वर्गों पर लागू किया जाए।

अध्यक्ष: वह तो हमारे पास पहले से ही है।

श्री फुट: अन्यथा आप प्रत्येक पैराग्राफ में एक पूरक वाक्यांश जोड़ देंगे।

अध्यक्ष: यह हम हर बार नहीं कर सकते।

श्री जाधव: ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण तथा बंबई के विभिन्न समुदाय, दलित वर्ग और शेष सभी को शामिल किया जाए।

अध्यक्ष: हम इस पर विचार नहीं कर सकते।

(डा. अम्बेडकर का आग्रह था कि पैरा 13 से उनकी असहमति को अभिलिखित किया जाए।)

* * * *

*श्री फुट**: मुझे केवल एक ही बात कहनी है। वयस्क मताधिकार की मांग पर आधारित सामान्य आपत्ति को देखते हुए, क्या आपको प्रत्येक पैरा को नोट करना आवश्यक है? क्या अंत में कोई सामान्य टिप्पणी नहीं होगी, जिसमें श्री जोशी और उनके सहयोगियों की आपत्ति का उल्लेख होगा?

अध्यक्ष: मेरे ख्याल में आपके लिए वही बेहतर होगा। मैं आपका दृष्टिकोंण भली प्रकार समझता हूं।

डा. अम्बेडकर : मैं यह आप पर छोड़ता हूं।

अध्यक्ष: यदि मुझे यह कहने दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि यदि उदाहरण के लिए आपके कथन से यह आभास हो कि आपको महिलाओं के मत पर आपत्ति है, तो आपकी बात गिर जाएगी।

डा. अम्बेडकर: हमारे पास उसके लिए बहुत ठोस कारण हैं। हम मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार हैं और उस आधार पर जो भी आपत्ति उठाई जाएगी, हम उससे निपट सकते हैं। सैद्धांतिक रूप में हमें महिलाओं के बारे में कोई आपत्ति नहीं है।

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज)*, पृ. 175-76

श्री जाधव: 25 प्रतिशत का अधिकतम तो महिलाओ को मिल जाएगा और उसके बाद मताधिकार को और घटाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

पूर्ण सम्मेलन की समिति

उप-समिति संख्या 6 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का सार*
(मताधिकार—16 जनवरी 1931)

(डा. अम्बेडकर के प्रस्तावों से संबंधित कुछ पैराग्राफ)

उप-समिति ने निम्नलिखित पैरा के अनुसार सिफारिश की:

पैरा 4. (1) कि एक विशेषज्ञ मताधिकार आयोग की नियुक्ति की जाए, जिसे ये निर्देश दिए जाऐं कि वह निर्वाचक-मंडलों में तत्काल वृद्धि की व्यवस्था करे, ताकि वह कुल जनसंख्या कम से कम दस प्रतिशत को, बल्कि इससे अधिक लेकिन कुल जनसंख्या के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं--को मताधिकार दिलाए बशर्ते कि पूरी जांच-पड़ताल के बाद ऐसा करना व्यवहार्य और वांछनीय हो।

(2) कि इस वृद्धि की व्यवस्था के साथ-साथ आयोग को ऐसी योजना शुरू करने की संभावना पर विचार करना चाहिए, जिससे उन सभी वयस्कों को, जो प्रत्यक्ष मत के पात्र नहीं हैं, 20-20 के प्राथमिक वर्गों में या किसी अन्य उपयुक्त ढंग से वर्गीकृत किया जाए, ताकि प्रत्येक वर्ग से एक प्रतिनिधि सदस्य का चुनाव किया जा सके, जो प्रांतीय चुनावों में प्रत्यक्ष अर्ह मतदाताओं के रूप में उन्हीं निर्वाचन-क्षेत्रों अथवा उनके लिए बनाए गए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में मत देने के पात्र होंगे।

(श्री जोशी, श्री शिवा राव, डा. अम्बेडकर, श्री श्रीनिवासन, श्री के.टी. पॉल और श्री जाधव इन प्रस्तावों को सर्वथा अपर्याप्त मानते हैं और उनका मत है कि वयस्क मताधिकार तत्काल शुरू किया जाना व्यवहार्य भी है और वांछनीय भी।)

पैरा 7. उप-समिति की यह राय थी कि मताधिकार आयोग को मतदान के लिए अतिरिक्त अर्हता के रूप में उपयुक्त शैक्षिक अर्हता तैयार करने की संभावना पर विचार करना चाहिए।

पैरा 8. उप-समिति ने इस पर सहमति व्यक्त की कि वर्तमान सैनिक सेवा की अर्हता कायम रखी जाए और यह सिफारिश की कि मताधिकार आयोग को इस अर्हता के विस्तार पर विचार करना चाहिए ताकि सहायक तथा प्रादेशिक बलों में सेवा को शामिल किया जा सके।

पैरा 9. उप-समिति इस बात से सहमत हुई कि महिलाओं के लिए विशेष अर्हताएं

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं. 6 (फ्रेन्चाइज)*, पृ. 178-79

निर्धारित की जाएं और यह सिफारिश की कि मताधिकार आयोग को इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए और उपलब्ध संस्था, सांविधिक आयोग की सिफारिशों तथा उप-समिति में प्रस्तुत इस सुझाव को देखते हुए सांविधिक आयोग के प्रस्तावों में उल्लिखित आयु सीमा को 25 से घटाकर 21 कर दिया जाए।

(श्री जोशी, श्री शिवा राव, डा. अम्बेडकर और श्री श्रीनिवासन पैराग्राफ 7,8, और 9 में दिए गए प्रस्तावों से असहमत हैं।)

पैरा 13. उप-समिति का विचार था कि मताधिकार के स्वयमेव विस्तार का कार्यक्रम निर्धारित करना उचित नहीं है। उसने इस बात को वरीयता दी कि यह प्रश्न प्रत्येक प्रांतीय विधान सभा पर छोड़ दिया जाए कि वह नए संविधान के प्रवर्तन की तारीख के बीत जाने के दस वर्ष बाद स्व-विवेकानुसार मताधिकार का विस्तार कर सकता है।

(श्री जोशी, श्री शिवा राव, डा. अम्बेडकर तथा श्री श्रीनिवासन ने विचार व्यक्त किया कि मताधिकार के स्वयमेव विस्तार की वरीयता निर्धारित की जाए।)

(चर्चा में डा. अम्बेडकर ने कोई टिप्पणी नहीं की। श्री एन.एम. जोशी द्वारा उप-समिति संख्या 6. (मताधिकार) की रिपोर्ट पर समिति के पूर्ण अधिवेशन, 16 जनवरी 1931 में की गई टिप्पणियां।)

श्री जोशी : पैराग्राफ 9 पर मैं एक मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं। यह कहा गया है कि श्री जोशी, श्री शिवा राव, डा. अम्बेडकर और श्री श्रीनिवासन ने पैराग्राफ 7, 8 और 9 में दिए गए प्रस्तावों से असहमति व्यक्त की है। मैं चाहता हूं कि यह बात नोट की जानी चाहिए कि हम महिलाओं की इस मांग के विरोधी नहीं हैं कि उनके लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित की जाएं। दुर्भाग्यवश हमें विवश होकर यह दृष्टिकोंण अपनाना पड़ा, जो हमने समिति में अपनाया। उसका कारण यह था कि समिति ने कुल मतदाताओं की एक विशेष सीमा निर्धारित कर दी थी और ऐसी परिस्थितियों में हमारा यह कर्तव्य हो गया कि हम उन लोगों के हितों की रक्षा करें, जिन्हें मताधिकार से वंचित किया गया है, क्योंकि यदि हम उन लोगों की पत्नियों को मत का अधिकार देने के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, जिन्हें मताधिकार दिया गया है तो उन लोगों को मताधिकार देने की सीमा जिन्हें मताधिकार नहीं दिया गया है, निश्चय ही अधिक होगी। इस विशेष तथा कठिन स्थिति को देखते हुए जिसमें हमें डाल दिया गया था, हमें उन लोगों की पत्नियों को मत प्रदान न करने का दृष्टिकोंण अपनाना पड़ा, जिन्हें पहले ही मताधिकार दिया जा चुका है और इस प्रकार उन्हें अधिकार से वंचित करना पड़ा, जिन्हें मताधिकार मिला ही नहीं है। हम लिंग के आधार पर अयोग्यता ठहराने के विरोधी नहीं हैं।

अध्यक्ष : पैराग्राफ 9 को नोट कर लिया गया।

6

पूर्ण सम्मेलन की समिति

उप-समिति संख्या 7 की रिपोर्ट पर टिप्पणियां
(रक्षा)—16 जनवरी 1931

*डा. अम्बेडकर** : मैं इस रिपोर्ट के पैराग्राफ 4 के खंड (2) में निम्नांकित आशय के संशोधन का प्रस्ताव रखना चाहता हूं,जो यह है कि भारतीय सेना में भर्ती को महामहिम की समस्त प्रजा के लिए,जिसमें दलित वर्ग शामिल हो, खोल दिया जाए,बशर्ते कि वे दक्षता तथा आवश्यक अर्हताएं रखते हों। मैं केवल यही नहीं चाहता कि इस बात को अभिलिखित किया जाए, मैं इसे एक मूल संशोधन के रूप में पेश कर रहा हूं,ताकि इस पर सदन की राय जानी जा सके। मेरा संशोधन बहुत सीधा-सादा है। इसका उद्देश्य महामहिम की प्रजा के विभिन्न वर्गों के सैनिक सेवा में प्रवेश में संबंधित सारे भेदभाव दूर करवाना है। इसमें संदेह नहीं कि मैं यह संशोधन मुख्य रूप से दलित वर्गों के विशिष्ट अधिकारों की रक्षा के लिए पेश कर रहा हूं,लेकिन ऐसा करते समय मैं समिति से किसी प्रकार के अनुग्रह की मांग नहीं कर रहा, मैं तो उससे केवल यह अपेक्षा करता हूं कि वह उस सिद्धांत को व्यावहारिक रूप प्रदान करे,जिसे भारत शासन अधिनियम में मान्यता प्रदान की गई है। उसमें कहा गया है कि महामहिम की प्रजा में किसी को उसकी जाति, धर्म या रंग के आधार पर लोक सेवा में प्रवेश से नहीं रोका जाएगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि मैं कोई विशेष अनुग्रह की मांग कर रहा हूं।

महोदय! मैं आपको यह भी बता दूं कि यह संशोधन सेवा संबंधी समिति द्वारा स्वीकृत नीति के अनुरूप है। यदि आप इस समिति द्वारा नियुक्त सेवा संबंधी समिति की रिपोर्ट देखने का कष्ट करें,तो आप देखेंगे कि उक्त समिति ने यह सुनिश्चित करने की दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयत्न किया कि महामहिम की समस्त प्रजा को देश की लोक सेवाओं में उचित और पर्याप्त अवसर दिए जाएं और यह कि उन्होंने न केवल कुछ ऐसे मूल अधिकारों का प्रतिपादन किया

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि राउंड टेबिल कांफ्रेंस, फर्स्ट सैशन*, पृ. 379-80

जिनसे महामहिम की प्रजा को किसी भी लोक सेवा में प्रवेश से रोके जाने पर संरक्षण प्राप्त हो सके,बल्कि उन्होंने प्रयत्न करके कुछ विशेष सिफारिशें कीं,जिनमें कुछ विशिष्ट समुदायों का उल्लेख किया,जैसे एंग्लो-इंडियन और दलित वर्ग।

महोदय! किंतु यह संशोधन केवल दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए ही नहीं है। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि यह सभी समुदायों और महामहिम की प्रजा के हित में है। महोदय! मेरा विचार है कि यदि भारत के किसी भी समुदाय को देश की किन्हीं सेवाओं पर एकाधिकार करने की अनुमति दे दी गई,तो यह जनता के लिए भारी एक खतरा बन जाएगा। मैंने इसे जनता के लिए भारी खतरा इसलिए कहा है कि इससे उन विशेष समुदायों में जो अपेक्षाकृत सुविधाजनक स्थिति में है, न केवल श्रेष्ठता का भाव पैदा हो जाता है, बल्कि उन्हें कुछ विशिष्ट समुदायों द्वारा दिए गए संरक्षण पर निर्भर बना कर आम जनता का कल्याण भी खतरे में पड़ जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब हम भारत के लिए एक नए संविधान का निर्माण कर रहे हैं, तो हमें ऐसी प्रणाली से इसका प्रारम्भ करना चाहिए,जो महामहिम के समुदाय के प्रत्येक सदस्य को देश की किसी भी लोक सेवा में उसकी योग्यता के अनुरूप भूमिका का निर्वाह करने की अनुमति दे सके और महोदय! यदि अनुमति दें तो मैं कहूं कि मैं जो संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं, वह उस सिद्धांत की ही तार्किक परिणति है,जो पैराग्राफ में ही प्रतिपादित किया गया है,क्योंकि यदि आप खंड 4 के उपखंड 1 को देखें,तो आप यह पाएंगे :

'उप-समिति का विचार है कि भारत में नए राजनीतिक ढांचे की सरकार बन जाने के बाद भारत की रक्षा का सरोकार ब्रिटिश सरकार से न रहकर, अधिकाधिक भारत की जनता से हो जाता है।' महोदय! अब यदि इसका कोई अर्थ होता है,तो वह यह है कि भारत की रक्षा का संबंध अधिकतर भारत के सभी लोगों से होना चाहिए, इसका संबंध भारत की जनता से होना चाहिए न कि किसी समुदाय विशेष से।

इसलिए इस सदन से मेरा निवेदन है कि वह मेरे प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार कर ले।

डा. मुंजे : डा. अम्बेडकर के इस प्रस्ताव से कि भर्ती सभी वर्गों के लिए खोल दी जाए, मैं उनसे सर्वथा सहमत हूं, बशर्ते कि दक्षता का स्तर बनाए रखा जाए।

डा. अम्बेडकर : यही तो मेरे संशोधन में है, मैं कहता हूं कि भर्ती और दक्षता में संगति होनी चाहिए।

माननीय तेज बहादुर सप्रू : मैं भी डा. अम्बेडकर के साथ हूं।

श्री बसु : अध्यक्ष महोदय! मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। इस संशोधन में सेवा संबंधी समिति के विभाग के एक भाग की अतिव्याप्ति है, जिसके खंड 5(4) में किसी भी समिति की सदस्यता के बारे में कहा गया है कि किसी लोक सेवा में जाति, धर्म या वंश के आधार पर पदोन्नति अथवा अधिक्रमण नहीं होगा।

डा. अम्बेडकर : हमने अपने प्रस्ताव में सेना को शामिल नहीं किया था।

श्री थामस : अध्यक्ष महोदय! मैं समझता हूं कि किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। वह पैराग्राफ जान-बूझकर समाविष्ट किया गया था। 'उप-समिति का विचार है कि भारत में नए राजनीतिक ढांचे के विकसित हो जाने के बाद भारत की रक्षा का सरोकार केवल ब्रिटिश सरकार से न रहकर अधिकाधिक भारत की जनता से हो जाता है।' इसमें यह नहीं कहा गया है कि भारत की रक्षा का सरोकार भारत के किसी वर्ग विशेष से होना चाहिए। यह तो इस बात को छिपाने के लिए जान-बूझकर गढ़ लिया गया है और इस पर 'भारतीयकरण' शब्द लागू होता है।

डा. अम्बेडकर : जी हां, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीयकरण तो उस स्थिति में भी हो सकता है, जब कि सभी समुदायों को लोक सेवा में प्रवेश का कोई अवसर ही न हो। भारतीयकरण का तो तब यह अर्थ भी हो सकता है कि कुछ ही समुदायों का एकाधिकार बना रहे।

अध्यक्ष : यदि यह बात है तो इसको नोट किया जाएगा।

●

7

उप-समिति संख्या 8 (सेवाएं)

दूसरी बैठक-7 जनवरी 1931

*डा. अम्बेडकर** : जिस एक बात पर मैं समझता हूं कि इस उप-समिति को विचार करना है, वह यह है कि क्या भारतीयकरण की इस प्रक्रिया में भावी लोक सेवा में वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं को लेकर भारतीयों और यूरोपीयों में किसी प्रकार का विभेद रखा जाएगा। मेरे विचार से इस मुद्दे पर इस उप-समिति को अवश्य विचार करना चाहिए। इसलिए मैं इस पैराग्राफ में यह जोड़ देना चाहता हूं 'क्या वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं के मामले में भारतीय मूल और यूरोपीय मूल में समानता होगी'।

अध्यक्ष : हम इसका ध्यान रखेंगे।

इसके पश्चात् '(4) संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती के लिए भर्ती प्राधिकारी कौन होगा?'

माननीय सी. सीतलवाड : इसमें आपको नियंत्रण का प्रश्न भी जोड़ना होगा, कौन भर्ती करेगा और कौन नियंत्रण रखेगा।

अध्यक्ष : इसे हम फिलहाल छोड़ देते हैं।

इसके बाद '(5) भारतीय चिकित्सा सेवा की सिविल शाखा के संबंध में सिफारिशें'। ये तो बहुत बड़ी सूची है। इनमें से हमें जो सिफारिशें करनी हैं, वे हम कर सकते हैं।

फिर '(6) सिफारिश करने की वांछनीयता के इस प्रश्न को कि सही ढंग के भावी रंगरूटों को आकृष्ट करने और सेवा में बनाए रखने के लिए किस प्रकार की शर्तें आवश्यक होंगी, तकनीकी समिति या समितियों को विचारार्थ भेज दिया जाए'। मुझे लगा कि इस प्रकार के अनेक मुद्दे हैं, उदाहरण के लिए वेतन दरों के संबंध में, जिन पर हमें विचार करना है। आप आवश्यकता से अधिक देना नहीं चाहते, दूसरी ओर आर्थिक दृष्टि से खराब है कि जब आपको सही आदमी न मिल पाए तो लोगों को अपर्याप्त वेतन दें। यह स्पष्ट हैं।

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 8 (सर्विसेज), पृ. 44-46

(इस समिति के विचारार्थ विषय था; 'नई राजनीतिक संरचना के साथ सेवाओं का संबंध' जिसका आशय था- अखिल भारतीय सेवाओं में ब्रिटिश भर्ती के अनुपात को शामिल करना।)

नियंत्रण के प्रश्न पर,जो बात कही गई उसमें मुझे लगता है कि बहुत ही तकनीकी मामले शामिल हैं,जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान का होना जरूरी है और इसलिए मुझे संदेह है कि यह उप-समिति कोई अंतिम राय व्यक्त करने के लिए सक्षम भी है या नहीं - मैं अपने बारे में कह सकता हूं कि मैं तो नहीं ही हूं, इसलिए मैने जान-बूझकर कार्य-सूची की मद (6) का प्रारूप तैयार किया,जिससे हम यह विचार कर सकें कि क्या हम यह नहीं कह सकते कि अच्छे प्रकार के लोगों को आकृष्ट करने के लिए वेतन-दर क्या होनी चाहिए? क्या कोई सज्जन यह कहने के लिए तैयार है कि वह जानता है? या कोई सज्जन यह प्रतिपादित कर सकता है कि यदि हमें इस मामले से निपटना पड़े,तो नियंत्रण के संबंध में कौन से नियम बनाए जाने चाहिएं?

माननीय सी. सीतलवाड : मेरा विचार है कि नियंत्रण के संबंध में जो भी स्थूल सिद्धांत हो, उस पर यही चर्चा कर ली जाए,जैसे कि क्या वह मंत्री के पास रहे, जैसा कि इस समय है या भारत सरकार को सौंप दिया जाए।

डा. अम्बेडकर : यूरोपीयों और भारतीयों के पारिश्रमिक में अंतर भी एक व्यापक प्रश्न है जिस पर इस उप-समिति को निर्णय करना चाहिए। इस विशेष सिद्धांत पर भी कि क्या सेवा में जो दो मूल तत्व हैं,उनके साथ बराबरी का व्यवहार किया जाए, निश्चय ही इस उप-समिति को इस बारे में भी निर्णय करना है।

माननीय पी.सी. मित्तर : यदि आप अखिल भारतीय सेवा रखना चाहते हैं,तो यह याद रखना आवश्यक है कि प्रांतों में परिस्थितियां वैसी नहीं हैं। जब तक आप प्रमाण नहीं ले लेते, मैं नहीं समझता कि भारत भर में सेवाओं के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति आकृष्ट करने के प्रश्न पर व्यापक आम राय भी कैसे बन सकती है।

माननीय ए.पी. पात्रे : हमारी एक समिति थी,जिसका उद्देश्य यह पता लगाना था कि सेवाओं में छंटनी की कोई व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं। यह एक अतिस्वतंत्र समिति थी, लेकिन जिस परिणाम पर वह पहुंची वह यह था कि वेतन की दरों को वास्तव में कुछ हद तक बढ़ा देना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर किसी स्वतंत्र समिति को विचार करना चाहिए। हममें से कुछ,जो यद्यपि भारतीयकरण के प्रबल समर्थक हैं, यह महसूस करते हैं कि हमारे अपने देश के हित में भारतीय अधिकारियों के वेतन में कुछ मितव्ययिता बरती जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही ऐसे अधिकारियों के लिए पर्याप्त आकर्षण भी होना चाहिए,ताकि वे देश में अपनी स्थिति और प्रतिष्ठा को बनाए रखने में समर्थ हो सकें और स्वयं को प्रलोभन से बचा सकें। यह प्रश्न कि अच्छे लोगों को सेवा में रखने के लिए कौन सा वेतनमान पर्याप्त होगा,ऐसा मामला नहीं है,जिसका तत्काल निश्चय किया जा सके। इस पर तो बहुत सावधानीपूर्वक विचार करना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है,जिसका सेवा की दक्षता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। मेरा सादर निवेदन यह है कि हमें फिलहाल ब्योरों

के भार से बचना चाहिए।

माननीय सी. सीतलवाड : मेरे विचार में नियन्त्रण संबंधी प्रश्न पर मेरी टिप्पणी को ठीक से समझा नहीं गया। मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि मोटे तौर पर एक सिद्धांत तय हो जाए कि नियंत्रण व्हाइट हॉल में रहेगा या भारत में।

डा. अम्बेडकर : मैं आपका ध्यान लंका आयोग की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहता हूं जिसने इस व्यापक सिद्धांत की सिफारिश की थी कि लंका के निवासियों और अन्य लोगों के बीच वेतन में अंतर होना चाहिए।

अध्यक्ष : यदि कार्यसूची की मद सं. 6 के अंत में यह हो, 'और यदि ऐसा है,तो क्या इस प्रकार की समितियों के मार्गदर्शन के लिए कोई निश्चित सिफारिश की जानी चाहिए'। तो समस्या हल हो सकती है।

लार्ड जैटलैंड : जिस प्रश्न पर माननीय सी. सीतलवाड चर्चा करना चाहते हैं, वह मद (4) में उठाया जाएगा। नियंत्रण भर्ती प्राधिकारी के हाथ में होगा।

अध्यक्ष : हम मद (4) में यह क्यों न जोड़ दें, 'और नियंत्रण के संबंध में,जो भी सामान्य सिफारिशे की जाएं'। मैं लार्ड जैटलैंड से सहमत हूं कि इनमें से प्रत्येक एक-दूसरे का परिणाम है। नियंत्रण भर्ती प्राधिकारी के हाथ में होगा। क्या आप डा. अम्बेडकर की बात मानने के लिए मद (6) में यह जोड़ना चाहेंगे "और यदि ऐसा हो तो क्या ऐसी समितियों के मार्गदर्शन के लिए कुछ निश्चित सिफारिशें की जानी चाहिए?'

* * * *

*अध्यक्ष** : अब हम मद (3) पर आते हैं : 'क्या अखिल भारतीय स्तर पर निम्नलिखित सेवाओं में से किसी के लिए भी भर्ती :(क) भारतीय सिविल सेवा, (ख) भारतीय पुलिस सेवा, (ग) भारतीय वन सेवा, (घ) भारतीय इंजीनियरी सेवा की सिंचाई शाखा जारी रहेगी? मैं यहां पर यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि समिति की (क) के लिए हां है, (ख) के लिए हां है। और (ग) के लिए नहीं है,तो क्या मैं यह समझ लूं कि (क) और (ख) के लिए उत्तर हां है?

श्री शिवा राव : मेरा विचार है कि इन सभी सेवाओं का प्रांतीयकरण कर दिया जाए। मैं समझता हूं कि इन सेवाओं को अखिल भारतीय स्तर पर संतोषजनक ढंग से न तो चलाया जा सकता है और न ही ऐसा करने से सेवाओं और मंत्रालय के बीच समुचित संबंध सुनिश्चित किए जा सकते हैं।

श्री बसु: भारतीय सिविल सेवा एक सामान्य सेवा है,जिसमें भर्ती की जाती है और इसका द्विशासन और त्रिशासन भी होता है, उदाहरण के लिए सामान्य सेवा में कुछ दिन रहने के बाद कुछ सदस्य सीमा शुल्क में जाकर न्यायाधीश बन जाते हैं और कुछ दूसरे न्यायिक

---

*प्रोसिडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं. 8 (सर्विसेज), पृ. 54-58

सेवा में जाकर न्यायाधीश बन जाते हैं और कुछ दूसरे कार्यपालक और राजस्व विभागों में ही बने रहते हैं। क्या हम ऐसी सेवा रखना चाहते हैं, जो वैसी विशिष्ट न हो जैसी हम शुरू से चाहते हैं? जैसा कि मैंने अपनी सामान्य टिप्पणियों में कहा है, यह संभव है कि नया संविधान आने पर एक ही सेवा जैसे भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर सेवाओं की श्रेणियां फिर से बनाना आवश्यक हो जाए। भारतीय सिविल सेवा ने अतीत में अच्छा कार्य किया है, लेकिन अब वह कुछ हद तक पुरानी पड़ गई है और शायद कुछ ही दिनों बाद और भी पुरानी प्रतीत होने लगे। प्रश्न यह है कि क्या इस प्रकार की प्रणाली अपना कर हम ऐसी स्थिति को जारी नहीं रखे हुए हैं, बल्कि उसे स्थायी रूप प्रदान नहीं कर रहे हैं, जो आज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकती।

डा. अम्बेडकर : इस प्रश्न पर एक से अधिक दृष्टिकोंणों से विचार करना होगा। सबसे पहला दृष्टिकोंण है, प्रांतीय स्वायत्तता का। हम एक ऐसे संविधान का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हमारा प्रांतों को यथासंभव अधिक से अधिक प्रांतीय स्वायत्तता देने का प्रस्ताव है और मुझे लगता है कि कोई भी प्रांत जिसे अपने क्षेत्र में कार्यरत सिविल सेवा पर नियंत्रण रखने का अधिकार न हो, प्रांतीय दृष्टि से स्वायत्त नहीं माना जा सकता। एक और दृष्टिकोंण जो बहुत महत्वपूर्ण है, वित्त है। जब हमारे यहां अखिल भारतीय सिविल सेवा है, तो उसके वेतनमान भी नियत हैं। वेतन, पारिश्रमिक और अन्य विशेष अधिकारों का स्तर ऐसा है, जो विभिन्न प्रांतों से बहुत अलग-अलग है। ऐसी सिविल सेवा, जो बंबई या बंगाल के लिए मंहगी न हो, छोटे और गरीब प्रांतों के लिए जैसे असम, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और पंजाब के लिए मंहगी हो सकती है और यह भी हो सकता है कि यदि इन प्रांतों को अखिल भारतीय स्तर की सेवा से कुछ कम दक्ष सेवा दे दी जाए, तो भी वे संतुष्ट हो जाएंगे। जब वित पर उनको अधिकार होगा, तो उन्हें जिस स्तर के बुद्धिमान और दक्ष अधिकारी उपलब्ध होगें, वे उनके प्रयोजन के लिए पर्याप्त होंगे। अंत में जहां तक विशेषता का प्रश्न है, मैं भी श्री बसु से सहमत हूं। मेरी समझ में यह नहीं आता कि भारतीय सिविल सेवा, जैसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने भर से किसी व्यक्ति में किसी विशिष्ट विभाग में सेवा करने की सामर्थ्य कैसे आ जाती है। जिस व्यक्ति ने भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा गणित को विशेष विषय के रूप में लेकर पास की हो, संभव है कि उसे कृषि विभाग या भारतीय मुद्रा विभाग में नियुक्त कर दिया जाए। हमारे यहां तो ऐसी सेवा-व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें भाग लेने वालों के लिए केवल एक नियत स्तर की शिक्षा ही सुनिश्चित न हो, बल्कि उसके सदस्यों में किसी क्षेत्र विशेष का विशिष्ट ज्ञान भी होना चाहिए। मेरा मत है कि इनमें से कुछ सेवाओं का अखिल भारतीय स्वरूप अब समाप्त हो जाना चाहिए और प्रांतों को यह स्वतंत्रता दे दी जानी चाहिए कि वे चादर देखकर पांव पसार सकें।

माननीय ए.पी.पात्रो: डा. अम्बेडकर ने जो आपत्ति उठाई है, वह बहुत प्रासंगिक है।

* * * *

*अध्यक्ष**: श्री बसु ने डा. अम्बेडकर के विचारों पर जो मत प्रकट किया है उस पर भी स्पष्ट रूप से विचार किया जाना चाहिए। हमें यह बात बड़ी सावधानी से स्पष्ट करनी चाहिए कि भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए सिफारिश करते समय हम भारतीय सिविल सेवा को जो अच्छी तो है, लेकिन उसे निर्दोष नहीं मानते, या उसे कोई ऐसी चीज नहीं समझते जिसे इसके वर्तमान रूप में हमेशा के लिए बनाए रखा जाए। उसका पुनर्गठन करने या नया रूप प्रदान करने के लिए जो कुछ सभंव हो, करना आवश्यक है। जो महानुभाव डा. अम्बेडकर की विचारधारा के हैं, उनका सुझाव है कि अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए, उनके स्थान पर छोटी प्रांतीय सेवाएं गठित की जाएं।

डा. अम्बेडकर: मैं समझता हूं कि मुझे अपना दृष्टिकोंण स्पष्ट कर देना चाहिए। इस समिति के शेष सदस्यों की तरह मेरा भी यह मत है कि सेवा में यूरोपीय मूल का होना आवश्यक है, लेकिन मैं नोबल लार्ड जैटलैंड के इस मत से सहमत नहीं हूं। यदि सेवा को प्रांतीय बना दिया गया, तो उससे भर्ती का स्रोत ही सूख जाएगा।

* * * *

*अध्यक्ष***: सुझाव यह है कि हमें 1939 या जो भी तारीख आप चाहें, तय कर देनी चाहिए, तारीख में कोई जादू तो होता नहीं। सुझाव केवल कोई तारीख निश्चित करने और यह स्पष्ट बता देने के लिए है कि इसके बाद इस मामले पर भारत सरकार विचार करे। यह सुझाव मैंने इसलिए रखा है कि इस पर सभी सहमत हो सकें ।

डा. अम्बेडकर: मेरा मत यह है कि आपकी सिफारिशें केवल भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा पर ही लागू होनी चाहिएं।

अध्यक्ष: मैं इससे सहमत हूं और इसे स्पष्ट कर दूंगा।

तीसरी बैठक—8 जनवरी 1931

*डा. अम्बेडकर****: महोदय! मैं यह बताना चाहता हूं कि भावी भारत सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए कोई समिति गठित की जाए या नहीं, इस प्रश्न पर तो मेरी कोई पुख्ता राय नहीं है, लेकिन दो मामले ऐसे हैं, जिन पर मेरा दृढ़ मत है। पहला तो यह कि मेरे विचार में अब वह समय आ गया है, जब सभी विभागों के व्यक्तियों के लिए एक समान भारतीय सिविल सेवा के स्थान पर इसके बाद से सेवाओं के विशिष्टीकरण के लिए कोई प्रावधान किया जाए, जिसमें दक्षता इस समय की अपेक्षा कहीं बेहतर ढंग से प्राप्त की जा सके। मैं भारतीय सिविल सेवा की क्षमता के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरे विचार

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 8 (सर्विसेज), पृ. 57-58

** वही, पृ. 85

*** वही, पृ. 91-93

से यह बात आम तौर पर मानी जाती है कि यह एक सक्षम सिविल सेवा है, लेकिन इसके बावजूद मेरा यही मानना है कि जिस प्रकार का प्रशिक्षण भारतीय सिविल सेवा के सदस्यों को दिया जाता है, वह कुछ तकनीकी अथवा कतिपय विशिष्ट विभागों में कुछ विशिष्ट कर्तव्यों के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं होता। परिणामस्वरूप, यह आवश्यक है कि भारतीय सिविल सेवा को पुन: संगठित किया जाए, ताकि हम इस सेवा में कुछ अधिक दक्षता ला सकें। यह एक ऐसी बात है, जिसके संबंध में मेरी धारणा बड़ी प्रबल है। दूसरी बात, जिसके बारे में मेरी धारणा और भी प्रबल है, वह यह है कि यद्यपि हम सब इस बात पर एक मत हैं कि भारतीय सिविल सेवा में भारतीयकरण होना चाहिए और भारतीय सिविल सेवा में उससे कहीं अधिक तेजी से भारतीयकरण होना चाहिए, जितना अब तक सोचा गया है। मेरा समिति से निवेदन है कि इस मुद्दे पर यदि भारतीय करदाता के दृष्टिकोंण से विचार किया जाए, तो यह कहीं अधिक आवश्यक हो जाता है कि यह भारतीयकरण सेवा के कार्मिकों में परिवर्तन की हद तक ही नहीं होना चाहिए, बल्कि यह ऐसा भारतीयकरण होना चाहिए, जिसके फलस्वरूप भारतीय करदाता का भार कुछ कम हो जाए। भारतीय सिविल सेवा के भारतीय मूल और भारतीय सिविल सेवा के यूरोपीय मूल के बीच पारिश्रमिक, वेतन, मूल वेतन और पेंशन तथा अन्य सुविधाओं के कुछ भेद होने चाहिए। मैं इस संबंध में समिति का ध्यान लंका के संविधान के लिए अनोफमोर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की ओर दिलाना चाहता हूं। संविधान के पृ. 133 पर उन्होंने सिफारिश की है कि लंका सरकार इसके बाद से एक वेतन आयोग नियुक्त करे और उस वेतन आयोग के संबंध में यह सुस्पष्ट सिफारिश करे कि लंका सिविल सेवा में यूरोपीय तत्व और लंका सिविल सेवा के लंकाई मूल के पारिश्रमिक में भेद रखा जाए और उन्होंने इसका औचित्य इस प्रकार प्रतिपादित किया है: 'मामले के गुणावगुण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि लोक सेवकों के दोनों वर्गों को समान आधार पर पारिश्रमिक देने का कोई तार्किक औचित्य नहीं है।. . . एक वर्ग में ऐसे लोग हैं, जो शीतोष्ण जलवायु से, जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है- बहिष्कृत करके उष्णकटिबंधीय देश में, जो उनके देश से हजारों मील दूर स्थित है, तैनात किए गए हैं। वह देश ऐसा है, जिसमें उनके लिए अपने बच्चों का पालन-पोषण असंभव है और जिसके कारण उनके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए नियमित अंतरालों पर छुट्टी लेकर स्वदेश जाएं। वह देश, जिसकी सेवा में वे न केवल दोहरी घर-गृहस्थी को चलाने में आने वाली कठिनाइयों को झेलने के लिए बाध्य होते हैं, अपना स्वास्थ्य खतरे में डालते हैं और अपने पारिवारिक संबंधों की बलि देते हैं, बल्कि काफी कुछ खर्च करके जीवन तथा आतिथ्य का वे स्तर बनाए रखते हैं, जो उनकी अपनी और सेवा की परंपराओं के अनुरूप हो, जो सवा सौ से अधिक वर्षों से एक महान साम्राज्यिक शक्ति की प्रतीक रही है। दूसरी ओर, उन्हीं के साथी वे लोग हैं, जो स्वदेश में रहते हैं और काम करते हैं। उनके घर-बार

पास में ही हैं, उन्हें मौसम की परेशानियां नहीं उठानी पड़तीं। उन्हें अपने यूरोपीय सहयोगियों पर लदे आर्थिक भार का केवल अल्पांश ही झेलना पड़ता है। यह जाहिर है कि लोक सेवकों के पहले वर्ग को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप वेतन दिया जाना चाहिए,जो उनके कार्य के वास्तविक मूल्य से कहीं अधिक हो, क्योंकि उन्हें अपने कार्य-निष्पादन में व्यक्तिगत जोखिम ही नहीं उठाना पड़ता, बल्कि त्याग भी करना पड़ता है। इस बात का कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं है कि पूर्वोक्त वर्ग को जो मुआवजा दिया जाना आवश्यक है, वह पश्चोक्त को भी दिया जाए।' मैं समझता हूं ये टिप्पणियां इतने ही जोर के साथ भारत की परिस्थितियों पर भी चरितार्थ होती हैं। यदि यह उप-समिति इन दो मुद्दों को स्वीकार कर लेती है,जो मैं उसके सामने पेश कर रहा हूं, अर्थात भारतीय सिविल सेवा विविधीकरण की आवश्यकता और भारतीय सिविल सेवा में दोनों मूलों के बीच पारिश्रमिक में विभेद की आवश्यकता, तो मेरे विचार में इसका आवश्यक परिणाम यही होगा कि किसी संगठन की स्थापना की जाए, जो भारत सरकार को इन सिफारिशों को कार्य रूप देने में सलाह दे सके। इन्हीं कारणों से मैं उस सुझाव का समर्थन करता हूं कि नए संविधान के प्रभावी हो जाने के बाद भारत सरकार को ऐसी समिति की स्थापना का अधिकार दिया जाए,जिसकी सिफारिश मद सं. 6 में की गई है।

अध्यक्ष: क्या मैं उप-समिति के मार्गदर्शन के लिए यह बात कह सकता हूं कि चूंकि हमारे विचारार्थ विषयों के अंतर्गत वे संबंध आते हैं, जो सेवाओं के नए राजनीतिक ढांचे के साथ होगें, इसलिए जाहिर है कि हम वेतनादि के प्रश्न पर सविस्तार चर्चा नहीं कर सकते। फिलहाल अधिकारियों के वेतन में जो भेद है, उसका आधार गैर-एशियाई अधिवास है। मेरा ख्याल है कि आप सभी यह जानते हैं। इससे जो अंतर पड़ता है,वह यह है कि जो गैर-एशियाई अधिवासी हैं,उन्हें समुद्र-पारीय वेतन मिलता है जिससे लगभग 300 पौंड की वृद्धि होती है।

डा. अम्बेडकर: मैं समझता हूं कि मुद्दे का इससे दूर का भी वास्ता नहीं। आप यूरोपीयों के वेतन में वृद्धि करके इस प्रकार का भेद पैदा कर सकते हैं। लेकिन इससे भारतीयों को कोई राहत नहीं मिलेगी।

माननीय ए.पी.पात्रो: मैं समझता हूं, डा. अम्बेडकर ने जो कारण दिए हैं उनसे मद सं. 6 में उठाए गए दो प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर देना आवश्यक हो जाता है। मेरा विचार है कि उन्होंने भारतीयकरण के विषय में जांच-पड़ताल के लिए अपना पक्ष बड़े जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो प्रसंग उठाया है,वह यह है कि सही प्रकार के रंगरूट आकर्षित करने के लिए क्या शर्तें दरकार होंगी? यह बड़े महत्व की बात है। यदि समिति का यह मत हो कि श्रेष्ठ व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए वर्तमान शर्तों में कुछ फेर-बदल किया जाए और उन्हें नया रूप दिया जाए,तो समिति मामले के उस पक्ष पर भी विचार करेगी और

उसके लिए एक समिति का गठन आवश्यक होगा। दूसरी विशेष बात यह है कि यह कहा जाता है कि भावी भारत सरकार को इस मामले की छानबीन करने का अधिकार होना चाहिए और यह देखते हुए कि उस समय उभरने वाली परिस्थितियों में क्या आवश्यक होगा, मुझे आशंका है कि यह धारणा बनी हुई है कि भावी भारत सरकार में ऐसा भारी परिवर्तन हो जाएगा कि मंत्रिगण वर्तमान प्रणाली में क्रांति लाने का भरसक प्रयास करेंगे। इस बात को हम जितनी जल्दी भूल जाएं उतना ही हमारे लिए लाभप्रद होगा और तब सेवा की इन शर्तों के संबंध में हमारी संकल्पना अधिक युक्तियुक्त बन पड़ेगी।

आखिरकार, हम यह तो जानते ही हैं कि केंद्र पर बहुत सीमित दायित्व रहेगा। मंत्रियों की जिम्मेदारी सीमित हो जाएगी। इसलिए हमें अपने पिछले अनुभव से यह सीखना चाहिए कि भावी भारत सरकार का कुछ मार्ग-दर्शन किया जाए। उसे नए सिरे से कुछ न करने दिया जाए। यह सर्वथा व्यावहारिक मामला है और मद सं. 6 के दोनों भागों के संबंध में मेरा उत्तर सकारात्मक है।

* * * *

*डा. अम्बेडकर**: आप मूल अधिकारों के प्रश्न को जिन शब्दों में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे उत्पन्न होने वाली कठिनाई के बारे में मैं संकेत देना चाहता हूं। बात यह है कि आप लोक सेवाओं को जो निर्देश दे रहे हैं कि सेवाओं में भर्ती करते समय उचित और पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर विचार करें-चाहे आपके शब्द कोई भी हों। इसका अर्थ यह हुआ कि आयोग को उस समुदाय का कोटा पूरा करने के लिए जो अन्यथा सेवाओं में प्रवेश नहीं कर पाते, विभिन्न समुदायों में चयन का अधिकार होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अन्य समुदायों के उचित तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व की मांग को पूरा करने के लिए जिन्हें अब तक लोक सेवा में भर्ती का अवसर नहीं मिल पाया है, उन्हें अन्य समुदायों के सदस्यों को वंचित करना पड़ेगा और यदि आप यह मूल अधिकार प्रत्येक समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को दिलवा देते हैं, तो उससे लोक सेवा आयोग के लिए उलझन पैदा हो जाएगी। इसलिए कि जिस व्यक्ति को इस प्रकार का मूल अधिकार प्राप्त था वह कहेगा: 'आप किसी दूसरे समुदाय के किसी अन्य सदस्य को तरजीह देकर मेरे साथ पक्षपात कर रहे हैं।' मेरी दृष्टि में यही एक कठिनाई है।

माननीय सी. सीतलवाड: मैं यह बताना चाहता हूं कि मूल अधिकारों का यह जो प्रतिपादन किया गया है कि धर्म, जाति या मत के आधार पर किसी को अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा, सम्राज्ञी विक्टोरिया की उस घोषणा की पुनरावृत्ति मात्र है, जब ताज ने भारत सरकार को अपने अधिकार में लिया था, उस समय की गई घोषणा में इसे शामिल किया गया था।

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं. 8 (सर्विसेज), पृ. 111-13

राजा नरेन्द्र नाथ: इससे व्यावहारिक कठिनाई का समाधान नहीं होता।

अध्यक्ष: मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मूल अधिकार पहले ही से मौजूद हैं, तब अधिकारों की बात को दोहराना क्या जरूरी है? क्या उप-समिति संतुष्ट हो जाएगी, यदि हम अपनी रिपोर्ट में पहले दो प्रस्तावों को स्वीकृति दे दें, जो माननीय सी. सीतलवाड ने पढ़कर सुनाए हैं और मूल अधिकारों के संबंध में की गई घोषणा का उल्लेख न करें?

डा. अम्बेडकर: मैं यह बताना चाहता हूं कि हमें न केवल इस बात से चौकन्ना रहना है कि लोक सेवा आयोग नियुक्तियां करने के मामले में स्थानीय सरकारों से प्रभावित हो, बल्कि मेरा तो यह भी विचार है कि हमें लोक सेवा आयोग द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। इस बात पर मेरी प्रतिक्रिया कुछ तीव्र है। निश्चय ही लोक सेवा आयोग अपने कार्मिकों के संबंध में बहुत सीमित रहेगा। इसलिए हम यह प्रावधान नहीं रख सकते कि लोक सेवा आयोग अपने कार्मिकों के संबंध में देश के विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करेगा। लोक सेवा आयोग का गठन करते समय कुछ समुदायों से सदस्य लेने होंगे और फिर मानव स्वभाव भी रंग लाएगा ही। इसलिए मुझे यह आशंका है कि लोक सेवा आयोग कहीं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर बैठे।

श्री मोदी: इसका निदान क्या हो?

डा. अम्बेडकर: निदान यह होगा कि विधान परिषद को लोक सेवा आयोग में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की शक्ति दी जाए, उदाहरण के लिए जैसे-

माननीय सी. सीतलवाड: उससे तो सारा उद्देश्य ही विफल हो जाएगा।

डा. अम्बेडकर: यदि यह साधन वांछनीय न हो, तो इस मुद्दे पर कोई और साधन या किसी अन्य विधि का भी मैं स्वागत करूंगा। लेकिन मेरी इस बारे में पक्की धारणा है कि ऐसे लोक सेवा आयोग का क्या लाभ, जो अपने ही समुदाय में रुचि रखता हो, किसी दूसरे में नहीं।

* * * *

*माननीय सी. सीतलवाड** : यह निर्धारित कर देने के बाद कि लोक सेवा आयोग विभिन्न समुदायों के लिए उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करेगा। हम गवर्नर को उसके अनुदेश-पत्र में इस बात का ध्यान रखने की शक्ति देंगे कि इस प्रकार का प्रतिनिधित्व दिलाया गया है।

डा. अम्बेडकर: आप खंड 2 में यह प्रावधान कर सकते हैं कि ऐसा उन निदेशों के अनुरूप होना चाहिए, जो गवर्नर उन्हें दे।

माननीय सी. सीतलवाड़: यह तो गवर्नर को अत्यधिक शक्ति देना हुआ। आप यही तो चाहते हैं कि विभिन्न समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व दिलाया जाए, आप यही तो सुनिश्चित

---

*प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 8 (सर्विसेज), पृ. 121-22

करना चाहते हैं कि हमने जिस उचित प्रतिनिधित्व के लोक सेवा आयोग द्वारा दिए जाने का प्रावधान किया है, वह वास्तव में दे दिया गया है।

श्री जफरुल्ला खां: गवर्नर उसको सुनिश्चित कैसे करेगा?

अध्यक्ष: मेजर स्टैनले ने जो सुझाव दिया है,वह मध्य मार्ग सिद्ध हो सकता है। उनका सुझाव है कि खंड 2 के अंत में यह शामिल किया जाना चाहिए—प्रांतीय लोक सेवा आयोगों के सदंर्भ में लोक सेवा आयोगों के कर्तव्य के इस भाग की गवर्नर द्वारा सांविधिक समीक्षा की जाएगी और केंद्रीय लोक सेवा आयोग के संदर्भ में यही समीक्षा गवर्नर-जनरल द्वारा की जाएगी,जिन्हें वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाएगी।''

डा. अम्बेडकर: जी हां।

माननीय सी. सीतलवाड: ठीक है, मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं।

* * * *

*श्री शिवा राव**: मेरा सुझाव है कि हम यह कहेंगे कि लोक सेवा आयोगों का प्रत्येक सदस्य अपने सद्व्यवहार पर्यंत ही पद धारण करेगा और यह कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को तभी पदच्युत किया जा सकता है,जब केंद्रीय विधान-मंडल द्वारा गवर्नर जनरल को पत्र लिखकर और प्रांतीय लोक सेवा आयोग के मामले में संबंधित प्रांत की प्रांतीय विधान सभा गवर्नर को पत्र लिखकर इसकी मांग करे।

अध्यक्ष: श्री शिवा राव ने एक नए खंड का सुझाव दिया है और उन्होंने अपनी बात बहुत स्पष्ट रूप से पेश की है। हम अपने आपको भाषा के साथ बांध देना नहीं चाहते,लेकिन इसका सार यह है कि हमें एक नया खंड रखना चाहिए कि पद पर आसीन सद्व्यवहार के दौरान ही रहा जा सकता है और यह कि लोक सेवा आयोगों को कोई भी सदस्य चाहे वह अध्यक्ष हो या साधारण सदस्य राज्य विधान-मंडल द्वारा गवर्नर या गवर्नर-जनरल को, जो भी स्थिति हो, पत्र लिखकर पद से हटवाया जा सकता है। इसे लिखित रूप दे दिया जाए।

डा. अम्बेडकर: मैं इसका समर्थन करता हूं।

* * * *

*डा. अम्बेडकर***: श्री शिवा राव ने जो रुख अपनाया है, वह यह है कि लोक सेवा आयोगों के सदस्यों की पदच्युति के मामले में विवेकाधिकार पूरी तरह गवर्नर या गवर्नर जनरल में निहित है। केवल इस तथ्य से कि विधान-मंडल ने बहुमत से एक प्रस्ताव पारित किया है, पदच्युति अपने आप नहीं हो जाएगी,बल्कि गवर्नर या गवर्नर-जनरल इस पर विचार करेंगे कि वह कार्रवाई की जाए या नहीं।

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 8 (सर्विसेज), पृ. 124

** वही, पृ. 125-26

राजा नरेन्द्र नाथ: मैं नियुक्तियों के संबंध में विधान-मंडल को हरगिज हस्तक्षेप नहीं करने दूंगा।

डा. अम्बेडकर: कोई भी व्यक्ति भ्रष्ट हो सकता है, ठीक उसी प्रकार जैसे न्यायाधीश भ्रष्ट हो सकते हैं। क्या इसका कोई उपचार नहीं है? हम मंत्रियों से संरक्षण का अधिकार वापस ले रहे हैं, क्योंकि हम यह महसूस करते हैं कि वे भ्रष्ट हो सकते हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग के सदस्य भी तो भ्रष्ट हो सकते हैं और यदि हमें उनके किसी सदस्य को हटाने का अवसर ही न मिले, तो क्या स्थिति होगी?

डा. शफाअत अहमद खां: डा. अम्बेडकर ने यह स्वीकार किया है कि लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को गवर्नर ही हटा सकता है और यदि यह स्थिति है, तो सदन के पत्र लिखने से क्या लाभ? यह बहुत खतरनाक बात है कि किसी विधायी निकाय को कार्यपालिका के मामलों में हस्तक्षेप करने दिया जाए। हमें विधान-मंडलों के विमर्शी कार्य को कार्यपालिका के कार्य से बिल्कुल अलग रखना चाहिए और यदि हम इस प्रकार के किसी मामले में, जिसमें हजारों की नियुक्ति खतरे में पड़ने की आशंका हो, इन दोनों के कार्यों को मिला दें तो मैं समझता हूं कि हम ऐसा करके परेशानी मोल लेंगे और लोक सेवा आयोग से संबंधित सभी विनियमों को बिल्कुल बेकार और निरर्थक बना देंगे।

अध्यक्ष: क्या ऐसा उप-समिति की मांग के अनुरूप होगा? मेरे विचार में जो आलोचना की गई है, वह बहुत ही वस्तुपरक है कि हम इस आशय का एक खंड समाविष्ट कर दें कि लोक सेवा आयोग अपने सदव्यवहार-पर्यंत पद पर बना रहेगा और उसे यथास्थिति गवर्नर अथवा गवर्नर जनरल द्वारा पद से हटाया जा सकेगा? (हम सहमत हैं)

माननीय पी. सी. मित्तर: जब तक विधान-मंडल को विशिष्ट रूप से सम्मिलित न किया जाए, मैं इससे सहमत हूं।

अध्यक्ष: क्या यह संशोधन उप-समिति की इच्छा के अनुकूल होगा? (हम सहमत हैं) हम इस पर रिपोर्ट के अवसर पर विचार करेंगे, इस समय तो हम इस पर अंतरिम रूप से विचार कर रहे हैं।

अब हम कर्नल गिडने के मुद्दे पर आते हैं।

डा. अम्बेडकर: कर्नल गिडने के प्रस्ताव पर चर्चा करने से जब प्रारूप पढ़ा गया था, तो उसमें एक खंड था, जिसमें कहा गया कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को, जो उस आयोग के सदस्य के नाते पदासीन नहीं है, ताज के अधीन सेवा का पात्र नहीं होगा।

*अध्यक्ष**: फिलहाल तो मैं आपके समक्ष वह सुझाव रखता हूं। क्या आप उस स्थिति में इन शब्दों को हटाने की कृपा करेंगे 'को प्रांतीय प्रबंध के अधीन रख दिया जाए,' और

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 8 (सर्विसेज), पृ. 128

उसके स्थान पर ये शब्द समाविष्ट कर देगें 'को उसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती न किया जाए'?

'और हम इन दो सेवाओं के संबंध में कोई विशेष सिफारिश करना नहीं चाहते।'

'हम सिफारिश करते हैं कि भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के लिए अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती जारी रहनी चाहिए। (श्री शिवा राव ने असहमति प्रकट की)।'

मुझे मालूम नहीं है कि वे अकेले हैं या कोई उनके साथ है।

डा. अम्बेडकर: मेरा संकल्प यह है कि इन दोनों सेवाओं में यूरोपीय मूल के अतिरिक्त शेष सेवाओं का प्रांतीयकरण कर दिया जाए।

अध्यक्ष: मैं समझता हूं, इसे अलग से रखा जाएगा।' (शिवा राव इस निष्कर्ष से असहमत हैं। उनकी इच्छा है कि सभी सेवाओं का तत्काल प्रांतीयकरण कर दिया जाए)'।

मेरा सुझाव है कि हम यहां यह जोड़ दें: 'कुछ सदस्यों की राय है कि न्यायिक पदों के लिए भर्ती इसके बाद से भारतीय सिविल सेवा में से न की जाए।'

* * * *

डा. अम्बेडकर * : मैं दोनों सेवाओं** को प्रांतीय स्तर का बनाने के पक्ष में हूं,लेकिन मैं इन दोनों सेवाओं में यूरोपीय मूल के पक्ष में अपवाद के लिए तैयार हूं।

श्री जफरुल्ला खां: मैं डा. अम्बेडकर से सहमत हूं।

सरदार संपूरन सिंह: मैं भी इस विचार का अनुमोदन करता हूं।

अध्यक्ष: मैं आपका बहुत आभारी हूं। इसे अवश्य शामिल किया जाएगा।

डा. अम्बेडकर: पृ. 2 पर पैराग्राफ में, जो इस तरह शुरू होता है 'निस्संदेह ऐसी सरकार यदि मांग करे' आदि-आदि, आपने लोक सेवाओं आदि के विभागों के पुनर्गठन और पुनर्समायोजन के प्रश्न का उल्लेख किया है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि आप आज सवेरे हुई चर्चाओं को देखते हुए वेतन के आधार का प्रश्न भी जोड़ना चाहेंगे?

अध्यक्ष: यह बात उन शब्दों में आ गई है शायद।

चौथी बैठक–9 जनवरी 1931

लार्ड जैटलैंड*** : जी नहीं। आप स्थानीय सरकार का क्षेत्राधिकार वापस नहीं ले सकते, क्योंकि स्थानीय सरकार को सर्वसम्मति से अपने अधिकारों में सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन यह निर्धारित किया जा सकता है कि इसी परिपाटी को अपनाना वांछनीय है। महोदय! इसमें वह सब आ गया, जो मैं उप-समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुख्य मुद्दा यह

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 8 (सर्विसेज), पृ. 132

** भारतीय सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा

*** प्रोसीडिंग्स आफ दि सब-कमेटी नं. 8 (सर्विसेज), पृ. 181-82

सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिनियम, 1861 द्वारा महानिरीक्षक में जो शक्तियां निहित थीं, उन्हें बनाए रखा जाए और मैं इसके साथ ही अन्य कई सुझाव पेश करना चाहता हूं, जैसे किसी प्रांत में पुलिस परिषद का गठन, जिस पर उप-समिति विचार करे।

डा. अम्बेडकर: यदि आप मुझे अनुमति दें,तो मैं अपनी जानकारी के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या नोबल मारक्विस यह चाहते हैं कि महानिरीक्षक के पद को संविधि द्वारा मान्यता प्रदान की जाए या वे चाहते हैं कि पुलिस अधिनियम के अधीन जो पद हैं,उसी को जारी रहने दिया जाए? क्या वे उन्हें संविधि द्वारा ऐसे अधिकारियों के रूप में मान्यता दिलाना चाहते हैं, जिनके कुछ सांविधिक अधिकार और दायित्व हों?

लार्ड जैटलैंड: जी हां।

माननीय पी. सी. मित्तर: संसद की संविधि द्वारा?

लार्ड जैटलैंड: जी हां, वही। महानिरीक्षक के पास अब भी वे शक्तियां संविधि, अर्थात पुलिस अधिनियम के अनुसार ही दी गई हैं।

डा. अम्बेडकर: यह पुलिस अधिनियम से भिन्न है और वास्तव में इसमें स्थानीय विधान-मंडल द्वारा संशोधन किए जाने की शर्त भी है। प्रश्न यह है कि क्या आप चाहते हैं कि महानिरीक्षक का पद एक ऐसे अधिकारी का पद मान लिया जाए, जो कुछ कर्तव्यों का निर्वाह करता है और एक अधिकारी की हैसियत से उसके मामले में मंत्री या स्थानीय सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती?

लार्ड जैटलैंड: यह तो उसका प्रभाव है। यह मेरा प्रस्ताव है। मेरा विचार है कि महानिरीक्षक में इस समय जो शक्तियां निहित हैं, उन्हें कायम रहने दिया जाए।

माननीय कावसजी जहांगीर: किस प्राधिकार से--पुलिस अधिनियम द्वारा या भारत सरकार अधिनियम द्वारा?

माननीय सी. सीतलवाड: पुलिस अधिनियम के प्रावधानों को बदलने का अधिकार स्थानीय विधान-मंडल या किसी भी विधान-मंडल को नहीं होना चाहिए।

लार्ड जैटलैंड: जी हां। मैं समझता हूं, यह संघीय सरकार का अधिनियम होना चाहिए।

श्री जफरुल्ला खां: ऐसा तो पुलिस अधिनियम को एक अधिनियम के रूप में रखकर ही किया जा सकता है, जिसे कोई प्रांतीय सरकार महानिरीक्षक की सहमति के बिना न निरस्त कर सकती है, न बदल सकती है, और न ही परिशोधित कर सकती है।

डा. अम्बेडकर: यही स्थिति तो आज भी है, क्योंकि अधिनियम में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना संशोधन नहीं किया जा सकता।

* * * *

श्री जफरुल्ला खां:* यदि मुझे मात्र इतना जोड़ने की अनुमति हो, शायद इस समिति

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं. 8 (सर्विसेज)*, पृ. 186 188

के सभी सदस्य इस बात से अवगत नहीं हैं कि संघीय सरंचना उप-समिति और सयुंक्त उप-समिति ने, जिसे उप-समिति सं. 1 और 2 ने स्थापित किया था, महत्वहीन विषयों पर अनेक अधिनियमों को धारा 80 (3) (ज) के अधीन उस सूची में रखने का सुझाव दिया था और यदि हम पुलिस अधिनियम को उस सूची में स्थान दे दें,तो उससे किसी भी प्रकार के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं होगा।

डा. अम्बेडकर: मैं श्री जफरुल्ला खां से सामान्यत: सहमत हूं। पुलिस अधिनियम को अनुसूची में आज तक स्थान न देने का कारण यह है कि यह विषय आरक्षित विषय है, इसलिए तथ्य तो यह है कि भारत सरकार का विधि और व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण है और जब विधि और व्यवस्था के हस्तांतरण की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वस्तुस्थिति बिल्कुल भिन्न हो जाती है। मैं समझता हूं कि इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि हम चाहे संक्रमण काल के लिए ही सही, कुछ संरक्षणों की आवश्यकता पर विचार करें, चाहे वे उन रक्षोपायों को जारी रखने के लिए ही हों, जो इस समय मौजूद हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से इस सुझाव के पक्ष में हूं कि इस पुलिस अधिनियम को अनुसूची में शामिल कर लिया जाए, जिसके लिए आज गवर्नर जनरल या भारत सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।

एक और मुद्दा जिसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह पुलिस और विधि और व्यवस्था विभाग के प्रश्न से संबंधित है। यही मुद्दा मैंने प्रांतीय संविधान उप-समिति में भी उठाया था। जाहिर है, इस प्रश्न पर भावी प्रांतीय सरकारों का दायित्व के दृष्टिकोंण से भी विचार किया गया है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न पर प्रांतों में रहने वाले विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों और ऐसी आपात स्थितियों की दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए, जो सांप्रदायिक दंगों और ऐसी ही अन्य आपात स्थितियों में उत्पन्न होती है। मैं समझता हूं कि विभिन्न प्रांतों में रहने वाले अल्पसंख्यकों के लिए यह जानना कि जब सांप्रदायिक दंगे भड़क उठें हैं, तो किस समुदाय का कौन अधिकारी उस इलाके में कानून और व्यवस्था कायम करेगा, वास्तव में एक महत्वपूर्ण संरक्षण होगा। हम सभी जानते हैं कि पुलिस अधिकारियों पर पक्षपात और एक या दूसरे संप्रदाय के प्रति सहानुभूति दर्शाने का आरोप लगाया जाता है। इस प्रकार के आरोप का पर्याप्त औचित्य तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी घटनाएं भी हो सकती हैं, जिनमें कुछ विशेष इलाकों में उन अधिकारियों के पक्षपात का औचित्य सिद्ध किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के हित में यह बहुत आवश्यक है कि पुलिस अधिकारियों की तैनाती और तबादले कम से कम आपात स्थिति के दौरान मंत्रियों के हाथ में नहीं होने चाहिएं। यह संभव है कि कोई मंत्री जिसके संप्रदाय का उस प्रांत में बहुमत है किसी भी अवसर विशेष पर किसी पुलिस अधिकारी को उस स्थान से हटा दे,जो शायद उस संप्रदाय के लोगों का पक्ष नहीं ले, जिसका वह मंत्री है।

श्री जफरुल्ला खां: साधारणत: तो यह काम महानिरीक्षक करते हैं।

डा. अम्बेडकर: मैं जानता हूं कि बंबई प्रेसिडेंसी में पुलिस अधिकारियों के स्थानातंरण को लेकर भारी हो-हल्ला मचा था। पता नहीं ऐसा पुलिस निरीक्षक ने करवाया था या प्रभारी अधिकारी ने, लेकिन मैं समझता हूं कि यह एक बहुत बड़ा संरक्षण है, जिसके लिए भावी भारत के संविधान में प्रावधान करना आवश्यक है।

इस संबंध में मेरा विशिष्ट प्रस्ताव यह है कि आपात स्थिति में जब भी कोई दंगा-फसाद या सांप्रदायिक उपद्रव उठ खड़ा हो,तो विभिन्न इलाकों में पुलिस की कार्रवाई में मंत्री के स्थान पर गवर्नर को प्रशासनिक शक्तियां दी जानी चाहिएं।

पांचवी बैठक – 12 जनवरी 1931

*अध्यक्ष:** डा. अम्बेडकर, श्री जफरुल्ला खां और सरदार संपूरन सिंह को यह पसंद नहीं है कि भारतीय सिविल सेवा में यूरोपीय मूल के अलावा अखिल भारतीय स्तर पर आगे किसी प्रकार की भर्ती की जाए। कुछ सदस्यों की यह भी राय है कि न्यायिक पदों के लिए भर्ती आगे से भारतीय सिविल सेवा में से नहीं की जाए।

डा. अम्बेडकर: महोदय! भारतीय पुलिस सेवा में भी।

अध्यक्ष: तो क्या आप उसे यों रखना चाहते है, 'भारतीय सिविल सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में'?

डा. अम्बेडकर: जी हां।

अध्यक्ष: क्या यही मत श्री जफरुल्ला खां का भी है?

श्री जफरुल्ला खां: जी हां।

अध्यक्ष: और सरदार संपूरन सिंह का भी?

सरदार संपूरन सिंह: बिल्कुल।

अध्यक्ष: मेरा अभिप्राय केवल आपके मत अभिलिखित करना है। इसलिए मैं यह शब्द रख देता हूं 'और भारतीय पुलिस सेवा के लिए'।

छठी बैठक – 13 जनवरी 1931

*डा. अम्बेडकर*** : मैं उप-पैराग्राफ (4) के बाद इस आशय के एक नए पैराग्राफ का समावेश करना चाहता हूं: 'उप-समिति चाहती है कि लोक सेवा में दलित वर्गों को रोजगार दिलाने के मामले में उदार नीति अपनाई जाए और यह विशेष रूप से सिफारिश

---

*प्रोसीडिंग्स आफ दि सब कमेटी नं. 8 (सर्विसेज), पृ. 198

** वही, पृ. 231 33

करती है कि पुलिस और सेना की भर्ती, जिससे उन्हें इस समय अलग रखा गया है, अब उनके लिए खोल दी जाए।'

श्री चिंतामणि: उनको नियमत: अलग रखा गया है या केवल व्यवहार में ऐसा होता आया है?

डा. अम्बेडकर: नियम के द्वारा पुलिस सेवा आयोग में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि दलित वर्ग अपात्र है।

श्री चिंतामणि: यदि कुछ विशिष्ट विभागों, जैसे पुलिस और सेना, से दलित वर्गों को अलग रखे जाने संबंधी नियम हैं भी तो वे ऐसे नियम नहीं होंगे, जो समस्त देश पर लागू होते हों। इस प्रकार के कुछ नियम कुछ प्रांतों में होंगे, सबमें नहीं।

डा. अम्बेडकर: यदि ऐसा वांछनीय हो,तो मैं अपने प्रस्ताव का अंतिम अंश इस प्रकार रखना चाहूंगा 'और विशेष रूप से सिफारिश करती है कि उन्हें (दलित वर्गों को) इसके बाद उनकी अस्पृश्यता के कारण लोक सेवा के किसी भी विभाग से बाहर नहीं रखना चाहिए'।

राजा नरेन्द्र नाथ: बिल्कुल, यह बात खंड (5) (क) में आती है।

माननीय काजसजी जहांगीर: वस्तुस्थिति यह है कि इस समुदाय को इसलिए अलग कर दिया गया है कि उन्हें रोजगार देना अव्यावहारिक है। इसकी तफसील में इस समय जाने से कोई लाभ नहीं। यदि हमारे पास दलित वर्गों के लिए अलग से कोई अनुभाग होता, तब भी ऐसे वर्गों के सदस्यों के लिए यह परेशानी होती कि उन्हें उन लोगों के बीच सिपाही का काम करना पड़ता, जो उनसे संतुष्ट नहीं रहते। यह बात स्पष्ट नहीं है कि इस भारी असुविधा को किस तरह दूर किया जाए? मैं इस पर कोई राय नहीं दे सकता। जो कुछ हुआ है, वह बहुत ही अनिच्छा से किया गया है, जिसे मैं समझता हूं कि डा. अम्बेडकर स्वीकार करेंगे। लेकिन मुझे यह सब कुछ कहने में भी कोई आपत्ति नहीं दिखाई देती, जो डा. अम्बेडकर हमसे करवाना चाहते हैं, हालांकि वह नेक भाव मात्र ही होगा। मेरा ख्याल है कि हमने यही राय सैकड़ों बार व्यक्त की है और उनका परिणाम शून्य रहा है। डा. अम्बेडकर अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार के आदेश पारित किए गए हैं और किस प्रकार वे अव्यवहार्य सिद्ध हुए हैं। इसके बावजूद मैं उस पैराग्राफ के समावेश का समर्थन करता हूं, जिसका उन्होंने प्रस्ताव किया है। हम यह जोखिम उठा रहे हैं और यह जानते हैं कि संभव है यह व्यावहारिक प्रस्ताव सिद्ध न हो। लेकिन जैसा आपने पहले कभी कहा है, यदि हम किसी आदर्श की ओर उन्मुख हों, तो यह हमेशा संभव नहीं कि वह तर्कपूर्ण भी हो।

डा. अम्बेडकर: मुझे विशेष रूप से इस बात की चिंता है कि पुलिस और सेना का उल्लेख किया जाना चाहिए, क्योंकि यही वे विभाग हैं, जिनके लिए दलित वर्गों के सदस्य सबसे अधिक उपयुक्त होंगे।

अध्यक्ष: यह बात पैराग्राफ (5) (क) और (ख) में आ गई है।

डा. अम्बेडकर: उस तरह तो एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रश्न भी उसी में शामिल हो गया। मैं खंड (4) के बाद एक नए खंड का प्रस्ताव रखना चाहता हूं। 'उप-समिति की इच्छा है कि लोक सेवाओं में दलित वर्गों के नियोजन के मामले में उदार नीति अपनाई जाए और विशेष रूप से यह सिफारिश करती है कि पुलिस और सेवा विभागों में भर्ती, जिससे अब तक वे बाहर रखे गए हैं, उनके लिए खोल दी जाए'।

राजा नरेन्द्र नाथ: मैं एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि हम उसमें यह जोड़ दें 'किसी भी व्यक्ति को देश की किसी भी सेवा में प्रवेश के लिए धर्म, जाति या लिंग के आधार पर न तो अयोग्य समझा जाएगा और न ही उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव बरता जाएगा।' मैं एक विशेष सिफारिश के रूप में इसका समावेश चाहता हूं।

डा. अम्बेडकर: इस पर बाद में चर्चा होगी।

श्री बसु: मुझे डा. अम्बेडकर से सहानुभूति है कि वह चाहते हैं कि वे अयोग्यताएं समाप्त कर दी जाएं, जिनसे उनके समुदाय को क्षति पहुंचती है और यदि किसी प्रांत में प्रशासनिक नियमों के अंतर्गत किसी प्रकार की अयोग्यता निर्धारित कर दी गई है, तो वह तत्काल समाप्त कर दी जाए। लेकिन उन्होंने जिस तरह यह प्रस्तुत किया है, इससे बात बहुत सामान्य हो गई है। उदाहरण के लिए मेरे प्रांत में अनेक पदों पर दलित वर्गों के सदस्य ही बैठे हुए हैं। यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसका मेरे प्रांत से गहरा संबंध हो।

डा. अम्बेडकर: मैं कुछ सीमा संबंधी शब्द शामिल करने के लिए तैयार हूं जैसे, 'जहां उन्हें इस समय बाहर रखा गया है'।

राजा नरेन्द्र नाथ: ऐसा कोई नियम नहीं है, जो उन्हें पुलिस में रोजगार देने से वंचित करे। लेकिन व्यवहार में उन्हें रोजगार नहीं दिया जाता। एक बार परिषद के एक सदस्य ने यही प्रश्न उठाया था और सरकार से पूछा था कि इन लोगों को पुलिस में क्यों भर्ती नहीं किया जाता और क्या यह परिपाटी भारत सरकार अधिनियम की धारा 96 का उल्लंघन नहीं है? उसका जो उत्तर दिया गया, वह संतोषजनक नहीं था। मेरा ख्याल है कि जिन शब्दों का मैंने सुझाव दिया है यदि उन्हें जोड़ दिया जाए, तो कुछ लाभ हो सकता है। साथ ही सामान्य इच्छा और सामान्य सिफारिश भी लाभकर सिद्ध होगी। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि सामान्य भावना की अभिव्यक्ति उतनी कारगर नहीं होगी, जितनी कि मेरे द्वारा सुझाए गए शब्दों के समावेश से होगी।

मेजर स्टैनले: सैनिक सेवा का सुस्पष्ट उल्लेख निश्चय ही इस समिति के विषय-क्षेत्र से बाहर है।

श्री मोदी: हमने सिफारिश की है कि सेना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए।

अध्यक्ष: मेरा ख्याल है कि यदि आप यह कहें, तो इसे कुछ कम विवादास्पद बनाया

जा सकता है 'और विशेष रूप से सिफारिश करते हैं कि सभी सेवाओं में उनके लिए भर्ती खोल दी जाए'।

श्री मोदी: जी हां, जिससे उन्हें अब तक वंचित रखा जाता रहा है।

अध्यक्ष: मैं यह नहीं कहूंगा, क्योंकि इससे विवाद उत्पन्न हो जाएगा। आप यही कहना चाहते हैं कि सभी सेवाओं में भर्ती के द्वार उनके लिए खोल दिए जाएं।

लेफ्टि. कर्नल गिडने: उनको ऐसे रोजगार के लिए किसी प्रकार से योग्य नहीं माना जाएगा।

अध्यक्ष: क्या मैं यह बात कह सकता हूं कि यदि हम चाहते हैं कि यह रिपोर्ट सबकी समझ में आ जाए,तो इसमें ऐसे दो पैराग्राफ का रखना जिनमें ठीक वही बात कही गई हो, कुछ अनुपयुक्त प्रतीत होता है, इसलिए मैं डा. अम्बेडकर को यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि हम यही शब्द चाहते हैं, तो बेहतर हो कि ये खंड 5 के बाद आएं। हमें अपनी सामान्य सिफारिशें खंड 5 में रखनी चाहिएं और उसके बाद मेरा सुझाव है कि खंड 5 के अंत में हम एक पैराग्राफ जोड़ दें, जिसमें 'यह सिफारिश करते हुए' स्पष्ट किया गया अर्थात, उप-समिति का संकेत विशेष रूप से खंड 5 में दी गई सिफारिश दलित वर्गों से हैं।

डा. अम्बेडकर: बहुत अच्छा।

अध्यक्ष: यदि आपको आपत्ति न हो तो हम खंड 5 पर पहले चर्चा कर लें और फिर देखें कि उस आशय के किसी खंड को जोड़ने की आवश्यकता है या नहीं। क्या किसी को खंड 5 के प्रारूप पर कोई टिप्पणी करनी है?

राजा नरेन्द्र नाथ: इस बारे में मैं कह चुका हूं। मैंने यह सुझाव दिया था कि 'अयोग्यता' के बाद आपको यह जोड़ देना चाहिए--'न ही उसके साथ किसी प्रकार का पक्षपात किया जाएगा'।

अध्यक्ष: मैं चर्चा के लिए इसे बाद में पेश करूंगा। हम इस विषय पर बाद में चर्चा करेंगे।

डा. अम्बेडकर का सुझाव है कि खंड 5 पारित करने के बाद हम ये शब्द जोड़ दें, 'उप-समिति ने यह सिफारिश करते समय दलित वर्गों की समस्या का विशेष रूप से ध्यान रखा है। उसकी इच्छा है कि लोक सेवाओं में दलित वर्गों के रोजगार के मामले में उदार नीति अपनाई जाए और विशेष रूप से यह सिफारिश करती है कि उनके लिए सभी सेवाओं में, जिसमें पुलिस सेवा भी शामिल है भर्ती के लिए, दरवाजे खोल दिये जाएं।' यह संशोधन डा. अम्बेडकर ने प्रस्तावित किया है, जिसे खंड 5 के अंत में समाविष्ट किया जाना है।

जो इसके पक्ष में हो और जो विपक्ष में हों, 'वे कृपया सूचित करें; संशोधन पारित हुआ ।

8

पूर्ण अधिवेशन (सामान्य पुनर्विलोकन)

आठंवी बैठक—19 जनवरी 1931

भावी संविधान में दलित वर्गों के सरंक्षणों के लिए सुस्पष्ट और ठोस प्रावधानों की मांग

डा. अम्बेडकर *: प्रधानमंत्री महोदय! गोलमेज सम्मेलन को ऐसे दो सबसे अधिक महत्व के प्रश्नों से जूझना पड़ा है, जो निश्चय ही किसी भी समुदाय के राजनीतिक जीवन को संगठित करने के किसी भी प्रयास में निश्चय ही उभरते हैं। उत्तरदायी सरकार की समस्या उनमें से एक थी और दूसरी थी प्रतिनिधि सरकार की।

प्रांतों में उत्तरदायी सरकार के प्रश्न पर मुझे बहुत थोड़ा ही कहना है। मैं समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करता हूं और जिन मुद्दों पर मेरा मतभेद है, उनको छोड़कर मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन जहां तक केंद्र में उत्तरदायी सरकार का प्रश्न है, मैं मानता हूं कि मेरा मत भिन्न है। यह कहना बेईमानी होगी कि संघीय संरचना जिससे कि हम आज परिचित हैं, उप-समिति की रिपोर्ट में सरकार के नौकरशाह स्वरूप में, किसी प्रकार के परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है। लेकिन मेरे लिए आपसे अपनी यह राय छिपाना भी उतनी ही बेईमानी होगी कि यह परिवर्तन दिखाने मात्र का है, सारपूर्ण नहीं है और जिसे उत्तरदायी कहा गया है, यह मिथ्या है, वास्तविक नहीं।

लार्ड चासंलर ने हमें बताया था कि उन्होंने बीजारोपण कर दिया है। अब इस पौधे की देखभाल करना हमारा काम है। महोदय, हम दरअसल लार्ड चासंलर के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है। मैं उनका आभारी हूं। लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं है कि उन्होंने जो पौधा लगाया है, वह बढ़ेगा भी। मेरा ख्याल है कि उन्होंने जिस बीज का चुनाव किया है, उसका दाना फलहीन है और जिस मिट्टी में उन्होंने उसे बोया है, वह उसके बढ़ने के लिए अनुकूल नहीं है।

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि राउंड टेबिल कांफ्रेंस, (1930-31), प्रथम अधिवेशन, पृ. 438-41

मैंने लार्ड चांसलर को एक वक्तव्य* प्रस्तुत किया था, जिसमें संघीय भारत के भावी संविधान के बारे में मेरे मत शामिल थे। मुझे नहीं मालूम कि जिस समिति की उन्होंने अध्यक्षता की थी, उसने उन पर विचार भी किया था या नहीं। क्योंकि मुझे समिति की रिपोर्ट जिसके वे अध्यक्ष थे, इसका कोई हवाला नहीं मिला। मेरे आज भी वही विचार हैं, जो उसमें व्यक्त किए गए थे और मैं ऐसे संविधान को अपना समर्थन नहीं दे सकता, जो मेरे उन विचारों से इतना अधिक भिन्न है। बल्कि यदि मुझे वर्तमान प्रणाली और समिति जन्य इस संकर प्रणाली में से चयन करने को कहा जाए, तो मैं वर्तमान प्रणाली को ही तरजीह दूंगा। लेकिन महोदय! यदि समिति की रिपोर्ट में समाविष्ट केंद्र सरकार से माननीय तेज बहादुर सप्रू, जो इस सम्मेलन के मित्र, मार्गदर्शक और विचारक रहे हैं, सतुंष्ट हैं, यदि इससे श्री जयकर,जो स्वंय को भारत के युवाओं का प्रतिनिधि घोषित करते हैं और यदि इससे माननीय ए. पी. पात्रो प्रसन्न हैं, जो भारत के गैर-ब्राह्मणों के प्रतिनिधि हैं, तो फिर मेरे लिए इसका विरोध करना निरर्थक है। इसलिए मेरा दृष्टिकोंण उस व्यक्ति जैसा है, जो किसी बात का अनुमोदन भी नहीं करता और न ही उसमें बाधा डालता है, मैं इसे उन पर छोड़ता हूं, जो सफलता की कामना करते हैं।

ऐसा रवैया मुझे ज्यादा पसंद है, क्योंकि मेरे पास सरकार के स्वरूप के बारे में उन लोगों का कोई आदेश नहीं है, जिनका मैं प्रतिनिधि हूं। लेकिन मेरे पास एक आदेश है और वह यह कि उत्तरदायी सरकार का विरोध न करते हुए भी इस बात का ध्यान रखना कि कोई भी उत्तरदायी सरकार तब तक स्थापित न हो पाए, जब तक कि वह सच्चे अर्थ में प्रतिनिधि सरकार न हो। जब मैं सम्मेलन की उपलब्धि पर यह जानने के लिए नजर डालता हूं कि उसने प्रतिनिधि सरकार के प्रश्न का समाधान किस प्रकार किया है, तो मुझे घोर निराशा होती है। मताधिकार और विधान-मंडलों में विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व ऐसी दो बाते हैं, जिन पर सच्चे अर्थ में प्रतिनिधि सरकार आधारित होती है। हर व्यक्ति यह जानता है कि नेहरू समिति ने वयस्क मताधिकार को माना था और संविधान के जिस भाग का उन्होंने निर्माण किया था, उसे भारत के सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया था। जब मैं इस सम्मेलन में आया तो मैंने सोचा था कि जहां तक मताधिकार के प्रश्न का संबंध है, लड़ाई जीती जा चुकी है। लेकिन मताधिकार समिति में पहुंचकर मेरी आंखें खुल गईं। मुझे यह देखकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि उन सभी लोगों ने जिन्होंने नेहरू रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए थे, के मन में कुछ और ही था। यहां तक कि भारतीय उदारवादियों को भी प्रांतीय विधान-मंडलों में जनसंख्या के 25 प्रतिशत लोगों को मताधिकार दिलाने के लिए सहमत होने के लिए तैयार करना भी मुश्किल हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि केद्रीय विधान-मंडल के लिए मताधिकार की योग्यता क्या है? कोई नहीं जानता। लेकिन मुझे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं

---

* लार्ड चांसलर उप-समिति सं.1 (संघीय संरचना) के अध्यक्ष थे, जिसके डा. अम्बेडकर सदस्य नहीं थे। लगता है कि ऊपर जिस वक्तव्य का उल्लेख किया गया है, उस पर विचार ही नहीं किया गया था।

है कि वह ऐसा होगा, जिससे कि प्रांतीय विधान-मंडलों की तुलना में केंद्रीय विधान-मंडल जनता का अधिक प्रतिनिधित्व कर सकेगा। यदि मताधिकार इतना सीमित होगा,तो उसका एकमात्र परिणाम यही हो सकता है कि भारत की भावी सरकार वर्गों द्वारा संचालित जनता की सरकार बन जाएगी।

जहां तक सीटों के बहुसंख्यक और विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के बीच वितरण का प्रश्न है, हम सभी यह जानते हैं कि इस पर गतिरोध है। मेरी राय में यह गतिरोध अधिकाशंत: अतीत की शरारत का नतीजा है। मुझे विश्वास है कि यदि भारत में प्राधिकारियों ने 'सबके लिए न्याय, किसी के लिए पक्षपात नहीं', का सिद्धांत अपनाया होता, तो समस्या का समाधान इतना कठिन नहीं बन जाता। ब्रिटिश सरकार ने विभिन्न समुदायों के लिए उनसे प्राप्त राजनीतिक लाभ के अनुसार भिन्न-भिन्न मान्यताएं निर्धारित कीं और अनेक समुदायों को राजनीतिक शक्ति का असाधारण अंश देकर दलित वर्गों को उनके देय अंश से वंचित किया। इस प्रकार सबसे अधिक नुकसान दलित वर्गों को हुआ। मैं यही आशा करता रहा कि यह सम्मेलन इसी सिद्धांत का पालन करेगा कि जिस मसले को गलत ढंग से तय किया जाता है, वह कभी तय नहीं हो पाता और प्राचीन मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करके दलित वर्गों को उनकी सीटों का न्यायपूर्ण कोटा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अन्य अल्पसंख्यकों के दावों को पहले से ही स्वीकार कर लिया गया है और निश्चित कर दिया गया है। अब उनकी केवल यही आवश्यकता शेष है कि परिवर्तन और संशोधन करके उन्हें नई सरकार के विस्तृत ढांचे और बढ़े हुए कार्य-क्षेत्र के अनुरूप बना दिया जाए। जो भी परिवर्तन-संशोधन हों, उन बुनियादों को खोदने का साहस कोई भी नहीं कर सकता, जो पहले से रख दी गई हैं। दलित वर्गों का मामला बिल्कुल भिन्न है। उनके दावों की तो अभी ही सुनवाई हुई है। अभी तो उनका न्याय-संगत निर्णय भी नहीं हुआ है और मैं नहीं जानता कि उनमें से कितनों को प्रवेश दिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए यह भी असंभव नहीं है कि दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए मांगों को इस सीमा तक घटा दिया जाए कि अन्य समुदायों की आए दिन बढ़ती हुई छीना-झपटी समाप्त की जाए सके , जो सरंक्षण के लिए नहीं बल्कि सत्ता के लिए जोड़-तोड़ कर रहे हैं।

ऐसी स्थिति को देखते हुए आवश्यक है कि मैं अपना दृष्टिकोंण सर्वथा स्पष्ट कर दूं। चूंकि भावी संविधान में दलित वर्गों के क्या अधिकार होगें,यह निश्चित नहीं किया गया है, इसलिए महामहिम की सरकार की ओर से केंद्र तथा प्रांतों के दायित्व के संबंध में,जो भी घोषणा की जाए, उसमें यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि उस दिशा में उठाया गया कोई भी कदम इसी शर्त पर और उन समुदायों के बीच हुए करार के आधार पर उठाया जाए, जिससे दलित वर्गों के हितों और अधिकारों की कारगर सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। स्थिति की गंभीरता पर बल देते हुए,मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं

कि यदि इस संबंध में स्थिति पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो जाती, तो हमें कोई भी घोषणा स्वीकार्य नहीं होगी और यदि ऐसा हुआ, तो मैं और मेरे सहयोगी सम्मेलन की आगे की कार्यवाही में भाग लेने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगें और इससे अपना संबंध विच्छेद करने परं बाध्य होंगे।

महोदय! मैं आपसे यह मांग करते हुए केवल यही अपेक्षा करता हूं कि आप अपने वचन को कार्य रूप दें। ब्रिटिश संसद और उसके प्रवक्ताओं ने हमेशा यह दावा किया है कि वे दलित वर्गों के न्यासी है और मुझे विश्वास है कि वे जो कुछ कह रहे हैं, वह सभ्यता के द्योतक उन परंपरागत असत्यों में से नहीं हैं, जिनका हम सभी मानव संबंधों को यथासंभव सुखद बनाए रखने के लिए प्रयोग करते हैं। इसलिए मेरी राय में यह प्रत्येक सरकार का कर्तव्य है कि विश्वास भंग न हो और प्रधानमंत्री महोदय! मुझे यह कहने की अनुमति दीजिए कि यदि ऐसा करके आपने हमें उन लोगों की दया पर छोड़ दिया, जिन्होंने हमारे कल्याण में कोई रुचि नहीं दर्शायी है और जिनकी समृद्धि और महानता हमारे विनाश और अधोगति पर टिकी हुई है, तो दलित वर्ग इसे महामहिम की सरकार द्वारा किया गया महान विश्वासघात मानेंगे।

अपने इस कथन के लिए भारत के राष्ट्रवादी और देशभक्त मुझे संप्रदायवादी कहेंगे। लेकिन मैं इससे नहीं डरता। भारत एक विलक्षण देश है। उसके राष्ट्रवादी और देशभक्त लोग विलक्षण हैं। भारत में देशभक्त और राष्ट्रवादी वह माना जाता है, जो अपने बधुंओं के साथ अमानुषिक व्यवहार होता देख सके और उसकी मानवीयता विरोध में न खड़ी हो। वह जानता है कि पुरुष-स्त्रियों को अकारण ही उनके मानव अधिकारों से वंचित रखा जाता है, लेकिन उसका नागरिकता बोध उसे किसी उपयोगी कार्य के लिए नहीं उकसाता। वह देखता है कि एक पूरे वर्ग के लिए लोक नियोजन के द्वार बंद हैं। लेकिन यह देखकर भी उसका न्याय और ईमानदारी का बोध नहीं जगता। वह देखता है कि ऐसे सैकड़ों रिवाज समाज में प्रचलित हैं, जो मनुष्य और समाज को क्षति पहुंचाते हैं, लेकिन उसमें जुगुप्सा का भाव उत्पन्न नहीं होता। देशभक्त की एक पुकार में जो शक्ति है, वह उसी के लिए नहीं, वरन् उसके समस्त वर्ग के लिए बहुत बड़ी शक्ति होती है। मुझे खुशी है कि मैं देशभक्तों के उस वर्ग का नहीं हूं। मेरा संबंध तो उस वर्ग से है, जिसका लोकतंत्र के प्रति एक सुस्पष्ट दृष्टिकोंण है और जो एकाधिकार को समूल नष्ट करने के लिए कृतसंकल्प है। हमारा लक्ष्य जीवन के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में 'एक व्यक्ति, एक मान्यता' के आदर्श का प्रतिफल देखना है। चूंकि प्रतिनिधि सरकार उसी साध्य का एक साधन है, इसलिए दलित वर्ग उसको बहुत महत्व देता है और चूंकि हमारे लिए इसका इतना महत्व है, मैंने आपसे यह आग्रह किया है कि आपकी घोषणा उस स्थिति में उचित होगी, जब उपर्युक्त आदर्श प्राप्त हो जाए। आप कहेंगे कि आपकी दलित वर्गों के साथ पूरी सहानुभूति है। लेकिन इस

पर मेरा उत्तर यह होगा कि पीड़ित जनता के लिए कुछ और ठोस, कुछ और स्पष्ट आश्वासन चाहिए। हो सकता है कि आप मेरी बातों की इसलिए उपेक्षा करें कि इनसे मेरे अनुचित संदेहों की गंध आती है। इसका मेरे पास यही जवाब है कि किसी बात के प्रति चिंतित होने के लिए उपेक्षा का पात्र होना अत्यधिक आश्वासन के हाथों नष्ट हो जाने से कहीं बेहतर है।

●

9

संघीय ढांचा समिति

23वीं बैठक--16 सितम्बर, 1931

मद संख्या 2

(संघीय विधान-मंडल के लिए सदस्यों के चुनाव से संबंधित प्रश्न)

डा. अम्बेडकर*: अध्यक्ष महोदय! मैं संघीय संरचना समिति में सदस्य की हैसियत से पहली बार बोल रहा हूं। महोदय! इस समिति को किन-किन समस्याओं पर विचार करना है, इस बारे में आपने हर सदस्य को अपना-अपना सामान्य दृष्टिकोंण स्पष्ट करने के लिए मौका दिया है। इस उपयुक्त अवसर का फायदा उठाते हुए हर सदस्य ने आपकी महान सेवाओं की सराहना की है, जो अध्यक्ष के रूप में आप इस समिति की कर रहे हैं। हर नए सदस्य ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि केंद्रीय सरकार के उत्तरादायित्व के बारे में वह जो भी सहमति देगा, वह इस शर्त पर होगी कि वह जिस बिरादरी का प्रतिनिधित्व करता है, उसके हितों की रक्षा का ख्याल पहले रखा जाएगा। महोदय! मैं अपने पूर्व वक्ताओं की इस रीति का अनुसरण नहीं कर रहा हूं। इसकी वजय यह नहीं है कि इस संबंध में मेरी कोई राय नहीं है या मुझे कुछ नहीं बोलना है। बल्कि, मेरी भावनाएं तो बहुत प्रबल हैं और मैं उन्हें व्यक्त करने के बजाए, आपके इस निर्देश का जो आपने हम सबको आज शुरू में ही दिया है, पालन करना ज्यादा ठीक समझता हूं कि ऐसे सभी मुद्दों को आमतौर से समिति के विचारार्थ मंजूर हुआ समझा जाएगा।

इन कुछेक शब्दों के साथ मैं मद संख्या 2 में जो बहुत सी उप-मदें शामिल की गई हैं, उनके बारे में अब अपने विचार प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। आपने हम सबको जो ज्ञापन दिया है, उसमें इन उप-मदों को जिस क्रम से रखा गया है, मैं उस क्रम का अनुसरण तो नहीं कर रहा हूं और इस ज्ञापन में जितनी उप-मदों को शामिल किया गया है, उनमें से हर मद पर मैं बोलना भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ उन्हीं विषयों पर बोलूंगा, जिन पर कुछ

---

*प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी (गोलमेज सम्मेलन, दूसरा सत्र), भारत सरकार, केंद्रीय प्रकाशन शाखा, कलकत्ता, 1932, खंड 1, पृ. 120-32

कहने के लिए मेरे पास कुछ ठोस प्रमाण हैं और जिनके संबंध में मैं कुछ निश्चित योगदान भी कर सकता हूं।

मैं जिस विषय पर सबसे पहले कुछ कहना चाहता हूं, वह है संघीय विधान-मंडल की संरचना और इससे पहले कि मैं इस विषय में कुछ बोलूं, मैं इस संबंध में अपने दृष्टिकोंण को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भावी भारत का विधान-मंडल एक सदन वाला हो या दो सदनों वाला। शुरू में ही मैं यह बता दूं कि दो सदनों वाली विधान-मंडल प्रणाली में मेरी कोई आस्था नहीं है। मैंने यह कभी स्वीकार नहीं किया है कि एक और सदन बनाने की भी कोई उपयोगिता हो सकती है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि ऐसे बहुत से लोग हैं, जो मेरे इस दृष्टिकोंण से सहमत नहीं होंगे, चाहे इस बारे में मेरा कैसा भी दृढ़ मत क्यों न हो। मैं यह भी जानता हूं कि इस सम्मेलन में हम लोगों को इस बात के लिए राजी भी नहीं करा सकते कि एक और सदन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे, मैं यह भी अनुभव करता हूं कि अगर दोनों सदनों के बीच के संबंधों को ठीक ढंग से नियंत्रित कर दिया जाए, और ऐसे तरीके भी हैं जिनको अपनाने से दूसरे सदन के सिद्धांतों को काट-छांटकर छोटा किया जा सकता है, ताकि यह दूसरा सदन भारत के लोकतांत्रिक सरकार के रास्ते में रोड़ा नहीं बने, इसलिए मैं भारत में दो सदनों की प्रणाली शुरू किए जाने के बारे में कोई आपत्ति भी नहीं करना चाहता।

अब मैं भारत के संघीय विधान-मंडल में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के प्रतिनिधित्व के सवाल पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जब हम इस सवाल पर विचार करते हैं, तब पहली बात जो सामने आती है, वह यह है कि यह प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर होगा या अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर। जहां तक संघीय विधान सभा के निचले सदन का संबंध है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में कोई मतभेद नहीं हो सकता। यह प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा बनाई जानी चाहिए। मैं यह बात अच्छी तरह जानता हूं कि इस सवाल पर विचार करते समय साइमन कमीशन ने यह सिफारिश की है कि निचला सदन प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर न बनाया जाकर,अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इस कमीशन ने अपनी इस राय को पुष्ट करने के लिए यह कहा कि असलियत में प्रत्यक्ष चुनाव और अप्रत्यक्ष चुनाव में कोई अंतर नहीं है और अप्रत्यक्ष चुनाव तो प्रत्यक्ष चुनाव ही है, जिसमें एक कदम पहले ले लिया गया होता है। अगर इस तर्क के आधार पर देखा जाए,तो शायद बात यही हो, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली में बहुत बड़ा अंतर है। मेरी राय में सबसे ज्यादा अहम् बात यह है कि भारत के लोगों के दिलों में यह भावना पैदा की जानी चाहिए कि देश में अच्छी सरकार हो और उसकी जिम्मेदारी अंततोगत्वा उनकी ही है और मैं यह भी कहने का साहस करता हूं कि जब तक भारत के नागरिकों के दिल में यह बात नहीं बैठती है कि

वही किसी सरकार को बनाता है और वही किसी सरकार को खत्म कर सकता है, तब तक हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार की असली नींव रखने में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अगर मेरा यह सुझाव सही है, तब इसका मतलब यह है कि हमें चुनाव की कोई न कोई व्यवस्था अवश्य रखनी पड़ेगी, जिससे सरकार और देश के नागरिकों के बीच सीधा संपर्क रह सके। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि केंद्रीय सरकार और नागरिकों के बीच अप्रत्यक्ष चुनाव के इस पर्दे को हटा देना चाहिए, जिससे वे अपने द्वारा किए गए चुनाव का असर देश और सरकार तथा स्वयं अपने हितों पर देख सकें। इसलिए मैं किसी भी हालत में ऐसी प्रणाली के अपनाए जाने के बारे में अपनी सहमति नहीं दे सकता, जिसमें संघीय विधान-सभा के निचले सदन के लिए प्रत्यक्ष चुनाव किए जाने का प्रावधान न हो।

अब मैं उच्च सदन के गठन को लेता हूं। मैं संघीय संरचना उप-समिति के सुझाव का अनुमोदन करता हूं कि यह अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर गठित किया जाना चाहिए, जिसमें प्रांतीय विधान परिषदें चुनाव क्षेत्र के रूप में रहेंगी। मैं इस पद्धति का अनुमोदन इसलिए करता हूं कि इसमें चुनाव पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचक-मंडलों के अलग-अलग चुनाव प्रणालियों के आधार पर न होकर, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होगा। मैं समझता हूं कि भारत जैसे देश के लिए यह बड़ी ही शुभ बात होगी कि यहां एक ऐसा सदन होगा, जो गैर-सांप्रदायिक होगा, एक ऐसा सदन होगा, जिसमें चुनकर आए प्रतिनिधि सिर्फ एक ही समुदाय के नहीं होगें, बल्कि इस चुनाव का आधार व्यापक होगा। इसकी वजह यह है कि हम यहां पर कई एक कारणों से अलग-अलग समुदायों के लिए अलग-अलग प्रतिनिधि चुनने की प्रणाली अपनाने से बच नहीं सकते। हम विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा करने की उपेक्षा भी नहीं कर सकते। इस बारे में मेरी सिर्फ एक टिप्पणी है, जो मैं इस प्रस्ताव के बारे में कहना चाहता हूं। अनुपात के आधार पर प्रतिनिधि चुनने की प्रणाली के बारे में मेरी कोई आपत्ति नहीं है और जैसा मैं कह चुका हूं, मैं इसका अनुमोदन करता हूं। इस समिति के सभी सदस्य यह जानते हैं कि भारत में जो अल्पसंख्यक लोग हैं, वे विभिन्न विधान-मंडलों में अपने-अपने हितों और वर्गों के किए प्रतिनिधित्व ही नहीं चाहते हैं, बल्कि उनका इस बात पर भी जोर है कि कुछ निश्चित मात्रा में उनका प्रतिनिधित्व रहे। मेरी शंका यह है कि हो सकता है कि अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व की प्रणाली में उन्हें उच्च सदन में कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाए, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि विभिन्न समुदायों के लोगों को उच्च सदन में उतनी मात्रा तक प्रतिनिधित्व मिल जाएगा, जितना कि वे चाहते हैं, क्योंकि इस प्रणाली के परिणाम के बारे में कभी निश्चित नहीं हुआ जा सकता। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि संघीय संरचना उप-समिति की इस सिफारिश में आस्ट्रियाई संविधान के अनुच्छेद 35 के आधार पर इस उपबंध को जोड़ दिया जाना चाहिए। मौजूदा उपबंध में समुदायों के प्रतिनिधित्व के बारे में कुछ नहीं कहा गया

है। इस उपबंध में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधित्व की चर्चा की गई है। लेकिन यह उपबंध समुदायों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में भी लागू हो सकता है। इस उपबंध का पाठ इस प्रकार है:

> संघीय परिषद और उसकी स्थानापन्न संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा उनकी अपनी-अपनी अवधि के लिए अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा, लेकिन कम से कम एक स्थान उस पार्टी को अवश्य मिलेगा, जो प्रांतीय विधान सभाओं में अपने स्थानों की संख्या के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होगी या (अगर बहुत सी पार्टियों को समान संख्या में स्थान मिले हों) एक स्थान उस पार्टी के लिए नियत रहेगा, जिसे प्रांतीय सभा के पिछले चुनाव में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मत प्राप्त हुए हैं। जब बहुत-सी पार्टियों के दावे एक समान हों, तब इसका निर्णय पर्ची निकाल कर किया जाएगा।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस पाठ को ज्यों का त्यों भारतीय संविधान में शामिल कर लिया जाए। लेकिन वहां पर बताया गया है कि अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के साथ-साथ एक ऐसा उपबंध भी रहे, जिससे प्रतिनिधित्व की मात्रा सुनिश्चित की जा सके, तो इसे हमारे संविधान में भी अपना लिया जाना चाहिए।

संघीय विधान-मंडल में ब्रिटिश भारत के प्रांतों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। मैं अब इस विषय के दूसरे पक्ष पर, अर्थात संघीय विधान-मंडल में देशी राज्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में कहना चाहता हूं। इस पर विचार करते समय दो सवाल पैदा होते हैं। पहला यह है कि क्या हर राज्य को अलग-अलग प्रतिनिधित्व दिया जाए या प्रतिनिधित्व देने के लिए इनको वर्गों में बांट दिया जाए और दूसरा यह है कि इनको प्रतिनिधित्व किस तरह दिया जाए-चुनाव के द्वारा या नामजदगी के द्वारा।

मैं पहले सवाल को लेता हूं। संघीय सरंचना उप-समिति ने सिफारिश की है कि यह मामला राज्यों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उप-समिति की इस सिफारिश से मैं सहमत न हो सकूंगा। मैं यह मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर राज्यों को निर्णय करना चाहिए। मेरा दृष्टिकोंण तो यह है कि संघीय संरचना समिति को यह तय करना चाहिए कि जो संघीय संविधान हम बनाने जा रहे हैं, उसमें किस इकाई को वह संघीय संविधान की इकाई मानती है। कृपया यह विचार करें कि अगर सारा मामला देशी राज्यों पर छोड़ दिया गया, तब उसके क्या परिणाम होंगे? सबसे पहले तो मैं यह अनुमान करता हूं कि भारतीय संघ में हर राज्य का प्रतिनिधि रहेगा। अगर ऐसा होता है,तब मेरा निवेदन है कि भारत में जो संघ बनेगा, वह एक विशालकाय संघ होगा। आइए, इस पर तुलनात्मक

दृष्टि से विचार करें। जर्मन साम्राज्य के संघ राज्य में सिर्फ 25 इकाइयां हैं। आस्ट्रेलिया में सिर्फ 5, आस्ट्रिया में 8, कनाडा में 4, स्विट्जरलैंड में 22 और अमरीका में, जो अब तक का सबसे बड़ा संघ है, 48 इकाइयां हैं। अगर मैं यह मानकर चलूं कि हर राज्य को प्रतिनिधित्व दिया जाना है, तब हमारे संघ में लगभग 530 इकाइयां होंगी। दूसरी ओर, अगर हम यह मानें कि हम जिस संघ की परिकल्पना कर रहे हैं, उसमें सभी राज्यों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना है, तब जो सवाल उठता है, वह यह है कि उस आदर्श का क्या होगा, जो हमने अपने लिए निश्चित कर रखा है? यह आदर्श है कि हमारे नए संविधान में, जो हम बनाने जा रहे हैं, भारत के हर भाग को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। अगर कोई राज्य प्रतिनिधित्व से हमेशा के लिए वंचित हो जाएंगे, उनका क्या होगा? यह एक समस्या है, जिस पर हमें विचार करना होगा।

अध्यक्ष महोदय! मैंने यह सवाल इसलिए नहीं उठाया है कि भारतीय संघ में जिन राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया जाना है, उनकी संख्या के बारे में मैं चिंतित हूं। मुझे जो चिंता खाए जा रही है, वह यह है कि इस सवाल के बावजूद कि जिन इकाइयों को इस प्रकार मान्यता दी जाएगी, क्या वे आधुनिक सभ्यता के बोझ को सहन करने में समर्थ हैं, क्या हम भारत के भावी संघ में भारत के हर राज्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में मान्यता देंगे? या हम अपने संध में उन्हीं इकाइयों को शामिल करेंगे, जिनमें न्यूनतम सामर्थ्य होगी? जब हम देशी राज्यों के बारे में इस दृष्टि से विचार करने लगेंगे, तब निश्चित ही हमें उन विभिन्न परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं होगी, जो इन विभिन्न राज्यों में हमें देखने को मिलेगी। अध्यक्ष महोदय! आपकी अनुमति से मैं यहां एक संक्षिप्त अंश पढ़ रहा हूं, जिसमें मौजूदा देशी राज्यों का वर्णन किया गया है। यह अंश मैं श्री डी.वी. गुंडप्पा की *दि स्टेटस एंड देयर पीपुल इन दि इंडियन कांस्टीट्यूशन* नामक पुस्तक से पढ़ रहा हूं। असल में यही स्थिति है। उन्होंने एक तालिका दी है। मैं समिति की सुविधा के लिए यह तालिका नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इस पर उनकी टिप्पणी को सुना रहा हूं:

> ऊपर दी गई तालिका से यह स्पष्ट है कि कुल 454 राज्य ऐसे हैं, जिनका क्षेत्रफल 1,000 वर्ग मील से कम है, 452 राज्यों की आबादी एक लाख से भी कम है और 374 राज्यों का राजस्व एक लाख रुपये से कम है। ब्रिटिश भारत का क्षेत्रफल 10,94,300 वर्ग मील है, आबादी लगभग 22.2 करोड़ है और इसमें 273 जिले हैं। इस तरह ब्रिटिश भारत में एक जिले का औसत क्षेत्रफल 4000 वर्ग मील और यहां की औसत आबादी लगभग 8 लाख है। अगर यह सुझाव दिया गया होता कि ब्रिटिश भारत के हर जिले को एक राज्य बना दिया जाए, तब विचार करने पर यह कितना भोंडा लगेगा? हमारे 562 राज्यों में से सिर्फ 30 राज्य ऐसे हैं, जिनका क्षेत्रफल, जिनकी आबादी और राजस्व के लिए जिनके साधन, ब्रिटिश भारत के एक औसत जिले के बराबर हैं। कुछ राज्य

तो इतने छोटे हैं कि उन्हें राज्य कहने में संकोच होता है। लगभग 15 ऐसे राज्य हैं, जिनका क्षेत्रफल मुश्किल से एक वर्ग मील भी नहीं है। 27 ऐसे राज्य हैं, जिनका क्षेत्रफल मात्र एक वर्ग मील है। सूरत जिले में 14 राज्य हैं और 1925 की सूची के अनुसार उनमें से किसी भी राज्य का राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष में 3000 रुपये भी नहीं रहा। इनमें से तीन राज्य ऐसे हैं, जहां 100 व्यक्ति भी नहीं रहते हैं और पांच ऐसे हैं जिनका राजस्व एक सौ रुपये भी नहीं है।

इस पुस्तक में सबसे कम राजस्व एक वर्ष में बीस रुपये बताया गया है।

महाराजा बीकानेर: मैंने कल जो कुछ कहा था, क्या इससे उसकी पुष्टि नहीं होती कि भारतीय राज्यों में ऐसी इकाइयों को राज्य या पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर राज्य मानने के बारे में गलतफहमी है?

डा. अम्बेडकर : नहीं, कोई गलतफहमी नहीं है।

महाराजा बीकानेर : इसे भी देशी राज्य समझा गया और वही गलती हुई, जो पहले हुई थी। इस बारे में माननीय मिर्जा कुछ और बता सकेंगे।

डा. अम्बेडकर: हो सकता है, महाराजा बीकानेर! अत्यंत आदरपूर्वक आपसे मैं यह सवाल करता हूं। अगर राज्य के बारे में आपकी कोई विशेष परिभाषा है और अगर भारतीय संघ में राज्यों को शामिल करते समय आप इस परिभाषा को लागू करने जा रहे हैं, तब हम यह जानना चाहते हैं कि उन राज्यों का क्या होगा, जो उनके मत के अनुसार निश्चित परिभाषा में छूट जाते हैं?

महाराजा बीकानेर : मेरा विचार है कि इस सवाल पर बाद में अवसर आने पर विचार कर लिया जाए।

डा. अम्बेडकर : संघीय संरचना समिति आंख बंदकर राज्यों को वह सब कुछ नहीं दे सकती, जो वे मांगते हैं।

महाराजा बीकानेर : राज्य भी ऐसा नहीं कर सकते। हम कोरे चैक पर तो दस्तखत नहीं कर सकते। हमें चाहिए कि हम एक-दूसरे की दिक्कतों को समझें।

अध्यक्ष : डा. अम्बेडकर! इस मामले में शायद आप हमारी मदद कर सकेंगे। आपने एक बहुत ही रोचक अंश पढ़कर सुनाया है। मैंने इसे बड़े ध्यान से सुना है। लेकिन मैं आपसे यह पूछता हूं कि इस अंश को पढ़ने के बाद आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं?

डा. अम्बेडकर : मैं जो बात कर रहा हूं, वह यह है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। मैंने इसका उल्लेख इसलिए किया है कि अगर आप एक बार यह प्रस्ताव मान लें कि हर राज्य को भारतीय संघ में शामिल होने का हक है, चाहे वह जैसा भी हो, तब आप उस राज्य को हमेशा बने रहने का स्वतंत्र अधिकार दे रहे होंगे।

महाराजा बीकानेर : यह अधिकार उसे अभी भी है।

डा. अम्बेडकर : यह अधिकार ब्रिटिश सरकार की कृपा के कारण है। लेकिन मेरा निवेदन है कि यह एक ऐसी परिस्थिति है, जो मैं सोच भी नहीं सकता और इससे सहमत नहीं हो सकता। यही कारण है कि आजकल के दिनों में वही इकाई उसी मानक के अनुसार बनी रह सकती है, जैसी कि आधुनिक सभ्यता निश्चित करेगी, बशर्ते उस राज्य के पास राजस्व के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। मैं समझता हूं कि भारत के राजाओं को इस तरह खुश करने से कोई लाभ नहीं होगा और वह भी केवल इसलिए कि वह अपने राज्य को एक अलग इकाई मानने से अपने को राजा-महाराजा कहे जाने पर खुश होते हैं, चाहे इससे उनकी प्रजा को कोई लाभ होता हो अथवा नहीं।

महाराजा बीकानेर : उन्हें राजा-महाराजा नहीं कहा जाता है।

डा. अम्बेडकर : मेरा निवेदन है कि इस समिति को कुछ अर्हताएं निश्चित कर देनी चाहिएं, जो हर राज्य को भारतीय संघ में शामिल होने के पूर्व जरूर पूरी करनी चाहिए।

अध्यक्ष : यह बहुत अच्छी बात है। यह अर्हताएं क्या हों, क्या यह निश्चित करने में आप हमारी सहायता करेंगे?

डा. अम्बेडकर : मैं इसके लिए कुछ निश्चित भू-भाग और कुछ निश्चित राजस्व नियत करना चाहता हूं। यह भू-भाग कितना हो, राजस्व कितना हो, इस बारे में एकदम से तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरा यह कहना है कि अगर किसी राज्य का शासक यह चाहता है कि उसका राज्य पूर्ण रूप से एक आत्म-निर्भर राज्य के रूप में रहे और भारतीय संघ का भाग बने, तब उसे यह सिद्ध करना होगा कि उसके राज्य के पास अपनी प्रजा के लिए एक सुसंस्कृत जीवन उपलब्ध कराने के लिए अपेक्षित संसाधन और सामर्थ्य है। मेरी यही कसौटी है।

माननीय मानेकजी दादाभाई : अपने मित्र के इस वक्तव्य से क्या मैं यह समझूं कि वह ऐसे राज्यों को संघ में शामिल किए जाने की अनुमति नहीं देंगे, जिनका भू-क्षेत्र छोटा है और जिनका राजस्व भी अल्प है?

डा. अम्बेडकर : अब मैं प्रश्न के दूसरे पक्ष पर, अर्थात संघीय विधान-मंडल में भारतीय राज्यों को प्रतिनिधित्व दिए जाने के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। भारतीय राज्यों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे भारतीय संघ में तभी शामिल होंगे, जब उन्हें संघीय विधान-मंडल में अपने प्रतिनिधियों को नामजद करने की छूट दी जाएगी। भारतीय राज्यों के राजा-महाराजाओं के प्रति अत्यंत आदर व्यक्त करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं और मैं इस बात पर जोर दूंगा कि उनके राज्यों का प्रतिनिधित्व चुनाव के द्वारा होगा। अध्यक्ष महोदय! इस विषय पर अपनी बात करते हुए मैं इस तथ्य की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक मुझे मालूम है, सिर्फ एक संविधान को छोड़कर, जिसका नाम क्षणभर में अभी बता दूंगा, किसी भी संविधान का ऐसा कोई

उदाहरण नहीं है, जहां राज्य सरकारों को संघीय विधान-मंडल में अपने प्रतिनिधियों को नामजद करने की अनुमति मिली हुई है। यह मानना एक बात है कि संघ की एक इकाई को संघीय विधान-मंडल के उच्च सदन में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह उस प्रस्ताव से बिल्कुल अलग बात है, अर्थात यह कि सरकारों को ही सदन में अपने प्रतिनिधि नामजद करने चाहिएं। मेरे विचार से यह दो बातें बिल्कुल अलग-अलग हैं। इस प्रकार की व्यवस्था जहां मंजूर की गई और उसे संविधान में शामिल किया गया, वह पुराने जर्मनी साम्राज्य का संविधान है। इस संविधान में राज्यों की सरकारों को अपने-अपने प्रतिनिधि वहां के संघीय विधान-मंडल के उच्च सदन में भेजने की अनुमति मिली हुई थी। हो सकता है कि दूसरी ओर बैठे हुए हमारे साथी पुराने जर्मनी साम्राज्य के संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अपना तर्क प्रस्तुत कर रहे हों। इस विषय पर आगे कहने के पूर्व मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे इस बात पर शक है कि पुराने जर्मनी के साम्राज्य की इस व्यवस्था के सभी पहलुओं को हमारे राज्यों के राजा-महाराजा पूरी तरह समझते भी हैं। वहां के विधान-मंडल के उच्च सदन में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि निस्संदेह राजदूत समझे जाते थे और वे निश्चित निर्देशों के अनुसार कार्य करते थे। लेकिन इस व्यवस्था में एक बड़ी बात यह थी कि इस उच्च सदन को उनका दस्तावेज जांचने का आदेश मिला हुआ था, जिन्हें हम राजदूतों के प्रत्यय-पत्र कह सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इस उच्च सदन को इन राज्यों के राजा-महाराजाओं से संबंधित राजवंशीय मामलों की जांच करने का भी अधिकार था। इसकी वजह यह थी कि जब तक किसी राजा-महाराजा को राजाध्यक्ष के रूप में विधिपूर्वक मान्यता मिली हो, तब तक उसके प्रतिनिधिमंडल को उच्च सदन में बैठने का अधिकार नहीं था। इस उदाहरण के आधार पर जो राजा-महाराजा अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, उन्हें. . .

कर्नल हक्सर : वह ऐसा नहीं करते।

डा. अम्बेडकर : मुझे शक है कि हमारे राजा-महाराजा भारत के संघीय विधान-मंडल को ऐसे अधिकार देने पर सहमत होंगे, जैसे कि जर्मन संघ के उच्च सदन को प्राप्त हैं। अध्यक्ष महोदय! मैं इस सवाल पर पिछली मिसालों या समान उदाहरणों का संदर्भ देकर विचार नहीं करूंगा और मैं बिल्कुल अलग कसौटियों पर परखते हुए कहूंगा, हम सब जिस एक बात को स्पष्ट रूप से जानते हैं, वह यह है कि हम भारत में एक उत्तरदायी शासन की प्रणाली स्थापित करने के लिए संविधान बना रहे हैं। हालांकि हम और बहुत से मामलों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि इस समिति का यही एकमात्र मुख्य लक्ष्य और प्रधान कार्य है। इसका यह तात्पर्य हुआ कि ऐसी कोई भी छूट नहीं दी जा सकती और न ही ऐसी कोई योजना ही स्वीकार की जा सकती है, जिससे अंततः यह पाया जाए कि ऐसी छूट या योजना से उत्तरदायित्व की प्रणाली पर आंच आती

है या जिससे उत्तरदायित्व की प्रणाली धीरे-धीरे कम प्रभावी होती जाती है, जिसकी स्थापना करना हम सबका ध्येय है।

अब अगर इस कसौटी को लागू किया जाए, तब आप राजा-महाराजाओं के इस दावे का अनुमोदन नहीं करेंगे कि उन्हें अपने प्रतिनिधियों को नामजद करने का अधिकार है।

कर्नल हक्सर : किस सदन में?

डा. अम्बेडकर : किसी भी सदन में, पहली बात तो यह है कि संघीय संरचना उप-समिति की रिपोर्ट को जो भी पढ़ेगा, उसे यह पता चलेगा कि राजा-महाराजा न केवल विधान-मंडल में आना चाहते, बल्कि वह देश की केंद्रीय कार्यकारिणी में भी अपना प्रतिनिधित्व चाहते हैं और यह उचित भी है कि राजा-महाराजाओं का यही लक्ष्य होना चाहिए। यह इसलिए उचित है कि अगर वे सिर्फ विधान-मंडल में शामिल होते हैं, तो उन्हें कोई खास लाभ नहीं होगा। उन्हें असल में लाभ तब होगा, जब देश की कार्यकारिणी में उनकी भागीदारी हो। इसलिए इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, मेरा यह कहना है कि जैसा कि संघीय संरचना उप-समिति ने कहा है, केंद्रीय विधान-मंडल के उत्तरदायित्व की प्रणाली सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली होगी। अब जब हमारे विधान-मंडल में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि चुनाव के माध्यम से आएंगे तथा देशी राज्यों के प्रतिनिधि इस विधान-मंडल में नामजदगी के द्वारा आएंगे और उन्हें निश्चित निर्देश उनसे मिलेंगे, जिन्होंने उन्हें नामजद किया है, तब एक बात, जो मेरी समझ में नहीं आती है, वह यह है कि सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली किस प्रकार हमारे देश के भावी संविधान में कारगर रह सकेगी, क्योंकि तब जनादेश बंटा हुआ होगा और निर्देश भी भिन्न होंगे।

संघीय विधान-मंडल में राजा-महाराजाओं के नामजद होने का असर एक दूसरे रूप में पड़ेगा। माननीय तेज बहादुर सप्रू ने कल सरकारी नामजदगी को रखे जाने की ठीक ही निंदा की। चूंकि यह वर्ग कार्यकारिणी के निदेश के अनुसार काम करेगा, इससे यह वर्ग कार्यकारिणी को विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं होने देगा। उन्होंने सरकारी वर्ग का जिस कारण अनुमोदन नहीं किया है, मेरे ख्याल में उनके तर्कों का यही सार है। अब मैं जो सवाल उठाना चाहता हूं, वह यह है: क्या हमें पूरी तरह विश्वास है कि संघीय विधान-मंडल में राज्यों के प्रतिनिधि महाराजा के रूप में आचरण नहीं करेंगे? जहां तक मेरा ख्याल है और मैं इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त हूं तथा मैं यह भी कहता हूं कि मुझे ऐसा कोई विश्वास नहीं है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं, इस बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि राजा-महाराजा अपने-अपने राज्यों में प्रशासन जिस प्रणाली के आधार पर चलाते हैं, उसे सर्वोच्चता की प्रणाली कहा जाता है। मेरा ख्याल है कि सर्वोच्चता के सिद्धांत के पक्षों में से एक पक्ष यह है कि सर्वोच्च सत्ता को महत्वपूर्ण नियुक्तियों के मामले में राजा-महाराजाओं को सलाह देने का अधिकार होता है।

महाराजा बीकानेर: बिल्कुल नहीं। ऐसा एक या दो मामलों में हो सकता है।

डा. अम्बेडकर: ठीक है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि यही बटलर समिति ने कहा है।

कर्नल हक्सर: क्या उन्होंने ऐसा कहा है?

महाराजा बीकानेर: क्या उन्होंने ऐसा कहा है? अगर उन्होंने ऐसा कहा है,तो यह गलत है, क्योंकि उन्होंने कई और मामलों में भी गलत कहा है।

डा. अम्बेडकर: मेरा ख्याल है कि कम से कम मैं तो सही हूं, क्योंकि मैंने यही समझा है। इसके अलावा एक और बात यह है कि नए संविधान में सर्वोच्चता को एक आरक्षित विषय के रूप में सोचा जा रहा है। अब कल्पना कीजिए कि राजनीतिक विभाग, जो सर्वोच्चता की शक्तियों का उपयोग करता है, अगर संघीय विधान-मंडलों में नामजदगी के बारे में राजा-महाराजाओं को सलाह देने का दावा करे, तब इसका क्या परिणाम होगा?

महाराजा बीकानेर: ऐसा नहीं हो सकता और न होगा। राज्य इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे।

डा. अम्बेडकर: मैं जो कह रहा हूं, वह यह है कि कल्पना कीजिए कि अगर राजनीतिक विभाग यह दावा करे कि संघीय विधान-मंडल में राजा-महाराजाओं की नामजदगी एक महत्वपूर्ण मामला है और इसलिए राजनीतिक विभाग को राजा-महाराजाओं को सलाह देने की शक्ति का उपयोग करना चाहिए, तब क्या होगा? जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं, जहां तक मैं सोचता हूं, राजा-महाराजाओं की नामजदगी और कुछ नहीं, सिर्फ सरकारी वर्ग कहलाएगी, जिसका रूप कुछ भिन्न होगा।

कर्नल हक्सर: ऐसा नहीं होगा।

डा. अम्बेडकर: और अब इस स्थिति में, अध्यक्ष महोदय! मैं एक और बात कहना चाहता हूं . . .

माननीय मानेकजी दादाभाई: लेकिन आपने हमें इस समस्या का कोई समाधान नहीं बताया।

डा. अम्बेडकर: मैं जोर देकर कहता हूं, चुनाव।

कर्नल हक्सर: डा. अम्बेडकर, क्या आप हमें अभी बटलर समिति की रिपोर्ट का संदर्भ बताएंगे।

डा. अम्बेडकर: मैं कोशिश करूंगा।

कर्नल हक्सर: क्योंकि आपने उनके इस दावे का संदर्भ दिया है कि राजनीतिक विभाग महत्वपूर्ण राज्यों में नियुक्तियां किया करता है।

डा. अम्बेडकर: ठीक है, कर्नल हक्सर! हम विवाद में नहीं भटकेंगे। लेकिन अगर सर्वोच्चता के सिद्धांत को लागू किया गया, तब हमें और कई परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

कर्नल हक्सर: आप बात को बदल रहे हैं।

डा. अम्बेडकर: जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं आपको संदर्भ बताऊंगा। अध्यक्ष महोदय! मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं, हालांकि इसे मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन मैं अब इसे जोर देकर कह रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि हम सारे भारत के लिए संघीय संविधान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जिस दूसरी बात पर जोर दे रहा हूं, वह यह है कि हम यहां सिर्फ सरकार के रूप में परिवर्तन एकात्मक सरकार से संघीय सरकार में करने की इच्छा से इकट्ठे नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष: कुछ लोग कहते हैं, जो सबसे अच्छी तरह प्रशासित हो, वही सरकार सबसे अच्छी होती है।

डा. अम्बेडकर: जी हां, लेकिन मेरा विचार है कि हम सभी इस बात पर एकमत हैं कि उत्तरदायी सरकार ही सबसे अच्छी तरह प्रशासित हो सकती है। इसलिए संघीय सरकार बनाने के बारे में मैं हर संभव छूट देने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं किसी ऐसी छूट को देने या कोई ऐसा समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं, जिससे हमें संघीय सरकार का केवल अस्थिपंजर प्राप्त हो और उसकी आत्मा, अर्थात उत्तरदायी सरकार उसमें से नदारद हो।

सच तो यह है कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि राजा-महाराजा चुनाव के सिद्धांत का विरोध क्यों करते हैं? पुराने जर्मन साम्राज्य में भी वहां के राज्यों ने यह स्वीकार कर लिया था कि निचले सदन (रीशताग) का गठन राज्यों की जनता द्वारा चुने हुए लोगों से होना चाहिए, जहां संघीय इकाइयों की अपनी-अपनी सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के अधिकार को स्वीकार कर लिया गया था। इसलिए मैं उनकी आपत्ति को समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि इन देशी राज्यों की संघीय विधान सभा का गठन वहां की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा होगा, जिसका तात्पर्य यह है कि उनके राज्य विभिन्न चुनाव क्षेत्रों में बंट जाएंगे। अगर हम यह कहते हैं कि राज्यों में विधान-मंडल होने चाहिएं, जो उनके प्रशासन पर नियंत्रण रखेंगे, तब उनकी आपत्ति को मैं समझ सकता था। लेकिन हम तो ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कृपया हमें अपने राज्यों को चुनाव-क्षेत्र में बांटने की अनुमति दीजिए और आप अपनी जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने दीजिए जो यहां संघीय विधान-मंडल में बैठेंगे और मत दिया करेंगे। ये प्रतिनिधि आपके विशेष मामलों के बारे में निर्णय नहीं करेंगे, वे आपके राज्य के मामलों में दखल नहीं देंगे, बल्कि समूचे भारत से संबंधित मामलों पर विचार किया करेंगे। इसलिए देशी राज्यों की दृष्टि से क्या आपत्ति हो सकती है? इसे मैं ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहा हूं।

माननीय मानेकजी दादाभाई: और छोटे राज्यों में भी?

डा. अम्बेडकर: अगर वे मेरे इस दृष्टिकोण से, जो मैं विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूं, सहमत

हैं कि संघीय विधान-मंडल के लिए चुनाव कराने से उनके अपने प्रशासन में कोई अड़चन नहीं आएगी, उनको अपने राज्य का कोई नुकसान नहीं होगा; तब मेरा निवेदन है कि जहां तक निचले सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व की समस्या है, उसे सुलझाना आसान हो जाएगा। सिर्फ उच्च सदन में राज्यों के प्रतिनिधित्व का सवाल रह जाता है। अगर यह सवाल ऐसे तरीके से सुलझाना है कि जिसमें राज्यों द्वारा नामजद करने की बात न हो, तब मैं दो विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। पहला विकल्प मैं यह प्रस्तुत कर रहा हूं कि आप नारवेयाई प्रणाली को स्वीकार कर लें। इस प्रणाली में एक सदन चुने हुए प्रतिनिधियों का होता है, ये प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं। यहां यह सदन अपने ही सदस्यों में से एक-दूसरे सदन के लिए सदस्य चुनता है। इससे उच्च सदन में राज्यों द्वारा प्रतिनिधि नामजद करने की समस्या से बच सकते हैं। या अगर यह स्वीकार न हो, तब एक दूसरा तरीका है, जो मेरा ख्याल है कि जो प्रस्तावित किया जा सकता है। वह यह है कि राजा-महाराजा अभ्यर्थियों की सूची दें और इस सूची में से संघीय विधान-मंडल के लिए प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं।

महाराजा बीकानेर: यह चुनाव कौन करेगा?

डा. अम्बेडकर: यह चुनाव निचले सदन द्वारा किया जाएगा। लेकिन जो भी हो, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जहां तक मेरा अपना कहना है कि मैं किसी ऐसी प्रणाली को अपनाए जाने के पक्ष में नहीं हूं, जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामजद करने की बात होगी।

अब, अध्यक्ष महोदय! मैं विचारार्थ विषय-सूची की एक दूसरी मद पर चर्चा करूंगा। यह मद है, विशेष हितों के क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व।

अध्यक्ष: यह संख्या 5 है- विशेष हितों के विशेष निर्वाचन-मंडल के लिए प्रावधान।

डा. अम्बेडकर: पहली बात मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि दलित वर्ग को विशेष हित की श्रेणी में रखा जाए। मैं चाहता हूं कि राजनीतिक कार्यों के लिए दलित वर्ग उसी तरह एक पृथक वर्ग समझा जाए, जिस तरह मुसलमानों या ईसाइयों को समझा जाता है और न केवल प्रांतीय विधान सभाओं, बल्कि केंद्रीय विधान-मंडल के दोनों सदनों में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त करने के समान अधिकार प्राप्त होने चाहिएं।

अध्यक्ष: जब आप समान अधिकार की बात करते हैं, तब क्या आपका आशय यह है कि उनकी संख्या भी उतनी ही होनी चाहिए, जितनी कि अन्य की है?

डा. अम्बेडकर : जी नहीं। उन्हें जितनी संख्या में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अधिकार होगा,वह उसी सिद्धांत के अनुसार होना चाहिए,जो सभी लोगों के लिए अपनाया जाएगा।

अध्यक्ष: आपने भी यही बात कही। धन्यवाद।

डा. अम्बेडकर: अब मैं अन्य हितों की चर्चा करूंगा, जिन्हें अब तक मान्यता मिल चुकी है, वे हैं, व्यापार, वाणिज्य, भूमिपति और विश्वविद्यालय।

डा. शफाअत अहमद खां: विश्वविद्यालय नहीं?

डा. अम्बेडकर: नहीं, विश्वविद्यालय नहीं हैं, मैं इन विशेष हितों को प्रतिनिधित्व दिए जाने का समर्थन नहीं करता। पहली बात तो यह है कि, उदाहरण के लिए, मैं नहीं समझता कि भूमिपतियों को विशेष प्रतिनिधित्व क्यों चाहिए? मुझे नहीं मालूम कि वह कौन-सी दिक्कतें और कमियां हैं, जिनके कारण कोई भूमिपति साधारण चुनाव प्रक्रिया से बाहर रहे और अपने वर्ग के लोगों के लिए मताधिकार प्राप्त करे। इसके लिए उसे कोई रुकावट नहीं है। मुझे विश्वास है कि बाहर सभी देशों में, उदाहरण के लिए, इंग्लैंड में और यूरोप के देशों में व्यापार, वाणिज्य और भूमिपतियों जैसे वर्गों के लिए कोई विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। उन्हें आम लोगों के साथ चुनाव लड़ना पड़ता है। मेरा विचार है कि यही व्यवस्था भारत में अपनाई जानी चाहिए। इन वर्गों के लिए कोई विशेष प्रतिनिधित्व देने के बारे में मेरी और भी कई आपत्तियां हैं। सबसे पहली यह है कि इन वर्गों के लोगों की संख्या बहुत थोड़ी है, इसलिए इनका निर्वाचन-मंडल अत्यंत संकीर्ण होगा। यह एक गुट जैसा है। अब अगर उन्हें उन्ही विषयों पर मत देना है, जो उनसे संबंधित हैं, तब क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से छोटा होगा। लेकिन अगर ये लोग इस तरह सिर्फ सीमित निर्वाचन-क्षेत्र से विधान परिषद में नहीं आते, तब वे उन सभी मामलों पर मत दे सकेंगे, जो विधान सभा के सम्मुख आएंगे। मैंने बंबई विधान परिषद में जो बातें देखी हैं, उनमें एक यह है कि वहां व्यापार और वाणिज्य के लिए निर्वाचन-क्षेत्र बने हुए हैं। अब बंबई प्रेसिडेंसी में व्यापार और वाणिज्य-क्षेत्र में एक खास समुदाय का एकाधिकार है, जिसके बारे में मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि यह समुदाय उन सभी समुदायों में, जो अभी तक मेरी जानकारी में हैं, सबसे अधिक कट्टरपंथी समुदाय है।

श्री जयकर: राजनीतिक दृष्टि से?

डा. अम्बेडकर: सामाजिक दृष्टि से। अब ऐसे सदस्यों को विधान परिषद में आने के लिए आसानी से निर्वाचन-क्षेत्र मिल जाते हैं। अब, अगर कोई प्रगतिशील कदम उठाया जाता है, तब ये लोग कट्टरपंथियों के साथ मिल जाएंगे, उनका साथ देंगे और इस तरह स्वंतत्रता और प्रगति के लक्ष्यों के आड़े आएंगे। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। अगर इस तरह का कोई प्रावधान किया जाता है, तब मैं यह रियायत दूंगा कि जब कभी किसी ऐसे विधेयक पर विचार हो रहा होगा, जिससे उनके हित पर असर पड़ने वाला होगा, तब उन्हें विधान सभा या उच्च सदन में अपनी बात कहने का पूरा-पूरा अधिकार होगा। उन्हें अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा लेकिन उन्हें विधान-मंडल का सदस्य बनाने या उन्हें किसी भी विधेयक पर विधान-मंडल में मत देने का अधिकार दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

यही बात मैं श्रमिकों के बारे में भी कहूंगा। मुझे नहीं मालूम कि श्री जोशी मेरे दृष्टिकोंण से सहमत हैं या नहीं। लेकिन मेरा अपना विचार यह है कि यदि प्रौढ़ मताधिकार की प्रणाली लागू होती है- और मुझे आशा है कि महात्मा गांधी की सहायता और उनके समर्थन से हम इसे इस सम्मेलन में स्वीकार कर लेंगे- तब श्रमिकों को विशेष प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम प्रतिनिधित्व की कोई ऐसी प्रणाली शुरू करते हैं, जिसमें श्रमिकों का विशाल समुदाय विधान से बाहर रहता है और वे सरकार पर नियंत्रण नहीं रख सकते तथा अपनी खुशहाली व उन्नति के लिए सरकार से कोई काम नहीं करवा सकते, तब श्रमिकों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व देने की अवश्य जरूरत होगी और मेरा विचार है कि विभिन्न संघों को संगठित कर और उनको प्रतिनिधित्व के लिए उनके निर्वाचन-क्षेत्र बनाकर हम ऐसा भी कर सकते हैं।

अगला विषय, जो मैं उठा रहा हूं, वह नामजद सदस्यों के बारे में है। हालांकि मैं निश्चित नहीं हूं, लेकिन मेरा ख्याल है कि संघीय विधान-मंडल में नामजद सदस्यों का एक वर्ग बनाने के पीछे लक्ष्य यह है कि सिद्धांत रूप में ऐसे विषयों को समर्थन दिया जा सके, जिन्हें राज्य के विषय या जिन्हें प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत, आरक्षित विषय कहा जाता है। पहली बात तो यह है कि मैं स्पष्ट कर दूं कि नामजद सरकारी सदस्यों से मुझे बड़ा भय लगता है और इस बारे में मेरी शंकाएं भी हैं। मेरे विचार में अगर कोई ऐसी संस्था है, जिसने प्रांतीय सरकारों में उत्तरदायित्व की प्रणाली को नष्ट किया है, जो मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत लागू की गई थी, तो वह यही नामजद सदस्यों का वर्ग है। यही है जिसने सारी प्रणाली को दूषित कर दिया। यही वर्ग है, जिसने प्रांतों में बहुसंख्यक के बजाए अल्पसंख्यकों के शासन को संभव कर दिखाया। यही वर्ग है, जिसने हर तरह के लोगों और वर्गों के साथ साठ-गांठ की, ये वे वर्ग नहीं थे, जिन्हें इस वर्ग की सहायता या समर्थन जरूरी था, बल्कि ये वे वर्ग थे, जो छोटे से छोटे लाभ के लिए अपने को बेचने के लिए तैयार रहते थे। मैं इस नामजद सदस्य प्रणाली का घोर विरोध करता हूं।

मेरा निवेदन है कि ऐसे विषयों को जिन्हें राज्य विषय कहा जाता है, समर्थन देने के लिए इस नामजद सरकारी सदस्य व्यवस्था की असल में कोई जरूरत नहीं है। प्रांतीय संविधान में जहां इस समय आरक्षित विषय की व्यवस्था है, इन आरक्षित विषयों को समर्थन देने और इनकी रक्षा करने के लिए बहुत से उपाय हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि अनुच्छेद 72-घ के तहत हमारे यहां ये विषय एक ऐसे व्यक्ति के अधिकार में रहते हैं, जिसको हटाया नहीं जा सकता और न ही जिसके बारे में मतदान किया जा सकता है। दूसरे, गवर्नर को ऐसे खर्च को प्रमाणित करने का अधिकार प्राप्त है, जिसे वह आरक्षित विषयों की रक्षा करने के लिए आवश्यक समझता है। तीसरे, गवर्नर को ऐसे बिलों को प्रमाणित करने का भी अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें वह आरक्षित विषयों की दक्षता बनाए रखने के लिए जरूरी समझता

है, और अंतिम बात यह है कि जिस किसी विधेयक के बारे में गवर्नर को आपत्ति हो उसको अस्वीकृत करने के लिए उसे विशेषाधिकार मिला हुआ है। अध्यक्ष महोदय! निवेदन है कि जिन सुरक्षा उपायों का मैंने उल्लेख किया है, अर्थात आरक्षित विषयों के प्रभारी व्यक्ति का हटाया न जा सकना, उसके वेतन के बारे में मतदान का न हो सकना, खर्च को प्रमाणित करने की शक्ति का गवर्नर में निहित होना, आरक्षित विषयों की सुरक्षा के लिए बिलों को प्रमाणित करने की शक्ति और किसी भी विधेयक को अस्वीकृत करने की गवर्नर की सर्वोच्च शक्ति, ऐसे सुरक्षा उपाय हैं, जो मेरे विचार से उन विषयों को अक्षुण्य बनाए रखने के लिए बहुत पर्याप्त हैं, जिन्हें राज्य विषय कहा जाता है।

माननीय तेज बहादुर सप्रू: इस स्तर पर क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? आपका सुझाव है कि प्रमाणित करने की शक्ति रहनी चाहिए।

डा. अम्बेडकर: मैं यह सुझाव नहीं दे रहा हूं कि प्रमाणित करने की शक्ति होनी चाहिए। मैं इस बारे में बाद में बोलूंगा। मैं जो कह रहा हूं, वह सरकारी सदस्य की नामजदगी के अलावा वे अन्य विकल्प हैं, जो संविधान में दिए हुए हैं। यही मेरा तर्क है। मेरा निवेदन है कि जब आपके पास सरकार में उन विषयों की सुरक्षा के लिए, जिन्हें राज्य विषय कहा जाता है, इतनी प्रचुर विधायी और कार्यान्वयन संबंधी शक्तियां हैं, तब विधान परिषद में सरकारी सदस्यों की व्यवस्था करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।

दूसरे, मेरा यह कहना है कि नामजद सरकारी सदस्यों का ब्लाक बनाकर आप उन बातों को छिपा रहे हैं, उन बातों पर पर्दा डाल रहे हैं, जो इस समय हो रही हैं। अगर नामजद सरकारी सदस्यों का ब्लाक नहीं होता, तब विधान परिषद बहुत से उपायों को पारित कर चुकी होती और जिन्हें गवर्नर खुशी-खुशी अनुमोदित कर देता या अपनी विशेष शक्तियों के अधीन कर देता। लेकिन नामजद सरकारी सदस्यों का ब्लाक होने से आपने एक विरोधात्मक स्थिति उत्पन्न कर दी है, आप बाहरी दुनिया को तो यह दिखाते हैं कि विधान परिषद बहुसंख्यकीय शासन के आधार पर सामान्य रूप से काम कर रही है, जब कि स्थिति यह है कि अल्पसंख्यक दल द्वारा सरकारी सदस्यों की सहायता से निर्णय लिए जाते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत के भावी संविधान में इस नामजद सरकारी सदस्यों का ब्लाक लाने की कोई उपयोगिता नहीं है।

एक आखिरी विषय है, जिस पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। यह विषय है, शपथ। मेरे विचार में यह बहुत बड़ा विषय है और यह ऐसा सवाल है, जिसमें से एक दूसरा बड़ा सवाल पैदा होता है। मेरे पास समय थोड़ा है। मैं सोचता हूं कि इतने थोड़े से समय में इस संपूर्ण विषय पर चर्चा पूरी नहीं कर सकूंगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि एक विशेष सत्र रखा जाए, जब इस प्रश्न पर विस्तार से चर्चा की जा सके, क्योंकि मेरी धारणा है कि जब तक समान नागरिकता नहीं होगी, तब तक कोई भी वास्तविक संघ नहीं बन सकता। यह एक ऐसा विषय है, जिस पर मैं आगे कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त समय नहीं है।

पच्चीसवीं बैठक – 18 सितंबर 1931

मद संख्या 2

(संघीय विधान-मंडल के सदस्यों के चुनाव से संबधित प्रश्न)

डा. अम्बेडकर * : मैं श्री गांधी से यह प्रश्न पूछना चाहता हू: कांग्रेस ने संघीय विधान-मंडल या संघीय कार्यकारिणी के स्वरूप के बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं किया है। कांग्रेस ने एक ही प्रश्न पर विचार किया है कि क्या यह ब्रिटिश साम्राज्य का भाग होगा या यह स्वतंत्र होगा। इसलिए श्री गांधी ने जो कुछ कल कहा, वह उनका निजी मत हो सकता है। मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने जो कुछ कहा, वह उनके निजी विचार हैं, या वह उनके बारे में अधिकारपूर्वक यह कहना चाहेंगे कि वह कांग्रेस के विचारों को प्रस्तुत कर रहे थे। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं। जहां तक हमें कांग्रेस की कार्यवाहियों की जानकारी है, जो अब जनता के सामने हैं, इस प्रश्न पर मेरी जानकारी में काग्रेंस द्वारा कभी भी विचार नहीं किया गया है। हो सकता है कि इस पर कांग्रेस द्वारा गुप्त रूप से विचार किया गया हो। इसलिए मैं यह प्रश्न पूछता हूं। दूसरा प्रश्न यह है कि अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दी है, श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल बिल में ऐसा कुछ नहीं कहा जो बना दिया गया है और क्या संघीय विधान-मंडल के उस तरीके को कांग्रेस द्वारा निश्चित रूप से अस्वीकृत नहीं किया गया था?

****

II

लार्ड चांसलर ** : डा. अम्बेडकर द्वारा एक अन्य दृष्टिकोंण पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है और इस बारे में इस पक्ष के लोगों की शायद सहमति हो, इस्लिए मैं उसका भी उल्लेख करूंगा। यह सुझाव दिया गया है कि अगर राज्य विषयों के चुनाव के सिद्धांत को गांरटी नहीं दी जाती है, तब एक ऐसा वर्ग बन जाएगा, जो वस्तुत: सरकारी ब्लाक से जुदा नहीं होगा और इसलिए यह सुझाव दिया गया कि इस ब्लाक को गठित करने में राजनीतिक विभाग की मुख्य भूमिका रहेगी। महोदय! मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकारी सेवकों की यह बड़ी जमात, जो राजनीतिक विभाग में है, भारत में या भारत से बाहर किसी भी मुल्क के सरकारी सेवकों की तरह ही कर्तव्यपरायण और निष्पक्ष है।

डा. अम्बेडकर: अगर ऐसा है, तो आप उत्तरदायी सरकार क्यों चाहते हैं?

****

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 175

** वही, पृ. 184-85

IV

डा. अम्बेडकर *: आप माननीय सैम्युअल होर के प्रति ऐसी ही कृपा क्यों नहीं करते और ब्रिटिश भारत में लोकप्रिय संस्थाएं शुरू करने के लिए पर्याप्त समय जितना वह चाहें, क्यों नहीं देते? निश्चय ही, वह आपके कृतज्ञ होंगे।

अध्यक्ष: मैं समझता हूं कि माननीय सैम्युअल होर के कृतज्ञता ज्ञापन पर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। यह मामला समिति के सामने नहीं है।

पंडित मदन मोहन मालवीय: मैंने जो कुछ कहा, उसे मेरे मित्र डा. अम्बेडकर भूल रहे हैं। मैंने दो बार कहा है कि मैं चाहता हूं कि राज्यों में प्रतिनिधित्व का सिद्धांत तत्काल लागू किया जाए। मैं इस मामले में डा. अम्बेडकर की बात भी स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन मैं देखता हूं कि जो कुछ मैं चाहता हूं और डा. अम्बेडकर चाहते हैं तथा जो कुछ मौजूदा राजा-महाराजाओं की इच्छा है कि उन्हें थोड़ा समय दिया जाए, जिससे वे यह विचार कर सकें कि प्रतिनिधि का सिद्धांत कब और किस प्रकार उनके राज्यों में लागू किया जा सकता है . . . उसमें कुछ अंतर है।

अब, अध्यक्ष महोदय! मैं अपने उन साथियों के बारे में कहना चाहता हूं,जो अधीर है, और मैं फिर कहता हूं कि मेरे जितना कोई भी अधीर नहीं है कि जल्दी से जल्दी राज्यों में प्रतिनिधि संस्थाएं स्थापित हो जाएं, वे यह याद रखें. . .

डा. अम्बेडकर: अध्यक्ष महोदय! मैं यह बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने,जो इस पक्ष में बैठे हैं, यह कभी नहीं कहा कि प्रतिनिधि संस्थाएं राज्यों में शुरू की जाएं। हम जो कुछ कहते हैं, वह यह है कि भारत के राज्यों में संघीय विधान सभा के लिए चुनाव कराने के लिए निर्वाचन-क्षेत्र होने चाहिएं,जैसे कि ब्रिटिश भारत में हैं। मैंने यह कभी नहीं कहा वि संघ में राजा-महाराजाओं को शामिल करने के लिए यह शर्त रखी जाए कि राज्यों में जनता की चुनी हुई विधान सभाएं हों, जिससे राज्यों पर नियंत्रण रखा जा सके।

पंडित मदन मोहन मालवीय: अगर डा. अम्बेडकर यह सोचते हैं कि उन्होंने प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग नहीं की, तब मैं चाहूंगा कि वह धीरज रखें। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि,जो सदस्य संघीय विधान सभा में आएंगे,अगर वे किसी लोकप्रिय रीति से चुने हुए नहीं होगें,तो वे उपयोगी नहीं होंगे . . . अगर भारतीय राज्यों के प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा नहीं आते--जिसे मैं फिर दोहराता हूं,मैं चाहता हूं कि उन्हें उस रीति से आना चाहिए, तब भी हमें बहुत अच्छे प्रतिनिधि मिल सकते हैं और इनका सहयोग हमारे कार्य में बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा।

अध्यक्ष: अगर इसे संक्षिप्त में कहा जाए,तो आपका कहना है कि सड़े-गले क्षेत्र से हमेशा सड़े-गले सदस्य नहीं आते।

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 192-95

पंडित मदन मोहन मालवीय: महोदय! मैं ऐसा ही सोचता हूं। क्या ही अच्छा होगा कि अगर मैं आपकी किसी बात को रूपकों की सहायता से प्रस्तुत करने का तरीका सीख लेता। (पंडित मालवीय ने आगे यह सुझाव दिया कि प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू करने का मामला राजा-महाराजाओं की इच्छा पर छोड़ दिया जाए। अगर वे इसे स्वेच्छा से लागू करते हैं, तो उन्हें खुशी होगी) उन्होंने अपना भाषण समाप्त करते हुए कहा-लेकिन तब ब्रिटिश भारत के अपने मित्रों को मेरी यह राय है कि हम धैर्य रखें और शिष्टाचार बनाए रखें, हमें आशा है कि उचित समय आने पर ऐसी संस्थाएं स्थापित हो जाएंगी, और हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे अखिल भारतीय संघ की स्थापना में अनावश्यक रूप से कोई अड़चन आए, क्योंकि जैसी स्थिति इस समय है, उस पर हमारी आशा भी निर्भर करती है।

डा. अम्बेडकर: ऐसी ही सलाह दलित वर्गों को दी जाती है कि उन्हें अपनी मुक्ति भी समय आने पर प्राप्त होगी।

पंडित मदन मोहन मालवीय: महोदय! मेरे मित्र डा. अम्बेडकर ने बिल्कुल गलत समझा। मुझे दुःख है कि उनको उतनी अधिक जानकारी नहीं है, जितनी कि मैं समझता था कि उनको होगी।

डा. अम्बेडकर: मैं और जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

पंडित मदन मोहन मालवीय: मैं यह नहीं कहता कि दलित वर्ग को प्रतीक्षा करनी चाहिए। मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्तावों की आलोचना करते समय जब इन सुधारों की 1918 में पहले पहल घोषणा हुई थी, तब मैंने यह आलोचना प्रकाशित भी की थी—मैंने यह निवेदन किया था कि जहां तक दलित वर्ग का प्रश्न है, यह सवाल खास तौर से शिक्षा का प्रश्न है और मैंने यह कहा था और जिसे मैं अब भी कहता हूं, कांग्रेस भी यही कहती है कि सार्वजनिक रूप से प्राइमरी शिक्षा होनी चाहिए। जब से कांग्रेस स्थापित हुई है, तब से ही वह यह वर्षों से कहती आई है और अगर भारत की सरकार ने जिसके अधीन देश के सारे संसाधन हैं, जनता में प्राइमरी शिक्षा के प्रसार पर पर्याप्त धन व्यय किया होता, तब 'दलित वर्ग' जैसा शब्द अब तक इतिहास बन गया होता- आज से कई वर्ष पहले। हम यह चाहते हैं कि उन्हें प्रारंभिक शिक्षा मिले, प्राइमरी शिक्षा मिले, उन्हें सैकेंडरी शिक्षा मिले, उन्हें ऊंची से ऊंची शिक्षा मिले। मुझे एक विश्वविद्यालय-काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति होने का गौरव प्राप्त है और वहां दलित वर्ग के विद्यार्थी को वही स्थान दिया जाता है, जो किसी और वर्ग के विद्यार्थी को दिया जाता है। वहां कोई भेद नहीं है और जिन्हें शिक्षा प्राप्त होती है, वे अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मैं कहूंगा कि मेरे मित्र डा. अम्बेडकर ने इसे सिद्ध भी कर दिया है।

डा. अम्बेडकर: मैं समाज में आज भी 'अस्पृश्य' हूं, हालांकि पढ़ा-लिखा हूं। मेरी शिक्षा मुझे इससे बाहर नहीं निकाल सकी।

पंडित मदन मोहन मालवीय: क्षमा कीजिए, आप अस्पृश्य नहीं है, आप एक प्रिय मित्र और प्रिय साथी हैं, एक ऐसे भाई जिसके साथ आपके कट्टर से कट्टर मित्रों को रहने और काम करने से सुख मिलता है और आप जानते हैं कि वह आपके साथ काम भी करते हैं। आज दलित वर्ग के लोगों के हित के लिए अधिकतर ब्राह्मण कार्य कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि यह एक वास्तविक बात है, इसे मेरे मित्र डा. अम्बेडकर स्वीकार करेंगे।

जिस एक अलग विषय पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव है। मैं इस बात से शंकित हूं कि इस बारे में गांधी जी ने जो कुछ कल कहा, उसे प्राय: ठीक ढंग से नहीं समझा गया . . . उन्होंने लार्ड पील के सुझाव का अनुमोदन करते हुए,जो कुछ कहा, उसे जैसा मैंने समझा, वह यह था कि वह यह बताना चाहते थे कि लोग यह अनुभव करते हैं कि देश में सभी प्रौढ़ लोगों को मताधिकार देने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं . . . गांधी जी ने उस योजना का जब सुझाव दिया, तब निश्चय ही प्रौढ़ मताधिकार को शुरू करने की बात कही गई थी। उन्होंने इस विचार का अनुमोदन नहीं किया था कि अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू की जानी चाहिए, जिससे जनता यह समझे कि मत देने के अधिकार से उसे वंचित रखा गया है।

माननीय तेज बहादुर सप्रू– मैंने प्रौढ़ मताधिकार के सिद्धांत की व्याख्या को जैसी कि गांधी जी ने की, बड़े ध्यान और रुचि से सुना। लेकिन मेरा ख्याल है कि यह उन सुझावों से हल्की पड़ती है, जो नेहरू रिपोर्ट में दिए गए हैं। अगर मैं गलती पर होऊं,तो कृपया मेरी गलती को सुधार दें।

माननीय सेम्युअल होर: पंडित मालवीय! फिर भी यह प्रत्यक्ष चुनाव है। आप प्रौढ़ मताधिकार के समर्थन में तर्क दे रहे हैं। समिति जिस विषय पर कल विचार कर रही थी, वह यह विषय नहीं था। मैंने यही समझा है। वह तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव के विकल्प की बात थी और जैसा कि मैंने महात्मा गांधी के भाषण को समझा, वह प्रौढ़ मताधिकार के पक्ष में थे। लेकिन वह अप्रत्यक्ष चुनाव के पक्ष में भी थे।

*कर्नल हक्सर**: . . . मैं इस विषय पर आगे कुछ कहना जरूरी नहीं समझता। लेकिन मैं मालवीय जी के शब्दों को सिर्फ दोहराना चाहता हूं। उन्होंने जो कुछ कहा, उसे अगर मैं संक्षिप्त में कहूं,तो वह यह था: विचार करने की सबसे मुख्य और अहम् बात यह है कि हमें भारत में एक राज्य बनाना है, जिसमें कोई भी भाग राज्य से बाहर नहीं रहे। अगर यही बात अहम् है तब मेरा कहना है कि यह लक्ष्य हर कीमत पर प्राप्त किया जाना चाहिए और ऐसी कोई बात मंजूर नहीं की जानी चाहिए, जो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में आड़े आती है।

डा. अम्बेडकर: किसी भी कीमत पर नहीं–हमारे हितों की कीमत पर नहीं।

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 205

छब्बीसवीं बैठक – 21 सितंबर 1931

मद संख्या 3

(संघीय विधान-मंडल के दोनों सदनों के बीच संबंध)

डा. अम्बेडकर:* मैं इस अवसर पर दखल तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। माननीय तेज बहादुर सप्रू ने कहा कि पूर्ति के मामले में या आमतौर पर वित्तीय विधेयक के मामले में उच्च सदन को यह अधिकार होना चाहिए कि वह निचले सदन से सुझाव देने और उस पर विचार करने के लिए कह सके। लेकिन अगर निचला सदन उसके सुझावों को स्वीकार न करे, तब क्या होगा?

माननीय तेज बहादुर सप्रू: तब उच्च सदन विधेयक को अस्वीकृत करने के लिए स्वतंत्र होगा। लेकिन ऐसा कोई गतिरोध आता है, तब आप दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण अपना सकते हैं और उसकी प्रक्रिया को लागू कर सकते हैं।

डा. अम्बेडकर: अगर उच्च सदन को विधेयक वापस भेजने या सुझाव देने का अधिकार होगा, तब गतिरोध कैसे पैदा हो सकता है?

माननीय तेज बहादुर सप्रू: तब वह विधेयक को बिल्कुल ही अस्वीकृत कर सकता है।

माननीय मोहम्मद शफी: तब इसमें, अर्थात संशोधन जो निचले सदन को भेजा जाता है और निचले सदन को भेजे जाने वाले सुझाव में क्या मौलिक भेद है, जिसे उसे अस्वीकृत करने की शक्ति मिली हुई है? इन दोनों में मौलिक भेद क्या है?

माननीय तेज बहादुर स्प्रू: पहली बात यह है कि यह आधुनिक पद्धति से मेल खाता है।

डा. अम्बेडकर: आपके सुझाव के मुताबिक वित्त विधेयक और दूसरे विधेयकों में सिवाय इसके कोई मौलिक भेद नहीं होगा कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने का अधिकार सिर्फ निचले सदन को होगा। बाकी सभी मामलों में दोनों सदन बराबरी पर होंगे?

माननीय तेज बहादुर स्प्रू: असल में मैंने यही बात कही है।

* * * *

*श्री जफरुल्ला खां**:* इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रस्तावित कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए-हालांकि मुझे यह नहीं मालूम कि तुलनात्मक कुल संख्या रखी भी जा सकेगी-अब तक जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उनके अनुसार स्थिति यह हुई कि अपेक्षित बहुमत का अर्थ दोनों सदनों में सदस्यों की कुल संख्या का साधारण बहुमत या पूर्ण बहुमत भी नहीं है, बल्कि उसकी अपेक्षा उच्च बहुमत है।

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनोरिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 207

** वही, पृ. 242

डा. अम्बेडकर: क्या श्री जफरुल्ला खां प्रत्येक सदन को इस बात की इजाजत देंगे कि वह किसी भी मामले पर साधारण बहुमत से निर्णय लें या वह चाहते हैं कि ऐसी स्थिति में सदस्यों का वास्तविक बहुमत हो?

जफरुल्ला खां: साधारण बहुमत।

डा. अम्बेडकर: तब तो उन्हें जब वे संयुक्त रूप से बैठे हों, हर मामले पर निर्णय साधारण बहुमत से ले लेना चाहिए।

माननीय मुहम्मद शफी: यह इसलिए कि इन दोनों सदनों के बीच दृष्टिकोंण का अंतर है।

श्री जफरुल्ला खां: अक्सर सदस्य गण एक-दूसरे के दृष्टिकोंण को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन एक वजह यह होगी कि इन दोनों सदनों के स्वरूप भिन्न-भिन्न होंगे।

****

सरदार उज्जल सिंह :* जहां तक वित्त विधेयक का संबंध है, मैं आजकल की संघ सरकारों के कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। पहले कनाडा डोमीनियन को लीजिए,जो ब्रिटिश कामनवेल्थ का एक सदस्य है। महोदय! वहां अनुच्छेद 53 जिसका उल्लेख बहुत से वक्ताओं ने किया है, सिर्फ यह कहता है- 'सार्वजनिक राजस्व में से किसी भाग का विनियोग करने या कोई कर या महसूल लगाने के लिए विधेयक हाउस आफ कामन्स द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे।' कनाडा में दोनों सदनों की शक्तियों की परिभाषा ठीक-ठीक नहीं बताई गई है। इसकी वजह यह है कि अनुच्छेद 18 में यह कहा गया है कि कनाडा सामान्य रूप से ब्रिटिश माडल का अनुसरण करेगा। इसमें कहा गया है: ''विशेषाधिकार, निरापदता और शक्तियां . . .''

डा. अम्बेडकर: यहां इसका कोई प्रसंग नहीं है, यह सदन के अंदर का विशेषाधिकार है।

सरदार उज्जल सिंह: आपने क्या कहा? 'सीनेट और हाउस आफ कामन्स द्वारा धारण किए जाने वाले और प्रयोग किए जाने वाले विशेषाधिकार, निरापदता और शक्तियां . . . इसका अर्थ हाउस आफ कामन्स के सदस्य नहीं है।

डा. अम्बेडकर: जी नहीं। अगर आप प्रस्तावना को देखें, तब आपको यह मिलेगा कि कनाडा के संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि कनाडा का संविधान वैसा ही होगा, जैसा ब्रिटेन में दिया हुआ है। आप यह भी देखेंगे कि हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लाड्र्स के बीच के संबंध ही कनाडा के प्रभावी सिद्धांत होंगे। लेकिन कनाडा में हाउस आफ कामन्स के विशेष अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।

* * * *

---

*प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 249

*डा. अम्बेडकर**: अब तक जो विचार प्रस्तुत किए गए हैं, उनमें एक बात पर बल दिया गया है और मैं समझता हूं कि यह सभी में एक समान है। और वह यह कि भारत के भावी संविधान में दोनों सदनों के संबंधों को विनियमित करते समय उन्हें स्तर की समानता, शक्तियों की समानता प्रदान की जानी चाहिए, सिवाय कुछ छुटपुट बातों को छोड़कर, जैसे वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने का अधिकार और मत देने का अधिकार। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि सामान्य सर्वसम्मत मत यह था कि इन दोनों सदनों की स्थिति समान होनी चाहिए।

अब मैं अपने पूर्व वक्ताओं के प्रति पूरा आदर भाव व्यक्त करते हुए अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि मैं उनके विचारों से सहमत नहीं हो सकता। मेरे और उनके बीच जो मतभेद हैं, वह इस मामूली-सी बात को लेकर हैं कि दूसरे सदन के कार्यों और उद्देश्यों के बारे में हमारा बिल्कुल ही भिन्न दृष्टिकोंण है।

मैं उन महानुभावों के दृष्टिकोंण को अच्छी तरह समझता हूं,जिन्होंने कल यह अभिमत प्रस्तुत किया था कि अगर हमारा विधान-मंडल इस तरह संगठित किया गया कि हर सदन उसका प्रतिनिधित्व करे, जिसे प्राचीन भाषा में राज्य की अलग-अलग जागीर कहा जाता है, तब दोनों सदनों की शक्तियां समान होनी चाहिएं। अगर निचला सदन ऐसे वर्ग के लोगों से गठित किया गया,जिन्हें उच्च सदन में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है और अगर उच्च सदन में ऐसे वर्गों के लोग रहे,जिन्हें साधारण सदन में प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तब हमें कुछ कहना ही होगा,जिससे कल कही बात स्पष्ट हो सके। लेकिन यदि हमारा विधान-मंडल ऐसे आधार पर गठित किया गया, जिसे मैं एक राज्य की अलग-अलग जागीर कहता हूं, तब मैं दो सदनों वाले विधान-मंडल बनाए जाने के लिए अपनी सहमति नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जनता के लिए बोलता हूं-इस मामले में मैं श्री गांधी का प्रतिद्वंद्वी हूं--इसलिए मैं ऐसे विधान-मंडल के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता और इस संबंध में मैं जनता के भाग्य को इस तरह की व्यवस्था के अधीन काम करने वाली सरकार को नहीं सौंप सकता। अत: मैं लार्ड एस्किथ के शब्दों में कहूंगा कि ऐसी सरकार धोखा है, एक प्रपंच है।

वस्तुत:, हमारे विधान-मंडल के सदनों का गठन, शायद मैं गलती नहीं कर रहा हूं, अलग-अलग जागीरों के लिए अलग-अलग प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं होगा। अगर मैं भावी विधान-मंडल के गठन के बारे में ठीक-ठीक समझा हूं,तो मेरा ख्याल है कि निचला सदन जनता को लेकर गठित किया जाएगा। उसमें हर वर्ग के लोग होंगे, उसमें जनता की हर विचारधारा के लोग होंगे। अगर ऐसा है, तो मेरा निवेदन है कि हमारे यहां कोई ऐसा सदन नहीं होगा, जो उसका प्रतिद्वंद्वी हो या जो बराबरी का दावा करेगा। यही मेरा दृष्टिकोंण है और इसलिए, अध्यक्ष महोदय! जहां तक मद संख्या 3 के उपशीर्ष (2) में उल्लिखित

*प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 266-70

प्रश्न का संबंध है, मेरा उत्तर यह है कि निर्णय का अधिकार निचले सदन में निहित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष: डा. अम्बेडकर! क्या आप इसे संविधान में लिखेंगे?

डा. अम्बेडकर : जी हां, मैं सोचता हूं कि ऐसा किया जा सकता है।

अध्यक्ष : यह किया जा सकता है। लेकिन क्या आप संविधान में इसको शामिल किए जाने के पक्ष में हैं?

डा. अम्बेडकर: आशा है कि आप इस विषय पर मुझे बाद में बोलने की अनुमति देंगे। यह खासतौर से वित्त विधेयक के मामले में जरूरी है। मेरी राय में उच्च सदन को निचले सदन के विचारार्थ सुझाव देने का अधिकार होना चाहिए,जिसे निचला सदन अगर चाहे तो स्वीकार कर सकता है। उच्च सदन को वित्त विधेयक को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि उसमें संशोधन करने का भी अधिकार होना चाहिए और जिस रूप में निचला सदन उसे पारित करे उसी रूप में उस वित्त विधेयक को कानून बन जाना चाहिए, भले ही वह उच्च सदन द्वारा अस्वीकृत हो चुका हो।

मैं सोचता हूं कि जो प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया है, वह बहुत ही क्रांतिकारी लगेगा और मैं सोचता भी यही हूं कि इसे क्रांतिकारी प्रस्ताव कहा जा सकता है। लेकिन, अध्यक्ष महोदय! अगर यह ऐसा है,तब कल जब मेरे विद्वान सहयोगी माननीय तेज बहादुर सप्रू और माननीय मुहम्मद शफी इस सवाल पर बोल रहे थे, उन्होंने अत्यंत आधुनिक संविधानों में से किसी भी संविधान का जिक्र नहीं किया। यह देखकर मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्होंने कनाडा डोमीनियन, आस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका के कुछ अपेक्षाकृत पुराने संविधानों के उदाहरण दिए। कनाडा का संविधान 1867 में बना था, आस्ट्रेलिया का 1901 में और दक्षिण अफ्रीका का 1909 में बना था। मैं नहीं जानता कि उन्होंने यहां के हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लाड्र्स के बीच के संविधानात्मक संबंधों पर विचार क्यों नहीं किया? मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने, उदाहरणार्थ आयरलैंड के दोनों सदनों के बीच के संबंधों पर जैसे कि वे हैं, विचार क्यों नहीं किया?मैं यह भी नहीं समझ पाता कि वह ब्राइस कमेटी के प्रस्तावों पर विचार करना कैसे भूल गए? अगर उन्होंने इन सब पर विचार किया होता, तब मेरे प्रस्ताव को सुनकर,जो उन्हें आश्चर्य हुआ है, वह न होता। लेकिन चूंकि उन्होंने इन सबका उल्लेख नहीं किया है, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव का समर्थन इन सबका उल्लेख करके करूंगा। मेरा प्रस्ताव ठीक वैसा ही है,जैसा कि 1911 के पार्लियामेंट ऐक्ट में दिया गया है। वहां यह कहा गया है कि जहां तक वित्त विधेयक का संबंध है, हाउस आफ लाड्र्स इस पर विचार कर सकता है, लेकिन हाउस आफ कामन्स की परम सत्ता है। इस अधिनियम में यह कहा गया है कि जब किसी वित्त विधेयक पर हाउस आफ कामन्स में विचार हो जाए और वह उसे पारित कर दे,तब वह कानून बन जाएगा, चाहे उस संबंध में हाउस आफ लाड्र्स की सहमति न भी हो। लेकिन शर्त यह है कि महामहिम विधेयक पर अपनी सहमति दे दें। महोदय! यही

संबंध जहां तक वित्त विधेयक का प्रश्न है, आयरलैंड के संविधान में दोनों सदनों के बीच निहित है। आयरलैंड के संविधान की धारा 35 में कहा गया है:

> वित्त विधेयक के संबंध में एतद्पश्चात निचला सदन (सीनाड आयरेन), उच्च सदन (डेल आयरेन) से निरपेक्ष विधायी शक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

इसके बाद धारा 38 में कहा गया है:

> उच्च सदन (डेल आयरेन) द्वारा प्रस्तावित और पारित प्रत्येक विधेयक, यदि वह वित्त विधेयक न हो, निचले सदन (सीनाड आयरेन) को भेजा जाएगा और उसमें वह संशोधन कर सकेगा।

लेकिन उच्च सदन (डेल आयरेन) द्वारा पारित कोई विधेयक. . .
और इसके बाद उक्त अनुच्छेद की बाकी बाते हैं।

मैं अपने प्रस्ताव की पुष्टि में अगला प्रमाण जो पेश कर रहा हूं, वह ब्राइस कमेटी की सिफारिश है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यह समिति एक ऐसी समिति थी,जिसमें सर्वाधिक प्रतिनिधि थे, इसके सदस्य दोनों सदनों, अर्थात हाउस आफ कामन्स और हाउस आफ लाड्र्स से लिए गए थे। यह समिति सर्वसम्मति से इस निष्कर्ष पर पहुंची थी कि कम से कम जहां तक वित्त विधेयकों का प्रश्न है, 1911 के पार्लियामेंट ऐक्ट में जो प्रावधान किया गया है, वह सही और उचित भी है।

इसके बाद, इस प्रस्ताव के समर्थन में मैं एक तीसरा प्रमाण देता हूं। ब्राइस कमेटी की रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को बंद करके नहीं रख दिया गया, इन पर 1922 की सम्मिलित सरकार ने विचार किया था। इस बारे में यह जानने के लिए प्रस्ताव भी किए गए (मुझे खुशी है कि लार्ड पील यहां इस समय मौजूद हैं) कि सरकार ब्राइस कमेटी की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई करेगी? ये प्रस्ताव संसद में 11 जुलाई 1922 को रखे गए थे। चौथा प्रस्ताव इस प्रकार था :

> हाउस आफ लाड्र्स वित्त विधेयकों में संशोधन या उन्हें अस्वीकृत नहीं करेगा। यह प्रश्न कि कोई विधेयक वित्त विधेयक है अथवा नहीं या यह अंशत: वित्त विधेयक है और अंशत: नहीं है, दोनों सदनों की संयुक्त स्थायी समीति को निर्णय के लिए भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

ब्राइस कमेटी के इस सिद्धांत को कि वित्त विधेयक से केवल हाउस आफ कामन्स संबंधित होगा, इसे स्वीकार किया गया और इन प्रस्तावों द्वारा पुष्ट किया गया। कृपया मुझे इन प्रस्तावों पर तत्कालीन भारत मंत्री विसकाउंट पील के भाषण को उद्धृत करने की अनुमति दें। इन प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था कि ये प्रस्ताव रूपरेखा मात्र हैं, जिनमें सिर्फ सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। उन्होंने आगे कहा था कि द्वितीय सदन को हाउस

आफ कामन्स के बराबर की शक्ति नहीं होनी चाहिए या जिससे वह एक प्रतियोगी शक्ति बन सके, उसे सरकारों को बरखास्त करने या कार्यकारिणी को भी दोनों सदनों के प्रति उत्तरदायी बनाने की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए।

मेरा ख्याल है कि मैंने इस समिति के सम्मुख जो प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैंने पर्याप्त प्रमाण दे दिए हैं।

लार्ड पील : क्या मैं कह सकता हूं कि वह एक सम्मिलित सरकार थी?

डा. अम्बेडकर : वह एक सम्मिलित सरकार थी।

लार्ड पील : सम्मिलित सरकार में आप वह सब कुछ नहीं कह सकते, जो आप चाहते हैं।

डा. अम्बेडकर : महोदय! यह आपके सोचने की बात हैं। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। सम्मिलित सरकार एक ऐसी सरकार थी, जिसमें एक से अधिक पार्टियां शामिल थीं। इसलिए जब मैं सम्मिलित सरकार को साक्षी मानकर कोई बात कर रहा हूं, तब मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसी स्थिति थी,जिसे एक से अधिक पार्टियों का समर्थन प्राप्त था, जिसमें लार्ड पील भी थे। निवेदन है कि इस समिति के सम्मुख मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसके बारे में यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त प्रमाण दे दिए हैं कि यह प्रस्ताव कोई क्रांतिकारी प्रस्ताव नहीं है।

माननीय तेज बहादुर सप्रू : क्या मैं डा. अम्बेडकर से पूछ सकता हूं कि क्या वह अपने दृष्टिकोंण के समर्थन में किसी संघीय संविधान का उल्लेख करने की कृपा करेंगे? इंग्लैंड संघ राज्य नहीं है और आयरलैंड, वह भी संघ राज्य नहीं है।

डा. अम्बेडकर : जी हां।

माननीय तेज बहादुर सप्रू : ब्राइस कमेटी का संघ राज्य से कोई लेना-देना नहीं था।

डा. अम्बेडकर : मेरा उत्तर यह है कि जब तक आपका संघीय संविधान इस प्रकार नहीं गठित किया जाता है कि उच्च सदन में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो,जिनका प्रतिनिधित्व निचले सदन में नहीं हुआ है, तब तक इस प्रस्ताव में कोई कमी नहीं है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि कोई सरकार एकात्मक है या संघीय।

माननीय पी.सी. मित्तर : मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। हाउस आफ लाड्र्स पुश्तैनी सदन होता था। क्या आयरलैंड का उच्च सदन भी कभी ऐसा नहीं होता था?

डा. अम्बेडकर : निवेदन है कि हाउस आफ लाड्र्स ने भी इस क्रांतिकारी परिवर्तन पर अपनी सहमति दे दी थी,जो एक प्राचीन सदन था, जिसका अपना गौरव, परंपराएं और विशेषाधिकार होते थे। मैं अत्यंत सम्मान के साथ यह पूछना चाहता हूं कि हाउस आफ लाड्र्स की तुलना में भारतीय राज्यों की स्थिति क्या होगी?

महाराजा बीकानेर : मैं ब्रिटिश साम्राज्य के अभिज्ञात सभासदों के प्रति पूर्ण सम्मान के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे राज्य हर ऐसे क्षेत्र में पूर्ण प्रभुतासम्पन्न हैं,जो ब्रिटिश

क्षेत्र नहीं हैं, जब कि इस साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण सभासद और उनके अधिकार क्षेत्र की स्थिति बिल्कुल ही भिन्न है।

डा. अम्बेडकर : यह प्रभुता हाउस आफ लाड्र्स के प्रस्ताव क्षेत्र और शक्ति पर निर्भर करती है।

माननीय मोहम्मद शफी : क्या मैं डा. अम्बेडकर से यह पूछ सकता हूं कि हाउस आफ लाड्र्स के विशेषाधिकार क्या हैं?

डा. अम्बेडकर : अपनी बात स्पष्ट करने के बाद मैं जिस अगली बात पर आना चाहता हूं, वह यह है कि संविधान में वित्त विधेयक की परिभाषा का उल्लेख होना चाहिए। इसकी परिभाषा, जैसा कि सुझाव दिया गया है, ऐसी हो जानी चाहिए, जैसी कि आयरलैंड के संविधान में दी गई है और जो उस परिभाषा से भिन्न नहीं है, जैसा कि 1911 के पार्लियामेंट ऐक्ट में लिखा हुआ है।

मैं अगली बात जो इसी से संबंधित है, यह कहना चाहता हूं कि जो सदस्य किसी भी विधेयक का प्रभारी हो, उसे यह दावा करने का अधिकार मिलना चाहिए कि उसका विधेयक एक वित्त विधेयक है। अगर दोनों सदनों के बीच ऐसा कोई विवाद हो कि कोई विधेयक जिसे वित्त विधेयक कहा जा रहा है, विधेयक नहीं है, तब इस विवाद का निर्णय दोनों सदनों की एक संयुक्त समित द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदन के प्रतिनिधि उसकी कुल संख्या के अनुपात में रखे जाने चाहिएं, और जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि भी उनकी अपनी कुल संख्या के आधार पर होने चाहिएं।

माननीय मानकजी दादाभाई : आप मौजूदा पद्धति से भिन्न पद्धति चाहते हैं।

डा. अम्बेडकर : कुछ ऐसा ही है।

श्री जफरुल्ला खां : अगर मौजूदा पद्धति संतोषजनक होती, तब हम यहां न होते।

डा. अम्बेडकर : अगला विषय जो मैं ले रहा हूं, वह गैर-वित्तीय विधेयक हैं। गैर-वित्तीय विधेयकों के मामले में मैं वित्त विधेयक के संबंध में लागू होने वाले सिद्धांत में संशोधन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ दो प्रयोजनों के लिए। पहला, जो गैर-वित्त विधेयक निचले सदन द्वारा लाया जाएगा,उसमें उच्च सदन को पुनरीक्षण और संशोधन करने का अधिकार होगा, बशर्ते उच्च सदन द्वारा ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा, जो वित्तीय मामलों से संबंधित होगा। दूसरा, उच्च सदन को किसी गैर-वित्तीय विधेयक को रोके रखने और उस विधेयक को पारित होने तक जिसके बाद वह कानून बन जाता है, इतनी देर करने का अधिकार होगा,जिससे कोई जल्दबाजी या जितनी देरी इसलिए जरूरी हो कि उसके बारे में जनता का दृष्टिकोण पर्याप्त रूप से अभिव्यक्त न हो जाए। इस बात को ध्यान में रखते हुए, गैर-वित्तीय विधेयकों से संबंधित उपशीर्ष में प्रस्तावित प्रश्न का मेरा उत्तर यह है कि उच्च सदन को गैर-वित्तीय विधेयक में संशोधन करने का अधिकार होना चाहिए। अगर ये संशोधन निचले सदन द्वारा स्वीकार कर लिए जाते हैं, तब कोई समस्या नहीं होती।

लेकिन अगर ये स्वीकार नहीं किए जाते, तब संविधान में यह प्रावधान होना चाहिए कि अगर कोई वित्तीय विधेयक निचले सदन द्वारा अपने कार्यकाल में तीन विभिन्न सत्रों में पारित किया जाता है, तब वह कानून बन जाएगा, चाहे उच्च सदन कितना भी विरोध क्यों न करे। अंत में मैं निवेदन करता हूं कि दोनों सदनों के बीच ये संबंध कानून में आ जाने चाहिएं और इनको परंपरा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। बस, मुझे यही कहना था।

* * * * *

*डा. अम्बेडकर** : श्री गाविन जोन्स, क्या आपका यह विचार है कि दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के संविधानों में दोनों सदनों के बीच के संबंधों को इसलिए और इस कारण परिभाषित किया है कि उन्हें यह बात मालूम थी कि वह संघीय प्रणाली की सरकार के लिए संविधान बना रहे हैं?

श्री गाविन जोन्स : जी हां, निश्चित रूप से।

डा. अम्बेडकर : तब कनाडा के संविधान ने इन दोनों सदनों के बीच के संबंधों के बारे में कोई नियम क्यों नहीं बनाए?

माननीय मोहम्मद शफी : इसलिए कि यह एक सामान्य नियम है कि ये संबंध वैसे ही होंगे, जैसे कि हाउस आफ लाड्र्स और हाउस आफ कामन्स के हैं।

डा. अम्बेडकर : लेकिन हाउस आफ लाड्र्स और हाउस आफ कामन्स से एक एकात्मक सरकार बनती है, न कि संघीय सरकार। मैंने कहा था कि इसका एकात्मक या संघीय रूप की सरकार से कोई संबंध नहीं है और अगर आप मुझे कुछ आगे कहने की अनुमति दें तो मेरा कहना है कि विभिन्न डोमीनियनों ने जब वे अपने-अपने संविधान बना रहे थे अपने-अपने संविधानों में इन दोनों सदनों के संबंधों को वैसा ही निश्चित किया है, जैसा उन्होंने तब हाउस आफ लाड्र्स और हाउस आफ कामन्स के बीच देखा था। वे इन संबंधों को न तो संघीय और न एकात्मक के लिए बना रहे थे। कनाडा का संविधान कहता है. . .

अध्यक्ष : डा. अम्बेडकर, कृपया आप श्री गाविन जोन्स को बोलने दें।

श्री गाविन जोन्स : मैं इतना ही कहूंगा कि आस्ट्रेलिया का संविधान संघीय संविधान है।

डा. अम्बेडकर : निश्चित रूप से।

श्री गाविन जोन्स : मैं यह भी कहूंगा कि आस्ट्रेलिया विश्व के सबसे अधिक लोकतांत्रिक देशों में से एक है।

डा. अम्बेडकर : मैं इससे सहमत हूं।

श्री गाविन जोन्स : अगर उन्होंने इन सभी सुरक्षा उपायों को जरूरी समझा था, तब मेरा विचार है कि हम इन्हें भारत में अपना लें।

डा. अम्बेडकर : वह दूसरी बात है। यहां विचारणीय है कि क्या आस्ट्रेलिया ने इस संबंध

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 281-82

में जो प्रावधान किया है, वह इसलिए कि वे लोग संघीय संविधान चाहते थे। मेरा कहना है कि उन्होंने अपना संविधान बनाते समय इंग्लैंड के संविधान में जो पाया, वैसा ही अपना लिया था।

अट्ठाइसवीं बैठक—23 सितंबर 1931

मद संख्या 1

(संघीय विधान-मंडल में सदस्यों की संख्या और उसका गठन)

*डा. अम्बेडकर** : मैं उप-मंद संख्या (1), (2), (3), और (4) के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। इन विषयों पर मेरे मित्र श्री जोशी ने जो कुछ आप पूर्वाह्न में बोला, सिर्फ एक बात को छोड़कर उनसे मैं सहमत हूं। इन दोनों सदनों में सदस्यों की किसी संख्या के बारे में मेरा कोई आग्रह नहीं है। मेरे विचार में हमें कोई निश्चित संख्या लेकर विचार शुरू नहीं करना चाहिए। यह संख्या सभी आवश्यक पक्षों पर विचार कर निश्चित की जानी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मैं एक बड़ा सदन बनाने के पक्ष में हूं, क्योंकि मैं सोचता हूं कि यह सदन विचार-विमर्श का सदन होगा और इसलिए इसका गठन इस प्रकार होना चाहिए कि इसमें सभी हितों का प्रतिनिधित्व हो और किसी एक खास हित के लोगों को ही ठूंस-ठांस कर न भर दिया जाए।

एक बड़ा सदन बनाए जाने के विरोध में एक ही तर्क दिया गया है कि हमारा सदन कामकाजी सदन होना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इस तर्क में कुछ वजन है और सदन की कार्यकुशलता इस बात पर कम निर्भर करती है कि उसमें कितने सदस्य हैं, बल्कि इस बात पर अधिक निर्भर करती है कि उसने अपने लिए कैसे विषय और कैसी कार्यप्रणाली निश्चित की है। इसलिए मैं उस विचार से उसकी सीमा नहीं बनाऊंगा।

मैं जिस विषय पर खासतौर से बोलना चाहता हूं, वह उप-मद संख्या 4 है। मैं पहले उप-मद (4) के भाग (ख) को लेता हूं, जो इस प्रकार है:

> संघीय संरचना समिति को संघीय संविधान बनाने के संबंध में अपनी कार्रवाई शुरू करने के लिए कितनी न्यूनतम संख्या में भारतीय राज्यों का शामिल होना आवश्यक समझा जाना चाहिए?

यह एक प्रश्न है, जिस पर से परदा नहीं उठाया गया है। हमें बताया गया है कि भारत का भावी संविधान संघीय संविधान होना चाहिए। लेकिन किसी ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या यह उन लोगों का मत है, जो इस बात पर जोर देते हैं कि संघीय रूप में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के पूर्व भारतीय राज्यों का शामिल होना एक लाजिमी बात है। जब तक मैं उन लोगों का दृष्टिकोंण इस बारे में निश्चित रूप से न समझ लूं, तब तक मेरे लिए इस बारे में कुछ कहना कठिन है। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं, तो मेरा उत्तर

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी*, खंड 1, पृ. 344-46

यह है कि संघीय संविधान लागू करने के लिए हमें किसी नियत संख्या में भारतीय राज्यों के शामिल होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मैं नहीं कह सकता कि ब्रिटिश भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी सरकार की स्थापना के प्रश्न को तब तक बस्ते में बंद कर रखे रहेगा, जब तक राजा-महाराजा भारत की संघीय सरकार में शामिल होने का निर्णय नहीं कर लेते हैं। इसलिए भारत में संघीय सरकार शुरू करने के बारे में जो कुछ हमें करना है, वह यह है कि हम संविधान में एक धारा यह जोड़ दें कि महामहिम की सरकार अपने आदेश से नए-नए राज्यों को जैसे-जैसे वह शामिल होने की इच्छा करेंगे, संघ में शामिल कर लिया करेगी। यह कोई नई बात नहीं है। ऐसी व्यवस्था कनाडा के संविधान में धारा 146 और 147 में और आस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 121 से 124 में की हुई है। कनाडा के संविधान की धारा 146 में यह प्रावधान है कि 1867 में संघ के गठन के समय,जो इकाइयां इसमें शामिल नहीं हुई थीं और जो बाद में इसमें शामिल होने की इच्छुक हुईं, उन्हें महामहिम की सरकार ने संविधान की इकाई के रूप में शामिल कर लिया था। मेरा ख्याल है कि अगर हम इस तरह की कोई धारा जोड़ दें, तब संघीय संविधान कार्यान्वित करने का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है। यह राजा-महाराजाओं की स्वतंत्रता के अनुरूप रहेगा कि वे संध में शामिल होना चाहते हैं या नहीं।

अब आइए उप-मद (5) के भाग (क) पर विचार करें। इस बारे में महाराजा बीकानेर का यह सुझाव हमें मिला है कि संघ में चाहे एक या सभी राज्य शामिल हों, उन्हें उनके सारे मतों का अधिकार मिला होना चाहिए, जो उनके लिए नियत किए गए हैं। अत्यंत विनम्रतापूर्वक, मेरा निवेदन है कि मेरे ख्याल से यह प्रस्ताव एक अजीब-सा प्रस्ताव है। यह एक ऐसा प्रस्ताव है,जिसके बारे में मैं आदरपूर्वक यह कहूंगा कि यह एक निरर्थक प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के बारे में जिसे मैं असाधारण कहना चाहता हूं, कोई औचित्य नहीं बताया गया है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर एक भी महाराजा संघ में शामिल होता है और विधान-मंडल में भाग लेता है, तब उसका एक मत संख्या के लिए सारे राज्यों के मतों के बराबर गिना जाएगा और ब्रिटिश भारत के निवासियों को,जो संघ में शामिल होंगे, ऐसा कोई भी निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा, जिससे उन राज्यों में रहने वाले लोगों का भाग्य प्रभावित हो सके,जिन्होंने इसमें शामिल होने का निर्णय नहीं किया है। यह एक अजीब एक-तरफा व्यवस्था होगी। जो महाराजा इस विधान-मंडल से बाहर रहता है, वह इस प्रावधान के अधीन अपना मत प्राप्त कर सकेगा और अपने पड़ोसी महाराजा या सहयोगी को उसे अंतरित भी कर सकेगा, जिससे वह महाराजा या सहयोगी ब्रिटिश भारत के भाग्य का फैसला कर सके। मेरा निवेदन है कि यह न्याय रहित है और इसमें कोई औचित्य नहीं है। जहां तक मेरा संबंध है, यह ऐसी बात है कि मैं इसकी सहमति कभी भी नहीं दे सकता। सबसे सही और उचित बात तो यह होगी कि जो भी महाराजा संघ में शामिल होने

के इच्छुक हैं, उनका मत, मतों के विशिष्ट कोटा तक सीमित रखा जाना चाहिए,जो उन्हें ऐसी व्यवस्था के अधीन निर्धारित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव माननीय मिर्जा इस्माइल ने किया है। अगर कोई महाराजा शामिल होता है और उसका एक प्रतिनिधि होता है, तब वह एक मत देने का हकदार होगा। अगर महाराजाओं के वर्ग शामिल होते हैं और माननीय मिर्जा इस्माइल द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था के अधीन इस वर्ग को दो मत निर्धारित किए गए हैं, तब इस वर्ग को वर्ग के रूप में शामिल होना होगा और इसे दो मत से ज्यादा मत देने का अधिकार नहीं होगा। बाकी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके बारे में कम से कम मैं अपनी सहमति नहीं दे सकता।

तीसवीं बैठक—25 सितंबर 1931

मद संख्या 4

(संघ और उसकी इकाइयों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण)

*डा. अम्बेडकर** : माननीय मोहम्मद शफी ने जो मुद्दा उठाया है, मैं उसे बहुत अहम् मानता हूं। आशा है कि आप मुझे इस प्रश्न पर, बाद में ही, चर्चा करने का मौका देंगे कि संघीय संरचना उप-समिति ने विषयों को केंद्रीय और संघीय रूपों में विभाजित करने का जो सुझाव दिया है, उसे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। एक दूसरा सुझाव,जो मैं आपके विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूं, वह यह है कि क्या इस पर पहले विचार कर लेना और तब इसे बाद में वित्त उप-समिति को भेंजना उचित नहीं होगा। इस मामले पर आपको विचार करना है। मेरा ख्याल है कि यदि हम किसी निर्णय पर पहुंच जाएं,तो ज्यादा अच्छा होगा, चाहे इधर या उधर कि क्या हम संविधान में द्विभागीकरण की व्यवस्था रखें या यह अच्छा होगा कि हम इन विषयों को उप-समिति को विचारार्थ सौंप दें।

चौंतीसवीं बैठक—14 अक्तूबर 1931

मद संख्या 4

(संघ और उसकी इकाइयों में वित्तीय संसाधनों का वितरण)

संघीय वित्त उप-समिति की रिपोर्ट पर बहस

*डा. अम्बेडकर**:* अध्यक्ष महोदय! हम लोगों ने वित्त उप-समिति की रिपोर्ट पर बहस सुनी, जो पिछले दो दिनों से चल रही थी। मुझे दुःख है कि यह बहस बहुत कुछ नीरस और उबा देने वाली थी। इस उप-समिति की सिफारिशों में से अधिकांश से मैं सहमत नहीं हूं,

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी*, खंड 1, पृ. 418

** वही, पृ. 529-34

इसलिए मुझे इस बहस में भाग लेना पड़ रहा है।

इस उप-समिति ने पहली जिस समस्या पर विचार किया है, वह संघीय सरकार और उसकी इकाइयों के बीच संसाधनों का विभाजन है। उप-समिति ने जो सिफारिशें की हैं, उन्हें तैयार करते समय उसने संघीय सरकार और उसकी इकाइयों के बीच संसाधनों के विभाजन को लागू करने के लिए कुछ सिद्धांत तय किए हैं। इन सिद्धांतों का रिपोर्ट के पैरा 8 में उल्लेख किया गया है। इसमें यह सुझाव दिया गया है कि संघीय सरकार और उसकी इकाइयों के बीच राजस्व के आवंटन की उचित व्यवस्था यह होगी कि 'अप्रत्यक्ष' कर संघ सरकार को और 'प्रत्यक्ष' कर उसकी इकाइयों को दिया जाए। अब यह एक ऐसा सिद्धांत है, जिसके बारे में मुझे आपत्ति है। इस बारे में मैं पहली बात तो यह कहूंगा कि यह एक ऐसा सिद्धांत है, जिसका बिल्कुल भी कोई आधार नहीं है। मैंने अधिकांश संघीय सरकारों के संविधानों को बड़ी सावधानी से जांचा-परखा है और मुझे इस सिद्धांत के लिए कोई प्रमाण नहीं मिला, जो वित्त उप-समिति की रिपोर्ट के पैरा 8 में बताया गया है। उदाहरण के लिए, कनाडा के संविधान की धारा 91 और 92 को लीजिए। इसमें जो व्यवस्था बताई गई है, वह यह है कि कनाडा में प्रांतीय सरकारों के लिए वे 'कर' नियत किए गए हैं, जिन्हें 'प्रत्यक्ष' कर कहा जाता है, लेकिन केंद्रीय सरकार को अप्रत्यक्ष कर से बांध नहीं दिया गया है। वहां केंद्रीय सरकार को यह छूट दी रखी गई है कि वह 'प्रत्यक्ष' कर ले या 'अप्रत्यक्ष' कर ले। अगर आप आस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 86, 69 और 90 पर विचार करें, तब भी आप देखेंगे कि यही निष्कर्ष निकलता है। हालांकि उनका तरीका कुछ जुदा है। इन धाराओं में यह कहा गया है कि राज्य सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क नहीं लगाएंगे। निश्चय ही इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि आस्ट्रेलिया में केंद्रीय सरकार भी सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क लगा सकती है। वहां भी आस्ट्रेलिया में केंद्रीय सरकार की प्रत्यक्ष कर लगाने की छूट बरकरार रखी गई है। उप-समिति ने इस बात का उल्लेख किया है कि उसने अपनी रिपोर्ट के पैरा 8 में जिस व्यवस्था का वर्णन किया है, वह व्यवस्था अमरीका में वहां के संविधान में 16वें संशोधन तक विद्यमान थी, जो 1913 में पारित किया गया था। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां गलती की हुई। अमरीका के संविधान में शुरू से ही अमरीका में 'प्रत्यक्ष कर' लगाने के बारे में केंद्रीय सरकार की शक्ति पर कभी भी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। अगर आप अमरीका के संविधान के अनुच्छेद 1 की धारा 2 को देखें तब आपको वहां इस बात का स्पष्ट प्रावधान मिलेगा कि अमरीका में केंद्रीय सरकार को 'प्रत्यक्ष' कर लगाने की पूरी छूट है। अगर अमरीका में केंद्रीय सरकार की सत्ता पर कोई पाबंदी लगाई गई है, तो वह यह है कि अगर प्रत्यक्ष कर लगाए ही जाते हैं, तब उससे प्राप्त राजस्व विभिन्न राज्यों में वहां की जनसंख्या के अनुपात में विनियोजित कर दिए जाएंगे। 1931 के संशोधन में सिर्फ यही प्रावधान किया गया कि केंद्रीय सरकार पर 'प्रत्यक्ष' कर संबंधी यह पाबंदी, अर्थात

जनसंख्या के अनुपात में नियोजन किया जाना समाप्त कर दिया गया। लेकिन प्रत्यक्ष कर का यह अधिकार शुरू से ही बना रहा। यहीं नहीं, अमरीका ने प्रत्यक्ष कर 1864 में और 1894 में भी लगाया था। तब केंद्रीय सरकार पूरी तरह से 'अप्रत्यक्ष' साधनों पर निर्भर थी और कैंटनों को 'प्रत्यक्ष' कर लगाने का अधिकार था। मैं इस बात की कल्पना नहीं करूंगा कि इस समिति का कोई सदस्य भारतीय संघ राज्यों के लिए स्विट्जरलैंड के अनुभव से कोई सीख उद्धृत करने का साहस भी करेगा। इस तरह की तुलना से कोई लाभ नहीं होगा। यह तुलना तो पनीर के साथ सफेद खड़िया मिट्टी के ढेले की तुलना करना जैसा होगा और वहां भी स्विट्जरलैंड के संविधान ने इस व्यवस्था को 1915 में त्याग दिया था और केंद्रीय सरकार को राज्य के नागरिकों पर 'प्रत्यक्ष' कर लगाने की अनुमति दे दी थी। इसलिए अगर यह प्रस्ताव उस विशेषज्ञ समिति को एक निर्देश के रूप में है, तब मैं इस प्रस्ताव के बारे में अपनी सहमति नहीं दे सकता।

अब मैं इन संसाधनों के वास्तविक विभाजन के बारे में कुछ कहूंगा, जो उप-समिति ने पैरा 10 में प्रस्तावित किया है। इस आवंटन के बारे में एक ही कसौटी अपनाई जा सकती है और वह है पर्याप्तता की कसौटी। केंद्रीय सरकार और संघ राज्य की इकाइयों, दोनों के लिए,जो आवंटन पैरा 10 में दर्शाया गया है,क्या उससे उन्हें पर्याप्त राजस्व प्राप्त होता है? अब इस विभाजन को इस कसौटी से भी परखना संभव नहीं है। मैं उप-समिति की कोई अवमानना नहीं कर रहा हूं, किंतु यह कहना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में आवश्यक बजट अनुमान नहीं दिए गए हैं, जिसके आधार पर कोई यह पूर्वानुमान कर सके कि यह आवंटन पर्याप्त है अथवा नहीं। यह विभाजन इस अनुमान पर आधारित हुआ लगता है कि कल्याणकारी कार्यों का संबंध अधिकतर प्रांतीय होता है, इसलिए प्रांतों को राजस्व के ऐसे संसाधन प्राप्त होने चाहिए, जिनमें निरंतर विस्तार होता रहे। यह मुख्यत: सच भी है। लेकिन ऐसा प्रावधान करते समय, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने वित्तीय प्रणाली में संघ सरकार को राजस्व के पर्याप्त और विकासशील साधनों से वंचित कर दिया है।

इस उप-समिति की रिपोर्ट के पैरा 10 को लीजिए, जो प्रस्तावों का राजस्व पक्ष है। सबसे पहले राजस्व का स्रोत सीमा शुल्क बताया गया है। अब ऐसी बहुत सी बाते हैं, जिन पर सीमा शुल्क का राजस्व निर्भर करता है। पहली बात तो यह है कि यह व्यापार में उन्नति या व्यापार में अवनति पर निर्भर करता है। जब अवनति होती है, तब निर्यात भी घट जाता है, जनता की उपयोग शक्ति भी कम हो जाती है और इस सीमा तक आयात भी कम हो जाता है। इसका अर्थ है, सीमा शुल्क के राजस्व में कमी। दूसरे, राजस्व का यह स्रोत आमतौर पर टैरिफ की उस नीति पर निर्भर करता है, जो आगे आने वाले वर्षों में अपनाई जाएगी। हो सकता है कि भारत में ऐसी पार्टी सत्ता में आ जाए, जो पूर्ण संरक्षण पर विश्वास करती है और इस प्रकार बाहर से किसी भी ऐसी वस्तु के आयात पर रोक लगा देती है, जो देश

में बन रही वस्तु और उसके उद्योग से होड़ लगाती हो। अगर ऐसा होता है, अर्थात अगर घोर संरक्षणवाद की नीति के द्वारा आयात बंद कर दिया जाता है, तब सीमा शुल्क से प्राप्त होने वाला राजस्व,तो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। दूसरी तरफ, अगर ऐसी पार्टी सत्ता में आती है,जो मुक्त व्यापार और किसी भी प्रकार के संरक्षण में विश्वास करती है, तब फिर सीमा शुल्क का राजस्व एक क्षीण साधन बनकर रह जाएगा, जिस पर संघ सरकार को निर्भर रहना है।

अब आइए, संघ सरकार के राजस्व के दूसरे साधन पर विचार करें – यह साधन है अफीम। भारत सरकार द्वारा प्रचारित सूचना के अनुसार, मैं देखता हूं कि भारत सरकार का यह कहना है कि अफीम के निर्यात पर उसका राजस्व खत्म हो जाएगा, जो लगभग 2 करोड़ रुपये है। लेकिन उसे दवाई के रूप में इस्तेमाल होने वाली अफीम की बिक्री से 10 या 15 लाख रुपये की आय होती रहेगी। इससे स्पष्ट होता है कि संघ सरकार को उसके राजस्व-साधनों से कितनी कम आय होती है।

उप-समिति ने संघ सरकार के लिए राजस्व का तीसरा साधन नमक कर बताया है। अब हम सभी जानते हैं कि यह साधन झगड़े की जड़ रहा है और यह भारतीय राजनीति का एक मुद्दा बन गया है। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है, तब यह कर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब इस सवाल के बावजूद कि कांग्रेस इस कर को बिल्कुल खत्म करने में सफल होती है या नहीं, इतना तो निश्चित है कि इस कर पर निर्भर नहीं रहा जा सकता कि इससे संघ सरकार को काफी बड़ी मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा, क्योंकि इसका संबंध भारत में रहने वाली साधारण जनता के रहन-सहन के स्तर से है।

अब अंत में आपके विचारार्थ निगम कर है, जिसे इस उप-समिति ने संघ सरकार के राजस्व का एक साधन बताया है। मुझे बताया गया है कि इससे लगभग 3 करोड़ रुपये की आय होती है। अत: स्पष्ट है कि इस समय इससे बहुत ही थोड़ी आय होती है। मेरा ख्याल है कि अगर हम भारत की समृद्धि के लिए उद्योगीकरण को बहुत ही आवश्यक मानते हैं और अगर हम यह भी स्वीकार करते हैं कि उद्योगीकरण के लिए पूंजी का नियमित किया जाना भी जरूरी है, तब मेरी शंका है कि हम इस कर में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं कर सकते। नहीं तो पूंजी को नियमित करने की प्रक्रिया प्रभावित होने लगेगी।

बजट के राजस्व पक्ष के बारे में मेरे यही विचार हैं। अब मैं व्यय पक्ष पर आता हूं। उप-समिति का यह दृष्टिकोंण है कि केंद्र में सरकार का काम और कुछ नहीं, बल्कि रक्षा करना है। मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि आजकल के युग में हर सरकार का यही कार्य रह गया है। इतिहास में एक ऐसा समय था जब कि सरकार का उचित कार्य अव्यवस्था के साथ-साथ सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था करने के अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन मेरा विचार है कि अब समय बदल गया है। हम इस बात में विश्वास करते हैं कि सरकार को

सुरक्षाकर्मियों की व्यवस्था तो करनी ही चाहिए, लेकिन उसे कल्याण की व्यवस्था भी करनी चाहिए। यह मेरा निजी विचार है, अन्य सदस्यों के कुछ भिन्न विचार हो सकते हैं कि केंद्र में स्थित सरकार को स्वयं कुछ कल्याण कार्य शुरू करने होंगे, जो मेरे विचार में भारत के लिए विशेष प्रकार के होंगे। मैं सोचता हूं और मैं इसका प्रस्ताव अन्यत्र भी करूंगा, कि केंद्र में स्थित सरकार को उन लोगों के लिए जिन्हें हम दलित वर्ग कहते हैं, सुरक्षा और सहायता करने का उत्तरदायित्व लेना चाहिए। मैं चाहता हूं कि दलित वर्ग की समस्या और छुआछूत दूर करने की समस्या पर अब सिर्फ स्थानीय या प्रांतीय समस्या के रूप में विचार न किया जाए। मैं चाहता हूं कि इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या समझा जाए, जिसके बारे में सारा भारत चिंतित है। मैं चाहता हूं कि केंद्र में स्थित सरकार जंगलों में रहने वाली जनजातियों को सभ्यता की धारा में शामिल करने का दायित्व स्वीकार करे, जिनकी संख्या दलित वर्ग के लोगों के लगभग बराबर ही है। मैं चाहता हूं कि सरकार उस वर्ग के लिए भी कुछ करने का दायित्व ले, जिन्हें 'पिछड़ा वर्ग' कहा जाता है। दूसरे शब्दों में मेरा निवेदन है कि केंद्रीय सरकार इस प्रकार के कल्याण कार्य करे, जिससे हर व्यक्ति को और हर समुदाय को इतना सभ्य जीवन तो मिल सके, जिसे मैं न्यूनतम कहता हूं।

इसके अलावा, ऐसे भी बहुत से कार्य हैं, जिनका संबंध सारे भारत से है या जिनका संबंध किसी एक प्रांत से है और जिन्हें करना उस प्रांत की क्षमता से बाहर की बात है। उदाहरण के लिए, मलेरिया प्रकोप लीजिए। कुछ प्रांतों में इसका असर कम है। लेकिन कुछ प्रांतों में मुझे बताया गया है कि यह जनशक्ति को समाप्त करता जा रहा है। वह प्रांत इसका उन्मूलन करने में आर्थिक या वित्तीय दृष्टि से समर्थ नहीं है। इसे एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में लिया जाना चाहिए और इस कारण राष्ट्रीय सरकार को अपने ऊपर कुछ कल्याणकारी कार्य करने का उत्तरदायित्व लेना होगा।

लगता है कि इस उप-समिति ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा है कि संघीय सरकार उन कारणों को छोड़कर जो सभी प्रांतों में समान हैं, कुछ विशेष कारणों से, जैसे उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को, आर्थिक सहायता दिया करेगी। यह सहायता इन प्रांतों को इसलिए दी जाएगी कि इन प्रांतों को कुछ ऐसे कार्य करने होंगे, जिनका संबंध सारे राष्ट्र की समस्या से है। इसी तरह नए-नए प्रांतों का गठन हो सकता है। ऐसी दशा में संघीय सरकार उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दिया करेगी, जिससे ये बने रह सकें।

अब आप अगर व्यय पक्ष पर मौटे तौर से देखें, जैसा कि मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है और उसकी तुलना राजस्व पक्ष से करें,जिसका प्रस्ताव इस उप-समिति की रिपोर्ट में किया गया है, तो यह कहना कोई अत्युक्ति नहीं होगी कि संघ सरकार के लिए जिस वित्तीय प्रणाली की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है, वह इतनी ही है कि संघ सरकार सामान्य दिनों में सांस लेने के लिए पानी से ऊपर अपना सिर बाहर रख सके और शायद यह भी न हो सके। लेकिन

एक बात तो निश्चित है कि अगर कोई तूफान आएगा, तो उसमें यह डूब अवश्य जाएगी।

आइए, इस उप-समिति ने पैरा 21 में आपातकाल के बारे में, मुझे गंभीर आपातकाल कहना चाहिए, क्या प्रस्तावित किया है, उसे भी देखें। इस उप-समिति ने यह सुझाव दिया है कि संघीय सरकार को अपनी सभी इकाइयों से अंशदान करने का अधिकार होना चाहिए। मेरे मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह उपाय सुरक्षित और सुनिश्चित उपाय है? क्या यह ऐसा उपाय है, जिस पर हर किसी स्थिति में निर्भर रहा जा सकता है? गंभीर आपातकाल में संघीय सरकार को अंशदान करने की इच्छा के बारे में कल मेरे एक सम्माननीय मित्र ने एक दृष्टिकोंण प्रस्तुत किया था। उन्होंने कहा था कि अगर प्रांतों को गंभीर आपातकाल में संघीय सरकार की सहायता करनी पड़ेगी, तब प्रांतों को यह विवेकाधिकार दिया जाना चाहिए कि कोई आपातकाल है या नहीं। अब मैं यह नहीं कह सकता कि इस दृष्टिकोंण को सब लोग स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन यह दृष्टिकोंण एक बात का सूचक अवश्य है कि जब कभी आपातकाल की स्थिति पैदा होगी तब विभिन्न प्रांत संघीय सरकार के घाटे को पूरा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या आपातकाल की स्थिति में राज्यों पर उनसे उनका अंश प्राप्त करने के लिए निर्भर रहा जा सकता है? मैंने यह प्रश्न उठाया है, लेकिन मैं यह नहीं समझता कि मैं इसका उत्तर भी दूं। जो भी हो, मेरा ख्याल है कि यह प्रणाली निर्भर रहने योग्य नहीं है। जहां तक प्रांतों की सामर्थ्य का प्रश्न है, हम इस संबंध में थोड़ा बहुत निश्चित रह सकते हैं। आपात स्थिति में राज्यों की सामर्थ्य के बारे में, आपात स्थिति के उद्देश्य से, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय! मेरा निष्कर्ष यह है कि पर्याप्तता के विचार से, विस्तारशीलता और आपात स्थिति के विचार से, सबसे उत्तम उपाय यह है कि संघीय सरकार की वित्तीय प्रणाली के आधार को विस्तृत और व्यापक बनाया जाए। इसलिए मेरा प्रस्ताव यह है कि संघीय सरकार और प्रांतीय सरकारें, दोनों के लिए आयकर राजस्व का एक समान स्रोत समझा जाए, जिससे प्रत्येक सरकार को जब कभी कोई आवश्यकता हो, उस प्रकार के अंशदान पर निर्भर रहे बगैर, जिनका उल्लेख पैरा 21 में किया गया है, इस स्रोत का उपयोग करने का अधिकार रहे।

अब जब मैं इस पर विचार कर ही रहा हूं, तब मैं इस संबंध में भी अपना दृष्टिकोंण स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आयकर में प्रत्येक का अंश किस प्रकार होगा। लेकिन इससे पहले, मैं दो संकल्पनाओं को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि संघ सरकार और उसकी इकाइयों के बीच – मैं खासतौर से ब्रिटिश भारत के प्रांतों के बारे में बोल रहा हूं – जिस किसी प्रकार का आवंटन परस्पर अंततः तय किया जाए, उसमें हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि प्रांतीय वित्त व्यवस्था स्वतः पूर्ण हो और यह किसी अनुदान या अंशदान पर निर्भर नहीं रहे। दूसरा, हम प्रांतीय वित्त व्यवस्था इस प्रकार की बनाएं कि यह उस उत्तरदायित्व की भावना की विरोधी नहीं हो, जो प्रत्येक कार्यकारिणी में विधान-मंडल के प्रति होनी चाहिए।

अध्यक्ष : क्या मैं आपकी टिप्पणियों को सही समझा हूं कि सारी प्रांतीय समस्याओं को यथाशीघ्र सुलझाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? प्रांतीय वित्त के बारे में जो सिद्धांत रखा, उससे मैं सहमत हूं और मेरा ख्याल है कि आपका यही आशय है कि ये सभी प्रांतीय प्रश्न जल्दी से जल्दी सुलझा लिए जाने चाहिए।

डा. अम्बेडकर : इन्हें सुलझाया जाना चाहिए। इन दोनों संकल्पनाओं के बाद, महोदय! मेरा निवेदन है कि मैं आयकर के किसी ऐसे विभाजन का अनुमोदन नहीं करूंगा, जिससे आयकर की दरों को निश्चित और उससे होने वाली आय को अपने और प्रांतीय सरकारों के बीच विभाजित करने का अधिकार संघ सरकार को दे दिया जाए। मैं चाहता हूं कि कराधान के आधार को आवंटित किया जाए--एक आधार संघीय सरकार को तो दूसरा आधार प्रांतीय सरकार को दिया जाए। मैं चाहता हूं कि कराधान जांच समिति, द्वारा प्रस्तावित प्रणाली को लागू किया जाए। जहां तक आयकर के विभाजन का संबंध है, मैं चाहता हूं कि व्यक्तिगत आय प्रांतों को और शेष आय संघीय सरकार को आवंटित की जाए। मैं यह भी चाहता हूं कि व्यक्तिगत आय पर कर की दर संघीय सरकार के द्वारा निश्चित न की जाकर हर प्रांत के द्वारा अपनी-अपनी आवश्यकता के अनुसार निश्चित की जाए।

पैंतीसवीं बैठक—15 अक्तूबर 1931

मद संख्या 4

(संघ और उसकी इकाइयों के बीच वित्तीय संसाधनों का विभाजन)

संघीय वित्त उप-समिति की रिपोर्ट पर बहस

*डा. अम्बेडकर** : अध्यक्ष महोदय! कल मैंने आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट किया था कि वित्तीय समिति ने संघ सरकार के लिए,जो वित्तीय प्रणाली प्रस्तावित की है, वह मुझे अपर्याप्त और अविकासशील लगती है। यह उस भार के अनुरूप नहीं है,जो किसी आपात स्थिति के उत्पन्न होने पर संघ की सरकार पर पड़ सकता है और इसलिए दोनों सरकारों के लिए आयकर को आय का एक समान स्रोत बनाकर उप-समिति द्वारा राजस्व के प्रस्तावित आवंटन में परिवर्तन किया जाना चाहिए। मैंने यह भी कहा था कि संसाधनों का आवंटन करते समय दो संकल्पनाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पहली संकल्पना यह है कि वित्तीय व्यवस्था, चाहे वह संघीय हो चाहे प्रांतीय, स्वायत्त और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। दूसरा यह कि यह ऐसी नहीं होनी चाहिए,जिससे कार्यकारिणी में उत्तरदायित्व की वह भावना कम हो जाए, जो उसकी विधान-मंडल के प्रति होनी चाहिए। इससे स्पष्ट है कि जो आर्थिक सहायता या अंशदान स्वायत्तपूर्ण और आत्मनिर्भर वित्त व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, उससे कार्यकारिणी में विधान-मंडल के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को क्षति पहुंचेगी और उससे

* प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 534-40

विधान-मंडल कार्यकारिणी के प्रति उदासीन हो जाएगा। पूर्ति को अस्वीकृत करने की शक्ति और बाहर से प्राप्त पूर्ति के विनियोजन को अस्वीकृत करने की शक्ति का होना कार्यकारिणी को नियंत्रित करने और उसे विधान-मंडल की इच्छा के अनुरूप ढालने के लिए समान रूप से प्रभावी नहीं है। इस दृष्टिकोण से राजस्व के साधनों को विभाजित करने की समस्या अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। आप उन्हें इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं कि इससे संघ और प्रांत, दोनों की वित्त व्यवस्था स्वायत्तपूर्ण और आत्मनिर्भर बन जाए या आप इसे इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं कि इसके विभाजन के बाद जो वित्त व्यवस्था बने, वह आर्थिक सहायता और अंशदानों के द्वारा समायोजन किए बगैर स्वायत्तपूर्ण न हो और आत्मनिर्भर न बन सके।

आयकर पर विचार करने पर उसे राजस्व के एक संयुक्त साधन बनाए जाने का सुझाव देते समय मेरे ध्यान में यही बातें रही थीं। आयकर को राजस्व का संयुक्त साधन बनाने के दो उपाय हैं। पहला, जिसे आप साधन का पृथक्करण और आय का विभाजन कह सकते हैं और दूसरा, साधनों का आवंटन या बंटवारा और आय का विभाजन। पहले उपाय में दर निश्चित करने का अधिकार इन दोनों पक्ष में से केवल एक पक्ष का होगा और यह काम स्वभावत: संघीय सरकार का ही होगा। प्रांतों का काम और कुछ नहीं केवल कर से होने वाली आय में से सिर्फ अपना अंश प्राप्त करने का अधिकार होगा। दूसरे उपाय के अधीन दोनों को अपने-अपने यहां आयकर की दरों को निश्चित करने का अधिकार होगा। एक प्रांत आयकर की अपनी दरें निश्चित करेगा,जो उसी प्रांत में लागू होंगी। संघ आयकर की अपनी दर निश्चित करेगा,जो संघ की सभी इकाइयों में लागू होंगी। इस बारे में कि आयकर निश्चित करने और उसे वसूल करने के लिए संघीय सरकार का प्रशासन बना रहे, मेरा विचार है कि राजस्व के आवंटन के लिए दूसरा उपाय अपनाया जाना चाहिए। यह उस प्रणाली से बहुत ज्यादा भिन्न नहीं होगी, जो फ्रांस, बेल्जियम और अन्य यूरोपीय देशों में प्रचलित है। इस योजना के तहत आयकर की दो दरें होंगी : (1) संघीय दर, जो संघीय सरकार द्वारा उसकी अपनी आवश्यकता के अनुसार निश्चित की जाएगी, और (2) प्रांतीय दर, जिसे प्रांत समय-समय पर अपनी-अपनी वित्तीय आवश्यकता के अनुसार निश्चित किया करेंगे। कुल मिलाकर यह कर, जैसा कि इस समय होता है, संघीय सरकार द्वारा प्रशासित और संग्रहीत किया जाया करेगा।

इस योजना के लाभ स्पष्ट हैं। पहला, इसके फलस्वरूप अनुदान और अंशदान की पद्धति खत्म हो जाएगी और प्रत्येक इकाई की वित्तीय व्यवस्था स्वायत्तपूर्ण और आत्मनिर्भर बन जाएगी। दूसरा, इससे कार्यकारिणी में उत्तरदायित्व की भावना बनी रहेगी, क्योंकि अपनी पूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसे विधान-मंडल पर उसके द्वारा आयकर की दर निश्चित करने पर निर्भर रहना जरूरी हो जाएगा। तीसरा - और यह बहुत महत्वपूर्ण है, मेरा ख्याल

है कि किसी एक प्रांत पर दूसरे प्रांत के लाभ के लिए कर नहीं लगाया जाएगा। साधन को पृथक्कृत करने की दूसरी प्रणाली के अधीन सभी प्रांतों के लिए एक ही संघीय दर होगी और आय का विभाजन होगा। इससे जो रकम किसी एक प्रांत में संग्रहीत होगी, यह जरूरी नहीं कि वह विभाजन में उसके अंश के बराबर ही हो। कुछ प्रांत ज्यादा दे रहे होंगे और कम प्राप्त कर रहे होंगे। ऐसे प्रांतों के लिए यह योजना और कुछ नहीं सिर्फ एक छलना होगी, जिसके तहत किसी एक प्रांत से दूसरे प्रांत के लाभ के लिए ज्यादा कर लिया जा रहा होगा।

मैं जिस प्रणाली का प्रस्ताव कर रहा हूं, उस पर वे लोग आपत्ति कर सकते हैं, जो व्यापार और उद्योग के लिए आयकर की एक समान दर के होने पर जोर देते हैं। दरों का एक समान होना निश्चय ही एक स्पृहणीय बात है और इसके महत्व के बारे में बढ़ा-चढ़ाकर कहना एक आसान बात है। भारत भी उतना ही विशाल है, जितना यूरोप। यूरोप में आयकर की दरों में एक समानता नहीं है, लेकिन तब भी वहां अन्य देशों की तरह बड़ी अच्छी तरह व्यापार और उद्योग चल रहा है। तब भारत में ऐसा क्यों न हो? इसके अलावा, जो लोग आयकर की एक समान दर होने पर जोर दे रहे हैं, वह कृपया यह बताएं कि भारत में भूमिकर के बारे में, जैसी कि इस समय स्थिति है, वह किस प्रकार अपने को चुप किए रहते हैं? इस बारे में कोई एक समानता नहीं है। बल्कि भूमिकर की ये दरें इतनी ऊंची-नीची हैं कि उन्हें देखकर बेहद हैरानी होती है। यह दरें किन्ही दो प्रांतों में एक जैसी नहीं हैं और न किन्ही दो प्रांतों में इन दरों की कर प्रणाली में कोई समानता है। इसलिए उप-समिति ने जिस रीति से आवंटन करने का सुझाव दिया है, उसमें संशोधन करने के लिए मैंने आयकर को जिस रूप में ग्रहण करने के बारे में, सदस्यों के प्रति पूर्ण आदर व्यक्त करते हुए, जो दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, उसमें उक्त प्रकार की आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। इससे सामान्य दिनों और आपात स्थिति, दोनों ही स्थितियों की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है।

मैंने कल एक बात कही थी। मैं अपने उस कथन को वापस लेता हूं। मैंने कहा था कि मेरी योजना वही है, जो कराधान जांच समिति ने प्रस्तावित की थी। ऐसा एक गलती के कारण भूल से हो गया। यह गलती मेरी टिप्पणियों में थी, जिन्हें मैंने बहस के लिए तैयार किया था। मुझे यह कहना चाहिए था कि उन्होंने इस पर विचार किया था, उन्होंने इसका सुझाव नहीं दिया था, हालांकि उन्हें इस बारे में कोई आपत्ति नहीं थी।

अगला विषय उप-समिति की रिपोर्ट का पैरा 12 है, जिसमें 'कराधान' की 'शेष शक्तियों' पर विचार किया गया है। उप-समिति ने यह अनुमान कर लिया है कि निर्णय इन शक्तियों को प्रांतों में निहित कर दिए जाने के पक्ष में होगा। इस आधार पर वह इस निर्णय पर पहुंची कि अनिर्धारित करों के लगाने की शक्ति इकाइयों के हाथों में होनी चाहिए। उप-समिति ने इसके लिए कोई कारण नहीं बताया है कि वह इस निष्कर्ष पर क्यों पहुंची है। लेकिन पैरा 12 में एक अंश है, जिसमें यह बताया गया है कि इस सुझाव के अलावा कोई दूसरा सुझाव देने में

उप-समिति संवैधानिक आपत्ति होने का अनुभव करती है। इससे यह प्रतीत होता है कि उप-समिति का यही दृष्टिकोंण है कि किसी भी संघ में कराधान की शेष शक्तियां इकाइयों में निहित होनी चाहिएं। अब मेरा निवेदन है कि यह जरूरी नहीं कि संघ बनने के कारण ऐसा ही होता है। अगर आप कनाडा के संविधान की धारा 91, पैरा 3 को देखें कि कनाडा में, जिसके संविधान को सभी संघीय संविधान के रूप में स्वीकार करते हैं, वहां की केंद्रीय सरकार को कराधान संबंधी जो शक्तियां दी गई हैं, उन्हें किसी ऐसे परंतुक से सीमित नहीं कर दिया गया है, जिसे उप-समिति ने अपनी सिफारिशों में शामिल किया है। मैंने जिस अंश का अभी उल्लेख किया है, उसमें हर तरह की संभावित व्यापकता है। इस अंश में केंद्रीय सरकार को कराधान के मामले में पूरी की पूरी और असीमित शक्ति प्रदान की गई है, जितनी कि किसी केंद्रीय सरकार को दी जा सकती है। लेकिन शायद आप यह कह सकते हैं कि मैंने आपके सम्मुख एक गलत उदाहरण दिया, क्योंकि कनाडा के संविधान के तहत शेष शक्तियां इकाइयों में निहित न होकर वहां की केंद्रीय सरकार में निहित हैं। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूं, जहां शेष शक्तियां इकाइयों में निहित हैं। यह है आस्ट्रेलिया का संविधान। यहां कराधान की शेष शक्तियां इकाइयों को नहीं दी गई हैं, बल्कि वे संघीय सरकार के लिए छोड़ दी गई हैं। आस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 51, पैरा (2) में कहा गया है कि कराधान की शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होगी, बशर्ते यह विभिन्न राज्यों में या राज्यों के भागों में भेद करने के लिए नहीं होगी। अब इससे स्पष्ट और क्या कहा जा सकता है। यहां तक कहा गया है कि यह शक्ति इतनी ज्यादा व्यापक है कि आस्ट्रेलिया की संघीय सरकार के बारे में यह कहा जा सकता है कि इससे उसके हाथों में राज्यों की कराधान प्रणाली को नियंत्रित करने की शक्ति मिल गई है। यहां मैं मूर ने *कामनवेल्थ और आस्ट्रेलिया* (प्रथम संस्करण) नामक पुस्तक में जो टिप्पणी लिखी है, उसमें से उस अंश की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं, जिसमें इस विषय का विवेचन किया गया है। आस्ट्रेलिया के संघ को कराधान के बारे में कितनी अधिक शक्ति दी गई है, उसके बारे में वह लिखते हैं:

> यह देखा गया है कि कामनवेल्थ की स्थापना के बाद राज्यों पर पाबंदी लग गई है कि वह कामनवेल्थ की संपत्ति पर कोई कर नहीं लगाएंगे, शायद यह कामनवेल्थ की भावना के हित में है और इसलिए कि एक समान सीमा शुल्क होने से वह कोई अन्य सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क नहीं लगाएंगे और न ही अंतर्राज्यीय व्यापार, वाणिज्य या आवागमन पर कोई अन्य कर लगाएंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों में ब्रिटिश लोगों के साथ जो भेदभाव होता था, वह रद्द हो जाता है।

इसके बाद जो कुछ लिखा गया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है:

> अंततः यह बताया गया है कि 'कराधान' के बारे में कामनवेल्थ की कानून बनाने की शक्ति होने से राज्यों के कराधान को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही व्यापक अधिकार मिल जाते हैं।

यह एक ऐसा संविधान है, जहां शेष शक्तियां राज्यों में निहित हैं, लेकिन वित्तीय मामलों में शेष शक्तियां राज्यों में नहीं, बल्कि संघीय सरकार में निहित हैं। अमरीका के संविधान के अनुच्छेद-I को लीजिए। यहां पर भी कानून बनाने की शेष शक्तियां राज्यों में निहित है, संघीय सरकार में निहित नहीं हैं। फिर भी अमरीका के संविधान के अनुच्छेद-I की धारा 8 में यह प्रावधान है:

> कांग्रेस को कर, शुल्क, महसूल और उत्पाद शुल्क लगाने व वसूल करने, ऋण चुकाने, अमरीका की सामान्य सुरक्षा और कल्याण की व्यवस्था करने का अधिकार होगा, लेकिन यह सभी शुल्क, महसूल और उत्पाद शुल्क सारे अमरीका में एक समान होंगे।

यहां पर भी आपको ऐसी कोई बात नहीं मिलती कि अमरीका में केंद्रीय सरकार की कराधान संबंधी शक्ति पर कोई भी अंकुश लगाया गया है। इसलिए जहां तक संवैधानिक कानून का संबंध है, उप-समिति ने जिस तरह की सिफारिश की है, उसके लिए कोई ठोस कारण नहीं मिलता।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न एक बिल्कुल बनावटी प्रश्न है, जो किसी भी देश में नहीं उठा है कि कराधान की शेष शक्तियां संघीय सरकार में निहित होनी चाहिएं या ये शेष शक्तियां प्रांतों में निहित होनी चाहिएं। यह प्रश्न भारत में क्यों उठा, उसका कारण यह है कि हमने अपने मौजूदा अंतरण विषयों में कराधान की एक बेतुकी प्रणाली शुरू की है, जिसे कराधान की अनुसूचियां कहा जाता है। यह कहीं पर भी नहीं है। इसे किसी भी सरकार ने या संघीय संविधान बनाने वाली किसी भी सत्ता ने कभी भी निर्धारित नहीं किया। हम लोग कराधान के क्षेत्र का ही विभाजन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इन अनुसूचियों को रखकर एक खास तरीका और एक खास स्वरूप निश्चित कर रहे हैं, जिसके आधार पर कराधान की शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। मैं इसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं समझता। पहली बात तो यह कि इससे कराधान की प्रणाली लीक में बंध जाएगी और यह हमारे भावी एक्सचेकर चांसलरों के नए-नए तरीके सोचने की ताकत को कुंद कर देगी। मेरा ख्याल है कि कोई भी एक्सचेकर चांसलर ऐसी वित्तीय प्रणाली की व्यवस्था करने का दायित्व लेना स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें कराधान संबंधी उसकी शक्तियों के बारे में ही नहीं, बल्कि किसी खास कर को लगाने की इच्छा के संबंध में उसका विवेकाधिकार सीमित रहेगा।

इसलिए मेरा विचार है कि हम अपने संविधान में से इन अनुसूचियों को बिल्कुल निकाल दें और कराधान के क्षेत्र का उस रीति से विभाजन करें, जैसा कि अन्य संघीय देशों में किया जाता है, अर्थात प्रांतीय सरकारों पर एक साधारण-सी पाबंदी लगी होती है कि संघीय सरकार जो भी सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क लगाना चाहेगी, प्रांतीय सरकारें उस कर-राशि का उपयोग नहीं करेंगी और बाकी कर-राशि दोनों सरकारें, जिस प्रकार चाहेंगी आपस में

विभाजित कर लेंगी। मेरा कहना है कि अन्य संघीय देशों में ठीक यही किया गया है। इसलिए मेरा विचार है कि हमें अपने संविधान में कराधान की शेष शक्तियों वाले इस सिद्धांत को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है।

अब मैं संघीय वित्त में राज्यों की स्थिति पर कुछ कहना चाहता हूं। जब मैंने उप-समिति की रिपोर्ट में इस पक्ष को पढ़ा, तब मैंने सहज ही यह देखने की कोशिश की कि संघीय सरकार को अपने वित्तीय संसाधनों में शामिल करने के लिए राज्यों से राजस्व की कौन-सी मद प्राप्त हुई है। मैं देखता हूं कि राज्यों द्वारा कोई भी अतिरिक्त संसाधन संघीय सरकार को नहीं दिया गया है। जहां तक सीमा शुल्क का संबंध है, स्पष्ट है कि यह राजस्व कभी भी राज्यों का राजस्व नहीं रहा जिसके बारे में उसका कोई दावा नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने इसके अधीन अपने ऊपर कोई अतिरिक्त भार नहीं लिया। जहां तक नमक के बारे में प्रश्न उठता है, यह एक ऐसा राजस्व है जिस पर खरीद के कारण भारत सरकार का अधिकार निहित है, राज्यों का नहीं। जहां तक मुद्रा लाभों का प्रश्न है, यह तो ब्रिटिश भारत के हिसाब में जाएगा। हस्तांतरित क्षेत्रों के नकद अंशदान और राजस्व का जहां तक संबंध है, यह तो केंद्रीय सरकार के राजस्व का स्रोत रहे हैं और यह स्थिति संघ के बिना भी रहती। इसलिए स्पष्ट है कि संघ में शामिल होने पर राज्य कोई ऐसी मद नहीं छोड़ेंगे, जिस पर उनका कोई अधिकार कहा जा सकता हो। मैं उनका केवल एक ही योगदान देख रहा हूं और वह है, भारत की सुरक्षा के सैन्य बल पर उनका योगदान। भारत सरकार द्वारा बनाई गई इस कमेटी की रिपोर्ट के आंकड़ों को देखने पर पता चलता है कि इस समय सेना पर राज्यों के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि नगण्य है, अर्थात सिर्फ 2 करोड़ और 38 लाख रुपये है।

मैंने इस रिपोर्ट में दूसरी बात जो देखनी चाही, वह यह है कि संघ के वित्तीय खर्च के बारे में प्रांतों और राज्यों की बतायी गई तुलनात्मक जवाबदेही। जब मैंने इस प्रश्न पर विचार किया, तब मैंने देखा कि समानता के सिद्धांत को बिल्कुल ही हवा में उड़ा दिया गया है। कृपया आप भी इस सारी रिपोर्ट में इस असमानता पर ध्यान दें। पहली, प्रांतों को संघ सरकार के प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, दोनों को वहन करना होगा। राज्यों को केवल प्रत्यक्ष कर वहन करना है। समिति ने इस बात पर भी जोर नहीं दिया है कि ये राज्य कंपनी कर को वहन करें। ये राज्य प्रत्यक्ष कर तो वहन करेंगे ही नहीं, बल्कि इनको ऐसे प्रत्यक्ष करों से भी छूट दे दी जाएगी, जो ये इस समय वहन कर रहे हैं, ये हैं नजराना और नकद अंशदान। दूसरी, प्रांतों को अपने यहां सीमा शुल्क लगाने की मनाही की गई है, लेकिन राज्यों के लिए इन शुल्कों को अपने यहां लगाने का हक बरकरार रखा गया है। यह इस बात के बावजूद है कि उप-समिति स्वीकार करती है कि संघ बनाने का एक उद्देश्य यह है कि सारे संघ-क्षेत्र में वाणिज्य पर कोई पाबंदी नहीं रहे। समिति इस बात को भी स्वीकार करती है कि आंतरिक सीमा शुल्क पर राज्यों का हक बने रहने से संघीय सरकार की आय पर बुरा असर

पड़ेगा। तीसरी, प्रांतों को संघीय सरकार से ऋण लेने के लिए अपने राजस्व को जमानत के तौर पर रखना होगा, लेकिन राज्य दायित्व के इस बोझ से मुक्त रहेंगे, जो हालांकि संघ की वैसी ही इकाइयां है, जैसे कि सारे प्रांत हैं।

राज्यों को आंतरिक सीमा शुल्क रखने का जो हक बरकरार रखा गया है, उसके कारण हर कोई समझ सकता है। हम जानते हैं कि अगर उन्हें उनका अपना आंतरिक शुल्क देने के लिए मजबूर किया गया, तो उनकी वित्तीय स्थिति गड़बड़ा जाएगी। लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि उप-समिति ने राज्यों को संघीय सरकार के प्रत्यक्ष बोझ को वहन न करने की छूट क्यों दी, न हम उन कारणों को ही समझ पाते हैं जिनसे प्रेरित हो कर उप-समिति को इस बात की सिफारिश करनी पड़ी कि संघ सरकार से ऋण लेने के लिए राज्यों को अपने राजस्व को जमानत के तौर पर रखने की जरूरत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय! समारोहों के अवसरों पर प्रांतों और राज्यों के भेद को मंजूर किया जा सकता है। हम सलामियां नहीं लिया करेंगे और इन मामलों में हम उन्हें वह सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, जो वह चाहें। लेकिन जब धन का मामला आएगा, तो मेरा ख्याल है कि हमें 'कामकाज में कामकाज की बात' वाला सिद्धांत ही अपनाना चाहिए। अगर संघ के हित में ब्रिटिश भारत त्याग कर रहा है, तब अन्य इकाइयों से संघ के हित में वैसा ही त्याग करने के लिए कहने का उसे पूरा अधिकार है। इसलिए मैं समिति की रिपोर्ट के इस भाग में निम्नलिखित संशोधन करने का अनुरोध करता हूं:

(1) राज्यों को प्रत्यक्ष कर पर संघीय सरकार का हक स्वीकार करना चाहिए। जब तक यह नहीं होता है, तब तक नकद अंशदान का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए।

(2) एक ऐसी समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, जिसमें राज्यों को अपनी वित्तीय प्रणाली में समुचित परिवर्तन कर अपने आंतरिक सीमा शुल्कों को समाप्त करना होगा, जिससे संघीय सरकार की वित्तीय प्रणाली पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।

(3) संघीय सरकार से ऋणों के लिए राज्यों को अपना राजस्व जमानत के रूप में रहेन रखना होगा।

अध्यक्ष महोदय! इस संबंध में बस मुझे यही कहना था।

अड़तीसवीं बैठक—22 अक्तूबर 1931

मद संख्या 4

(संघीय सरकार और उसकी इकाइयों के बीच वित्तीय संसाधनों का वितरण)

संघीय वित्त उप-समिति की रिपोर्ट पर विचार

*डा. अम्बेडकर** : मैं एक बात कहना चाहता हूं। लार्ड पील ने अभी कहा कि संघीय

* प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनोरिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 685

वित्त उप-समिति की रिपोर्ट में,जो सिद्धांत दिए गए हैं,उन पर हम सबकी आम सहमति थी। अब संघीय संरचना समिति के बाकी अन्य सदस्यों की जो भी राय रही हो, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि मैं निश्चित रूप से संघीय वित्त उप-समिति द्वारा बना गए सिद्धांतों से सहमत नहीं हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मुझे इस समिति की स्थापना पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते यह स्पष्ट हो जाए कि इस समिति को सिद्धांतों में परिवर्तन और संशोधन सुझाने का अधिकार है, जिससे संघीय सरकार की भावी वित्त व्यवस्था एक स्वस्थ व्यवस्था बने।

मद संख्या 8

(संघीय न्यायालय)

*डा. अम्बेडकर**: अध्यक्ष महोदय! मुझे ऐसा लगता है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना के प्रश्न पर विचार करते समय हमारा संबंध तीन प्रश्नों से है। पहला प्रश्न है, संघीय न्यायालय का कार्यक्षेत्र, दूसरा है, संघीय न्यायालय के निर्णयों के फैसलों का कार्यान्वयन और तीसरा है, संघीय न्यायालय का गठन। मैं इन तीनों मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले मैं संघीय न्यायालय के कार्यक्षेत्र के बारे में कह रहा हूं।

यह सर्वस्वीकृत तथ्य है कि संघीय न्यायालय का एक कार्य संघीय संविधान की व्याख्या करना है। एकात्मक सरकार प्रणाली के विपरीत संघीय सरकार की एक उल्लेखनीय विशेषता यह होती है कि संघीय सरकार में कार्यों का वितरण हुआ रहता है,जो संघ की बुनियाद होती है। वहां दो कार्यक्षेत्र होते हैं, एक कार्यक्षेत्र कानूनी तौर पर संघीय सरकार को आवंटित होता है और दूसरा राज्य या प्रांतीय सरकार को आवंटित होता है। किसी संघ में महत्वपूर्ण बात यह देखना है कि किसी एक का कार्यक्षेत्र दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखल न करे। यही सुनिश्चित करने के लिए संघीय न्याय-व्यवस्था जरूरी हो जाती है, जो दोनों सरकारों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र तक सीमित रखती है। यही एक प्रयोजन है, जिसके लिए संघीय न्यायालय का होना जरूरी हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक दूसरा कार्य भी है, जिसे संघीय न्यायालय को पूरा करना चाहिए। संघीय न्यायालय की न्याय-व्यवस्था का एक पक्ष और है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय न्याय का न्यायालय कहा जाता है। जिन उद्देश्यों से बहुत सी राष्ट्रीय सरकारें आपस में मिलकर एक संघ बनाती हैं, उनमें से एक उद्देश्य यह है कि विभिन्न सरकारों और विभिन्न इकाइयों के बीच जो विवाद संघ बनने के पहले कूटनीति या लोकतंत्र के विफल होने पर युद्ध के द्वारा तय होते थे, वह संघीय न्यायालय के कानूनी निर्णयों द्वारा तय किए जाने चाहिएं, जिसके अधीन वे सभी होती हैं। यह दृष्टिकोंण अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं निर्दिष्ट किया था। अगर आपकी अनुमति हो,तो मैं लुइसाना बनाम टेक्सास, 176, यू.एस. मामले में दिए गए अमरीका के सर्वोच्य न्यायालय के निर्णयों

* प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 689-702

में से एक निर्णय से एक छोटे से पैराग्राफ को पढ़ना चाहता हूं।

अध्यक्ष : इसकी तारीख क्या है?

डा. अम्बेडकर : 1900, न्यायमूर्ति श्री ब्राउन ने सर्वोच्च न्यायालय के कार्य के बारे में कहा है:

> इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपने-अपने नागरिकों के हित के बारे में राज्य सदियों से चिंता करते आए हैं और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा के लिए राज्यों द्वारा अक्सर लड़ाइयां लड़ी जाती रही हैं, जैसे पिछला स्वतंत्रता युद्ध, इग्लैंड और चीन के बीच 1840 का अफीम युद्ध और दक्षिणी अफ्रीका में इस समय इग्लैंड और ट्रांसवाल गणतंत्र के बीच हो रहा युद्ध,इन लड़ाइयों के उल्लेखनीय उदाहरण हैं और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि वैयक्तिक अधिकारों की रक्षा के लिए संधियां की जाती हैं और व्यक्तिगत पक्षों के अधिकारों का समाधान करने के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूनलों की स्थापना की जा रही है, यह एक अनोखी नियम-विरुद्ध बात होगी कि इस संघ का राज्य जिसे दूसरे राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निषेध है, इस न्यायालय से ऐसे प्रतिरोध के लिए अनुरोध न करे,जो दूसरे राज्य द्वारा उसके नागरिक और उसकी संपत्ति पर लागू किया जा चुका है। यह प्रतिरोध, हालांकि कोई युद्ध का कार्य नहीं है, युद्ध छेड़ने के पूर्व आरंभिक कार्रवाई के रूप में अक्सर व्यवहृत होता रहा है और इसे कुछ मामलों में युद्ध की कार्रवाई को उचित सिद्ध करने के लिए यथेष्ट कार्रवाई समझा जाता है।

वह आगे कहते हैं कि बहुत से ऐसे मामले हैं, जो किसी संघ में उठ सकते हैं और जिनका निर्णय संघ के अभाव में कूटनीति या युद्ध के माध्यम से किया जाता है। इसलिए ऐसे विनाश से बचने के लिए संघीय न्याय-व्यवस्था को इस बात के लिए संघीय न्यायालय के व्यापक कार्यक्षेत्र का प्रावधान करना होगा, जिससे इन सभी मामलों में न्याय किया जा सके। अध्यक्ष महोदय! इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मेरा ख्याल है कि आपने संघीय न्यायालय के कार्यक्षेत्र के संबंध में जिस योजना की रूपरेखा समिति को संबोधित करते हुए कल अपने भाषण में बताई थी, क्षमा करें, वह बहुत अपर्याप्त थी।

कल आपने जो विचार व्यक्त किए,उनके अनुसार न्यायिक शक्ति का विस्तार ऐसे मामलों के लिए किया जाएगा,जो संघ और उसकी विभिन्न इकाइयों के बीच होंगे, राज्य बनाम राज्य, प्रांत बनाम राज्य, भारतीय कामनवेल्थ बनाम राज्य या प्रांत होंगे। मैं यह नहीं जानता कि यहां 'राज्य' शब्द का प्रयोग किसी निगमित निकाय के लिए या न्यासी, संरक्षक या नागरिकों के प्रतिनिधि के रूप में हुआ है। इसके अलावा, मेरा ऐसा विचार है कि संघीय न्याय-व्यवस्था को ऐसे मामलों के लिए भी प्रावधान करना चाहिए, जो किसी इकाई और दूसरी इकाई के नागरिक के बीच हों। एक उदाहरण लीजिए, कल्पना कीजिए कि कोई भारतीय राज्य,जो संघ की एक इकाई बन जाती है, कुछ रकम कल्पित ऋण बोर्ड से खुला बाजार में ऋण के रूप में लेती है। यह भी कल्पना कीजिए कि बंबई प्रांत में रहने वाला कोई नागरिक उस ऋण के

लिए अंशदान करता है और कल्पना कीजिए कि प्रांतीय सरकार ऋण अदा नहीं कर पाती। इसका समाधान क्या है? इस योजना में मुझे संघीय न्याय-व्यवस्था के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला है, जिससे कि कोई उचित कार्रवाई की जा सके। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, ब्रिटिश सरकार के अधीन बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जिन्हें सौंपे गए क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों की सरकारें यह मांग कर रही हैं कि ये सौंपे गए क्षेत्र, उन्हें वापस लौटाए जाएं या अगर ये क्षेत्र वापस नहीं किए जाते हैं,तो उन्हें उसके लिए हर्जाना दिया जाए। कल्पना कीजिए कि उक्त सौंपे गए किसी क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार ने किसी व्यक्ति को कुछ भूमि दी है और कल्पना कीजिए कि उक्त क्षेत्र को भारतीय राज्य को लौटाए जाने पर वहां का शासक भी उस भूमि को किसी दूसरे को दे देता है। अब यह ऐसा मामला है जहां एक ही चीज दो भिन्न-भिन्न प्राधिकारियों के द्वारा भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को मंजूर की जाती है। इस तरह के विवाद के निर्णय के लिए क्या व्यवस्था है? क्या संघीय न्यायालय इस तरह के मामलों की सुनवाई करेगा या नहीं? एक और उदाहरण लीजिए, कोई दो व्यक्तियों के बीच कोई कानूनी विवाद है। ये व्यक्ति संघ की भिन्न-भिन्न इकाइयों में रहते हैं। इनके मामले की सुनवाई किस अदालत में होगी? ये ऐसे कुछ मामले हैं,जिनके बारे में मैंने आपके अभिभाषण में कोई व्यवस्था नहीं देखी है, जो आपने कल हम लोगों के सम्मुख दिया था।

भारत में संघीय न्यायालय के लिए आपकी योजना में,जो विधान प्रस्तावित किया गया है, उसकी तुलना आस्ट्रेलिया और अमरीका के संघीय न्यायालयों के कार्यक्षेत्र के साथ करने के बाद मुझे लगता है कि इस योजना में संघीय सरकार की जरूरतों को पूरा करने के लिए यथेष्ट प्रावधान नहीं किया गया है। आस्ट्रेलिया में धारा 75 के अधीन वहां के उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में वे सभी मामले आते हैं, (1) जो किसी भी संधि से उत्पन्न होंगे, (2) जो दूसरे देशों के कांउसिलों या प्रतिनिधियों को प्रभावित करते हैं, (3) जिसमें कामनवेल्थ या अभियोग करने वाला या जिस पर कामनवेल्थ की ओर से अभियोग किया गया है, एक पक्षकार है, (4) जो राज्यों और दूसरे भिन्न-भिन्न राज्यों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच या जो एक राज्य और दूसरे राज्य में रहने वाले व्यक्तियों के बीच हो, और (5) जिसमें कामनवेल्थ के किसी अधिकारी के विरुद्ध परमादेश या निषेधाज्ञा की याचिका दायर की गई है। धारा 76 के अनुसार, (1) जो संविधान के अधीन या उसके निर्वचन से संबंधित, (2) संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन उत्पन्न, (3) नौ अधिकरण या समुद्री क्षेत्र विषयक, और (4) विभिन्न राज्यों के कानूनों के अधीन उठाए गए समान विषयों से संबंधित सभी मामले आते हैं। अमरीका के संविधान के अनुच्छेद III (2) के अधीन अमरीका की न्यायिक शक्ति के अधीन (1) संविधान के अधीन् कानून और पूरक न्याय, अमरीका के कानून, इनके तहत की गई या की जाने वाली संधियों से संबंधित सभी मामले, (2) राजदूतों और अन्य सार्वजनिक मंत्रियों और कांउसिलों को प्रभावित करने वाले सभी मामले, (3) नौ अधिकरण और समुद्री क्षेत्र के सभी मामले, (4) सभी विवाद जिनमें

अमरीका एक पक्ष का होगा, (5) दो या इससे अधिक राज्यों के बीच विवाद, (6) किसी राज्य या किसी दूसरे राज्य के नागरिक के बीच के विवाद (जो हालांकि बाद में संविधान के 11वें संशोधन के द्वारा रद्द किया जा चुका है), (7) विभिन्न राज्यों के नागरिकों के बीच के विवाद, (8) विभिन्न राज्यों की कानूनी स्वीकृति के अधीन भूमि के बारे में एक ही राज्य के नागरिकों के दावे संबंधी विवाद, और (9) एक राज्य या उसके नागरिकों और विदेशी राज्यों के नागरिकों या जनता के बीच के विवाद आते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर इस संघीय न्यायालय को यथा-तथ्य रूप से संघीय न्यायालय बनाना है, अर्थात यदि उसके अधीन संघ की इकाइयों के बीच या विभिन्न इकाइयों के नागरिकों के बीच विवाद के सभी मामले शामिल किए जाते हैं, तब इस सूची को संशोधित किया जाना चाहिए और इसे संघीय कार्यक्षेत्र के अनुरूप बनाया जाना चाहिए, जैसा कि आस्ट्रेलिया या अमरीका आदि देशों में शामिल किया गया है।

अध्यक्ष महोदय! अगला विषय जिस पर मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, वह यह है कि हालांकि भारत एक संघीय देश बनने जा रहा है, तो भी भारत अपने संघीय न्यायालय के कार्यक्षेत्र की सीमा को उतनी सीमा तक व्यापक बनाकर संतुष्ट नहीं रह सकता, जो स्थिति आस्ट्रेलिया और अमरीका में संघीय न्यायालयों की इस समय है। भारत के संबंध में कुछ विशेष परिस्थितियां हैं, जो इन देशों में नहीं हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि भारत में संघीय न्यायालय का संघीय कार्यक्षेत्र न केवल आस्ट्रेलिया और अमरीका के संघीय न्यायालयों के संघीय कार्यक्षेत्रों के अनुरूप होना चाहिए, बल्कि मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के संबंध में भी इसका कार्यक्षेत्र संघीय होना चाहिए।

अध्यक्ष : क्या आप अमरीका के संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड के बारे में हमें बताएंगे?

डा. अम्बेडकर : जी हां, मैं बताऊंगा।

अध्यक्ष : अगर आप कुछ अन्यथा न समझें, तो हमें केवल यह बता दें कि यह कहां मिलेगा? मैं इसे खूब जानता हूं, लेकिन इस समय मैं इसे ढूंढ नहीं पा रहा हूं।

डा. अम्बेडकर : क्षमा करें, अभी यह मेरे पास नहीं है।

अध्यक्ष : मेरे ध्यान में वह खंड आ रहा है, जो विभिन्न राज्यों में स्वतंत्र नागरिकों के विशेषाधिकारों और उनकी स्वतंत्रता और हर प्रांत और राज्य के नागरिकों को आने-जाने की स्वतंत्रता या कुछ ऐसी ही बात से शुरू होता है। फिर भी हम अब अपना समय नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय वह मुझे नहीं मिल रहा है। मैं अनुच्छेद IV की धारा 2 के बारे में सोच रहा था।

डा. अम्बेडकर : मेरा निवेदन है कि हम चाहे जिस रीति से मूल अधिकारों की परिभाषा करें या चाहे जिस रीति से हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों की परिभाषा करें, महत्वपूर्ण

समस्या यह है कि इनकी उचित सुरक्षा की जाए। मेरे कारण ये हैं – हम जैसा संघीय संविधान बना रहे हैं, उन सभी विरोधों के साथ जो हम कर रहे हैं, एक संघीय संविधान नहीं बन रहा है। हमारा संघ, ब्रिटिश भारत, जिसमें सभी लोकप्रिय और प्रतिनिधि संस्थाएं हैं और भारतीय राज्यों, जहां कोई भी लोकप्रिय और प्रतिनिधि संस्थाएं नहीं हैं, को मिलाकर बन रहा है। मैं सिर्फ कल्पना कर रहा हूं। संभवत: इसके उल्टे परिणाम होंगे और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी मुझसे ज्यादा खुश नहीं होगा। लेकिन हमारे सामने ऐसी ही स्थिति होगी, अर्थात यह संघीय लोकतंत्र और अधिनायकवाद के बीच होगा। और मैं कहता हूं कि हम ब्रिटिश भारत में राजनीतिक बहुसंख्यकों की सरकार न बनाकर ऐसी सरकार बना रहे होंगे, जो मुख्यत: सांप्रदायिक बहुसंख्यकों की होगी। इसलिए मेरा मानना है कि मूल अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा का प्रश्न भारत में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, जितना कि वह किसी और संविधान में हो सकता है और मूल अधिकारों को, चाहे वे जो भी हों, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को, ये भी चाहे जो भी हों, सुरक्षित रखना परम कर्तव्य बन जाता है। इसे पूरा करने के लिए मुझे जो सबसे अच्छा उपाय दीखता है, वह यह है कि हम संघीय न्यायालय को ऐसा कार्यक्षेत्र प्रदान करें कि वह इनसे संबद्ध सभी मामलों की सुनवाई कर सके। यह मेरा निवेदन है। मूल अधिकारों या अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने से संबंधित प्रश्न, चाहे जहां भी उठें, चाहे ब्रिटिश भारत में या भारतीय राज्यों में, संघीय न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में होने चाहिए, जिससे वह उनकी सुनवाई कर सके।

अध्यक्ष : क्या आप वाणिज्यिक भेदभाव के मामले भी शामिल करना चाहेंगे?

डा. अम्बेडकर : जी हां, अगर हम सभी इस बात पर सहमत हों कि यह एक मूल अधिकार ही है कि किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक भेदभाव नहीं होगा, तब इसे संघीय न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र में रखा जाना चाहिए। संघीय न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के बारे में बस इतना ही कहना है।

मैं जिस अगले विषय पर कहना चाहता हूं, वह संघीय न्यायालय के निर्णयों को कार्यान्वित करने के बारे में है। अध्यक्ष महोदय! आपने जो टिप्पणी कृपापूर्वक परिचालित की है, उसमें संघीय न्यायालय के निर्णयों को कार्यान्वित किए जाने के बारे में कुछ भी कानूनी उपाय नहीं सुझाए गए हैं। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न विभिन्न राज्यों और विभिन्न प्रांतों पर छोड़ा जा रहा है और आप शायद यह संकेत करना चाहते हैं कि हमें प्रांतों या राज्यों की सदाशयता पर अविश्वास नहीं करना चाहिए तथा हमें यह मान लेना चाहिए कि वे संघीय न्यायालय के निर्णयों का निष्ठापूर्वक पालन करेंगे और उन्हें लागू करेंगे। अध्यक्ष महोदय! मैं सोचता हूं कि हमें इस आदर्श का अनुसरण करना चाहिए, जो हमें जान स्टुअर्ट मिल ने बताया है कि अगर सभी व्यक्ति अच्छे होते, तब कानूनों को बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि कुछ व्यक्ति खराब हैं, इसलिए

हमें कानून बनाने पड़ते हैं। इसलिए मेरा विचार है कि हमें यह मामला अधर में नहीं छोड़ देना चाहिए। मेरा यह मत अमरीका में संघीय न्यायालय के अनुभव के कारण दृढ़ हो गया है। मैं समिति का ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के कार्यान्वयन के इतिहास की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपका ध्यान चिशोम बनाम जार्जिया वाले मामले की ओर आकृष्ट कर रहा हूं, जिसका निर्णय 1793 में हुआ था। संघीय न्यायालय ने अपने अधिकार-क्षेत्र के अनुसार,जो उस समय उसे मिले हुए थे, कुछ ऋण जार्जिया नाम के राज्य सें वसूल करने के लिए चिशोम के पक्ष में निर्णय दिया। लेकिन जैसा कि इतिहास से पता चलता है,जार्जिया राज्य सर्वोच्च न्यायालय के विरोध में उठ खड़ा हुआ और उसने इस निर्णय को इसलिए मानने से अस्वीकार कर दिया कि यह प्रभुसत्तासंपन्न राज्य के लिए एक चुनौती स्वरूप है और तब अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अधर में लटका रहा, यह कार्यान्वित नहीं हो सका। यह मामला इतना तूल पकड़ गया कि जार्जिया राज्य के इस रवैए के कारण 11 वां संशोधन हुआ। इस संशोधन के फलस्वरूप अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय को एक राज्य और दूसरे राज्य के नागरिकों के बीच के विवाद के बारे में जो अधिकार दिए गए थे, वे वापस ले लिए गए। ऐसा ही एक अन्य उदाहरण वर्जीनिया बनाम पश्चिमी वर्जीनिया का है। युद्ध के बाद वर्जीनिया का पुराना राज्य दो भागों में बांट दिया गया, वर्जीनिया और पश्चिमी वर्जीनिया। ऐसा 1861 में हुआ और इस समझौते के अंग के रूप में पश्चिमी वर्जीनियां पहली जनवरी 1861 से पहले पुराने राज्य द्वारा अदा किए गए सार्वजनिक ऋण का एक उचित अंश चुकाने पर राजी हुआ। इस दायित्व की पुन: पुष्टि पश्चिमी वर्जीनिया के संविधान के 8वें अनुच्छेद में की गई। वर्जीनिया ने यथाशक्ति मैत्रीपूर्ण रीति से पश्चिमी वर्जीनिया को इस रकम का भुगतान करने के लिए कहा, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। 1906 में वर्जीनिया यह मामला अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय में ले गया। पश्चिमी वर्जीनिया ने इस मामले में सबसे ज्यादा अड़ंगे डाले। वह सबसे पहले 1906 से 1911 तक सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को स्वीकार करने से मना करता रहा। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि यह उसके अधिकार-क्षेत्र में आता है, तब सर्वोच्च न्यायालय ने सारे खातों की जांच करने और इस बारे में एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक न्यायाधीश नियुक्त किया। रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन तब पश्चिमी वर्जीनिया ने इस रिपोर्ट को चुनौती देते हुए तीन वर्ष बिता दिए। इसके बाद उसके द्वारा यह मामला उसकी विधान सभा में यह विचार करने के लिए ले जाया गया कि क्या उक्त दायित्व स्वीकार किया जाए। यह मामला 1913 तक चला। इसके बाद उसने रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद उस पर अपना पूरक लिखित उत्तर देने के लिए समय मांगा। आपत्ति रद्द की गई। जब अड़चन डालने के सभी उपाय निष्फल हो गए, तब 1915 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया। चार वर्षों तक पश्चिमी वर्जीनिया उस निर्णय पर विचार करने के लिए मना करता रहा और 1919 में ही उसे ऋण अदा करने के लिए राजी किया जा सका।

श्री जित्रा : यह मानते हुए कि ऐसी दिक्कतें तो आती हैं, आप क्या सुझाव दे रहे हैं?

डा. अम्बेडकर : मेरा सुझाव यह है कि इस विषय पर मेरी बहुत ही कटु प्रतिक्रिया है। मेरा यह कहना है कि आगे बहुत वर्षों तक संप्रदायवाद और प्रांतीयतावाद रहेगा। मैं निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि संप्रदायवाद के इस क्षुब्ध वातावरण में सर्वोच्च न्यायालय या संघीय न्यायालय - इसे आप जो भी नाम दें - के निर्णयों का उल्लंघन किए जाने की संभावना नहीं। अल्पसंख्यकों के बारे में बोलने वाले सदस्य के रूप में, अल्पसंख्यकों के लिए जिनके पास इस समय कोई अधिकार नहीं है और जो अधिकार मांगते हैं तथा जिनका हर जगह विरोध होता है, बोलने वाले सदस्य के रूप में मैं यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि कोई भी ऐसी प्रांतीय सरकार जिसे परिषद में सांप्रदायिक बहुमत का समर्थन प्राप्त है, उन निर्णयों और फैसलों को लागू करने के लिए सहमत होगी, जो उसके अपने हितों के अनुरूप नहीं होंगे। मेरा यही दृष्टिकोंण है। मैं इसे एक बहुत ही गंभीर मामला समझता हूं। इसलिए, अध्यक्ष महोदय! मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमें संविधान में यह प्रावधान करना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के जो भी निर्णय और फैसले होंगे, वे प्रभावी होंगे। मेरा सुझाव है कि हमें उन प्रावधानों का अनुसरण करना और उन प्रावधानों को संविधान में अपना लेना चाहिए, जो आस्ट्रेलिया के संविधान में दिए हुए हैं। सबसे पहले, आस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 118 और 51, पैराग्राफ 25, में यह प्रावधान है कि सभी कानूनों में विश्वास और निष्ठा होगी। यह कोई नई बात नहीं है। यह अमरीका के संविधान में भी मिलता है। जहां तक निर्णयों को निष्पादित करने का प्रश्न है, आस्ट्रेलियाई संविधान के पैराग्राफ 34 में संघीय विधान-मंडल को ऐसे सभी मामलों के बारे में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जो उसको दिए गए अधिकारों के पूरक हैं। आस्ट्रेलियाई संविधान में केंद्रीय सरकार को निर्णय और फैसलों को कार्यान्वित कराने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले धारा 51, पैराग्राफ 24, लीजिए। इसमें अंतर्राज्यीय सेवा और निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए प्रावधान किया गया है। इसका कारण यह है कि सारे कामनवेल्थ में राज्यों के बीच दीवानी और फौजदारी मुकदमों की सुनवाई और निर्णय एक ही प्रक्रिया के अधीन है। फिर आप आस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 78 लीजिए -

अध्यक्ष : 'संसद न्यायिक शक्ति की सीमा में आने वाले मामलों के बारे में कामनवेल्थ या किसी भी राज्य के खिलाफ सुनवाई करने और उस पर निर्णय के अधिकार देने के लिए कानून बना सकती है।'

डा. अम्बेडकर : जी हां, यह एक बात है। महोदय! जैसा कि आप जानते हैं, आस्ट्रेलिया में संघीय विधान-मंडल ने न्याय-व्यवस्था अधिनियम 1903, भाग 9, के द्वारा इस बात के लिए निश्चित प्रावधान दिया है कि राज्यों के विरुद्ध किस प्रकार निर्णयों और फैसलों को कार्यान्वित किया जाएगा। फिर, आप आस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 120 देखें -

प्रत्येक राज्य उन व्यक्तियों को अपने-अपने जेलों में नजरबंद करने के लिए, जो

कामनवेल्थ के कानूनों के अधीन अपराध के जुर्म में अभियुक्त या दोषी सिद्ध होंगे और उन व्यक्तियों को दंडित करने के लिए व्यवस्था करेगा, जो अपराधों के लिए दोषी सिद्ध होंगे।

इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि संघीय संविधान को कुछ विशिष्ट अधिकार दिए जाएं, जिससे वह संघीय न्यायालय के निर्णयों को लागू करा सके।

अध्यक्ष : आपके विचार से किस प्रकार के अधिकार दिए जाने चाहिएं?

डा. अम्बेडकर: वे लोग क्या करेंगे, यह मैं नहीं जानता? लेकिन मेरा निवेदन है कि इस मामले को इस प्रकार अधर में छोड़ना नहीं चाहिए। अध्यक्ष महोदय! मैं आपको कुछ उद्धरणों से यह बताना चाह रहा था कि अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय सर्वथा व्यर्थ रहे हैं, जिसका कारण यह था कि उक्त न्यायालय को हमेशा इस बात की शंका रहती थी, कि उसके निर्णयों को कार्यान्वित न किया जाकर उनकी अवमावना की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक मामले में, जो ओहियो राज्य के एक गवर्नर के बारे में है, कोई एक भागा हुआ अपराधी, जो ओहिया राज्य में आ गया है, वह गवर्नर के द्वारा सौंप दिया जाएगा। गवर्नर ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। तब केन्ट राज्य ने परमादेश के लिए याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय ने इसके उत्तर में कहा: 'संविधान ने हमें अपने आदेश को कार्यान्वित कराने का अधिकार नहीं दिया है, इसलिए हम परमादेश नहीं देगें।' यह ऐसा ही हुआ, हालांकि उक्त न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि गवर्नर उस व्यक्ति को सौंपने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं ऐसे सैंकड़ों मामले उद्धृत कर सकता हूं, जिनमें अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने किसी भी प्रकार की राहत देना सिर्फ इसलिए अस्वीकार कर दिया कि उसे यह शंका घेरे हुए थी कि उसके निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया जाएगा। जब तक हमारे पास इस संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि स्थिति निरापद रहेगी।

अध्यक्ष: किस प्रकार का कानून? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि, उदाहरण के तौर पर, अगर कोई निर्णय बंगाल के खिलाफ दिया जाता है तब आप किसी बेलिफ (कारिन्दे) को बंगाल में भेज देंगे?

डा. अम्बेडकर: में धारा 78 में जो कुछ पाता हूं, उसके आधार पर मेरा आशय यह है कि दीवानी डिग्री के मामले में वित्त मंत्री (ट्रेजरार) या जो कोष या ट्रेजरी का इंचार्ज है, वह भुगतान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

अध्यक्ष: अगर वह ऐसा नहीं करता तब क्या होगा?

डा. अम्बेडकर: मेरा विचार है कि न्यायालय उसे अवमानना करने के अपराध में पेश होने के लिए कहेगा।

माननीय मानेकजी दादाभाई: उस पर मुकदमा कहां चलाया जाएगा?

डा. अम्बेडकर: संघीय न्यायालय द्वारा, जहां भी वह निर्देश देगा।

श्री आयंगर: अवमानना का वारंट कौन लागू करेगा?

डा. अम्बेडकर: संघीय सरकार अपने अधिकारियों के द्वारा। मैं चाहता हूं कि संघीय

सरकार के पास ऐसा अधिकार हो। यह अमरीका के संविधान में निहित शक्तियों में से एक है। और आस्ट्रेलियाई संविधान की धारा 120 के अधीन संघीय सरकार को उन लोगों को अपनी हिरासत में लेने का अधिकार है, जो संघीय कानून का उल्लंघन करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई संघीय कानून पारित किया गया और किसी राज्य का कोई नागरिक उसका निराकरण करता है और सर्वोच्च न्यायालय उसके विरुद्ध निर्णय देता है तथा राज्य की भावनाएं इतनी तीव्र हैं कि वह उसे जेल में नहीं रखना चाहता, तब मेरे विचार में धारा 120 में प्रदत्त शक्तियों के अधीन, संघीय सरकार की अपनी जेलें होनी चाहिएं। अगर संघीय सरकार यह चाहती है कि सभी मामलों में न्याय हो, तब उसे इस बात की भी शक्ति प्राप्त होनी चाहिए कि वह निर्णयों को लागू करा सके। वह इस कार्य को कैसे करेगी, इस पर मैं आगे क्या कहूं? मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि संविधान में संघीय सरकार को यह शक्ति दी जानी चाहिए कि वह सारे भारत में निर्णयों और फैसलों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करा सके। मुझे यहां यह दुबारा कहने की जरूरत नहीं जान पड़ती कि अगर इसके लिए किए गए उपाय निष्प्रभावी रहते हैं, तब उसका अधिकार भी निष्प्रभावी हो जाता है।

श्री जयकर: यदि जातीय या सांप्रदायिक दंगों की स्थिति बन जाती है, तब ऐसा कोई भी उपाय नहीं हो सकता, जो कारगर कहा जा सके।

डा. अम्बेडकर: यह सवाल मेरे जवाब देने का नहीं है। मैं अपना मामला खुद उठाऊंगा। कल्पना कीजिए कि बंबई प्रसिडेंसी में एक नागरिक सत्याग्रह होता है और यह हमारा एक मूल अधिकार है– मंदिर में प्रवेश करने का अधिकार, जिसका उल्लेख मैंने इस ज्ञापन में किया, जो मैंने प्रस्तुत किया है। कल्पना कीजिए कि मजिस्ट्रेट यह आदेश देता है कि हम लोग शांति भंग कर रहे हैं और अगर हम इसे रोकते नहीं हैं, तब हमें कैद कर लिया जाएगा। कल्पना कीजिए कि हम संघीय न्यायालय से उसके उस अधिकार के तहत अनुरोध करते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा है कि ये अधिकार उसे मिलने ही चाहिए और संघीय न्यायालय यह निर्णय देता है कि मजिस्ट्रेट ने गलती की है। कल्पना कीजिए कि हम इस आदेश के कार्यान्वयन के लिए गृह सदस्य से अनुरोध करते हैं। यह गृह सदस्य, यदि कट्टरपंथियों के प्रभाव में है, तो वह कहेगा, 'मैं यह नहीं कर सकता।' मैं चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में अपने कानूनों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार के पास शक्ति हो।

श्री जिन्ना : मैं सोचता हूं कि आप जो कुछ कह रहे हैं, उसमें बहुत वजन है कि किसी डिक्री या वारंट पर अमल कराने के लिए इसके पीछे सबसे पहले तो पुलिस की ताकत हो और दूसरे आखिरी ताकत फौज है। जब तक आपकी संघीय सरकार के सदस्य के पास फौज नहीं होगी, तब तक आप यह उम्मीद किस तरह कर सकते हैं कि वह डिक्री या वारंट पर अमल करा सकेगा?

डा. अम्बेडकर: उसके पास यह सब होगा। मैं उन पर कोई सीमा नहीं लगा रहा हूं। मैं उन्हें वे सारे अधिकार दूंगा, जो वे इस कार्य के लिए जरूरी समझते हैं। यह उस हद तक

हो सकता है। मैं इसे मना नहीं करता। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं, वह यह है कि अगर आप मूल अधिकारों या अल्पसंख्यक अधिकारों, जो भी हों, उनके तहत लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहते हैं, तब मैं यही कहूंगा कि शक्ति दी जानी चाहिए और मैं सभी प्रयोजनों के लिए यह कहता हूं कि यह शक्ति संघीय सरकार में निहित होनी चाहिए, जिससे संघीय न्यायालय के निर्णय कार्यान्वित किए जा सकें।

श्री जिन्ना: सिर्फ शक्ति ही नहीं निहित की जानी चाहिए, बल्कि इस शक्ति को अमल में लाने के लिए उनके हाथों में एक व्यवस्था भी होनी चाहिए।

डा. अम्बेडकर: इसके तहत उनके पास व्यवस्था होगी।

श्री जिन्ना: यह शक्ति संघीय सरकार में निहित की जा सकती है, लेकिन इस शक्ति को कार्यान्वित तभी किया जा सकता है, जब आपके पास इसे कार्यान्वित करने के लिए व्यवस्था भी हो।

डा. अम्बेडकर: फौज है।

श्री जिन्ना: ठीक है, और इसलिए अध्यक्ष ने यह भी सुझाव दिया, आपने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया कि अंततः सम्राट (क्राउन) ही संघीय न्यायालय के निर्णयों और फैसलों को कार्यान्वित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा और यही वहां कहा गया है कि 'क्राउन' उत्तरदायी होगा, क्योंकि अब तक मैं यह समझता हूं कि स्थिति यह है कि सुरक्षा 'क्राउन' का विषय होगा। अध्यक्ष महोदय! क्या मैं सही हूं?

अध्यक्ष: हां, यह जरूरी है।

डा. अम्बेडकर: लेकिन मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं, वह यह है कि अगर आप एक ओर संघीय सरकार और दूसरी ओर प्रांतीय सरकार, इन दोनों के बीच कार्यक्षेत्र का बंटवारा कर रहे हैं और अगर आप संघीय सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित कराने के लिए विधायी या दूसरी शक्ति नहीं देते हैं, तब वह उनको कार्यान्वित नहीं करा सकेगी। मेरा यही निवेदन है।

श्री जयकर: लेकिन तब भी मुश्किल दूर नहीं होती। मेरा आशय सांप्रदायिक भावना से है,जो आप सोच रहे हैं। मुश्किल वहां भी दूर नहीं होती।

डा. अम्बेडकर: मैं भी इस बात से सहमत हूं कि शायद कहीं ज्यादा कठोर उपाय करने होंगे और जैसा कि हम जानते हैं, स्विस कनफेडरेशन में सेना तक का इस्तेमाल किया जाता है। स्विट्जरलैंड में संघीय न्यायालय के निर्णयों को लागू करने के लिए वहां की संघीय सरकार को सेना का इस्तेमाल करने का अधिकार दिया जाता है। मैं यहां यह निर्धारित नहीं करना चाहता कि अमुक उपाय अपनाए जाने चाहिए, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूं, वह ऐसा ही है। अमरीका में जो दिक्कत पैदा हुई, वह यह है कि वहां संघीय सरकार के पास कोई शक्ति नही थी।

अध्यक्ष: मैं मान रहा हूं, इसलिए वह कोई उत्तरदायित्व नहीं लेती।

डा. अम्बेडकर: जी हां। ऐसी स्थिति भारत में पैदा नहीं होनी चाहिए।

लार्ड लोथियन: अमरीका में क्या यह फर्क नहीं है कि वहां संघीय सरकार तब तक कार्यवाई कर सकती है, जब तक कोई मामला किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है। लेकिन यह प्रश्न 'कनवेंशन' में उठा था और उन्होंने यह निर्णय किया कि संघीय सरकार किसी राज्य के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के खिलाफ युद्ध करके ही कोई कार्रवाई कर सकता है और इसलिए उन्होंने इस दायित्व को पूरा करने के लिए राज्य पर दबाव डालने का काम समाज पर छोड़ दिया। आप भी किसी सीमा तक व्यक्ति के मामले में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप संघ में अपनी संवैधानिक व्यवस्था के अंग के रूप में युद्ध का रूप दिए बगैर किसी संघीय सरकार को किसी राज्य के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं कर सकते और कोई ऐसा करेगा भी नहीं। यही आपकी कठिनाई है।

डा. अम्बेडकर: मैं इस बारे में नहीं जानता। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अमरीका में भी विद्रोह को दबाने के लिए वहां के प्रेसिडेंट को सेना का इस्तेमाल करने का अधिकार मिला हुआ है।

लार्ड लोथियन: और यही युद्ध का कार्य बन जाता है। यह विगत दिनों में हुआ है।

डा. अम्बेडकर: अमरीका के संविधान में इसका प्रावधान है।

श्री जयकर: लेकिन निश्चय ही विकल्प इन्हीं दो में से होगा-गृह युद्ध या संघ के प्रति निष्ठा।

डा. अम्बेडकर: यही मैं भी अनुभव करता हूं। आप जो बात कहना चाह रहे हैं, मैं उसके महत्व को अस्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात कह रहा हूं, वह यह है कि हमारे यहां वैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए,जैसी कि हम अमरीका में देखते हैं, हालांकि वहां संघीय कार्यक्षेत्र में से उत्पन्न होने वाले झगड़ों को निपटाने के लिए संघीय न्यायालय हैं, लेकिन संघीय सरकार के पास इन निर्णयों को प्रभावी बनाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी संघीय सरकार या संघीय विधान-मंडल के पास उस तरह की शक्ति होनी चाहिए जैसी कि आस्ट्रेलियाई संघीय सरकार या संघीय विधान-मंडल के पास है।

श्री जिन्ना: यहां अंतर यह है कि अमरीका में संघीय सरकार के पास सेना का प्रभार और उसका नियंत्रण है। आपका यह कहना है कि संघीय सरकार, जो आप प्रस्तावित कर रहे हैं, सेना का नियंत्रण और उसका दायित्व तुरंत अपने अधिकार में ले ले।

डा. अम्बेडकर: ठीक है, यदि अभी नहीं तो बाद में ही सही।

श्री जिन्ना: इस बीच में क्या होगा?

डा. अम्बेडकर: जैसा कि मैंने कहा, यह जुदा मामला है। सेना का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री जयकर: आपको सेना की सहायता लेने के लिए 'क्राउन' के पास जाना पड़ेगा।

डा. अम्बेडकर: जी हां।

श्री जयकर: सेना पर अंततः अधिकार 'क्राउन' का है।

डा. अम्बेडकर: मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूं, इससे वह कम नहीं होता। संघीय विधान-मंडल को अधिकार देना ही होगा। अमरीका में राज्यों द्वारा लोगों को फांसी दी जा रही है, हालांकि इसके खिलाफ वहां के सर्वोच्च न्यायालय ने त्रुटि-याचिका (रिट आफ एरर) जारी की है।

अध्यक्ष: मैंने इंग्लिश कामन ला के बारे में ऐसी टिप्पणी सुनी है कि यह देखने के लिए कि कोई पौधा बढ़ रहा है या नहीं, उसे बार-बार उखाड़ने और उसकी जड़ों को देखने से कोई लाभ नहीं। इंग्लिश कामन ला ऐसी कोई बात नहीं स्वीकार करेगा और यही और कानूनों के बारे में भी है। आप बड़ा रोचक कानूनी पेंच सुना रहे हैं और संक्षेप में इसका जवाब यह है कि कोई भी आदमी किसी भी चीज को बेकार कर सकता है। किसी नींव के बारे में यह पता लगाने के लिए कि वह ठीक से रखी गई या नहीं, उसे बार-बार उलटने-पलटने से कोई प्रयोजन पूरा नहीं होता। आपको लोगों की सद्भावना पर कुछ तो विश्वास करना चाहिए। वर्जीनिया के मामले में लोगों को सही रास्ते पर आने में लगभग 19 साल लग गए। शायद यह आपके मामले में भी ऐसा ही हो। शुरू में ये दिक्कतें होंगी। लेकिन जब आप साथ-साथ काम करने लगेंगे, तब इनमें से बहुत-सी दिक्कतें दूर हो जाएंगी। आप अपने मकान की नींव हर तीन हफ्ते के बाद यह देखने के लिए नहीं खोद सकते कि यह दुरुस्त है या नहीं। आपको लोगों पर कुछ विश्वास करना ही चाहिए।

डा. अम्बेडकर: मैं तो यही कहूंगा कि हमें अपनी नींव बालू में नहीं बनानी चाहिए।

अब इस विषय के तीसरे मुद्दे पर आइए, अर्थात संघीय न्यायालय का गठन। मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो कुछ कहा जा चुका है, उससे मैं सहमत हूं। मैं एक सुझाव अवश्य देना चाहता हूं कि हमें इस मामले में आस्ट्रेलियाई मॉडल अपना लेना चाहिए। इससे हम एक संघीय अपील न्यायालय ही नहीं गठित कर सकेंगे, बल्कि सारे भारत के लिए सर्वोच्च अपीली न्यायालय भी गठित कर लेंगे, जैसा कि आस्ट्रेलिया में है। इस न्यायालय में न सिर्फ न्यायालयों की, जिसका कार्यक्षेत्र संघीय है, अपीलों की सुनवाई की जाती है, बल्कि ऐसे मामलों पर न्यायालयों की अपीलों की भी सुनवाई की जाती है, जो संघीय कार्यक्षेत्र से बाहर पड़ते हैं।

मैं खास तौर से यह बताना चाहता हूं कि संघीय विधान-मंडल को इस बात की पूरी छूट होनी चाहिए कि वह भारतीय राज्यों के न्यायालयों को संघीय कार्यक्षेत्र सौंप सके, जिससे कि वह इन न्यायालयों की सेवाओं का उपयोग कर सके। संघीय दायित्व सिर्फ प्रांतों में स्थित उच्च न्यायालयों को ही नहीं सौंपा जाना चाहिए, बल्कि राज्यों के कुछ चुनींदा न्यायालयों को, जो संघीय विधान-मंडल की जानकारी में कुशलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, कुछ मामलों में संघीय दायित्व का निर्वाह करने के लिए चुना जाना चाहिए। मैं सोचता हूं कि इसके बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम होंगे। पहली बात तो यह है कि इससे राज्यों के न्यायालयों की

प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी और दूसरी बात यह है कि इससे राज्यों के न्यायालयों का संबंध भारत की संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था से हो जाएगा और हमारा संघ एक वास्तविक संघ बन जाएगा।

श्री जयकर: सर्वोच्च न्यायालय अर्थात संघीय न्यायालय में अपील करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

डा. अम्बेडकर: मैं इसी विषय पर आ रहा हूं। इस बारे में मेरा सुझाव है कि राज्यों को ऐसे मामलों में भी जिनका संबंध संघीय कार्यक्षेत्र से नहीं है, अपनी अपीलें संघीय सर्वोच्च न्यायालय को भेजने की सहमति देनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं, तब मेरा सुझाव है कि हमें वही मुक्त नीति अपना लेनी चाहिए, जो आस्ट्रेलियाई संविधान में अपनाई हुई है। आस्ट्रेलियाई संविधान में यह प्रावधान है कि संघीय न्यायालय या वहां के उच्च न्यायालयों को राज्यों से प्राप्त अपीलों को सुनने से रोका नहीं जाएगा। मैं चाहता हूं कि यह प्रावधान हमारे अपने संविधान में अपना लिया जाए। हो सकता है कि हम राज्यों के न्यायालयों को अपनी-अपनी अपीलें संघीय न्यायालय को भेजने के लिए बाध्य न करें, लेकिन अगर बाद में राज्य अपने-अपने न्यायालयों की अपीलें संघीय न्यायालय को भेजेंगे तब हमें संघीय उच्च न्यायालय को अपीलें सुनने से रोकना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, मैं फिर आस्ट्रेलियाई संविधान में दिए गए मॉडल को अपनाऊंगा और राज्यों को अपने-अपने यहां के न्यायालयों द्वारा संघीय न्यायालय को अपीलें भेजने के उनके अधिकार को विनियमित करने का अधिकार दूंगा। वे अपील करने का यही अधिकार नहीं देंगे - क्योंकि वे ब्रिटिश प्रांतों से जुड़े होंगे। अगर वे चाहें, तो उसे विनियमित कर सकते हैं।

इसके अलावा एक और बात मैं कहना चाहता हूं । यह संघीय सरकार के साथ उच्च न्यायालय के संबंध के बारे में है। इस समय कलकत्ता उच्च न्यायालय को छोड़कर सभी भारतीय न्यायालय वित्त और प्रशासन दोनों, मामलों में प्रांतीय हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय निश्चय ही वित्त के लिए प्रांतीय है, लेकिन प्रशासन के मामले में केंद्रीय है। माननीय तेज बहादुर सप्रू ने कल यह सुझाव दिया कि भारतीय उच्च न्यायालय सभी प्रांतों में प्रशासन के मामले में केंद्रीय और वित्तीय प्रयोजन के लिए प्रांतीय होने चाहिएं। जहां तक माननीय तेज बहादुर सप्रू का यह सुझाव है कि इन्हें प्रशासन के लिए केंद्रीय होना चाहिए, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन इसके लिए मेरे कारण कुछ जुदा हैं और मैं उन्हें कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि भारतीय प्रांतों के न्यायाधीशों के मन में यह घबराहट है कि उन पर स्थानीय राजनीतिक दबाव पड़ सकता है, इसलिए वे चाहते हैं कि उन्हें स्थानीय राजनीति से उठाकर संघीय नियंत्रण में रख दिया जाए। अब मैं सोचता हूं कि किसी भी देश में जहां पर प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र और उत्तरदायी सरकार है, हमारे उच्च न्यायालय दलगत राजनीति या राजनीतिज्ञों के प्रभाव से बच नहीं सकते।

माननीय तेज बहादुर सप्रू: मैं सोचता था कि कानून का सिद्धांत यह है कि ब्रिटिश न्यायालय दलगत राजनीति से अलग होते हैं।

डा. अम्बेडकर: इस देश में कुछ न्यायिक पद ऐसे हैं, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इन पर राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं। लेकिन यह एक अलग मामला है। मैं इस समिति के सम्मुख विचारार्थ यह रखना चाहता हूं कि हम संघ में लगभग 562 भारतीय राज्यों को शामिल कर रहे हैं।

श्री जिन्ना: क्या आप ऐसा कर रहे हैं?

डा. अम्बेडकर: मेरा अनुमान है कि ऐसी ही योजना है। कम से कम हमने अपने सम्मुख यही आदर्श रखा है कि सभी देशी राज्य इस संघ में शामिल होंगे। मैं समझता हूं कि इस बारे में कोई मतभेद नहीं है कि बहुत से ऐसे राज्य जो भारतीय संघ में आएंगे, वे वित्तीय दृष्टि से इतने समर्थ नहीं हैं कि अपने लिए सक्षम न्याय-प्रबंध की व्यवस्था कर सकें। मैं बंबई प्रेसिडेंसी का एक उदाहरण दे रहा हूं। बंबई में एक छोटा-सा राज्य है। इसका प्रशासन एक महिला के हाथों में है। इस राज्य में, जहां तक मुझे मालूम है, सिर्फ एक अधिकारी है। वह सिविल जज के रूप में कार्य करता है। वह मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करता है और सेशन जज के रूप में भी काम करता है। वह अपीलें राज्य प्रमुख के पास भेजता है और उसकी एक दीवान सहायता करता है, जहां तक मैं जानता हूं, वह एक सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी है। बहुत से पेचीदा मामले इस ट्रिब्यूनल के पास सुनवाई के लिए आते हैं, जिसे उस राज्य की प्रिवी कांउसिल कहा जाता है और इस तरह जो न्यायालय वहां गठित है, वही निर्णय देता है। अब मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देता। ध्यान देने की बात यह है कि यह राज्य इतना छोटा है कि इसके पास इतना राजस्व नहीं कि वह अपने यहां किसी सक्षम न्यायालय की स्थापना कर सके।

फिर, एक बात और विचार करने की है कि हम ब्रिटिश भारत में भी नए-नए प्रांत इतने छोटे बनाते चले जाएं कि वे भी वित्तीय दृष्टि से अपने यहां एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था न कर सकें। ऐसा आज भी हो रहा है। असम प्रांत अपने यहां एक उच्च न्यायालय नहीं रख सकता। यह बंगाल प्रेसिडेंसी में स्थित उच्च न्यायालय की सहायता से अपना काम चलाता है। मेरा निवेदन यह है कि हम स्थिति को इस तरह सुधारें कि अगर वे उचित न्याय-प्रबंध की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो उनको अपने यहां के लोगों के दीवानी और फौजदारी के मामलों में उन उच्च न्यायालयों की सेवा लेने की अनुमति दें, जो ब्रिटिश भारत में स्थित हैं, तो ऐसी योजना का स्वागत किया जाना चाहिए। यह एक तथ्य है कि जब तक प्रांतीय उच्च न्यायालयों पर संबंधित प्रांतीय सरकार का एकमात्र नियंत्रण रहेगा, तब तक ये राज्य जिनकी उस प्रांत के मामलों को नियंत्रित करने में कोई साझेदारी नहीं है, प्रांतीय उच्च न्यायालय की सेवाओं का उपयोग करने में कोई रुचि नहीं लेंगे। दूसरी ओर, यदि प्रांतीय उच्च न्यायालय केंद्र के नियंत्रण में कर दिए जाएं, जहां इन राज्यों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से प्रतिनिधित्व रहेगा, तब इन राज्यों को अपने यहां के लोगों के दीवानी और फौजदारी

के मामलों में इन न्यायालयों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रेरणा मिलेगी और वे कम तटस्थ रहेंगे। इसके परिणामस्वरूप हम इन देशी राज्यों के,जो भारत की भावी सरकार के अंग होंगे, न्याय-प्रबंध में प्रांतीय उच्च न्यायालयों की क्षमता को क्षति पहुंचाए बिना यथेष्ट सुधार ला सकेंगे। इस कारण से मैं सुझाव देता हूं कि प्रांतीय उच्च न्यायालय प्रशासन के निमित्त और वित्तीय दृष्टि से भी केंद्रीय विषय बना दिए जाएं। कलकत्ता उच्च न्यायालय प्रशासन के लिए केंद्रीय क्यों है?इसकी एक वजह तो यह है कि यह सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए नहीं है। यह एक ऐसा न्यायालय है,जो बंगाल प्रेसिडेंसी और असम प्रांत, दोनों के लिए एक संयुक्त न्यायालय है। यही कारण था,जिससे साइमन कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि यह व्यवस्था आगे भी जारी रहनी चाहिए और इसे दूसरे प्रांतों में भी लागू करना चाहिए। प्रस्तुत प्रस्ताव का क्यों स्वागत किया जाना चाहिए, मेरे विचार में उसका यही कारण है।

मुझे संघीय न्यायालय विषय पर बस इतना ही कहना था।

चौवालीसवीं बैठक–2 नवंबर 1931

तीसरी रिपोर्ट के मसौदे पर बहस

*डा. अम्बेडकर:** मैं पैराग्राफ की आखिरी चार पंक्तियों पर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। शुरू में इतना कहने के बाद बतौर सिफारिश उप-समिति की दूसरी रिपोर्ट के पैराग्राफ 34 में कहा गया है:-

> हम इन हितों में से पहले चार हितों के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करते हैं, क्योंकि इस विषय पर अल्पसंख्यक समिति द्वारा निर्णय लिया जाना है।

अध्यक्ष महोदय! इसका आशय यह नहीं है कि समिति इन हितों के प्रतिनिधित्व के बारे में तटस्थ है और मेरा ख्याल है कि दूसरी रिपोर्ट के चौतीसवें पैराग्राफ में,जो राय दी गई है, उसमें भी ऐसा ही कोई भाव व्यक्त होता है। इसका आशय यही है कि यह उप-समिति प्रतिनिधित्व की सीमा या तरीके के बारे में कोई सिफारिश नहीं कर सकती। इसलिए अगर आप इस वाक्यांश में निम्नलिखित संशोधन कर दें,तो मैं कृतज्ञ होऊंगा:-

'जहां तक उनके प्रतिनिधित्व की सीमा या विधि का संबंध है।'

श्रीमती सुब्बरायन: संभवत: आपको याद हो कि एक बैठक में मैंने विधान-मंडल में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए कुछ विशेष प्रावधान करने के बारे में विचार करने के लिए अनुरोध किया था और मैंने सुझाव दिया था कि इसे अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशित होने तक स्थगित रखा जाना चाहिए। लेकिन कहीं यह विषय छूट न जाए, इसलिए मैं यह निवेदन करती हूं कि यहां इसके बारे में कुछ उल्लेख कर दिया जाना चाहिए

* प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 882-83

और पैरा 28 में 9 वीं पंक्ति में 'हितों' के बाद ये शब्द जोड़ दिए जाएं:

'या विधान-मंडल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व'

अध्यक्ष: धन्यवाद, खेद है कि हमसे यह छूट गया और मैं डा अम्बेडकर का भी कृतज्ञ हूं। इन संशोधनों को शामिल कर लेंगे। यह भूल से हो गया।

श्रीमती सुब्बरायन: पिछली बार, विधान-मंडलों के बारे में नामजद सदस्यों के अमूल्य विचारों की सराहना करते हुए मैंने नए संविधान में नामज़दगी के प्रश्न पर सिद्धांत के तौर पर आपत्ति की थी। जब मैं यह देखती हूं कि दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त होंगे तब मैं सोचती हूं कि मुझे और ज्यादा आपत्ति करनी चाहिए। मैं रिपोर्ट में कही गई इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि वरिष्ठ राजनेताओं की सेवाएं बहुत ही मूल्यवान होती हैं, लेकिन मैं इस बात से भी पूरी तरह विश्वस्त हूं कि नामजदगी की प्रणाली अविवेकपूर्ण और अलोकतांत्रिक है और इसलिए यह कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि हम ऐसे लोगों को भी चुनाव पद्धति के आधार पर लें। अगर नामजदगी की प्रणाली रहती है, तब मेरे विचार में इस खंड का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा और मंत्रालय उच्च सदन में अपने दल को मजबूत बनाने पर ही ध्यान रखेगा। मैं इसलिए पैराग्राफ 32 में उसकी 7, 10, 19 और 22 वीं पक्तियों में 'पुरुषों' के स्थान पर 'व्यक्तियों' शब्द रखे जाने का सुझाव देती हूं।

अध्यक्ष: श्रीमती सुब्बरायन, मैं सहमत हूं। इग्लैंड में लगभग पांच वर्ष पहले हम वास्तव में यही समझते थे कि कोई महिला 'व्यक्ति' नहीं होती।

श्रीमती सुब्बरायन: शायद वे समझते थे कि वह इससे कुछ अच्छी होती हैं।

श्री जफरुल्ला खां: हमारे जनरल क्लाज़ेज़ ऐक्ट में यह कहा गया है कि जहां कहीं 'मैन' (पुरुष) शब्द का प्रयोग हुआ, उसमें वूमैन (महिला) शब्द निहित है।

श्री आयंगर: मेरी मित्र श्रीमती सुब्बरायन ने नामजद सदस्यों के बारे में जो कुछ कहा, मैं उससे सहमत हूं। मैं इस बात से भी सहमत हूं कि उच्च सदन में वरिष्ठ राजनेताओं का होना अत्यंत लाभप्रद रहेगा। लेकिन यदि देश को इन वरिष्ठ राजनेताओं की सचमुच ही जरूरत है, तब निश्चित ही ये किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र से चुनकर आ सकते हैं। मेरा ख्याल है कि यह नामजदगी का सिद्धांत ही खराब है और हमें इसे बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए।

डा. अम्बेडकर: श्रीमती सुब्बरायन ने जो कुछ कहा उससे मैं सहमत हूं।

* * * *

अध्यक्ष:* हम यह कहेंगे "उन विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए जो महिलाओं के लिए अपेक्षित होंगे, उच्च सदन में अभ्यर्थियों के लिए आदर्श रूप ग्रहण किया जाना चाहिए"।

डा. अम्बेडकर: मुझे 34 वें पैराग्राफ के इस भाग को-'राज्य परिषद में सदस्यता योग्यता के लिए आदर्श' स्वीकार करने में कई आपत्तियां हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इससे दलित

---

*प्रोसीडिंग्स आफ फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारोटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 886

वर्ग का प्रतिनिधित्व होना पूरी तरह रुक जाएगा।

अध्यक्ष: हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

डा. अम्बेडकर: मताधिकार समिति को स्वतंत्रता भी होनी चाहिए कि वह आदर्श नियम बनाते समय इस बात का ध्यान रखे।

* * * *

*डा. अम्बेडकर**: मैं यह कहना चाहता हूं कि समिति को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि केंद्रीय सरकार को आपात स्थिति के मामलों में प्रत्यक्ष रूप से और अकेले ही अपने लिए वित्त व्यवस्था करने का अधिकार दिया जाए, बजाए इसके कि वह प्रांतों और राज्यों से प्राप्त होने वाले अंशदान पर निर्भर रहे।

लार्ड पील : इन सब बातों पर, निश्चय ही, हर दृष्टिकोंण से विचार किया गया था और यह विभिन्न दृष्टिकोंण के समन्वित करने का फल था। मेरा ख्याल है कि इस समय मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं।

श्री जोशी : अध्यक्ष महोदय! मैं डा. अम्बेडकर के दृष्टिकोंण से सहमत हूं।

डा. अम्बेडकर : अध्यक्ष महोदय! मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तथ्य जांच समिति (फैक्ट फाइडिंग कमेटी) को संघीय विधान-मंडल के भार को ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों में आवंटित करते समय इन दोनों में औचित्य के सिद्धांत पर विचार करना चाहिए था।

अध्यक्ष : निस्संदेह इस बात पर लार्ड पील विचार करेंगे। आपसे अनुरोध है कि जब हम इस पर पूर्ण सम्मेलन में विचार करेंगे, तब इसका पुन: उल्लेख करें। आशा है, आप बुरा नहीं मानेंगे।

पैंतालीसवीं बैठक – 4 नवंबर 1931

*अध्यक्ष ***: अब यह रिपोर्ट लीजिए जिस पर मैं आपकी टिप्पणियां चाहता हूं। कृपया क्या आप पिछले पैराग्राफ संख्या 52 पर विचार प्रकट करेंगे?

डा. अम्बेडकर : क्या मैं पैराग्राफ संख्या 52 के संबंध में यह टिप्पणी कर सकता हूं? अध्यक्ष महोदय! आपको याद होगा कि जब हम संघीय न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र के बारे में विचार-विमर्श कर रहे थे, मैंने संविधान का निर्वचन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए यह मुद्दा उठाया था कि न प्रांतीय सरकारें और न ही संघीय सरकार एक-दूसरे के कार्यक्षेत्र में दखल करें। संघीय न्यायालय को मूल अधिकारों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित मामलों की सुनवाई और उन पर निर्णय देने का अधिकार होना चाहिए। मेरा ख्याल है कि इस संबंध में श्री जयकर ने और अगर मैं सही हूं तो श्री शास्त्री ने भी मेरा समर्थन किया था। संभवत: इस संबंध में इस पैराग्राफ में कुछ टिप्पणी जोड़ी जाएगी।

---

* प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 899-900

** वही, पृ. 908

अध्यक्ष : मैं डा. अम्बेडकर का कृतज्ञ हूं और मैं उन्हें पुन: विश्वास दिलाता हूं कि जब ये विषय संविधान में आएंगे तब ये सभी विषय संघीय न्यायालय के निर्वाचन क्षेत्र में जाएंगे।

श्री जयकर : यह 'संवैधानिक' शब्द में शामिल है।

* * * *

*अध्यक्ष** : अब पैराग्राफ 62 लीजिए।

डा. अम्बेडकर : मेरा ख्याल है कि इस न्यायालय के दिल्ली में होने के बारे में सभी एक मत नहीं थे। मैं चाहता हूं कि इस मामले की जांच किसी समिति द्वारा की जानी चाहिए।

श्री जयकर : मैंने सुझाव दिया था कि यह किसी केंद्रीय स्थान में हो न कि दिल्ली में वह ऐसे स्थान पर हो जहां की जलवायु सारे वर्ष काम करने के मुताबिक हो और जहां पर न्यायालय सारे वर्ष, काम कर सकें।

श्री जफरुल्ला खां : विभिन्न पक्षों से सभी तरह के सुझाव आए थे,लेकिन मैं नहीं जानता कि किसी दूसरी जगह को इतना ज्यादा समर्थन प्राप्त है।

अध्यक्ष : अब कृपया पैराग्राफ 63 और 64 लीजिए।

छियालीसवीं बैठक - 14 नवम्बर, 1931

भावी प्रक्रिया पर विचार विमर्श

*डा. अम्बेडकर*** : इस बारे में कि मेंबर आर्मी और कमांडर-इन-चीफ के बीच किस प्रकार के संबंध होने चाहिएं, मैं जानना चाहता हूं कि माननीय तेज बहादुर सप्रू के क्या विचार हैं। क्या कमांडर-इन-चीफ को मंत्री या मेंबर के नियंत्रण और देखरेख के अधीन सिर्फ विभाग का अध्यक्ष होना चाहिए या आप उसे कुछ अधिकार भी देना चाहेंगे, जिसमें मेंबर आर्मी को दखल करने का कोई अधिकार नहीं होगा?

माननीय तेज बहादुर सप्रू : मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं मेंबर आर्मी की स्थिति के बारे में जो कुछ सोचता हूं, वह यह है कि वह सामान्य नीति, वित्तीय या अन्य समस्याओं से संबंधित मामले देखेगा। लेकिन उसे तकनीकी या सेना से संबंधित प्रशासनिक मामलों को देखने का कोई अधिकार नहीं होगा और अगर उसके पास ऐसे अधिकार हो भी तो वह इतना समझदार तो होगा ही कि वह इन अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा। मेरी इस बारे में कोई निजी जानकारी नहीं है लेकिन मैं अपने ब्रिटिश सहयोगियों से यह अपील करूंगा कि वह यह बताने की कृपा करें कि इंग्लैंड में इस संबंध में ठीक-ठीक स्थिति क्या है? वहां सेक्रेटरी आफ स्टेट फार वार के पास संभवत: सेना के आंतरिक अनुशासन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन वह नीति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखता है। मैं आपकी सेना के इतिहास में ड्यूक आफ कैंब्रिज काल को नही भूल सकता।

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी*, खंड 1, पृ. 922

** वही, पृ. 979

10

अल्पसंख्यक समिति

सातवीं बैठक--28 सितंबर 1931

अध्यक्ष: बहुत-सी अल्पसंख्यक जातियों का इस समिति में प्रतिनिधित्व हुआ है। अगर बैठक हम स्थगित कर देते हैं, तब उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके सुझाव आदि तैयार हो जाएं, जिससे वे उन्हें बैठक में रख सकें। बैठक को स्थगित करने का तभी कोई लाभ है, जब बीच की अवधि का इस्तेमाल कागजों को तैयार करने, उन कागजों को और जो लोग विचार-विमर्श में भाग लेंगे, उनकी सूची मुझे देने के लिए किया जाए, ताकि अगली बैठक के लिए तैयारी की जा सके। मुझे आज सबेरे कुछ दिक्कत महसूस हुई, क्योंकि किसी ने अपना नाम प्रस्तावित नहीं किया था। अगर आप यही चाहते हैं, तो मैं इस कांफ्रेंस का संचालन इस प्रकार करूंगा कि आप सब दो या तीन बैठकों में अलग-अलग हो जाएंगे। यही बात मैं नहीं होने देना चाहता। इस विचार-विमर्श को सद्भावनापूर्ण वातावरण और लाभप्रद होने देने में मार्गदर्शन के लिए मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन बोलना चाहता है और वह कौन-कौन से विषय उठाना चाहता है, जिससे उचित समय पर वक्ताओं को आमंत्रित किया जा सके। हमारा इरादा किसी को नहीं बोलने देने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि विचार-विमर्श इस प्रकार से संचालित हो कि उससे अधिकतम लाभ उठाया जा सके। अगर आप बैठक स्थगित करना चाहते हैं, तब आप यह याद रखें कि और बाकी लोग भी ऐसा चाहेंगे, तब मैं उनसे यही कहूंगा कि वे इस अवधि का उपयोग अपने ब्यौरे तैयार करने में करें और मेरी सहायता करें। क्या आप इस शर्त पर स्थगित करना चाहते हैं?

डा. अम्बेडकर*: बैठक के स्थगित होने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। जहां तक आपके इस सुझाव का प्रश्न है कि अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के साथ अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए बातचीत की जा रही है, मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक दलित वर्ग का संबंध है, हम अपना पक्ष पिछली बार अल्पसंख्यक उप-समिति को प्रस्तुत कर चुके हैं।

---

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी*, खंड 1, पृ. 1335-38

मुझे इस समिति के सम्मुख विभिन्न विधान-मंडलों में हम कितना प्रतिनिधित्व चाहते हैं, उसकी मात्रा का सुझाव देते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना है। मेरा ख्याल है कि इसके अलावा मुझे और कुछ कहना शेष नहीं रह गया है। लेकिन जो बात मैं शुरू में स्पष्ट कर देना चाहता हूं वह यही है। मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि सांप्रदायिक समस्या को सुलझाने के बारे में और आगे बातचीत चल रही है, लेकिन यह बात शुरू से ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं यह नहीं चाहता कि इस सवाल पर बाद में कोई संदेह रह जाए। जो लोग समझौता कर रहे हैं, उनको यह जान लेना चाहिए कि उन्हें कोई पूर्णाधिकार प्राप्त नहीं है। श्री गांधी का कांग्रेस के लोग हैं, चाहे जिसकेभी प्रतिनिधि हों, वह हमें बाधंकर रखने की स्थिति में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं इस बैठक में ज्यादा से ज्यादा जोर देकर कह रहा हूं।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि विभिन्न अल्पसख्यंक वर्गों ने जो दावे प्रस्तुत किए है, वे ऐसे दावे हैं, जो उनके द्वारा इस बात का विचार किए बिना प्रस्तुत किए गए हैं कि वे अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के दावे के अनुरूप हैं अथवा नहीं। इसलिए एक ओर अगर किसी अल्पसंख्यक को और दूसरी ओर कांग्रेस या उस बात के लिए अन्य के बीच कोई समझौता अन्य अल्पसख्यंकों के दावों पर विचार किए बिना होता है, तब जहां तक मेरा संबंध है, वह हरगिज भी संभव नहीं होगा। मेरा झगड़ा इस बात को लेकर नहीं है कि किसी खास समुदाय को अहमियत दी जाए या नहीं। लेकिन मैं यह बात जोर देकर कहना चाहता हूं कि जो भी अहम् होने का दावा करता है और जो कोई उसे स्वीकार करता है, उसे मेरी अनदेखी नहीं कर देना चाहिए। वह ऐसा नहीं कर सकता। मैं इस बात को बिल्कुल बेबाक कर देना चाहता हूं।

माननीय हेनरी गिडने: मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं पूरी तरह से अपने मित्र डा. अम्बेडकर से सहमत हूं। एक छोटे से समुदाय का प्रतिनिधि, जैसा कि मैं हूं-मैं नहीं समझता कि इस बातचीत में मेरा कोई स्थान है। अगर एक ओर कांग्रेस दूसरी ओर मुसलमानों से कोई समझौता कर लेती है, तब अन्य अल्पसंख्यकों का क्या स्थान रहेगा? आप चाहते हैं कि हम अपने सारे मतभेद आपस में सुलझा लें और इन्हें एक-एक कर प्रस्तुत करें। हमने ऐसा ही किया है। पिछली कांफ्रेंस में मैंने छोटे से समुदाय की, जिसका मैं प्रतिनिधि हूं, न्यूनतम मांगें प्रस्तुत की थीं। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारत का यह नक्शा तैयार करने में हर अल्पसख्यंक को इसमें अपने अस्तित्व को सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। अगर सारा समझौता केवल हिन्दू-मुस्लिम समझौता बनेगा, तब इसमें मैं अपनी स्थिति को नहीं देख पा रहा हूं।

अध्यक्ष*: कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यह ऐसी संस्था है, जिसमें अंतिम रूप

---

*प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी, खंड 1, पृ. 1338-39

से समझौता हो जाना चाहिए। यहां सुझाव सिर्फ यह है कि अगर कोई ऐसा अल्पसंख्यक वर्ग या समुदाय है, जिनमें अब तक एक-दूसरे के साथ झगड़े होते रहते हैं, तब उन्हें अपनी दिक्कतों को जल्दी दूर कर लेना चाहिए। आम सहमति के लिए यह पहला कदम होगा-बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक कदम-और यह सहमति आम होगी।

डा. अम्बेडकर: मैंने अपनी स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

अध्यक्ष: डा. अम्बेडकर की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है, इन्होंने अपने अनोखे अंदाज से इस बारे में शक-शुबहा को दूर कर दिया है। जब यह संस्थान पुन: विचार-विमर्श करेगी, तब हम इसे लेंगे। मैं आप सब लोगों से यह चाहता हूं कि आप सब यह अनुमति करें कि हम लोग आम सहमति के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। यह समझौता किन्हीं दो या तीन पक्षों के बीच नहीं, बल्कि पूरी सहमति से होगा।

डा. अम्बेडकर*: मेरा यह सुझाव है कि कृपया आप कांग्रेस के प्रतिनिधियों के अलावा अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक छोटी सी समिति बनाने पर विचार करने की कृपा करें, जो स्थगन की अवधि के दौरान औपचारिक रूप से मिलेगी और इस समस्या पर विचार करेगी।

अध्यक्ष: मैं भी यही सुझाव देने वाला था। आप मुझसे यह समिति बनाने के लिए न कहें, आप स्वयं बना लें। मैंने आपको यहां जलपान के लिए आमंत्रित किया है। आप लोग इस विषय पर खुद एक अनौपचारिक बैठक कर विचार क्यों नहीं कर लेते और तब तक जब आप कुछ कहेंगे तब आप यह सोचकर करेंगे कि आपके कहने का दूसरे पर क्या असर पड़ रहा है।

डा. अम्बेडकर: जैसी आपकी इच्छा।

अध्यक्ष: यह कहीं अच्छा होगा।

आठवीं बैठक-1 अक्तूबर 1931

श्री गांधी**: प्रधानमंत्री जी! कल रात माननीय आगा खां और दूसरे अन्य मुसलमान दोस्तों के साथ बातचीत के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि जिस काम के लिए हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं, उसके हित में एक सप्ताह के लिए बैठक स्थगित करने का अनुरोध करना उचित होगा। मुझे अपने अन्य सहयोगियों के साथ राय-मशविरा करने का मौका नहीं मिला है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वह मेरे इस सुझाव को, जो मैं दे रहा हूं, स्वीकार करेंगे। मैं अपने मुसलमान दोस्तों के साथ बड़ी बेताबी से बातचीत कर रहा हूं। मुझे कल दोपहर में कुछ और दोस्तों के साथ बातचीत करने का मौका मिला, जो जुदा-जुदा वर्गों और

समुदायों के थे। हम लोग कोई ज्यादा सफल नहीं हुए और उनकी राय भी यही थी कि जितना वक्त हमारे पास है, वह बातचीत के लिए बहुत थोड़ा है। मैं अपने बारे में तो कह सकता हूं कि इस एक हफ्ते के बाद आगे स्थगन के लिए मैं न ही कहूंगा और इस हफ्ते मैं जो कुछ कोशिश कर सकूंगा उसकी रिपोर्ट इस समिति को दे दूंगा।

मैं इस समिति को बताना चाहता हूं कि माननीय आगा खां और दूसरे दोस्तों ने जिनके साथ मैंने कल रात बातचीत की, उन्होंने विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को एक साथ बुलाने और विचार विमर्श करने का काम मुझे सौंपा है, जिससे कोई पक्का समझौता किया जा सके। अध्यक्ष जी! अगर मेरा यह प्रस्ताव आपको और इस कमेटी के बाकी सदस्यों को अच्छा लगेगा, तो यह मेरी खुश-किस्मती होगी। मुझे विश्वास है कि हिज हाइनेस इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे। हमें उम्मीद है कि इस हफ्ते के आखिर तक हम किसी समझौते की सूचना आपको दे देंगे।

अब मैं यह उम्मीद जाहिर कर रहा हूं, मैं आपको ऐसा कोई भरोसा नहीं देना चाहता। चूंकि मैं विश्वास व्यक्त कर रहा हूं, इसलिए कोई ऐसी बात जरूरी है, जिसके आधार पर मैं यह उम्मीद जाहिर कर रहा हूं। मैं अदम्य आशावादी हूं। मेरी जिंदगी में जब कभी चारों और अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ने लगा है, तब कुछ न कुछ ऐसी बात जरूर हुई है, जिसने मुझे उम्मीद दिलाई है। जो भी हो, जहां तक आदमी की कोशिश करने की बात है, पूरी कोशिश की जाएगी। मुझे कोई शक नहीं, इस कमेटी के बहुत से मेम्बरान किसी न किसी समझौते पर जरूर पहुंचेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं आज की बैठक को स्थगित करने का अपना प्रस्ताव आपके सम्मुख विचारार्थ पेश करता हूँ।

माननीय आगा खां: मैं इस प्रस्ताव का सहर्ष अनुमोदन करता हूं।

सरदार उज्ज्वल सिंह: मैं इस प्रस्ताव का हृदय से समर्थन करता हूं। मैं भी आशा करता हूं कि अगर दोनों ओर सद्भावना बनी रही तब हम किसी न किसी समझौते पर अवश्य पहुंच जाएंगे।

डा. अम्बेडकर: यह समिति जिस समस्या पर विचार कर रही है, उसका हल निकालने के हम जो हर संभव प्रयत्न कर रहे हैं, उसके रास्ते में मैं कोई अड़चन नहीं पैदा करना चाहता। जो तरीका श्री गांधी ने बताया, अगर उससे कोई हल निकल सकता हो, तो मुझे इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ एक दिक्कत है, जो मेरे सामने, दलित वर्ग का प्रतिनिधि होने के नाते है। मैं नहीं जानता कि स्थगन की इस अवधि में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए श्री गांधी किस तरह की कमेटी बना रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस कमेटी में दलित वर्गों का प्रतिनिधि रखा जाएगा।

श्री गांधी: विना शक।

डा. अम्बेडकरः धन्यवाद, लेकिन जिस स्थिति में इस समय मैं जानना चाहता हूं क्या इस प्रस्तावित समिति में मेरे या मेरे सहयोगी को काम करना कुछ भी लाभप्रद होगा और इसी कारण श्री गांधी ने पहले दिन ही जब वह संघीय संरचना समिति में बोले थे, हम सबको यह बता दिया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से वह मुसलमानों और सिखों को छोड़कर किसी भी समुदाय को राजनीतिक मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हैं। वह एंग्लो इंडियन, दलित वर्ग और भारतीय ईसाइयों को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं सोचता हूं कि मैं इस समिति के सम्मुख अगर यह बता दूं,तो शिष्टाचार का कोई उल्लंघन नहीं होगा कि जब मुझे श्री गांधी के एक सप्ताह पूर्व मिलने और उनके साथ दलित वर्गों के प्रश्न पर विचार विमर्श करने का सौभाग्य मिला और जब हम लोगों को अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के सदस्य के रूप में उनसे कल दफ्तर में मिलने का अवसर प्राप्त हुआ,तब उन्होंने बड़े ही स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया कि उन्होंने संघीय संरचना समिति में,जो दृष्टिकोंण प्रस्तुत किया है,वह उनका पूर्ण और सुविचारित दृष्टिकोंण है। मैं जो बात कहना चाहता हूं वह यह कि जब तक मैं यह जान नहीं लूं कि भारत के भावी संविधान में दलित वर्गों को एक ऐसे समुदाय के रूप में,जो राजनीतिक मान्यता केअधिकारी होते हैं, मान्यता मिलनी है,तब तक मैं नहीं जानता कि इस समस्या पर विचार करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित इस विशेष समिति में शामिल हो कर मैं कुछ कार्य कर भी सकूंगा। इसलिए जब तक मुझे यह आश्वासन नहीं मिल जाए कि यह समिति यह मान कर काम शुरू करेगी कि जिन समुदायों को अल्पसंख्यक उप-समिति ने भारत में मान्यता दिए जाने के योग्य समझा है,वे सभी समुदाय इसमें शामिल किए जाएंगे,तब तक मेरे लिए यह कहना मुश्किल है कि मैं पूरे हृदय से स्थगन के प्रस्ताव पर अनुमोदन करता हूं या मैं उस समिति के साथ पूरे हृदय से सहयोग कर सकता हूं,जो नामजद की जाने वाली है। मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता था।

माननीय हेनरी गिडने (आंग्ल भारतीय) : जिस समुदाय का प्रतिनिधि होने का मुझे गौरव मिला है,उस समुदाय की और अपने मित्र डा. अम्बेडकर के दृष्टिकोंण से मैं पूरी तरह सहमत हूं। एक पृथक् समुदाय के रूप में श्री गांधी द्वारा अस्वीकृत किए जाने के कारण मेरी भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं गलती पर हो सकता हूं। अगर ऐसा है,तो मुझे विश्वास है कि श्री गांधी मुझे सही कर देंगे। कल जब हम इस मामले को लेकर श्री गांधी से मिले,तब उन्होंने मेरे मन पर जो छाप डाली,उससे मुझे कोई शक नहीं रह गया कि एक संप्रदाय के रूप में वह और कांग्रेस हमें मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है और कांग्रेस के लाहौर प्रस्ताव से जो लगभग श्री गांधी के संकेत पर पारित हुआ था, यह साफ पता चलता है कि केवल दो संप्रदायों-मुसलमानों और सिखों-को ही मान्यता देना संभव होगा और यह निर्णय और एतिहासिक कारणों से लिया गया है। लेकिन मैं श्री गांधी से फिर कहता हूं कि वह इस बैठक में इस कमेटी के बनने से पहले और इससे पहले कि आप बैठक स्थगित

करें, यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दें कि इस कमेटी में उन संप्रदायों के प्रतिनिधियों को शामिल करेंगे, जिन्हें इस समिति ने पहले मान्यता दे रखी है।

राव बहादुर पन्नीर सेलवम (भारतीय ईसाई): डा. अम्बेडकर ने जो कुछ कहा वह मेरे लिए एक नई बात है। मैं अब तक नहीं मानता था कि महात्मा गांधी जी हम लोगों को कोई मान्यता नहीं देने जा रहे हैं। अगर ऐसा है तब मेरा निवेदन है कि यहां हमारा होना बहुत ही जरूरी है। चूंकि राजनीतिक भविष्य में एक संप्रदाय के रूप में हमें कोई मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए मैं सचमुच यही सोचता हूं कि आगे,जो भी कमेटी बनेगी उसमें हमारे भाग लेने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे ख्याल से मुझे उसी रीति से अपनी बात कहनी चाहिए, जिस रीति से डा. अम्बेडकर और माननीय हेनरी गिडने ने अपनी बात प्रस्तुत की है।

डा. मुंजे: जब मैंने अखबारों में पढ़ा कि महात्मा गांधी अल्पसख्यंक समिति में सिर्फ दो संप्रदायों को मान्यता देंगे,तब मैंने इस बात को कोई ज्यादा महत्व नहीं दिया और इसे बहुत ही गंभीर बात समझा। मैंने सोचा कि शायद यह समाधान और समझौते की प्रक्रिया को आसान बनाने और कठिनाइयां कम करने की दृष्टि से किया जा रहा है। लेकिन डा. अम्बेडकर केभाषण और माननीय हेनरी गिडने के भाषण से लगता है कि उन्होंने इसे बहुत ही गंभीरता से ग्रहण किया है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं और समिति के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि पंजाब और बंगाल के प्रांतों में हिन्दू भी अल्पसंख्यक हैं और उन्हें भी अपने-अपने हितों की रक्षा करनी है। इस संक्षिप्त स्पष्टीकरण के बाद मुझे इस प्रश्न पर विचार करने के लिए बैठक के स्थगित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

माननीय मोहम्मद शफी: मुझे ऐसा लगता है कि महात्मा गांधी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके बारे में हमारे कुछ दोस्तों के मन में कुछ गलतफहमी है। जहां तक इस प्रस्ताव को मैं समझ सका हूं, महात्मा गांधी ने इस समिति की न कोई उप-समिति और न अलग से ही कोई समिति बनाने की बात कही है। इसमें जो बात कही गई है, वह यह है कि इस पूरी समिति में शामिल प्रत्येक वर्ग जिसमें दलित वर्ग और आंग्ल भारतीय समुदाय भी शामिल है, अपने एक या दो या तीन प्रतिनिधियों को चुनेंगे,जो परस्पर मिलेंगे और परस्पर विचार-विनिमय कर इस बात पर विचार करेंगे कि क्या कोई ऐसा समझौता हो सकता है, जो सबको स्वीकार हो और इस प्रकार कुल मिलाकर अल्पसख्यंक समिति के काम के बोझ को हल्का करे। अगर यह कामयाबी हासिल हो जाती है, तब मुझे यकीन है कि भारत की शांतिपूर्वक प्रगति चाहने वाला हर व्यक्ति इस लक्ष्य को पूरा करने में अपना सहयोग देना चाहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि डा. अम्बेडकर ने जो आपत्ति की है, वह महात्मा गांधी द्वारा पेश किए गए और माननीय आगा खां द्वारा समर्थित प्रस्ताव को कुछ गलत समझने के फलस्वरूप है। यदि इस स्पष्टीकरण के बाद जिसे मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, इस समिति की कार्यवाही को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने के बारे में कोई सर्वसम्मत निर्णय हो जाता

है, जिससे कि हम लोग आपस में दोस्ती के वातावरण में, परस्पर सहयोग के वातावरण में, अपनी मातृभूमि की शांतिपूर्ण प्रगति के एक सच्चे शुभेच्छु के रूप में मिल सकें तो मुझे बेहद खुशी होगी।

श्रीमती नायडू: प्रधानमंत्री जी! चूंकि मैं न तो अल्पसख्यक वर्ग की हूं, न किसी विशेष वर्ग की हूं, इसलिए मैं बिना किसी स्वार्थ के अल्पसख्यकों और विशेष वर्ग के लोगों से यह अपील करती हूं कि वे दिक्कतें पैदा न करें और जब तक कोई दिक्कत उनके सामने न आए,तब तक वे उनकी शंका भी न करें। महोदय! आपने जो कुछ कल कहा था, वह इसी अपील का ही एक दूसरा रूप था। यह हमारे आत्म-सम्मान का प्रश्न है, एक कर्तव्य की भावना है कि हम बाहरी विवाचन या हस्तक्षेप के बिना अपनी घरेलू समस्या खुद निबटा लें। मैं इसीलिए अपील करती हूं कि हमें अपने घरेलू झगड़े, अगर कोई हैं, तो खुद सुलझाने चाहिएं और वह आपको अपने समझौते की सूचना दे दें,जो सभी को मान्य और संतोषप्रद हो। मैं सोचती हूं कि महात्मा गांधी ने इसी वजह से बैठक स्थगित करने का प्रस्ताव रखा है। मैं नहीं समझती कि किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को, जो चाहे जितना भी छोटा क्यों न हो, इससे डरने की कोई जरूरत है। प्रत्येक अल्पसख्यक वर्ग हमारे देश का वैसा ही एक भाग है,जैसे कि कोई बहुसंख्यक वर्ग। मैं यूरोप के एक सर्वोच्च राजनेता की बात दुहराना चाहती हूं, जिन्होंने गर्व के साथ यह कहा था कि उसने एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण बिना किसी फौज और बिना किसी धन के किया था। उन्होंने दो वर्ष पूर्व मुझसे कहा था, 'बहन! अपने यहां अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को खुश रखो। जब तक तुम अपने अल्पसख्यकों के दिल में सुरक्षा की भावना पैदा नहीं कर सकोगी, तब तक तुम किसी भी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकोगी।' चूंकि हम अल्पसंख्यकों में सुरक्षा की यह भावना पैदा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वह अपने को इस देश का अभिन्न अंग समझे,जिसका बहुसंख्यक वर्ग महात्मा गांधी और अल्पसख्यक वर्ग माननीय आगा खां के द्वारा यह अपील करता है कि हम अपने छोटे-छोटे झगड़े उनके सामने नहीं रखेंगे, जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है, बल्कि हम औचित्य, उदारता एवं उदात्तता के आधार पर जो न्याय है और आत्म-सम्मान की भावना से जिसके कारण हम बाहर के लोगों को अपने घर के झगड़ों को जानने नहीं देते, खुद सुलझा लेंगे। प्रधानमंत्री जी! यह मेरी अपील है और मुझे विश्वास है कि बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक वर्गों के जो लोग यहां उपस्थित हैं, वे इसे स्वीकार कर लेंगे।

डा. अम्बेडकर: मैं अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूं। लगता है कि मैंने जो कुछ कहा, उसके बारे में कुछ गलतफहमी है। मैं स्थगन का विरोध नहीं कर रहा हूं, न मुझे किसी समिति में काम करने में कोई एतराज है, जो इस सवाल पर विचार करने के लिए बनाई जाएगी। इस समिति में शामिल होने के पहले, अगर वह यह सौभाग्य मुझे देंगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौन-सा सवाल है, जिस पर यह समिति विचार करेगी? क्या वह सिर्फ मुसलमान

बनाम हिन्दू प्रश्न पर विचार करेंगी? क्या यह पंजाब में मुसलमान बनाम सिख प्रश्न पर विचार करेगी? या यह सिख बनाम हिन्दू प्रश्न पर विचार करेगी? क्या यह ईसाई, आंग्ल भारतीय और दलित वर्ग के सवाल पर विचार करेगी?

अगर हम शुरू में ही यह स्पष्ट रूप से समझ लें कि यह समिति न सिर्फ हिन्दुओं और मुसलमानों के, हिन्दुओं और सिखों के प्रश्न पर विचार करेगी, बल्कि यह दलित वर्ग, आंग्ल भारतीयों और ईसाइयों के प्रश्न पर भी विचार करने का दायित्व लेती है, तब मैं इस स्थगन प्रस्ताव को बिना किसी विरोध के पारित किए जाने के लिए खुशी से तैयार हूं। लेकिन मैं यह बता देना चाहता हूं कि अगर मुझे अलग-थलग कर रखा जाएगा और अगर इस स्थगन अवधि का इस्तेमाल हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न और हिन्दू-सिख को सुलझाने के निमित्त किया जाएगा, तब मैं इस बात पर जोर दूंगा कि यह समिति तुरंत इस सवाल पर विचार करे,बजाय इसके कि कोई दूसरा इस समस्या को हल करने की कोशिश करे।

श्री गांधी: प्रधानमंत्री जी और मित्रो! मैं देखता हूं कि हममें से कुछ लोगों ने जिस काम को करने का लक्ष्य बनाया है, उसके बारे में कुछ भ्रांति है। डा.अम्बेडकर, कर्नल गिडने और मेरे दूसरे दोस्त इस बात को लेकर नाहक परेशान हैं कि यह क्या होने जा रहा है। मैं कौन होता हूं,जो भारत में किसी क्षेत्र, किसी बिरादरी या किसी भी अकेले आदमी को राजनीतिक दर्जा देने से मना कर दूं। अगर मैं किसी भी राष्ट्रीय क्षेत्र के हितों की उपेक्षा करने का दोषी पाया जाता हूं,तो कांग्रेस का नुमाइंदा होने की वजह से मैं उसके विश्वास का पात्र नहीं रह जाता हूं। मैंने निश्चय ही इन मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरी धारणा भी यही है। लेकिन हर क्षेत्र के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलग-अलग उपाय हैं। इस अनौपचारिक कांफ्रेंस या बैठक के किसी भी सदस्य को अपने दृष्टिकोंण से अवगत कराने पर कोई रोक नहीं होगी। हमें इसे समिति नाम देने की कोई जरूरत नहीं। मुझे कोइ बैठक आयोजित करने या किसी समिति को गठित करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं शांति का सिर्फ एक विनम्र संदेशवाहक बन कर काम कर सकता हूं। मैं सिर्फ यह कोशिश कर सकता हूं कि जुदा-जुदा क्षेत्रों और वर्गों के प्रतिनिधि आपस में मिलें, एक जगह बैठें और दिल खोल कर बात करेंगे। हो सकता है कि हम ऐसा कर गलतफहमी दूर न कर सकें,लेकिन हमें अपना लक्ष्य साफ दिखाई देने लगेगा,जो अब तक धुंधला दिखाई दे रहा है।

मेरे ख्याल में किसी को इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं कि कोई क्या कह रहा है और उसके क्या विचार हैं मेरी बात का उतना ही वजन होगा जितना कि दूसरे की बात का है, उसका कोई ज्यादा वचन नहीं होगा। मेरे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि मैं दूसरे की राय के खिलाफ अपनी बात को ही रखूं। मैंने देश हित में अपनी राय बताई और जब भी मौका आएगा,मैं इन्हीं विचारों को रखूंगा। यह आप पर निर्भर करता है कि आप

मेरे विचारों को स्वीकार या अस्वीकार करें। इसलिए कृपया अपने दिल से सारी शंकाएं दूर कर दें और यह ख्याल ही न लाएं कि मैंने काफ्रेंस या अनौपचारिक बैठक की योजना बनाई है, उसमें सारे लोग किसी भी धारा में बह जाएं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि कुर्सियां पकड़ कर बैठने के बजाय एक-दूसरे के नजदीक आने का यह एक तरीका हो सकता है, तब आप न सिर्फ स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करेंगे, बल्कि उस प्रस्ताव पर भी अपना-अपना पूरा-पूरा सहयोग देंगे, जो मैंने इन अनौपचारिक बैठकों के बारे में रखा है।

माननीय ह्यूबर्ट कार: प्रधानमंत्री जी! मेरे समुदाय का जिक्र नहीं किया गया है। यह बहुत ही छोटा-सा समुदाय है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हम इस स्थगन का या किसी भी दूसरे उपाय का स्वागत करते हैं, जिससे उस मसले को हल करने में सहायता मिले, जिसे हम अन्य मसलों से पहले हल करना जरूरी समझते हैं, और जिसमें हम सबकी गहरी दिलचस्पी है।

डा. दत्त: मैं इस स्थगन का स्वागत करता हूं।

अध्यक्ष: तब मैं इसे स्वीकार करता हूं। मित्रो! मैं यह बात इस शर्त पर स्वीकार कर रहा हूं कि हम समय नहीं गवाएंगे और ये कांफ्रेंस, जिन्हें श्री गांधी अनौपचारिक कांफ्रेंस कहते हैं, मैं आशा करता हूं कि ये कांफ्रेंस अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभप्रद होंगे, जब तक हम दुबारा नहीं मिलते, इस बीच होंगे। मैं आशा करता हूं कि आप सब अपना समय इसी रूप में बिताएंगे।

नवीं बैठक-8 अक्टूबर, 1931

अध्यक्ष*: जब हम पिछले बृहस्पतिवार को मिले थे, तब सबकी सहमति से हमने एक सप्ताह के लिए अपनी बैठकें इसलिए स्थगित कर दी थी कि जिससे अनौपचारिक और गैर-सरकारी रीति से विचार-विमर्श हो सके और हम सब किसी एक निर्णय पर पहुंच सके। हमारा पहला कार्य उन लोगों से रिपोर्ट हासिल करना है, जो इस अनौपचारिक बातचीत के सूत्रधार हैं।

श्री गांधी से अनुरोध है कि वह सबसे पहले बोलें।

श्री गांधी: प्रधानमंत्री जी और मित्रो! विभिन्न वर्ग के प्रतिनिधियों में और उनके साथ अनौपचारिक बातचीत के द्वारा सांप्रदायिक समस्या का सर्वसम्मत हल निकालने की कोशिश में अपनी असफलता की घोषणा मुझे बड़े खेद और दैन्य के साथ करनी पड़ रही है। प्रधानमंत्री जी! मैं आपसे और अन्य सहयोगियों से माफी मांगता हूं कि एक हफ्ते का मूल्यवान समय बेकार चला गया। मुझे संतोष सिर्फ इस बात में है कि जब मैंने इस बातचीत को कराने का दायित्व लिया था, तब मुझे मालूम था कि सफलता की कोई आशा नहीं है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि मैंने हल निकालने के लिए हर संभव कोशिश की। लेकिन अगर मैं

* *प्रोसीडिंग्स आफ दि फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी*, खंड 1, पृ. 1356-58

यह कहूं कि बातचीत का नाकामयाब होना हमारे लिए शर्म की बात है,तो इससे पूरी सच्चाई व्यक्त नहीं होती। हममें से प्राय: सभी लोग उस दल या वर्ग के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, जिनके हम प्रतिनिधि कहे जाते हैं। हम यहां सरकार द्वारा नामज़द होने की वजह से हैं। हम लोग ऐसे व्यक्ति नहीं है,सर्वसम्मत हल पाने के लिए जिनकी यहां पर होने की भारी जरूरत थी। इसके अलावा, कृपया मुझे यह कहने की अनुमति दें कि अभी अल्पसंख्यक समिति की बैठकें बुलाने का कोई उचित समय नहीं था। यह असलियत भी नहीं है,क्योंकि हम यह निश्चित रीति से नहीं जानते थे कि इस बातचीत के बाद हमें क्या मिलने वाला है। अगर हम निश्चित रूप से यह जानते होते कि जो कुछ हम चाहते हैं,हमें मिल जाएगा तब हम बातचीत को कलह की टोकरी में डालने से पहले दो बार अवश्य सोचते। यह ऐसा ही था कि मानों हमें बताया गया हो। इस बातचीत से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मौजूदा प्रतिनिधि द्वारा सांप्रदायिक समस्या का सर्वसम्मत हल निकालने की योग्यता पर निर्भर करता है। यह समाधान स्वराज के संविधान का मुकुट तो बन सकता है , उसकी नींव नहीं बन सकता। ऐसा इसलिए हो गया है कि हमारे मतभेद स्थायी हो गए हैं और अगर वह पैदा नहीं हुए है तो इसकी वजह विदेशी हुकूमत है। मुझे इस बात में तनिक भी शक नहीं कि सांप्रदायिक मतभेदों का हिमशैल स्वतंत्रता के सूरज का ताप पाकर पिघल जाएगा।

मैं इसलिए यह सुझाव देने की धृष्टता कर रहा हूं कि अल्पसंख्यक समिति को अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए और संविधान के मूल-भूत सिद्धांतों को जितनी जल्दी हो सके, उतनी जल्दी तय कर दिया जाए। इस बीच सांप्रदायिक समस्या का अनौपचारिक रूप से कोई वास्तविक समाधान ढूंढने का काम जारी रहेगा और जारी रहना चाहिए। इस कारण संविधान के बनाने के काम को रुकने देना नहीं चाहिए। हमें इस तरफ से ध्यान हटा लेना चाहिए और संरचना के मुख्य भाग के निर्माण पर सारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

आखिरी बात यह है कि इस विचार-विमर्श में मेरे भाग लेने की सिर्फ एक ही वजह है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि हूं। मुझे इसकी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिए। आपको जो कुछ दिखाई देता है, खासतौर से इंग्लैंड में, उसके उल्टे कांग्रेस सारे देश का प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है। यह निश्चित रूप से लाखों गूंगे लोगों का प्रतिनिधि होने का भी दावा करती है , जिनमें ढेर सारे अस्पृश्य शामिल हैं, जिन्हें दलित कहने के बजाय कुचला ज्यादा गया है और वे लोग भी शामिल हैं,जो एक तरह से बहुत ही अभागे और उपेक्षित हैं और जिन्हें पिछड़ा वर्ग कहा जाता है।

ऐसा कहा गया लगता है कि मैं विधान-मंडल में अस्पृश्यों का कोई भी प्रतिनिधित्व दिए जाने के खिलाफ हूं। यह असलियत से उल्टी बात है। मैंने जो कुछ कहा और जिसे मैं दुहरा रहा हूं, वह यह है कि मैं आपका विशेष प्रतिनिधित्व होने के खिलाफ हूं। मैं यह

अच्छी तरह मानता हूं कि इससे उन्हें कोई लाभ नहीं होगा, उल्टे ज्यादा नुकसान ही होगा। लेकिन कांग्रेस वयस्क मताधिकार के लिए कृत संकल्प है। इसलिए उनमें से लाखों लोगों के नाम मतदाताओं की सूची में आ जाएंगे। अस्पृश्यता की भावना तेजी से खत्म होती जा रही है। ऐसी स्थिति में यह असंभव सा लगता है कि इन मतदाताओं के द्वारा नामजद व्यक्तियों का दूसरे लोगों के द्वारा बायकाट किया जाएगा, लेकिन इन व्यक्तियों के लिए विधान-मंडलों में चुनकर आने की अपेक्षा सामाजिक और धार्मिक उत्पीड़न से सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है। हमारे आचार-विचार से जो अक्सर कानून से ज्यादा शक्तिशाली हैं, उन्हें इतना गिरा दिया है कि हर समझदार हिन्दू को लज्जा का अनुभव करना चाहिए और इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। इसलिए मैं कठोर से कठोर कानून चाहता हूं, जिसके अधीन इस प्रकार के आचार-विचार अपराध घोषित किए जा सकें, जो श्रेष्ठ कहे जाने वाले वर्ग के लोग मेरे देश के इन निवासियों पर कर रहे हैं। ईश्वर का धन्यवाद, हिन्दुओं का विवेक जाग गया है, अस्पृश्यता की भावना अब शीघ्र ही हमारे इतिहास के एक कलंक का अवशेष बनकर रह जाएगी।

डा. अम्बेडकर: प्रधानमंत्री जी! पिछली रात जब हम अनौपचारिक समिति की बैठक के समाप्त होने के बाद एक-दूसरे से विदा हुए थे, तब हम असफलता की भावना के साथ एक-दूसरे से विदा हुए थे। लेकिन हम सब एक बात पर सहमत थे कि हममें से कोई भी कोई भाषण या ऐसा टिप्पणी नहीं करेगा,जिससे उत्तेजना पैदा हो। लेकिन मुझे यह देखकर दु:ख हुआ कि श्री गांधी ने इस समझौते को भंग किया है। क्षमा कीजिए, मुझे भी बोलने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने शुरुआत अनौपचारिक समिति की असफलता के कारणों को जो उनके विचार से थे, बताते हुए की। अब मेरे भी कारण हैं,जो मेरे विचार से किसी समझौते पर अनौपचारिक बैठक के न पहुंचने के पीछे थे। लेकिन इन कारणों की इस समय मैं व्याख्या नहीं करना चाहता। मुझे दो बातों से दुःख हुआ है। पहली बात है कि अपने प्रस्ताव तक अर्थात अल्पसंख्यक समिति की बैठक अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देनी चाहिए, अपने को सीमित रखने के बजाय,उन्होंने विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों पर छींटाकशी करनी शुरू कर दी, जो इस बैठक में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये प्रतिनिधि सरकार के नामजद लोग हैं और अपने-अपने समुदाय के दृष्टिकोंण को व्यक्त नहीं कर रहे हैं,जिसके कि वे प्रतिनिधि हैं। हम सरकार के नामजद लोग हैं, इस आरोप का खंडन तो नहीं कर सकते,लेकिन मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि अगर भारत के दलित वर्ग के लोगों को इस समिति के लिए प्रतिनिधि चुनने का मौका दिया गया,तब मुझे यही स्थान मिलेगा। मैं इसलिए कहता हूं कि चाहे मैं नामजद होऊं या नहीं, मैं पूरी तरह से अपने समुदाय का प्रतिनिधि हूं। किसी को इस बारे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

श्री गांधी हमेशा से यह दावा करते आ रहे हैं कि कांग्रेस दलित वर्ग के लिए है और

कांग्रेस दलित वर्गों का उससे ज्यादा प्रतिनिधित्व करती है, जितना मैं व मेरे साथी कर सकते हैं। इस दावे के बारे में, मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह भी एक ऐसा दावा है,जो गैर जिम्मेदार लोग करते या किया करते हैं, हालांकि जो लोग इनसे संबधित हैं, वे इन दावों को लगातार अस्वीकार करते रहे हैं।

मेरे पास यहां एक टेलीग्राम है, जो मुझे अभी-अभी मिला है। यह ऐसी जगह से आया है, जहां मैं कभी नहीं गया हूं। यह ऐसे व्यक्ति ने भेजा है, जिसे मैंने कभी नहीं देखा। यह अध्यक्ष, दलित वर्ग संघ, कुमाऊं, अलमोड़ा, ने भेजा है। यह जगह शायद संयुक्त प्रांत में है। इस तार में कहा गया है:

> यह सभा कांग्रेस आंदोलन में जो इस देश के भीतर और बाहर चलाया जा रहा है, अविश्वास व्यक्त करती है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा अपनाए गए उपायों की निन्दा करती है।

मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मैं यह कह सकता हूं (और मेरा ख्याल है कि जब श्री गांधी अपनी स्थिति पर ध्यान देंगे,तब उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा) कि कांग्रेस में ऐसे लोग हो सकते हैं,जिनकी दलित वर्गों के प्रति सहानुभूति हो। लेकिन दलित वर्ग के लोग कांग्रेस में नहीं हैं। यह एक तथ्य है,जिसके लिए मैं प्रमाण प्रस्तुत करना चाहता हूं। मैं इन विवादास्पद मुद्दों में नहीं पड़ना चाहता। ये कुछ हद तक मुख्य समस्या से बाहर की बात लगते हैं। श्री गांधी ने इस समिति के सम्मुख,जो मुख्य प्रस्ताव रखा, वह यह कि अल्पसंख्यक समिति को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाना चाहिए। इस प्रस्ताव के बारे में माननीय मोहम्मद शफी ने,जो दृष्टिकोण अपनाया, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन मैं इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दे सकता। मुझे ऐसा लगता है कि अब दो ही विकल्प हैं- या तो यह कि अल्पसंख्यक समिति इस समस्या को सुलझाने और किसी संतोषप्रद हल, अगर यह संभव है,तो उसे ढूंढने के लिए अपने प्रयत्न जारी रखे और अगर यह संभव न हो,तब ब्रिटिश सरकार इस समस्या को खुद हल करने का दायित्व स्वीकार करे। हम इस समस्या को तीसरे पक्ष के विवेचन के लिए छोड़ने के लिए सहमति नहीं दे सकते, जिसमें उत्तरादायित्व की वही भावना हो, जैसी कि ब्रिटिश सरकार में उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए।

प्रधानमंत्री जी! मुझे एक बात स्पष्ट कर देने की अनुमति दीजिए। दलित वर्ग इसके लिए उत्सुक नहीं है, शोर नहीं मचा रहा है, उसने कोई आंदोलन नहीं छेड़ रखा है कि ब्रिटिश लोगों से सत्ता तुरंत भारतीयों को सौंपी जानी चाहिए। ब्रिटिश लोगों के खिलाफ उनकी अपनी शिकायतें हैं और मैं समझता हूं कि मैंने उनकी भावनाओं को स्पष्ट करने के लिए यह यथेष्ट रूप से व्यक्त भी कर दिया है कि हमारी ये शिकायतें वास्तविक हैं। लेकिन सच बात यह है कि दलित वर्गों के लोग राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण किए जाने के लिए उत्सुक नहीं

हैं। उनकी स्थिति साफ शब्दों में यदि बताई जाए,तो यह है कि हम सत्ता का हस्तांतरण नहीं चाहते। लेकिन अगर ब्रिटिश सरकार इन शक्तियों को दबाने में असमर्थ है,जो देश में सत्ता के हस्तांतरण के लिए हो-हल्ला मचाए हुए हैं-और हम जानते हैं कि दलित वर्गों के लोग इन शक्तियों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं हैं-तब हमारा निवेदन है कि अगर आप यह हस्तांतरण करते हैं,तब इस हस्तांतरण के साथ ऐसी शर्त और ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि सत्ता किसी गुट, किसी अल्पतंत्र, कुछ लोगों के वर्ग के हाथों में नहीं आ जाएगी, वो चाहे मुसलमान हो या हिन्दू, बल्कि इसका समाधान ऐसा होगा कि इस सत्ता में सारे समुदायों की अपने-अपने अनुपात के अनुसार साझेदारी होगी। इसलिए, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि जब तक मुझे यह पता न चल जाए कि मेरी या मेरे समुदाय की स्थिति क्या है, तब तक मैं इस संघीय संरचना समिति के विचार-विमर्श में किस प्रकार कोई दायित्वपूर्ण भाग ले सकता हूं।

श्री गांधी: अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों के बारे में एक बात और है। मैं अन्य अल्पसंख्यकों के द्वारा उठाए गए दावों को समझ सकता हूं, लेकिन अस्पृश्य लोगों की तरफ से किए जाने वाले दावे रह जाते हैं, जिनकी सभी बेरहमी के साथ उपेक्षा करते आए हैं। इसका मतलब है कि हमने उन्हें हमेशा के लिए बदनसीब बना दिया है। मैं अस्पृश्यों के जीने के अधिकार को नहीं छीनूंगा, चाहे यह भारत के लिए आजादी हासिल करने की शर्त ही क्यों न हो। मैं खुद को असंख्य अस्पृश्यों का नुमाइंदा कहता हूं। यहां मैं सिर्फ कांग्रेस की ओर से ही नहीं, बल्कि अपनी ओर से बोलता हूं और मेरा दावा है कि अगर अस्पृश्यों का मत लिया जाएगा, तब उनके सबसे ज्यादा मत मेरे पक्ष में होंगे और मैं देश में एक कोने से दूसरे कोने तक यह बताने का काम करूंगा कि अस्पृश्यता के इस कलंक को पृथक निर्वाचन पद्धति और पृथक आरक्षण से दूर नहीं किया जा सकता,जो उनके लिए नहीं, बल्कि कट्टर हिन्दुओं के लिए शर्म की बात है।

मैं चाहता हूं कि यह समिति और सारी दुनिया इस बात को समझे कि आज हिन्दू सुधारवादियों की एक जमात है, जो अस्पृश्यता के इस कलंक को मिटाने के लिए कृत संकल्प हैं। हम अपने कागजों में जनसंख्या के आंकड़ों में अस्पृश्यों को एक पृथक वर्ग के रूप में ही नहीं चाहते। सिख हमेशा सिख के रूप में रहें, इसी तरह मुसलमान और यूरोपियन भी। क्या अस्पृश्य हमेशा अस्पृश्य रहेंगे? अगर अस्पृश्यता रहेगी,तब मुझे डर है कि कहीं हिन्दुत्व न खत्म हो जाए। इसलिए मैं डा. अम्बेडकर के प्रति और उनकी इच्छा के प्रति कि अस्पृश्यों का उद्धार हो और उनकी योग्यता के प्रति पूरे आदर के साथ अत्यंत विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जिन अत्याचारों को झेला है और उन्हें जो कड़वे अनुभव हुए हैं, उनके इस निर्णय की पृष्ठभूमि में यही काम कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है। लेकिन अगर मैं यह सब न कहूं तब मैं अस्पृश्यों के हितों के प्रति निष्ठावान नहीं रहूंगा, जो मुझे अपनी

जिंदगी से भी ज्यादा प्यारे हैं, अगर मैं कुछ न बोलूं कि मैं सारे संसार के स्वामित्व के लिए भी उनके अधिकारों के साथ कोई सौदेबाजी नहीं करूंगा। मैं यह बात पूरे उत्तरदायित्व के साथ कह रहा हूं और मैं यह कहता हूं कि जब डा. अम्बेडकर भारत के सारे अस्पृश्य की बात कहते हैं, तब उनका यह कहना उचित नहीं है कि उनके वही एक मात्र प्रतिनिधि हैं। ऐसा कहने अथवा करने से हिन्दुत्व बंट जाता है, ऐसा करने से मुझे कोई खुशी नहीं होगी। अगर अस्पृश्य लोग इस्लाम या ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं, तब मैं कर भी क्या सकता हूं। मुझे यह सब बर्दाश्त करना होगा। लेकिन अगर गांवों में घर बंट सकते हैं, तब ऐसा हिन्दुत्व किस काम का? मैं इसे सहन नहीं कर सकता। जो लोग अस्पृश्यों के लिए राजनीतिक अधिकार की बातें करते हैं, वे लोग अपने भारत को नहीं समझते, वे यह नहीं समझते कि आज भारतीय समाज की स्थिति कैसी है। इसलिए मैं अपने पूरे जोर के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इसकी मुखालफत मुझे अकेले ही करनी पड़ी, तब मैं सारी जिंदगी इसकी मुखालफत करता रहूंगा।

●

परिशिष्ट 1 *

सांप्रदायिक समस्या के समाधान के लिए मुस्लिमों, दलित वर्गों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियनों द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत मांग-पत्र

अल्पसंख्यक वर्गों की मांगे

1. सार्वजनिक नौकरियों, अधिकार व प्रतिष्ठा वाले ऊंचे पदों या नागरिक अधिकारों के उपयोग और व्यापार या व्यवसाय के मामले में किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जन्म, धर्म, जाति या वंश के कारण कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

2. किसी भी समुदाय को प्रभावित करने वाले भेदभाव युक्त कानून से संरक्षण के लिए संविधान में कानूनी सुरक्षात्मक उपायों का प्रावधान किया जाएगा।

3. सभी समुदायों को धार्मिक स्वतंत्रता अर्थात किसी भी मत में आस्था रखने, पूजा-पाठ करने, प्रचार करने, संस्थाएं संगठित करने और शिक्षा देने की स्वतंत्रता रहेगी, बशर्ते उससे सार्वजनिक शांति-व्यवस्था और नैतिक आदर्शों का उल्लघंन न होता हो।

4. अपने खर्च पर धर्मार्थ संस्थाओं, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं, स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना और उनमें अपने अपने धर्म के पालन करने का अधिकार।

5. संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों के धर्म, संस्कृति और निजी कानून के संरक्षण और उनकी शिक्षा, भाषा, धर्मार्थ संस्थाओं के प्रोत्साहन तथा राज्य और स्वायत्त संस्थाओं द्वारा दिए जाने वाले अनुदान में देय अंश के संरक्षण के लिए पर्याप्त व्यवस्था।

6. प्रत्येक ऐसे कार्य को कानून के तहत दंडनीय अपराध घोषित करना,जिसके करने या चूक होने से नागरिक अधिकारों का सभी नागरिकों के द्वारा उपयोग करने में बाधा पहुंचती हो और इन अधिकारों का सभी नागरिकों के द्वारा उपयोग सुनिश्चित किया जाना।

7. केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के मंत्रिमंडल के गठन में यथासंभव मुस्लिम समुदाय और पर्याप्त जनसंख्या वाले अन्य अल्पसंख्यक वर्ग के प्रतिनिधियों को समझौते के द्वारा शामिल किया जाना।

8. अल्पसख्यंक वर्गों के संरक्षण और उनके कल्याण के संवर्धन के लिए केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के अधीन सांविधिक विभाग होंगे।

---

*यह *फेडरल स्ट्रक्चर कमेटी एंड माइनारिटीज कमेटी* के मूल कार्यवृत्त में परिशिष्ट III के रूप में मुद्रित है, पृ. 1394-99

9. सभी समुदायों को जिन्हें इस समय किसी भी विधान-मंडल में नामजदगी या चुनाव के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है, सभी विधान-मंडलों में पृथक चुनाव के आधार पर प्रतिनिधित्व और अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधित्व का अनुपात संलग्न अनुबंध में निर्दिष्ट अनुपात से कम नहीं होगा और यदि कोई बहुसंख्यक वर्ग का है,तो उसे घटाकर अल्पसख्यंक के समान नहीं माना जाएगा,परंतु दस वर्ष बीतने के बाद पंजाब और बंगाल में मुस्लिमों या किसी भी प्रांत में वहां के किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को संयुक्त निर्वाचन या आरक्षित स्थान सहित संयुक्त निर्वाचन संबंधित समुदाय की सहमति से स्वीकार करने का अधिकार होगा।

10. प्रत्येक प्रांत में और केन्द्रीय सरकार के संबंध में लोक सेवा आयोग की स्थापना और जो स्थान गवर्नर जनरल या गवर्नरों की नामजदगी से भरे जाने हैं,उनको छोड़कर लोक-सेवाओं में नियुक्तियां इन आयोगों के द्वारा इस प्रकार की जाएगी कि कुशलता और आवश्यक योग्यता को ध्यान में रखते हुए विभिन्न समुदायों को निरंतर समुचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इस सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए गवर्नर जनरल और गवर्नरों को नियुक्तियों से संबंधित अनुदेश पत्र में और इस प्रयोजन के लिए सेवाओं के गठन की सावधिक समीक्षा करने के लिए अनुदेश दिए जाएंगे।

11. अगर कोई ऐसा विधेयक पारित किया जाता है,जो किसी विधान-मंडल में समुदाय विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से दो तिहाई सदस्यों के मत में उनके समुदाय के धर्म या धर्म पर आधारित सामाजिक आचार-विचार को प्रभावित करता है या जनता के मूल अधिकारों के मामले में एक तिहाई सदस्य आपत्ति करते हैं,तब उक्त सदस्य सदन द्वारा विधेयक के पारित किए जाने के बाद एक महीने की अवधि में सदन के अध्यक्ष को अपनी आपत्ति भेज सकेंगे,जो उस आपत्ति को गवर्नर जनरल या गवर्नर के पास, जैसा भी हो अग्रेषित करेगा और गवर्नर जनरल या संबंधित गवर्नर उस विधेयक के कार्यान्वयन को एक वर्ष के लिए स्थगित रखेगा; इस अवधि के समाप्त होने पर वह इस विधेयक को विधान-मंडल द्वारा पुन: विचार करने के लिए भेज देगा। जब ऐसे विधेयक पर विधान-मंडल द्वारा विचार हो जाए और संबंधित विधान-मंडल उस विधेयक को संशोधित या परिशोधित करना अस्वीकार कर दे,जिससे कि आपत्ति दूर हो सके तब गवर्नर जनरल या गवर्नर जैसा भी हो अपने विवेक के आधार पर उसे स्वीकृत कर सकेगा या स्वीकृति देने से मना कर सकेगा,बशर्ते इस विधेयक को संबंधित समुदाय के दो सदस्यों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती न दे दी जाए कि यह विधेयक उनके मूल अधिकारों में से किसी एक का उल्लंघन करता है।

मुसलमानों की विशेष मांगें

1. सीमाओं की सुरक्षा की विशिष्ट आवश्यकताओं को उचित रूप में ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को अन्य प्रांतों के स्तर की तरह गवर्नर के प्रांत के रूप में गठित किया जाए। प्रांतीय विधान के गठन में नामज़द सदस्यों की संख्या कुल संख्या के दस प्रतिशत

से अधिक नहीं होगी।

2. बंबई प्रेसिडेंसी से सिंध अलग किया जाए और इसे ब्रिटिश भारत में अन्य प्रांतों की तरह और उसी स्तर का गवर्नर का प्रांत बनाया जाए।

3. केन्द्रीय विधान-मंडल में मुसलमान प्रतिनिधियों की संख्या सदन की कुल संख्या का एक तिहाई होगी और केन्द्रीय विधान-मंडल में उनका प्रतिनिधित्व संलग्न अनुबंध में निर्दिष्ट अनुपात से कम नहीं होगा।

दलित वर्गों की विशेष मागें

1. यदि किसी प्रथा या रूढ़ि के कारण राज्य का कोई व्यक्ति दंडित किया जाता है, उसे हानि पहुंचाई जाती है या अयोग्य समझा जाता है या अस्पृश्यता के कारण उसके साथ कोई भेदभाव किया जाता है, तब संविधान उस प्रथा या रूढ़ि को अवैध घोषित करेगा।

2. लोक सेवा में भर्ती और पुलिस और सेना सेवाओं में नाम लिखाने के मामले में उदारता का व्यवहार ।

3. पंजाब में दलित वर्गों को पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम का लाभ, जिसके अधीन वे आते हैं।

4. किसी भी कार्यकारी अधिकारी द्वारा (दलित वर्ग के) हित के विरुद्ध कार्यवाई या उसकी उपेक्षा होने पर गवर्नर या गवर्नर जनरल को अपील भेजने का अधिकार।

5. दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व संलग्न अनुबंध में निर्दिष्ट प्रतिनिधित्व से कम नहीं होगा।

आंग्ल-भारतीय समुदाय की विशेष मांगें

1. जिन मांगों को उप-समिति संख्या-8 ने विचारार्थ स्वीकार लिया है, उनका उदार निर्वचन इस प्रकार हो कि समुदाय की विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके उचित जीवन स्तर के निर्वाह के लिए सार्वजनिक नौकरी के बारे में उसकी मांग का विशेष ध्यान रखा जाए।

2. अपनी शिक्षा संस्थाओं अर्थात यूरोपीय शिक्षा संस्थाओं के संचालन और नियंत्रण का अधिकार बशर्ते कि नियंत्रणा मंत्री का हो, मौजूदा अनुदान के आधार पर उदार और पर्याप्त सहायता अनुदान के लिए प्रावधान।

3. वैधता और वंश के प्रमाण की शर्त के बिना भारत में अन्य समुदायों के समान जूरी अधिकार और अभियुक्त द्वारा यूरोपियन या भारतीय जूरी द्वारा सुनवाई कराए जाने का अधिकार।

यूरोपीय समुदाय की विशेष मांगें

1. सभी औद्योगिक और वाणिज्यिक कार्यकलापों में भारत में जन्में व्यक्तियों के समान अधिकार और विशेषाधिकार।

परिशिष्ट- I (जारी)

अनुबंध

विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

कोष्ठकों में दिए आंकड़े--जनसंख्या आधार 1931 के आंकड़े और साइमन रिपोर्ट के अनुसार दलित वर्गों का प्रतिशत

	सदन में की सदस्य सं.	हिन्दू			मुसलमान	ईसाई	सिख	आंग्ल जनजातीय		
		जाति	दलित	कुल				भारतीय	आदि	यूरोपियन
केन्द्र										
आल इंडिया (1931)										
		(147.5)	(19)	(66.5)*	(21.5)					
उच्च	200	101	20	121	67	1	6	1	-	4
निचला	300	123	45	168	100	7	10	3	-	12
		(48.9)	(13.4)	(62.3)	(34.8)					
असम	100	38	13	51	38	3	-	1	-	10
		(18.3)	(24.7)	(43)	(54.9)					
बंगाल	200	38	35	73	102	2	-	3	-	20
		(67.8)	(14.5)	(82.3)	(11.3)					
बिहार व उड़ीसा	100	51	14	65	25	1	-	1	3	5
		(68)	(8)	(76)	(24)					
बंबई	300	88	28	116	66	2	-	1	-	13

(सिंध के अलग हो जाने पर बंबई में मुसलमानों का अनुपात उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हिन्दुओं के अनुपात के आधार पर आंका गया है।)

मध्य प्रांत		(63.1)	(23.7)	(86.8)	(44)					
	100	58	20	78	15	1	–	2	2	2
मद्रास		(71.3)	(15.4)	(86.7)	(7.1)	(3.7)				
	200	102	40	142	30	14	–	4	2	8
पंजाब		(15.1)	(13.5)	(28.6)	(56.5)		(13)			
	100	14	10	24	51	1.5	20	1.5	–	2
संयुक्त प्रांत		(58.1)	(26.4)	(84.5)	(14.8)					
	100	44	20	64	30	1	–	2	–	3

सिंध और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत	सिंध में हिंदू अल्पसंख्यकों और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में हिंदू और सिख अल्पसंख्यकों को उतना ही अनुपात दिया गया है जितना उन प्रांतों में मुसलमानों को दिया गया है जहां के अल्पसंख्यक हैं।

× ब्रिटिश भारत में गर्वनर के प्रांतों में प्रतिनिधित्व का प्रतिशत

* जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर जनसंख्या के आंकड़े

2. फौजदारी के मुकदमें की प्रक्रिया के बारे में मौजूदा अधिकारों को यथावत् रखना और उसमें संशोधन, परिवर्तन या परिशोधन करने के किसी उपाय या विधेयक का गवर्नर जनरल की पूर्व स्वीकृति के बिना न लाया जाना।

सहमति–

माननीय आगा खां (मुस्लिम)

डा. अम्बेडकर (दलित वर्ग)

राव बहादुर पन्नीर सेलवम (भारतीय ईसाई)

माननीय हेनरी गिडने (आंग्ल भारतीय)

माननीय ह्यूबर्ट कार (यूरोपियन)

परिशिष्ट I-का व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधित्व के प्रस्तावित ब्यौरे पर हिन्दुओं या सिखों की सहमति नहीं है, लेकिन केंद्रीय विधान-मंडल में पूर्ण प्रतिनिधित्व के बारे में सिखों की पूर्ण प्रतिनिधित्व की मांग का प्रावधान किया गया है।

2. विभिन्न समुदायों के लिए स्थानों का प्रस्तावित वितरण संपूर्ण योजना का प्रतीक है और विस्तृत प्रस्तावों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता।

3. स्थानों का वितरण इस सिद्धांत के आधार पर है कि बहुसंख्यक समुदाय को घटाकर किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक या किसी के समान नहीं बनाया जाएगा।

4. वाणिज्य, जमींदारों, उद्योग, श्रम आदि के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। यह अनुमान कर लिया गया कि ये स्थान अंततः समुदाय आश्रित हैं और जो समुदाय इन हितों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व चाहते हैं, वे अपने कोटे में से इसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं।

5. केंद्रीय विधान-मंडल में 33½ प्रतिशत प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इस अनुमान पर आश्रित है कि 26 प्रतिशत ब्रिटिश भारत से और कम से कम 7 प्रतिशत समझौता कर भारतीय राज्यों के लिए निर्धारित कोटे में से होगा।

6. पंजाब में मुस्लिमों, सवर्ण हिन्दुओं और दलित वर्गों से यह अनुरोध करने से कि वह अपने-अपने कुछ स्थान छोड़ दें, सिखों को 54 प्रतिशत का अनुपात मिल जाएगा और इससे उन्हें विधान-मंडल में 20 प्रतिशत स्थान दिया जाए।

7. ये प्रस्ताव 115 मिलियन लोगों अर्थात भारत की 46 प्रतिशत जनता के द्वारा स्वीकार-योग्य समझे जाएं।

परिशिष्ट-II *

विशेष प्रतिनिधित्व के लिए दलित वर्गों की मांगों के संबंध में डा. भीमराव

*पिछले ज्ञापन के लिए कांग्रेस के पहले सत्र की अल्पसंख्यक समिति के कार्यवृत्त का परिशिष्ट देखें। दिनांक 4 नवंबर 1931 का यह पूरक ज्ञापन मूल कार्यवृत्त में पृ. 1409-11 पर परिशिष्ट VII के रूप में मुद्रित है।

अम्बेडकर और राव बहादुर आर. श्रीनिवासन का पूरक ज्ञापन

स्वायत्त शासी भारत के लिए संविधान में दलित वर्गों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक उपायों के प्रश्न पर पिछले वर्ष हमने जो ज्ञापन दिया था और जो *प्रोसीडिंग्स आफ दि माइनारिटीज सब-कमेटी* के मुद्रित खंड में परिशिष्ट III के रूप में दिया गया है, उसमें हमने यह मांग की थी कि इन उपायों में से एक उपाय दलित वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन तब हमने विशेष प्रतिनिधित्व के, जिसे हमने उनके लिए आवश्यक समझा था, ब्यौरे नहीं निश्चित किए थे। इसका कारण यह था कि अल्पसंख्यक समिति की बैठकें इस प्रश्न पर पहुंचने के पूर्व ही समाप्त हो गईं। अब हम इस कमी को इस पूरक ज्ञापन के द्वारा पूरा करना चाहते हैं, जिससे उप-समिति के पास, यदि वह इस प्रश्न पर विचार करना चाहती है, ये ब्यौरे उपलब्ध रहें।

I. विशेष प्रतिनिधित्व का विस्तार

(क) प्रांतीय विधान-मंडल में विशेष प्रतिनिधित्व

1. बंगाल, मध्य प्रांत, असम, बिहार और उड़ीसा, पंजाब और संयुक्त प्रांतों में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व साइमन कमीशन और इंडियन सेंट्रल कमेटी के द्वारा अनुमानित जनसंख्या के आधार पर उसके अनुपात में होगा।

2. मद्रास में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व 22 प्रतिशत होगा।

3. बंबई में-

(I) यदि सिंध, बंबई प्रेसिडेंसी का भाग बना रहता है, तब दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिशत होगा।

(II) यदि सिंध बंबई प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया जाता है, तब दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व वही होगा, जो प्रेसिडेंसी के मुसलमानों का है, क्योंकि दोनों जनसंख्या की दृष्टि से समान हैं।

(ख) *संघीय विधान-मंडल में विशेष प्रतिनिधित्व*

संघीय विधान-मंडल के दोनों सदनों में दलित वर्गों को भारत में उनकी जनसंख्या के अनुपात के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा।

आरक्षण

हमने विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व का यह अनुपात निम्नलिखित अनुमानों के आधार पर यह निश्चित किया है-

1. हमने यह अनुमान दिया है कि साइमन कमीशन (खंड 1, पृष्ठ 40) और इंडियन सेंट्रल कमेटी (रिपोर्ट, पृष्ठ 44) ने दलित वर्गों की जनसंख्या के जो आंकड़े दिए हैं, वे स्थानों के वितरण के लिए पर्याप्त सही आंकड़ों के रूप में स्वीकार किए जाएंगे।

2. हमारा अनुमान है कि संघीय विधान-मंडल में सारे भारत की जनता के प्रतिनिधि होंगे और तब गवर्नर के प्रांतों के साथ-साथ भारतीय राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों और अपवर्जित क्षेत्रों में रहने वाले दलित वर्गों के लोगों की संख्या संघीय विधान में दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की सीमा निर्धारित करते समय उचित रूप से अतिरिक्त समझी जाएगी।

3. हमारा अनुमान है कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों का जो प्रशासनिक क्षेत्र है वह आगे भी यथावत् रहेगा।

लेकिन जनसंख्या के आंकड़ों के संबंध में अगर इन अनुमानों को चुनौती दी जाती है जैसा कि कुछ निहित-स्वार्थ वाले पक्षों ने धमकी दी है और अगर नई जनगणना में, जिस पर दलित वर्गों का कोई नियंत्रण नहीं है और इस आधार पर दलित वर्ग की जनसंख्या का अनुपात कम दिखाया जाता है या अगर प्रांतों के प्रशासनिक क्षेत्रों में परिवर्तन किया जाता है, जिसके कारण जनसंख्या का मौजूदा संतुलन बिगड़ जाता है, तब अपने प्रतिनिधित्व के अनुपात को संशोधित करने और अधिक अनुपात की मांग करने के लिए दलित वर्गों का अधिकार सुरक्षित रहेगा। इसी प्रकार अगर आल इंडिया फेडरेशन स्थापित नहीं होता है, तब वह संघीय विधान-मंडल में अपने प्रतिनिधित्व के अनुपात में पुनः समायोजन करने के बारे में सहमत होंगे।

II. प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया

1. दलित वर्गों को प्रांतीय और केन्द्रीय विधान-मंडलों के लिए अपने प्रतिनिधि अपने वोटरों के पृथक निर्वाचन-क्षेत्रों के द्वारा चुनने का अधिकार होगा। संघीय या केन्द्रीय विधान-मंडल के उच्च सदन में उनके प्रतिनिधित्व के बारे में, यदि यह निर्णय होता है कि इसके लिए प्रांतीय विधान-मंडलों से अप्रत्यक्ष चुनाव हो, तब दलित वर्ग, जहां तक उच्च सदन में उनके प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, पृथक निर्वाचन-क्षेत्र के अपने अधिकार को छोड़ने पर सहमत होगा बशर्ते किसी भी आनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली में उनकी सीटों के कोटा को सुरक्षित रखने के प्रबंध किए जाएं।

2. दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन-क्षेत्र के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और आरक्षित स्थान की प्रणाली शुरू नहीं की जा सकेगी, सिवाय इसके निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी गई हों-

(क) संबंधित विधान-मंडल में दलित वर्गों के बहुसंख्यक प्रतिनिधियों की मांग पर जनमत संग्रह हो और जिसके परिणामस्वरूप मतदान करने के योग्य दलित वर्ग के सदस्यों का पूर्ण बहुमत हो जाए।

(ख) बीस वर्ष तक और जब तक संपूर्ण वयस्क मताधिकार न प्राप्त हो जाए तब तक ऐसे किसी जनमत संग्रह की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी।

III. दलित वर्ग को परिभाषित करने की आवश्यकता

चूंकि प्रांतीय विधान-मंडलों में ऐसे लोग दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामजद किए गए,जो दलित वर्गों के नहीं थे और ऐसे दृष्टांतों की कमी नहीं है,जिन्होंने अपने को दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में नामजद करा लिया है। अत: दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व का अंधाधुंध दुरुपयोग हुआ है। यह दुरुपयोग इस कारण हुआ कि हालांकि गवर्नर को दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों को नामजद करने का अधिकार दिया गया, उनसे यह अपेक्षा नहीं की गई थी कि वह उन्हीं व्यक्तियों को नामजद करें,जो दलित वर्गों के हों। चूंकि नए संविधान के अधीन नामजदगी के स्थान पर चुनाव हुआ करेगा, अत: इस प्रकार के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कि विशेष प्रतिनिधित्व के प्रयोजन को विफल करने की कोई गुंजाइश न रहे, हम यह चाहते हैं कि -

(1) दलित वर्गों का अधिकार सिर्फ अपने लिए पृथक निर्वाचन का ही न रहे,बल्कि उनका अधिकार अपने लोगों के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाना भी रहे।

(2) प्रत्येक प्रांत में दलित वर्ग का आशय ऐसे व्यक्ति से रहे,जो ऐसे समुदाय का है, जो अस्पृश्यता जैसी प्रथा से ग्रस्त है और जिसका नाम चुनाव के प्रयोजन के लिए बनाई गई अनुसूची में उल्लिखित है।

IV. संज्ञा

इस प्रश्न के इस भाग पर विचार करते समय हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि दलित वर्ग की मौजूदा संज्ञा के बारे में दलित वर्ग के सदस्यों द्वारा आपत्ति की गई है और उन्होंने तथा इस वर्ग से बाहर के व्यक्तियों ने जिन्हें दलित वर्गों में रुचि रही है, इस बारे में विचार किया है। यह संज्ञा अप्रतिष्ठाकारी और तिरस्कारपूर्ण है। नए संविधान को तैयार करते समय इस अवसर का लाभ मौजूदा संज्ञा को बदलने के लिए किया जाए। हमारा विचार है कि इनको 'दलित वर्ग' के बजाए 'अवर्ण हिन्दू', 'सुधारवादी हिन्दू' या 'अनुदार हिन्दू' के नाम से पुकारा जाना चाहिए। किसी विशेष संज्ञा के बारे में जोर देने के लिए हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हम उनको सिर्फ सुझाव दे सकते हैं और हमारा विश्वास है कि यदि दलित वर्गों को इस बारे में ठीक ढंग से समझा दिया जाए, तब वे ऐसी संज्ञा को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं करेंगे, जो उनके लिए सबसे अधिक उचित होगी।

इस ज्ञापन में उल्लिखित मांगों का समर्थन करते हुए हमें सारे भारत के दलित वर्गों से बड़ी संख्या में तार प्राप्त हुए हैं।

11

भारतीय संवैधानिक सुधार विषयक संयुक्त समिति के समक्ष लिया गया साक्ष्य

डा. भीमराव अम्बेडकर द्वारा परीक्षित साक्षीगण

यूरोपीय लोक सेवकों, भारतीय पुलिस संघ और सिविल इंजीनियर्स एसोसिएशन की ओर से माननीय पैट्रिक जेम्स फगन, के.सी.आई.ई., सी.एस.आई., एफ.आर.ए.एस., श्री ई.बी. लवलक, श्री विल्फ्रेड हेराल्ड शूबर्ट, श्री यूसटेस आर्थर सिसिल किंग, श्री हेनरी रोबर्ट ड्रोप, श्री फ्रेडरिक वाइने राबर्टसन, माननीय ईवान्स काटन, श्री हेराल्ड लान्सलोट न्यूमेन और श्री सेल

382. डा. भीमराव. अम्बेडकर*: कुछ ही देर पहले आपने कहा था कि भारतीय प्रेस और भारत के राजनीतिज्ञों का रवैया भारतीय पुलिस सेवा के प्रति बहुत ज्यादा विरोधी हैं?

माननीय पी.जे.फगन: हां।

383. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं माननीय रोनाल्ड क्रेड्डोक द्वारा लिखित कार्यवृत्त में से एक छोटा-सा उद्धरण आपको पढ़कर सुनाना चाहूंगा,जो ली आयोग रिपोर्ट, पृष्ठ 132,. पैरा 10 में नीचे से कुछ पंक्तियों से पहले लगा है। मैं जिस पैरा की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं,वह यह है:

> जिन लोगों ने हमारे समक्ष साक्ष्य दिया है,उनमें से अनेक का यह विश्वास है कि नए विधान-मंडलों द्वारा समय-समय पर प्रदर्शित विरोध पूर्णतया इस तथ्य की वजह से पैदा हुआ है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य उन पर बाहर से थोपे जाते हैं, और इन सेवाओं के लिए नई भर्ती इन निहित स्वार्थों को अनिश्चित काल तक बढ़ाती रहेगी; किंतु एक बार हस्तांतरित क्षेत्र में नियंत्रण, भारत मंत्री, भारत सरकार या स्थानीय शासन के हाथ में चला जाए,तो सारा विद्वेष और शत्रुता विलुप्त हो जाएगी।

मैं जानना चाहता हूं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं?

---

* *मिनिट्स आफ एविडेंस*, खंड 2 -क, 13 जून 1933, पृ. 69-70,

माननीय पी.जे.फगन: नहीं, मैं नहीं समझता ऐसे पर्याप्त आधार हैं कि इस कथन से सहमत हुआ जा सके। निस्संदेह, यदि ऐसा हो तो अच्छा होगा; इन संघों के पास इस कथन से सहमत होने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है उनका दृष्टिकोंण अचानक बदल जाएगा।

384. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या आप इस तथ्य को नहीं समझते कि आप भारतीय विधान-मंडल के नियंत्रण से बाहर रहना चाहते हैं और नई सरकार स्वयं ऐसा कोई काम करेगी, जो आपके खिलाफ जनमत खड़ा करने के लिए काफी होगा।

श्री डब्लयू. एच. शूर्बट: महोदय! हम नियंत्रण से बाहर रहना नहीं चाहते। हम केवल यह चाहते हैं कि हमें वर्तमान अधिकार, हमारी पेंशन और हमारी परिवारिक पेंशन सुरक्षित रखे जाएं। हमारी किंचित मात्र अभिलाषा नहीं है कि हम नियंत्रण से बाहर रहें।

385. डा. भीमराव अम्बेडकर: उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपको उन सब अधिकारों की गारंटी जो इस सम्मेलन में भारतीय सिविल सेवकों के विधि सम्मत अधिकार के रूप में तय कर लिए जाए, स्थानीय और केन्द्रीय विधान-मंडलों द्वारा पारित अधिनियमों के अधीन भारतीय विधान-मंडलों द्वारा दे दी जाए, तो क्या इससे आपको पर्याप्त संरक्षण मिल जाएगा?

माननीय पी.जे.फगन: हम वित्तीय स्थिति के बारे में आशंकित हैं।

386. डा. भीमराव अम्बेडकर: यह दूसरी बात है। भारतीय विधान-मंडल आपकी सेवाओं और अन्य विषयों के लिए धन जुटा पाएगा अथवा नहीं, यह एक अलग बात है?

माननीय पी.जे. फगन: ठीक है।

387. डा. भीमराव अम्बेडकर: किन्तु आपकी सेवा शर्तों के बारे में से जिस बात पर जोर देना चाहता हूं वह यह है: मान लीजिए, वे भारतीय विधान-मंडलों के अधिनियमों (*सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल* द्वारा बनाए गए नियमों) द्वारा विनियमित की जाएं, तो आप के विचार में इससे आपको पर्याप्त संरक्षण मिल सकेगा या नहीं?

माननीय पी. जे. फगन: नहीं।

श्री डब्ल्यू.एच शूबर्ट: ऐसे अधिनियम भावी राष्ट्रवादी सरकारों द्वारा रद्द किए जा सकते हैं।

388. डा. भीमराव अम्बेडकर: मान लीजिए, ऐसा उपबंध कर दिया जाए कि कोई अधिनियम अकस्मात निरस्त नहीं होगा?

माननीय पी. जे. फगन: मेरे विचार में, मैं यह कह सकता हूं कि संघ इसे निश्चय ही पर्याप्त संरक्षण नहीं मानेंगे।

389. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं वह बात कहना चाहता हूं, जिसे आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया है कि भारत में प्रेस तथा राजनीतिज्ञों दोनों की ओर से आपका बहुत अधिक विरोध हो रहा है। क्या यह सही नहीं है कि आप ऐसे रक्षा उपायों की मांग कर

रहे हैं,जिनका परिणाम यह होगा कि आप प्रेस एवं विधान-मंडल में व्यक्त विधिसम्मत जनमत के क्षेत्राधिकार से पूरी तरह बाहर हो जाएंगे?

माननीय पी.जे.फगन: नहीं, मैं नहीं समझता कि इससे हम क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएंगे। मैं कहूंगा, निश्चित रूप से नहीं। निश्चय ही, मैं नहीं समझता कि इससे वे स्वस्थ जनमत के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएंगे।

390. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं पुन: आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप यह नहीं सोचते कि यदि आप भारतीय मंत्रियों की सम्मति से भारतीय विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के नियंत्रणाधीन होंगे,तो आपको स्वयं भारतीय मंत्रियों से उस समय बेहतर संरक्षण मिलेगा,जब प्रेस में या जनता द्वारा आपकी आलोचना की जाए, जो क्षेत्राधिकार से बाहर रहकर नहीं मिल पाएगा?

माननीय पी. जे. फगन: नहीं, मेरे विचार में संघों का यह मत नहीं होगा।

391. डा. भीमराव अम्बेडकर: आपने अभी अपने इस कथन के समर्थन में साइमन कमीशन की रिपोर्ट में से कुछ उद्धरण पढ़े हैं। क्या यह सच नहीं है कि सर जान साइमन को विधि और व्यवस्था को हस्तांतरण करने की सिफारिश अपनी इच्छा के विपरीत करनी पड़ी,क्योंकि वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि इसे आरक्षित विषय रखने से उस विभाग में कार्यरत सेवाओं को अत्यधिक आलोचना का शिकार होना पड़ेगा?

माननीय पी. जे. फगन: मेरे विचार में यह भी एक ऐसा विषय है,जिस पर बेहतर होगा कि हम बात न करें। यह बहुत अधिक विवादास्पद विषय है, इस पर अलग-अलग मत हैं। इस विषय पर सर जान साइमन और, मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या आप इससे सहमत हैं कि इसी कारण इसे साइमन कमीशन की रिपोर्ट में स्थान मिला है?

माननीय आस्टिन चेम्बरलेन: साक्षी पहले ही कह चुका है कि उसे इस प्रश्न का उत्तर देने से माफ किया जाए।

डा. भीमराव अम्बेडकर: यदि वह इसका उत्तर देना नहीं चाहते,तो मैं इस पर जोर देना नहीं चाहता।

माननीय आस्टिन चेम्बरलेन: निश्चय ही, यह सिविल सेवा के प्रतिनिधियों पर दबाव डालने के लिए उचित प्रश्न नहीं है,जो अपनी विशेष स्थिति और दावों को व्यक्त करने के लिए आए हैं, न कि भारत में सामान्य सुधार संबंधी चर्चा में भाग लेने के लिए।

डा. भीमराव अम्बेडकर: सर जान साइमन ने विधि और व्यवस्था के हस्तांतरण के लिए जो कारण बताया है, वह यह है कि इस विभाग को विधान-मंडल और मंत्री के नियंत्रण से बाहर आरक्षित रखने से प्रेस और जनता उसकी आलोचना करेंगे।

वाइकाउंट बर्नम: *स्टेट्यूटरी कमीशन* के सदस्य के नाते डा. अम्बेडकर ने जो कुछ

कहा है वह अत्यंत भ्रामक वृतांत है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: संभव है, मैंने उसे गलत पढ़ा हो।

(2)

श्री सच्चिदानंद सिन्हा, बेरिस्टर एट लॉ, एम.आई.सी.

1985. डा. भीमराव. अम्बेडकर*: सबसे पहले मैं आपसे गवर्नर के विशेष अधिकारों के बारे में, विशेषकर शांति और व्यवस्था भंग होने की रोकथाम करने संबंधी कार्रवाई और उसके अधिकार के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि अनुमति हो तो मैं आपका ध्यान हस्तांतरित विषयों के प्रशासन के बारे में विद्यमान स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। क्या भारत सरकार अधिनियम आपको मिल गया है?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: हां।

1986. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या आप भारत सरकार अधिनियम की धारा 52 को देखेंगे?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: हां।

डा. भीमराव. अम्बेडकर: मैं आपके सामने भारत सरकार अधिनियम की धारा 45 का हवाला देना नहीं चाहता–इसमें हस्तातंरित और आरक्षित विषयों के वर्गीकरण का उपबंध किया गया है, यह हम जानते हैं। मैं केवल नियंत्रण के प्रश्न पर बात कर रहा हूं। यदि आप धारा 52 को देखें जो उपधारा (1) के अनुसार: "प्रांत का गवर्नर अधिसूचना द्वारा, उन लोगों को मंत्री नियुक्त कर सकता है, जो उसकी कार्य-परिषद के सदस्य नहीं हैं" आदि, आदि।

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: जी हां।

1988. डा. भीमराव अम्बेडकर: इसके बाद हम उपधारा (3) पर आते हैं,इसमें लिखा है-- "हस्तांतरित विषयों के बारे में गवर्नर अपने मंत्रियों की सलाह से काम करेगा, जब तक कि उसे उनकी राय से भिन्न राय रखने का कोई पर्याप्त कारण दिखाई न दे। उस स्थिति में वह उस सलाह से अलग कार्रवाई किए जाने की अपेक्षा कर सकता है।"

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: जी हां।

1989. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं आपका ध्यान जिस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं,वह यह है कि इस धारा का यह आशय नहीं है कि जहां कहीं गवर्नर समझे कि शांति और व्यवस्था संकट में है, वहां यह अपने मंत्रियों की राय को अस्वीकार करेगा।

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: जी नहीं।

1990. डा. भीमराव अम्बेडकर: इस धारा में विशिष्ट उपबंध नहीं किया गया है, जैसा कि अब श्वेत पत्र में किया गया है?

---

* मिनट्स आफ एविडेन्स, खंड 21-क, 22 जून 1933, पृ. 256-58

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: नहीं, ऐसा ही है।

1991. डा. भीमराव. अम्बेडकर: आप *इंस्ट्रूमेंट आफ इंस्ट्रक्शंस* देखें, जो गवर्नर को जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि किन-किन स्थितियों में उसे मंत्रियों की सलाह के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री सच्चिदानन्द सिन्हा: मेरे पास यहां पर उसकी प्रति नहीं है।

1992. डा. भीमराव अम्बेडकर: आप उस पुस्तक के पृष्ठ 269 पर देख सकते हैं।

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: हां, यह मेरे पास है।

1993. डा. भीमराव अम्बेडकर: *इंस्ट्रूमेंट आफ इंस्ट्रक्शंस* के पृष्ठ 270 पर खंड vi में कहा गया है--"किसी मंत्री की सलाह पर विचार करते समय और यह फैसला करते समय कि किसी मामले में उसकी राय से मतभेद रखने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं; आपको विधान परिषद से उसके संबंध एवं प्रेसिडेन्सी के जन-प्रतिनिधियों द्वारा व्यक्त की गई वहां की जनता की इच्छा को भी ध्यान में रखना होगा।" दूसरे शब्दों में, गवर्नर वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत मंत्री को हस्तांतरित विभागों के विषय में उसकी सलाह को तभी अस्वीकार कर सकता है, जब उसका निष्कर्ष यह हो कि मंत्री को विधान-मंडल का अथवा निर्वाचन-क्षेत्र का समर्थन प्राप्त नहीं है।

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: मैं मानता हूं, ऐसा है।

1994. डा. भीमराव अम्बेडकर: स्पष्टता की दृष्टि से, यदि अनुमति हो तो, मैं यह कहना चाहूंगा: हस्तांतरित विभागों का प्रशासन करने की वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत गवर्नर को शांति और सौहार्द्र व्यवस्था कायम रखने के लिए, विशेष निषेधाधिकार (नीटो) प्राप्त नहीं है, जो अधिकार गवर्नर को खंड (क) के अधीन दिया गया है।

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: ऐसा ही है।

1995. डा. भीमराव अम्बेडकर: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आज विधि और व्यवस्था विभाग एक आरक्षित विषय हैं, वह निस्संदेह, इस विभाग के क्षेत्र के अंतर्गत अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्रवाई कर सकता है?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: हां।

1996. डा. भीमराव अम्बेडकर: किन्तु वह मंत्री के पास जाकर यह नहीं कह सकता, हालांकि आप हस्तांतरित विभाग से संबद्ध हैं, मैं आपकी सलाह स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि जो कार्रवाई आप करना चाहते हैं, वह शांति और व्यवस्था के लिए घातक होगी?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: जी नहीं।

1997. डा. भीमराव अम्बेडकर: इस प्रकार, अंततोगत्वा, यह एक प्रतिगामी उपबंध है?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: बेशक।

1998. डा. भीमराव अम्बेडकर: आज मंत्री अपने विभाग में जो चाहे कार्रवाई कर सकता है। श्वेत पत्र (मान लें कि श्वेत पत्र पारित हो जाता है) की नई योजना के तहत प्रत्येक विभाग एक हस्तांतरित विभाग होगा। शांति और व्यवस्था कायम रखने के अपने विशेष अधिकार से उत्पन्न गवर्नर का निषेधाधिकार एक विशेष विधि और व्यवस्था विभाग तक सीमित रहने के बजाय, हर विभाग तक विस्तारित हो जाएगा।

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: हां।

1999. डा. भीमराव अम्बेडकर: उस सीमा तक हर विभाग में उत्तरदायित्व का ह्रास हो जाएगा, हालांकि प्रत्येक विभाग एक हस्तांतरित विभाग होगा?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: ऐसा ही है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: अब मैं सेवाओं के प्रश्न पर आना चाहूंगा। आप परिशिष्ट 7 देखें, जिसमें वे उनका उल्लेख किया गया है. . .।

वाईकाउंट बर्नम : अध्यक्ष महोदय! व्यवस्था के मुद्दे पर, इस बारे में हमें यही स्पष्टीकरण दिया गया था कि प्रांतों के गवर्नरों के वर्तमान अधिकार क्या हैं, किन्तु हमें यह नहीं बताया गया कि उनका उल्लेख कहां पर किया गया है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: मैंने भारत सरकार अधिनियम की धारा 52 (1) की ओर ध्यान आकृष्ट किया था।

वाईकाउंट बर्नम: किसके प्राधिकार पर यह स्पष्टीकरण दिया गया है?

डा. भीमराव अम्बेडकर: मुझे नहीं मालूम।

वाईकाउट बर्नम: यह स्पष्टीकरण देने के लिए आपको किसने प्राधिकृत किया है?

2000. डा. भीमराव अम्बेडकर: अधिनियम के बारे में मेरा यह अपना निर्वचन है और साक्षी इससे सहमत हैं। मैं धारा 52 और *इस्ट्रुमेन्ट आफ इंस्ट्रक्शन* का हवाला देता हूं जो अधिनियम का अंग है। अब सेवाओं के प्रश्न के बारे में, परिशिष्ट 7 में, आप देखेंगे-- मैं हर मुद्दे का विनिर्दिष्ट तौर पर हवाला देना नहीं चाहता कि उसमें यह उपबंध किया गया है कि *स्टेट इन कौंसिल* सेवा शर्तों के वर्गीकरण और विनियमन संबंधी समस्त शक्तियां अपने पास रखेगा।

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: हां।

2001. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं अब धारा 96 ख, उप धारा (2) का उल्लेख करना चाहूंगा। वह इस प्रकार है- "*सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल* भारत में सिविल सेवाओं का वर्गीकरण उनकी भर्ती की पद्धतियां, उनकी सेवा शर्तों, वेतन और भत्ते और अनुशासन तथा आचरण को विनियमित करने वाले नियम बना सकेगा" तथा आगे "ऐसे नियम, उस सीमा तक और उन विषयों के बारे में, जो विहित किए जाएं, नियम बनाने के अधिकार *गवर्नर जनरल इन कौंसिल* या स्थानीय सरकारों को प्रत्यायोजित कर सकेंगे, अथवा लोक सेवाओं

को विनियिमित करने वाली विधियाँ बनाने के लिए भारतीय विधान-मंडल को अथवा स्थानीय विधान-मंडलों को प्राधिकृत कर सकेंगे।"

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: जी हां।

2002. डा. भीमराव अम्बेडकर: इस प्रकार भारत सरकार अधिनियम के अधीन आशय यह था कि परिलब्धियों तथा सेवा शर्तों के बारे में नियम बनाने के इस अधिकार को गवर्नर जनरल अथवा भारतीय विधान-मंडलों को हस्तांतरित किया जाए?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: अथवा स्थानीय सरकारों को।

2003. डा. भीमराव अम्बेडकर: और आशय यह था कि सेवा-शर्तें ऐसी हों कि भारत में आरंभ की जाने वाली नई शासन-प्रणाली उन्हें आत्मसात कर सकें?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: यही आशय प्रतीत होता है।

2004. डा. भीमराव अम्बेडकर: उदाहरण के लिए, यदि परिशिष्ट 7 में जो उपबंध दिए गये हैं वे अधिनियमित कर दिए जाएं, तो भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत भारतीय प्राधिकारियों पर नियंत्रण बढ़ाने की प्रगति रुक जाएगी?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: इसीलिए मैंने अपने ज्ञापन में कहा है कि लोक सेवाओं से संबंधित प्रस्ताव भारत के लिए संतोष जनक नहीं है।

2005. डा. भीमराव अम्बेडकर: यह बहुत जरूरी है और इसका उपबंध वस्तुत: भारत सरकार अधिनियम में ही कर दिया गया है, कि इन अधिकारों का प्रयोग *सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौंसिल* द्वारा किया जा रहा है और वे उचित शर्तों के अधीन भारतीय विधान-मंडल को प्रत्यायोजित की जा सकती हैं।

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: हां।

2006. डा. भीमराव अम्बेडकर: यदि श्वेत पात्र के प्रस्ताव अधिनियमित कर दिए जाएं, तो हस्तांतरण की यह प्रक्रिया रुक जाएगी?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: स्पष्ट रूप से।

2007. डा. भीमराव अम्बेडकर: साथ ही, सेवाओं के अधिकारों की कुछ विनिर्दिष्ट मदों को लीजिए। उदाहरण के लिए, पृष्ठ 121 पर 14 को लीजिए--"गवर्नर की वैयक्तिक सहमति, औपचारिक निन्दा", आदि-आदि; 15: नियुक्ति के बारे में गवर्नर की वैयक्तिक सहमति ; 16: किसी वरिष्ठ अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध गवर्नर से शिकायत करने का अधिकार", आदि-आदि। अब, सेवा शर्तों के रूप में वे अधिकार वास्तव में अंतिम नहीं हैं; वे विकासशील चरण पर हैं। ये इसलिए अधिनियमित की गई थी, क्योंकि किसी को भी निश्चित रूप से पता नहीं था कि मंत्री की प्रतिक्रिया क्या होगी?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: डा. अम्बेडकर आपका प्रश्न क्या है?

2008. डा. भीमराव अम्बेडकर: मेरा प्रश्न है-जो सेवा शर्तें अधिकथित की गई हैं और

जिनकी ओर मैंने अपना ध्यान आकृष्ट किया है उनमें से कुछ प्रयोग के तौर पर अधिनियमित की गई थीं, ताकि यह पता चल सके कि जनता का चुना हुआ मंत्री और सिविल सेवा के बीच किए गए इस प्रयोग का अंततः क्या परिणाम होगा?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: जी हां।

2009. डा. भीमराव अम्बेडकर: यह आशय नहीं था कि उनको अंतिम माना जाए।

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: नहीं, मैं मानता हूं।

2010. डा. भीमराव अम्बेडकर: और यदि वे वर्तमान रूप में अधिनियमित कर दिए जाएं,तो मैं पुनः कहूंगा कि उत्तरदायी शासन प्रणाली में सिविल सेवा की शर्तों को आत्मसात करने की प्रक्रिया रुक जाएगी।

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: जी हां।

2011. डा. भीमराव अम्बेडकर: इस केंद्रीय उत्तरदायित्व के बारे में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। सर हेनरी गिडने के एक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा था कि फेडरेशन के उद्घाटन के लिए तारीख नियत किए जाने के लिए आप बहुत उत्सुक हैं?

श्री संच्चिदानंद सिन्हा: हां।

2012. डा. भीमराव अम्बेडकर: इसके विपरीत, जैसा कि आपको विदित है, इस बात पर जोर दिया जाता है कि कोई खास तारीख नियत करना असंभव है,क्योंकि अनिश्चितता के अनेक तत्व विद्यमान हैं,जैसे हो सकता है देशी राज्य के शासक विहित समय पर अपनी स्वीकृति न दें और आप यह भी जानते हैं कि इससे बचने के लिए श्वेतपत्र में कुछ अस्थायी उपबंध अधिनियमित किए गए हैं। क्योंकि इस मुद्दे पर मैं आपकी राय लेने के लिए उत्सुक हूं, मैं यह सुझाव दे रहा हूं; मान लीजिए, अपेक्षित संख्या में देशी राज्यों के प्रवेश के लंबित रहते हुए केन्द्रीय विधान-मंडल में अंशतः पदाधिकारियों और अंशतः गैर शासकीय लोगों के एक नामजद दल के साथ तुरंत आरंभ कर दिया जाए,ताकि संघ तब तक अधर में न लटका रहे,जब तक उसमें अपेक्षित संख्या में देशी राज्य शामिल न हो जाएं, क्या आपको इस प्रकार की पद्धति पर कोई आपत्ति होगी?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: मैं इस बारे में बिना सोचे समझे अपनी कोई राय नहीं दे सकता, किन्तु इस विषय पर विचार-विमर्श किया जा सकता है। यह मुद्दा विचारणीय है।

2013. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं उस मुद्दे को स्पष्ट करवाना चाहता हूं। मैं यह मान लेता हूं कि आप इस स्थिति से सहमत नहीं हैं कि केन्द्र में उत्तरदायित्व की पूर्व शर्त यह हो कि देशी रियासतों के राजाओं के साथ ब्रिटिश भारत का एक संघ हो?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: मैं कोई राय व्यक्त करना नहीं चाहता,क्योंकि मेरा मानना है कि श्वेत पत्र में उल्लिखित प्रस्ताव गोलमेज सम्मेलन में तय किए गए थे।

2014. डा. भीमराव. अम्बेडकर: मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है: श्वेत पत्र को छोड़

दें। आप यह नहीं कहते अथवा आप इस बात के लिए राजी नहीं हैं कि संघ बनने पर ही ब्रिटिश भारत में केन्द्रीय सरकार को उत्तरदायी सरकार बना सकते हैं?

श्री सच्चिदानंद सिन्हा: नहीं, श्वेत पत्र से अलग हट कर नहीं।

श्री बटलर: आगे बढ़ने से पहले, अध्यक्ष महोदय! मैं यह कहना चाहूंगा कि हम वर्तमान भारत सरकार अधिनियम के इन प्रश्नोत्तरों में दिए गए निर्वचनों, विशेषकर उन परिसीमाओं को स्वीकार नहीं कर सकते,जो वर्तमान सरकार के अनुदेशों के खंड VI और वर्तमान भारत शासन अधिनियम की धारा 52 के अधीन धारित की गई है।

(3)

नरेन्द्र मंडल की ओर से मीर मकबूल महमूद,
डा. पी.के. सेन, श्री के.एम. पणिक्कर और श्री बी. काक

3000. डा. भीमराव अम्बेडकर*: इन प्रश्नों से जो कुछ सामने आया है,उसे मैं अपनी दृष्टि से पेश करना चाहता हूं। आपको विदित है कि श्वेत पत्र में संघ के उद्घाटन के लिए एक शर्त निर्धारित की गई है, वह है देशी राज्यों की एक निश्चित संख्या इसमें शामिल हो। इसके बाद वित्त के हस्तांतरण के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त निर्धारित की गई है, वह है बैंक की स्थापना। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि, यदि वित्त एक हस्तांतरित विषय न हो,तो क्या देशी राज्य राजाओं के संघ में शामिल होने के लिए तैयार होंगे?

मीर मकबूल महमूद: इस प्रश्न के बारे में मुझे कोई निश्चित निर्देश नहीं दिए गए हैं, लेकिन उनकी बातचीत के रवैये से मैं नहीं समझता कि वे इसके लिए तैयार होंगे।

3001. डा. भीमराव अम्बेडकर: यदि वित्त हस्तांतरित विषय नहीं होगा,तो वे संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं होंगे?

मीर मकबूल महमूद: मैं ऐसा नहीं मानता।

3002. डा. भीमराव अम्बेडकर: अब अन्य विषयों को लें, आपने पिछली बार जो साक्ष्य दिया था,उसके दौरान, मीर मक़बूल! आपने कहा था कि यदि समस्त राजा-महाराजा संघ में तुरंत शामिल न हों,तो आप एक ऐसी व्यवस्था शुरू करना चाहेंगे,जिससे जो राजा-महाराजा संघ में शामिल होते हैं उन्हें संघ में शामिल न होने वालों की तुलना में विशेष रुप से मतों का लाभ उठाने का अवसर दिया जायेगा। मैंने ठीक पूछा है न?

मीर मकबूल महमूद: इससे स्थिति का केवल एक पहलू प्रकट होता है।

3003. डा. भीमराव अम्बेडकर: यह वही स्थिति है,जिसे आप मानते हैं?

मीर मकबूल महमूद: यह अर्ध सत्य है, पूर्ण नहीं। हम स्थिति के दो पहलू मानते हैं।

3004. डा. भीमराव अम्बेडकर: आपके महासंघ को मैं जानता हूं, ?

मीर मकबूल महमूद: नहीं, एक पहलू यह है, कि जो राज्य शामिल हो रहे हैं, वे इस

---

*मिनिट्स आफ ऐविडेन्स, खंड 11-क, 27 जून 1933, पृ. 372-76

धारणा पर ऐसा करेंगे कि संघ राज्यों की स्थिति इस प्रकार होगी–उच्च सदन में 40 प्रतिशत और निचले सदन में एक-तिहाई। यह उन राज्यों के बारे में हैं जो अलग-अलग शामिल हो गये हैं; दूसरे उन राज्यों के बारे में, जो अभी बाहर हैं, वह यह है कि संघ के फैसलों से वे भी प्रभावित होंगे। ये दो पहलू हैं, और मैं समझता हूं,आपका प्रश्न दूसरे के बारे में है।

3005. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं चाहता हूं आप इस मुद्दे पर एकाग्रता रखें, यदि आप ठीक समझें, मैं समझता हूं कि पिछली बार आपकी बात से मैं यह समझा था कि आप अन्य शर्तों के साथ-साथ एक शर्त यह भी रखना चाहते थे कि यदि सारे देशी राज्य शुरू में एकदम संघ में शामिल न हों और यदि कुछ शामिल हो जाएं और कुछ बाहर रहें तो आप ऐसे प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को ज्यादा पसंद करेंगे, जिसमें संघ में शामिल होने वालों राज्य प्रतिनिधि तौर पर उन राज्य के मत डालने की मांग करेंगे या डालेंगे जो संघ में शामिल नहीं हुए हैं। यही स्थिति है न?

मीर मकबूल महमूद: जी हां।

3006. डा. भीमराव अम्बेडकर: इस बारे में अब जो कुछ मैं आपसे पूछना चाहता हूं वह है, उन राज्यों की स्थिति क्या होगी,जो शुरू में संघ में शामिल नहीं होंगे,किन्तु जिनके मतों का उपयोग कराधान तथा परिसंघीय विधान के संबंध में उन राज्यों ने किया,जो संघ में शामिल हुए हैं,क्या संघीय विधान उन रियासतों में लागू होंगे,जो संघ में शामिल ही हुए हैं किन्तु जिनके मतों का उपयोग किया गया है?

मीर मकबूल महमूद: संक्षेप में स्थिति वही रहेगी,जो आज है।

3007. डा. भीमराव अम्बेडकर: नहीं, मेरा मुद्दा इस प्रकार है, क्या संघीय विधि उन राज्यों में प्रवृत्त होगी,जो संघ में शामिल नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी मत शक्ति का उपयोग उन राज्यों द्वारा किया गया है,जो संघ में शामिल हो गए हैं।

मीर मकबूल महमूद: इसके बावजूद कराधान के कुछ मामलों में, यह लागू होगी। दूसरे विषयों में बातचीत के द्वारा लागू होगी।

3008. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या संघ के वे सदस्य राज्य मान जाएंगे?

मीर मकबूल महमूद: जी नहीं।

3009. डा. भीमराव अम्बेडकर: नहीं मानी जाएंगी?

मीर मकबूल महमूद: जी नहीं।

3010. डा. भीमराव अम्बेडकर: और फिर भी उनके मतों का उपयोग किया जाएगा?

मीर मकबूल महमूद: हां वैसे ही जैसे कनाडा के संविधान के अनुच्छेद 147 के अधीन, नोवा स्कोर्शिया तथा न्युबुंसविक ने सीनेट में एडवर्ड द्वीप के मत का इस्तेमाल किया था, यह मानते हुए कि एडवर्ड द्वीप संघ का एक राज्य है।

3011. डा. भीमराव अम्बेडकर: अब मैं राष्ट्रीयता के बारे में कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम आपमें से कौन सज्जन इस विषय पर अपना पक्ष पेश करेंगे। मेरे विचार में यह तो सभी का कहना है कि कानूनी दृष्टि से ब्रिटिश भारत के लिए देशी राज्य के लोग परदेशी हैं।

श्री के.एम.पणिक्कर: वे ब्रिटिश संरक्षित लोग हैं, किन्तु, कानून की दृष्टि में, वे परदेशी हैं।

3012. माननीय हरि सिंह गौड़: क्या वे ब्रिटिश प्रजा नहीं हैं?

मीर मकबूल महमूद: नहीं, वे ब्रिटिश प्रजा नहीं हैं।

3013. डा. भीमराव अम्बेडकर: वे ब्रिटिश भारत में जिसे विदेशियों विषयक अधिनियम कहते हैं,उसके अंतर्गत आते हैं।

मीर मकबूल महमूद: मैं ऐसा नहीं समझता।

3014. डा. भीमराव अम्बेडकर: आप मेरा कहना मानें कि वे परदेशी हैं। खैर, यह सब मानते हैं कि वे ब्रिटिश प्रजा नहीं है, और मेरा अनुमान है, आप इस स्थिति को नियमित करना नहीं चाहते,जो अखिल भारतीय संघ के अनुरूप और अनुकूल होगी कि एक सामान्य भारतीय राष्ट्रीयता हो?

मीर मकबूल महमूद: ऐसा इरादा नहीं था।

3015. डा. भीमराव अम्बेडकर: इसलिए मैं यह मान लूं कि इसका परिणाम यह होगा कि अब जो स्थिति है,यदि वही चलती रहे तो परदेशी लोग (मेरा मतलब है देशी राज्यों की जनता) मताधिकार के हकदार होंगे, संघ और प्रांतों के विधान-मंडलों के सदस्यों के रूप में खड़े होने के हकदार होंगे और सम्राट की प्रजा न होते हुए भी, सम्राट के अधीन विश्वास का पद ग्रहण करने के अधिकारी होंगे?

मीर मकबूल महमूद: यह अब भी संभव है।

3016. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं जानता हूं, संभव है।

मीर मकबूल महमूद: यह अब भी हुआ है।

3017. डा. भीमराव अम्बेडकर: लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं वह है कि क्या आप इसे एक विसंगति नहीं मानते?

मीर मकबूल महमूद: हम ऐसा नहीं समझते।

3018. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या आप ऐसा कोई संविधान बता सकते हैं,जिसके अधीन किसी परदेशी को मताधिकार प्राप्त हो, वह विधान-मंडल के सदस्य के रूप में खड़े होने का अधिकारी हो और कोई विश्वास का पद धारण करने के लिए भी हकदार हो?

मीर मकबूल महमूद: हमारे प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सर पी. पट्टणी एक्जीक्यूटिव कौंसिल (कार्यकारी परिषद) के सदस्य थे।

3019. डा. भीमराव अम्बेडकर: मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे जिस बात का आग्रह कर रहा हूं,वह यह है कि यह एक विसंगति है,जो अन्य किसी भी संघ में नहीं मिलती?

मीर मकबूल महमूद: इस समय मैं कोई उदाहरण नहीं दे सकता।

3020. डा. भीमराव अम्बेडकर: आप समझते हैं यह एक बहुत व्यापक व्यवस्था है जिसमें भारतीय राज्य का कोई भी व्यक्ति सम्राट के अधीन विश्वास का पद धारण कर सकता है और फिर भी वह विदेशियों संबधी अधिनियम के अधीन रहे?

मीर मकबूल महमूद: जब तक वह संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है।

3021. डा. भीमराव-अम्बेडकर: क्या आप समझते हैं कि इससे वह विदेशियों संबंधी अधिनियम के क्षेत्राधिकार से बाहर हो जाएगा?

मीर मकबूल महमूद: यदि आपके लिए इस अधिनियम पर पुनर्विचार करना आवश्यक है,तो आप ऐसा कर सकते हैं।

3022. डा. भीमराव अम्बेडकर: यही मुद्दें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अत: क्या एक सामान्य भारतीय राष्ट्रीयता का होना वाछंनीय नहीं है?

मीर मकबूल महमूद: हमने इस स्थिति की कानूनी उलझनों पर विचार नहीं किया है।

3023. श्री जयकर : क्या सामान्य राष्ट्रीयता से इस प्रश्न पर राजा-महाराजाओं ने कभी विचार किया है?

मीर मकबूल महमूद: जी हां।

3024. डा. भीमराव अम्बेडकर: और वे इसका अनुमोदन नहीं करते।

डा. पी.के.सेन: राजा-महाराजाओं ने, रियासतों के शासकों के प्रति निष्ठा के अधीन रहते हुए ब्रिटिश सम्राट के प्रति अपनी प्रजा की निष्ठा से इंकार नहीं किया है। अर्थात इस अर्थ में अनुपूरक निष्ठा पर हमेशा विचार किया गया है और इसलिए उन्हें भारत के प्रांतों में ब्रिटिश भारतीयों के रूप में वही विशेषाधिकार दिए गए हैं।

3025. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं उस कानूनी स्थिति की बात कर रहा हूं जो होगी?

मीर मकबूल महमूद: यदि मुझे इजाजत हो तो मैं आदर सहित कह सकता हूं कि मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के मामले में अनुरूपता से हमें बहुत अधिक मदद मिलेगी क्योंकि भारत में राज्यों की स्थिति और सम्राट के साथ उनका संबंध निस्संदेह अद्वितीय है और इसलिए इस प्रकार की अनुरूपता से आप कोई मदद नहीं ले सकते। किन्तु वास्तविकता यह है कि राष्ट्रीयता का प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण है और मैं यह मानता हूं कि विचार-विमर्श के बाद कोई उचित हल ढूंढा जा सकता है, किन्तु साक्ष्य में कानूनी स्थिति के बारे में और उनसे उत्पन्न होने वाली उलझनों के बारे में कोई निश्चित उत्तर देना संभव नहीं है। मैंने कहा कि इस प्रकार के मामले में अनुरूपता से कोई मदद लेना बहुत कठिन है। दुनिया के दूसरे भागों में क्या स्थिति विद्यमान है अथवा नहीं इससे हमें बहुत मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि ब्रिटिश

सम्राट के बारे में देशी राज्य की स्थिति बहुत अद्वितीय है और इसलिए हमारे यहां यह व्यवस्था है (भले ही वह विसंगतिपूर्ण हो) जबकि देशी राज्य की प्रजा अपने शासक के प्रति निष्ठावान होती है, वह सम्राट के प्रति भी निष्ठावान है और कानूनी स्थिति तथा उससे उत्पन्न होने वाली विवक्षाओं को समायोजित करने की दृष्टि से इस मामले पर सभी पहलुओं से विचार करना होगा। साक्ष्य के दौरान ऐसा उत्तर देना सभंव नहीं है कि ऐसी स्थिति के कानूनी भावार्थ क्या होने चाहिएं।

3026. श्री जयकर: अत: क्या मैं यह मान सकता हूं कि देशी राज्य इस मुद्दे पर किसी अंतिम और अकाट्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे है?

मीर मकबूल महमूद: जी नहीं।

3027. डा. भीमराव. अम्बेडकर: मैं संतुष्ट हूं कि आप स्थिति को विसंगति के रूप में और विचार-योग्य मानते हैं?

मीर मकबूल महमूद: नि:संदेह यह विचार-योग्य है।

3028. डा. भीमराव अम्बेडकर: अब मैं आपसे इस संघीय न्यायालय के बारे में प्रश्न पूछन्र चाहता हूं। आप श्वेत-पत्र के पैरा 155 पर दृष्टिपात करें। आप देखेंगे कि ऐसे संघीय न्यायालय के लिए कोई उपबंध नहीं है,जिसे एक देशी शब्द के नागरिक और ब्रिटिश भारतीय प्रांत के बीच अथवा ब्रिटिश भारतीय प्रांत के किसी नागरिक और एक देशी राज्य के बीच उत्पन्न होने वाले विवाद में भी वह प्राधिकृत हो। क्या आप इससे सहमत नहीं हैं कि एक ऐसे मंच की व्यवस्था करना आवश्यक है,जिसके द्वारा किसी देशी राज्य के विरुद्ध परिसंघीय विधि से उत्पन्न वाद हेतुक रखने वाले ब्रिटिश भारतीय व्यक्ति को एक न्याय मंच मिले जहां वह अपने अधिकारों की मांग कर सके?

मीर मकबूल महमूद: जैसा मैंने श्वेत-पत्र को समझा है उसमें यह परिकल्पित है कि धारा 155 केवल कुछ विशेष मामलों को ही लागू नहीं होगी जहां पक्षकार देशी राज्य हैं, अथवा राज्य और प्रांत हैं, अथवा देशी राज्य और फेडरेशन हैं, अथवा प्रांत और फेडरेशन हैं। जहां तक व्यक्ति विशेष का संबंध है जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत या किसी देशी राज्य के खिलाफ वाद हेतुक प्राप्त है वास्तव में ऐसा व्यापक उपबंध नहीं है कि संघीय न्यायालय को इस बारे में कोई अधिकार प्राप्त होगा। स्पष्ट है कि इसका तात्पर्य है कि वाद हेतुक या प्रतिवादी का निवास स्थान उस मंच को तय करेगा जहां मुकदमा किया जाएगा जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुसार साधारणतया किया जाता है।

3029. डा. भीमराव अम्बेडकर: प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न है कि संघीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त होगा या नहीं?

मीर मकबूल महमूद: नहीं, यह परिकल्पित नहीं है कि संघीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त होगा।

3030. डा. भीमराव अम्बेडकर: मान लीजिए, किसी परिसंघीय विधान से उत्पन्न वाद हेतुक से कोई विवाद पैदा होता है तो अंतिम न्याय मंच जहां मूल वाद दायर किया जा सकता है निश्चय ही संघीय न्यायालय होना चाहिए। क्या हम सबसे पहले मूल मुकदमें अर्थात स्वयं वाद पर दृष्टिपात न करें?

मीर मकबूल महमूद: इसमें स्पष्टत: यह परिकल्पित है कि वाद यथास्थिति ब्रिटिश भारत में अथवा देशी राज्य में दायर किया जाएगा। अब हम अपील के सवाल पर आते हैं।

3031. डा. भीमराव अम्बेडकर: लेकिन वाद क्या इतना बृहत हो सकता है कि अधिकारिता स्वयं फेडरल न्यायालय की भी हो सकती है?

मीर मकबूल महमूद: मैं ऐसा नहीं समझता।

3032. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं आपका ध्यान जिस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं,वह यह है कि पैरा 155 में उल्लिखित उपबंधों में किसी नागरिक के लिए ऐसा कोई उपबंध नहीं है,जिससे कि किसी देशी राज्य के विरुद्ध फेडरल विधान से उत्पन्न अपने अधिकारों की रक्षा कर सके अथवा प्रांत का नागरिक किसी भारतीय प्रांत के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा कर सके।

मीर मकबूल महमूद: प्रकटत:।

* * * *

3036. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या आप कृपया अपने ज्ञापन दस्तावेज 21 के पैरा छ: के उप पैरा (ग) को देखेंगे?

मीर मकबूल महमूद: हां।

3037. डा. भीमराव अम्बेडकर: इस पैरा के अंत में आपने सुझाव दिया है कि यदि कोई देशी राज्य विशेष संघीय न्यायालय के न्याय निर्णय को प्रवर्तित करने में असफल रहती है,तो क्या वायसराय को ऐसा कराने की शक्तियां दी जाएं?

डा. पी.के. सेन: हां।

3038. डा. भीमराव अम्बेडकर: आप यह शक्ति वायसराय को ही क्यों देना चाहते हैं, गवर्नर जनरल अथवा परिसंघीय मंत्री परिषद को क्यों नहीं? संघीय न्यायालय परिसंघीय संविधान का अंग है।

डा. पी.के. सेन: यदि कोई रियासत फेडरल न्यायालय के किसी आदेश विशेष का पालन नहीं करती है,तो ऐसा प्रतीत होता है कि वायसराय वह समुचित व्यक्ति है,जो यह देखे कि इसका पालन किया जाए।

3039. डा. भीमराव अम्बेडकर: वायसराय क्यों? गवर्नर जनरल या संघीय मंत्रिपरिषद क्यों नहीं? वायसराय ही क्यों?

डा. पी.के.सेन: क्योंकि वायसराय सर्वोच्च सत्ता के प्रतिनिधि के नाते देशी राज्य के

संपर्क में रहता है,इसलिए यह देखना उसका काम है कि जो काम देशी राज्य को पूरा करना चाहिए, वह पूरा किया जाए।

3040. डा. भीमराव अम्बेडकर: नहीं, मेरा मत इससे भिन्न है और उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। संघीय न्यायालय संघीय सरकार के तंत्र का एक हिस्सा है और श्वेत-पत्र प्रस्तावों के अधीन गवर्नर जनरल ही वह व्यक्ति होगा,जो परिसंघ का प्रतिनिधित्व करेगा न कि वायसराय। अत: वह समुचित प्राधिकारी जिसके पास वह शक्ति हो गवर्नर जनरल होगा, न कि वायसराय।

डा. पी.के.सेन. : प्रश्न यह है कि क्या गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के नाते और परिसंघीय कार्यपालिका के अध्यक्ष के नाते देशी राज्य के अंदर किसी के खिलाफ मुकदमा चलाने वाले किसी विशिष्ट आदेश को प्रवर्तित कराने में समर्थ होगा?

3041. डा. भीमराव अम्बेडकर: मेरा मुद्दा यह है कि वही ऐसा करने के योग्य होना चाहिए, न कि वायसराय। वायसराय इन बातों में सर्वोच्चता की दृष्टि से सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है?

डा.पी.के.सेन : गवर्नर जनरल के पास क्या अधिकार है? मैं समझता हूं कि इसे प्रभावी रूप देने के लिए सर्वोच्च सत्ता के प्रतिनिधि के नाते वह विशेष नियंत्रण वायसराय केपास होगा।

3042. डा. भीमराव अम्बेडकर: मै नहीं कह सकता कि मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया हूं। मेरा मुद्दा है कि संघीय न्यायालय संघीय संविधान का अंग है?

डा. पी.के. सेन: बेशक।

3043. डा. भीमराव अम्बेडकर: और संघीय संविधान का प्रमुख गवर्नर जनरल होगा न कि वायसराय।

डा. पी.के. सेन: हां।

3044. डा. भीमराव अम्बेडकर: परिणामस्वरूप संघीय न्यायालय पालिका के विनिर्णयों का प्रवर्तन,जो कि संघीय संविधान का अंग है, उचित रूप से गवर्नर-जनरल से संबंधित है न कि वायसराय से और इसलिए प्रवर्तन का अधिकार गवर्नर जनरल के पास होने चाहिए।

डा. पी.के.सेन: मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उचित प्रक्रिया यह होगी कि गवर्नर जनरल वायसराय के माध्यम से कार्रवाई करे।

3045. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं इस मुद्दे पर और आगे कुछ नहीं कहूंगा। श्री पणिक्कर, आपने श्री जयकर के प्रश्न के उत्तर में कहा था कि इससे पहले कि वे विषय जो केन्द्र में आरक्षित होने जा रहे हैं, हस्तांतरित कर दिए जाएं, विशेषकर सेना, देशी राज्यों की पूर्व सम्मति लेना आवश्यक होगा। क्या मैंने आपका पक्ष सही-सही रखा है?

श्री के.एम. पणिक्कर: बिल्कुल ठीक।

3046. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या मैं यह समझ लूं कि आपको यह कहना है कि यदि देशी राज्य अगली बार जब चर्चा के लिए प्रश्न उत्पन्न हो यह मान लें कि सेना हस्तांतरित विषय नहीं होनी चाहिए तो वह हस्तातंरित नहीं होगी?

श्री के.एम. पणिक्कर: अनुमानत: ऐसा है।

(4)

माननीय मायकल ओ डायर, जी.सी.आई.ई., के.सी.एस.आई.

3356. डा. भीमराव अम्बेडकर*: आपके साक्ष्य में मैंने देखा कि आपने बौद्धिक वर्ग अथवा बुद्धिजीवी वर्ग और सामान्य जनता के बीच बहुत सूक्ष्म अंतर किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस स्थिति में जब वह बुद्धिजीवी,जो आपके दिमाग में है समाज के किसी खास वर्ग से आएं और उस स्थिति में जिसमें वे बुद्धिजीवी समाज के विभिन्न वर्गों से आएं कोई अंतर करेंगे?

माननीय मायकल ओ डायर: हां, मेरा विचार है कि यदि वे विभिन्न वर्गों से आएं,तो उनका दृष्टिकोंण व्यापक होगा।

3357. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या आप समझते हैं कि भारत में वर्तमान परिस्थितियों में बुद्धिजीवी वर्ग वस्तुत: एक समिश्रण वर्ग है,जिसमें केवल ब्राह्मण ही नहीं,बल्कि ब्राह्मणों से भिन्न जातियों के लोग–मुस्लिम, दलित वर्गों के लोग भी हैं।

माननीय मायकल ओ डायर: भारत के विभिन्न हिस्सों में इसमें बहुत भिन्नता है। उत्तर भारत में बुद्धिजीवी वर्ग विशेषत: पंजाब के बाहर हिंदू हैं और वे सवर्ण जाति के हिंदू हैं। मद्रास में जहां शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार-प्रसार रहा है, स्थिति भिन्न है। अत: इसका सामान्यीकरण करना बहुत कठिन है।

3358. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं जो आपके सामने मुद्दा रखना चाहता हूं,वह इस प्रकार है। मुझे विश्वास है कि आप यह नहीं कहेंगे कि यदि बुद्धिजीवी वर्ग भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के हैं,तो उनके और जन समूह के बीच वही विभाजन होगा,जो उस स्थिति में होगा,जब बुद्धिजीवी वर्ग किसी एक वर्ग से ही संबंधित हों?

माननीय मायकल ओ डायर: मैं आपसे पूर्णत: सहमत हूं, ऐसा नहीं होगा।

3359. डा. भीमराव अम्बेडकर: इसलिए मैं सोचता हूं कि तार्किक दृष्टि से इसका अभिप्राय यह होगा कि ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग से उस जन-समूह की देख-रेख करने का विश्वास किया जा सकता है,जिसमें से स्वयं आए हैं?

माननीय मायकल ओ डायर: मैं ऐसा सोचता हूं, वे ऐसा करेंगे। यही ज्यादा संभाव्य है।

3360. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहता हूं! क्या यह

---

*मिनिट्स आफ ऐविडेन्स, खंड 2-क, 29 जून 1933, पृ. 406-7

एक वास्तविकता नहीं है कि वर्तमान सरकार सामाजिक सुधार क विधायी कार्यक्रम बनाने में धीमी गति से काम कर रही है?

माननीय मायकल ओ डायर: हां, मैं समझता हूं कि सरकार समग्रत: ऐसा कोई काम करने में संकोच करती है, जिसका यह अर्थ या गलत अर्थ न लगाया जाए कि धार्मिक रीति-रिवाजों में हस्तक्षेप किया जा रहा है।

3361. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या आप यह नहीं मानेंगे कि भारतीय जनता की अधिकांश अदक्षता उन्हीं सामाजिक बुराइयों के कारण है?

माननीय मायकल ओ डायर: मेरे विचार में मोटे तौर पर उसी वजह से है।

3362. डा. भीमराव अम्बेडकर: और इसीलिए जो सरकार भारतीय जनता की सामाजिक अदक्षता के कारणों को दूर करने हेतु विधायी सुधार के कार्यक्रम अपनाने में संकोच करती हो, वह एक कमजोर सरकार है?

माननीय मायकल ओ डायर: मैं यह नहीं कहूंगा कि सरकार संकोच करती है। सरकार तब तक संकोच करती है, जब तक कि वह यह महसूस न करे कि उसे अपने पक्ष में विशाल जन-समूह का समर्थन प्राप्त है। मैं समझता हूं कि इसी आधार पर सरकार ने सर्वेक्षण अधिनियम का समर्थन किया था।

3363. डा. भीमराव अम्बेडकर: हां, किन्तु मुख्य रूप से, इसके विधायी कार्यक्रम बहुत कमजोर रहे हैं।

माननीय मायकल ओ डायर: हां, क्योंकि भारत जैसे देश में विधान कभी भी जनमत से बहुत पहले नहीं बनाया जा सकता। जब सरकार ने पहली बार इस प्रकार का विधान बनाया था, तो श्री तिलक ने उसका तुरंत विरोध किया था और कहा था कि सरकार धर्म में हस्तक्षेप कर रही है। परिणामस्वरूप दक्षिण क्षेत्र में आंदोलन हुए और नरसंहार हुआ।

3364. डा. भीमराव अम्बेडकर: सरकार श्री तिलक जैसे अकेले व्यक्ति से भयभीत है?

माननीय मायकल ओ डायर: तिलक अकेले नहीं थे, उनमें लोगों को अपने साथ मिलाने की अद्‌भुत शक्ति थी।

3365. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या भारत के लोग श्री तिलक से भयभीत नहीं होंगे?

माननीय मायकल ओ डायर: मैं समझता हूं कि वे होंगे। मेरे विचार में बहुत कम लोग श्री तिलक के मुकाबले खड़े हो पाएंगे। लॉर्ड सीडेन्हम ऐसे ही एक थे।

3366. डा. भीमराव अम्बेडकर: आपने कहा कि आप फिलहाल विधि और व्यवस्था का विषय हस्तांतरित नहीं करेंगे। आप विधि और व्यवस्था को हस्तांतरित करने से पहले अन्य सभी का हस्तांतरण कर देंगे और केन्द्र में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या आप हमें उस अंतराल के बारे में बताएंगे, जिसे आप विधि और व्यवस्था को हस्तांतरित करने से पहले रखना चाहेंगे।

माननीय माइकल ओ डायर: मैं फिलहाल इसे छोड़ दूंगा। अभी सांप्रदायिक उग्रवाद को शांत होने दें। जब मंत्रीगण जिन्हें काफी अधिकार दिए गए हैं, भूराजस्व, सिंचाई और अन्य विभागों में उन शक्तियों का प्रयोग कर लें और यह दिखा दें कि वे और अधिक अधिकार सौंपे जाने के योग्य हैं, और जो ब्रिटिश विरोधी आंदोलन चल रहे हैं और जो आतंकवादी गिरोह हैं, कुछ प्रांतों में फैल रहे हैं, दबा दिए जाएं और जब स्थिति अपेक्षाकृत अनुकूल हो जाए,तो मैं विधि और व्यवस्था का विषय हस्तांतरित करने के पक्ष में होऊंगा।

3367. डा. भीमराव अम्बेडकर: आप से पूछा गया था कि क्या भारतीय जनता का कोई ऐसा वर्ग है,जो आपके द्वारा प्रस्तावित योजना को पंसद करेगा। आपने कहा था कि हां, भारत में कुछ ऐसे वर्ग होंगे जो उसे स्वीकार करेंगे।

माननीय मायकल ओ डायर: ठीक है।

3368. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप दूसरी बात पर विचार करें,जो आपके सामने रखी जा रही है कि भारत में ऐसा कोई वर्ग नहीं है,जो उसे स्वीकार करेगा। मैं आपसे ऐसा विचार करने के लिए कहता हूं।

माननीय मायकल ओ डायर: ठीक है।

3369. डा. भीमराव अम्बेडकर: तब हमें बताएं कि आपका अगला कदम क्या होगा? मान लीजिए कि आपने यह देखा कि भारत में ऐसा कोई वर्ग नहीं है,जो आपकेप्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हो,तो उस स्थिति में आप संसद को क्या सलाह देंगे?

माननीय मायकल ओ डायर: मैं उस दशा में वही काम करूंगा,जो कि भारतीय लोगों के लाभ के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझूंगा।

3370. डा. भीमराव अम्बेडकर: आपकी स्थिति ऐसी है कि जो आप ठीक समझें करें और भारतीयों को स्वीकार करने या स्वीकार न करने के लिए छोड़ दें?

माननीय मायकल ओ डायर: हां, समय पर विश्वास करते हुए कि वे देखेंगे कि लागू किए गए प्रतिबंध . . .।

3371. डा. भीमराव अम्बेडकर: बहस की खातिर आप यह मान लें कि यदि अंततोगत्वा लंबी प्रतीक्षा के बाद आपने यह देखा किं कोई भी भारतीय वर्ग आपकी योजना को मानने के लिए तैयार नहीं है,तो आप संसद को क्या सलाह देंगे?

माननीय मायकल ओ डायर: मैं संसद को सलाह दूंगा कि वह योजना जिसे आप व्यवहार्य और व्यावहारिक समझें, इस आशा में जारी रखें कि कालांतर में लोग यह समझ जाएंगे कि आपकी स्थिति एक नैसर्गिक स्थिति है और वे एक युक्ति-युक्त मत स्वीकार करने की स्थिति में आने लगेंगे।

3372. डा. भीमराव अम्बेडकर: मुझे अफसोस है कि आप मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे हैं। मेरा प्रश्न पूरी तरह से विशेष प्रश्न है।

माननीय मायकल ओ डायर: मैं उसे संक्षेप में इस तरह कह सकता हूं कि, मैं नहीं

माननीय मायकल ओ डायर: मैं उसे संक्षेप में इस तरह कह सकता हूं कि, मैं नहीं समझता कि लोग अनिश्चित काल तक अयुक्तिसंगत दृष्टिकोंण पर डटे रहेंगे।

3373. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मान लीजिए कि यह सोचते हैं कि श्वेत-पत्र योजना या आपकी योजना इतनी बुरी है कि वे इसे हाथ भी नहीं लगाएंगे?

माननीय माइकल ओ डायर: सम्राट का शासन सर्वोत्तम ढंग से चलना चाहिए। जिस तरह से भी आप ऐसा कर सकें।

* * * *

3564. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* अध्यक्ष महोदय! इससे पहले कि माननीय माइकल ओ डायर यहां से प्रस्थान करें, मैं एक तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा। माननीय माइकल ओ डायर ने श्री बटलर के एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि साइमन कमीशन ने विधि और व्यवस्था के अंतरण के बारे में सिफारिश की थी। यह साइमन कमीशन की रिपोर्ट खंड 5, पैरा 369 है। यही वह पैरा है,जो आपकी सोच में था, क्या ऐसा नहीं था, 'इस रिपोर्ट को लिखने में हमने भारत में पिछले कुछ महीनों की घटनाओं के संबंध में कोई संकेत नहीं किया है'?

माननीय माइकल ओ डायर: हां, यह ठीक है।

3564. (क) माननीय डा. भीमराव अम्बेडकर: लेकिन मुझे आपको यह बता देना चाहिए कि हममें से अधिकांश ने यहां की घटनाओं से, गांधी जी के असहयोग आंदोलन की घटनाओं से समझा था, न कि निश्चित रूप से उन सांप्रदायिक दंगों से जो भारत में हुए है, जैसे कानपुर में।

वाईकाउंट बर्नम: मैंने कहा था किउसका संबंध सांप्रदायिक दंगों से है। जैसा मैंने उल्लेख किया, मैंने उसी अर्थ में समझा था कि उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन अथवा उन सांप्रदायिक दंगों का उल्लेख नहीं किया था,जो उसके परिणामस्वरूप हुए थे।

(5)

श्री एफ. ई. जेम्स, श्री डब्ल्यू. डब्ल्यू. के. पेज, श्री टी. गाविन जोन्स, श्री जी.ई. कफ, श्री एल.ए. रोफी, माननीय विलियम मेकरकर और श्री एफ.डब्ल्यू. होकेनहल

3882. *डा. भीमराव अम्बेडकर**:* मैं केवल एक या दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। सबसे पहले श्री जेम्स से एक प्रश्न, क्या आपका संगठन उस घोषणा को स्वीकार करता है,जो लार्ड इर्विन ने 29 अक्तूबर 1929 को वायसराय के पद पर आसीन रहते हुए की थी। उस घोषणा में कहा गया था कि तत्कालीन सम्राट सरकार के मत के अनुसार भारत के राजनीतिक गठन का तार्किक विकास डोमिनियन स्टेटस है? क्या आपकी एसोसिएशन इस घोषणा को स्वीकार करती है?

---

* *मिनिट्स आफ एविडेंस*, खंड 2-क, 29 जून 1933, पृ. 424

** वही, 4 जुलाई 1933, पृ. 476-77

श्री एफ. ई. जेम्स: मुझे विश्वास नहीं कि लार्ड इर्विन का यह कथन-विशेष श्वेत-पत्र में अंतर्विष्ट है।

3883. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* नहीं, यह बात नहीं है।

श्री एफ. ई. जेम्स: और मेरा ज्ञापन श्वेत-पत्र के प्रस्तावों के बारे में है, किन्तु मुझे याद है कि उस कथन के समय संगठन ने एक घोषणा की थी और मैं इन समाचार-पत्र फाइलों के प्रति निर्देश करूंगा, जिसके आधार पर वह घोषणा की गई थी।

3884. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या आप उस घोषणा का सारांश हमें देंगे?

श्री एफ. ई. जेम्स: इस समय मैं उसके लिए अपनी याद्दाश्त पर भरोसा नहीं कर पाऊंगा।

3885. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं अपनी बात को कुछ भिन्न ढंग से रखना चाहूंगा, क्या आप श्वेत-पत्र में उल्लिखित प्रस्तावों को उस रूप में स्वीकार करते है, जो भारत के संविधान में दिए जाने चाहिए अथवा क्या आप समझते हैं कि इसका और मूल्यांकन करने की गुंजाइंश है?

श्री एफ. ई. जेम्स: मैं समझता हूं कि इसका उत्तर ज्ञापन के पैरा एक में मिल जाएगा।

3886. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* उसमें उत्तर दिया गया है, क्या ऐसा नहीं है?

श्री एफ. ई. जेम्स: मेरे विचार में वही उत्तर है, 'हम श्वेत-पत्र की सामान्य स्कीम को समग्रत: समाधानप्रद और वह युक्ति-युक्त आधार मानते हैं, जिस पर भारत का भावी संविधान आधारित होगा।'

3887. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यदि मुझे इजाजत हो, तो मेरा प्रश्न कुछ भिन्न था। मेरा प्रश्न है कि क्या आप इन प्रस्तावों को भारत के राजनीतिक गठन का अंतिम प्रारूप मानते हैं?

श्री एफ. ई. जेम्स: आप कृपया ज्ञापन के पैरा एक का उप-पैरा (3) देखें जिसमें आपको निम्नलिखित शब्द मिलेंगे, 'काउंसिल आफ दि एसोसिएशन संवैधानिक स्कीम के बारे में अपना अंतिम दृष्टिकोंण निर्धारित करने का अधिकार तब तक के लिए बचाकर रखती है, जब संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाए और उस रिपोर्ट पर आधारित भावी भारत सरकार के लिए विधेयक संसद में पेश हो जाए।'

3389. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। मेरा प्रश्न कुछ भिन्न है। मेरा प्रश्न है कि क्या आप समझते हैं कि भारतीय राजनीतिक परिस्थिति के अभिवर्द्धन के लिए उन प्रस्तावों से परे कोई और गुंजाइश है, जो श्वेत -पत्र में दिए गए हैं? क्या मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है?

श्री एफ. ई. जेम्स: हां। प्रकटत: श्वेत-पत्र के अंतर्गत भविष्य में उपातंरण या परिवर्तन की गुंजाइश है।

3889. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैंने 'अभिवर्द्धन' शब्द का प्रयोग किया था।

श्री एफ. ई. जेम्स: यदि आप इसे संभवत; अभिवर्द्धन कहें।

3890. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं इस मुद्दे पर नहीं आऊंगा?

श्री एफ. ई. जेम्स: किन्तु यहां हम केवल श्वेत-पत्र के प्रस्तावों पर विचार कर रहे हैं।

3891. डा. भीमराव अम्बेडकर: पैरा 52 में आपने यह प्रस्ताव किया है कि भारतीय विधान-मंडलों के पास ब्रिटिश राष्ट्रीयता की विधि को प्रभावित करने का प्राधिकार नहीं होना चाहिए। मैं इस मुद्दे को पूरी तरह समझता हूं। इसके बाद आपका कहना है कि उसे कनेडियन अधिनियम की अनुरूपता के आधार पर भारतीय राष्ट्रीयता को भी विहित करने का प्राधिकार नहीं होना चाहिए।मैं समझता हूं कि आपका क्या कहना है, किन्तु मैं जो कुछ जानना चाहता हूं, वह यह है कि क्या उसे आप ऐसे पूर्ण प्रतिबंध के रूप में रखना चाहते हैं,जो भारतीय विधान-मंडल को किसी भी प्रयोजन के लिए भारतीय राष्ट्रिक की परिस्थिति बनाने से रोकेगी?

श्री एफ. ई. जेम्स: नहीं। मेरे विचार में वह पैरा बिल्कुल स्पष्ट है। हमारा केवल यह कहना है कि यदि भारत यह चाहता है कि विधान-मंडल इस रूप में हो,तो भारत को भारत में यूरोपीय ब्रिटिश समुदाय को छोड़कर ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

3892. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं इसे इस तरह कहता हूं ; मान लीजिए, उदाहरण के लिए, ऐसा कोई मामला उठे,जो कनाडा जैसा हो जिसके कारण वह अधिनियम बना था। मान लीजिए, किसी अंतर्राष्ट्रीय अधिकरण में भारतीय प्रतिनिधित्व की आवश्यकता हो और भारत चाहे कि प्रतिनिधित्व का अधिकार सम्राट की भारतीय प्रजा के लिए आरक्षित रहना चाहिए तो आप उस स्थिति में विधान-मंडल को ऐसी विधि पारित नहीं करने देंगे,जिसमें कनेडियन अधिनियम या इस विषय के लिए दक्षिण अफ्रीकी अधिनियम की अनुरूपता के आधार पर ऐसी परिस्थिति सृजित किए जाने का उपबंध हो?

श्री एफ.ई. जेम्स: वास्तव में, इसका उत्तर हमारे पैरे का अंतिम वाक्य है। कदाचित, श्री पेज, इसे अधिक विस्तार से स्पष्ट कर सकेंगे।

श्री पेज: महोदय! मेरा विचार है कि आपको किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि इसका ऐसा कोई प्रछन्न अर्थ है। इस धारा के बारे में हमारा पूर्ण उद्देश्य यह है कि हमारे मतानुसार जिसे हम भारतीय नागरिकता कहते हैं , उसके सृजन से ब्रिटिश प्रजा के रूप में ब्रिटिश राष्ट्रिक के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिएं। हम वास्तव में जो कुछ कहना चाहते हैं , वह यह है कि हम ब्रिटिश राष्ट्रीयता वाले सभी व्यक्तियों के लिए जब वे भारत में अस्थाई तौर पर या अन्यथा निवास करते हों, उनके वे सब अधिकार परिरक्षित किए जाएं,जिनके लिए उसी प्रकार निवास करने वाली सम्राट की भारतीय प्रजा हकदार हैं, और हम ऐसी कोई विधि पारित किए जाने के लिए कोई विनियम या नियम बनाए जाने को रोकना चाहते हैं,जिसका परिणाम इन अधिकारों को सीमित करना हो या छीनना हो। यही उस पैरे का संपूर्ण उद्देश्य है। हमें भारतीय नागरिकता निर्धारित करने के बारे में लेशमात्र भी आपत्ति नहीं है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: अध्यक्ष महोदय! क्या यह श्री गाविन जोन्स के उन सुझावों के बारे में है, जो उन्होंने रखा है वैसा ही प्रश्न पूछने के लिए है, किन्तु यदि ऐसा नहीं है तो मैं इस मुद्दे को जारी नहीं रखूंगा।

अध्यक्ष: यदि डा. अम्बेडकर मेरा निजी मत पूछ रहे, हैं तो कदाचित यह विषय इस प्रक्रम पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जितना कि इसके लिए समय लिया गया है।

(6)

माननीय जोन पेरोनट थामसन, के.सी.एस.आई., के.सी.आई.ई., माननीय एल्फ्रेड वाट्सन और श्री एडवर्ड विलियर्स

4659. **डा. भीमराव अम्बेडकर*** : केवल एक प्रश्न, माननीय जोन थाम्सन! कल आपने प्रांतों की वित्तीय स्थिति के रक्षा उपाय के लिए कुछ उपबंध करने के बारे में एक प्रश्न उठाया था और दृष्टांत के रूप में आपने यह कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों के अंतर्गत पानी की दर जो प्रांतीय राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा है, कार्यपालिका के आदेश से बदली जा सकती है–मैं समझता हूं कि आपने कल यही कहा था?

माननीय जोन पी. थामसन: हां।

4660. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या यह एक तथ्य नहीं है कि लंबे अर्से से भारतीय इस बात के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि यह सब कराधान जो केवल कार्यपालिका के आदेश द्वारा किया जाता है--और, जैसा कि आप जानते हैं, भू-राजस्व भी कार्यपालिका के आदेश से ही वसूल किया जाता है--आगे कार्यपालिका के आदेश द्वारा वसूल नहीं किया जाना चाहिए, अपितु विधायी कानूनों के द्वारा किया जाना चाहिए?

माननीय जोन पी. थामसन: निश्चय ही, जहां तक भू-राज्स्व का संबंध है, इस आशय का आंदोलन हुआ है। मुझे पुख्ता विश्वास नहीं है कि यह सिंचाई की दरों के संबंध में कहां तक सच है।

4661. *माननीय तेज बहादुर सप्रू*: क्या मैं यह कह सकता हूं कि यह तथ्य है कि भू-राजस्व कार्यपालिका के आदेश द्वारा वसूल नहीं किया जाता। उनकी सोच संभवत: यह है कि भू-राजस्व निर्धारण कार्यपालिका के आदेशों द्वारा किए जाते हैं?

माननीय जोन पी. थामसन: जी हां।

4662. डा. भीमराव अम्बेडकर: और एक सिफारिश की गई थी कि यह सब राशि जो कार्यपालिका के आदेश द्वारा संग्रहीत की जाती है, अब और आगे कार्यपालिका के आदेश द्वारा संग्रहीत न की जाए, बल्कि कानूनन की जाए?

माननीय जोन पी. थामसन: मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: उसे अभी प्रभावी रूप नहीं दिया गया है।

**मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-क, 6 जुलाई 1933, पृ. 540

(7)

माननीय चार्ल्स इन्नस, के.सी.एस.आई., सी.आई.ई.

5161. *डा. भीमराव अम्बेडकर**: सर चार्ल्स, आपने दूसरे सदनों के बारे में काफी जोर दिया था?

माननीय चार्ल्स इन्नस: जी हां।

5162. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: आपने जो कारण दिया था, वह यह था कि इससे विशेष अधिकारों के लगातार प्रयोग की आवश्यकता कम हो जाएगी?

माननीय चार्ल्स इन्नस: नहीं, मुझे नहीं पता कि मैंने यह कहा था कि इससे आवश्यकता कम हो जाएगी। मैंने कहा था कि इससे विशेष अधिकार और भी प्रबल हो जाएंगे. और मैंने आशा की थी कि दूसरे सदन के अस्तित्व से विशेष अधिकारों का प्रयोग करना अनावश्यक हो जाएगा, अथवा बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उनका प्रयोग हो।

5163. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप विशेष अधिकारों को दूसरे सदन में रखना चाहेंगे?

माननीय चार्ल्स इन्नस: जी नहीं।

5164. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: जो दूसरा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, वह यह है कि मैं समझता हूं कि आज प्रात: आपने कहा था कि इन विशेष उत्तरादायित्वों में कुछ भी ऐसा मान्य नहीं है और यह कि आपने डोमीनियनों के कुछ संविधानों में इन्हें पाया है?

माननीय चार्ल्स इन्नस: मैंने कहा था कि रक्षोपायों में कोई नई बात नहीं है। मेरे विचार में, यही सही-सही मेरे शब्द थे।

5165. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या डोमीनियनों के संविधानों में उल्लिखित उन रक्षोपायों और श्वेत-पत्र के उपबंधों में यह अंतर नहीं है? क्षमा करें, मैं इस प्रश्न को संक्षेप में नहीं रख सकता, क्योंकि इसे रखने से पहले मैं यह समझता हूं कि उस स्थिति का कुछ स्पष्टीकरण मुझे देना होगा। मेरे विचार में, उत्तरदायी सरकार के अंतर्गत यह कभी नहीं समझा जाता (कम से कम मैं नहीं समझता) कि गवर्नर मंत्री-परिषद द्वारा दी गई सलाह से पूर्णत: बंधा है। यदि वह समझता है कि उसे सलाह की आवश्यकता नहीं है,तो वह सलाह लेने से इंकार कर सकता है। किन्तु मेरे विचार में, अगला कदम जो वह उठा सकता है, वह है दूसरी मंत्री-परिषद बनाने का जो उसे उस मत-विशेष पर समर्थन देगी,जो उसने अपनाया है यदि वह मंत्री-परिषद वही मत नहीं अपनाती,जो गवर्नर का है,तो वह विधान परिषद का विघटन कर सकता है और नए विधान-मंडल का चुनाव करा सकता है और यदि तब वह यह देखे कि नए विधान-मंडल में से मंत्री-परिषद का गठन नहीं किया जा सकता,तो उसे अवश्य झुक जाना चाहिए। क्या ऐसा नहीं है?

**मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-क, 6 जुलाई 1933, पृ. 573-74

माननीय चार्ल्स इन्नस: जी हां, यही होगा। हां, साधारणत: यही स्थिति होगी, जब तक कि वह इसे इतना महत्वपूर्ण न समझे कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए।

5166. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* श्वेत-पत्र के प्रस्तावों के अंतर्गत, क्या यह महत्वपूर्ण अंतर नहीं है कि श्वेत-पत्र प्रस्ताव के अंतर्गत गवर्नर किसी भी और प्रत्येक मंत्री-परिषद की सलाह को अस्वीकार करने की स्थिति में होगा?

माननीय चार्ल्स इन्नस: केवल अपने विशिष्ट उत्तरादायित्व का प्रयोग करते हुए।

5167. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या वह कभी भी किसी भी मंत्री-परिषद की सलाह से बंधा नहीं होगा?

माननीय चार्ल्स इन्नस: जहां तक हमारे पक्ष का संबंध है, हम यह मानते हैं कि भारत युक्तियुक्त सहयोग की भावना से संविधान बनाने जा रहा है। इसी प्रकार मेरे विचार में आप भी यह मानते होंगे कि गवर्नर उसी भावना से संविधान का सर्वोत्तम क्रियान्वयन करेगा,जिस भावना में सोचा गया है।

5168. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* जी हां।

माननीय चार्ल्स इन्नस: मैं नहीं समझता कि आप यह धारणा क्यों बनाएं कि गवर्नर इन अधिकारों का प्रयोग करेगा। मेरे विचार में प्रत्येक गवर्नर यथा-संभव इनका प्रयोग करने से बचने का प्रयास करेगा।

5169. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मुझे जैसा लगता है, मैं उन दो स्थितियों के अंतर को बताने का प्रयास कर रहा हूं: विशेष अधिकार गवर्नर को, किसी खास मंत्री-परिषद को, जिसकी सलाह से वह सहमत नहीं है, उलटने का अधिकार नहीं देते?

माननीय चार्ल्स इन्नस: मैं वास्तव में नहीं जानता कि आप क्या कहना चाहते हैं।

5170. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आपके सामने जो मुद्दा मैं रखना चाहता हूं, वह यह है कि वे विशेष अधिकार,जो गवर्नर को दिए जाने हैं, वे इसलिए नहीं दिए जाने हैं कि वह किसी मंत्री-परिषद विशेष की बात नहीं माने,जिसकी सलाह उसे स्वीकार्य नहीं है, अपितु ये अधिकार इसलिए दिए जाते हैं, ताकि वह किसी भी मंत्री-परिषद की सलाह अस्वीकार कर सके?

माननीय चार्ल्स इन्नस: बिल्कुल ठीक, क्योंकि कुछ विशेष उत्तरादायित्वों का निर्वहन करना है। प्रश्न किसी खास मंत्री-परिषद की बात को उलटने या न उलटने का नहीं, प्रश्न यह है कि उसे उस विशेष उत्तरदायित्व को परिरक्षित करना है अथवा नहीं।

5171. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यही रक्षा उपायों में महत्वपूर्ण अंतर है।

माननीय चार्ल्स इन्नस: बिल्कुल यही बात मैंने कही थी कि भारत में रक्षोपायों के कुछ तथ्यों के कारण और अधिक सुनिश्चित तथा परिभाषित करना होगा। उदाहरण के लिए, इस सांप्रदायिक अशांति की स्थिति में रक्षा-उपाय आवश्यक हैं।

5172. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं यह नहीं पूछ रहा हूं कि इसके लिए कोई आधार है या नहीं? मैं तो यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि इनमें अंतर है।

माननीय चार्ल्स इन्नस: हां।

(8)

एसोसिएटिड चेम्बर्स आफ कामर्स आफ इंडिया की ओर से माननीय एडवर्ड बेन्थल, माननीय थामस कैट्टो और श्री जी.एल. विंटरबाथम

6214. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* माननीय एडवर्ड! सबसे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं,जो संघीय वित्त विषयक आपके कथन के हिस्से के बारे में है। मैं समझता हूं (मैं नहीं जानता कि मेरा पूछना सही है या नहीं) आप भारत में एकरूप कराधान को बहुत अधिक महत्व देते हैं?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: हां।

6215. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* और उसी कारण आपने यह सुझाव दिया था कि केंद्र तथा प्रांतों के बीच राजस्व के प्राय: सभी संसाधन केंद्र में पृथक-पृथक किए जाएं और केंद्र उनका विभाजन करे? क्या ऐसा नहीं है?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: क्या हमने यह सुझाव दिया है?

6216. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं इसे संक्षेप में पेशकर रहा हूं कि आप चाहते हैं कि प्राय: सभी प्रमुख कर हर हालत में केंद्र द्वारा लगाए जाएं,ताकि कराधान में एकरूपता रहे?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: हमने तो ऐसा नहीं कहा था। हमने एकरूपता चाही थी,किन्तु हमने यह नहीं चाहा कि सभी कर केंद्र द्वारा लगाए जाएं।

6217. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यदि पूरे भारत में कर लगाने वाला प्राधिकरण एक न हो तो कराधान एकरूप कैसे रहेगा?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: समन्वय का कोई ढंग खोजा जा सकता है।

6218. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* उदाहरण के लिए, मान लीजिए, हमने यह सिद्धांत अपनाया कि एक प्रांत, प्रांतीय उद्देश्यों के लिए आयकर पर अधिभार लगाएगा,तो उससे एकरूपता का सिद्धांत टूट जाएगा?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: हां, हम इसके पूरी तरह खिलाफ हैं।

6219. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसके अतिरिक्त, आप चुंगी करों का भी विरोध करते हैं?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: हम सिद्धांतत; उनके विरुद्ध हैं और हमने यह सुझाव दिया है कि जिन करों से उन पर प्रांतीय सीमा शुल्क अथवा अंतर-प्रांतीय अवरोध उत्पन्न होने की संभावना हैं,उन पर केंद्र का अनुमोदन जरूरी है। यही हमारे साक्ष्य का तात्पर्य है।

6220. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अंततोगत्वा इसका अर्थ होगा कि कराधान के संसाधनों

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-क, 13 जुलाई 1933, पृ. 640-642

का पृथक्करण होगा, या तो प्रांत कोई कर नहीं लगा सकता अथवा केंद्र के पूर्व अनुमोदन से ही लगा सकता है?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: मेरे विचार में समन्वय की कोई योजना खोज निकालने का एक तीसरा तरीका होगा।

6221. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मुझे नहीं पता। क्या आपके पास सुझाव के लिए कोई पद्धति है कि यह समन्वय कैसे स्थापित किया जाएगा?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: मेरे विचार में वर्तमान में निर्धारित नियम हैं। निस्संदेह, वर्तमान में हम एकात्मक सरकार के बारे में विचार कर रहे हैं, जो नियम बनाती है।

6222. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* हम इस बात को निश्चय ही प्रांतीय स्वायत्तता के दृष्टिकोंण से देखना चाहते हैं,जो हम सोच रहे हैं, और साथ ही उत्तरदायी सरकार की दृष्टि से भी, जो हम प्रांतों में शुरू कर रहे हैं?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: हां।

6223. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि प्रांतीय स्वायत्तता की दृष्टि से यदि प्रांत कराधान की अपनी निजी पद्धति और प्रणाली बनाने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा और हर बार उसे केंद्र के समक्ष ही जाना होगा,तो क्या व्यवहार में स्वायत्तता को प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं हो जाएगा?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: हर समय नहीं, किन्तु इन विशिष्ट करों के कारण से भारतीय वाणिज्य का विकास रुक सकता है। क्या मैं यह कह सकता हूं कि इन मुद्दों को सामने रखने का हमारा आशय कोई नियम बनाना नहीं था, बल्कि उन्हें संयुक्त प्रवर समिति की जानकारी में लाना था, ताकि वे उस पर विचार कर सकें।

6224. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* तब मैं इसे इस प्रकार रखना चाहूंगा कि आप यह मानेंगे कि केंद्र और प्रांतों के बीच कोई वित्त व्यवस्था खोजने के लिए यह मानना आवश्यक है कि जो भी प्रणाली अपनाई जाए, वह प्रांतों में उत्तरदायी सरकार और प्रांतीय स्वायत्तता की दृष्टि से असंगत न हो?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: हां पहले एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि जरूरत से ज्यादा समवर्ती शक्तियां नहीं होनी चाहिए और हम उससे सहमत हैं। विषयों का और करों का विभाजन यथा-संभव सुस्पष्ट होना चाहिए। किन्तु व्यापार के दृष्टिकोंण से हम यह कहना चाहते हैं कि अंतर-प्रांतीय सीमा-अवरोध इन उपबंधों से कैसे अंतर-प्रांतीय सीमा-अवरोध पैदा हो सकते हैं।

6225. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अब मैं आपसे पैरा 3 में निर्दिष्ट रिजर्व बैंक के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आपका कहना है कि बैंक राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: हां।

6226. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मेरा अनुमान है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि संकट के समय बैंक के लिए राजनीतिक मदद की आवश्यकता होगी?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: ऐसा हो सकता है।

6227. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: यह संकट में आवश्यक हो सकता है,ताकि सरकार से अधिस्थगन की घोषणा कराने के लिए बैंक को समर्थन दिया जा सके?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: हां। मेरे विचार में वित्तीय संकट की स्थिति में सरकार द्वारा हस्तक्षेप की अंतिम शक्ति की इजाजत देना सभी बैंकों के संविधानों में परंपरागत तौर पर है और मैं रिजर्व बैंक के मामले में इस पर आपत्ति नहीं करूंगा।

6228. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: अत: यदि सरकार संकट के समय अधिस्थगन के रूप में या धन उधार देकर बैंक की मदद करें,ताकि उसकी आरक्षित निधि को स्थायित्व प्रदान किया जा सकें,जिससे कि वह आगे काम कर सके, तो क्या आप उसका बैंक पर और उसके काम-काज पर कुछ प्रभाव होने देना चाहेंगे?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: किसी न किसी रूप में सरकार बैंक के कुछ अधिकारियों की और कुछ निर्देशकों की नियुक्ति करेगी, किन्तु सरकार को अधिसंख्य निदेशकों की नियुक्ति नहीं करनी चाहिए।

6229. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं इस मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं इसमें यह अंतर करता हूं- राजनीतिक दखल, हस्तक्षेप और प्रभाव। आप इनमें से कौन-सा चाहेंगे,जिसे सरकार करे और जिसे वह न करे।

माननीय एडवर्ड बेन्थल: इसे परिभाषित करने का अर्थ होगा,रिजर्व बैंक का संविधान तैयार करना।

6230. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाऊंगा। निदेशकों के बारे में, आप राजनीतिक प्रभाव को अलग करने के लिए किस प्रकार की व्यवस्था सोचते हैं? उदाहरण के लिए, क्या आप यह कहेंगे कि जो व्यक्ति भारत में किसी राजनीतिक दल से संबंधित हो वह निर्देशक होने के योग्य नहीं है?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: नहीं, प्रारंभ में मैं एक शेयरधारक बैंक रखूंगा और वे शेयरधारक निर्देशकों के बहुमत को नामजद करेंगे।

6231. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: वे राजनीतिज्ञ भी हो सकते हैं?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: वे राजनीतिज्ञ नहीं, जो विधान-मंडलों में बैठे हों।

6232. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: लेकिन हो सकता है, वे पार्टी कोष में अति सक्रिय सहयोग दे रहे हों।

माननीय एडवर्ड बेन्थल: यदि वे अति सक्रिय रूप से दलगत राजनीति में भाग ले रहे

हों,तो वे देश का वित्तीय विश्वास प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

6233. डा. भीमराव अम्बेडकर: किन्तु ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किए जाने के लिए क्या कोई अयोग्यता नहीं होगी?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: यदि वे एक साथ दो काम करेंगे,तो यह बहुत मूर्खतापूर्ण काम होगा।

6234. डा. भीमराव अम्बेडकर: अब श्वेत-पत्र के पैरा 122 पर आपकी टिप्पणी के बारे में। पैरा पांच में, आपने प्रस्ताव 122 पर कुछ योग्यताएं शामिल करने के सुझाव दिए हैं?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: हां।

6235. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं उस पैरा की अंतिम चार-पांच पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, 'लेकिन इस प्रयोजन के लिए कोई भी विधि केवल इस आधार पर विभेदकारी नहीं समझी जाएगी कि वह पूर्णत: या अपवादस्वरूप किसी भी क्षेत्र में कृषि भूमि का विक्रय या बंधक, ऐसे किसी व्यक्ति को जो उस वर्ग के नहीं हैं,जिसे उस क्षेत्र में कृषि में लगे हुए अथवा उससे संबद्ध व्यक्तियों के वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है, निषिद्ध करती है।' मैं जो कुछ कहना चाहता हूं,वह यह है कि जब तक कि इस बाद वाले अंश में 'जाति, पंथ या धर्म के अंतर के बिना' शब्द अंतर्स्थापित नहीं कर दिए जाते,तब तक यह संभावना रहेगी कि जाति, पंथ या धर्म के आधार पर वर्ग के अंतर्गत भी विभेद किया जाए। आपके समक्ष एक किसान वर्ग हो सकता है और उस किसान वर्ग के भीतर आप जाति, पंथ या धर्म में अंतर कर सकते हैं?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: हां। मैं चाहूंगा कि वकील इस मुद्दे पर विचार करें।

6236. डा. भीमराव अम्बेडकर: मेरा आपसे यह प्रश्न पूछने का कारण यह है कि आपने इस खंड के सुधार के बारे में यह कहते हुए कुछ सुझाव दिए हैं, 'यदि इस प्रस्ताव को प्रभावी रूप दिया जाना है,तो ब्रिटिश भारत में अधिवास, निवास की निरंतरता या अवधि शामिल करना आवश्यक होगा?

माननीय: एडवर्ड बेन्थल: हां।

6237. डा. भीमराव. अम्बेडकर: आपने यह नहीं कहा कि इसमें जाति, पंथ या धर्म पर आधारित अंतर भी नहीं होना चाहिए। यदि इस पैरा को हर प्रकार के विभेद के खिलाफ प्रभावी किया जाना है, तो ऐसा करना होगा।

माननीय एडवर्ड बेन्थल: मेरे विचार में,जो बात हमने इस पैरे के उत्तरार्द्ध के संबंध में कही थी वह वर्ग 6 के अंतर्गत पैरा 6 में अंतर्विष्ट है। हम नहीं चाहते कि यह यूरोपीयों द्वारा भूमि, खेतिहरों और ऐसे लोगों को लेने से रोकने के लिए लागू हो।

6238. डा. भीमराव. अम्बेडकर: किन्तु जैसा कि मैंने कहा, आपके प्रयोजन को प्रभावी

रूप देने के लिए यदि यह आवश्यक होगा, तो आपका यह कहना है कि वह अंतर जाति, पंथ, मूल वंश या धर्म पर आधारित नहीं होगा?

माननीय एडवर्ड बेन्थल: हां, यह कानूनी प्रारूपण का विषय है।

(9)

भारतीय महिलाओं के मताधिकार की ब्रिटिश समिति की ओर से लेडी लेटन, श्रीमती ओस्ट्रेसी और माननीय फिलिप

ग 67. डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे सहमत हैं या नहीं, लेकिन मैं यह मानता हूं कि जब आप स्त्रियों के लिए मताधिकार पर जोर देते हैं,तो मैं समझता हूं कि आप यह भी चाहते हैं कि मताधिकार की व्यवस्था इस प्रकार की जाए कि जो महिलाएं मताधिकार के लिए दर्ज की जाएंगी,वे भारतीय समाज के हर वर्ग से लेनी होंगी,न कि आवश्यक रूप से अनन्यत: उच्च वर्ग से अथवा मध्य वर्ग से या निम्न वर्ग से 1 और निर्वाचक सूची में स्त्रियों का उन समुदायों से कुछ अनुपात अवश्य होना चाहिए,जिनसे वे ली जाएं?

लेडी लेटन: जहां तक व्यावहारिक दृष्टि से संभव हो, निश्चय ही।

ग 68. डा. भीमराव. अम्बेडकर: मेरा मतलब है कि आपका यह पक्ष-कथन नहीं है कि आप 1:4 या 1:5 का गणितीय अनुपात चाहती हैं, लेकिन उस अनुपात के अलावा आप यह भी चाहेंगी कि सभी वर्गों की सभी स्त्रियों के नाम रजिस्टर में दर्ज होने चाहिएं?

लेडी लेटन: जहां तक संभव हो, हम यह महसूस करना चाहती हैं कि शहरी और ग्रामीण मतदाता तथा विभिन्न वर्गों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व होगा।

ग 69. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं यह मानता हूं कि आप इससे भी सहमत होंगे कि यदि शैक्षिक योग्यता अथवा संपत्ति की उच्च योग्यता निर्धारित की गई,तो उसका परिणाम यह होगा कि निर्वाचक सूची में भारतीय समाज के एक ही वर्ग से स्त्रियां आएंगी?

लेडी लेटन: ऐसा ही है। मैं साथ में यह भी कहूंगी कि यदि प्रशासनिक दृष्टि से यह संभव हो,तो हमें इस बात का स्वागत करना चाहिए और अपने ज्ञापन में हमने इस बात पर जोर भी दिया है कि कम संपत्ति की योग्यता वाली पत्नियों को भी मताधिकार दिया जाना चाहिए, न कि केवल अधिक संपत्ति की योग्यता वाली पत्नियों को ही।

ग 70. डा. भीमराव. अम्बेडकर: मैं जो बात कहने को आतुर हूं, वह यह है–क्या आप उस मुद्दे को महत्व देते हैं,जो मैंने आपके सामने रखा है, अर्थात पूरी जनसंख्या में स्त्रियों की जनसंख्या का ठीक-ठीक अनुपात में वितरण, अथवा क्या आप महिला मतदाता के प्रतिकूल पुरुष मतदाता के अनुपात को ही महत्व देती हैं?

लेडी लेटन: इन दोनों पक्षों को महत्व देती हूं, किन्तु हमारा विचार है कि फिलहाल

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस,* खंड 2 -ग, 26 जुलाई 1933, पृ. 2276

स्त्रियों के हित इस मामले में पर्याप्त सुरक्षित हैं। यदि आप दूसरी स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, अर्थात उन स्त्रियों का जिन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है, सभी जिलों में बहुत बड़ी संख्या में स्त्रियों को मताधिकार देते हैं, तो हम चाहेंगे कि वह यथा-संभव कम हो, और यदि उसे किसी स्थान पर निश्चित कर दिया जाता है, तो हम चाहेंगे कि इसे जितना जल्दी संभव हो वहां से हटाया जाए। हम स्वयं निश्चय ही यह चाहती हैं कि इसे यथा-संभव कम रखा जाए। यदि व्यावहारिक दृष्टि से संभव है, तो हम वयस्क मताधिकार की मांग करने के लिए तैयार रहेंगी, लेकिन हम यह जानती हैं कि प्रशासनिक दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है।

ग 71. डा. भीमराव. अम्बेडकर: क्या मैं इसी मुद्दे के बारे में कुछ भिन्न ढंग से पूछ सकता हूं? निस्संदेह सभी स्त्रियां समाज कल्याण के मामलों में रुचि रखती हैं। यह बिल्कुल सच है। स्त्रियों का दृष्टिकोंण पूरी तरह एक सा हो सकता है, किन्तु आप यह भी महसूस करेंगी कि समाज कल्याण की योजनाओं के लिए बहुत धन चाहिए, यदि उन्हें पूर्णत: क्रियान्वित करना है, तो उसके लिए कर लगाने होंगे?

लेडी लेटन: हां। मैं पूरी तरह समझती हूं कि ऐसा करना होगा।

ग 72: डा. भीमराव अम्बेडकर: और हो सकता है इस बारे में सभी स्त्रियों का दृष्टिकोंण एक सा न हो। संभव है जिस वर्ग से वे आई हैं, उनके आधार पर वे बट जाएं?

लेडी लेटन: हां, मैं आपको इसके दो उत्तर दे सकती हूं। सबसे पहले शिक्षा का दृष्टिकोंण लीजिए। यदि आपके पास शिक्षा के लिए कुछ धन आवंटित करने के लिए है, तो हर वर्ग की स्त्रियां इस बात पर सहमत होंगी कि वह राशि स्त्री-पुरुष, दोनों पर बराबर खर्च की जाए। जब कि यदि स्त्रियां न मिलें जो काफी भार सहन कर सकें, तो आप लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर ज्यादा खर्च करेंगे। पहले तो यह भी एक ऐसी बात है, जिसे देखना होगा। साथ ही, मैं यह भी कहूंगी कि सभी वर्गों की महिलाएं, जो कल्याण में कुछ भी सक्रिय रुचि ले रही हैं, इस बात पर जोर दे रही हैं कि शिक्षा पर अधिक अनुपात में धन खर्च किया जाए। मैं समझती हूं कि आप इस समय इस आधार पर अधिसंख्य वर्गों की महिलाओं पर सुनिश्चित रूप से विश्वास कर सकते हैं, लेकिन यदि मताधिकार ज्यादा से ज्यादा निकट लाया जाए तो मुझे खुशी होगी और इसलिए मैं साक्षरता की योग्यता को खास महत्व देती हूं। और ऐसी कोई भी स्त्री जो इतनी समझदार है कि इस भार को वहन करने का महत्व समझती हैं, उचित समय के भीतर अपने आपको साक्षर बना सकती है और यदि आप साक्षरता की योग्यता रखेंगे, और स्त्रियों का कोई भी वर्ग यह महसूस करता है कि स्त्रियों का वह वर्ग, जिसे मताधिकार प्राप्त हो सकता है, मतों का अधिकार नहीं ले रहा, जो कि उनके हाथ में एक हथियार है, और इसी कारण मैं हमेशा साक्षरता की प्रबल समर्थक रही हूं और यही कारण है कि भारत की सभी संगठित महिलाएं भी साक्षरता के पक्ष में हैं।

ग 73. डा. भीमराव अम्बेडकर: जहां तक आप मेरे दृष्टिकोंण को समझते हैं, मेरा

समाधान हो गया है। माननीय फिलिप हार्टोग, मैं आपसे साक्षरता के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमें वास्तव में इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि स्त्रियों के लिए मताधिकार की कसौटी के रूप में साक्षरता की योग्यता अपनाने के खिलाफ बताई गई क्या-क्या प्रशासनिक कठिनाइयां हैं। लेकिन मैं जो कठिनाइयां समझ पाया हूं, वे हैं; सबसे पहले यह सुझाव दिया गया है कि ऐसे कोई प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं हैं, जो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का सहसा ही यह समाधान करा देने में समर्थ हों कि अमुक स्त्री साक्षरता के अपेक्षित वर्ग के अंतर्गत आती है और इसीलिए तत्काल नामावली में उसका नाम दर्ज किए जाएं। ऐसी स्थिति में हमें प्रस्तावों में सुझाई गई प्रक्रिया अपनानी होगी कि ग्राम अधिकारी जांच -पड़ताल करें और उनके प्रमाण-पत्र पर तहसीलदार प्रतिहस्ताक्षर करे। मेरे विचार में जो प्रशासनिक कठिनाई बताई गई है, वह यह है कि ग्राम अधिकारी यह जानने के लिए गांव में किसी स्त्री के पास कैसे जाएगा कि वह साक्षर है या नहीं? क्या आप इसके लिए उस स्त्री पर निर्भर करना चाहते हैं, जो मताधिकार प्राप्त करना चाहती है, कि वह आगे आए और आवेदन करे?

माननीय फिलिप हार्टोग: मेरा विचार है कि यही एकमात्र संभव उपाय है। उसे स्वयं या अपने पति की मार्फत यह कहने के लिए पर्याप्त रुचि दिखानी होगी: 'मेरी इच्छा है कि मेरा नाम सूची में दर्ज कर लिया जाए। मैं साक्षर हूं और परीक्षा देने के लिए तैयार हूं।'

ग 74. श्री बटलर: यह आवेदन से कैसे भिन्न है?

लेडी लेटन: मैं नहीं समझती कि हमने अपने ज्ञापन में साक्षरता के मुद्दे पर आवेदन पर कोई आपत्ति की है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमारा विचार है कि जो लोग किसी भी ऐसी शैक्षिक योग्यता के लिहाज से साक्षर माने जाते हैं जो स्वीकृत हैं, स्वत: मतदाता सूची में दर्ज कर लिए जाने चाहिए। इसके अलावा, आवेदन किया जाना चाहिए।

ग 75. डा. भीमराव अम्बेडकर: इस प्रकार वास्तव में घरों में की जाने वाली जांच-पड़ताल के आधार पर की जाने वाली आपत्ति नहीं उठ पाएगी। घरों में जांच-पड़ताल करना आपत्तिजनक हो सकता है।

माननीय फिलिप हार्टोग: मैं यह कहना चाहूंगा कि मुझे सीधे उस मुद्दे के संबंध में भारत मंत्री के दोनों उत्तरों के प्रति निर्देश करना समुचित मुद्दा प्रतीत होता है, जो डा. अम्बेडकर ने उठाया है। प्रश्न 7437 के उत्तर में भारत मंत्री ने कहा था: 'भविष्य में लड़कियों या स्त्रियों की भावी सन्तानों के लिए भी निर्वाचन प्रयोजन के लिए आपके शिक्षा संबंधी रजिस्टरों और विवरणियों को अपनाना अधिक आसान होगा। किन्तु उन प्रांतों में जहां ऐसा अब तक नहीं किया गया है, पहले निर्वाचन में ऐसा करने में काफी कठिनाई होगी।' अब मैं यह बताना चाहूंगा कि आप इसे भारत मंत्री के पृष्ठ 817 पर प्रश्न 7214 के दूसरे उत्तर के साथ पढ़ें जिसमें उन्होंने कहा है, 'दस वर्ष तक कोई परिवर्तन नहीं होगा।' सेल्सबरी के मारक्वेस के प्रश्न के उत्तर में उनका सुझाव है कि संसद के अधिनियम में वह कहेंगे कि दस वर्ष तक

मताधिकार में कोई तबीली नहीं हो सकती। परिणामस्वरूप, दूसरे, तीसरे या चौथे निर्वाचनों के लिए रजिस्टर रखने का कोई लाभ नहीं होगा, यदि दूसरे, तीसरे और चौथे निर्वाचन दस वर्ष की अवधि के भीतर ही होते हैं। अब हम संख्या के प्रश्न पर आएं। साक्षर स्त्रियों की कुल संख्या लोथियन रिपोर्ट में अनुमानतः साढ़े बारह लाख बताई गई है। यह रिपोर्ट के पृष्ठ 86 पर है। उनमें से 3 लाख 45 हजार मद्रास में हैं, जिनके बारे में कोई कठिनाई नहीं है। इसके बाद शेष भारत के लिए अपेक्षाकृत संख्या कम रह जाती है और वह है 8 लाख 75 हजार। अब यदि यह सम्भव है कि 3 लाख 45 हजार मद्रासी स्त्रियों को निर्वाचन की मतदाता सूची में रखा जाए और किसी न किसी समय जरूर करना होगा, तो यह संभव क्यों नहीं है कि 8 लाख 75 हजार स्त्रियां शेष भारत के लिए मतदाता सूची में रखी जाएं।

(10)

अखिल भारतीय महिला सम्मेलन तथा दो अन्य महिला संघों की ओर से राजकुमारी अमृत कौर और श्रीमती हामिद अली

*ग 334. डा. भीमराव अम्बेडकर**: क्या आपका कहना है कि मुसलमान घरों के बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी?

श्रीमती हामिद अली: मुसलमानों को अपनी पत्नी का नाम लेने में कभी कोई एतराज नहीं होता, जैसा कि माननीय हरी सिंह गौड़ ने कहा है, कुछ नजाकत की भावना होती है, लेकिन कई मुसलमानों में अपनी पत्नियों का नाम लेने में कोई कठिनाई महसूस करने की बात कभी भी सामने नहीं आई। यह सच है कि स्त्रियां अपने पति का नाम बार-बार नहीं लेतीं, लेकिन कभी-कभार तो लेती ही हैं।

राजकुमारी अमृत कौर: लेकिन हिंदू घरों में पति पत्नी का नाम लिए जाने पर आपत्ति कर सकता हैं।

* * * *

ग 342. डा. भीमराव अम्बेडकर: मेरे विचार में माननीय हरी सिंह गौड़ द्वारा उठाए गए प्रश्न का मुद्दा यह नहीं था कि क्या हिंदू पति अथवा मुसलमान पति की ओर से उसकी पत्नी का नाम लेने पर कोई मानसिक आपत्ति है। मेरे विचार में मुद्दा यह था कि दोनों में से कौन, या कोई एक उस प्रकार की जांच पर आपत्ति करेगा जो एक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को करनी होगी?

राजकुमारी अमृत कौर: मैं नहीं समझती कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को किस प्रकार की जांच करनी होगी।

डा. भीमराव अम्बेडकर: वह इस प्रकार होगी, 'क्या आपकी पत्नी है और यदि आपकी पत्नी है, तो उसका नाम क्या है?

---

* मिनिट्स आफ ऐविडेंस, खंड 2- ग, 29 जुलाई 1933, पृ. 2314-21

माननीय हरी सिंह गौड़: और 'आपकी कितनी पत्नियां हैं?'

डा. भीमराव अम्बेडकर: मुद्दा यह है कि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,जो जांच करेगा,उस पर आपत्ति कौन करेगा?

मारक्वेस आफ लोथियन: 'क्या वह 21 से ऊपर है?'

डा. भीमराव अम्बेडकर: इसी प्रकार का प्रश्न है।

ग 343. अध्यक्ष: अब साक्षी बीच में उत्तर देने का भी ध्यान रखें। यदि आपके कोई विचार हैं, तो आप डा. अम्बेडकर के सुझाव का उत्तर दें?

राजकुमारी अमृत कौर: हां, मैं केवल यह कह सकती हूं कि इस प्रकार के प्रश्न पर किसी को भी कोई आपत्ति मेरे विचार में नहीं होगी। ऐसी मानसिकता मेरी समझ में नहीं आती,जिसमें इस प्रकार का सवाल किया जाए। यह मुझे पूरी तरह दुर्बोध प्रतीत होता है।

ग 344. अध्यक्ष: क्या आप इस उत्तर से सहमत हैं, श्रीमती हामिद अली? क्या आप यह मानती हैं कि कोई कठिनाई नहीं होगी?

श्रीमती हामिद अली: मेरे विचार में यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस प्रकार का सवाल किस ढंग से और किस लहजे में पूछा जाता है। आम तौर पर यदि इस प्रकार का सवाल सद्भावपूर्वक और बिना किसी दुराशय से पूछा जाता है,तो कोई भी बुरा नहीं मानेगा।

* * * *

ग 346. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं श्रीमती हामिद अली से एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आप बंबई की हैं। आप जानती हैं कि कुछ ऐसे अलग वार्ड हैं, जहां सारे क्वार्टर मुसलमानों के हैं। अपने अनुभव से क्या वास्तव में आप सोचती हैं कि निर्वाचन अधिकारी के लिए इन वार्डों में घुसकर जांच-पड़ताल करना संभव है?

श्रीमती हामिद अली: जहां तक बंबई का संबंध है, हां। मैं नहीं समझती कि बंबई में कोई आपत्ति करेगा,क्योंकि बंबई में प्राय: नगरपालिका के चुनाव होते रहते हैं और वहां लोग इस तरह की बातों के अभ्यस्त हैं।

ग 352. डा. भीमराव अम्बेडकर: संघीय विधान-मंडल में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के बारे में अनुपूरक वक्तव्य संख्या 56 में क्या कहा गया है, मैं ठीक से नहीं समझ पाया? उसमें कहा गया है, 'हमने बराबर कहा है कि हम नहीं चाहते कि हमारे एकीकृत वर्गों में सांप्रदायिकता की बुराई प्रवेश करे। आप देखेंगे कि श्वेत-पत्र का वह प्रस्ताव जहां तक निचले सदन में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व का संबंध है, सांप्रदायिक निर्वाचक-मंडलों द्वारा नहीं, बल्कि एकल संक्रमणीय प्रणाली अथवा साधारण निर्वाचक-मंडल द्वारा निर्वाचन करने का है।

राजकुमारी अमृत कौर: हां।

ग 353. डा. भीमराव अम्बेडकर: इस दृष्टिकोंण से मुझे यह सोच लेना चाहिए था कि सांप्रदायिक निर्वाचक-मंडल होने के आधार पर इस पर आपत्ति नहीं की जा सकती?

राजकुमारी अमृत कौर: पहली बार में तो संघीय विधान-मंडल के निचले सदन में स्त्रियों के लिए स्थान निश्चित रूप से सांप्रदायिक आधार पर आरक्षित होंगे। इस मुद्दे पर हमारे पास भारत मंत्री की स्पष्ट उक्ति है, जो उन्होंने परसों या तीन दिन पहले अपने साक्ष्य में व्यक्त की थी। संघीय विधान-मंडल के निचले सदन में वे आरक्षित स्थान जिनका निर्वाचन की अप्रत्यक्ष प्रणाली में उल्लेख है, निश्चित रूप से साप्रंदायिक आधार पर होंगे।

ग 354. श्री एम. आर जयकर: आपकी आपत्ति सांप्रदायिक आधार पर स्थानों के आरक्षण के बारे में है?

राजकुमारी अमृत कौर: हां! और इसके अलावा विधान-मंडलों द्वारा उन स्थानों के लिए निर्वाचन की अप्रत्यक्ष प्रणाली के बारे में है, जो वर्तमान में प्रस्तावित संविधान के अनुसार सांप्रदायिक आधार पर होगी।

कुमारी मेरी पिकफोर्ड: क्या मैं बीच में बोल सकती हूं। *भारत मंत्री* कि उत्तर में जब उन्होंने यह कहा कि सांप्रदायिक प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं, तो वह बंगाल की प्रांतीय परिषद में स्त्रियों के स्थानों की ओर इंगित कर रहे थे। वह विधान-मंडल में स्थानों की ओर संकेत नहीं था।

ग 355. डा. भीमराव अम्बेडकर: यही मैंने सोचा था। साक्षी कृपया श्वेत-पत्र परिशिष्ट II के पृष्ठ 89 पर ध्यान दें। मुझे यह सोच लेना चाहिए था कि वह मामला हमेशा-हमेशा के लिए तय हो चुका है। आपने भी उसकी ओर संकेत किया है, 'प्रत्येक प्रांत में जहां किसी को स्थान आंवटित किए जाएं, स्त्रियों के स्थानों के लिए निर्वाचन प्रांतीय विधान-मंडलों के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से किया जाएगा'?

राजकुमारी अमृत कौर: हां। लेकिन मेरा मुद्दा है, क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या कुमारी पिकफोर्ड के प्रश्न के उत्तर में भारत मंत्री का संकेत प्रांतीय परिषद के लिए सांप्रदायिक आधार पर आरक्षित स्थानों की ओर था। क्या मैं यह समझूं कि यह सांप्रदायिकता का प्रश्न निचले सदन में स्त्रियों के आरक्षित स्थानों पर लागू नहीं होगा? क्या वे स्थान गैर-सांप्रदायिक आधार पर आरक्षित किए जाएंगे। मैं यह स्पष्ट रूप से जानना चाहती हूं कि किस आधार पर ये स्थान आरक्षित करने होंगे।

* * * *

ग 363. डा. भीमराव अम्बेडकर: मुझे इसे और स्पष्ट करने दें, क्योंकि मेरे विचार में, इस बारे में कुछ दुविधा है, और मुझे उसे दूर कर देना चाहिए। सबसे पहले, क्या आपको अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आपत्ति है?

राजकुमारी अमृत कौर: हां।

ग 364. डा. भीमराव अम्बेडकर: आपको भी आपत्ति है?

राजकुमारी अमृत कौर: हां।

ग 365. डा. भीमराव अम्बेडकर: यह एक आपत्ति है?

राजकुमारी अमृत कौर: हां।

ग 366. डा. भीमराव अम्बेडकर: आप नहीं चाहतीं कि जो महिला प्रतिनिधि संघीय निचले सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करें, वे प्रांतीय विधान परिषद से अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित की जाएं?

राजकुमारी अमृत कौर: निश्चित रूप से नहीं।

ग 367. डा. भीमराव अम्बेडकर: आप चाहती हैं कि कुछ प्रत्यक्ष निर्वाचन-क्षेत्र जैसा उपबंध किया जाए?

राजकुमारी अमृत कौर: यदि हमारे लिए स्थान सांप्रदायिक आधार पर आरक्षित किए गए,तो हम इसके खिलाफ हैं। जहां तक हमारा संबंध है, यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता, लेकिन हम बेशक चाहेंगी कि स्त्रियां भी चुनकर आएं।

ग 368. डा. भीमराव अम्बेडकर: सबसे पहले स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मुझे एक प्रश्न पूछने दें। क्या आप चाहती हैं कि निचले सदन में स्त्रियों के लिए भी स्थान आरिक्षत किए जाएं?

राजकुमारी अमृत कौर: मैं कह चुकी हूं कि हम आरक्षण किए जाने की सिफारिश करेंगी, जब तक कि हमारे संगठनों के जरिए वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है, बशर्ते यह निश्चित रूप से उल्लिखित कर दिया जाए कि महिलाओं के स्थान गैर-सांप्रदायिक आधार पर होंगे और संयुक्त निर्वाचक-मंडलों के माध्यम से होंगे। इसी शर्त पर हम इसे स्वीकार करेंगी।

ग 369. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं दो बातें अच्छी तरह समझ गया। आप चाहती हैं कि फिलहाल महिलाओं के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर दिए जाएं?

राजकुमारी अमृत कौर: हम आरक्षण के हमेशा खिलाफ रही हैं।

ग 370. डा. भीमराव अम्बेडकर: दूसरी बात जो मैं समझ पाया हूं -- यदि मैं गलत कहूं तो मुझे बता दें - यह है कि आप अप्रत्यक्ष निर्वाचन की किसी भी पद्धति से संघ के निचले सदन में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध नहीं चाहतीं। यही आपका दूसरा मुद्दा है?

राजकुमारी अमृत कौर: जी हां।

ग 371. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि . . .?

राजकुमारी अमृत कौर: आपका कहना है कि हम आरक्षण चाहती हैं, मैं आपसे कह चुकी हूं कि हम हमेशा आरक्षण के खिलाफ रही हैं।

ग 372. डा. भीमराव अम्बेडकर: आप कतई कोई आरक्षण नहीं चाहतीं?

राजकुमारी अमृत कौर: हमने हमेशा यही कहा है कि हम आरक्षण नहीं चाहतीं, लेकिन मेरा कहना है, यदि हम पर आरक्षण जबरदस्ती लादा गया,जैसे अनेक चीजें हमारी इच्छा के खिलाफ लादी गई हैं, तो वह एकमात्र शर्त जिस पर हम अपने संगठनों को आरक्षण

स्वीकार करने की सिफारिश करेंगी, निश्चित रूप से यह होगी कि वे संयुक्त निर्वाचक-मंडलों और प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली के माध्यम से होंगे, और यदि स्थान पूरी तरह गैर-सांप्रदायिक आधार पर होते हैं तो यह कहना होगा कि हमें अपनी पंसद की महिलाओं को खड़ा करने का अधिकार होगा।

ग 373. डा. भीमराव अम्बेडकर: यदि यह विषय आपकी पसंद पर छोड़ दिया जाए, तो आप संघ के निचले सदन में इस रूप में स्त्रियों के लिए कोई स्थान निश्चित नहीं करना चाहेंगी?

राजकुमारी अमृत कौर: निश्चय ही नहीं।

ग 374. डा. भीमराव अम्बेडकर: ऐसा होता है,तो क्या आप संयुक्त निर्वाचन-मंडल और प्रत्यक्ष निर्वाचन-पद्धति के आधार पर ही ऐसा चाहेंगी?

राजकुमारी अमृत कौर: हां, प्रत्यक्ष निर्वाचन और गैर-सांप्रदायिक आधार पर।

ग 375. डा. भीमराव अम्बेडकर: आइए, गैर-सांप्रदायिक आधार की बात करें। क्या आप चाहती हैं कि एक निर्वाचन-क्षेत्र विशेष में प्रत्यक्ष निर्वाचन हेतु केवल महिलाएं हों?

राजकुमारी अमृत कौर: नहीं, हम चाहती हैं कि स्त्री-पुरुष, दोनों हों।

ग 376. डा. भीमराव अम्बेडकर: आप चाहती हैं कि यह निर्वाचन-क्षेत्र एक प्रकार का मिश्रित निर्वाचन-क्षेत्र हो जिसमें स्त्री-पुरुष, दोनों मतदाता हों?

राजकुमारी अमृत कौर: हां।

ग 377. डा. भीमराव अम्बेडकर: इस प्रतिबंध के साथ कि जो भी प्रत्याशी उस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो, वह महिला हो?

राजकुमारी अमृत कौर: हां, यदि किसी आरक्षित स्थान के लिए महिला का निर्वाचन होना है,तो वहां निश्चित रूप से महिला ही निर्वाचित होगी।

ग 378. डा. भीमराव अम्बेडकर: विधान सभाओं के लिए इन प्रत्यक्ष निर्वाचन, क्षेत्रों की व्यवस्था कैसे करेंगी?

राजकुमारी अमृत कौर: जैसा मैंने कहा, इस पर हमारे पास कोई रचनात्मक प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि हम हमेशा आरक्षण के खिलाफ रहीं हैं। इसे हम समिति के विवेकाधिकार पर छोड़ते हैं, लेकिन यदि हमें आरक्षण दिया जाए,तो हम उसे केवल इसी शर्त पर स्वीकार करेंगी कि ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र बनाना, जिससे सर्वाधिक प्रतिनिधित्व हो सके, समिति के विवेकाधिकार पर छोड़ दिया जाए।

ग 379. डा. भीमराव अम्बेडकर: मेरे विचार में आपने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि आपको संघीय विधान-मंडल के निचले सदन में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए श्वेत -पत्र में दी गई निर्वाचन की अप्रत्यक्ष प्रणाली पर आपत्ति थी, क्योंकि अर्थ होगा संप्रदायोन्मुख होना।

राजकुमारी अमृत कौर: हां।

ग 380. डा. भीमराव अम्बेडकर: विभिन्न प्रांतीय परिषदों में प्रतिनिधिगण अपने मतों का इस्तेमाल सांप्रदायिक रीति से करेंगे, और आपकी आपत्ति का यही आधार है न?

राजकुमारी अमृत कौर: मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुकी हूं, क्या नहीं दिया है?

ग 381 डा. भीमराव अम्बेडकर:- हां, मेरा एक और भी सवाल है। इसके अलावा, मैं समझता हूं और इस बात को साफ करना चाहता हूं कि आप श्वेत-पत्र में प्रस्तावित अप्रत्यक्ष निर्वाचन पर आपत्ति करती हैं,क्योंकि आपका विचार है कि प्रांतीय विधान -मंडलों में विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि सांप्रदायिक हो जाएंगे और इसीलिए निर्वाचनों में सांप्रदायिकता प्रविष्ट हो जाएगी?

राजकुमारी अमृत कौर: क्या मैं दोबारा उत्तर दूं? सबसे पहले तो हमें अप्रत्यक्ष चुनाव पर आपत्ति है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष चुनाव चाहती हैं।

ग 382. डा. भीमराव अम्बेडकर: हां, मैं समझ गया।

राजकुमारी अमृत कौर: यह पहली आपत्ति है। दूसरी आपत्ति यह है कि जब हमारे लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रांतीय परिषदों के जरिए प्रस्तावित किया जाए,तो ये प्रांतीय परिषदें,जो सांप्रदायिक आधार पर बनने जा रही हैं, स्वभावत: उस सांप्रदायिक प्रश्न को उन महिलाओं तक ले जाएंगी, जिन्हें वे निर्वाचित करेंगी।

डा. भीमराव. अम्बेडकर: यह सच है, लेकिन मैं एक दूसरा सवाल करना चाहता हूं। मैं आपकी आपत्ति अच्छी तरह समझता हूं कि प्रांतीय विधान परिषदों में विभिन्न समुदायों के भिन्न-भिन्न प्रतिनिधियों को लेने से स्त्रियों के चुनाव में एक तात्विक विचार घर कर जाएगा।

ग 383. श्री एम.आर.जयकर: अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में यह आपकी आपत्तियों में से केवल एक है, लेकिन मैं समझता हूं कि एक दूसरी आपत्ति भी इसी आधार पर है कि यह अप्रत्यक्ष है?

राजकुमारी अमृत कौर: मैं कई बार ऐसा कह चुकी हूं।

ग 384. डा. भीमराव अम्बेडकर: सवाल यह है। उदाहरण के लिए, आप अपने ही प्रत्यक्ष निर्वाचन-क्षेत्र को लें, या किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र को ले लें, जैसे बंबई शहर को ही ले लें, उसी निर्वाचन-क्षेत्र में, जिसे आप चाहेंगी कि वह निचले सदन में महिला प्रतिनिधि के चुनाव के लिए खास तौर पर बनाया जाए, आपको विभिन्न समुदायों के स्त्री और पुरुष, दोनों प्रकार के मतदाता मिलेंगे?

राजकुमारी अमृत कौर: हां।

ग 385. डा. भीमराव. अम्बेडकर: क्या आपका तात्पर्य यह सुझाव देना है कि जो मतदाता स्त्री प्रतिनिधि के चुनाव में भाग लेंगे वे उन प्रतिनिधियों की अपेक्षा कम संप्रदायमुखी होंगे, जो प्रांतीय विधान परिषदों में उन बड़े-बड़े समुदायों के होंगे,जो अप्रत्यक्ष आधार पर महिला

अभ्यर्थी के चुनाव में भाग ले रहे होंगे?

राजकुमारी अमृत कौर: बेशक, क्योंकि सांप्रदायिकता का सवाल जन-साधारण की अपेक्षा उस प्रकार के लोगों में कहीं ज्यादा होता है, जो विधान-मंडल में आते हैं।

ग 386. डा. भीमराव अम्बेडकर: लेकिन मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि ये निर्वाचक-मंडल ही उन लोगों का चुनाव करेंगे, जो अप्रत्यक्ष चुनाव में मतदाता होंगे?

राजकुमारी अमृत कौर: हो सकता है, लेकिन जब सवाल संयुक्त निर्वाचक-मंडल का हो और हम संयुक्त निर्वाचक-मंडलों के मत प्राप्त करने जा रहे हों, तो सांप्रदायिकता का सवाल उतना विद्यमान नहीं रहेगा-वह हो भी नहीं सकता-जितना एक प्रांतीय परिषद में होता है, जो प्रथक-प्रथक निर्वाचक-मंडलों द्वारा चुनी गई हो और जहां सांप्रदायिकता का सवाल बना रहता है और पूरी तरह रहना भी चाहिए।

ग 387. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या आप समझती हैं कि साधारण निर्वाचक-मंडल में भारत में स्त्री-पुरुष सांप्रदायिक ढंग से काम नहीं करते?

राजकुमारी अमृत कौर: जन-साधारण में निश्चित रूप से नहीं।

ग 388. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या आपने कभी मतदान होते देखा है?

राजकुमारी अमृत कौर: हां, हमने अपने संगठन की एक महिला सदस्य के मामले में हाल ही का उदाहरण देखा है। उसने संयुक्त निर्वाचक-मंडल से बंबई में सर्वाधिक मत प्राप्त किए और व्यवहारिक रूप से एक भी स्त्री नहीं, सबके सब पुरुष, दलित वर्ग और हरेक ने मतदान किया था और उसने सर्वाधिक मत प्राप्त किए थे। यह नगरपालिका के चुनाव का एक उदाहरण है। वह अकेली महिला नहीं थी, एक दूसरी महिला भी थी। पटना में विश्वविद्यालयों के चुनावों के उदाहरण भी हमारे पास हैं, जहां पुरुषों ने स्त्रियों को चुना और सांपद्रायिकता के सवाल को लेकर कोई कठिनाई नहीं हुई।

ग 389. डा. भीमराव अम्बेडकर: जब मुद्दा यह हो कि क्या महिला चुनी जाएगी, तो निस्संदेह संप्रदायिक भावना अप्रत्यक्ष चुनाव की अपेक्षा प्रत्यक्ष चुनाव में कम होगी?

राजकुमारी अमृत कौर: निश्चय ही, जब कभी अप्रत्यक्ष चुनाव परिषद के माध्यम से हो रहा होगा, तो वह संप्रदायवाद से व्याप्त होगा।

* * * *

ग 406. डा. भीमराव अम्बेडकर: इन परिषदों में जहां वास्तव में महिलाए सदस्य हैं, वहां मैं समझता हूं, वे नामजद की गई हैं?

राजकुमारी अमृत कौर: हां, चुनाव जैसी कोई चीज नहीं है।

ग 407. माननीय हरी सिंह गौड़: विधान सभा में वे कभी नामजद नहीं की गई हैं?

डा. भीमराव अम्बेडकर: कभी नहीं।

ग 408. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या कोई अनर्हता है?

राजकुमारी अमृत कौर: मेरे विचार में नहीं।

श्रीमती हामिद अली: क्या इस बारे में मैं यह कह सकती हूं कि देशी राज्यों के शासकों ने इस अनर्हता को हटा दिया है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: यह अभी हाल में हुआ है; कुछ प्रांतों में तो अभी हाल ही में हुआ है कि इस अनर्हता को हटाए जाने के बाद दूसरे चुनाव के लिए मुश्किल से समय मिला है।

(11)

श्रीमती पी.के.सेन और श्रीमती एल. मुखर्जी

ग 588. डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या यह निष्कर्ष निकाला जाए कि यदि महिलाएं व्यवसायों में प्रवेश करेंगी, तो उनमें इस प्रकार के सांप्रदायिक भेदभाव का फैलना बहुत संभव है?

श्रीमती एल. मुखर्जी: मैं ऐसा नहीं समझती। स्त्री होने के नाते स्त्रियां स्वभावत: ऐसी साप्रंदायिक भावनाओं से मुक्त होती हैं।

ग 589. डा. भीमराव अम्बेडकर: उदाहरण के लिए, आज नौकरियों और वृत्तिक नियुक्तियों के लिए संघर्ष या खींचातानी वस्तुत: पुरुषों तक ही सीमित है?

श्रीमती एल.मुखर्जी: हां।

ग 590. डा. भीमराव अम्बेडकर: ज्यादातर इसलिए कि भारत में महिलाएं परिवार की कमाऊ सदस्या नहीं होतीं?

श्रीमती एल.मुखर्जी: आपकी बात मैं अच्छी तरह समझती हूं।

ग 591. डा. भीमराव अम्बेडकर: अत: शिक्षा के मामले को ही लें, यदि पुरुषों के साथ-साथ महिलाएं भी शिक्षा के फलस्वरूप अथवा आपके अपने विश्लेषण के अनुसार, इस पेशे में और अन्य पेशों में आ जाएं, तो कदाचित यह चीज उनमें भी आ जाएगी?

श्रीमती एल. मुखर्जी: बहुत संभव है। मैं इस सवाल का उत्तर तब तक नहीं दे सकती, जब तक कि हम परिणाम न देख लें।

ग 592. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं यह मुद्दा आपके सामने रखना चाहता था?

श्रीमती एल. मुखर्जी: मैं यह महसूस करती हूं कि भविष्य में जब हमारी महिलाएं व्यवसायों में जाने की स्थिति में हो जाएंगी, तो सांप्रदायिकता की मनोभावना ही समाप्त हो जाएगी, मैं ऐसी आशा करती हूं।

डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं भी ऐसी आशा करता हूं।

* * * *

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2- ग, 29 जुलाई 1933, पृ. 2327

ग 610. डा. भीमराव अम्बेडकर :* श्रीमती सेन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं,आपने संघ के निचले सदन में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के बारे में अपने विचार स्पष्ट किए हैं और आपने श्वेत-पत्र में अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए किए गए उपबंध पर अपनी आपत्ति व्यक्त की है?

श्रीमती पी.के. सेन: हां।

ग 611. डा. भीमराव अम्बेडकर: प्रांतीय विधान-मंडलों में स्त्रियों के प्रतिनिधित्व के लिए किए गए उपबंध के बारे में मैंने आपके विचार कहीं नहीं देखे हैं, न सिवाय उनके जो आपने साधारणतया व्यक्त किए हैं कि आप ऐसा कोई उपबंध पसंद नहीं करेंगी,जो संप्रदायवाद का रक्षक हो?

श्रीमती पी.के. सेन: हां।

ग 612. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या इस बारे में आपको कोई सुझाव देना है?

श्री पी.के. सेन: मैं सवाल को ठीक से नहीं समझ पाई।

ग 613. डा. भीमराव अम्बेडकर: प्रांतीय विधान-मंडलों में अनेक सीटों की व्यवस्था है,जो स्त्रियों द्वारा भरी जाएंगी?

श्रीमती पी.के. सेन: हां।

ग 614. डा. भीमराव अम्बेडकर: श्वेत-पत्र में इस बारे में कोई विस्तृत उपबंध नहीं किए गए हैं कि ये स्थान कैसे भरे जाएंगे। वह है, श्वेत-पत्र का परिशिष्ट III, पृष्ठ 93 'साधारण' के अंतर्गत, मद्रास, 152 में से 6 स्त्रियां; मुसलमान 29, जिनके अंतर्गत एक महिला भी है। श्वेत-पत्र में अभी तक इतना ही उपबंध है?

श्रीमती पी.के. सेन: यदि आप हमें हर प्रांत में 6 स्थान देंगे,तो हम इन समुदायों से छुटकारा पाना चाहेंगी। यही ज्यादा बेहतर होगा और हम सबसे योग्य उपलब्ध महिलाओं से इन स्थानों को भरने में समर्थ होने चाहिएं।

ग 615. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या आपके पास कोई दूसरी पद्धति है,जिसके द्वारा ये 6 स्थान भरे जा सकें?

श्रीमती पी.के. सेन: हां, संघीय विधान-मंडल के लिए राजधानी शहर है। इस सवाल का जवाब मैं पहले ही दे चुकी हूं। प्रांतीय विधान सभाओं के लिए भी वही होगा। इनमें बहुत धन खर्च नहीं होगा; और सारे प्रांतों में सीटों पर खड़े होने के लिए महिलाएं उपलब्ध होंगी।

ग 616. डा. भीमराव अम्बेडकर: मद्रास में छह महिलाओं के सदस्य बनकर आने के लिए आपके पास राजधानी का शहर ही होगा?

श्रीमती पी.के. सेन: नहीं, प्रांत की विभिन्न राजधानियों के लिए उनके पृथक-पृथक निर्वाचन-क्षेत्र होंगे।

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस, खंड 2- ग 29 जुलाई 1933, पृ. 2355*

ग 617. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं जो सवाल पूछना चाहता था, वह यह था कि इस बात से आप कहां तक सहमत हैं कि विभिन्न समुदायों की साप्रंदायिक भावनाओं का आदर करते हुए क्या आप इस बात के लिए तैयार होंगी कि विधान परषिदों में ऐसी स्त्रियों के लौटने के लिए संयुक्त निर्वाचक-मंडल के आधार पर इंतजाम करते समय, जैसे उदाहरण के लिए मुस्लिम औरतों के लिए निश्चित स्थानों के आरक्षण की इजाजत ले ली जाए और कुल संख्या वही रखी जाए?

श्रीमती पी.के. सेन: हम सांप्रदायिक आरक्षण के खिलाफ हैं।

ग 618. डा. भीमराव अम्बेडकर: पांच हिंदू स्त्रियों को सदस्य निर्वाचित करने के लिए हिंदू स्त्रियों का एक पृथक निर्वाचक-मंडल रखने पर तथा एक मुस्लिम सदस्य के लिए मुस्लिम स्त्रियों का प्रथक निर्वाचक-मंडल बनाने पर आपकी आपत्ति मैं अच्छी तरह समझता हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको भी ऐसी व्यवस्था पर एतराज है,जिसमें हिंदू स्त्रियां और मुस्लिम स्त्रियां एक ही निर्वाचन-क्षेत्र में साथ-साथ मत देंगी--एक संयुक्त निर्वाचन-क्षेत्र जिसमें यह शर्त रखी जाए कि कम से कम एक स्थान मुस्लिम स्त्री के लिए आरक्षित किया जाए?

श्रीमती पी. के. सेन: वे सभी मुसलमान महिला को मत देंगे।

ग 619. डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं जानता हूं कि आप संभवत: इतनी उदार होंगी कि आप और अधिक स्थान दे सकती हैं। क्या आप इस बात को अनुमोदित करने को तैयार होंगी कि कानून द्वारा यह व्यवस्था कर दी जाए कि एक स्थान मुसलमान स्त्रों के लिए आरक्षित किया जाए?

श्रीमती पी. के. सेन: हां, पहले से ही ऐसा है और हमें यह स्वीकार करना होगा।

ग 620. डा. भीमराव अम्बेडकर: वह पृथक निर्वाचक-मंडल के आधार पर हो सकता है, यह नहीं बताया गया है कि कैसे होगा?इसलिए मैं इस मामले में आपकी राय लेना चाहता था। मद्रास में इन 6 स्थानों को भरे जाने के बारे में विस्तृत उपबंध श्वेत-पत्र में दिखाई नहीं पड़ते?

श्री पी. के. सेन: स्त्री-पुरुषों का एक संयुक्त निर्वाचक-मंडल होना चाहिए।

ग 621. डा. भीमराव अम्बेडकर: मुझे नहीं पता। कम से कम श्री बटलर इस बात पर प्रकाश डाल सकते हैं कि ये 6 स्थान कैसे भरे जाने हैं?

श्रीमती एल.मुखर्जी: यदि सांप्रदायिक भेदभाव से बचा जा सके,तो हम इसे नहीं चाहते।

डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं आपकी बात अच्छी तरह समझ गया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इस सीमा तक अपनी आपत्ति को नरम करने के लिए तैयार हैं कि एक स्थान आरक्षित करते हुए आप संयुक्त निर्वाचक-मंडल बनाएंगे, जिससे कि साप्रदांयिक संतुलन न बिगड़े।

श्री बटलर: मैं समझता हूं कि डा. भीमराव अम्बेडकर इसे बना लेंगे। 'विशेष समितियों के स्थानों के लिए निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रस्तुत की जाने वाली निश्चित निर्वाचन मशीनरी अभी भी विचाराधीन है।'

डा. भीमराव अम्बेडकर: इसलिए मैं यह पूछ रहा था कि क्या ये स्थान साधारण निर्वाचन क्षेत्र में स्त्रियों के पृथक निर्वाचन-मंडलों द्वारा भरे जाएंगे। यहां यह बात स्पष्ट नहीं की गई है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे किया जाए,क्योंकि मैंने पृथक शीर्षों के अंतर्गत आवंटित स्थानों की सारणी में यह पाया है। 'साधारण' के अंतर्गत 6 महिला स्थान 'मुसलमान' के अंतर्गत एक स्थान, इससे मेरी यह धारणा बनती है कि आप केवल मुस्लिम स्त्रियों के लिए ही पृथक निर्वाचक-मंडल रखेंगे जिसका परिणाम यह होगा कि पुरुष 28 होंगे और स्त्री एक। मुझे मालूम नहीं, मैं इस मुद्दे पर जानकारी चाहता हूं।

ग 622. अध्यक्ष: मेरा विचार है कि दोपहर बाद का उपयोग साक्षियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए करना बेहतर होगा। क्या आप मुद्दे पर वापस आएंगी?

श्रीमती पी.के. सेन: कम से कम यह स्त्रियों का पृथक निर्वाचक-मंडल नहीं होगा।

ग 623. डा. भीमराव अम्बेडकर: यदि यह आप पर छोड़ दिया जाए,तो उन्हें सारे 6 या उससे भी अधिक स्थान दे सकती हैं?

श्रीमती पी.के. सेन: ठीक।

ग 624. डा. भीमराव अम्बेडकर: मेरा अभिप्राय है कि आशंका की दृष्टि से हो सकता है, एक भी न हो?

श्रीमती पी. के. सेन: हां।

(12)

पूना समझौते पर संयुक्त समिति में विचार-विमर्श

*माननीय एन.एन. सरकार**: क्या मैं संक्षिप्त बयान दे सकता हूं,ताकि मामले को सीमित किया जा सके? यदि समिति इजाजत दे,तो मैं सांप्रदायिकता के फैसले पर प्रश्न पूछने का अधिकार चाहता हूं। किन्तु वास्तव में हिंदू और मुसलमानों के बीच विवाद से संबंधित मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता,क्योंकि वह उन तथ्यों पर निर्भर नहीं करता,जिन्हें किन्हीं साक्षियों द्वारा साबित किया जाना है। लेकिन मैं साक्षियों से यह चाहता हूं कि वे महोदय को पूना समझौते से संबंधित तथ्य बताएं। माननीय अनुप पात्रो के द्विविधापूर्ण बयान के बारे में मुझे दो बातें कहनी हैं और मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दी जाए। उस फैसले से ही यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि एक प्रांत का परिणाम किसी दूसरे प्रांत के परिणाम से संबद्ध नहीं होता। उस फैसले में ही यह कहा गया है कि किसी एक प्रांत से भली-भांति भिन्न दूसरे

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-ग, 31 जुलाई 1933,पृ. 1356-61

प्रांत में कोई भी परिवर्तन किया जा सकता है। जहां तक मेरे मित्र श्री जफरुल्ला खां के बयान का संबंध है, मैं केवल यह निवेदन करने का यत्न करुंगा कि गोलमेज सम्मेलन के समय हम यह ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे कि करार का सबसे बड़ा उपाय क्या है? हमारे लिए यह कहने के लिए रास्ता खुला था, जब तक मुझे हिंदुओं के लिए 100 प्रतिशत स्थान नहीं मिल जाते, मैं इसमें और आगे भाग नहीं लूंगा। यह प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। मैं समिति से अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न के गुणावगुण पर विचार किया जाए।

डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या मैं संक्षेप में कुछ कह सकता हूं? मुझे खुशी है कि यह खींचातानी, यदि इस शब्द का प्रयोग करने की इजाजत हो, तो केवल पूना समझौते तक ही सीमित होने जा रही है और माननीय नृपेन्द्र सरकार हिंदू और मुसलमानों के बीच स्थानों के वितरण के प्रश्न को फिर से उठाना नहीं चाहते, लेकिन क्या मैं कह सकता हूं कि मुसलमानों के दृष्टिकोंण के बारे में चौधरी जफरुल्ला खां द्वारा व्यक्त की गई भावनाएं बिल्कुल वही हैं, जो कि मैं शुरु से व्यक्त कर रहा हूं। जब मैंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना शुरू किया था और यह कि मैंने भी यह समझ कर इस विचार-विमर्श में भाग लेने की सम्मत्ति दी थी कि पूना समझौता एक स्वीकृत प्रस्ताव है। निस्संदेह, माननीय नृपेन्द्र सरकार द्वारा तथ्यों को समिति के समक्ष रखे जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे भी भूल-सुधार का अवसर मिलेगा। लेकिन जहां तक मेरी अपनी स्थिति का संबंध है, मैं नहीं समझता कि मेरे लिए समिति की कार्यवाहियों में और आगे भाग लेना संभव होगा, यदि उदाहरण के लिए, दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के बारे में संपूर्ण प्रश्न फिर से उठाया जाता है तो।

माननीय एन.एन. सरकार: अध्यक्ष महोदय! मैं आपकी अनुमति से इस अवसर पर प्रधानमंत्री को भेजा गया अपना निम्नलिखित पत्र और माननीय रवीन्द्रनाथ टैगोर का 27 जुलाई 1933 का तार प्रस्तुत करना चाहता हूं:

प्रधानमंत्री को माननीय एन.एन. सरकार का पत्र

सें. जेम्स कोर्ट,
बकिंघम गेट,
लंदन, एस. डब्ल्यू. आई.
14 दिसंबर 1932

प्रिय प्रधानमंत्री जी,

मैं आपके अनुरोध पर आपकी सेवा में कुछ तार भेज रहा हूं। बंगाल विधान परिषद के 25 सदस्यों का पहला तार इस प्रकार है:

> बंगाल विधान परिषद के 25 सदस्यों का प्रतिवेदन। पूना दलित वर्ग समझौता बंगाल के हिंदुओं से संपर्क किए बिना किया गया। शेष भारत की तरह बंगाल में कोई

दलित वर्ग समस्या नहीं है, जैसा कि लोथियन समिति ने ध्यानपूर्वक छानबीन के बाद पाया। अम्बेडकर और अन्य लोगों को बंगाल की स्थितियों के बारे में कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। बंगाल में अभिकथित दलित वर्ग किसी राजनीतिक अनर्हता से ग्रस्त नहीं है। पूना समझौते द्वारा आमूल परिवर्तन, बंगाल में हिंदू समाज के सामान्य विकास के आधार पर प्रहार है। बंगाल के संबंध में पूना समझौते में ईमानदारी से संशोधन करने की आवश्यकता है, क्योंकि लोथियन समिति योजना में बंगाल की स्थिति को भली-भांति समझा गया है।

'बी.सी. चटर्जी, एस.एम. बोस, महाराजा दीनाजपुर, महाराजा कोशिमबाजार, राजा बहादुर नरसिंहपुर, नरेन्द्र कुमार बसु, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राय बहादुर, कामिनी कुमार दास, सत्येन्द्र कुमार दास, केशव चन्द्र बनर्जी, हरीधन दत्त, सतीश चन्द्र मुखर्जी, शरत चन्द्र मित्र, आनन्द मोहन पोद्दार, सतीश चन्द्र, राय चौधरी, हनुमान प्रसाद पोद्दार, किशोरी मोहन चौधरी, सत्य किंकर सहाना, क्षेत्र मोहन राय, देव राय महषी, शांति शेखरेश्वर राय, शरत कुमार राय, पी. बनर्जी, सुरेन्द्र नाथ लॉ, शेलेश्वर सिंह राय'

2. मैंने अपर्युक्त तार डा. अम्बेडकर को दिखाया था। उन्हें भी एक तार मिला था, जिसकी प्रतिलिपि इस प्रकार है:

'बंगाल के बारे में। बंगाल के संबंध में पूना समझौते के पुनरीक्षण के लिए हिंदू मित्रों का तार। उन्होंने दो बार चूक की। एक बार लोथियन समिति के सामने, जब वे दलित वर्गों की सूची देने में नाकाम रहे। दूसरे, जब बंबई में सितम्बर माह में आयोजित सम्मेलन में बुलाए गए और कोई भी नहीं आया। अब वे मिथ्या हो- हल्ला मचाते हैं। इसके अलावा नामशूद्रों द्वारा सारे स्थानों को हड़पने का उन्हें व्यर्थ में भय है। साथ ही लोथियन खंड दो के अनुसार, बंगाल सरकार दलित जनसंख्या के आंकड़े 103 लाख हैं, जब कि लोथियन के अनुसार, हमने स्थानों की गणना के लिए 75 लाख माने थे, पूना समझौता लोथियन सिफारिशों के तुरंत बाद हुआ, देखिए मलिक का टिप्पण-लोथियन खंड 2, कलकत्ता में ठक्कर ने व्यापक हिंदू भावना समझौते के पक्ष में पाई। इस प्रकार मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित समझौते का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता।'

- *बिड़ला और ठक्कर*

3. मुझे अन्य दो तार भी मिले हैं, जो इस प्रकार हैं:

'अम्बेडकर के नाम बिड़ला का तार। बिरला बंगाल की परिस्थितियों से परिचित नहीं हैं और उनका वहां बिल्कुल भी प्रतिनिधि स्वरूप नहीं है। बंगाल में दलित वर्गों को 30 स्थान देने में पूना समझौता न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। यह संख्या मद्रास को दिए गए स्थानों के बराबर है। बंगाल में दलित वर्गों का प्रश्न निश्चय ही बहुत विषम नहीं है और अन्य प्रांतों से पूरी तरह भिन्न है। बंगाल इस सवाल पर प्रधानमंत्री के निर्णय

को ही सबसे ज्यादा मान सकता है।'

'सतीश चन्द्र सेन, विजय कुमार बसु, सत्येन्द्र चन्द्र घोष मलिक, अमर नाथ दत्त, सत्येन्द्र चन्द्र मित्र, सत्यचरण मुखर्जी, सत्येन्द्र नाथ सेनं, जगदीश चन्द्र बनर्जी, नव कुमार सिंह दुधोरिया केंद्रीय विधान-मंडल में उपस्थित बंगाल के गैर-मुस्लिम प्रतिनिधि'

– अमर नाथ दत्त

'बंगाल विधान परिषद के सदस्य जिन्होंने पहले तार दिया था, कहते हैं कि बिड़ला और ठक्कर के तार में गलत बयानी की गई है। बंगाल के प्रतिनिधियों को पूना समझौते को जन्म देने वाले सम्मेलन में नहीं बुलाया गया। उसकी शर्तों से बंगाल आश्चर्यचकित। उससे सहमत नहीं, प्रधानमंत्री के फार्मूले के अनुसार समझौते से बंगाल आबद्ध नहीं हो सकता। लोथियन समिति ने जांच की थी कि कौन-सी जातियां बंगाल में अछूत और अगम्य हैं। हिंदू और मुसलमानों से युक्त प्रांतीय मताधिकार समिति का सही उत्तर। रिपोर्ट खंड 2, मलिक का टिप्पण समिति के समक्ष पेश नहीं, लेकिन गुप्त रूप से तैयार। बंगाल के दलितों का मलिक द्वारा वर्गीकरण अन्य प्रांतों से भिन्न जिनके अंतर्गत सवर्ण बनिक शाह महिष्य स्वीकृत रूप से दलित वर्ग से बाहर। इंग्लैंड से आए भारतीय, ब्रह्म समाजी लोग यहां तक कि बैद्य, कायस्थ भी ब्राह्मणों के मुकाबले में। बंगाल सार्वजनिक जीवन जात-पांत से मुक्त, सवर्ण हिंदुओं ने मदारीपुर से 1923 में चटर्जी के खिलाफ एक नामशूद्र को चुना। देशबन्धु ने ब्राह्मण की पुत्री से शादी करके रूढ़िवादी निष्ठा की अवहेलना की, किन्तु उनके अनुयायियों में सभी सवर्ण जातियों के लोग। कलकत्ता गजट 14 जुलाई के अनुसार नामशूद्रों के वितरण से उनके लिए 20 सुरक्षित स्थान पाना सुनिश्चित। गैर-नामशूद्र भविष्य से चिंतित। नामशूद्र राजवंशी कड़े रुख से अन्य दलित जातियों को सामाजिक संसर्ग से अलग रखते हैं और सवर्ण जाति के लोगों की अपेक्षा जिन्होंने अपने उत्थान के लिए पीढ़ियों तक काम किया, उनका प्रतिनिधित्व करने का कम अधिकार। पूना समझौते से बंगाल के हिंन्दुओं का राजनीतिक विभाजन शुरू, जो अब तक नहीं था। प्रधानमंत्री को दिखा दें।'

– चटर्जी और अन्य

4. मैं पिछले अगस्त में भारत से चला था। मुझे पूना समझौते की निजी तौर पर जानकारी नहीं है।

5. आपके सांप्रदायिकता संबंधी फैसले में यह कहा गया था, 'महामहिम की सरकार यह चाहती है कि यह बिल्कुल साफ तौर पर समझ लिया जाए कि वे किसी भी बातचीत में कोई पक्ष नहीं हो सकते,जो उनके फैसले का पुनरीक्षण करने की दृष्टि से शुरू की जाए और वे किसी भी प्रतिवेदन पर विचार करने के लिए तैयार नहीं होंगे,जिसका उद्देश्य उसमें परिवर्तन कराना है,जिसे सभी प्रभावित पक्षों का समर्थन प्राप्त नहीं है।

6. जब कि आपके फैसले के अंतर्गत हिंदुओं को (सभी अभिकथित दलित वर्गों सहित)

80 स्थान दिए गए हैं, मुसलमानों को 119 स्थान मिले है अर्थात हिंदुओं से ज्यादा, 50 प्रतिशत। यूरोपीय हितों को 25 स्थान अर्थात कुल स्थानों का 10 प्रतिशत जब कि वे कुल जनसंख्या के एक प्रतिशत का एक अंश भी नहीं हैं। स्थिति, प्रभाव, शिक्षा, आदि तत्वों पर प्रकटत: विचार किया गया है और यूरोपीयों के मामलों में विधिसम्मत रूप से विचार किया गया है। लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जनसंख्या का विचार नहीं किया गया है। मुसलमान 21 वर्ष से नीचे के बच्चों को मिलाकर 54 प्रतिशत होने का दावा करते हैं, जब कि यदि केवल वयस्कों को गिना जाए तो मुसलमानों का कोई खास बहुमत नहीं होगा।

7. यदि मुसलमान कुल जनसंख्या के 54 प्रतिशत हैं तो भी हिंदुओं से 50 प्रतिशत अधिक स्थान पाना विशेष स्थानों के बनने की वजह से बताया गया है, 51 हैं जो हिंदुओं से अनुपात में कहीं अधिक हैं।

8. विशेष स्थानों की प्रकृति से जिनके अंतर्गत यूरोपीयों के लिए 25, आंग्ल-भारतीयों के लिए 4, श्रमिकों के लिए 8, अपने आप में यह बात स्पष्ट नहीं होती कि हिंदू लोग इन स्थानों से कुल स्थानों में अपना उचित हिस्सा पूरा कर सकते हैं।

9. मैं पूरी तरह समझता हूं कि अपने फैसले के शब्दों को ध्यान में रखते हुए आप तर्क नहीं सुन सकते,चाहे वे कितने भी प्रबल हों, लेकिन सर्वोत्तम इरादों से यह फैसला हिंदुओं के लिए अनुचित है और यही सबसे बड़ा कारण है कि दलित वर्गों से भिन्न, बंगाल के हिंदू उसे कम करने पर आपत्ति करते हैं,जो आपके फैसले के द्वारा उन्हें दिया जा चुका है। कृपया मुझे यह कहने की इजाजत दी जाए कि यदि बहस की खातिर यह मान लिया जाए कि एक समुदाय को उसके हिस्से से लगभग 50 प्रतिशत ज्यादा मिल गया है,तो यह आशा करना बेकार है कि वह समुदाय न्याय की किन्हीं अमूर्त विचारधाराओं से प्राप्त अपने औचित्यरहित फायदे को छोड़ देगा।

10. प्रस्तुत विषय केवल एक तथ्य का प्रश्न है और वह यह है कि क्या आज शिकायत करने वाले लोग आपके फैसले में संशोधन के लिए सहमत हैं? निवेदन है, अभिकथित व्यतिक्रमों द्वारा समझौते के बारे में श्रमसाध्य तर्क में कोई बल नहीं है, जो भी हो, यह तय करना बाकी है कि क्या ऐसा कोई व्यतिक्रम हुआ है,जिससे यह निष्कर्ष निकाला जाए कि बंगाल के गैर-दलित वर्ग आपके एवार्ड में परिवर्तन करने के लिए राजी हो गए हैं।

11. निवेदन है कि यह मामला इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर इस आधार पर कार्यवाई नहीं की जा सकती कि बिरला और ठक्कर का तार तथ्यों को सही दर्शाता है। ये तथ्य वे हैं,जो विवादा ग्रस्त रहे हैं। यदि इन तथ्यों को सारत: ठीक मान लिया जाए,तो भी कोई समझौता नहीं होगा।

12. निराश पार्टी के हित में इस तथ्य के बारे में जांच करना कि बंगाल में गैर-दलित वर्ग पूना समझौते में पार्टी था या नहीं अथवा उससे आबद्ध है या नहीं यह काम चाहे भारत

सरकार या बंगाल सरकार के माध्यम से अथवा किसी अन्य उत्तरदायी और तटस्थ ऐजेन्सी के माध्यम से कराया जाए, एक विस्तृत विषय है।

इस पत्र की एक प्रति मैं डा. अम्बेडकर को सूचनार्थ भेज रहा हूं। मैं इंग्लैंड से शीघ्र रवाना होने वाला हूं, इसलिए यदि इस प्रतिवेदन की कोई स्वीकृति या जवाब देना हो तो कृपया निम्न पते पर दें:

श्री नरेन्द्र कुमार बसु, एम.एल.सी.
बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय,
कलकत्ता।

आपका,
ह./-
एन.एन. सरकार,
सदस्य,
इंडियन राउंड टेबिल कांफ्रेंस

माननीय रवीन्द्रनाथ टैगोर का केबल तार

दिनांक: 27 जुलाई, 1933

सेवा में,

माननीय एन.एन. सरकार,

मुझे याद है कि मैंने प्रधानमंत्री को एक केबल भेजकर उनसे अनुरोध किया था कि महात्मा जी द्वारा पेश किए गए सांप्रद्रायिक एवार्ड से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार करने में विलम्ब न करें। उस समय एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी, जो इतनी दर्दनाक थी कि हमें तनिक भी समय या मन की शांति नहीं मिली, ताकि हम पूना समझौते के संभव परिणामों के बारे में शांतिपूर्वक विचार कर सकें। वह उन सदस्यों की सहायता से जिनमें बंगाल का कोई भी जिम्मेदार प्रतिनिधि नहीं था, मेरे आने से पहले किया जा चुका था। तब सप्रू और जयकर पहले ही वहां से जा चुके थे। महात्मा जी का जीवन इस समस्या के तुरन्त समाधान पर निर्भर करता है और ऐसे संकट से उत्पन्न असह्य चिन्ता के कारण मुझे सहसा ऐसा वायदा करना पड़ा है, जिसे अब मैं अपने देश के स्थायी हित के प्रतिकूल की गई गलती समझता हूं। महात्मा जी के प्रति अपार स्नेह के कारण और भारतीय राजनीति में उनकी प्रज्ञा में पूर्ण विश्वास के कारण तथा राजनीतिक व्यवहारों में कोई अनुभव न रखते हुए, मैंने यह सावधानी बरते बिना कि बंगाल के मामले में न्याय की बलि चढ़ा दी गई है और आगे विचार-विमर्श की प्रतीक्षा न करने की भारी गलती की। अब मुझे लेशमात्र भी संदेह नहीं है कि ऐसा अन्याय सभी संबंधित दलों के लिए परेशानी पैदा करता रहेगा और हमारे प्रांत में घोर सांप्रदायिक

भावना को जीवित रखेगा, जिससे शांतिपूर्ण शासन हमेशा कठिन रहेगा।

– रवीन्द्रनाथ टैगोर

प्रधानमंत्री के नाम डा. अम्बेडकर का पत्र और संलग्नक

इम्पीरीयल होटल,
रसल स्क्वायर,
लंदन, डब्ल्यू.सी.आई.,
5 जनवरी 1933

प्रिय प्रधानमंत्री जी,

माननीय एन.एन. सरकार के सौजन्य से मुझे तारीख 19 दिसम्बर 1932 के पत्र की एक प्रति मिल गई है, जो उन्होंने आपको भारत रवाना होने से पहले भेजा था। उसमें उन्होंने बंगाल के सवर्ण हिंदुओं से प्राप्त कुछ तार आपके विचारार्थ रखे हैं, जिनमें इस आधार पर बंगाल के सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्गों के बीच पूना समझौते की शर्तों को लागू करने का विरोध किया गया है कि बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का उस समझौते में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था।

दूसरे पक्ष की ओर से मुझे भी तार मिले थे। उनमें से एक मैंने माननीय एन. एन. सरकार को दिखाया था। वह सर्वश्री ठक्कर और बिड़ला ने भेजा था, जिन्होंने पूना समझौते के संबंध में हुई बातचीत के दौरान श्री गांधी की ओर से भाग लिया था और उन्होंने अपने पत्र में उसके मूल पाठ को उद्धृत किया है। किन्तु मैं आपको उनके बारे में परेशान करना नहीं चाहता था। पहले तो इसलिए कि महामहिम की सरकार द्वारा पूना समझौते को स्वीकार कर लिए जाने के बाद मेरी राय में यह मामला बन्द हो गया था और दूसरे इसलिए कि माननीय एन.एन. सरकार ने मुझे आश्वासन दिया था कि वह अपने द्वारा प्राप्त तारों को आपकी सूचनार्थ भेजने मात्र से संतुष्ट नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सर्वश्री ठक्कर और बिड़ला द्वारा अपने तार में प्रयुक्त 'अभिकथित व्यतिक्रम द्वारा समझौते के बारे में श्रम साध्य तर्क ' में कोई बल नहीं और अंत में उसमें यह जोड़ दिया गया है 'कि बंगाल में गैर-दलित वर्गों के पूना समझौते में पक्षकार होने या उससे आबद्ध होने के तथ्य के बारे में कोई जांच भारत सरकार, बंगाल सरकार अथवा किसी अन्य विचार प्रवण और तटस्थ एजेन्सी के माध्यम से कराई जानी चाहिए', इसलिए उनके द्वारा उठाए गए प्रश्न पर मैं अपने विचार रखना आवश्यक समझता हूं।

मेरा पहला निवेदन है कि यदि यह मान लिया जाए कि बंगाल के हिंदुओं का पूना समझौते में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, तो भी मात्र इसी कारण उसे बंगाल में लागू होने से नहीं रोका जा सकता। महामहिम की सरकार के साप्रंदायिक एवार्ड का पैरा-4 जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने निर्णय की शर्तों को हटाने के लिए एक समझौते का उपबंध किया था, मेरी

राय में यह संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए एक परिकाल्पनिक योजना का अनुबंध नहीं करता और याद रहे पूना समझौता, पूरे ब्रिटिश भारत--सवर्ण और दलित--के लिए था। उसकी स्वीकृति के लिए प्रांत के स्थान पर प्रांत एक आवश्यक शर्त थी। वस्तुत: इससे भी आगे मेरा यह कहना है कि अनुबंध अकेले प्रांत की बाबत किसी समझौते के लिए भी सांप्रदायिक फैसले का आधार-तत्व नहीं है। जहां तक मैंने पैरा-4 पढ़ा है, उसमें केवल यह अनुबंधित है कि महामहिम की सरकार का समाधान होना चाहिए कि जिन समुदायों का इस बात से संबंध है, वे एक व्यावहारिक वैकल्पिक स्कीम केआधार पर आपस में सहमत हों। पैरा 4 के इस निर्वचन के बारे में यह कहना चाहता हूं कि बंगाल के सवर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति पूना समझौते को बंगाल में लागू होने से नहीं रोक सकती। यदि प्रतिकूल निर्वचन सही है, तो पंजाब, संयुक्त प्रांत, बिहार और उड़ीसा के दलित वर्गों के लिए पूना समझौते को भंग कराने का रास्ता खुला रहेगा, क्योंकि उनका भी कतई प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था।

मेरा दूसरा निवेदन है कि इस धारणा पर आगे बढ़ना वास्तव में जरूरी नहीं है कि बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था, जैसा कि माननीय एन.एन. सरकार द्वारा आपको भेजे गए तार पर हस्ताक्षर करने वालों द्वारा कहा गया है। मैं यह जानता हूं कि वस्तुत: उनका प्रतिनिधित्व हुआ था और सर्वश्री ठक्कर तथा बिड़ला के तार में उनका यह कथन, 'बंगाल के हिंदुओं ने निमंत्रण के बावजूद उसमें भाग नहीं लिया,' जिसके आधार पर श्री एन.एन. सरकार ने जांच के लिए अपना तर्क पेश किया है, सही नहीं है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ध्यान में रखने की बात यह है कि बंगाल के ये प्रतिनिधि मौन दर्शकों की भांति केवल उपस्थित ही नहीं थे, बल्कि वे बातचीत में सक्रिय भागीदार थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि उनमें से एक बंबई में मेरे पास आया था और वह राजा पार्टी के बंगाल दलित वर्ग के एक युवा के साथ था और उसने मेरे साथ लगभग डेढ़ घंटा निजी तौर पर बातचीत की थी, जिसके दौरान उसने मुझसे कहा था कि संयुक्त निर्वाचक-मंडलों के आधार पर सवर्ण हिंदुओं के साथ समझौता कर लिया जाए। इसलिए यह कहना बिल्कुल गलत है कि बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था और सर्वश्री ठक्कर तथा बिरला के कथन में जो अशुद्धता है, वह इस कारण है कि बातचीत के समस्त विवरण की जानकारी रखना असंभव है, जो अंतर्ग्रस्त मुद्दों के महत्वपूर्ण स्वरूप को ध्यान में रखते हुए क्षम्य है। मुझे खेद है कि मैं बंगाल के उस सवर्ण हिंदू सज्जन का नाम बताने की स्थिति में नहीं हूं, जिसने मेरे साथ बातचीत की थी, लेकिन मैं भारत लौटते ही उसका नाम आपको दे दूंगा।

अत: बंगाल के सवर्ण हिंदुओं की ओर से पूना समझौते पर नए सिरे से विचार करने का कोई मामला नहीं बनता। जहां तक दलित वर्गों का संबंध है, उनके प्रवक्ता श्री एम. बी. मलिक ने मुझे तार भेजा है कि वे पूना समझौते को स्वीकार करते हैं। उनका तार और सर्वश्री

ठक्कर और बिड़ला का तार आपकी सूचनार्थ मूल रूप में संलग्न है। मैं अगले सप्ताह भारत आ रहा हूं। इस विषय में यदि आप मुझे कोई सूचना देनी चाहें, तो वह मेरे बंबई के पते पर भेजी जाए, जो कि आपकी सुविधा के लिए मैं नीचे दे रहा हूं।

दामोदर हाल, परेल,
बंबई-12, (भारत)

आपका
ह.
डा. भीमराव अम्बेडकर

तारीख 1 दिसंबर 1932 का तार

1774 दिल्ली-118.29.2020
डी एल टी डा. अम्बेडकर, इंडिया आफिस, लंदन

बंगाल के लिए पूना समझौते के पुनरीक्षण के लिए बंगाल के हिंदू मित्रों के तार के बारे में, वे दो बार चूके, एक बार लोथियन समिति के सामने जब वे दलित वर्गों की सूची नहीं दे पाए और दूसरे उस समय जब बंबई में सितंबर के सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने पर किसी ने भी भाग नहीं लिया। अब वे मिथ्या चीख -पुकार करते हैं, साथ ही वे सारी सीटें नामशूद्रों द्वारा हथिया लेने की संभावना से बेकार में भयभीत हैं। इसके अतिरिक्त बंगाल सरकार के दलित आबादी के आंकड़े लोथियन खंड 2, पृष्ठ 263 के अनुसार 103 लाख हैं जब कि हमने सीटों की गणना के लिए लोथियन के अनुसार 75 लाख माने थे। पूना समझौता लोथियन सिफारिशों के थोड़े समय बाद ही हुआ, देखिए मलिक की टिप्पणी, लोथियन खंड 2, पृष्ठ 25। कलकत्ता में ठक्कर ने हिंदू भावना समझौते के पक्ष में पाई, इसलिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित समझौते का पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता।

– *बिड़ला और ठक्कर*

तारीख 26 दिसंबर 1932 का तार

डब्ल्यू एल टी अम्बेडकर इंडियन कांफ्रेस, लंदन

बंगाल दलित वर्ग पूना समझौते को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार हिंदू परिषद भी हिंदू अभ्यावेदन असद्भावपूर्ण द्वेषपूर्ण-मलिक

(13)

हिंदू महासभा की ओर से डा. बी.एस. मुंजे, श्री बी.सी. चटर्जी, श्री जे. बेनर्जी, श्री जी.ए. गवई, राय साहब मेहर चन्द खन्ना, श्री आर.एम. देशमुख, श्री भाई परमानन्द और पं. नानक चन्द

8813. *डा. भीमराव अम्बेडकर**: डा. मुंजे, मैं आपसे एक-दो सवाल पूछना चाहता

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2- ग, 31 जुलाई 1933, पृ. 1425-34

हूं। सबसे पहले डा. मुंजे उस बैठक के बारे में, जो पं. मदन मोहन मालवीय ने इस पर चर्चा करने के लिए बंबई में बुलाई थी कि उस प्रश्न के संबंध में क्या किया जा सकता है, जो श्री गांधी के अनशन के कारण उत्पन्न हुआ था, माननीय नृपेन्द्र सरकार ने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे, मैं कुछ ब्योरे प्रकाश में लाने के लिए एक-दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। आप प्रथम सम्मेलन में उपस्थित थे जो 19 सितंबर 1932 को पं. मालवीय की अध्यक्षता में बंबई में हुआ था।

डा. मुंजे: हां।

8814. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* जैसा कि आप जानते ही हैं बैठक में एक छोटी-सी उप-समिति नियुक्त की गई थी?

डा. मुंजे: हां।

8815. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* उसमें दलित वर्गों के और सवर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधि थे जिनमें श्री जयकर, माननीय तेज बहादुर सप्रू और अन्य के नाम उल्लेखनीय हैं?

डा. मुंजे: हां।

8816. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* वह उप-समिति के सवाल पर चर्चा करने के लिए पूना गए थे?

डा. मुंजे: हां।

8817. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्योंकि उन्होंने यह सोचा था कि इस विषय पर चर्चा करते हुए महात्मा गांधी के निकट रहना बहुत वांछनीय होगा, उप-समिति के विचार-विमर्श के फलस्रूप पूना में महात्मा गांधी की सहमति से पूना समझौता हुआ था?

डा. मुंजे: हां।

8818. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसके बाद उस मूल हिंदू समिति की जिसने यह उप-समिति नियुक्त की थी, 25 सितंबर को बंबई में पुन: बैठक हुई?

डा. मुंजे: हो सकता है। मैं उपस्थित नहीं था।

8819. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* उस बैठक में समझौते पर मतदान करवाया गया था और वह पारित हो गया था। क्या ऐसा नहीं है?

डा. मुंजे: मुझे खुशी है कि डा. अम्बेडकर ने उस सब विवरण को स्पष्ट करने का मौका दिया है।

8820. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या आपको यह अपनी जानकारी से विदित है?

डा. मुंजे: जो बातें मै व्यक्तिगत रूप से जानता हूं उनका विवरण में दे सकता हूं।

8821. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको मालूम है कि पूना में अपना काम खत्म करने के बाद उप-समिति वापस बंबई आ गई और

उसने जो कुछ किया था, उसकी रिपोर्ट हिंदुओं के मुख्य सम्मेलन को दी जिसने उस उप-समिति को नियुक्त किया था?

डा. मुंजे : उसने जरूर ऐसा किया होगा।

8822. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं श्री गवई से एक प्रश्न पूछूंगा, जो मैं समझता हूं, वहां थे। श्री गवई, आपने उन चर्चाओं में भाग लिया था, जिनके परिणामस्वरूप पूना समझौता हुआ था?

श्री गवई: हां।

8823. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं बदले की भावना से यह नहीं पूछ रहा हूं, किन्तु आप उस समय राजा-मुंजे समझौता पार्टी में थे।

श्री गवई: हां।

8824. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आप पूना में उपस्थित थे?

श्री गवई: हां, मैं उपस्थित था।

8825. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* जब समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, तो उप-समिति वापस बंबई आ गई और उसने पं. मालवीय की अध्यक्षता में एक बैठक की और पूना समझौते को अनुमोदित करते हुए संपूर्ण उप-समिति ने संकल्प पारित किया?

श्री गवई: हां।

डा. मुंजे: डा. अम्बेडकर ने जो सवाल मुझसे पूछे हैं, क्या मैं उनके बारे में कुछ कहूं?

अध्यक्ष: मेरे विचार में समिति डा. अम्बेडकर की जांच के निष्कर्ष सुनना पसन्द करेगी। डा. मुंजे हम आपका स्पष्टीकरण बाद में सुनेंगे?

8826. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* उप-समिति नियुक्त हो जाने के बाद समिति श्री गांधी से इस विषय पर चर्चा के लिए पूना गई थी और हिंदू महासभा का एक अधिवेशन 24 से 26 सितंबर 1932 के बीच दिल्ली में आयोजित हुआ था?

डा. मुंजे: हां।

8827. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या पं. मालवीय की अध्यक्षता में?

डा. मुंजे: नहीं, श्री एन.सी. केलकर की अध्यक्षता में।

8828. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* दिल्ली की उस बैठक में श्री रामानन्द चटर्जी उपस्थित थे?

डा. मुंजे: हां।

8829. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* दिल्ली में हिंदू महासभा की उस बैठक में राजा नरेन्द्र नाथ भी उपस्थित थे?

डा. मुंजे: हां।

8830. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या यह सही नहीं है कि दिल्ली अधिवेशन मे हिंदू महासभा ने इस समझौते का अनुमोदन किया था?

डा. मुंजे: हां। इस बारे में कोई संदेह नहीं है।

8831. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* श्री रामानन्द चटर्जी बंगाल के सवर्ण हिंदुओं के प्रमुख सदस्य हैं?

डा. मुंजे: हां।

8832. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* और हिंदू महासभा के भी बहुत विख्यात सदस्य?

डा. मुंजे: हां।

डा. जे. बनर्जी: मैं यह बताना चाहूंगा कि वह बिल्कुल भी सवर्ण हिंदू नहीं हैं, वह अवर्ण हिंदू हैं। वह ब्रह्मे हैं।

8833. *मारक्वेस आफ जैटलैंड:* मैंने देखा था, इससे पहले साक्ष्य में गलत छपा था। यह एक बहुत स्वाभाविक भूल है। माननीय रवीन्द्रनाथ टैगोर को 'ब्रह्म' कहा गया था,जो कि सवर्ण हिंदू से भिन्न हैं। साक्ष्य में ब्रह्म शब्द ब्राह्मण बन गया,जो वहां हिंदुओं की सर्वोच्च जाति है। यही हुआ श्री रामानन्द चटर्जी के बारे में। वह ब्रह्म हैं, न कि ब्राह्मण। क्या ऐसा नहीं है?

श्री जे. बनर्जी: हां।

8834. *श्री जफरुल्ला खां:* हम जो बैठें हैं इस तरफ, वास्तव में इसकी बारीकियों को नहीं जानते, इसलिए इसे समझना चाहते हैं। ब्राह्मण या गैर-ब्राह्मण जन्म से होते हैं।

यह सवाल कि कौन डा. मुंजे ब्राह्मण जाति के हैं, फिर भी हो सकता है, वह जाति के संबंध में अपनी धारणाओं की हमें जानकारी दें?

श्री जे. बनर्जी: यदि कोई व्यक्ति भिन्न धर्म अपना लेता है,तो वह हिंदू नहीं रहता।

8835. *श्री एम.आर. जयकर:* क्या इस बारे में मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं?

आपका अभिप्राय यह तो नहीं है कि एक आदमी ब्रह्म है, इसलिए वह हिंदू नहीं रहा?

श्री जे. बनर्जी: निश्चय ही, वह धर्म से हिंदू नहीं रहता। वह गैर-हिंदू है। जब वह विवाह करता है,तो उसे अपने आपको गैर-हिंदू बताना होता है।

8836. *श्री एम.आर.जयकर:* मैं विवाह विधि या इस प्रकार की किसी चीज के संबंध में नहीं बोल रहा हूं। बल्कि क्या हिंदू के नाते आपका कहना है कि यदि कोई ब्राह्मण धर्म से ब्रह्म हो जाता है,तो वह हिंदू अथवा ब्राह्मण नहीं रहता?

श्री जे. बनर्जी: निश्चय ही, वह ब्राह्मण नहीं रहता।

8837. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* डा. मुंजे, श्री रामानन्द चटर्जी ब्रह्मे हैं या हिंदू। इस सवाल के अलावा, वह हिंदू महासभा के आंदोलन में बहुत सक्रिय भाग लेते रहे हैं?

डा. मुंजे: हां।

8838. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* वह हिंदू हितों के कट्टर समर्थक रहे हैं?

डा. मुंजे: हां।

8839. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* राजा नरेन्द्र नाथ पंजाब के हैं?

डा. मुंजे: हां।

8840. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* वह स्थानीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं?

डा. मुंजे: वह हिंदू महासभा के भी अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष महोदय। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर सकता हूं?

8841. *अध्यक्ष:* यदि आप ठीक समझें?

डा. मुंजे: बंबई की बैठक में मुझे पं. मालवीय ने बुलाया था, जब वहां बैठक हो रही थी और बातचीत चल रही थी। श्री अम्बेडकर को याद होगा, मैंने कहा था कि जब महात्मा गांधी संयुक्त निर्वाचक-मंडलों में दलित वर्गों को स्थानों का आरक्षण देने के लिए भी तैयार नहीं हैं,तो इस सवाल पर कोई समझौता करना संभव नहीं है,जिससे कि वह अपना अनशन तोड़ सकें। बहरहाल, हमें उस समय बड़ी राहत मिली,जब दूसरे दिन यह समाचार मिला कि महात्मा गांधी संयुक्त निर्वाचक मंडलों में स्थानों का आरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तब किसी बैठक में जहां पूना समझौते का सिद्धांत तैयार किया गया था। मैंने पं. मालवीय को उस समय साफ बता दिया था कि पूना समझौते का यह सिद्धांत,जो तैयार किया जा रहा है, पृथक-पृथक निर्वाचक मंडलों पर आधारित है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर और हिंदू महासभा को एक संगठन के रूप में पृथक निर्वाचक-मंडलों पर मूलभूत आपत्ति है और मैं व्यक्तिगत तौर पर तथा हिंदू महासभा संस्था के रूप में पूना समझौते के इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करुंगा। इसके बाद यह ठीक है कि मैं बातचीत आगे बढ़ाने के लिए अन्य सदस्यों के साथ पूना नहीं जा सका था। इसके बाद मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि महात्मा गांधी स्थानों का आरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा था, गांधी जी के प्राणों का संकट समाप्त हो गया है और इसीलिए मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली में जब हिंदू महासभा का अधिवेशन चल रहा था,तो मुझे तार मिला कि गांधी जी ने पूना समझौता स्वीकार कर लिया है और स्वभावत: हर कोई गांधी जी के प्राण बचाने के लिए आतुर था और हमने हिंदू महासभा में एक संकल्प पारित किया था।

8842. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* समझौते को स्वीकार करते हुए?

डा. मुंजे: हां, समझौते को स्वीकार करते हुए। लेकिन यहां यह समझ लिया जाए कि उस समय पंजाब की ओर से राजा नरेन्द्र नाथ ने विरोध प्रदर्शित किया था, जो बेकार गया। निस्संदेह उस समय संपूर्ण सदन का बहुमत भयभीत और आतंकित था।

8843. *श्री जफरुल्ला खां:* अनशन के भूत से?

डां. मुंजे: यदि समझौता स्वीकार नहीं किया गया,तो महात्मा गांधी के प्राण नहीं बच पाएंगे और इसीलिए उन्होंने समझौता स्वीकार कर लिया। यही वे सब विस्तृत बातें हैं। एक खास मुद्दा यह है कि पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान डा. अम्बेडकर से हमारी

बातचीत में उन्होंने यह मान लिया है। मैंने हिंदू महासभा के साथ एक करार किया था कि वह पूरी तरह संतुष्ट हैं,यदि संयुक्त निर्वाचक-मंडल की पद्धति के अंतर्गत उन्हें आबादी के आधार पर स्थानों का आरक्षण दे दिया जाए। एक मौके पर दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान, जब डा. अम्बेडकर ने यह सोचा कि इस मुद्दे में कुछ उलझन है,तो मैंने उन्हें सुझाव दिया कि प्रधानमंत्री को एक संयुक्त पत्र उनके और मेरे हस्ताक्षर से भेजा जाए और उसमें यह कहा जाए कि दलित वर्गों और हिंदुओं में जो मतभेद हैं, वह इस समझौते से दूर हो गया है, अर्थात हिंदुओं के साथ संयुक्त निर्वाचक-मंडलों में आबादी के आधार पर स्थानों का आरक्षण।

8844. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं इससे सहमत नहीं था?

डा. मुंजे: उस समय डा. अम्बेडकर उससे सहमत नहीं थे, लेकिन गोलमेज सम्मेलन के समय डा. अम्बेडकर सहमत थे,और उनकी सम्मति से इस तथ्य की घोषणा अमरीकी समाचार-पत्रों में कर दी गई थी।

डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं इसे नहीं मानता।

8845. *श्री एम.आर. जयकर:* डा. मुंजे, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं। आप कह रहे थे कि हिंदू महासभा ने दिल्ली में पूना समझौता स्वीकार कर लिया था?

डा. मुंजे: हां।

8846. *श्री एम. आर. जयकर:* क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हिंदू महासभा ने पूना समझौते को उसके गुण-दोषों पर नहीं, बल्कि इस कारण स्वीकार किया था कि महात्मा गांधी के प्राण बच जाएं?

डा. मुंजे: मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब समझौता तैयार किया जा रहा था,तो बहुत साफ-साफ कह दिया था कि जिस सिद्धांत के अंतर्गत यह समझौता तैयार किया जा रहा है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर या हिंदू महासभा को समग्रत: स्वीकार्य नहीं होगा, क्योंकि यह पृथक-पृथक निर्वाचक-मंडलों पर आधारित है।

श्री भाई परमानन्द: क्या मैं एक शब्द जोड़ सकता हूं। पंजाब के हिंदुओं की भी पूना समझौते के बारे में वही भावना है,जो बंगाल के हिंदुओं की है। राजा नरेन्द्र नाथ ने इसका उसी दिन विरोध किया था,जब हिंदू महासभा ने इसे जल्दबाजी में स्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया था। बंबई में पूना समझौते की स्वीकृति के 48 घंटे के भीतर खुले अधिवेशन में हिंदुओं का विरोध प्रकट हुआ था। पंजाब के हिंदुओं के सचिव ने भी विरोध किया था और डा. गोकल चन्द ने प्रधानमंत्री को एक तार भेजा था कि पंजाब के हिंदू इसका विरोध करते हैं। हिंदू भावना आज भी इसके प्रतिकूल है। समाचार-पत्रों में इस आशय के लेख निकले हैं,जो मेरे पास इस समय नहीं हैं कि पूना समझौते से पंजाब के हिंदुओं पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। एक और बात यह कि दलित वर्गों की कुछ अनुसूचित जन-जातियों को जो जनगणना

रिपोर्ट में अपने आपको हिंदू लिखवाना चाहते हैं, जैसे बटवाला, बड़वाला, कबीर पंथी और डोम दलित वर्गों की अनुसूचित जन-जातियों में शामिल नहीं किया गया। इस बाबत वे आंदोलन कर रहे हैं। इन जन-जातियों के नाम ही बटवाला, बड़वाला, कबीर पंथी और डोम हैं। पंजाब में उनकी आबादी लगभग 50 हजार है,क्योंकि उन्होंने जनगणना रिर्पोट में अपने आपको उड़िया लिखवाया था। वे अनुसूचित जन-जातियों में वर्णित नहीं हैं और वे यह आंदोलन इसलिए कर रहे हैं, ताकि उन्हें उनमें शामिल कर लिया जाए। इसलिए इससे उन सबमें,जो अपने आपको हिंदू कहते हैं तथाकथित दलित वर्गों की उन जन-जातियों के खिलाफ एक प्रकार का विद्वेष दर्शित होता है। इसलिए संयुक्त प्रवर समिति से मेरा अनुरोध है कि इस मामले के बारे में विचार जाए और कम से कम उन्हें नई जन-जातियों में स्थान दिया जाए।

8847. *श्री जफरुल्ला खां*: इनका अंतिम मुद्दा साफ नहीं है। क्या ये खास जन-जातियां जिनका आपने जिक्र किया था, अनुसूचीबद्ध होना चाहती हैं?

श्री भाई परमानन्द: हां।

श्री जफरुल्ला खां: और वे अनुसूचीबद्ध नहीं की गई हैं?

श्री भाई परमानन्द: यह एक दूसरा पहलू है।

8849. *श्री जफरुल्ला खां: मैं* इस मुद्दे को साफ करना चाहता हूं। ये जातियां उतनी दलित नहीं हैं, जितनी वे जो अनुसूची में रखी गई हैं?

श्री भाई परमानन्द: मेरा मुद्दा यह है कि केवल इसलिए कि वे अपने आपको अनुसूचित जाति के हिंदू कहकर पुकारते हैं, उन्हें इस अधिकार से वंचित किया गया है,जो कि अन्य जनजातियों को दिया गया है।

8850. *श्री जफरुल्ला खां:* अनुसूची में रखे जाने का अधिकार?

श्री भाई परमानन्द: हां।

डा. मुंजे: क्या मैं इस मुद्दे को स्पष्ट कर सकता हूं? जहां तक पंजाब और बंगाल का संबंध है, हिंदू महासभा का आक्षेप है कि सतर्क जांच-पड़ताल के बाद जनता और लोथियन समिति, दोनों के द्वारा यह पाया गया कि पंजाब में दलित वर्गों का प्रश्न विद्यमान नहीं है और बंगाल में दलित वर्गों का प्रश्न इतना ज्वलंत या प्रबल नहीं है कि उस पर बहुत अधिक विचार किया जाना जरूरी हो। यही वह मुद्दा है, जो एक शिकायत बना हुआ है और मेरे मित्र श्री परमानन्द का कहना है कि इन लोगों की यह शिकायत है कि उन्हें दलित वर्गों में इसलिए शामिल नहीं किया गया है,क्योंकि उन्हें आर्य समाजी बना लिया गया है। मुद्दा यह है कि पंजाब में दलित वर्ग का प्रश्न पृथक निर्वाचक-मंडलों में एक निहित स्वार्थ के रूप में पैदा किया जाना हो,तो इन दलित वर्गों को शामिल किए जाने का अधिकार है,जिन्हें अब दलित वर्गों के रूप में अनुसूची में रखा जा रहा है। यदि वह निहित स्वार्थ पैदा नहीं किया जाना

है,तो उन लोगों का उन दलित वर्गों में शामिल किए जाने का कोई दावा नहीं है।

8851. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं, आप पूना समझौते को पंजाब में लागू करने में इसलिए आपत्ति करते हैं,क्योंकि आपकी राय में वहां कोई दलित वर्ग नहीं है?

श्री भाई परमानन्द: उस अर्थ में नहीं जिसमें अन्य अधिकांश प्रांतों में हैं।

8852. डा. भीमराव अम्बेडकर: किसी भी अर्थ में हैं अथवा नहीं? पंजाब में दलित वर्ग हैं अथवा नहीं?

श्री भाई परमानन्द: वे अछूत नहीं है , वे अगम्य नहीं है, कोई भेदभाव नहीं समझा जाता। अभी साइमन कमीशन की रिपोर्ट और भारत सरकार की रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि पंजाब में सवर्ण हिंदुओं और दलित वर्गों में कोई अन्तर नहीं है।

8853. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं, आप अपने आपको कैसे संतुष्ट करते हैं? आपकी पहली स्थिति यह है कि कोई दलित वर्ग नहीं है और इसलिए उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है और आपकी दूसरी शिकायत यह है कि कुछ दलित जातियों को अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है?

पं. नानक चन्द: इस मुद्दे से मेरा संबंध रहा है और मैं इसके बारे में स्पष्टीकरण दूंगा। जहां तक अगम्यता, अस्पृश्यता का प्रश्न है, वहां यह सब नहीं है और यदि है तो प्राय: नगण्य; बहुत कम। यह सरकारी पदाधिकारियों, सिखों, मुसलमानों और हिंदुओं द्वारा स्वीकार किया गया है। किन्तु कुछ वर्ग दलित वर्ग के रूप में अनुसूची में रखे गए हैं और वैसी ही परिस्थिति के कुछ अन्य चाहे वे आर्थिक दृष्टि से पिछड़ हुए हों या अन्यथा जो कुछ अधिकारों से जैसे जमीन खरीदने के अधिकारों से वंचित अन्य लोगों के साथ अनुसूची में शामिल होने चाहिए थे, क्योंकि उनकी भी वही सामाजिक स्थिति है।

8854. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: आप बहुत चितिंत हैं कि उन्हें शामिल किया जाना चाहिए?

पं. नानक चन्द: मैं चिंतित नहीं हूं, वे चितिंत हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी दलित वर्ग कहा जाए।

8855. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं कुछ सवाल बंगाल के बारे में श्री चटर्जी से करना चाहता हूं। मेरे विचार में आपकी मुख्य शिकायत यह है कि जब पूना समझौता किया गया था,तो उसमें हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। यही है न?

श्री बी.सी. चटर्जी: यह तो अनेक शिकायतों में से एक है। मेरी मुख्य शिकायत है।

8856. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: फिलहाल मैं इसे सुनूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक बार शिकायत समाप्त हो जाए। मैं समझता हूं कि आपके सहयोगी ने यह स्वीकार किया था कि बंगाल के सवर्ण हिंदुओं के सदस्य बंबई और पूना, दोनों में उपस्थित थे।

श्री बी.सी. चटर्जी: हां।

श्री जे. बनर्जी: पूना मैं एक सवर्ण हिंदू उपस्थित था। मैंने यही कहा था।

8857. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: क्या अन्य प्रांतों से दर्जनों नहीं आए थे?

श्री बी.सी. चटर्जी: हो सकता है।

मारक्वेस आफ जैटलैंड: डा. भीमराव अम्बेडकर, यदि आप हमें बंगाल के उन सवर्ण हिंदुओं के नाम बता दें जो वहां थे, तो यह पूरी समस्या हल हो सकती है?

8858. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं नाम बता सकता हूं। यह नाम उस चर्चा के दौरान दिए गए थे,जो 14 मार्च 1933 को बंगाल विधान-सभा में हुई थी।

श्री बी.सी. चटर्जी: क्या आप कृपया वे नाम बताएंगे?

8859. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: उस मुद्दे पर कोई भी विरोध नहीं था?

श्री बी.सी. चटर्जी: उस समय मैं इंगलैंड में था।

8860. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं श्री मलिक के भाषण से उद्धृत कर रहा हूं। उन्होंने बंगाल विधान-परिषद में दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था। उन्होंने कहा था--।

श्री जे. बनर्जी: वह नामजद सदस्य हैं, न कि निर्वाचित प्रतिनिधि, मैं इस बात को साफ करना चाहता हूं।

8861. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: वह दलित वर्गों के प्रतिनिधि हैं।

श्री जे. बनर्जी: और वह पहले दो बार एक निर्वाचन-क्षेत्र से हार चुके हैं।

8862. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: जो बात मैं कह रहा हूं, उस पर इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। मेरा मुद्दा यह है कि क्या बंगाल के कुछ हिंदू उपस्थित थे या नहीं। यह वक्तव्य बंगाल के दलित वर्ग के उस सदस्य द्वारा जिसने पूना समझौते की वकालत की थी, भाषण के दौरान बंगाल विधान-परिषद की कार्यवाहियों में दिया गया था: 'हम जानते हैं कि पं. मालवीय, माननीय तेजबहादुर स्प्रू, श्री एम.आर. जयकर, श्री राजगोपालाचारी जैसे लोगों के अलावा हिंदू मिशन के स्वामी सत्यानन्द, अमृत समाज के बाबू हरिदास मजूमदार, एम.ए.बी.एल., मिदनापुर के बाबू प्रमथनाथ बनर्जी, एम.एल.सी., खादी प्रतिष्ठान के बाबू एस.सी. दासगुप्ता जैसे व्यक्ति वहां थे?'

श्री जे. बनर्जी: एक को छोड़कर उनमें से कोई भी पूना में उपस्थित नहीं था।

डा. भीमराव अम्बेडकर: वह वक्तव्य परिषद में दिया गया था।

8863. *श्री जे. बनर्जी*: क्या आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे?

डा. भीमराव अम्बेडकर: जब मैं प्रश्न करूं, कृपया तभी उत्तर दें।

श्री जे. बनर्जी: यह गलत बयानी है।

8864. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मेरा कहना है कि इस कथन का बंगाल विधान परिषद में किसी ने भी खंडन नहीं किया था?

श्री जे. बनर्जी: उस दिन में उपस्थित था। कोई भाषण नहीं दिया गया था,बल्कि कागज से कुछ पढ़ा गया था और बहुत संभव है कि लोग उस पहेली को न बुझा पाए हों। एक कागज अस्पष्ट ढंग से पढ़ा गया था।

8865. *श्री एम. आर. जयकर:* आपकी परिषद की कार्यवाहियां प्रकाशित होती हैं या नहीं?

श्री जे. बनर्जी: हां।

8866. *श्री एम.आर. जयकर:* उन कार्यवाहियों के प्रकाशन के बाद से कोई खंडन हुआ है?

श्री जे. बनर्जी: हां, बहस के तुरन्त बाद ज्यों ही हमने सुना कि कुछ नाम पढ़े गए हैं, अखबारों में खंडन जारी किया गया।

8867. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपसे पूछता हूं कि क्या वे लोग बंबई में उपस्थित नहीं थे?

श्री जे. बनर्जी: मैं पूना की बात कर रहा हूं।

8868. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं सबसे पहले बंबई की बात कर रहा हूं। ये लोग बंबई में उपस्थित ही नहीं थे, जब उप-समिति नियुक्त की गई थी,बल्कि उन्होंने मेरे कार्यालय में मुझसे अलग-अलग बात की थी और समझौता करने का आग्रह किया था। यह एक तथ्य है, जिसे मैंने साक्षात्कार में व्यक्त किया था जो मैंने *बॉबें टाइम्स* को दिया था और जो आपकी विधायी कार्यवाहियों की घोषणा के शीघ्र बाद 17 मार्च को प्रकाशित हुआ?

श्री जे. बनर्जी: अगले ही दिन मैंने आपके कथन का खंडन किया था और कहा था कि इसमें मुद्दे को नहीं छुआ गया है,क्योंकि उनमें से तीन सदस्य जैसा कि आपने स्वयं माना है, पूना नहीं गए थे और समझौते के समय उपस्थित नहीं थे।

श्री बी.सी.चटर्जी: मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यह किसी का भी पक्ष नहीं है और मैं नहीं समझता कि यह डा. अम्बेडकर का पक्ष है कि वे सज्जन बंबई से भेजे गए थे, अथवा वे अकेले पूना में उपस्थित थे, बंगाली हिंदुओं की ओर से या बंगाली हिंदुओं में से किसी के द्वारा भेजे गए थे, हो सकता है, वे वहां अचानक पहुंच गए हों या वे वहां इसलिए हों कि वे बीमार महात्मा को देखना चाहते थे। वास्तव में कुछ लोग वहां गांधी की शव यात्रा में अर्थी को कंधा देने का गौरव पाने के लिए गए थे।

8869. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपसे यह पूछूंगा कि क्या यह सर्वविदित था कि ये लोग मालवीय सम्मेलन में भाग लेने प्रकट प्रयोजन से कलकत्ता से चले थे। यह *लिबर्टी* में छपा है?

श्री जे. बनर्जी: वे बंगाल के किसी सार्वजनिक संगठन द्वारा अधिकृत होकर वहां नहीं गए थे। हो सकता है कि वे निजी काम से अथवा किसी अन्य कारण से गए हों। क्या मैं डा.

अम्बेडकर के सामने यह प्रस्ताव रख सकता हूं। हम बंगाल के लोग इसे बहुत बड़ा कलंक मानते हैं कि यह सुझाव दिया जाए कि बंगाल में दलित वर्ग हैं। बंगाली हिंदू जात-पांत निषेध के लिए और इसी प्रकार के काम करने के लिए सदियों से सामाजिक कार्य करते चले आ रहे हैं। डा. अम्बेडकर इससे सहमत होंगे। दलित वर्ग कौन हैं, यह तय करने के लिए लोथियन समिति ने बहुत उचित ढंग से दो कसौटियां निर्धारित की थीं। अस्पृश्यता कुछ दूरी के भीतर अगम्यता थी। मेरा सुझाव है कि बंगाल सरकार को इस बारे में जांच करनी चाहिए कि कौन अस्पृश्य और अगम्य है। और यदि उनकी संख्या निश्चित हो जाए तो हम संयुक्त निर्वाचक-मंडल के आधार पर बंगाल विधान परिषद में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए तैयार हैं।

8870. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं संयुक्त निर्वाचक-मंडल की चर्चा नहीं कर रहा हूं: मैं तथ्य संबंधी इस महत्वपूर्ण मुद्दे की चर्चा कर रहा हूं कि जब यह सर्वविदित था कि कुछ सवर्ण हिंदू बंगाली मालवीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंबई आ रहे हैं, *लिबर्टी* के 17 सितंबर 1942 के अंक से आपके सामने उद्धृत कर रहा हूं। यह अखबार कलकत्ता में छपता है। उस तारीख के अंक के पृष्ठ 5 पर स्तम्भ-4 में मोटी सुर्खियों में यह रिपोर्ट छपी है, 'स्वामी सत्यानन्द और अन्य बंबई के लिए रवाना। अमृत समाज के सर्व श्री हरिदास मजूमदार और जनेश्वर मंडल मालवीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज बंबई रवाना हो रहे हैं।' वे अपने निजी काम से वहां नहीं जा रहे थे?

श्री बी.सी. चटर्जी: जहां तक मेरा संबंध है, मैंने उन सज्जनों के बारे में कभी नहीं सुना। मैं उनके बारे में पहली बार सुन रहा हूं। निश्चय ही जहां तक बंगाल का संबंध है, वे अपनी ज्योति एक पुंज के भीतर छिपाए हुए हैं और इन सज्जनों ने यह प्रचार करने के लिए रिपोर्ट भेजी--कि वे जा रहे हैं।

8871. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मेरा मुद्दा यह है कि बंगाल की जनता को मालूम था कि सवर्ण हिंदुओं के कुछ सदस्य मालवीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए बंगाल से रवाना हो रहे हैं और यदि बंगाल की जनता यह सोचती थी कि वे उनके प्रतिनिधि नहीं हैं, तो उनके लिए यह बहुत संभव था कि वे मालवीय के पास संदेश भेजते कि इन लोगों पर भरोसा न किया जाए?

श्री बी.सी. चटर्जी: मेरा निवेदन है कि बंगाल की जनता के साथ यह अत्यन्त अनुचित बात होगी कि उन्हें एक ऐसी बात के साथ जोड़ दिया जाए जो '*लिबर्टी*' के किसी स्तम्भ में सरसरी तौर पर छापी गई थी।

8872. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं केवल तथ्य के रूप में बता रहा हूं कि बंगाल के प्रत्येक आदमी को यह जानना चाहिए।

श्री बी.सी. चटर्जी: कोई भी अखबार को इतनी गंभीरता से नहीं पढ़ता, कोई भी इस

तरह की चीजें ढूंढने के लिए खास स्तम्भों को नहीं ढूंढता। हमारी जानकारी में यह बात कभी नहीं आई।

डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं आपसे इस पर और आग्रह नहीं करूंगा।

8873. *माननीय ओस्टिन चेम्बरलेन*: क्या श्री चटर्जी का अभिप्राय है कि उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि बंबई में ऐसी कोई बैठक हो रही है?

श्री बी.सी. चटर्जी: हमें ज्ञात था कि बैठक हो रही है, किन्तु हम इस बात से पूरी तरह अनभिज्ञ थे कि कोई अपनी तरफ से उस बैठक में बंगाल से जा रहा है।

8874. *माननीय ओस्टिन चेम्बरलेन*: यदि आप इस विषय में इतनी प्रबल भावनाएं रखते थे और आपकी राय में संगठन में आपके सबसे अधिक प्रतिनिधि थे,जो उन लोगों की ओर से बोल सकते थे, जो आपकी विचारधारा के थे, तो आपने उस समय प्रतिनिधि क्यों नहीं भेजे, जब आपको बैठक की जानकारी मिल गई थी?

श्री बी.सी. चटर्जी: हमें नहीं पता था कि वहां क्या हो रहा है?ईमानदारी से कलकत्ता में हमें नहीं मालूम था कि वहां क्या हो रहा है। हमने केवल यह खबर सुनी थी कि श्री गांधी अनशन करने जा रहे हैं।

श्री जे. बनर्जी: हमने इसे बहुत महत्व नहीं दिया। मालवीय सम्मेलन बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का भाग्य विधाता नहीं था, इसलिए मैं किसी भी हैसियत में वहां नहीं गया। पूना बैठक वास्तव में महत्वपूर्ण थी।

8875. *माननीय ओस्टिन चेम्बरलेन*: आपको बैठक की जानकारी थी, लेकिन आपने उसे भाग लेने लायक नहीं समझा। यही है न?

श्री जे. बनर्जी: मुझे खेद है कि आप बंबई और पूना की दो बैठकों में भ्रान्ति कर रहे हैं। समझौते पर पूना में हस्ताक्षर हुए थे और वह महत्वपूर्ण बैठक थी, जिसमें सवर्ण हिंदुओं को नहीं बुलाया गया था। बंबई की बैठक एक प्रकार का प्रारंभिक कदम था। हमारे द्वारा कोई बहुत महत्व न दिया जाना औचित्यपूर्ण था।

8876. *श्री जफरुल्ला खां*: क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं? श्री चटर्जी, मैं आपको किसी भी तरह नाराज करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा लगता है कि कदाचित बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का दृष्टिकोण था, 'हमारा कोई सरोकार नहीं है', कदाचित इस से कुछ लाभ नहीं होगा, यदि इनमें महात्मा जी के प्राण बचा दिए तो बहुत है, यदि किसी भी तरह से हम प्रभावित हुए,तो हम बाद में उसका खंडन कर सकते हैं।'

श्री बी.सी. चटर्जी: अत्यंत आदरपूर्वक कहता हूं कि ऐसी बात नहीं है। मुझे प्रांतीय मताधिकार समिति में शामिल होने का सम्मान प्राप्त हुआ था और मुझे लोथियन समिति से सहयोग करने का मौका मिला था। हमने गहराई से इस बात की छानबीन की थी कि अछूत कौन हैं? हमारी छानबीन में यही सारी बातें हैं।

8877. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: आप मेरे मुद्दे से दूर जा रहे हैं। बंबई और पूना में क्या हुआ, इसकी रिपोर्टें हर रोज *लिबर्टी* में नियमित रूप से पूरी तरह छपती थीं। क्या आप इसका खंडन करने के लिए तैयार हैं?

श्री बी.सी.चटर्जी: मुझे अफसोस है कि मैंने *लिबर्टी* कभी नहीं पढ़ा।

8878. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं *लिबर्टी* लाया था। मैं सोच-समझकर *स्टेट्समैन* नहीं लाया, क्योंकि आप कहेंगे कि वह एंग्लो-इंडियन पेपर है।

श्री बी.सी.चटर्जी: मैं क्यों कहूंगा? मैं ऐसी कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं ऐसा कहूंगा?

8879. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं सोच-समझकर इसे लाया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह हिंदू अखबार है।

श्री बी.सी. चटर्जी: हां है, मेरे घर आता है, कभी-कभी इसे पढ़ता हूं।

8880. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों तारीखों को हुए मालवीय सम्मेलन में कार्यवाही *लिबर्टी* में पहले पृष्ठ पर पूरी छपी हैं?

श्री बी.सी. चटर्जी: यह मैंने आपसे सुना है।

8881. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: आप स्वयं देख सकते हैं। मैं आपको दे दूंगा।

श्री बी.सी. चटर्जी: मैं इस बारे में आपकी बात मानता हूं।

8882. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: इसी प्रकार जो कुछ 21 तारीख को हुआ था, वह भी 22 तारीख के अंक में पहले पृष्ठ पर पूरा छपा है।

श्री बी.सी. चटर्जी: मैं मान लेता हूं।

8883. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: जिससे कि बंगाल में कोई भी वस्तुत: यह जान ले कि बंबई और पूना में क्या हो रहा है। मैं आपसे एक और बात पूछूंगा?

श्री बी.सी. चटर्जी: हमारा विचार था कि बंगाल के सार्वजनिक संगठनो पर लागू होने वाले इस प्रकार के महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले, उन्हें विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

8884. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: जब उप-समिति बनाई गई थी, तो उसके गठन के बारे में कोई विरोध प्रकट नहीं किया गया था?

श्री बी.सी. चटर्जी: उन्हें अधिकार नहीं होगा।

8885. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: यदि आप *लिबर्टी* के 22 सितम्बर 1932 के अंक को देखें, तो उसमें वे प्रस्ताव छपे हैं, जो मैंने उप-समिति को दिए थे, जिनके आधार पर मैं बातचीत करने के लिए तैयार था। श्री जयकर मेरी बात की पुष्टि करेंगे कि मैंने कुछ मुद्दे रखे थे जिनके आधार पर मैं बातचीत करने के लिए तैयार था। मैंने अपने प्रस्ताव में बंगाल के लिए 50 सीटें मांगी थीं।

श्री जे. बनर्जी: आपका अभिप्राय दलित वर्गों से है?

8886. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: मेरा अभिप्राय दलित वर्गों से है और फिर भी पं. मालवीय के पास, जिनके बारे में यह माना जाता था कि वे इस आधार पर समझौते की बातचीत करेंगे, बंगाल के सवर्ण हिंदुओं की ओर से विरोध का एक भी वक्तव्य नहीं आया और न ही आपने किसी को पूना भेजा, हालांकि आप जानते हैं कि मैंने यह मांग की थी और जैसा कि मैंने कहा, जो 22 सितंबर के अंक में सबसे प्रमुख स्थान पर छपी थी?

श्री जे. बनर्जी: लेकिन मुझे खेद है कि हमने डा. अम्बेडकर के प्रस्तावों को उतना महत्व नहीं दिया, जितना हमें देना चाहिए था।

8887. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: इसका नुकसान आपको ही होगा। इसके बारे में मैं आपसे एक-दो सवाल और पूछना चाहता हूं। पूना समझौते को स्वीकार करने की सम्राट की घोषणा दोनों सदनों में केंद्रीय विधान-मंडल में 26 सितंबर 1932 को की गई थी। किन्तु विधान-मंडल ने महामहिम की सरकार की इस घोषणा का जय-जयकार किया था। तब से समझौते की स्वीकृति के खिलाफ राज्य परिषद में या विधान-मंडल में किसी भी सदस्य ने कोई विरोध नहीं किया था। क्या ऐसी बात नहीं है?

श्री जे. बनर्जी: ऐसा हो सकता है।

श्री एम.आर. जयकर: केंद्रीय विधान-मंडल में बंगाल का प्रतिनिधित्व है।

माननीय हरी सिंह गौड़: डा. अम्बेडकर द्वारा लगाए गए लांछन के संदर्भ में कि जब गृह सदस्य माननीय हैरी हेग ने विधान सभा में घोषणा की थी, तब किसी भी सदस्य ने कोई विरोध नहीं किया था, मैं संयुक्त समिति का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह विधान-मंडल की परिपाटी के अनुसार नहीं है कि जब महामहिम की सरकार के फैसले की घोषणा की जाए, तो सदन का कोई सदस्य उस पर विरोध व्यक्त करे।

8888. *लेफ्टी. कर्नल गिडने*: जब हैरी हेग ने यह वक्तव्य दिया था, मैं सदन में था और उस पर सभी ने खुशी जाहिर की थी?

श्री भाई परमानन्द: मैं भी वहां था, लेकिन इसे लेकर कोई खुशी जाहिर नहीं की थी।

डा. भीमराव अम्बेडकर: यदि आप उस शब्द को लें, जिसका वहां पर प्रयोग किया गया था, तो वाह-वाह (एप्लाज) हुई थी।

8889. *लेफ्टी. कर्नल गिडने*: हां। मेरा अभिप्राय वाह-वाह से था।

श्री भाई परमानन्द: हो सकता है, कुछ लोगों ने किया हो।

डा. भीमराव अम्बेडकर: वह पूरा वक्तव्य 26 सितंबर 1932 के *प्रोसीडिंग्स आफ लेजिस्लेटिव कांउसिल*, खंड 5 में दिया गया है और उस वक्तव्य के अंत में 'एप्लाज' शब्द

कोष्ठकों में दिया गया है। राज्य परिषद में भी यही वक्तव्य दिया गया था। मैं जो,कहना चाहता हूं, वह यह है कि क्या यह एक तथ्य नहीं है कि निम्नलिखित व्यक्तियों ने विधान सभा में सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व किया था? (नाम)। तब राज्य परिषद में निम्नलिखित थे- (उनके नाम)।

श्री बी.सी. चटर्जी: मेरा उत्तर यह है कि उन्होंने यह नहीं समझा था कि समझौते के परिणाम क्या होंगे, और अब ये एकमत होकर उसकी निन्दा कर रहे हैं।

श्री भाई परमानन्द: क्या इस मुद्दे को मैं स्पष्ट करूं?

8890. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं नहीं समझ पाता कि किसी स्पष्टीकरण की जरूरत है। ये विधान सभा के सदस्य हैं और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। सितंबर 1932 में समझौते के बाद बंगाल प्रांत में ही विरोधों के संबंध में नवंबर 1932 में बंगाल विधान परिषद का एक सत्र हुआ था।

श्री बी.सी. चटर्जी: हां।

8891. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* बंगालियों ने पूना समझौता लागू करने का विरोध करते हुए परिषद में कोई औपचारिक संकल्प पेश नहीं किया था?

श्री बी.सी. चटर्जी: नहीं।

8892. *डा भीमराव अम्बेडकर: मैं* रिपोर्ट की बात कर रहा हूं।

श्री बी.सी. चटर्जी: इस प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। पहली बात जो हमने की थी, वह यह थी कि परिषद के अधिवेशन के अल्पकाल के भीतर ही परिषद ने सभी प्रभावशाली हिंदू सदस्यों को एकत्र किया और हमने यह निश्चय किया कि हमें संयुक्त रूप से ...।

8893. *श्री भीमराव अम्बेडकर* : क्या आप मेरे सवाल का उत्तर देंगे, तभी हम स्पष्टीकरण पर आ सकते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या नवंबर वाले सत्र में बंगाल विधान परिषद में कोई औपचारिक संकल्प पेश किया गया था। वह सत्र पूना समझौते की स्वीकृति के तुरन्त बाद औपचारिक रूप से उसका विरोध करते हुए किया गया था। मैं यही जानना चाहता हूं, क्या कोई संकल्प था?

श्री बी.सी. चटर्जी: निस्संदेह मैंने नवंबर के सत्र में पूना समझौते का विरोध करते हुए एक संकल्प रखा था। किन्तु नामशूद्रों के एक विद्वान श्री रसिक विश्वास और पं. मालवीय के संयुक्त बयानों के कारण वह वापस लेना पड़ा, किन्तु दोनों ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि वे डा. अम्बेडकर से एक दूसरी बैठक करवाकर उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूना समझौते का पुनरीक्षण करवा लेंगे,जो उनके सामने रखे गए हैं और उन्होंने मुझे बार-बार अनुरोध किया कि मैं उन्हें यह अवसर दिए बिना परिषद में मत विभाजन पर जोर न

8894. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: क्या वह रखा गया था?

श्री बी.सी. चटर्जी: उन्होंने इसे इस आधार पर वापस लेने के लिए मुझे फुसलाया था।

8895. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: क्या वह रखा नहीं गया था?

श्री बी.सी. चटर्जी: मैंने उसे वापस ले लिया था।

8896. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : क्या वह रखा नहीं गया था?

श्री बी.सी. चटर्जी: मैंने कहा न कि मैंने उसे वापस ले लिया था।

8897. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: क्या आपने उसका नोटिस दिया था?

श्री बी.सी. चटर्जी: मैंने उसका नोटिस दिया था और श्री रसिक विश्वास और पं. मालवीय के कहने पर मैंने उसे वापस ले लिया था, उसे पेश नहीं किया था।

8898. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: सन् 1933 के मार्च सत्र में जिस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी, वह एक विशेष प्रस्ताव था। श्री शांति शेंखरेश्वर रे के नाम से, जो साधारण प्रस्ताव था, वह पेश नहीं हुआ था?

श्री जे.बनर्जी: वह पहुंच नहीं सका था।

8899. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: उसके लिए कोई वरीयता नहीं मांगी गई थी?

श्री जे. बनर्जी: वरीयता मांगी गई थी, लेकिन प्राप्त नहीं की जा सकी थी। उस पर चर्चा करने लिए समय नहीं था। बाद में मैंने एक विशेष संकल्प पेश किया था।

8900. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: बंगाल विधान परिषद में मार्च 1932 के सत्र में उस संकल्प के पारित किए जाने के एक महीने बाद 21 अप्रैल 1933 को कलकत्ता के एल्बर्ट हाल में एक सार्वजनिक सभा हुई थी। उसकी अध्यक्षता श्री सामल ने की थी और उस सभा ने पूना समझौते का विरोध करके बंगाल विधान परिषद के दृष्टिकोंण की निन्दा में एक संकल्प पारित किया था?

श्री जे. बनर्जी: हो सकता है।

8901. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: उस समिति की कार्यवाहियां 22 अप्रैल 1933 के *लिबर्टी* के अंक में पूर्ण रूप से प्रकाशित हैं। क्या यह तथ्य है, अथवा नहीं?

श्री बी.सी. चटर्जी: बहुत संभव है। मुझे स्वयं नहीं पता। मैं इंग्लैंड में था।

8902. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : आपने कहा कि पूना समझौते के समय बंगाल सरकार दार्जलिंग में थी और किसी हिंन्दू से परामर्श नहीं किया गया था। आपने यह माननीय नृपेन्द सरकार को दिए उत्तर में कहा था?

श्री बी.सी. चटर्जी: हां।

8903. *डा. भीमराव अम्बेडकर*: क्या आप बताएंगे कि सितंबर 1932 में बंगाल कार्यपालिका का गठन किया गया था? उसके सदस्य कौन थे और उसकी सांप्रदायिक संरचना क्या थी?

श्री जे. बनर्जी: बंगाल सरकार में तीन बंगाली सदस्य नहीं, दो बंगाली हिंदू सदस्य थे।

8904. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या आपका यह कहना है कि बंगाल सरकार ने जिसमें दो बंगाली सवर्ण हिंदू सदस्य थे, पूना समझौते का अनुमोदन नहीं किया था?

श्री जे.बनर्जी: मुझे सरकार के बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि सरकार के दोनों हिंन्दू सदस्यों ने उसे अनुमोदित नहीं किया था और उसका जोरदार शब्दों में विरोध किया था।

8905. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* केंद्रीय कार्यपालिका के संबंध में आपने कहा है कि उसमें एक बंगाली हिंदू था। माननीय मित्तर, क्या ऐसा है?

श्री जे. बनर्जी: हां। मैं श्री बी.एल. मित्तर के बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप वायसराय की कार्यकारी परिषद के वर्तमान सदस्य से पता करें?

8906. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* पूछताछ के दौरान माननीय नृपेन्द्र सरकार ने यह सुझाव दिया है कि महामहिम ने यह सारी बात महात्मा गांधी के अनशन से उत्पन्न एक प्रकार के आपाता स्थिति में स्वीकार की थी। मैं आपसे जो पूछना चाहता हूं वह है, क्या यह सच नहीं है कि सरकार को महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया पहला पत्र 18 अगस्त का नहीं था, बल्कि 11 मार्च 1932 का था (वह पत्र माननीय सैमुअल होर को संबोधित है), यह वस्तुत: इससे पांच महीने पहले का है। जिस पत्र का उल्लेख माननीय नृपेन्द्र सरकार ने किया है और उनका कहना है, अर्थात यह सांप्रदायिक निर्णय दिए जाने से पहले की बात है। यही मेरा मुद्दा है। उनका वक्तव्य इस प्रकार है, 'माननीय सैमुअल कदाचित् आपको स्मरण होगा कि गोलमेज सम्मेलन में मेरे भाषण के अंत में जब अल्पसंख्यकों का दावा प्रस्तुत किया गया, तो मैंने कहा था कि मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक-मंडल देने का विरोध करूंगा। यह क्षणिक आवेश में या किसी अलंकारिक भाषा में नहीं कहा गया था। यह गंभीर वक्तव्य के रूप में कहा गया था', आदि। इसके बाद उनका कहना है, 'अत: मुझे आदरपूर्वक महामहिम की सरकार को यह सूचित करना है कि यदि उन्होंने दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचक-मंडल बनाने का फैसला लिया,तो मैं आमरण अनशन करूंगा।' अनशन की धमकी सांप्रदायिक फैसला दिए जाने के बाद 18 अगस्त के पत्र में नहीं दी थी, बल्कि 11 मार्च 1932 के पत्र में दी गई थी।

श्री जे. बनर्जी: बिल्कुल ठीक।

8907. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* और महामहिम की सरकार ने 11 मार्च के पत्र में दी गई,इस धमकी के बावजूद दलित वर्गों को पृथक निर्वाचक-मंडल दे दिया?

श्री जे.बनर्जी: समझौते के खिलाफ हमारी शिकायत है कि यह पृथक निर्वाचक-मंडल की प्रत्येक बुराई को स्थायित्व प्रदान करता है।

8908 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यह दूसरी बात है। बेहतर होगा कि यह आप श्री गांधी से कहें, मैं इस पर चर्चा नहीं कर सकता।

श्री जे. बनर्जी: हमें महामहिम की सरकार का निर्णय पूना समझौते से कहीं ज्यादा स्वीकार्य है।

8909. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसके बारे में आपसे एक या दो प्रश्न पूछूंगा। आपको शिकायत है कि पूना समझौते के अनुसार दलित वर्गों को महामहिम की सरकार के निर्णय में दिए गए स्थानों से बहुत अधिक स्थान दिए गए हैं। मैं आपका ध्यान प्रधान मंत्री द्वारा श्री गांधी को भेजे गए 8 सितंबर 1932 के पत्र की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें उन्होंने कहा था-- 'मुसलमानों को आवंटित क्षेत्रीय स्थानों की संख्या स्वभावत: इस शर्त के साथ दी गई है कि उनके लिए और अधिक क्षेत्रीय स्थान प्राप्त कराना असंभव है और अधिसंख्य प्रांतों में उनकी अपनी आबादी के अनुपात से उन्हें अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है।' मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं --' विशेष दलित वर्ग निर्वाचन-क्षेत्रों से भरे जाने वाले विशेष स्थानों की संख्या कम रखी जाएगी और वह ऐसे नियत की गई है,जो दलित वर्ग को पूरी आबादी के प्रतिनिधित्व के लिए संख्या की दृष्टि से समुचित कोटा नहीं बनती, किन्तु विधान-मंडल में दलित वर्गों के लिए न्यूनतम प्रतिनिधि प्रदान कराती है,जो पूरी तरह दलित वर्गों द्वारा चुने जाएं। प्राप्त दलित वर्गों के विशेष स्थानों का अनुपात हर जगह उनकी आबादी के प्रतिशत से काफी कम है?

श्री जे. बनर्जी: यह ठीक है, क्योंकि आशा की जाती है कि विशेष रूप से बंगाल में अधिसंख्य दलित वर्गों के लोग साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों के माध्यम से चुने जाएंगे।

8910. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपका ध्यान जिस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि सांप्रदायिक निर्णय देते समय और दलित वर्गों के लिए स्थान तय करते समय महामहिम की सरकार और प्रधानमंत्री ने निश्चित रूप से यह मान लिया है कि ये स्थान आबादी के अनुपात में नहीं हैं, उससे कहीं कम हैं?

श्री जे. बनर्जी: बिल्कुल ठीक है, किन्तु साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी तो स्पष्ट कर दिया है कि दलित वर्गों को आबंटित संख्या उनकी कुल संख्या के अनुपात में इसलिए कम है क्योंकि वह विनिर्दिष्ट तौर पर बंगाल के मामले का उल्लेख करते हैं, बंगाल में दलित वर्गों के बहुत से सदस्य निश्चय ही साधारण निर्वाचन-क्षेत्रों से चुन लिए जाएंगे।

8911. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि उन्होंने बंगाल के बारे में कभी कुछ नहीं कहा?

श्री जे. बनर्जी: निश्चित रूप से उन्होंने ऐसा कहा है, मैंने वह निर्णय ध्यानपूर्वक पढ़ा है।

8912. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसके बारे में एक अधिवेशन आयोजित किया गया था, वह मालदा में हुआ, बंगाल प्रांतीय हिंदू सम्मेलन का सातवां अधिवेशन था, जो श्री

रामानंद चटर्जी की अध्यक्षता में 17 से 19 सितंबर 1932 के बीच आयोजित किया गया था। क्या ऐसा है?

श्री जे. बनर्जी : हो सकता है।

8913. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मालदा में बंगाल प्रांतीय हिंदू सम्मेलन के सातवें अधिवेशन में?

श्री जे. बनर्जी: हो सकता है, मुझे नहीं पता। मुझे व्यक्तिगत जानकारी नहीं है।

8914. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपके सामने एक प्रस्ताव पढ़ना चाहता हूं,जो बंगाल प्रांतीय हिंदू सम्मेलन में पारित किया गया था और 19 सितंबर 1932 के *लिबर्टी* में छपा था, 'यह सम्मेलन तथाकथित दलित वर्गों से अपील करता है कि वे आगामी संविधान में पृथक निर्वाचक-मंडलों के आधार पर प्रतिनिधित्व की मांग न करें और राजा मुंजे समझौते के पालन की पुष्टि करते हैं और दलित वर्गों को संयुक्त निर्वाचक-मंडल के माध्यम से उनकी आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व देने की बात मानने के लिए तैयार हैं, भले ही इसका तात्पर्य यह हो कि हिंदुओं को आवंटित अधिकांश स्थान उन्हें दे देने पड़ें।'

श्री मुंजे: क्या मैं इस सवाल का उत्तर दे सकता हूं? प्रस्ताव पारित किया गया गया था। हम उस पर अटल हैं और मेरे मित्र श्री चटर्जी ने डा. अम्बेडकर के सामने एक मनोरंजक पेशकश की थी। क्या वह यह देखने के लिए तैयार हैं कि आबादी के आधार पर संख्या कितनी होगी, दलित वर्गों को अछूत और अगम्य के रूप में पारिभाषित किया गया है। हम डा. अम्बेडकर के समक्ष यही पेशकश करने के लिए तैयार हैं और इस पूरे सवाल का फैसला बंगाल और पंजाब में किया जाए कि दलित वर्ग की परिभाषा के अनुसार उनकी संख्या कितनी है, उस परिभाषा के अनुसार दलित वर्ग के सदस्य वे हैं, जो अस्पृश्य या अगम्य हैं। हम यह खुली पेशकश करते हैं।

डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं अपने लोगों के भाग्य को दलगत राजनीति का खेल बनाना नहीं चाहता और मुझे खेद है कि मैं इस पेशकश को स्वीकार नहीं कर सकता।

* * * * *

9269. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या मैं यह समझूं कि आप दलित वर्गों को भी अपनी हिंदू महासभा में शामिल करते हैं? क्या आप उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हैं?

डा. मुंजे : मेरी दलील है कि मैं दलित वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करता हूं और मेरे मित्र श्री गवई जो मेरे पास बैठे हैं, हिंदू महासभा के शिष्ट मंडल में दलित वर्गों के प्रतिनिधि हैं तथा यह कभी साबित नहीं हुआ है कि क्या मैं बहुसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता हूं अथवा क्या श्री गवई दलित वर्गों में बहुसंख्यक का प्रतिनिधित्व करते हैं।

---

* मिनिट्स आफ ऐविडेंस, खंड 2- ग, 31 जुलाई 1933, पृ. 1466

9270. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यह एक भिन्न बात है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

डा. मुंजे: मैं अधिसंख्य दलित वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करता हूं।

9271. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* जहां तक मेरा संबंध है,मैं इस स्थिति से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। श्री गवई का क्या कहना है? मैं इस बात को फिर से दोहराता हूं कि दलित वर्ग उस संगठन में नहीं है, जिसका प्रतिनिधित्व डा. मुंजे करते हैं,जहां तक उनके ज्ञापन का संबंध है, वस्तुत: मुझे पता है कि पंजाब के हिंदू इसका खंडन कर चुके हैं?

डा. मुंजे: क्या?

डा. भीमराव अम्बेडकर: आपके ज्ञापन संख्या 57 के उस भाग का पंजाब के दलित वर्गों द्वारा खंडन किया जा चुका है।

(14)

अखिल भारतीय वर्णाश्रम स्वराज्य संघ की ओर से श्री एम.के. आचार्य, श्री एल.एम. देशपांडे, और श्री जे.एल. बनर्जी

10753. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* श्री आचार्य, क्या मेरा यह आकलन सही है कि आप चाहते हैं कि विधान-मंडल को,जिन्हें आप धर्म के मूल तत्व कहते हैं , उन्हें प्रभावित करने वाले कानून पारित करने के लिए सक्षम नहीं होना चाहिए।

श्री एम.के. आचार्य: हां।

10754. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* और आप चाहते हैं कि ऐसा कोई विधेयक सदन में पेश किए जाने से पहले उस पर धार्मिक मठाधीशों से पूर्व अनुमति ले ली जाए?

श्री एम.के. आचार्य: हां।

10755 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* और पेश किए जाने के बाद वह तब तक कानून न बने, जब तक कि दो-तिहाई बहुमत से उसे पास न कर दिया जाए?

श्री एम.के. आचार्य: हां।

10756. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* प्रभावित होने वाला समुदाय, यदि हिंदू समाज है, तो वे हिंदू होंगे। यदि मुस्लिम समाज है, तो वे मुसलमान होंगे।

श्री एम. के. आचार्य: प्रत्येक समुदाय प्रभावित होगा। यदि वह हिंदू संप्रदाय है,तो उसमें केवल हिंदू सदस्य होंगे और यदि वह मुस्लिम संप्रदाय हुआ,तो उसमें मुस्लिम सदस्य भी होंगे।

10757. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या आप परिभाषित रूप में बता सकेंगे कि आप अपने धर्म के मूल तत्व किन्हें मानते हैं, ताकि यह समिति जान सके कि विधान-मंडल कहां तक हस्तक्षेप कर सकता है, अथवा नहीं कर सकता?

---

*मिनिट्स आफ ऐविडेंस, खंड- 2 ग, 2 अगस्त 1933, पृ. 1605-08

श्री एम. के. आचार्य: यदि समिति मुझे तीन घंटे सुने,तो मैं धर्म के मूल तत्व पर एक छोटा-सा व्याख्यान देने के लिए तैयार हूं।

10758. *माननीय आस्टिन चेम्बरलेन:* क्या आप हमें ऐसा फार्मूला नहीं दे सकते हैं,जिसे हम उचित शब्दों में अधिनियम की धारा में रख सकें।

श्री एम.के. आचार्य : इसीलिए मैंने कहा था। अब डा. अम्बेडकर चंद शब्दों में उत्तर देने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं,तो मैं नहीं दे सकता।

10759. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपके पीछे पड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। विधायी प्रयोजनों के लिए आप समिति को कोई फार्मूला दें,जिसे अधिनियम में रखा जा सके, ताकि सदन के स्पीकर अथवा गवर्नर अथवा उसके लिए,जो भी विनिश्चय करने वाला प्राधिकारी हो और न्यायालयों के लिए निश्चित रूप से यह देखना संभव होगा कि क्या विधान-मंडल द्वारा पारित विशेष कानून उस विधान-मंडल के अधिकार के परे है या नहीं?

श्री एम.के. आचार्य: मेरा विचार था कि मैंने एक फार्मूला दे दिया है, जो अत्यंत व्यावहारिक है और जो मैंने वास्तव में किसी से लिया है।

10760. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आपने केवल इतना कहा था कि वे मूल तत्व हैं। आपने सारा मामला अनिर्णीत छोड़ दिया था। वे मूल तत्व क्या हैं?

श्री एम. के.आचार्य: मैंने जो फार्मूला सुझाया था, वह था, धर्म को प्रभावित करने वाले कानून को सदन में पेश किए जाने से पहले गवर्नर या गवर्नर जनरल उस पर उस प्रांत में मान्यता प्राप्त मठाधीशों की राय ले और उसके बाद, तथा संभवत: उनकी राय के अनुसार उसमें परिवर्तन करने के बाद उसे पेश किया जा सकता है और इसका फैसला करना गवर्नर या गवर्नर जनरल का काम है।

10761. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या इससे मैं यह समझूं कि कोई कानून आपके धर्म के मूल तत्वों को प्रभावित करता है या नहीं यह एक ऐसा विषय है,जिसका निश्चय धार्मिक मठाधीश करेंगे?

श्री एम.के. आचार्य: निश्चय ही ऐसा है। वही फैसले के लिए सक्षम निर्णायक हैं।

10762. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* श्री आचार्य, आप जाति से ब्राह्मण हैं?

श्री एम.के. आचार्य: हां।

10763. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* श्री देशपांडे , आप जाति से ब्राह्मण हैं?

श्री देशपांडे: हां।

10764. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* श्री बनर्जी, क्या आप जाति से ब्राह्मण हैं?

श्री जे. बनर्जी: हां।

10765. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* श्री आचार्य, क्या यह एक तथ्य नहीं है कि हिंदू धर्म

में कोई भी, जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है, वह पुजारी नहीं हो सकता।

श्री एम.के. आचार्य: यह सच नहीं है।

10766. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आपका मतलब है कोई भी हिंदू व्यवहार में किसी भी हिंदू समारोह में पुजारी का कार्य कर सकता है?

श्री एम.के. आचार्य: नहीं, इसका यह मतलब नहीं है।

10767. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यही मेरा प्रश्न है?

श्री एम. के. आचार्य: कृपया इसे ठीक से पूछें?

10768. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या किसी धार्मिक समारोह में पुजारी बनकर ऐसा आदमी कर्मकांड करा सकता है, जो ब्राह्मण नहीं है?

श्री एम.के. आचार्य: बहुत साधारण प्रश्न है। हर समुदाय, उप-समुदाय या वर्ग के पास अपने ही समाज का पुजारी होता है। कुछ समुदायों के यहां ब्राह्मण नहीं जाएगा।

10769. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अत्यन्त आदरपूर्वक, मैं आपको बता रहा हूं कि यह कथन सही नहीं है?

श्री एम.के.आचार्य: जहां तक मेरी जानकारी है, यह सच है।

10770. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या श्री देशपांडे जानते हैं?

श्री देशपांडे: अब ऐसा ही है।

श्री एम.के. आचार्य: कुछ मामलों में ब्राह्मण पुजारी का काम नहीं करेगा।

10771. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* सभी धार्मिक मठाधीश ब्राह्मण हैं, क्या नहीं हैं?

श्री देशपांडे: नहीं। बंबई प्रेसिडेंसी में एक बहुत बड़ा मठ है, जिसके पास संपत्ति है। वहां पर एक भी ब्राह्मण नहीं है।

10772. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मुख्य रूप से कौन हैं?

श्री देशपांडे: कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ दूसरे हैं।

10773. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या यह सच नहीं है कि बंबई प्रेसिडेंसी में ब्राह्मण पुजारी हैं?

श्री देशपांडे: दूसरे भी हैं, लिंगायत हैं।

10774. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं सवाल को उलझाना नहीं चाहता। मेरा सवाल है, लिंगायतों, जैनियों और बौद्धों से भिन्न (मैं विशुद्ध रूप से हिंदुओं की बात कर रहा हूं) क्या यह तथ्य नहीं है कि ये सब संस्थाएं ब्राह्मणों के नियंत्रण में हैं?

श्री देशपांडे: बंबई प्रेसिडेंसी में भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, जो ब्राह्मणों के नियंत्रण में नहीं हैं।

10775. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* बहुत कम?

श्री देशपांडे: हां, यह मानना होगा; लेकिन यह नहीं कि वे सभी ब्राह्मणों की ही हैं।

10776. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अब यदि आपकी बात मान ली जाए कि इन मठाधीशों को पूर्व मंजूरी देने का अधिकार होना चाहिए,तो इसका अभिप्राय है कि हिंदू समाज की संपूर्ण नियति इन मठाधीश ब्राह्मणों के हाथ में होगी?

श्री एम.के.आचार्य: इसका यह अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है।

10777. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपके प्रतिनिधि स्वरूप के बारे में एक-दो सवाल पूछना चाहता हूं। श्री देशपांडे, सतारा जिले में एक गैर-ब्राह्मण पार्टी है, है न?

श्री देशपांडे: हां।

10778. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* सतारा जिले में ब्राह्मणों से भिन्न जातियों की आबादी प्राय: 90 प्रतिशत होगी?

श्री देशपांडे: हां।

10779: *डा. भीमराव अम्बेडकर:* सतारा जिले में ब्राह्मणों और गैर-ब्राह्मणों में बहुत अधिक वैर-भाव है।

श्री देशपांडे: कुछ मुद्दों पर, सब पर नहीं।

10780. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* लेकिन राजनीति और सामाजिक सुधारों पर?

श्री देशपांडे: राजनीति के मुद्दों पर।

10781. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* सामाजिक सुधारों के मुद्दे पर?

श्री देशपांडे: उतना नहीं।

10782. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या यह सच नहीं है कि ब्राह्मण तथा अन्य जातियों में मंदिरों में समान पूजा-पाठ के संबध में संघर्ष चलता रहता है?

श्री देशपांडे: कुछ जिलों में हो सकता है, सब में नहीं।

10783. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* लेकिन क्या दोनों के बीच गहरी दरार नहीं है?

श्री देशपांडे: नहीं, जहां तक मुझे मालूम है।

10784. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* लेकिन जो भी हो, है तो उनका पृथक अस्तित्व, उनका राजनीतिक जीवन अलग है?

श्री देशपांडे: हां, हरेक का अपना जीवन है।

10785. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* और फिर भी आप समझते हैं कि सतारा जिले में कतिपय ब्राह्मण गैर-ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व करेंगे?

श्री देशपांडे: जहां तक मेरा संबंध है।

10786. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या आप समझते हैं कि आप और श्री जाधव जो गैर-ब्राह्मणों के नेता हैं, ज्ञापन में इन अधिकाशं मुद्दों पर साथ-साथ चलेंगे?

श्री देशपांडे: मुझे श्री जाधव का नहीं पता, मैं अपने बारे में जानता हूं।

10787. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या आप एक साथ खाना खाते हैं?

श्री देशपांडे: श्री जाधव और मैं? नहीं।

10788. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मद्रास प्रेसिडेंसी में गैर-ब्राह्मणों की एक जस्टिस पार्टी है?

श्री एम.के. आचार्य: कुछ साल पहले ऐसी एक पार्टी थी, मुझे नहीं पता कि अब वह सक्रिय है या नहीं।

10789. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* लेकिन वह एक या दो साल चली थी?

श्री एम. के. आचार्य: वह सात या आठ वर्ष रही।

10790. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मद्रास प्रेसिडेंसी में भी ब्राह्मणों और गैर-ब्राह्मणों में बहुत गहरी दरार है?

श्री एम.के. आचार्य: इतनी गहरी नहीं कि जिसे धार्मिक प्रश्न कहा जा सके।

10791. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* उनका अपना अलग संगठन है।

श्री एम. के. आचार्य: मेरी राय में अब जस्टिस पार्टी में ब्राह्मण भी शामिल किए जा रहे हैं।

10792. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* लेकिन अभी तक वे शामिल नहीं किए गए?

श्री एम. के. आचार्य: अब वे ब्राह्मणों को ले रहे हैं। इसलिए वे बदल रहे हैं।

10793. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या यह कहना सही होगा कि आप केवल ब्राह्मणों के विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं

श्री एम. के. आचार्य: बिल्कुल गलत।

10794. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, श्री देशपांडे। आपके ज्ञापन सं. 84 में पूना समझौते के बारे में कोई टिप्पणी दिखाई नहीं देती, क्या ऐसा है?

श्री एम.के. आचार्य: कोई भी नहीं है।

10795. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या यह सच है?

श्री देशपांडे: यह सच है।

10796. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* श्री आचार्य, आपके ज्ञापन सं. 65 में, पृष्ठ 3 पर इस पंक्ति के अलावा-'हम गुण-दोष के आधार पर पूना समझौते की निंदा करते हैं,' के अलावा और कोई उल्लेख नहीं है?

श्री एम.के. आचार्य: मेरे विचार में इतना काफी था।

10797. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आपकी यह प्रस्तुति बिल्कुल नया विचार है, है न?

श्री एम.के. आचार्य: हां, यह दूसरों के विचारों से भिन्न विचार है?

10798. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* हिंदू महासभा का साक्ष्य दिए जाने के बाद?

श्री एम. के. आचार्य: नहीं, इससे बहुत पहले।

10799. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* श्री देशपांडे ने आपके ज्ञापन में इसे पहले क्यों नहीं रखा? यदि आपको इसकी निंदा करने की, अपने मुवक्किलों की आज्ञा थी, जैसा कि यहां कहा गया है?

श्री देशपांडे: मैंने यह नहीं सोचा कि ऐसा करना आवश्यक है।

10800. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने अपनी संयुक्त प्रस्तुति सं. 72 में पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्रीय उत्तरदायित्व की मांग की है; मुझे उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन पैरा 4 में, निचले सदनों के लिए मताधिकार के अंतर्गत आपने कहा है- 'हमारे ज्यादातर देशवासी अभी प्रतिनिधि, संस्थाओं को चलाने में अक्षम हैं।' मैं जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, वह यह है, 'किसके फायदे के लिए आप प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्रीय उत्तरदायित्व की मांग करते हैं, यदि आप यह कहते हैं कि आपके देशवासी प्रतिनिधि संस्थाओं को चलाने में अक्षम हैं?'

श्री एम. के. आचार्य: मैं माननीय सज्जन से कहूंगा कि वह इस पैरे को ध्यानपूर्वक पढ़ें। उत्तर पहले ही दिया हुआ है।

10801 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या उत्तर है?

डा. एम. के. आचार्य: आप पढ़कर देखें, उत्तर वहीं है।

10802 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या उत्तर है?

श्री एम.के.आचार्य: हमारा कहना है कि हम निकट भविष्य में मताधिकार का मानदंड अंधाधुंध ढंग से कम करने के विरुद्ध हैं; अंधाधुंध न्यून करने की हम निन्दा करते हैं; किन्तु न्यून करने और अधिक तर्कसंगत बनाने हेतु हम प्रांतीय स्वायत्तता और केंद्रीय उत्तरदायित्व पर जोर देने के लिए अगला कदम तुरन्त उठा रहे हैं।

10803. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* लेकिन मताधिकार का मानदंड आंख-मूंदकर न्यून करना, आपके देशवासियों को प्रतिनिधि संस्थाओं को चलाने में सक्षम कैसे करेगा?

श्री एम.के. आचार्य: यही तो हम कहते हैं, आंख-मूंदकर न्यून करने से वे सक्षम नहीं हो जाएंगे।

10804. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसलिए उसे कुछ ऊंचा करना चाहिए?

श्री एम.के. आचार्य: नहीं, अंधाधुंध न्यून करने का विलोम है सोच-समझकर न्यून करना।

10805. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* केवल ब्राह्मणों और अन्य सवर्ण जातियों तक सीमित करके?

श्री एम. के. आचार्य: सोच-समझकर न्यून करने का यह अर्थ नहीं है। श्वेत-पत्र में 38,000,000 हैं, मैं 20,000,000 या 28,000,000 से संतुष्ट हो जाऊंगा। यह उन्हें इस जाति या उस जाति तक सीमित रखने के लिए नहीं है।

10806. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आपको पता है कि मालाबार में एक समाज है, जिसे नैयादी कहते हैं?

श्री एम.के. आचार्य: हां।

10807. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरी जानकारी में वहां प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों के अनुसार कोई नैयादी सड़क पर नहीं चल सकता?

श्री एम.के. आचार्य: आज वह सार्वजनिक सड़कों पर चल सकता है।

10808. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* और यदि वह कोई चीज बेचना या खरीदना चाहे तो जिस माल या वस्तु को वह बेचना चाहता है,उसे सड़क से 60 गज दूर रखना होता है और वहीं से आवाज लगानी होती है।

श्री एम. के. आचार्य: जहां तक मुझे मालूम है, यह सही जानकारी नहीं है।

10809. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आपको वह जानकारी मैं देता हूं?

श्री एम.के. आचार्य: वह सही नहीं है, मैं इसे इंकार कर सकता हूं। मैं कई वर्ष मालाबार में रहा हूं और मैं मालाबार को अपने माननीय मित्र से बेहतर जानता हूं।

10810. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं जो बात आपसे पूछ रहा हूं, वह और भी आगे की है। मान लीजिए, मेरे तथ्य सही हैं।

श्री एम.के.आचार्य: जब वे गलत हैं,तो सही कैसे मान सकता हूं।

10811. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* सवाल यह है, मान लीजिए, एक कानून पारित करके किसी हिंदू के लिए किसी नैयादी को मालाबार में सार्वजनिक सड़क पर चलने से रोकना अपराध बना दिया जाए,तो क्या आप यह कहेंगे कि उससे आपके धर्म के मूल तत्वों पर प्रभाव पड़ेगा?

श्री एम.के. आचार्य: माननीय सज्जन ने गलत तथ्यों पर अपनी धारणा बनाई है, ऐसी कोई प्रथा नहीं है और ऐसी कोई विधि नहीं है। यदि ऐसी कोई प्रथा हो और यदि ऐसी विधि की आवश्यकता हो,तो उस विधि का धर्म के मूल तत्वों से कोई टकराव नहीं होगा।

* * * *

10899. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* मैं एक बात साफ करना चाहूंगा। श्री आचार्य आपने कहा कि पंडित मालवीय ने पूना समझौते के भावार्थों का खंडन किया है। उस पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या यह तथ्य नहीं है कि श्री गांधी का कहना है कि पूना समझौता, राजनीतिक समस्या को हल करने के अलावा, हिंदुओं पर कुछ बाध्यता डालता है कि वे अस्पृश्यता को समाप्त कर हिंदू मंदिरों के द्वार अस्पृश्यों के लिए खोल दें?

श्री एम. के. आचार्य: मैं समझता हूं, श्री गांधी ने यही कहा है।

10900. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* पंडित मालवीय का कहना है कि मामला ऐसा नहीं है.कि

---

* मिनिट्स आफ ऐविडेंस खंड 2-ग, 2 अगस्त 1933, पृ. 1720

पूना समझौता हिंदुओं पर ऐसा करने की कोई बाध्यता नहीं डालता और इसीलिए उनका कहना है कि वह पूना समझौते के भावार्थों से सहमत नहीं हैं। क्या यही बात नहीं है?

श्री एम.के. आचार्य: हां, यही है।

10901. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यह मामले के राजनीतिक पक्ष को नहीं छूता। श्री गांधी कहते हैं कि पूना समझौता हिंदुओं पर मंदिरों के द्वार खोलने की बाध्यता डालता है। पंडित मालवीय कहते हैं कि इसका ऐसा कोई भावार्थ नहीं है?

श्री एम.के. आचार्य: हां।

(15)

लेफ्टी. कर्नल सी.ई.ब्रूस, सी.एस.आई, सी.आई.ई., सी.बी.ई, लेफ्टि. जनरल माननीय जार्ज मैकमन, के.सी.बी., के.सी.बी.आई., डी.एस.ओ, श्री एफ.एफ.लाअल, सी.आई.ई.ई., श्री वारिस अमीर अली, आई.सी.एस., श्री अे सी.जो. हेयटर तथा माननीय न्यायमूर्ति श्री डब्लयू.ए.लेरोसिगनल

12465 *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* जब आप जिला न्यायाधीश थे, क्या उस समय भारत में मंत्री भी होते थे।

लेफ्टी. कर्नल सी.ई.ब्रूस: थे, लेकिन उनका मुझसे कोई सरोकार नहीं था, वे निर्वाचित मंत्री नहीं थे। किन्तु इस ज्ञापन में मैं भविष्य का उल्लेख कर रहा हूं, अब, जैसा कि मैं समझता हूं, प्रस्तावित संविधान...।

12466. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं समझा था कि आप अपने अनुभव से बोल रहे थे?

लेफ्टी. कर्नल सी.ई.ब्रूस: क्या मैं स्पष्ट करूं? इसमें भविष्य का संकेत है। जब प्रस्ताव के अनुसार मंत्री निर्वाचित विधान-मंडलों के अधीन होंगे और निर्वाचित विधान-मंडलों के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा अपनी कैबिनेट के साथ ही पदासीन रहेंगे या अपदस्थ हो जाएंगे।

माननीय हरी सिंह गौड़: आपके शब्दों से भविष्यवाणी निकल रही है।

(16)

विंग कमांडर ए. डब्लयू. एच. जेम्स, एम.पी., और डा. जे.एच. हटन, सी.आई.ई., आई.सी.एस.

घ 29. *डा. भीमराव अम्बेडकर**:* क्या वे जनजातीय विधि को अपनी परंपरागत विधि नहीं कह सकते?

विंग कमांडर ए. डब्ल्यू. एच. जेम्स: नहीं। यह उच्च न्यायालय द्वारा मान्य नहीं है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: उच्च न्यायालय किसी भी रीति-रिवाज को मान्यता देगा?

विंग कमांडर ए.डबल्यू. एच. जेम्स: यह सिद्ध करना आवश्यक नहीं है कि वह हिंदू

---

* मिनिट्स आफ ऐविडेंस, खंड 2-ग, 16 अक्तूबर 1933, पृ. 1612

** वही, 16 अक्तूबर 1933, पृ. 2376

रीति-रिवाज है या मुसलमान रिवाज। उस अर्थ में यदि कोई विधि नहीं बनाई गई है, तो क्या कोई रिवाज या प्रथा लागू होगी? आम तौर पर यही होगा। मैं प्रत्यक्ष जानकारी के आधार पर नहीं बोल रहा हूं।

* * * *

घ 222. *डा. भीमराव अम्बेडकर**: डा. हटन, मेजर एटली के प्रश्न के उत्तर में, मेरे विचार में, आपने कहा था कि आप चाहेंगे कि अपवर्जित क्षेत्र का प्रशासन प्रांतीय विषय की अपेक्षा केंद्रीय विषय हो?

डा. *जे.एच.हटन:* यह मेरी अपनी सोच है।

* * * *

घ 224. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अब मैं कुछ अन्य विषयों पर आना चाहता हूं, जिनका जिक्र आपके 'पेपर' में किया गया है। मैं समझता हूं कि आपने यह आधार अपनाया है कि ये लोग किसी भी हालत में नए संविधान के कार्यक्षेत्र में न आएं?

डा. जे.एच. हटन: ऐसा ही है।

घ 225. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यही वह कल्पना और आधार है, जिस पर आप चल रहे हैं?

डा. जे.एच. हटन: मैंने यह माना कि कुछ परिस्थितियों में जहां वे दूसरी आबादियों में दूर-दूर तक छितरे हुए हैं, स्थिति भिन्न होगी।

घ 226. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क़िन्तु मुख्यत, यही कल्पना, वह कल्पना है, जिस पर आप अग्रसर हैं?

डा. जे.एच. हटन: हां, मुख्यत:।

घ 227. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इन लोगों के लिए आपके सामने क्या आदर्श हैं। मैं अपना प्रश्न स्पष्ट कर दूं, ताकि आप बेहतर उत्तर दे सकें।

डा. जे. एच. हटन: किसी का भी न्यूनतम हस्तक्षेप।

घ 228. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मुझे यह प्रश्न उस तरह पूछने दें, जैसा कि मैं इसे समझ पाया हूं। क्या आपका आदर्श है कि ये आदिम जन आदिम बने रहें और उनका शेष भारत के कार्यकलापों से कोई वास्ता न हो, अथवा क्या आप चाहते हैं कि इन लोगों के भाग्य इस प्रकार विनियमित किए जाएं कि कालान्तर में वे मानव समाज के अलग-थलग अंग न रहें और शेष भारतीयों की भांति अपने देश के सार्वजनिक कार्यों में भाग लें?

डा. जे.एच. हटन: मेरे विचार में यह दूसरी बात मेरा आदर्श है।

घ 229. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* कि वे स्थाई तौर पर आदिम न बने रहें?

डा. जे.एच. हटन: प्रश्न यह होगा कि यदि संभव हो तो अंततोगत्वा उन्हें अपने देश

---

* मिनिट्स आफ ऐविडेंस, खंड-2 घ 16 अक्तूबर 1933, पृ. 2388-90

के जन-जीवन में भाग लेना चाहिए।

घ 230. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरा भी यही कहना है?

डा. जे.एच. हटन: किन्तु संभव है कि कुछ मामलों में आप कभी भी उस आदर्श को प्राप्त न कर पाएं।

घ 231. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* सबसे पहले हम निश्चित करें कि वे आदर्श क्या हैं?

डा. जे. एच. हटन: हां।

घ 232. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं कोई धार्मिक प्रश्न शुरू नहीं कर रहा हूं कि उन्हें यह करना चाहिए या वह करना चाहिए?

डा. जे.एच. हटन: नहीं।

घ 233. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आप जो कहना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि आपका आदर्श है कि वे इस नागरिक समाज के अभिन्न अंग बन जाएं?

डा. जे.एच. हटन: हां।

घ 234. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* और वे अपनी आदिम अवस्था से बाहर आ जाएं?

डा. जे.एच. हटन: हां। मैं समझता हूं कि ऐसा करना आवश्यक है।

घ 235. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अब हम आगे बढ़ें। यदि ऐसा विचार है, तो क्या यह वांछनीय नहीं है कि भारत के सभ्य लोगों और इन आदिमवासियों के लिए भागीदारी [illegible]क सामान्य सिलसिला हो?

डा. जे.एच.हटन: अभी नहीं।

घ 236. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* ताकि जो विचार भारतीय समाज के सभ्य वर्ग के मस्तिष्क में उठ रहे हैं, वे धीरे-धीरे इन आदिवासियों में प्रवेश कर जाएं।

डा. जे. एच. हटन: मैं समझता हूं कि उनमें बिना किसी कठिनाई के विचार प्रवेश कर जाएगें।

घ 237. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* कैसे?

डा. जे. एच. हटन: मुझे परेशानी यह है कि जब तक उन्हें पृथक नहीं किया जाएगा, उनके दो विभिन्न संपर्कों से नष्ट हो जाने की संभावना है। विश्व में अन्यत्र हर जगह यही हुआ है।

घ 238. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मुझे नहीं पता, किन्तु मैं आपके विचारार्थ यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा कि आपने स्वीकार किया है, यदि यह आपका आदर्श है कि वे किसी दिन भारतीय समाज के अंग बन जाएंगे, तो क्या पृथक्करण और इतना पूर्ण और पक्का पृथक्करण जैसा आप चाहते हैं, उस आदर्श की प्राप्ति के लिए उचित मार्ग है?

डा. जे.एच. हटन: मेरे विचार में यही एकमात्र उपाय है।

घ 239. *माननीय रेजिनाल्ड क्रेडोक:* क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं। उन

आदिवासियों में से कुछ में विभिन्न शिक्षा संस्थाएं काम कर रही हैं, क्या ऐसी बात नहीं है?

डा. जे.एच.हटन: हां, अवश्य है. . .।

घ 240. *माननीय रेजिनाल्ड क्रेडोक:* क्या वे मुख्य रूप से मिशन स्कूल हैं अथवा कोई सरकारी स्कूल हैं?

डा जे.एच.हटन: सरकार के अनेक स्कूल हैं।

घ 241. *माननीय रेजिनाल्ड क्रेडोक:* यह उन मुद्दों में से एक होगा, जिनको आप इन वर्गों के उत्थान के संबंध में इंगित करेंगे, क्या ऐसा नहीं करेंगे?

डा. जे.एच. हटन: मुझे करना चाहिए।

घ 242. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अब मैं कुछ आगे बढ़ना चाहता हूं। आपके 'पेपर' से ज्ञात होता है (यदि मैं गलती करूं तो उसे सुधार दें) कि आप दो बातों से परेशान हैं। यदि आप समझते हैं कि शिक्षित या विकसित या सभ्य भारतीयों और आदिवासियों का एक संविधान में समावेश अथवा संपर्क मुझे इस शब्द के प्रयोग की इजाजत हो, तो से सबसे पहले ऐसा हो सकता है कि विकसित वर्गों अथवा यदि मैं कहूं कि भारतीय समाज के सभ्य वर्ग द्वारा उनका शोषण किया जाएगा?

डा. जे.एच. हटन: हां।

घ 243. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* दूसरे, मैं मानता हूं कि मेरे द्वारा इस प्रकार दिया सारांश सही है कि आप इस बात से भयभीत हैं कि नई परिषद में उन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाएगा।

डा. जे.एच. हटन: हां।

घ244. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं। मैं उनकी भूमि का मामला लूंगा। क्या यह सच नहीं है कि यह प्रश्न अर्थात जहां तक संभव हो आदिवासियों के हाथ में जमीन रखने का प्रश्न है, ताकि वे भूमिहीन मजदूरों के वर्ग में न आ जाएं, एक ऐसी समस्या है, जो भारत में अनेक कृषि वर्गों के सामने है और यह कि उनकी सुरक्षा के लिए भी बंबई में डंकन एग्रीकल्चरल रिलीफ ऐक्ट और पंजाब में एलिएनेशन आफ लैंड ऐक्ट जैसे अधिनियम तथा अन्य अनेक कानून पारित करना आवश्यक हो गया था?

डा. जे.एच.हटन: मैं जानता हूं कि ऐसे अधिनियम पारित किए गए हैं।

घ 245. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरा सुझाव है कि यदि इन आदिवासियों को उसी संविधान के अंतर्गत लाया जाए, जिसमें शेष भारत के लोग हों, तो वे साहूकारों को बाहर रखने की अपनी मांग में बिल्कुल अकेले नहीं रहेंगे और चाहेंगे कि भूमि उन्हीं लोगों के हाथ में रहे, जो उस पर खेती करते हैं और भी अनेक लोग होंगे, जिनकी विधान-मंडल में उसी प्रकार की मांग होगी। मैं जो मुद्दा पेश करना चाहता हूं, वह यह है कि वे अलग-थलग नहीं होंगे?

डा. जे.एच.हटन: मुझे जो उत्तर देना था, उसका मुद्दा यह था कि हलवे का स्वाद तो खाकर ही पता चलता है और अनुभव से पता चलता है कि वे हमेशा अपनी भूमि से वंचित रखे गए हैं।

घ 246. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* किन्तु, डा. हटन, क्या आप यह अंतर करने का कष्ट करेंगे कि विधान-मंडल, जो रचना उनकी आज है और जो कुछ समय पहले थी, वैसे ही विधान-मंडल होने नहीं जा रहे हैं, जैसे कि श्वेत-पत्र के अंतर्गत होने चाहिएं?

घ 247. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आपको कुछ प्रतिनिधित्व साधारण निर्वाचन-मंडल से लेना होगा, जो अपेक्षाकृत गरीब वर्गों के पक्ष में जाएगा। पिछले विधान-मंडलों का अनुभव इस प्रकार के मामले में सुरक्षित मार्गदर्शक नहीं हो सकता?

डा. जे.एच.हटन: मैं शीघ्र ही निरापद स्थिति में होऊंगा और उन्हें अलग रखूंगा।

घ 248. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मुझे नहीं पता कि आप इस बात से इंकार करने को तैयार नहीं हैं कि विधान-मंडल में उनके बहुत से मित्र होंगे?

डा. जे.एच. हटन: मैं यह बात नहीं मानूंगा। मुझे सबसे पहले यह बात समझाई जाए कि उनके बहुत-से मित्र होंगे। वैसे ही हितों वाले दूसरे लोग हो सकते हैं, किन्तु उनमें व्यक्तिगत तौर पर बहुत कुछ समान नहीं होगा।

घ 249. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* हां, किन्तु जहां तक एक-सी स्थिति वाले वर्ग के संरक्षण के सामान्य प्रश्न का संबंध है, मेरा यही अभिप्राय है।

डा. जे.एच.हटन: मैं यह बात सोच सकता हूं कि सिद्धांत में मुसलमान किसान अपने लिए अधिकतम संरक्षण की मांग करेंगे और अपने पड़ोसियों के लिए अधिकतम असंरक्षण की।

घ 250. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या आप समझते हैं कि विधान-मंडल कहेगा कि कुछ कानून, जो भारतीयों के हित में आवश्यक हैं, व्यापक नहीं किए गए हैं और उन कानूनों का संरक्षण आदिवासी वर्गों को मालूम नहीं है?

डा. जे.एच.हटन: नहीं, मैं नहीं समझता कि वे वहां तक जाएंगे।

घ 251. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* विभेद कैसे पैदा होगा?

डा. जे.एच. हटन: मेरे विचार में आदिवासी वर्गों को आवश्यक संरक्षण प्राप्त करने में बेहद कठिनाई होगी। दलित वर्गों के पास कोई गारन्टी नहीं है कि किसानों को नए संविधान के अंतर्गत आवश्यक संरक्षण प्राप्त होगा।

घ 252. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* बिल्कुल ठीक। मैं आपसे सहमत हूं। यह कोई संरक्षण नहीं दिया जा सकता है कि अन्य वर्ग संभवत एक जुट नहीं हो जाएंगे और दूसरे कुछ अल्पसंख्यकों को सरंक्षण दिए जाने से नहीं रोकेंगे। यह आशंका जायज है। किन्तु एक पक्ष की समस्त ताकतों को तथा दूसरे पक्ष की समस्त ताकतों की गणना की जाए, तो जो मुद्दा

मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वह यह है कि यह आशंका है कि प्रांतीय परिषद में आदिवासी वर्गों के एक या दो अथवा कुछ प्रतिनिधि महसूस करेंगे कि वे दूसरे पक्ष की ताकतों द्वारा परास्त कर दिए जाएंगे, इस विश्लेषण बिल्कुल भी न्यायोचित बातें नहीं हैं,जो मैं भावी विधान-मंडलों की रचनाओं के बारे में आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिस रूप में ये श्वेत-पत्र के प्रस्तावों के तहत होंगे?

डा. जे.एच.हटन: मेरे विचार में, प्रजाति के अन्तर की दृष्टि से कुछ स्थानों पर हर हालत में ऐसा होना बिल्कुल न्यायोचित है।

घ 253. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* पुन: शिक्षा का प्रश्न लीजिए, मुझे बंबई प्रेसिडेंसी में इन आदिवासी लोगों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है। यहां पर पिछड़ा वर्ग है?

डा. जे.एच.हटन: हां, मैं जानता हूं।

घ 254. *डा. भीमराव. अम्बेडकर:* हम स्वयं उनसे बहुत अधिक अलग स्थिति में नहीं हैं?

डा. जे.एच. हटन: मैं जानता हूं।

घ 255. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* शिक्षा की दृष्टि से, वास्तव में, यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में बहुत सारे लोगों को आदिवासियों या पिछड़े हुए लोगों की अपेक्षा शिक्षा की कम आवश्यकता है।

डा. जे.एच.हटन: आप नहीं कह सकते कि कितनी?

घ 256. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आप नहीं कह सकते (उदाहरण के लिए दलित वर्गों को लीजिए) कि उनकी शैक्षिक आवश्यकता कम हैं?

डा. जे.एच. हटन: आप नहीं कह सकते कि यह कम थी।

घ 257. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* ऐसा कोई नहीं कह सकता?

डा. जे.एच. हटन: नहीं।

घ 258. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं बंबई में पिछड़े वर्ग के मंडल में रहा हूं,जो दलित वर्गों और इन आदिवासी लोगों का एक मिला-जुला मंडल है।

डा. जे.एच. हटन: हां, कुछ मामलों में आदिवासी लोग बहुत अधिक शिक्षित हैं।

घ 259. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसलिए मैं कहता हूं, विधान परिषद में उनकी शैक्षिक आवश्यकता को ही लें, वे अपने आपको अलग-थलग नहीं पाएंगे?

डा. जे.एच. हटन: हो सकता है।

घ 260. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आप चाहेंगे कि वे पूरी तरह अलग कर दिए जाएं और उनकी आवश्यकता, जैसे शिक्षा, जिसे मैं इन लोगों की सबसे बड़ी आवश्यकता समझता हूं, पूरी तरह गवर्नर के विशेष उत्तरादायित्व के अधीन उसके द्वारा दिए गए राजस्व से ही पूरी की जाए?

डा. जे.एच. हटन: हां।

घ 261. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कि क्या कोई गवर्नर इस सीमा तक उपबंध बनाएगा कि जो कुछ उसके विचार आदिवासी वर्गों की शिक्षा के लिए पर्याप्त राशि है, यदि उसके में मंत्री उसका समर्थन नहीं करते हैं, तो भी वह उपलब्ध कराएगा?

डा. जे.एच. हटन. : यह एक भारी कठिनाई है।

घ 262. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैंने जो बात आपसे पूछी है, यदि उसमें कुछ सार है, तो क्या वह वांछनीय नहीं होगा कि इन लोगों के भी कुछ प्रतिनिधि विधान-परिषद में होने चाहिएं, जिससे कि मंत्री उनके मतों पर निर्भर रहें और उनकी आवश्यकताओं के अनुकूल काम करें?

डा. जे.एच. हटन: एक या दो मत से किसी मंत्री पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

घ 263. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरा अभिप्राय एक या दो से नहीं है। संख्या छोटी हो सकती है, किन्तु यदि यह मान लें कि विधान-मंडल में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा, तो क्या मंत्री उनके मतों पर निर्भर नहीं करेगा और इसीलिए क्या वह उनकी आवश्यकताओं के प्रति अधिक अनुकूल रुख नहीं अपनाएगा?

डा. जे.एच.हटन: सिद्धांत रूप से, लेकिन व्यवहार में नहीं। उनकी संख्या बहुत कम होगी?

डा. *भीमराव अम्बेडकर:* राजनीति में एक मत से भी पासा पलट सकता है।

घ 264. *लार्ड यूसटेस परसी:* मैं समझता हूं, डा. हटन की सिफारिश यह थी कि उन्हें न केवल प्रांत के, बल्कि गवर्नर के भी कार्य-क्षेत्र से अलग कर दिया जाए और यह कि वे केंद्र से प्रशासित हों। क्या बात ऐसी नहीं है?

डा. जे.एच. हटन: यही तो वह बात है, जो समग्रत: मुझे पसन्द है। पूरी तरह अपवर्जित क्षेत्र के लिए श्वेत-पत्र के प्रस्तावों के मामले में मैंने यह बात अपने ज्ञापन में कही है, जिसमें गवर्नर जनरल अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है, श्वेत-पत्र प्रस्ताव समाधानप्रद है। मैं यह नहीं कहता कि मुझे यह पसन्द है।

घ 265. *लार्ड यूसटेस परसी:* मैंने छोटे-छोटे राज्य स्थापित करने के आपके प्रस्ताव का आशय यह समझा है कि जहां तक संभव हो यह काम केंद्र का ही हो?

डा. जे.एच. हटन: निश्चय ही मेरा आशय यही था कि जहां तक संभव हो केंद्र यह काम करे।

घ 266. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* उस स्थिति में भी मैंने जो आलोचना की है, वह तब भी उतनी ही लागू होगी, जब यह विषय केंद्रीय बना दिया जाएगा, क्योंकि गवर्नर को प्रजा के प्रशासन के लिए आवश्यक धनराशि प्रमाणित करनी होगी और यदि केंद्रीय सरकार के मंत्री उस धनराशि को खर्च करने पर आपत्ति करेंगे, तो भी मतभेद तो होगा। यह केवल प्रांतीय क्षेत्र से केंद्रीय-क्षेत्र में हस्तांतरित हो जाएगी?

डा. जे.एच. हटन: मैं यह मानता हूं कि मंत्री का इसमें कोई दखल नहीं होगा।

डा. भीमराव अम्बेडकर: किन्तु मेरा मुद्दा यह है कि मंत्री का दखल होगा, क्योंकि खर्च के लिए अन्य विरोधी दावे भी होंगे और मंत्रालयों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे आदिवासियों में रुचि लें, जो विधान-मंडलों के अंग नहीं हैं?

डा. शफाअत अहमद खान: क्या विधान-मंडल में आदिवासी लोगों के प्रतिनिधि साधारणत: दलित वर्गों के लोगों से मिल नहीं जाएंगे?

घ 267. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मुझे ऐसा लग रहा है और इसीलिए उनके बहुत सारे मित्र होंगे।

डा. जे.एच. हटन: मैं नहीं समझता कि उससे प्रतिनिधित्व में प्रभाव पड़ेगा।

घ 268. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यदि आपकी तरह मैं अपने आपको निराश महसूस करूं, तो मुझे तुरन्त यह कहना चाहिए, 'मैं इस संविधान को बिल्कुल भी नहीं चाहता'?

डा. जे.एच. हटन: किन्तु आदिवासी जातियों के लिए मैं ऐसा नहीं मानता।

* * * *

घ 284. *मेजर ऐटली:* मैं नहीं समझता कि साइमन कमीशन ने वनों के बारे में आपके दृष्टिकोंण के अनुरूप भी कोई सिफारिश की थी?

डा. जे.एच. हटन: नहीं। मैंने अपवर्जित क्षेत्र के आर्थिक प्रशासन के लिए उसे एक सुझाव के रूप में प्रस्तुत किया था।

लार्ड यूसटेस परसी: कदाचित डा. हटन इस कठिनाई को सुलझाएंगे, क्योंकि मैं यह नहीं समझता कि पूरी तरह अपवर्जित क्षेत्र क्या है जिसमें प्रांतीय वन अधिकारी और प्रांतीय वन नीति प्रभावी रहती है।

घ 285. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरे विचार से क्षेत्र अपवर्जित नहीं है, लोग अपवर्जित हैं?

डा. जे.एच. हटन: नहीं, क्षेत्र अपवर्जित हैं, जैसा कि मैंने श्वेत-पत्र में पढ़ा है। क्या श्वेत-पत्र में पूरी तरह अपवर्जित क्षेत्र की कोई परिभाषा दी गई है?

(17)

हाउस आफ कामन्स के सांसद माननीय विंस्टन स्पेंसर चर्चिल, सी.एच.

14681. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* श्री चर्चिल, क्या श्वेत-पत्र में डोमिनियन संविधान स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है?

माननीय विंस्टन चर्चिल : नहीं।

14682. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसलिए मैं आपको तार्किक और तात्विक स्थिति से संबंधित किसी प्रश्न से परेशान नहीं करना चाहता कि क्या रस्मी कार्यकलाप के रूप में

* मिनिट्स आफ ऐविडेंस, खंड-2-ग, 24 अक्तूबर, 1933, 1807-8

डोमिनियन स्तर और डोमिनियन संविधान के रूप में डोमिनियन स्तर में कोई अन्तर कर सकता है? जो अन्तर आप कहना चाहते हैं, उसके बारे में कोई भी बात पूछकर मुद्दे को उलझाए बिना मैं स्वयं श्वेत-पत्र के बारे में एक या दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, इसलिए क्या मैं आपका ध्यान उस बहस की ओर आकृष्ट कर सकता हूं,जो 1 दिसम्बर 1931 को संसद में हुई थी, जब प्रधानमंत्री ने यह संकल्प पेश किया था 'सभा ने महामहिम की सरकार की भारतीय नीति का उल्लेख कमांड पेपर संख्या 3972-भारतीय गोलमेज सम्मेलन में किया है, जिसे 1 दिसंबर 1931 को संसद में पेश किया गया था।' वह पहला श्वेत-पत्र था, न कि समग्र योजना?

माननीय विंस्टन चर्चिल: आप्का अभिप्राय प्रधानमंत्री के भाषण से है।

14683. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* प्रधानमंत्री का भाषण?

माननीय विंस्टन चर्चिल: ठीक है।

14684. *डा. भीमराव. अम्बेडकर:* श्वेत-पत्र में प्रतिबिम्बित संविधान में, जो सदन में पेश किया गया था,उसमें वह प्रस्ताव था, जो संयुक्त प्रवर समिति के सामने पेश किए गए श्वेत-पत्र में वर्णित है। विधि और व्यवस्था के अन्तरण के साथ प्रांतों में अस्थाई सरकारें बननी हैं और केंद्र में एक प्रकार का दोहरा शासन होना है, जिसमें प्रतिरक्षा और विदेशी संबंध आरक्षित विषय होंगे। क्या यह ठीक है?

माननीय विंस्टन चर्चिल: इस मुद्दे पर मैं आपको बीच में नहीं टोकूंगा।

14685. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसके बाद मैं अगला प्रश्न इस विषय में पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हाउस आफ कामन्स में इस प्रस्ताव को पेश करते हुए अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया था। उनके शब्दों में, 'जो वक्तव्य मैंने कल गोलमेज सम्मेलन के सामने पेश किया था,उसे केबिनेट का पूरा समर्थन प्राप्त है और अब हम उस वक्तव्य से सदन को अवगत कराकर सदन में उस पर मतदान कर अपनी सहमति उस नीति के प्रति व्यक्त करें।' हाउस आफ कामन्स में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का प्रधानमंत्री का यही उद्देश्य था। अब जैसा कि आप जानते हैं, आपने इस प्रस्ताव में इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया है, 'श्री चर्चिल मैं तीसरी पंक्ति के अंत में ये शब्द जोड़ने के लिए अनुरोध करता हूं, परन्तु उक्त नीति संबंधी कोई बात इस सदन को भारत में डोमिनियन संविधान की स्थापना से प्रतिबद्ध नहीं करेगी, जैसा कि स्टेट्यूट आफ वेस्टमिनिस्टर द्वारा परिभाषित है, परन्तु वही नीति भारत में और भारत के साथ ब्रिटिश व्यापार पर पड़ने वाले प्रतिकूल या विद्वेषपूर्ण विभेद से कारगर ढंग से बचाव करेगी, परन्तु इस मौके पर भारत में स्वायत्त शासन के विस्तार से भारतीय साम्राज्य में शांति व्यवस्था और सुशासन के संसद के अंतिम उत्तरादायित्व पर आंच कोई नहीं आएगी।'

14686. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इस बहस को पढ़ने के बाद,जो हाउस आफ कामन्स में 3 दिसंबर 1931 को हुई थी, मेरी यह धारणा बनी है कि यदि प्रधानमंत्री आपका संशोधन

स्वीकार कर लेते,तो आप प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए सकंल्प के समर्थन में सरकार के पक्ष में मत देने के लिए तैयार थे। क्या यह सही है?

माननीय विंस्टन चर्चिल: मेरे लिए यह सोचना कठिन है कि इन काल्पनिक परिस्थितियों में क्या होता? किन्तु निस्संदेह यह हाउस आफ कामन्स में कन्जरवेटिव सदस्यों के विशाल समूह के लिए बहुत राहत की बात होती। यदि सरकार उन लोगों की बात से पूरी तरह सहमत होती, जिन्होंने उस संशोधन पर मेरा समर्थन किया था, एक बहुत बड़ी राहत और सर्वथा इससे भी तुरन्त अनुकूल वातावरण बन जाता या पैदा हो जाता।

14687. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरा सौभाग्य है, मैं नहीं समझता कि यह विषय-वस्तु काल्पनिक है। क्योंकि मैं समझता हूं कि बहस के दौरान अपने संशोधन के बारे में आपने एक सुनिश्चित दृष्टिकोंण अपनाया है और मैं आपका ध्यान आपके भाषण के दौरान व्यक्त किए गए आपके एक या दो कथनों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे विचार में मुझे यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि जिस बात ने मुझे दुविधा में डाला है, वह यह है कि उस समय सदन में उपस्थित अधिकाशं सदस्यों की धारणा के अनुसार सरकार जिस बात का आग्रह कर रही थी और आप जो कुछ अपने संशोधन में कहना चाहते थे, उसमें वस्तुत: कोई अन्तर नहीं था। क्या ऐसा नहीं है? मैं एक अनुच्छेद पढ़ना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जिस विषय ने मुझे हमेशा व्याकुल किया है, वह यह है कि प्रधानमंत्री के वक्तव्य और उस संशोधन को पढ़ने के बाद जिसे आप उस दिन हाउस आफ कामन्स में पेश करना चाहते थे, मुझे किसी भी तरह कोई अन्तर दिखाई नहीं देता और मेरा कहना है कि आपकी भी यही स्थिति थी। आपने स्तम्भ 234 में कहा है, 'मैं समाप्त कर चुका हूं और मैं इतने लम्बे समय तक उनका ध्यान आकृष्ट किए रखने की अनुभूति के लिए सदन का अत्यन्त आभारी हूं। अपने संशोधन को कायम करने के सिवाय हम क्या कर सकते हैं। यह महामहिम की सरकार के प्रति विश्वास का मत नहीं है', और यह महत्वपूर्ण मुद्दा है, 'इसके विपरीत इसमें केवल उन सिद्धान्तों पर जोर दिया गया है, जिनकी वे स्वयं पुष्टि करते हैं और प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री दोनों पुष्टि कर चुके हैं।' इस प्रकार स्वयं आपने प्रधानमंत्री के वक्तव्य में प्रस्तुत सुझावों और संशोधन के सारांश में वस्तुत: कोई अन्तर नहीं देखा?

माननीय विंस्टन चर्चिल: निस्संदेह, मेरे विचार में सरकार ने उस सुझाव पर उचित दृष्टिकोंण नहीं अपनाया, यह दुर्भाग्यपूर्ण था। उस संशोधन को लिखित रूप से पाकर मुझे बहुत खुशी होती।

14688. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आपने जो कुछ उस दिन कहा था, उसमें से एक और अंश उद्धृत करना चाहता हूं। उस दिन सरकार के लिए आपका दूसरा विकल्प था कि यदि आपका संशोधन स्वीकार किया जाता है, तो आप सरकार के पक्ष में मत देकर संतुष्ट हो जाएंगे बशर्ते कि प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ विदेश मंत्री का भाषण भी हो, जो उसी दिन हाउस

आफ कामन्स में दिया गया था?

माननीय विंस्टन चर्चिल: हां।

14689. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरा मुद्दा यह है कि यदि आपकी स्थिति ऐसी है कि आप उस बहस-विशेष पर सरकार के पक्ष में मत दे देते, बशर्ते कि प्रधानमंत्री की घोषणा के साथ हाउस आफ कामन्स में दिया गया विदेश मंत्री का भाषण भी दे दिया जाता, मैं आपकी बात से यह समझा हूं कि इस समिति के सामने जिस रूप में श्वेत-पत्र पेश किया गया है उसे पढ़कर विदेश मंत्री के भाषण और प्रधानमंत्री के वक्तव्य में अन्तर समझ में आता है, क्या आप समिति के सामने पेश किए गए श्वेत-पत्र और हाउस आफ कामन्स में विदेश मंत्री द्वारा की गई व्याख्या के रूप में प्रधानमंत्री की घोषणा के बीच जो अन्तर आप समझे हैं, हमें बता सकते हैं?

माननीय विंस्टन चर्चिल: ऐसे अन्तर की स्थिति में, जो दो पक्षों के बीच संसद में अथवा हाउस आफ कामन्स में बहस से उत्पन्न होती है, बाहर वालों के लिए यह समझना कठिन है कि अन्तर क्या था, जब तक कि वे उन सब परिस्थितियों को न समझ लें, जो हमारी बहस को प्रभावित करती है, किन्तु उस संशोधन में जिसे मैं पेश करना चाहता था और उस प्रस्ताव के बीच जिसे सरकार ने पारित कर लिया था, एक बहुत बड़ा और वास्तविक अन्तर था। यह बात निर्विवाद है। उनमें सुस्पष्ट अन्तर था। स्वभावत: हर पक्ष अपने मामले को इस ढंग से पेश करता है कि समर्थन से कम से कम विमुख रहना संभव हो, किन्तु अन्तर फिर भी है और बिल्कुल स्पष्ट है तथा मैं डा. अम्बेडकर से यह नहीं कहता कि हमारी संसदीय संस्थाओं के प्रति न्याय के हित में उन्हें यह याद रखना चाहिए कि हमारे यहां अब भी संसद में दो सदन हैं और यह कि हाउस आफ लाड्र्स की बहस हाउस आफ कामन्स की बहस के सन्दर्भ में पढ़ी जानी चाहिए।

14690. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरा आपसे सादर निवेदन है कि मैं स्वयं आपकी स्थिति को समझना चाहता हूं, चाहे हाउस आफ लाड्र्स की या पार्टी के अन्य सदस्यों की स्थिति कुछ भी हो। आपने निश्चित रूप से कहा था कि आप सरकार के पक्ष में मत देंगे बशर्ते कि प्रधानमंत्री का वक्तव्य विदेश मंत्री के भाषण के साथ में पढ़ा जाए। मैं जो मुद्दा आपके सामने रखना चाहता हूं, वह यह है कि क्या आप संयुक्त संसदीय समिति के सामने पेश किए गए श्वेत-पत्र में और प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य में जिसकी व्याख्या उस दिन विदेश मंत्री ने हाउस आफ कामन्स में की थी, कोई अन्तर समझते हैं? निस्संदेह, यदि अन्तर है तो आपके पास मतभेद का पर्याप्त आधार होगा।

माननीय विंस्टन चर्चिल: डा. अम्बेडकर! मैं आश्वासन दे सकता हूं कि मैं कभी भी इस पक्ष में नहीं था कि भारत के केंद्र में इस समय संघीय प्रणाली की व्यवस्था की जाए और न ही इस पक्ष में था कि प्रांतों को विधि और व्यवस्था के विषय सौंप दिए जाएं तथा इस विवाद में मैंने जो कुछ अभी कहा है, उसमें कुछ भी उसके खिलाफ नहीं है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: मुझे और सवाल नहीं पूछने।

* * * *

14945. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* अध्यक्ष महोदय! क्या मैं आपकी इजाजत से एक सवाल पूछ सकता हूं?

अध्यक्ष: जैसी आपकी मर्जी।

14946. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* श्री चर्चिल, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप उत्तरदायी सरकार और डोमिनियन में कोई अन्तर समझते हैं?

माननीय विंस्टन चर्चिल: हां, उत्तरदायी सरकार की अनेक व्याख्याएं हैं, जो हमने व्यवहार में देखी और जानी हैं। उत्तरदायी सरकार से गंभीर, वास्तविक, महत्वपूर्ण वे कृत्य हो सकते हैं,जो किसी प्रांतीय अथवा स्थानीय निकाय के विवेकाधिकार के लिए हस्तांतरित किए गए हैं अथवा इससे उत्तरदायी सरकार की विभिन्न अपेक्षाएं अभिप्रेत हो सकती हैं। जो डोमिनियनों और औपनिवेशिक कार्यालयों की भाषा में तकनीकी समझ रखते हों,जैसे विधान सभा के प्रति उत्तरदायी मंत्री आदि, किन्तु हमारी दूरस्थ डोमिनियन और साम्राज्य के इतिहास में संस्थाओं की सुनिश्चित रूप से बहुत सारी श्रेणियां हैं,जो 'उत्तरदायी सरकार' शब्द के अंतर्गत आ जाएंगी।

* * * *

15147. *डा. भीमराव अम्बेडकर**:* क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जन-साधारण को वयस्क मताधिकार दिया जाए?

माननीय विंस्टन चर्चिल: नहीं।

15148. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्यों नहीं?

माननीय विंस्टन चर्चिल: क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसा करना तनिक भी व्यावहारिक नहीं है।

(18)

एंग्लो-इंडियन एंड डोमिसाइल्ड यूरोपीयन ऐसोसिएशन आफ इंडिया की ओर से लेफ्टि. कर्नल हेनरी गिडने, एम.एल.ए., आई.एम.एस. (सेवा निवृत्त)

16241. डा. भीमराव अम्बेडकर***: आपके ज्ञापन से मैंने यह समझा कि आप इस बात के प्रति बहुत शंकालु हैं कि नए संविधान के अंतर्गत आपके समुदाय का क्या होगा। मैं मानता हूं कि ऐसी शंकाएं अन्य अनेक अल्पसंख्यकों को भी है। अत: मेरा प्रश्न है कि यदि संविधान में ऐसा उपबंध कर दिया जाए कि भावी भारत की केंद्रीय सरकार में कोई अधिकारी या कोई विभाग ऐसा होना चाहिए,जिसका कानूनी दायित्व भारत में विभिन्न

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-ग, 25 अक्तूबर 1933, पृ. 1833

** वही, 15 अक्तूबर 1933, पृ. 1849

*** वही, 10 नवंबर 1933, पृ.- 1996

समुदायों की नैतिक और भौतिक अवस्था के बारे में हर वर्ष एक रिपोर्ट संसद में पेश करना हो, तो क्या उस मत से जो आपका है, कोई प्रयोजन सिद्ध होगा? क्या आप समझते हैं कि संसद का ध्यान ऐसी किसी बात के प्रति आकृष्ट करने के लिए, जो विभिन्न प्रांतों के प्रशासन के दौरान आपके भौतिक हितों को प्रभावित करते हुए उत्पन्न हो, यह प्रस्ताव आपके समुदाय के लिए उपयोगी होगा?

माननीय हेनरी गिडने: वह प्रस्ताव उस अंतिम सिद्धांत के रूप में मेरे पूर्ण अनुमोदन के अनुसार है कि अल्प-संख्यकों का संरक्षण कैसे होगा? किन्तु उसके प्रारंभिक कदम के रूप में अल्पसख्यक, मेरे विनम्र विचार से तब तक संरक्षण की मांग कर सकते है? जब तक कोई भी हर वर्ष संसद के सदन में रिपोर्ट पेश नहीं करता, उन्हें व्यावहारिक सरंक्षण चाहिए।

16242. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दें। मैं जो सुझाव दे रहा हूं, वह उसके स्थान पर नहीं हैं, जो आप कह रहे हैं, बल्कि वह उसका अनुपूरक हो सकता है।

माननीय हेनरी गिडने: हां।

16243. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या आप मुझसे सहमत हैं कि सत्ता के संभावित दुरुपयोग को उजागर करने का यह मौका अथवा यह ढंग अपने आप में किसी संभावित दुरुपयोग पर नियंत्रण रखने का काम करेगा?

माननीय हेनरी गिडने: मैं निश्चय ही समझता हूं कि यह ऐसी किसी भी बात को, जो समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो, संसद के सदनों के सामने लाने का एक साधन होगा।

16244. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* केवल आपका ही नहीं, बल्कि अन्य अनेक का भी?

माननीय हेनरी गिडने: समस्त अल्पसंख्यकों का।

श्री जफरुल्ला खां: उस पर संसद से क्या करने की आशा की जाएगी?

डा. भीमराव अम्बेडकर: केवल आपका ही नहीं, बल्कि अन्य अनेक का भी?

माननीय हेनरी गिडने: समस्त अल्पसंख्यकों का।

श्री जफरुल्ला खां: उस पर संसद से क्या करने की आशा की जाएगी?

डा. भीमराव अम्बेडकर: यह वहां पेश किया जाएगा। संसद विभिन्न सरकारों का ध्यान रखेगी। गवर्नर जनरल को ही नहीं, बल्कि संसद को भी यह जानना जरूरी है कि विभिन्न सरकारें विभिन्न अल्पसंख्यकों के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह कैसे कर रही हैं, जो उनके कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।

माननीय हरी सिंह गौड़: और आप उसे प्रांतीय स्वायत्तता कहेंगे?

डा. भीमराव अम्बेडकर: हां, मैं निश्चय ही कहूंगा।

---

* मिनिट्स आफ ऐविडेंस, खंड 2-ग, 13 नवंबर 1933, पृ. 2043

(19)

भारतीय पुलिस की ओर से श्री जे.सी. फ्रेंच और श्री एस.एच. मिल्स

16904. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* श्री मिल्स! मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि इस विषय पर आपके विचार जानने में मेरी रुचि है। आपने कुछ जोरदार शब्दों में कहा था कि बंगाल में प्रस्तावित संविधान केअंतर्गत मुसलमान और दलित वर्ग कांग्रेस के प्रभाव में होंगे?

श्री एस.एच. मिल्स: मेरे विचार में, उनके कांग्रेस के असर में रहने की पूरी गुंजाइश है,--उनमें से कुछ प्रतिशत के।

16905. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आपने दलित वर्गों में से 20 के बारे में कहा था?

श्री एस.एच. मिल्स: हां।

16906. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं मानता हूं कि आप यह तो नहीं कहना चाहते है कि दलित वर्गों या मुसलमानों में ऐसे लोग हैं,जो आंतकवादी आन्दोलन से सहानुभूति रखते हों?

श्री एस.एच. मिल्स: दलित वर्गों के लोगों की ऐसी बहुत बड़ी संख्या है,जो आंतकवादी के रूप में गिरफ्तार किए गए हैं।

16907. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* किस समुदाय के?

श्री एस.एच. मिल्स: भिन्न समुदायों के थे और बहुत सारे शाह भी हैं; साथ ही मिदनापुर से दलित वर्गों के बहुत लोग गिरफ्तार किए गए हैं, विशेषकर मिदनापुर से।

16908. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* शाह दलित वर्गों की अनुसूचित जाति नहीं है?

श्री एस.एच. मिल्स: नहीं, मिदनापुर जिले में बहुत सारे दलित वर्ग के लोग हैं, जो गिरफ्तार किए गए हैं।

16909. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अब अगला मुद्दा, जिस पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? उदाहरण के लिए, क्या आपने अनुभव किया है कि बंगाल में नामशूद्रों जैसा कोई विशाल समुदाय आंतकवादी आन्दोलन से किसी भी तरह जुड़ा हुआ हैं?

श्री एल. एच. मिल्स: हां, वे जुड़े हैं।

16910. *डा. भीमराव अम्बेडकर :* मैं आपसे अगला प्रश्न पूछता हूं कि क्या आप जानते हैं कि श्वेत-पत्र के प्रस्तावों के अंतर्गत बंगाल में अल्पसख्यंकों के लिए पृथक निर्वाचक-मंडल की व्यवस्था की गई है?

श्री एस.एच. मिल्स: हां।

16911. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या आप अब भी समझते हैं कि पृथक निर्वाचक-मंडलों के होते हुए भी इन समुदायों के लोग चुनाव में कांग्रेस के प्रभाव में होंगे?

श्री एस.एच. मिल्स: मेरे विचार में बात काफी हद तक ठीक है।

16912. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* उस प्रभाव को कैसे महसूस किया जाएगा?

श्री एस.एच. मिल्स: चूंकि कांग्रेस के पीछे आंतकवादी हैं, इसलिए प्रांत में इसका बड़ा भय है, और उस भय के कारण वे हावी हो जाएंगे।

(20)

भारतीय संवैधानिक सुधार संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष भारत मंत्री का साक्ष्य

माननीय सेम्युअल होर, बेरोनेट, जी.बी.ई., सी.एम.जी., एम.पी., माननीय मालकोम हेली, जी.सी.एस.आई., जी.सी.आई.ई., और माननीय फिंडलेटर स्टुअर्ट, के.सी.बी., के.सी.आई.ई., सी.एस.आई.*

6394. *डा. भीमराव अम्बेडकर**:* मैं इसे नहीं समझ पाया। मेरे विचार में प्रस्ताव सं. 92 और 95 के अंतर्गत भी यद्यपि विधान-मंडल का सत्र चल रहा हो,फिर भी गवर्नर, यदि ऐसा समझे, अपना विधान विधान-मंडल के समक्ष रखने के लिए बाध्य नहीं है?

माननीय सेम्युअल होर: एकदम ठीक। गवर्नर को पूर्ण विवेकाधिकार है।

6395. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* गवर्नर को पूर्ण विवेकाधिकार प्राप्त है?

माननीय सेम्युअल होर: अपनी ओर से चाहे अध्यादेश के लिए या कानून के लिए।

* * * *

6440. *डा. भीमराव अम्बेडकर***:* मैं इस मुद्दे की पैरवी एक और चरण तक करना चाहता हूं। आपने कहा है कि यह मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। माननीय तेज बहादुर सप्रू का यह सवाल नहीं था। सवाल यह है कि क्या खंड इतना व्यापक है कि बीच में यह कहने की शक्ति देता है, 'नहीं, इससे शांति और सौहार्द में दखल होगा और मैं आपको यह विधेयक पेश नहीं करने दूंगा'?

माननीय तेज बहादुर सप्रू: यह खंड इतना व्यापक है कि यह गवर्नर को कार्रवाई करने की शक्ति देता है, यदि वह आश्वस्त है कि इससे प्रांत में शांति और सद्भाव को भारी खतरा हो जाएगा। केवल इसलिए नहीं कि वह सोचता है कि यह विधान किसी न किसी वर्ग के हित में अवांछनीय है।

6441. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यदि उसका यह निष्कर्ष है कि यह खंड इतना व्यापक है कि वह कह सकता है; 'मैं आपको ऐसे विधान पर आगे कार्यवाही नहीं करने दूंगा'?

---

* माननीय सेम्युअल होर, सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया थे, माननीय मालकम हेली संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे, माननीय फिंडलेटर स्टुअर्ट इंडिया आफिस, लंदन के स्थायी अवर सचिव थे।

** *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-ख, 14 जुलाई 1933, पृ. 729

*** *वही*, पृ. 735

माननीय सेम्युअल होर: मैं केवल यह कह सकता हूं कि पिछले दो वर्षों में संयुक्त प्रांत में किसानों की स्थिति से उत्पन्न और लगान के मसले पर वास्तव में बहुत भारी अशांति फैल गई थी। तब ऐसी स्थिति थी तब, मेरी राय में, यह खंड निस्संदेह लागू होता। लेकिन यह इसलिए लागू होता,क्योंकि प्रांत के कुछ हिस्सों में काश्तकारों के वास्तविक विद्रोह का खतरा था। मैं यह नहीं कहता कि यह लागू इसलिए किया जाता,क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि विधान-मंडल के किसी न किसी वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

* * * *

6533. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* मैं यह जानना चाहता हूं,क्या भारत मंत्री मुझसे यह चाहते हैं कि मैं प्रांतों के लिए दूसरे सदनों से संबंधित सवालों को रोके रखूं?

माननीय सेम्युअल होर: जहां तक दूसरे सदनों के गठन (सदस्यता) का संबंध है, मेरा सुझाव है कि इस मसले को भी साधारणतया मताधिकार के साथ ही उठाना बेहतर होगा।

6534. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं भारत मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछूंगा।

अध्यक्ष: मेरे विचार में भारत मंत्री का सुझाव व्यावहारिक है। आशा है आप इस समय कोई सवाल नहीं पूछेंगे।

6535. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं दूसरे सदन के गठन के बारे में पूछने जा रहा था। क्या इसे अभी रोके रखना बेहतर होगा।

माननीय सेम्युअल होर: हां, मैं समझता हूं , कदाचित यही बेहतर होगा।

6536. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आपने पिछली बार एक सवाल के जवाब के दौरान कहा था कि आप सोचते हैं कि प्रांतों में मंत्रियों को निम्न और उच्च, दोनों सदनों में से किसी भी सदन से लिया जा सकता है?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

6537. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आपको याद है कि दूसरे सदन में श्वेत-पत्र में दिए गए सुझाव के अनुसार दस नामजद सदस्य होंगे?

माननीय सेम्युअल होर: हां,

6538. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या प्रस्ताव यह है कि ये दस नामजद सदस्य भी जो उच्च सदन में बैठेंगे, मंत्री बनने के लिए पात्र होंगे?

माननीय सेम्युअल होर: हां, मैं उनमें और दूसरों में कोई अन्तर नहीं करूंगा।

6539. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* नामजद सदस्य मंत्री बन सकेंगे?

माननीय सेम्युअल होर: हां, निश्चय ही, यही स्थिति होगी, मैं सोचता हूं।

6540. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* वर्तमान भारत सरकार अधिनियम में एक विशिष्ट उपबंध है कि प्रांतीय विधान-मंडल में कोई भी नामजद सदस्य मंत्री बनने के लिए पात्र नहीं होगा?

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-ख, 14 जुलाई 1933, पृ. 747

माननीय सेम्युअल होर: डा. भीमराव अम्बेडकर से ही मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा है।

6541. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसमें सुधार किया जा सकता है, लेकिन मेरा विश्वास है कि यही स्थिति है?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

6542. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इस प्रकार, आप वास्तव में उच्च सदन के नामजद सदस्यों को नई सरकार में मंत्री बनाकर बहुत महत्वपूर्ण तब्दीली पेश कर रहे हैं?

माननीय सेम्युअल होर: बेशक, यह एक भिन्न प्रकार की सरकार है।

6543. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं कारणों पर नहीं जाता, बल्कि मैं केवल तथ्यों का उल्लेख कर रहा हूं?

माननीय सेम्युअल होर: हां, मेरे विचार में डा. अम्बेडकर हमेशा यह मानते हैं कि केबिनेट सामूहिक रूप से उत्तरदायी है और इस प्रकार के मामले में केबिनेट की इच्छा के विपरीत किसी मंत्री को थोपने का कोई तात्पर्य नहीं होगा, गवर्नर को खुली छूट देने के बारे में भी बहुत कुछ कहना है।

* * * *

6549. *माननीय तेज बहादुर सप्रू*:* क्या माननीय सेम्युअल ने यह मानकर ठीक किया है कि वर्तमान भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत निर्वाचित और नामजद सदस्यों के बीच मंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए कोई अन्तर किया गया है?

माननीय मालकोम हेली: यह मेरे लिए नई बात है, लेकिन मुझे इसका पता डा. अम्बेडकर से चला है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: मैंने इस अर्थ में इसका प्रयोग किया था कि उसे छह माह के भीतर निर्वाचित सदस्य अवश्य हो जाना चाहिए।

माननीय तेज बहादुर सप्रू: जहां तक मैं समझता हूं, भारत सरकार अधिनियम में मंत्री के रूप में नियुक्ति के लिए निर्वाचित और नामजद सदस्यों में कोई अन्तर नहीं किया गया है। इस विषय में, जो धारा है, वह धारा 52 है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: उसे निर्वाचित होना होगा।

6550 *माननीय तेज बहादुर सप्रू:* मैंने सोचा था कि डा. अम्बेडकर ने माननीय सेम्युअल से पूछा था और यह सुझाव दिया था कि भारत सरकार अधिनियम में मंत्री बनने के मामले में निर्वाचित और नामजद सदस्यों के बीच अन्तर किया गया है?

माननीय मालकोम हेली: इसमें तो केवल यह कहा गया है कि कोई मंत्री छह माह से अधिक समय तक पद धारण नहीं करेगा, जब तक कि वह निर्वाचित सदस्य न बन जाए।

6551 *माननीय तेज बहादुर सप्रू:* लेकिन यदि कोई नामजद सदस्य है, तो ऐसी कोई बात

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-ख, 14 जुलाई 1933, पृ. 748.

नहीं है, जो उसे मंत्री बनने से रोकती हो?

माननीय मालकोम हेली: ऐसा ही है।

6552 *माननीय तेज बहादुर सप्रू:* और ऐसा किया गया है?

माननीय मालकोम हेली: हां।

माननीय तेज बहादुर सप्रू: मेरी समझ में कानून इस प्रकार है, गवर्नर किसी भी बाहरी व्यक्ति को मंत्री बना सकता है, बशर्ते कि वह व्यक्ति छह माह के भीतर विधान परिषद के लिए निर्वाचित हो जाए। इसी प्रकार गवर्नर नामजद सदस्यों के ब्लाक में से, जो वहां पहले से है, मंत्री नियुक्त कर सकता है। इस अधिनियम में कोई अन्तर नहीं किया गया है।

6553. *श्री जफरुल्ला खां:* जब एक बार कोई नामजद सदस्य नियुक्त हो जाएगा, तो क्या वह सर्वदा नामजद सदस्य ही बना रहेगा अथवा क्या उसे निर्वाचित होना होगा?

माननीय सेम्युअल होर: नहीं, मेरे विचार में यह बिल्कुल स्पष्ट है। नामजद सदस्य किसी भी अन्य की भांति ही माना जाता है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: वह छह माह बाद मंत्री नहीं बना रह सकता, जब तक कि वह निर्वाचित न हो जाए।

* * * *

6558. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* क्या मैं उस धारा को पढ़ सकता हूं?

माननीय सेम्युअल होर: क्या वास्तव में इस बात का बहुत महत्व है कि अब क्या स्थिति है?

6559. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसका महत्व है, क्योंकि मैं यह पूछना चाहता हूं कि वास्तविक स्थिति क्या है। धारा 52 की उपधारा (2) इस प्रकार है; 'कोई मंत्री छह माह से अधिक समय तक पद धारण नहीं करेगा जब तक कि वह स्थानीय विधान-मंडल का निर्वाचित सदस्य न हो, अथवा न हो जाए।' मैं तो केवल यह सुझाव देना चाहता था कि अधिनियम में यह परिकल्पित नहीं है कि नामजद सदस्य निरन्तर मंत्री का पद धारण करता रहे, यदि श्वेत-पत्र के सुझाव को मान लिया जाए, तो यही स्थिति होगी कि दूसरे सदन का नामजद सदस्य मंत्री बनने का हकदार होगा। मंत्री परिषद की नियुक्ति के बारे में मैं आपका ध्यान प्रांतीय संविधान की उप समिति की सिफारिशों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था, 'उप-समिति की राय है कि उस कार्य के निर्वहन में गवर्नर को साधारणत: विधान मंडल में बहुमत प्राप्त सदस्य को आमंत्रित करके उससे मंत्रियों के नाम सुझाने और अनुमोदन के लिए पेश करने के लिए कहना चाहिए।'

पैरा 67 में कहा गया है कि वह 'निम्नलिखित रीति से अपने मंत्रियों का चुनाव करने के लिए भरसक प्रयास करेगा' --जिसे मैं प्रांतीय संविधान समिति की सिफारिश से पर्याप्त अलग हटना मानता हूं?

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस* खंड 2-ख, 14 जुलाई 1933, पृ. 749-50

माननीय सेम्युअल होर: मैं नहीं समझता कि तनिक-सी भी अलग हटने वाली कोई बात है। समिति ने 'साधारणत:' कहा था और मैं कल्पना करता हूं कि साधारणत: यही होगा।

6560. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आप यह नहीं समझते कि सामूहिक उत्तरदायित्व को निभाने के हित में सरकार पर यह बाध्यता लगाना आवश्यक होगा कि उसे मंत्री परिषद का निर्माण करने में एक विशिष्ट मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

माननीय सेम्युअल होर: गोलमेज समिति ने ऐसा नहीं सोचा था, जो डा. अम्बेडकर ने उद्धृत किया है।

6561. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरे विचार में यही बात थी।

माननीय सेम्युअल होर: आपने अभी उनका एक उद्धरण पढ़ा है और कहा है कि उन्होंने 'साधारणत:' सोचा था।

6562. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अथवा उन्हें ऐसा करना चाहिए न कि 'भरसक प्रयास'?

माननीय सेम्युअल होर: यह शब्दों का हेर-फेर है।

6563. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अगला प्रश्न, जो मैं पूछना चाहता हूं, वह प्रस्ताव 104 के अंतर्गत मंत्रियों के अध्यादेश संबंधी अधिकार के बारे में है। मैं जो पूछना चाहता हूं, वह यह है कि संविधान के अंतर्गत ही इस प्रकार का उपबंध करना क्यों आवश्यक है? क्या प्रांतीय विधान-मंडल में किसी मंत्री परिषद के लिए उसी प्रकार विधान-मंडल द्वारा एक आपात अधिनियम पारित करना संभव नहीं होगा, जैसा उदाहरण के लिए इस देश में 1920 का अधिनियम है और अपनी शक्तियां विधान-मंडल द्वारा पारित अधिनियमों से प्राप्त करना संभव नहीं होगा? मैं प्रस्ताव संख्या 104 की बात कर रहा हूं। क्या प्रांतीय मंत्री परिषद के लिए प्रांतीय विधान-मंडल द्वारा ऐसा अधिनियम पारित करना संभव नहीं होगा, जो उन्हें एक खास आपात-काल में कार्य करने के आवश्यक अधिकार देता हो?

माननीय सेम्युअल होर: मुझे सोचना चाहिए था कि जब विधान-मंडल का सत्र न चल रहा हो, तो खासकर भारत जैसे देश में, प्रत्येक सरकार के पास आपात कार्रवाई करने की शक्ति अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। भारत एक बहुत बड़ा देश है, जहां विधान-मंडल की बैठक आयोजित करने में कुछ समय लग सकता है।

6564. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरा सुझाव है कि प्रांतीय मंत्री परिषद प्रांतीय विधान-मंडल से ऐसा अधिनियम पारित करा सकती है, जिसमें आपात स्थितियों की परिभाषा दी जाए, जिनमें उनके द्वारा कार्रवाई करना अपेक्षित हो और विधान-मंडल उन्हें अधिकार दे सके। इसी प्रकार के उपबंध संविधान में ही करना क्यों आवश्यक है?

माननीय सेम्युअल होर: क्योंकि मैं यह एक अनिवार्य आवश्यकता मानता हूं, जो सरकार के पास होनी चाहिए और चूंकि हम संविधान के संपूर्ण क्षेत्र पर विचार कर रहे हैं, इसलिए

इस प्रकार की शक्ति संविधान अधिनियम में शामिल की जानी चाहिए।

डा. भीमराव अम्बेडकर: यह एक ऐसी शक्ति है, जो एक उत्तरदायी मंत्री परिषद को दी जानी अपेक्षित है और सही यही होगा कि उत्तरदायी मंत्री परिषद को अपनी शक्तियां चाहे आपात स्थिति हो या नहीं विधान-मंडल से प्राप्त करनी चाहिएं,जिसके प्रति वे उत्तरदायी हैं।

लार्ड यूसटेस परसी: क्या मैं डा. अम्बेडकर को याद दिलाऊं कि इस देश में 1922 के अधिनियम द्वारा इस शक्ति को केवल नियमित किया गया था,जिसका प्रयोग मंत्रीगण बिना विधान के बराबर करते थे। इस देश में हमेशा यह परिपाटी रही है कि परवर्ती संसदीय समर्थन के अधीन रहते हुए मंत्री परिषद आपात आदेश जारी कर सकती है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं केवल यही पूछ रहा हूं।

* * * *

6870. माननीय हुबर्ट कार:* संख्या 44 गवर्नर जनरल को, 'किसी भी स्थिति में जिसमें वह यह समझे कि पुन:स्थापन के लिए प्रस्तावित विधेयक, अथवा उसका कोई खंड, अथवा पेश किया गया या प्रस्तावित विधेयक का कोई संशोधन भारत में शांति या सद्भाव के किसी गंभीर संकट को रोकने के उसके विशेष उत्तरदायित्व के निर्वहन को प्रभावित करेगा, यह निदेश देने का विशेषाधिकार प्रदान करता है कि उस विधेयक, खंड अथवा संशोधन पर और आगे कार्रवाई नहीं होगी।' मैं समझता हूं कि यह उसी स्थिति में होगा,जब भारत में शांति या सद्भाव के उसके विशेष उत्तरदायित्व को खतरा हो। क्या उसके अन्य विशेष उत्तरदायित्वों को खतरा होने की स्थिति में उसके लिए ऐसी कोई शक्ति विद्यमान है?

माननीय सेम्युअल होर : नहीं, मेरे विचार में नहीं।

6871. माननीय हुबर्ट कार : उदाहरण के लिए, (ख) 'फेडरेशन की वित्तीय स्थिरता और प्रत्यय की रक्षा का उपाय करना?'

माननीय सेम्युअल होर : नहीं, यह शांति और सद्भाव के गंभीर खतरे के विशेष उत्तरदायित्व तक सीमित है।

माननीय मालकोम हेली : मैं समझता हूं कि मैं माननीय हुबर्ट को इसका कारण बता सकता हूं। यह वर्तमान अधिनियम की धारा 67 (2क) की वस्तुत: पुनरावृत्ति है, जो ब्रिटिश भारत में सुरक्षा और शांति का उल्लेख करती है और प्राय: शब्दावली, में इसकी पुनरावृत्ति की गई है।

6872. *माननीय हुबर्ट कार* : शांति और सद्भाव के सिवाए गवर्नर जनरल के उत्तरदायित्वों की चुनौती को रोकने की शक्ति उसे देना आवश्यक नहीं समझा गया?

माननीय फिंडलेटर स्टुअर्ट : नहीं। निस्संदेह वह सदन द्वारा पारित विधेयक पर अपनी

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस* खंड 2-ख, 18 जुलाई 1933, पृ. 784

सम्मति देने से इन्कार कर सकता है।

6873. माननीय हुबर्ट होर : किन्तु वह चर्चा बन्द नहीं कर सकता?

माननीय फिंडलेटर स्टुअर्ट : नहीं।

डा. भीमराव अम्बेडकर : मैं अपने सवाल भारत मंत्री के लिए बचाकर रखना चाहूंगा क्योंकि वे नीति संबंधी सवाल हैं।

* * * *

7016. *डा. भीमराव अम्बेडकर** : धरोहर के बारे में श्री मारगन जोन्स द्वारा,जो सवाल पूछे गए थे,उनके उत्तर में आपने कहा था कि इस देश में कोई भी जिम्मेदार राजनेता समय की गति से बंधा हुआ नहीं है। क्या ऐसा है?

माननीय सेम्युअल होर : हां।

7017. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : लेकिन मैं समझता हूं कि इस बारे में आम सहमति है कि भारत के संविधान का अंतिम लक्ष्य डोमिनियन स्टेटस है?

माननीय सेम्युअल होर : यही बराबर कहा गया है।

7018. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : ताकि अंतिम लक्ष्य के सवाल पर वास्तव में कोई विवाद न हो?

माननीय सेम्युअल होर: हां, ऐसा ही होगा।

7019. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आप भारत सरकार के संविधान की उद्देश्य-सूची में इसे शामिल करने के लिए तैयार होंगे कि भारत को डोमिनियन दिया जाएगा और समय एवं इसकी प्रगति का सवाल परिस्थितियों पर छोड़ दिया जाएगा?

माननीय सेम्युअल होर : मैं नहीं समझता कि यहां इसी समय मैं यह वचन देना चाहूंगा कि संसद के अधिनियम की उद्देश्यिका में क्या रखा जाए अथवा नहीं। मैं स्वयं सही या गलत कारणों से संसद के अधिनियमों की उद्देश्य-सूची के खिलाफ हूँ और मैं डा. अम्बेडकर के सवाल के जवाब में न तो हां कहूंगा और न ही ना। यह एक ऐसा मुद्दा है,जिस पर समिति द्वारा विचार किया जाना चाहिए। मैं इसे किसी भी तरह सिद्धान्त का प्रश्न नहीं मानूंगा। मैं समझता हूं यह चर्चा का अनिवार्य विषय है। प्रत्यक्षत: मैं उद्देश्यिकाओं में इस प्रकार की सामान्य घोषणाओं के खिलाफ हूं।

7020. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : मैं कहना चाहता हूं कि अब यह मुद्दा विवादग्रस्त नहीं है और इस दृष्टि से कि इसका भारतीय जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, इसे भारत सरकार अधिनियम की उद्देश्यिका में शामिल करना वांछनीय होगा?

माननीय सेम्युअल होर: डा. अम्बेडकर ने इस मुद्दे पर जो कुछ कहा,है,हमें उस पर

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2 ख, 18 जुलाई 1933, पृ. 797-805

ध्यान देना चाहिए।

7021. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : अब मैं जो अगला प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं, वह संघ की तारीख के बारे में है। संघ में राजाओं के प्रवेश से जुड़े कुछ अनिश्चित तत्वों की दृष्टि से संघ के उद्घाटन के लिए कोई तारीख देना वांछनीय नहीं था। अब जो मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वह है कि आप इस प्रकार के प्रस्ताव के बारे में क्या कहेंगे? मैं इसे अपनी ओर से रख रहा हूं। मान लीजिए आपने राजाओं का इन्तजार किए बिना संघ को बना दिया और वायसराय या गवर्नर जनरल द्वारा नामजद सदस्यों का एक ब्लाक बना लिया, जो शासकीय या गैर-शासकीय हो सकते हैं, वे अंशत: शासकीय और अंशत: गैर-शासकीय हो सकते हैं, और फिर अपने फैडरेशन का उद्घाटन करें तथा जब राजा उसमें शामिल हो जाएं,तो क्या ऐसे राजाओं के लिए जगह बनाने के लिए नामजद सदस्यों के ब्लाक को समाप्त कर देंगे? क्या आपको इस प्रकार के प्रस्ताव पर आपको कोई आपत्ति है?

माननीय सेम्युअल होर: हां, इस पर मुझे कई आपत्तियां हैं। मेरे विचार में, कदाचित यह पूरी तरह एक नई चीज है। यहां पिछले तीन सालों से हम अखिल भारतीय संघ से भिन्न किसी प्रकार के संघ पर विचार नहीं कर रहे हैं,जिसमें राजाओं का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

7022. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : बिल्कुल ठीक, लेकिन मुझे इस मुद्दे पर और कहने दीजिए?

माननीय सेम्युअल होर: मैं अपना उत्तर पूरा समाप्त कर लूं? दूसरे, उस प्रत्येक जोरदार आपत्ति के अलावा भी, एक और आपत्ति यह भी है कि हमें अपना पूरा विचार-विमर्श फिर से शुरू करना होगा, मैं तो कहूंगा कि यह भी आपत्ति है कि मान लीजिए जब आप नामजद सदस्यों का ब्लाक बना लेते हैं और राज्यों के राजा संघ में बिल्कुल भी नहीं आते तो, मुझे नहीं पता क्या होगा?

7023. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : अब मैं अपना अगला सवाल रखूंगा। क्या आप स्थिरता लाने के लिए राजाओं का प्रतिनिधित्व चाहते हैं?

माननीय सेम्युअल होर: नहीं, इससे भी अधिक, डा. अम्बेडकर! मैं अपने आपको इसी तक सीमित नहीं रखूंगा। मैं अनेक कारणों से राजाओं का प्रवेश चाहता हूं। राजाओं के प्रतिनिधित्व से न केवल स्थिरता आएगी, बल्कि वे बहुत सारी अत्यन्त मूल्यवान चीजों को भारत सरकार में ला सकते हैं।

7024. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : लेकिन मेरा मुद्दा है कि मैं संविधान के स्थायी अंग के रूप में सुझाव नहीं दे रहा हूं। मैं उस संक्रमणकाल के लिए सुझाव दे रहा हूं,जब तक राज्यों के राजा नहीं आते हैं। मैं केवल उस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा हूं,जिसे आप यह कहेंगे कि वह तब उत्पन्न होगी,जब राज्यों के राजा निश्चित अवधि के भीतर आने का अपना मन न बनाएं। मैं केवल तारीख की कठिनाई से छुटकारा पाने की कोशिश कर

रहा हूं?

माननीय सेम्युअल होर: मैं इसे अच्छी तरह समझता हूं, मुझे इस प्रकार की संक्रमणकालीन योजना के बारे में आपत्तियां दिखाई देती हैं, जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है।

नवाब लियाकत हयात खां : जो भी हो, मैं बीच में हस्तक्षेप करूंगा, क्या यह बेहतर नहीं होगा कि ऐसी आकस्मिकता पैदा होने की दशा में जब आप अगली बार मिलें,तो तभी इस बात को रखें। वायदा किया गया है कि जब कोई आकस्मिकता पैदा होगी,तो हम दोबारा मिलेंगे। मेरे विचार में, इस प्रकार का सुझाव अपेक्षाकृत ज्यादा उपयुक्त होगा।

माननीय ए.पी. पात्रो : जब ऐसी बात आएगी,तो आप वहां पर नहीं होंगे।

माननीय सेम्युअल होर: मैंने हमेशा सोचा है, विशेषकर उन लोगों के लिए,जो वास्तव में एक अखिल भारतीय संघ स्थापित करने में रुचि रखते हैं, या तो इस धारणा पर कि संघ कभी भी अस्तित्व में नहीं आएगा अथवा यह कि संघ अत्यन्त अनिश्चित भविष्य में ही अस्तित्व में आएगा, एक प्रकार की अस्थायी सरकार की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करना वास्तव में एक बहुत बड़ी भूल है। मैं स्वयं मानता हूं कि समिति के सदस्य और भारतीय प्रतिनिधि मंडल के सदस्य,जो इस प्रकार का प्रस्ताव करते हैं, वस्तुत: संघ को दूर और दूर करते जा रहे हैं। मैं केवल अपनी निजी राय दोहराता रहूंगा और मैं अपने ब्रिटिश और भारतीय मित्रों का भरोसा करूंगा कि समय-समय पर हमारे बाहरी शत्रु इसे गलत रूप में प्रस्तुत न करें।

7025. *डा भीमराव अम्बेडकर :* क्या मैं इस पर थोड़ा और बोल सकता हूं? क्या आप समझते हैं कि संघ ज्यादा महत्वपूर्ण है या उत्तरदायित्व ज्यादा महत्वपूर्ण है?

माननीय तेज बहादुर सप्रू : अथवा कोई भी नहीं?

माननीय सेम्युअल होर: मैं डा. अम्बेडकर के सवाल का आशय नहीं समझा।

7026. *डा. भीमराव अम्बेडकर :* मेरा आशय यह है कि यदि आप संक्रमणकाल के लिए कोई विकल्प सोचने को तैयार नहीं है,तो परिणाम यह होगा कि तब तक किसी का कोई उत्तरदायित्व नहीं हो सकता,जब तक कि संघ नहीं हो?

माननीय सेम्युअल होर: वास्तव में अब डा. अम्बेडकर उन मुद्दों को उठा रहे हैं,जिन पर हम तीन साल से चर्चा कर रहे हैं। इन सालों में जो भी चर्चा हमने की है,उसमें हमने यह माना है कि ये प्रस्ताव अखिल भारतीय संघ की आधारशिला पर टिके हैं और मैं इन चर्चाओं के तीन वर्ष बाद इस प्रश्न को फिर से उठाने के लिए तैयार नहीं हूं?

डा. भीमराव अम्बेडकर : यह सच है। मैं इस विषय पर और पैरवी करना नहीं चाहता। मैं आपके विचार के लिए केवल एक विकल्प सुझा रहा हूं। मुझे दो सवाल और पूछने हैं लेकिन मुझे नहीं पता कि वे उस विषय की परिधि के अंतर्गत आएंगे या नहीं जिस पर हम

चर्चा कर रहे हैं। वे संघ के उच्च सदन के अभ्यर्थियों की अर्हताओं के बारे में हैं।

केन्टरबरी के आर्चबिशप : मैं समझता हूं,इसे मताधिकार के अंतर्गत रखना ज्यादा उचित होगा। क्या ऐसा करना ठीक नहीं होगा?

डा. भीमराव अम्बेडकर : मैं वित्तीय रक्षोपायों के विषय में एक या दो सवाल पूछना चाहूंगा।

केन्टरबरी के आर्चबिशप : मेरे विचार में यह स्पष्टत: वित्त के अंतर्गत आता है।

7027. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : मैं प्रतिरक्षा के बारे में एक या दो सवाल पूछना चाहता हूं। आपको याद होगा कि प्रतिरक्षा विषयक उप-समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि एक सैन्य परिषद होनी चाहिए। इस विषय पर श्वेत-पत्र में मुझे कोई प्रस्ताव दिखाई नहीं पड़ता?

केन्टरबरी के आर्चबिशप : इसे संवैधानिक प्रस्ताव न मानने के हमारे पास अपने ठोस कारण हैं। यह एक प्रशासनिक प्रस्ताव है।

7028. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : क्या आप इसे इसी रूप में लेंगे?

केन्टरबरी के आर्चबिशप : मैं हमेशा भारत में कमेटी आफ इम्पीरियल डिफैंस जैसी कोई चीज रखने के पक्ष में रहा हूं। मेरा विश्वास है कि इतना ही आवश्यक नहीं है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय और प्रतिरक्षा के पदाधिकारियों को प्रतिरक्षा की समस्याओं से जोड़ा जाए, बल्कि आज किसी भी राष्ट्र के जीवन का व्यापक क्षेत्र प्रतिरक्षा के अंतर्गत आता है। हमने देखा है कि ऐसी कोई समिति बहुत मूल्यवान होगी,जिसमें समुचित मंत्री विनिर्दिष्ट विचार-विमर्श के लिए उपलब्ध हो सकें, और नागरिकों का ही नहीं, बल्कि भारत में सैन्य मत का भी एक सुदृढ़ निकाय हो,जो इस प्रकार की ऐसी किसी समिति की प्रगति के पक्ष में हो, लेकिन यह प्रश्न ऐसा नहीं है,जिसका उल्लेख संसद के किसी अधिनियम में किया जाए, बल्कि यह एक अनिवार्यत: प्रशासनिक प्रश्न है।

* * * *

7033. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : आरक्षित विषयों के बारे में आप नहीं चाहते कि बजट के उस भाग पर मतदान हो?

माननीय सेम्युअल होर : ऐसा ही है।

7034. *डा. भीमराव अम्बेडकर* : यह आरक्षित विभागों के सिद्धांत के विपरीत है,जो इस समय भारत सरकार अधिनियम के अधीन विद्यमान है?

माननीय सेम्युअल होर : यह हमारी पहले की सभी चर्चाओं पर आधारित है और मेरा विचार है कि इस बारे में आम सहमति है कि धन संबंधी प्रस्तावों पर मतदान न हो, हालांकि प्रतिरक्षा की कुछ विशेषताओं के बारे में गोलमेज सम्मेलन में काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है।

7035. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यदि विधान सभा में इस पर मतदान हो और वायसराय देखें कि कोई भारी कटौती की गई है,तो उसे प्रमाणित करने की शक्ति क्या हो, क्या आपको इसमें कोई बहुत बड़ा खतरा नजर आता है?

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार में इस प्रकार के मामले में,जिसमें वायसराय का उत्तरदायित्व स्पष्ट और असंदिग्ध है, बेहतर होगा कि चर्चा के लिए मौका दिया जाए, आवश्यक व्यय पर मतदान नहीं होना चाहिए।

डा. भीमराव अम्बेडकर: अगला प्रश्न सेनाध्यक्ष (कमांडर-इन-चीफ) के बारे में है। श्वेत-पत्र में इस बारे में कोई खास प्रस्ताव नहीं है। भारत सरकार अधिनियम, की धारा 19 केवल यह कहती है कि सेनाध्यक्ष के रायल साइन मैनुअल के अधीन वारंट सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

7036. *तेज बहादुर सप्रू:* यह अजीब संयोग है कि वर्तमान भारत सरकार अधिनियम में सेनाध्यक्ष की नियुक्ति का कोई उल्लेख नहीं है। उसमें केवल यह लिखा है कि श्वेत-पत्र हो या नहीं, यदि सेनाध्यक्ष कार्य परिषद का सदस्य है,तो उसे कार्य परिषद के अन्य सदस्यों की अपेक्षा वरीयता दी जानी चाहिए। आशय यही है कि सेनाध्यक्ष की नियुक्ति जारी रखी जाए।

7037. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* वर्तमान भारत सरकार अधिनियम की धारा 19(1) में कहा गया है: भारत में सम्राट की सेना के सेनाध्यक्ष की नियुक्ति रायल साइन मैनुअल के अधीन सम्राट द्वारा वारंट से की जाती है?

माननीय सेम्युअल होर: हां, संभवत: यही स्थिति जारी रहेगी।

7038. *लार्ड इर्विन:* क्या श्वेत-पत्र के पृष्ठ 39 के नीचे प्रस्ताव 6 में इसका उल्लेख नहीं है?

माननीय सेम्युअल होर: हां, पैरा 6, पृष्ठ 39 पर है।

7039. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* पैरा 6 में यह नहीं कहा गया है कि यह नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी और किसकी सलाह पर?

माननीय सेम्युअल होर: सम्राट द्वारा।

7040. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* किसकी सलाह पर?

माननीय सेम्युअल होर: यह नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है।

7041. *माननीय आस्टिन चैम्बरलेन:* इंग्लैंड में मंत्रियों की सलाह पर कार्य करते हुए सम्राट द्वारा?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

7042. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैंने 17 फरवरी 1921 को विधान सभा में हुई बहस देखी थी,जिसमें गोडफ्रे फैल ने उन परिस्थितियों का जिक्र किया था,जिसमें कमांडर-इन-

चीफ की नियुक्ति की जाती है। वे इस प्रकार हैं - 'कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर सम्राट द्वारा की जाती है और मंत्रिमंडल स्वभावत: इम्पीरियल जनरल के प्रमुख,जो ब्रिटिश साम्राज्य का सर्वोच्च सेना प्राधिकारी है, की सलाह लेता है।' इस प्रकार स्थिति में वर्तमान विधि अथवा परिपाटी के अनुसार कमांडर-इन-चीफ की नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा इम्पीरियल जनरल स्टाफ के प्रमुख की सलाह पर की जाती है?

माननीय सेम्युअल होर: उसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा नहीं की जाती, अपितु उसकी नियुक्ति सम्राट द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर, भारत की स्थिति में, भारत मंत्री की सलाह पर की जाती है।

7043. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आपके विचार में यह परिपाटी इस बात को देखते हुए है कि प्रतिरक्षा विशेष रूप से भारत के लोगों और भारतीय विधान-मंडलों का उत्तरदायित्व उस नवीन शासन-व्यवस्था के अनुरूप है, जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं?

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार में प्रतिरक्षा, जो आरक्षित विषय है, के लिए अपरिहार्य है।

7044. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* किंतु यह भी भारतीय लोगों और भारतीय विधान-मंडलों का उत्तरदायित्व माना जा रहा है। एक ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारी की नियुक्ति,जो कि नई शासन- व्यवस्था के अधीन एक महत्वपूर्ण विभाग का प्रभारी होगा और जिसकी नियुक्ति गवर्नर जनरल और भारत मंत्री के बजाए इम्पीरियल जनरल स्टाफ के प्रमुख के परामर्श से मंत्रिमंडल की सलाह पर की जाती है,उस सरकार के अनुरूप किस प्रकार होगी, जिसकी प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय लोगों का होगा?

माननीय सेम्युअल होर: निश्चित रूप से, यदि प्रतिरक्षा आरक्षित विभाग है,तो उस सरकार को जिसके प्रति यह आरक्षित विभाग उत्तरदायी है, नियुक्ति करनी चाहिए।

7045. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं तो यह मान सकता हूं कि वायसराय यह नियुक्ति करें या भारत मंत्री?

माननीय सेम्युअल होर: इसका यही अभिप्रेत है।

* * * *

7125. *मारक्वेस आफ सेल्सबरी** मेरी समझ में आपकी योजना (अथवा मुझे कहना चाहिए कि वह योजना जिसे तीन योजनाओं में से आप पसंद करेंगे) के अनुसार विधान सभा में पहले से विद्यमान राजाओं के प्रतिनिधित्व में पहले से स्वीकृत अनुपात में अन्य राजाओं के प्रतिनिधित्व का अनुपात और जोड़ना है। क्या ऐसा नहीं है?

माननीय सेम्युअल होर: मैं नहीं जानता कि 'पहले स्वीकार किए गए अनुपात में' पद

---

* *मिनिट्स आफ ऐवीडेंस*, खंड 2-ख, 20 जुलाई 1933, पृ. 813-15

से लार्ड सेल्सबरी का क्या अभिप्राय है।

7126. *मारक्वेस आफ सेल्सबरी:* मेरी जानकारी में उन देशी राज्यों की, जिन्हें सम्मिलित किया गया है, 10 सीटें होंगी।

माननीय सेम्युअल होर: मैं समझ गया कि लार्ड सेल्सबरी क्या कहना चाहते हैं। मेरे विचार में इसके उस रूप में कार्य करने की संभावना है।

7127. *मारक्वेस आफ सेल्सबरी* : एक और प्रश्न मैं प्रांतीय वितरण, अर्थात प्रांतों में सीटों के वितरण के संबंध में आपसे पूछना चाहता हूं। वास्तव में आप जानते हैं कि इस संबंध में काफी मतभेद हैं। मैं मतभेद के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं इस बारे में भी कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि क्या 'पूना समझौते' के अधीन बंगाल में समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। मैं भारत मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें इस विषय में कुछ कहना है?

माननीय सेम्युअल होर: सरकार के सांप्रदायिक निर्णय के बारे में?

7128. *मारक्वेस आफ सेल्सबरी* : मैं विशेष रूप से बंगाल के बारे में ही कह रहा हूं।

माननीय सेम्युअल होर: नहीं, मुझे सरकार के सांप्रदायिक निर्णय से संबंधित इस ज्ञापन के बारे में जिसे मैने तारीख 26 मई को समिति और प्रतिनिधियों के लिए परिचालित किया है और कुछ नहीं कहना है। सरकार ने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वह अपना निश्चय अंतिम मानती है और वह इसमें तभी कुछ फेरबदल कर सकती है, जब उसे यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यह फेरबदल विभिन्न समुदायों के अधिकार प्राप्त नेताओं को स्वीकार्य है और सरकार के सदस्य के रूप में मैं सरकार की उस नीति के वक्तव्य के बारे में और कुछ कहना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष: भारत मंत्री, जिस ज्ञापन का आपने अभी उल्लेख किया है, क्या आप उसे बताना चाहेंगे?

माननीय सेम्युअल होर: हां, ज्ञापन इस प्रकार है:

ज्ञापन—साप्रंदायिक पंचाट

1. मेरे विचार में यह संयुक्त प्रवर समिति के मेरे उन साथियों के हित में रहेगा, जिन्हें उन बातों का पता नहीं है, जिनके परिणामस्वरूप यह श्वेत-पत्र तैयार किया गया कि मैं इस 'सांप्रदायिक पंचाट' के क्षेत्र, इसकी उत्पत्ति के इतिहास और इसे क्यों तैयार किया गया है? इसके बारे में संक्षेप में कुछ बताऊं। जहां तक सरकार का संबंध है, इसका श्वेत-पत्र में दिए गए अन्य सुझावों के बारे में अपना भिन्न दृष्टिकोंण है।

2. द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के प्रथम और द्वितीय, दोनों सत्रों में उन सीटों की संख्या, जो भारत में विभिन्न बड़े समुदायों को विधान-मंडल में प्राप्त होंगी और इन सीटों के निर्वाचन की रीति दोनों के संबंध में भारतीय प्रतिनिधियों के मध्य परस्पर सहमति न हो पाने के कारण

उत्पन्न हुई, अड़चन के पश्चात् बड़ी मुश्किल से प्रगति हुई। निर्वाचन के बारे में मुख्य प्रश्न था कि क्या पृथक निर्वाचक-मंडल रखे जाएं या आरक्षित सीटों के साथ संयुक्त निर्वाचक-मंडल की प्रणाली अपनाई जाए। (इन शब्दों के स्पष्टीकरण के लिए देखिए - स्टेट्यूटरी कमीशन की रिपोर्ट के प्रथम खंड के पैरा 149 और 150)। इन समस्याओं के संबंध में सहमति तैयार किए जाने के लिए काफी प्रयास किए जाने के बावजूद बारबार असफल रहने के कारण अब तक तैयार किए गए संविधान में महत्वपूर्ण कमी तो है ही, साथ ही कुछ अल्पसंख्यक समुदाय संविधान के उन अन्य पहलुओं पर आगे किसी प्रकार की चर्चा करने से भी वंचित रहे हैं, जिनका प्रभाव सांप्रदायिक है, जब तक कि उन्हें यह पता न चले कि विधान-मंडलों में उन्हें कितना प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

3. तदनुसार, प्रगति के मार्ग में आने वाली इन बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार को बड़े संकोच के साथ इन मुद्दों पर फैसला करने के लिए बाध्य होना पड़ा है और उसका फैसला न्यूनाधिक रूप से मध्यस्थ के पंचाट जैसा है। सरकार ने 'अवार्ड' के उपबंधों को संसद में अपने प्रस्तावों में सम्मिलित किया है। इस अवार्ड में प्रांतीय विधान-मंडलों के गठन और उनके निर्वाचन की रीति का समावेश है। इन बातों में विशुद्ध रूप से अति सांप्रदायिक प्रश्नों, जैसे विशेष हितों के लिए स्थानों की संख्या और विधान-मंडलों के आकार से संबंधित जैसे मामलों में शामिल प्रश्नों को अलग कर पाना असंभव पाया गया। फिर भी, ऐसे मुद्दों पर सरकार को भारतीय मताधिकार (लोथियन) समिति की सलाह से लाभ मिला। 'अवार्ड' 16 अगस्त 1932 को जारी किया गया और पैरा 4147 में वर्णित रूप में संसद में पेश किया गया।

4. दलित वर्गों की बाबत परिवर्तन के अधीन रहते हुए, जिन्हें नीचे सपष्ट किया गया है, 'अवार्ड' के उपबंधों को श्वेत-पत्र के पृष्ठ 81 और 93 पर उद्धृत किया गया है (पृष्ठ 91 पर निर्वाचन विषयक उपबंध कुछ संक्षिप्त रूप में हैं)।

5. 'अवार्ड' के प्राक्कथन में की गई घोषणा का यह अंश बहुत महत्वपूर्ण है:

पैरा 4. 'सरकार बड़े स्पष्ट शब्दों में यह बता देना चाहती है कि वह स्वयं ऐसी किसी बातचीत में भाग नहीं लेगी, जो उसके फैसले के पुनरीक्षण की दृष्टि से शुरू की जाएगी और इसमें उपांतरण किए जाने के उद्देश्य से किए जाने वाले किसी भी अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए तैयार नहीं होगी। यदि सभी प्रभावित पक्ष इसका समर्थन नहीं करते हैं, तो भी वह किसी सहमतिजन्य समझौते के लिए यदि यह प्रसन्नतापूर्वक किया जाता है, अपने द्वार खुले रखने के लिए अत्यंत उत्सुक है। अत:, यदि नवीन भारत सरकार अधिनियम पारित किए जाने से पूर्व उनका समाधान हो जाता है कि संबंधित समुदायों के गर्वनर के एक या अधिक प्रांतों के संबंध में या संपूर्ण ब्रिटिश भारत की बाबत किसी व्यावहारिक वैकल्पिक योजना पर परस्पर सहमति व्यक्त कर दी है, तो वह संसद से

यह सिफारिश करने के लिए तैयार है कि उन उपबंधों के स्थान पर,जिनकी रूपरेखा यहां प्रस्तुत है, नए उपबंध रखे जाएं।

6. 'अवार्ड' के बाद से दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के संबंध में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जिसका इतिहास संक्षेप में इस प्रकार है:-

'अवार्ड' जारी किए जाने पर श्री गांधी ने दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व से संबंधित इसमें किए गए उपबंधों के प्रति आपत्ति करते हुए उसके विरोध में अनशन करने का फैसला किया, क्योंकि श्री गांधी के विचार में, इससे हिंदू समाज का कृत्रिम विभाजन हो जाएगा। प्रकाशित दस्तावेजों में प्रधानमंत्री ने उन कारणों का उल्लेख किया है,जिससे सरकार इस मत का समर्थन नहीं कर सकी, किंतु श्री गांधी इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। श्री गांधी के मार्गदर्शन में सवर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधियों और दलित वर्गों के प्रतिनिधियों जिनका नेतृत्व डा. अम्बेडकर ने किया, के बीच अब बातचीत शुरू हुई। परिणामस्वरूप एक समझौता हुआ जिसे 'पूना समझौता' के नाम से जाना जाता है और इसके द्वारा प्रत्येक प्रांत में दलित वर्गों के स्थानों की संख्या उपुर्यक्त रूप में बढ़ा दी गई जैसा कि 'सांप्रदायिक पंचाट' में सिफारिश की गई थी और एक भिन्न निर्वाचन प्रणाली प्रतिस्थापित की गई। सवर्ण हिंदुओं के लिए हिंदू सीटों (जिन्हें तकनीकी रूप में 'सामान्य' सीट कहा गया) और दलित वर्गों की सीटें मिलाकर कुल संख्या 'पूना समझौते' के अधीन वही रही, जो मूल' साप्रंदायिक 'पंचाट' के अनुसार थी। सरकार ने अपने 'साप्रंदायिक पंचाट' में उपर्युक्त पैरा 4 में वर्णित उपबंधों के अधीन एक परस्पर सहमतिजन्य व्यवहार्य विकल्प के रूप में उपांतरण करते हुए इस 'समझौते' के उपबंधों को स्वीकार कर लिया और इसकी घोषणा किए जाने पर श्री गांधी ने अपना अनशन तोड़ दिया। श्वेत-पत्र के पृष्ठ 91 और 93 पर दिए गए प्रस्तावों में 'पूना समझौते' की शर्तों का उल्लेख है।

7. अत:, श्वेत-पत्र के प्रस्तावों के संबंध में जिनके अंतर्गत प्रांतीय विधान-मंडलों के गठन और इनके निर्वाचन की रीति का समावेश है *, सरकार की स्थिति ऐसी है कि वह ऐसे प्रस्तावों को छोड़कर जिन पर संबंधित समुदाय परस्पर सहमत हो जाते हैं, इनमें किसी प्रकार के फेरबदल हेतु संसद से सिफारिश करने के लिए विनिर्दिष्टत: कृतसंकल्प नहीं है और वह इस प्रकार का परिवर्तन किए जाने के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार की बातचीत में भाग लेने के लिए भी कृतसंकल्प नहीं है। सरकार के इस दृढ़ संकल्प के निर्वचन के अंतर्गत 'पूना समझौते' के वे उपबंध भी सम्मिलत हैं, जिन्हें उसने उपर्युक्त परिस्थितियों में स्वीकार कर लिया है।

8. मूल 'साप्रंदायिक पंचाट' इस तथ्य के कारण केवल प्रांतीय विधान-मंडलों के संबंध में था कि क्रमश: ब्रिटिश भारत के संघीय विधान-मंडल और ब्रिटिश भारतीय देशी राज्यों को दी जाने वाली सीटों की संख्या से संबंधित विनिश्चय के लंबित रहने के कारण केंद्र

* इसके अंतर्गत मताधिकार नहीं आता।

के लिए तत्स्थानी उपबंध नहीं किए जा सके। श्वेत-पत्र के परिशिष्ट I और II में दिए गए प्रस्तावों में, जिनका परिशीलन श्वेत-पत्र की प्रस्तावना के पैरा 18 के अनुसार किया जाना चाहिए, अब इस विषय पर सरकार के प्रस्ताव वर्णित हैं। ये प्रस्ताव वास्तव में मूल 'सांप्रदायिक पंचाट' के अनुपूरक हैं। फिर भी, सरकार ने उपर्युक्त मूल घोषणा के पैरा 4 में वर्णित दृढ़ संकल्प की भांति उनके बारे में विनिर्दिष्ट दृढ संकल्प नहीं किया है। अत:, वह केंद्रीय विधान-मंडल में समुदायों के बीच सीटों के आवंटन के इन प्रस्तावों पर नए सिरे से विचार करने की इच्छुक नहीं है और वह इन प्रस्तावों को अपनी दृष्टि से उस रूप में मानने को तैयार नहीं है,जिस प्रकार वे प्रांतीय 'सांप्रदायिक पंचाट' में दिए गए हैं। सरकार को संघीय विधान-मंडल में ब्रिटिश भारत की एक तिहाई सीटें मुसलमानों को आवंटित किए जाने और क्रमश: ब्रिटिश भारत और देशी राज्यों को आवंटित सीटों के प्रतिशत इन दो मुद्दों के संबंध में किसी प्रकार का परिवर्तन किए जाने पर घोर आपत्ति है।*

9. सारांश में, उपर्युक्त बातों से यह स्पष्ट है कि 'सांप्रदायिक पंचाट' में केवल विधान-मंडलों के गठन का उल्लेख है-इसका संविधान में वर्णित विभिन्न प्रकार के मुद्दों, जो कि सामान्य प्रकृति के हैं (उदाहरणार्थ गवर्नरों और गवर्नर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व, केंद्र और प्रांतों के बीच संबंध, मूल अधिकारों आदि) से कोई संबंध नहीं है और 'साप्रंदायिक पंचाट' में दी गई विभिन्न बातों के संबंध में भी सरकार ने अपनी स्थिति और वे शर्तें स्पष्टत: परिभाषित कर दी हैं, मात्र जिनके आधार पर वह इनसे हटना न्यायोचित समझेगी।

* * * *

7231. *माननीय आस्टिन चैम्बरलेन***: क्या कभी इन कार्यवाहियों के दौरान भारत मंत्री ने हमारे समक्ष इस प्रकार के प्रस्ताव रखने के बारे में सोचा है?

माननीय सेम्युअल होर: अवश्य, मैं समझता हूं कि यह आवश्यक है कि प्रत्येक संविधान अधिनियम में कहीं न कहीं संवैधानिक शक्तियों के लिए उपबंध होना चाहिए।

7232. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं वर्तमान भारत सरकार अधिनियम के इसी प्रकार के उपबंधों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। परिशिष्ट में कतिपय भागों का उल्लेख है।

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार में ऐसा प्रत्येक संविधान अधिनियम और भारत सरकार अधिनियम की प्रक्रिया का अनुसरण करके किया गया है।

* * * *

7236. लार्ड सेल्सबरी: मैंने इसका उतना ही अध्ययन किया है, जितना मैं इस समय कर सकता हूं, किन्तु मैं इसे पूर्णत: समझ नहीं पाया हूं?

माननीय सेम्युअल होर: यदि लार्ड सेल्सबरी सदैव इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस

---

* गलतफहमी दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जा सकता है कि गवर्नर-जनरल के उच्च सदन में दस नामजद सदस्यों में से यह आंशयित छह सदस्य ब्रिटिश भारत से और चार देशी राज्यों से होंगे।

** *मिनिट्स आफ ऐवीडेंस*, खंड 2-ख, 20 जुलाई 1933, पृ. 828

पर पुनः दृष्टिपात करेंगे कि यह उन प्रश्नों में से एक है जिन पर हमें विचार करना है और इसके लिए हमें अंततः संविधान अधिनियम में कुछ उपबंध करना है, तो मेरे विचार में वह इसे पूर्णतः समझ जाएंगे।

डा. भीमराव अम्बेडकर: भारत सरकार अधिनियम की पांचवी अनुसूची में कहा गया है कि 'इस अधिनियम के उपबंधों को भारतीय विधान-मंडल द्वारा निरस्त अथवा इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।'

* * * *

7260. *मारक्वेस आफ जैटलैंड*:* क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं? उन चार निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में, जहां से दलित वर्ग के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, क्या वे क्षेत्रीय अतिव्याप्ति करेंगे?

माननीय सेम्युअल होर: मैं नहीं समझता कि ऐसा किया गया है। जहां तक मैं जानता हूं, उन्हें अतिव्याप्त न करते हुए चुना जाएगा। संपूर्ण मद्रास क्षेत्र को 15 भागों में विभाजित किया जाएगा जिनमें से 11 क्षेत्र, मेरे विचार में, सामान्य होंगे।

7261. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* सामान्य 15 होंगे?

माननीय सेम्युअल होर: मैंने कुल 19 में से 11 सामान्य रखे हैं। इनमें 11 क्षेत्र एक सदस्य वाले और चार क्षेत्र दो सदस्य वाले हैं।

7262. श्री जफरुल्ला खां: क्या मैं माननीय फिंडलेटर स्टुअर्ट से इसके एक पहलू को समझने के लिए एक प्रश्न पूछ सकता हूं? मैं तो मात्र यह जानना चाहता हूं। कल्पना कीजिए कि चार व्यक्तियों का एक पैनल चुना जाता है और जब वे चुनाव लड़ते हैं अथवा यह विशिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र उनके लिए आरक्षित है। यह स्पष्ट है कि यदि चुनाव लड़ा गया, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो सामान्य निर्वाचन-क्षेत्र में वोट दे सकता है, वोट देगा। किंतु, कल्पना कीजिए, इनमें से तीन यह कहें कि 'हम इस चुनाव में लड़ना नहीं चाहते,' तो क्या उनके लिए चुनाव होने से पूर्व उससे हटना संभव नहीं होगा?

माननीय फिंडलेटर स्टुअर्ट: यह 'पूना समझौते' की व्याख्या है।

माननीय सेम्युअल होर: डा. अम्बेडकर का क्या कहना है?

डा. भीमराव अम्बेडकर: यही कि वे सब चुनाव लड़ने के लिए बाध्य नहीं हैं।

माननीय एन.एन. सरकार: यह बात तो है, किंतु ऐसी भाषा प्रयुक्त नहीं की गई है।

श्री जफरुल्ला खां: एक और पहलू है और वह यह है कि क्या इन विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों में दलित वर्ग चार उम्मीदवार खड़े करने के लिए बाध्य हैं? कल्पना कीजिए कि वे केवल एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं, क्या इससे 'समझौते' की शर्तों का पालन हो जाएगा? सरकार 'समझौते' के अनुसार इस पहलू के विषय में क्या सोचती है?

---

* *मिनिट्स आफ एवीडेंस*, खंड 2 ख, 21 जुलाई 1933, पृ. 832

माननीय ए.पी.पात्रो: इससे प्रारंभिक निर्वाचन का प्रयोजन ही विफल हो जाएगा। क्या प्रारंभिक निर्वाचन का अभिप्राय एक सीट पर चार लोगों को चुनना है?

माननीय एन.एन. सरकार: डा. अम्बेडकर ईमानदारी से बताएंगे कि जो व्याख्या मैं कर रहा हूं, वही 'पूना समझौता' किए जाने के समय समझा गया था। यह मान लिया गया था कि दलित वर्गों को चारों का चुनाव करने की बजाए केवल एक को चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उस स्थिति में एक अपने आप चुना जाएगा।

डा. भीमराव अम्बेडकर: बिल्कुल सही।

श्री जफरुल्ला खां: यदि वे चार आदमी खड़े करते हैं, तो एक हट सकता है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: हां।

* * * *

माननीय एन.एन. सरकार :* क्या मैं समिति के समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत कर सकता हूं? मैं बहस नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल कुछ तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं, ताकि समिति संक्षेप में इन्हें समझ सके। 'सांप्रदायिक निर्णय' 17 अगस्त 1932 का है।

माननीय सेम्युअल होर: 16 अगस्त।

7489. *माननीय एन.एन. सरकार:* मेरी प्रति में 17 अगस्त है। एक दिन से कोई अंतर नहीं पड़ता। इस निर्णय या निश्चय के अनुसार विशुद्ध परिणाम यह निकलता है कि जहां तक दलित वर्गों का संबंध है, वे साधारण निर्वाचन क्षेत्रों में वोट देंगे और उनकी सीटों की संख्या 10 होगी और यह व्यवस्था 20 वर्ष तक रहेगी और उसके पश्चात समाप्त हो जाएगी। अत्यंत संक्षेप में यही निश्चय किया गया था?

माननीय सेम्युअल होर : हां।

7490. *माननीय एन.एन. सरकार:* एक अन्य तारीख 18 अगस्त 1932 की है। यह वह तारीख है जब महात्मा गांधी ने अनशन की धमकी देते हुए प्रधानमंत्री को अपना पत्र लिखा था (मैं शब्द उद्धृत कर रहा हूं): 'यह अनशन तभी समाप्त होगा,जब ब्रिटिश सरकार अपने निर्णय में परिवर्तन करेगी और दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व की योजना वापस ले लेगी।' महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री को अनशन और इसके परिणामों की धमकी देते हुए पत्र लिखा था। क्या वह तारीख आपको पता है?

माननीय सेम्युअल होर: मेरे पास तारीख नहीं है। मैं मानता हूं कि यह तारीख सही है।

7491. *माननीय एन.एन.सरकार:* क्या भारत मंत्री इस बात को स्वीकार करेंगे? क्या मैं इन सब तारीखों का उल्लेख अपने प्रश्नों में कर सकता हूं और यदि कोई गलती हो,तो बाद में बातचीत द्वारा या किसी अन्य प्रकार से बता दी जाए?

---

* *मिनिट्स आफ ऐवीडेंस:* खंड 2-ख, 21 जुलाई 1933, पृ.858-63. पैरा 7488 से 7509 में की गई इस चर्चा में वर्णित पत्राचार इस पुस्तक के प. 249-57 पर मुद्रित है।

माननीय सेम्युअल होर: हां।

7492 *माननीय एन.एन. सरकार:* मैं तारीखें बता रहा हूं। तारीख 18 अगस्त को वह पत्र महात्मा गांधी ने प्रधानमंत्री को लिखा था। तारीख 8 सितंबर 1932 को प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को लिखा था कि प्रधानमंत्री की योजना अर्थात सांप्रदायिक निर्णय ने दलित वर्गों को हिंदू समाज से अलग नहीं किया है। 8 सितंबर वह तारीख है, जब प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को यह समझाने की चेष्टा की थी कि कुछ भी गलत नहीं किया गया है। 15 सितंबर 1932 को पंडित मदनमोहन मालवीय ने 17 और 18 सितंबर को दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किए जाने का आह्वान करते हुए कुछ समाचारपत्रों में एक अधिसूचना जारी की थी। प्रेस में प्रकाशित आमंत्रण में 'कुछ मित्रों' को कहा गया था। यह 18 सितंबर 1932 की बात है। तारीख 16 सितंबर 1932 को उसी भद्र पुरुष पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रेस में एक और घोषणा की गई कि स्थान दिल्ली से बदलकर बंबई कर दिया गया है और 20 सितंबर 1932 को वह अनशन जिसे बाद में आमरण अनशन बताया गया, प्रारंभ हुआ। तारीख 24 सितंबर को महात्मा गांधी की दशा गंभीर बताई गई और तारीख 25 सितंबर 1932 को 'समझौते' पर हस्ताक्षर किए गए। ये तारीखें मैं आप को बता रहा हूं। आप बाद में इन्हें सही कर सकते हैं या इन्हें स्वीकार कर सकते हैं?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

7493. *माननीय एन.एन. सरकार:* अपने अगले प्रश्न में मैं आपको कुछ और तारीखें बता रहा हूं और यदि आप अभी उत्तर नहीं देना चाहते, तो मैं आपको बाध्य नहीं करूंगा। किंतु मैं अपना पक्ष-कथन सामान्यत: इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं इन बातों से संबंधित इन तथ्यों को साबित करने के लिए साक्षी प्रस्तुत करूंगा। 'समझौते' पर तारीख 25 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर हुए थे। इस 'समझौते' पर बहुत से लोगों के हस्ताक्षर हैं। मैं उन सब नामों को पढ़ना नहीं चाहता। बंगाल के हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई हस्ताक्षरकर्ता नहीं है और अगले दिन तारीख 26 सितंबर 1932 को दिल्ली में 11.00 बजे गृह सदस्य ने सरकार द्वारा 'समझौते' को स्वीकार करने की घोषणा की और कहा: 'सरकार को यह जानकर काफी संतोष हुआ कि दलित वर्गों और शेष हिंदू समाज के नेताओं के मध्य सहमति हो गई है।' अगले ही दिन इसकी विधान सभा में घोषणा की गई। इन तारीखों की आप जांच कर सकते हैं। क्या मैं उन बातों पर विचार करते हुए जैसा कि आपने अपने कल के उत्तर में भी कहा था कि सरकार समझती है कि दलित वर्गों और शेष हिंदू समाज के नेताओं में सहमति हो गई है? यह आपका विचार हो सकता है?

माननीय सेम्युअल होर : आपकी बात पूरी होने पर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा।

7494. *माननीय एन.एन.सरकार:* मेरा प्रश्न पूरा हो गया है।

माननीय सेम्युअल होर: सरकार ने गलत या सही रूप में अपने मूल 'सांप्रदायिक पंचाट'

के पैरा 4 की शर्तों के अधीन 'पूना समझौते' को संबंधित पक्षकारों के मध्य एक अखिल भारतीय करार के रूप में स्वीकार कर लिया है, अर्थात यह दलित वर्गों और अन्य हिंदुओं के मध्य एक करार है। प्रत्येक भारतीय सामान्य जन जानता है कि 'पूना समझौता' बातचीत में हुई प्रगति का परिणाम है और माना गया कि सभी प्रांत बद्ध पक्ष यह सुनिश्चित कराना चाहेंगे कि उनके विचारों की उपेक्षा न की जाए। संभवत: यह कहना महत्वपूर्ण रहेगा (मैं समिति का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं) कि इस 'समझौते' की घोषणा के काफी समय बाद तक बंगाल से किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। वास्तव में विचार-विमर्श के दौरान हमें इस 'समझौते' के पक्ष में अनेक तार प्राप्त हुए और इन अनेक तारों में से एक भी तार ऐसा नहीं था, जिसमें इसके विरुद्ध कुछ कहा गया हो। मुझे तत्काल स्मरण हो आया कि इनमें से एक तार बंगाल के एक प्रतिष्ठित नागरिक रवीन्द्र नाथ ठाकुर का था। मुझे नहीं मालूम कि बंगाल में विरोध कब आरंभ हुआ और मैं नहीं बता सकता कि सरकार के समक्ष किसी प्रकार के अभ्यावेदन रखे गए और उनके द्वारा 'पूना समझौता' स्वीकार किए जाने के तीन माह उपरांत ऐसा कुछ हुआ। सरकार बंगाल के संबंध में 'समझोते' के गुणावगुण के बारे में कुछ कहना नहीं चाहती है। वास्तव में, सरकार बंगाल के बारे में संबंधित पक्षों में आपसी सहमति से किए गए किसी भी संशोधन को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार है। किंतु सरकार अपनी हैसियत में मूल 'सांप्रदायिक पंचाट' की शर्तों द्वारा इस उद्देश्य से किसी प्रकार की बातचीत में भाग लेने से स्वयं प्रतिबाधित है।

7495. *श्री एम.आर. जयकर:* माननीय रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने क्या तार भेजा था? क्या उन्होंने इस 'समझौते' का अनुमोदन किया है?

माननीय सेम्युअल होर: उन्होंने सरकार से 'समझौते' को स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

माननीय तेज बहादुर सप्रू: माननीय सैम्युअल होर! क्या मैं आपको और समिति को इस विषय में एक और बात से अवगत करा सकता हूं? जिस समय इस संबंध में बातचीत चल रही थी, उस समय मैं और श्री जयकर दोनों लगभग चार-पांच दिन तक पूना में थे। मुझे कुछ-कुछ याद पड़ता है कि बंगाल के हिंदुओं से तार प्राप्त हुए थे। मुझे व्यक्तिगत रूप में दो-तीन बंगाली हिंदुओं से तार प्राप्त हुए। ये तार मेरे पास इस समय यहां नहीं हैं। और आगे मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय रवीन्द्र नाथ ठाकुर श्री गांधी से अनशन समाप्त करते समय या उसके कुछ समय बाद जेल में मिले थे। जहां तक मुझे याद है, इसमें सुधार किया जा सकता है।

माननीय हरी सिंह गौड़: मुलाकात हुई थी।

माननीय तेज बहादुर सप्रू: एक समारोह आयोजित किया गया था। मैं समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरन्त बाद पूना से चल दिया था। यह सब मेरे चले आने के बाद ही हुआ

था। श्री जयकर वहां थे और वह इस बारे में बता सकेंगे।

7496. *माननीय एन.एन. सरकार:* क्या माननीय सेम्युअल होर को मालूम है कि माननीय रवीन्द्र नाथ टैगोर ब्राह्मण हैं?

माननीय सेम्युअल होर: ऐसा ही है, यह मुझे माननीय नृपेन्द्र सरकार से ज्ञात हुआ है। फिर भी निर्विवाद तथ्य यह है कि कई सप्ताह हमें भारत से असंख्य तार और पत्र मिले थे जिनमें समझौते को स्वीकार करने का आग्रह किया गया था और उसके विरोध में एक भी पत्र नहीं मिला था।

7497. *माननीय एन.एन. सरकार:* मैं बहुत बारीकी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं इन्तजार कर रहा हूं कि इस मुद्दे पर साक्ष्य लिया जाए। लेकिन क्या आपने उन तारों की छानबीन की है? क्या वे सब कांग्रेस के लोगों की ओर से आए थे?

माननीय सेम्युअल होर: वे सब हिंदुओं की ओर से आए थे और मैं एक क्षण के लिए भी यह बात नहीं मानूंगा कि वे पूरी तरह कांग्रेसी हिंदुओं से आए थे।

7498. *माननीय एन.एन. सरकार:* जहां तक इस बात का संबंध है, उस समय या उसके आस-पास पर्याप्त विरोध नहीं किया गया था तथा कुछ लोगों से तार मिले थे। क्या मैं आपके सामने यह स्थिति रख सकता हूं कि जब महात्मा गांधी ने वह धमकी दी थी, उस समय हिंदुओं के एक विशाल वर्ग को हर तरह से नीचा दिखाने का ही सवाल नहीं था। क्या यह कहना सही नहीं होगा कि यही स्थिति महामहिम की सरकार की भी थी।

माननीय सेम्युअल होर : यह कभी भी हमारे दिमाग में नहीं आया।

7499. *माननीय एन.एन. सरकार:* मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको बात समझ में आ गई है। जब उन्होंने कहा था, 'मैं आमरण अनशन करने जा रहा हूं, जब तक कि ब्रिटिश सरकार यह नहीं करती है', आपने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 508 का उल्लेख करके नहीं कहा, 'यह एक अपराध है, किन्तु हम अब आपको जेल से बाहर जाने देना चाहते हैं।' क्या यह महामहिम की सरकार की भी समझ में, अध्यारोही बातों के कारण नहीं था, क्योंकि इस व्यक्ति को अनशन करने दिया गया, तो इसके भीषण परिणाम हो सकते हैं। अत: भारतीय दंड संहिता के अधीन, जो एक अपराध था, उसमें आपने मौन स्वीकृति ही नहीं दी, बल्कि आपकी यह प्रस्थापना थी कि जो आदमी दूसरे कारणों से जेल में रखा जाना चाहिए वह अब जेल से बाहर आना चाहिए। यह बातें मैं आपसे पूछ रहा हूं?

माननीय सेम्युअल होर: माननीय नृपेन्द्र सरकार निश्चित रहें कि हमने किसी भी तरह किसी भी प्रकार की धमकी अथवा किसी भी आपात-स्थिति में कार्रवाई नहीं की। हमने इस प्रश्न के जिस पहलू को देखा था, वह केवल यह था कि क्या किया गया समझौता ऐसा समझौता था, जैसा हमने सांप्रदायिक फैसले के अधीन परिकल्पित किया था। वह निर्णय समस्त उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर किया गया था। इसके बाद और कई सप्ताह तक हमें

यह पूर्णतः सुनिश्चित प्रतीत होता था कि यह समझौता ऐसा ही है।

7500 *माननीय एन.एन. सरकार:* मेरे विचार में आपको ज्ञात है कि दिसंबर 1932 में मैंने एक पत्र द्वारा प्रधानमंत्री को एक अभ्यावेदन भेजा था,जिसके साथ कई तार संलग्न थे, जो यहां बंगाल परिषद के सदस्यों से नवंबर में प्राप्त हुए थे?

माननीय सेम्युअल होर: मुझे ज्ञात है कि माननीय नृपेन्द्र सरकार ने शुरू से लेकर आखिर तक इस प्रश्न पर गहरी रुचि दिखाई है।

माननीय एन.एन. सरकार: मैंने वह पत्र प्रधानमंत्री को भेज दिया था,जैसा कि परिषद के सदस्यों ने अनुरोध किया था, और आप देखेंगे कि इससे पहले मैंने बंगाल परिषद के 25 सदस्यों के विरोध का तार प्रधानमंत्री को भेजा था कि बंगाल का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है, आदि। वह डा. अम्बेडकर को दिखा दिया गया था, जिन्होंने यह पता लगाने के लिए बंबई एक तार भेजा था कि इस तार का क्या उत्तर है। मैंने इस तार को उन्हें दिखाना उचित समझा था,ताकि वे बंबई से अपना पक्ष-कथन प्राप्त कर सकें और यह वही उत्तर है,जो इन्हें मिला था।

डा. भीमराव अम्बेडकर: माननीय नृपेन्द्र सरकार, मुझे क्षमा करें, मैं आश्वासन देता हूं कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। माननीय नृपेन्द्र सरकार ने कहा कि उन्होंने ऐसा तार मुझे दिखाया था और उसके बारे में बंबई से कुछ जानकारी लेने के लिए मुझसे कहा था। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया।

माननीय एन.एन.सरकार: मेरे पास एकं प्रति है,जो मुझे डा. अम्बेडकर ने दी थी और जो उत्तर इन्हें मिला था, मैं आपके सामने पढूंगा।

डा. भीमराव अम्बेडकर: यह उत्तर नहीं है; यह मुझे भेजा गया एक पृथक तार है।

माननीय एन.एन.सरकार: मुद्दा तार की विषय-वस्तु का है,जिसमें कहा गया है कि बंगाल के हिंदू बंबई आने में अपनी चूक के कारण इससे बाध्य हैं, अर्थात यह इस आधार पर कहा गया था कि हम इसलिए बाध्य हैं,क्योंकि हमने समझौते में भाग नहीं लिया था। मेरे विचार में प्रधानमंत्री को जो तार भेजे गए थे,उनमें आपने यह अवश्य देखा होगा।

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार में यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है कि वे तार केवल दिसंबर में भेजे गए और उस समय नहीं भेजे गए थे,जब बातचीत वास्तव में चल रही थी।

7501-2. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* नवंबर का तार दिसंबर में भेजा गया था और मैं उत्तर का इन्तजार कर रहा था। बंगाल परिषद की बैठक इन वार्ताओं के बाद पहली बार नवंबर में हुई थी। बैठक के तुरन्त बाद ही 25 सदस्यों ने अपना अभ्यावेदन तार द्वारा प्रधानमंत्री को भेज दिया था। मैं आपको केवल यह बताना चाहता था कि जो कुछ भी कहा गया हो, मामला यह है कि बंगाल ने चूक की है। उस तार में भी बंगाल का मामला कभी सिद्ध नहीं किया गया है। अगला मामला जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं, बहुत छोटा-

सा है। क्या माननीय सेम्युअल होर इस राय से सहमत हैं कि जो स्थिति पूना समझौते और साप्रंदायिक निर्णय के परिणामस्वरूप पैदा हुई है,उसके बंगाल में बहुत भंयकर और गंभीर परिणाम हो सकते हैं?

माननीय सेम्युअल होर: नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता।

माननीय एन.एन. सरकार: मैं समझता हूं।

7503. डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या आपकी राय है कि यदि मुसलमानों के स्थानों की बहुत बड़ी संख्या 119 में से 10 या 12 स्थान घटा दिए जाएं,तो इसके बंगाल में भयंकर परिणाम होंगे?

माननीय एन.एन. सरकार: मैं 'बहुत बड़ी संख्या' वाक्यांश को स्वीकार नहीं करता हूं और न ही मैं यह सोचता हूं कि इसके परिणाम भीषण होंगे।

* * * *

7509. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अध्यक्ष महोदय! क्या मैं आपका ध्यान एक क्षण के लिए उन एक या दो प्रश्नों की ओर आकृष्ट कर सकता हूं,जो माननीय नृपेन्द्र सरकार द्वारा पूछे गए थे। इसका कारण यह है, हो सकता है कि मेरी बारी आने पर वह यहां उपस्थित न रहें? माननीय नृपेन्द्र सरकार ने कहा कि उन्हें पिछले वर्ष तीसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान एक तार मिला था और वह तार उन्होंने मुझे दिखाया था और मैंने उस तार के बारे में पूछताछ की थी और उस तार के उत्तर में मुझे कुछ तार मिले थे। मैं यह मुद्दा स्पष्ट करना चाहूंगा, ताकि माननीय नृपेन्द्र सरकार को मेरे गलत बयान करने पर मुझे सुधारने का मौका मिल सके। जो तार मुझे मिला था वह किसी जांच के जवाब में नहीं था, जो मैंने की थी।

माननीय एन.एन. सरकार: मैं इस विषय को यहीं खत्म करना चाहूंगा।

डा. भीमराव अम्बेडकर : मैं संक्षेप में कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : कृपया डा. अम्बेडकर को अपनी बात कहने दें।

डा. भीमराव अम्बेडकर: नृपेन्द्र सरकार को सम्बोधित तार भारत के समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ था,जब अस्पृश्यता निवारण मंडल के सदस्यों को, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी ने अपने अनशन के बाद की थी, यह ज्ञात हुआ कि यह तार पूना समझौते का विरोध करते हुए माननीय नृपेन्द्र सरकार को भेजा गया है, उन्होंने अपनी मर्जी से यह तार मुझे भेजा जिसका माननीय नृपेन्द्र सरकार ने उल्लेख किया है। वह मेरी किसी जांच के उत्तर में नहीं था। अगली बात जो मैं समिति के ध्यान में लाना चाहता हूं, वह यह है कि जब माननीय नृपेन्द्र सरकार ने पूना समझौते के विरोध में अपने बंगाली मित्रों से प्राप्त तार मुझे दिखाया था,तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वह केवल इतना करेंगे कि तार को प्रधानमंत्री के पास उनकी सूचनार्थ बिना किसी टिप्पणी के भेज देंगे। अपने जाने से एक दिन पहले उन्होंने उस पत्र की एक प्रति कृपापूर्वक मुझे भेजी थी,जो उन्होंने प्रधानमंत्री को भेजा था। उस पत्र में

मैंने देखा कि माननीय नृपेन्द्र सरकार ने वह पत्र प्रधानमंत्री को भेजा ही नहीं था, अपितु प्रधानमंत्री से यह जांच करने का आग्रह किया था कि क्या पूना समझौता करने के समय बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व हुआ था अथवा नहीं। उसकी वजह से मैंने भी तुरन्त एक पत्र प्रधानमंत्री को लिखा,जिसकी एक प्रति मैं अपनी बारी आने पर समिति के सामने पेश करूंगा। उसमें मैंने भी वे तार भेजे थे,जो मुझे मिले थे, और मैंने यह भी कहा था कि तार में वर्णित यह तथ्य मेरी जानकारी में सही नहीं कि जब पूना समझौता किया गया था,तो उसमें बंगाल के सवर्ण हिंदुओं का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। क्योंकि वस्तुत: मैं जानता था कि बंगाल के अनेक सवर्ण हिंदू समझौते के समय उपस्थित थे, कि उन्होंने मुझसे बातचीत की थी और मुझसे शर्त मान लेने के लिए कहा था। इस समय, इस बारे में मैं केवल यही कहना चाहता हूं।

* * * *

7533. *माननीय मिर्जा इस्माईल*:* लार्ड लोथियन ने तो कहा था कि विधान-मंडल, जो सरकार को नियुक्त करता है, उच्च सदन के सदस्यों को नियुक्त करेगा। जब एक बार विधान-मंडल द्वारा इन सदस्यों को चुन लिया जाए,तो उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं रहता। वे अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और वे हर मुद्दे, जो सरकार के सामने आते हैं, विधान-मंडल के पास जाकर परामर्श नहीं करते। एक बार वे निर्वाचित हो जाएं तो, वे स्वतंत्र हैं, लेकिन संघीय सरकार जो कुछ जानना पसन्द करेगी, वह है प्रांतीय सरकार के विचार।

डा. भीमराव अम्बेडकर: प्रांत की किसी भी समय की सरकार?

माननीय मिर्जा इस्माईल: किसी भी समय की।

डा. भीमराव अम्बेडकर: और यदि प्रांत की सरकार में परिवर्तन हो जाए,तो क्या केंद्र में भी प्रतिनिधित्व बदलेगा?

माननीय मिर्जा इस्माईल: केंद्र में बदलेगा। यदि आप भारत में, जहां पर अति प्रांतवाद पहले से ही उभर रहा है, उसे रोकना चाहते हैं,तो मुझे यही सबसे बढ़िया तरीका दिखाई पड़ता है। सदन में पहले ही आपके पास लोक तत्व विद्यमान है। लोकतांत्रिक दृष्टि से प्रांतों में लोकतांत्रिक शासन के कारण इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

डा. भीमराव अम्बेडकर: उन्हें किसी खास मुद्दे पर मत देने की आज्ञा के साथ भेजिए।

माननीय एम.आर.जयकर: यदि यह योजना अपना ली जाए,तो क्या ऐसा नहीं होगा कि यद्यपि आमतौर पर प्रांतीय विधान-मंडल का कार्यकाल पांच वर्ष में समाप्त होगा और जैसा कि श्री जफरुल्ला खां ने संकेत किया है, उच्च सदन का कार्यकाल सात वर्ष होगा, तो भी कार्मिकों में परिवर्तन लाना आवश्यक है।

* * * *

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2 ख, 25 जुलाई 1933, पृ. 899

7746. *डा. भीमराव. अम्बेडकर*:* मैं भारत मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या स्वीकार संबंधी पत्रों को, जो संघ में शामिल होने पर विभिन्न राज्यों द्वारा पारित किए जाएंगे, संविधान अधिनियम में कोई स्थान मिलेगा?

माननीय सेम्युअल होर: नहीं मिलेगा।

7747. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मान लीजिए कि संघीय न्यायालय में कोई विवाद उठे, तो उस न्यायालय को तय करना होगा कि कोई विषय विशेष जो विवाद की विषय-वस्तु है, संघ की क्षमता के अंतर्गत आता है अथवा नहीं?

माननीय सेम्युअल होर : यहां पर मैं एक अनजान आदमी की भांति बोल रहा हूं। वे संधि को ध्यान में रखेंगे, जिस तरह वे अब रख रहे हैं।

माननीय तेज बहादुर सप्रू: हां।

7748. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* किन्तु क्या वह संविधान अधिनियम का अंग नहीं होगा?

माननीय सेम्युअल होर: नहीं, वह संविधान अधिनियम में नहीं होगा। संसद के किसी भी अधिनियम में इस समय संधियां नहीं हैं, फिर भी (माननीय तेज बहादुर सप्रू तथा अन्य भारतीय, भूल हो तो सुधार दें) संधियों को सर्वदा ध्यान में रखा गया है।

माननीय तेज बहादुर सप्रू: हां, संधियां सर्वत्र म्युनिसिपल कानून के अंतर्गत आती हैं।

* * * *

8102 *डा. भीमराव अम्बेडकर**:* मैं भारत मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि श्वेत-पत्र के प्रस्ताव 70 के अधीन गवर्नर जनरल द्वारा विधिपूर्ण रूप से जारी किए गए आदेशों का पालन करना गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व है?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

8103 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यदि गवर्नर जनरल वित्त से संबधित ऐसे कोई आदेश जारी करता है, जिनका पालन करना प्रांतीय सरकारों से अपेक्षित हैं, तो गवर्नर इनका पालन सुनिश्चित करेगा?

माननीय सेम्युअल होर: हां, संघीय कराधान के क्षेत्र में यह सही है।

8104. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यदि संघ द्वारा जारी किए गए ऐसे कोई आदेश हों, जिनका पालन प्रांतीय सरकार द्वारा किया जाना अपेक्षित है, तो इस बात का ध्यान रखना गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व है कि उन आदेशों का पालन हो?

माननीय सेम्युअल होर: हां, गवर्नर जनरल द्वारा जारी किए गए आदेश।

माननीय हरी सिंह गौड़: विधिसम्मत रूप में जारी किए गए।

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-ख, 25 जुलाई 1933, पृ. 901

** वही, खंड 2-ख, 27 जुलाई 1933, पृ. 945

8105. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* वास्तव में, विधिसम्मत रूप में जारी किए गए, एक और प्रश्न, श्वेत-पत्र प्रस्तावों के उस भाग में, जिसमें केंद्र और प्रांतों के प्रशासनिक संबंधों का वर्णन है, मैं बिना तैयारी के बोल रहा हूं, मेरी राय में यह उपबंध किया गया है कि प्रांतीय अभिकरण का केंद्र द्वारा उपयोग केंद्रीय विषयों का प्रशासन करने के लिए किया जाएगा या नहीं, यह देखना प्रांत का काम है। वह अपनी व्यवस्था का इस काम के लिए उपयोग कर सकता है?

माननीय सेम्युअल होर : हां, मैंने अन्य संघों से प्राप्त अनुभव के प्रकाश में सदैव यही आशा की है कि हमें यथासंभव कम से कम दो समानांतर प्रशासन खड़े करने चाहिएं और सामान्यत: बेहतर होगा कि प्रांतीय प्रशासन संघीय-क्षेत्र के अंतर्गत संघ के निदेशों का पालन करे और संपूर्ण भारत में दोहरी शासन प्रणाली खड़ी न की जाए।

8106. *डा. भीमराव अम्बेडकर :* मैं बताना चाहता हूं कि यदि प्रांतीय सरकारें अवज्ञा करने लगें और केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में न रहें, तो केंद्र, प्रांतीय अभिकरण का प्रयोग किए जाने के लिए आबद्ध नहीं है और वह केंद्रीय विषयों से संबंधित प्रशासन के लिए अपने संघ के अभिकरण का प्रयोग कर सकता हैं?

माननीय सेम्युअल होर: बातें ऐसी ही हैं।

* * * *

8138. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* मैं कहना चाहता हूं कि बंगाल का प्रशासन स्तर ऐसा ही है, क्योंकि बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन पर्याप्त राजस्व जुटाने में असमर्थ रहा है। यह एक ही बात को कहने का दूसरा तरीका है?

माननीय सेम्युअल होर: यह एक कारण है, फिर भी हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि वहां स्थायी बंदोबस्त है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: यह सही है।

* * * *

8527. *डा. भीमराव अम्बेडकर**:* श्वेत-पत्र में साधन जुटाने का कोई उल्लेख नहीं है, अर्थात प्रांतीय प्रयोजनों के लिए एक आना उन परिस्थितियों में संघीय प्रयोजनों के लिए दूसरा आना जुटाए बिना, जो पूर्वानुमान के अनुसार आवश्यक नहीं है। दूसरी परिकल्पना यह हो सकती है कि प्रांतों के लिए और अधिक आयकर की आवश्यकता नहीं है, किन्तु संघ सरकार के लिए इसकी आवश्यकता है और तब आपको दुगनी रकम जुटानी होगी। कल्पना कीजिए कि विहित प्रतिशत 50:50 हो, तब दो आने जुटाने होंगे, ताकि संघ सरकार एक आना प्राप्त कर सके, क्योंकि जो भी वह प्राप्त करेगी, उसमें से उसे एक आना प्रांतों को देना होगा चाहे, वे उसे लेना चाहें या नहीं?

---

* *मिनिट्स आफ एविडेंस*, खंड 2- ख, 28 जुलाई 1933, पृ. 990

** वही, पृ. 1002-03

माननीय सेम्युअल होर: मैं इन सब बातों को ध्यान में रखूंगा। मैं समिति के सदस्यों को इस बाबत स्मरण कराना चाहता हूं कि विसंगतियां होंगी (चाहे कोई भी व्यवस्था क्यों न की जाए)। मैं ठीक-ठीक यह नहीं बता सकता कि श्वेत-पत्र में क्या परिकल्पित है, लेकिन ऐसी प्रत्येक प्रणाली में, जिसमें केंद्र और प्रांतों के मध्य आयकर का विभाजन होता है, किसी न किसी प्रकार की विसंगतियां होना स्वाभाविक है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं भारत मंत्री और माननीय आस्टिन चैम्बरलेन का ध्यान दो बातों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय आस्टिन ने कहा कि प्रांत यदि अपने स्वयं के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार का आयकर वसूल करना चाहे, तो वह ऐसा उपबंध नहीं कर सकता। मैं उनका ध्यान प्रस्ताव 139 और कोष्ठक में दिए गए इन शब्दों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, 'विहित प्रतिशत हाशिए में विनिर्दिष्ट संसाधनों से प्राप्त शुद्ध राजस्व के 50 प्रतिशत से कम और 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।'

माननीय सेम्युअल होर: वह आयकर है- '(प्रांतों द्वारा अधिरोपित किन्हीं अधिभारों से पृथक)'। मेरी समझ में इससे यह अभिप्रेत है कि प्रांतों को अपने प्रयोजनार्थ आयकर पर अधिभार लगाने का अधिकार होगा।

माननीय ए.पी. पात्रो: यह उसके अतिरिक्त है।

8528. *डा. भीमराव. अम्बेडकर:* प्रस्ताव 139 यही है?

माननीय सेम्युअल होर: यही, और समिति को मैं यह स्मरण कराना चाहता हूं कि हमने इसे प्रस्तावना के पृष्ठ 30 के ऊपरी भाग में स्पष्ट किया है।

8529. *डा. भीमराव. अम्बेडकर:* मैं भारत मंत्री का ध्यान उनके अभी-अभी किए गए कथन की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जो संघीय प्रयोजनों के लिए आयकर लगाने के संबंध में है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी अति आवश्यक है। मैं उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रस्ताव 141 में यह परिकल्पित नहीं है कि संघीय प्रयोजनों के लिए अधिभार के लिए गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी लेनी होगी। गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी प्रांतों को आवंटित राजस्व, अर्थात प्रस्ताव 138 और 139 में दिए गए राजस्व की वसूली के लिए आवश्यक है। पैरा 141 में गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी का कोई उल्लेख नहीं है।

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार में डा. अम्बेडकर ने बिलकुल सही कहा है और मुझे अपने उत्तर को उस टिप्पण के संदर्भ में देखना होगा, जो मैं परिचालित करूंगा।

माननीय अकबर हैदरी: अनन्यत: संघीय शीर्षों में शीर्ष 49 भी है, जिसमें निश्चित रूप से कहा गया है, अनन्यत: संघीय शीर्षों के अंतर्गत 'कृषि आय या निगमों की आय से भिन्न आय पर कर लगाने और प्रशासन हेतु अधिभार लागू करने की प्रांतों की शक्ति के अधीन रहते।'

लार्ड यूसटेस परसी: मैं नहीं समझता कि वह इसे निष्प्रभावी कर देता है,क्योंकि जितने भी साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं और जो भी साक्ष्य हमने भारत में सुने हैं , वे सब प्रांतीय अधिभारों के घोर विरोधी थे।

डा. भीमराव अम्बेडकर: मुझे पक्का विश्वास है कि यह व्यापारी लोगों का मत है।

लार्ड यूसटेस परसी: प्रत्येक भारतीय का भी, जिससे भी मुझे प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त हुआ है, यही मत है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: नहीं, वास्तव में यह उनकी राय नहीं है।

* * * *

8537. लार्ड रैंकीलरः मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं,जो डा. अम्बेडकर के प्रश्न से संबंधित है और मेरी समझ में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जहां तक गवर्नर जनरल की सम्मति का संबंध है , निश्चित रूप से समस्त संघीय कराधान गवर्नर जनरल की सम्मति के अधीन है। उसके आदेश पर एक संकल्प द्वारा ही, जैसी कि हम यहां चर्चा कर रहे हैं, किसी कर के संबंध में विचार किया जा सकता है?

माननीय सेम्युअल होर: हां, किंतु लार्ड रैंकीलर वास्तव में इन दोनों स्थितियों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। सामान्य संवैधानिक स्थिति यह है कि धन संबंधी मत सम्राट की पहल पर ही शुरू होते हैं। वास्तव में यह स्थिति अभी विद्यमान है। दूसरी स्थिति यह है जिसमें गवर्नर जनरल भारतीय संविधान में किसी विशेष बाध्यता से हस्तक्षेप करता है।

8538. *लार्ड रैंकीलर: मेरा यह निश्चित* मत है कि इससे यही अभिप्रेत है, किंतु डा. अम्बेडकर को दिए गए उत्तर से यह स्पष्ट है कि पैरा 141 के अधीन संघीय विधान-मंडल को गवर्नर जनरल की पूर्व सिफारिश के बिना कार्य करने की शक्ति होगी।

माननीय एम.आर.जयकर: क्या मैं लार्ड रैंकीलर का ध्यान प्रस्ताव 45 की ओर आकृष्ट कर सकता हूं जिसमें कहा गया है, 'संघीय विधान-मंडल के किसी भी सदन में कराधान के अधिरोपण के किसी भी प्रस्ताव के लिए गवर्नर जनरल की सिफारिश आवश्यक होगी।'

माननीय लार्ड रैंकीलर: हां, मैं भी यही समझता हूं। बिल्कुल सही है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: इसका गवर्नर जनरल की विशेष शक्ति से संबंध है और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि पैरा 138 में परिकल्पित कर केंद्र के अधिकार-क्षेत्र में न चले जाएं, अपितु उनका वितरण प्रांतों में करना होगा।

* * * *

8575. *डा. भीमसव अम्बेडकर**: अध्यक्ष महोदय! क्या मैं कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए, न कि किसी प्रकार का विवाद पैदा करने के लिए, बीच में कुछ कह सकता हूं? समिति इस बात से अवगत है कि 'वर्तमान और प्रोद्भूत अधिकार' अभिव्यक्ति के संबंध में कुछ मतभेद हैं। सिविल सेवाओं का अपना अलग दृष्टिकोण है और सम्राट के विधि अधिकारियों का अपना अलग और मेरे विचार में इस समिति को खंड का प्रारूपण किए

जाने से पूर्व इस विषय के संबंध में कुछ राय व्यक्त करनी होगी। ठीक ऐसी अभिव्यक्ति 'वर्तमान और प्रोद्भूत अधिकार' का दक्षिण अफ्रीकी संविधान, 1909 में प्रयोग किया गया है और मैं समझता हूं कि आप और भारत मंत्री महोदय डोमिनियन के कार्यालय से उस ज्ञापन को प्राप्त कर सकते हैं, ताकि यह पता चल सके कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इस खंड का प्रारूपण किस आशय से किया है और इसका किस अर्थ में निर्वचन किया गया है?

माननीय सेम्युअल होर: मैं इस बात पर निश्चित रूप से विचार करूंगा। फिर भी यह ऐसा प्रश्न है जिस पर हम सेवाओं के संबंध में चर्चा करते समय विचार करेंगे। क्या यह ठीक वैसा ही प्रश्न नहीं है जैसा कि माननीय पुरुषोत्तम ने हमारे समक्ष रखा था।

.8576. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* नहीं, इसलिए मैंने कहा कि मैं किसी प्रकार का विवाद पैदा नहीं करना चाहता हूं। मैं तो मात्र यह जानना चाहता हूं कि क्या तुलनात्मक दृष्टि से यह संभव नहीं होगा?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

* * * *

8633. *डा. भीमराव अम्बेडकर** :* मैं पैरा 141 को लागू किए जाने के संबंध में माननीय अकबर हैदरी के कथन के बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। कल, भारत मंत्री महोदय! आपने उस कथन पर अपनी संक्षिप्त मताभिव्यक्ति करते हुए कहा था कि आपको प्रसन्नता है कि देशी राज्यों ने कुछ सीमा तक संघीय सरकार का भार वहन करना स्वीकार कर लिया है?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

8634. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं जानना चाहता हूं कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर अभी दे दें या बाद में, इस बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कि क्या आप इस बात से सहमत है कि माननीय अकबर हैदरी द्वारा वर्णित प्रक्रम वह प्रक्रम है, जब राज्यों को संघ का भार वहन करना चाहिए? आप जानते हैं कि उन्होंने कतिपय प्रक्रमों का वर्णन किया है, जिनके अंतर्गत संघ को राज्यों से वित्त में अपना हिस्सा वहन करने से पहले परामर्श करना होगा।

माननीय सेम्युअल होर: हां।

8635. *माननीय अकबर हैदरी:* क्या यह अतिरिक्त भार नहीं होगा?

माननीय सेम्युअल होर: वास्तव में तीन प्रकार के भार हैं। सर्वप्रथम उन्हें प्रारंभ से ही प्रत्यक्ष कराधान का संपूर्ण भार वहन करना पड़ता है। दूसरा, निगम कर या निगम कर के समकक्ष भार, जो उन्हें निश्चित अवधि के उपरांत वहन करना पड़ता है। तीसरा, अधिभार जो उन्हें आपात स्थिति में वहन करना पड़ता है।

**मिनिट्स आफ ऐवीडेंस*, खंड 2 ख, 28 जुलाई 1933, पृ. 1010

** वही, पृ. 1018-20

8636. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरी समझ में कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं?

माननीय सेम्युअल होर: कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं कि माननीय अकबर हैदरी, मुझे सुधार दें,यदि मैं गलत हूं कि उनमें से तीसरे भार, अर्थात अधिभार के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं।

8637. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ये ऐसी उपयुक्त शर्तें हैं,जिनके अंतर्गत संघ अधिभार का संकल्प पारित करेगा?

माननीय सेम्युअल होर: मैं तो यही सोचता हूं। मैं शब्दों के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। परन्तु मेरी समझ में वह सामान्यत: व्यवस्था का उचित आधार प्रतीत होता है।

8638. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अगला प्रश्न,जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वह इस बात से पैदा होता है कि यदि स्थिति ऐसी ही बनी रहती है या प्रस्ताव 141 के अधीन यथा स्थिति बनाए रखी जाती है, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि संघ अपना वित्त पूर्णत: अप्रत्यक्ष कराधान के आधार पर प्राप्त करता रहेगा?

माननीय सेम्युअल होर: पूर्णत: अप्रत्यक्ष कराधान के आधार पर नहीं।

8639. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* काफी सीमा तक?

माननीय सेम्युअल होर: स्पष्टत: काफी सीमा तक जैसा कि वर्तमान में है, तब अप्रत्यक्ष कराधान भारतीय राजस्व में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

8640. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* माननीय सेम्युअल होर! मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वर्तमान की अपेक्षा संघ के अधीन मात्र इस कारण से यह और भी ज्यादा होगा कि ब्रिटिश भारतीय प्रत्यक्ष कराधान के लिए सहमत नहीं होगें,क्योंकि राज्य इसके लिए तैयार नहीं होंगे और इसके परिणामस्वरूप, दोनों अलग-अलग अप्रत्यक्ष कराधान वहन करना चाहेंगे और वे प्रत्यक्ष कराधान के लिए सहमत नहीं होगें और प्रत्यक्ष कराधान केवल ब्रिटिश भारतीय ही वहन करेंगे। इस दृष्टि से, वर्तमान की अपेक्षा अप्रत्यक्ष कराधान उन पर अधिकाधिक थोपा जाएगा।

माननीय सेम्युअल होर: दूसरे दृष्टिकोंण से, मैं यह कल्पना कर सकता हूं कि राज्य प्राय: कम अप्रत्यक्ष कराधान के पक्ष में होंगे।

8641. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* ऐसा इसलिए है कि उन्हें अब एक पैसा भी प्राप्त नहीं हो रहा है। क्या बाद में भी ऐसा ही होगा? यदि वे अप्रत्यक्ष कराधान का विरोध करेंगे,तो उन्हें कराधान का भार वहन करना पड़ेगा?

माननीय सेम्युअल होर: डा. अम्बेडकर को इस शक्ति त्रिकोण में यह याद होगा कि प्रांतों की रुचि और हित प्रत्यक्ष कराधान में ही है,क्योंकि इसमें उन्हें एक अंश प्राप्त होगा।

8642. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* ठीक है, ऐसा हो सकता है, किंतु प्रांत यह चाहते हैं कि संघ ब्रिटिश भारत से वसूल किए गए भारतीय राजस्व का पूर्णरूपेण स्वामी न हो। यह

बात काल्पनिक प्रतीत हो सकती है, फिर भी मैं इस ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि संघ के अधीन वित्त की स्थिति क्या रहेगी। मेरे विचार से संघ को काम चलाने के लिए अपने चारों ओर पूर्णत: एक टैरिफ भित्ति निर्मित करनी होगी?

माननीय सेम्युअल होर: डा. अम्बेडकर ने कहा है कि यह अटकलबाजी का विषय है। मैं उनसे सहमत होना चाहता हूं, किन्तु यह मानते हुए कि यह अटकलबाजी का विषय है, मैं यह ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि भविष्य में क्या होगा?

8643. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं इस बात को यहीं समाप्त करता हूं। अगला प्रश्न,जो मैं माननीय सेम्युअल होर से पूछना चाहता हूं, वह इसी प्रस्ताव, 141 से उत्पन्न हुआ है और वह है, आपने कहा कि राज्य संघीय राजस्व में समतुल्य राशि का योगदान देंगे और यह राशि विहित आधार पर निर्धारित होगी। वास्तव में, आपने आज प्रात: यह स्पष्ट किया था कि 'विहित' शब्द का प्रयोग किस प्रयोजनार्थ किया गया है और इस संबंध में मैं आपसे कोई प्रश्न पूछना नहीं चाहता, किंतु मैं आपसे बस इतना जानना चाहता हूं कि क्या श्वेत-पत्र में ऐसा कोई उपबंध किया गया है कि किसी विशिष्ट राज्य द्वारा इस विहित आधार पर निर्धारित धनराशि अंतत: संघ को दे दी जाएगी?

माननीय सेम्युअल होर: तब क्या इसे राज्य की चूक नहीं माना जाएगा?

8644. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* हां, यदि राज्य भुगतान न करे। फिलहाल मैं एक ही स्थिति की कल्पना कर रहा हूं?

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार में ऐसी स्थिति में वायसराय हस्तक्षेप कर सकते हैं।

8645. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* आपको मालूम होना चाहिए कि वायसराय संघीय ढांचे से बाहर हैं?

माननीय सेम्युअल होर: यदि डा. अम्बेडकर पैरा 129 का अध्ययन करें,तो वह जान लेंगे कि इसमें वर्णित है, 'गवर्नर जनरल यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि संघ के अधीन किसी सदस्य-राज्य की संघीय बाध्यताएं पूरी हों, उस सदस्य-राज्य की सरकार को सामान्य अनुदेश जारी करने के अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा।'

8646. डा. भीमराव अम्बेडकर: हां, मैं कहना चाहता हूं कि पैरा 129 में, यदि मुझे परिवर्तन करने की इजाजत दें,तो गवर्नर जनरल को निदेश देने की शक्ति के साथ उनका पालन न किए जाने पर उपचारी उपाय करने की शक्ति भी प्रदान की जानी चाहिए।

माननीय सेम्युअल होर: अधिनियम में कहीं भी प्रांतों या राज्यों में से किसी में भी उत्पन्न होने वाली इस प्रकार की स्थिति में दंड का उपबंध नहीं है।

8647. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* प्रांतों के लिए है , क्योंकि यह ध्यान रखना गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व है कि गवर्नर जनरल के आदेशों का पालन किया जाए और उन्हें लागू किया जाए और इस रूप में वह गवर्नर जनरल के प्रत्यक्ष नियंत्रणाधीन होगा और ऐसा इसमें

उपबंध है। जहां तक प्रांतों और केंद्र के संबंधों का प्रश्न है, उसके आदेश लागू होंगे?

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार में वही नियम है। क्या ऐसा गवर्नर जनरल और राज्यों के साथ नहीं है?

8648. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* नहीं, यदि आप मुझे इजाजत दें, जैसा कि आपन अनुदेश पत्र संबंधित ज्ञापन के बाबत स्पष्ट किया था कि यदि गवर्नर अवज्ञा करता है, तो उसे वापस बुलाया जा सकता है। राज्यों और केंद्र के संबंधों के बारे में ऐसा कोई उपबंध नहीं है।

माननीय सेम्युअल होर: प्रत्येक स्थिति में गवर्नर जनरल का उत्तरदायित्व उसके विवेकाधिकार पर आधारित है, अर्थात वह यहां से दिए जाने वाले अनुदेशों के तहत है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: परन्तु मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार गवर्नर प्रांत के प्रशासन के बाबत गवर्नर जनरल की शक्ति के अधीन है, देशी राज्य का शासक गवर्नर जनरल के विवेकाधिकार के अधीन नहीं है। संघ से संबंधित ऐसे मामलों का प्रशासन वायसराय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है।

* * * *

8650. डा. भीमराव अम्बेडकर: किंतु, जैसा कि आपने कहा, सर्वोच्च सत्ता वायसराय को प्राप्त है, न कि गवर्नर जनरल को?

माननीय सेम्युअल होर: हां, किंतु परिणाम एक ही होगा।

माननीय जफरुल्ला खां: गवर्नर जनरल वायसराय से औपचारिक रूप में अनुरोध करेगा और तत्पश्चात वायसराय इस संबंध में कार्रवाई करेंगे।

डा. भीमराव अम्बेडकर: इसी से उत्पन्न मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। इसका एक और पहलू भी है। मान लीजिए कि जो राज्य अंशदान करने के लिए जिम्मेदार हों, वे उसी समय अर्थक्षम होंगे, जब उनसे अंशदान मांगा जाएगा। क्या इस बाबत श्वेत-पत्र में कोई उपबंध है कि गवर्नर जनरल को जो कुछ सीमा तक अपने वित्त के लिए देशी राज्यों से प्राप्त होने वाले इन अंशदानों पर आश्रित हैं, यह सुनिश्चित करने की शक्ति प्राप्त है कि अंशदान देने वाले ये राज्य उस समय, जब अंशदान करेंगे तभी अर्थक्षम होंगे?

राव बहादुर माननीय कृष्णमाचारी: प्रांतों के संबंध में क्या उपबंध है? क्या प्रांतों के लिए भी ऐसा कोई उपबंध है?

डा. भीमराव अम्बेडकर: हां, गवर्नर यह प्रमाणित कर सकता है कि संघ को कुछ राशियां देय हैं और वे उसे दे दी जाएं।

माननीय जफरुल्ला खां: क्या मैं उस सुझाव की ओर ध्यान दिला सकता हूं, जो मैंने यहां प्रारंभिक चर्चा के दौरान दिया था कि वायसराय राज्यों से, जो कि संघ की इकाई हैं, यह अपेक्षा कर सकता है कि उसे वे अपने हिसाब-किताब की लेखा-परीक्षित प्रतियां उसके सूचनार्थ प्रस्तुत करें?

8651. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* एक और बात है। भारत मंत्री इसका संयुक्त रूप से उत्तर दे सकते हैं। पैरा 146 में उधार लेने की शक्तियां दी गई हैं और उसमें यह व्यवस्था है कि संघ संघीय राजस्व की प्रतिभूति पर उधार ले सकता है। प्रस्ताव 141 के अधीन दिए गए अंशदान संघीय राजस्व के भाग होंगे, जो उन ऋणों के लिए प्रतिभूति होंगे, जो संघ लेगा। क्या आप कह सकते हैं कि यह संघ के ऋण के लिए पर्याप्त होगा? यदि राजस्व के कुछ भाग को जो संघ संघीय ऋणों की प्रतिभूति के लिए देगा, देने की क्षमता और देने की सहमति, दोनों को इस अनिश्चित स्थिति में लटकाया जा सकता है?

माननीय सेम्युअल होर: वास्तव में, मैंने यह सोचा होगा कि डा. अम्बेडकर जिस आकस्मिकता की बात कर रहे हैं, उसके प्राय: पैदा होने की संभावना नहीं है और यदि यह पैदा होती है, तो भी यह ऐसी आकस्मिकता नहीं होगी, जिससे संघ की सारी ऋण व्यवस्था ही बदल जाए। आखिरकार, ये समस्त रकमें कुल मिलाकर बहुत थोड़ी हैं।

8652. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मुझे नहीं मालूम कि कितनी राशियां हैं?

माननीय सेम्युअल होर: और एक बार चूक की स्थिति में।

8653. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मुझे आशा है कि वे बहुत कम नहीं होंगी?

माननीय सेम्युअल होर: मैं नहीं समझता कि इससे भारत की ऋण व्यवस्था पर कोई विशेष अंतर पड़ेगा।

माननीय अकबर हैदरी: क्या राज्यों की वित्तीय स्थिति सर्वोच्च सत्ता के प्रयोग से प्रांतों की अपेक्षा बेहतर नहीं है, जिनमें गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व है?

डा. भीमराव अम्बेडकर: मेरे विचार से माननीय मिर्जा इस्माइल के कल के कथन से बड़ी दयनीय स्थिति का पता चलता है।

माननीय अकबर हैदरी: यह फिर भी एक संतुलित बजट था, जिसके द्वारा वह अपनी बात ठीक ढंग से कह सके।

* * * *

19,279. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* महोदय! मैं भारत मंत्री को यह बताना चाहूंगा कि भारत सरकार अधिनियम में दी गई यह अभिव्यक्ति 'वर्तमान और प्रोद्भूत अधिकार' ऐसी अभिव्यक्ति है, जो दक्षिण अफ्रीकी संविधान अधिनियम में भी पाई जाती है। हमें डोमिनियन कार्यालय से विवरण प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि इस अभिव्यक्ति पर दक्षिण अफ्रीका में किस प्रकार कार्यवाई की गई है?

माननीय सेम्युअल होर: हमने इस बारे में पूछताछ की थी। डा. अम्बेडकर ने, मेरे विचार में, ग्रीष्म के दौरान इसे स्पष्ट किया था और मैंने डोमिनियन कार्यालय से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कहा है। मुझे अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, किंतु मुझे बताया गया

* मिनिट्स आफ ऐविडेंस, खंड 2 ख. 3 अक्तूबर 1993, पृ. 1032

है कि स्थितियां भिन्न हैं। दक्षिण अफ्रीका की स्थिति में किसी प्रकार के प्रतिकर का कोई वचन नहीं है।

माननीय मनुभाई एन.मेहता: मेरे विचार से ऐसा ही आस्ट्रेलिया में भी है।

11,298 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं केवल जानना चाहता था कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार द्वारा दक्षिण अफ्रीका में 'प्रोद्भूत अधिकार' अभिव्यक्ति की किस प्रकार व्याख्या की गई है? क्या यह अभिव्यक्ति उसी अर्थ में प्रयुक्त की गई है?

माननीय सेम्युअल होर: मैं इसे प्राप्त करने का प्रयास करूंगा। मैंने दक्षिण अफ्रीका और आस्ट्रेलिया, दोनों के बारे में पूछा है।

* * * *

11,438 *डा. भीमराव अम्बेडकर**:* किसी एक प्रांत या दो प्रातों के लिए लोक सेवा आयोग नियुक्त किए जाने में कोई बाधा नहीं है?

माननीय सेम्युअल होर: नहीं, हम इस प्रयोजनार्थ उपबंध कर सकते हैं।

* * * *

11,526. *डा. भीमराव अम्बेडकर***:* क्या मैं यह स्पष्ट करने के लिए थोड़ा-सा हस्तक्षेप कर सकता हूं कि उस योजना का परिणाम क्या होगा? जिसके प्रति माननीय मालकोम हैली ने निर्देश किया है, अर्थात सेवाओं में स्थानीय व्यक्तियों को न रखा जाए और इन्हें मंत्री के नियंत्रण के अधीन रखा जाए, विशेष रूप से इस तथ्य के कारण कि इस अंतरण के साथ-साथ उनका वेतनमान भी घटा दिया जाए? जब सेवा का प्रांतीयकरण हो जाएगा,तो मंत्री पहले की अपेक्षा कम वेतनमान प्राप्त करेंगे और परिणामस्वरूप इस कम वेतनमान के कारण यूरोप के अभ्यर्थी इसकी ओर आकृष्ट नहीं होंगे?

माननीय सेम्युअल होर: हां, अब 'शाही' शब्द के स्थान पर 'प्रांतीय' सेवाएं हो गया है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: वेतन मुख्य बात है, जिससे अन्तर पड़ा है न कि अंतरण।

* * * *

11,669. *डा. भीमराव अम्बेडकर****:* मैं इस विषय के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं? भारत मंत्री, एक नव आगन्तुक को सीधे अधिकार दिए जाने की बजाए क्या यह ठीक नहीं रहेगा कि आप अपने पास विवेकाधिकार रखें और इस विवेकाधिकार का प्रयोग सही मामले में ही किया जाए,जहां व्यक्ति इसलिए सेवानिवृत्त होंना चाहता हो कि उसे नए परिवेश में नुकसान है और वह वास्तव में इस नियम से लाभान्वित होने का इच्छुक नहीं है।

माननीय सेम्युअल होर: हम इस प्रकार के सुझाव पर विचार कर सकते हैं। मेरे विचार

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-ख, 3 अक्तूबर 1933, पृ. 1056

** वही, पृ. 1058

*** वही, पृ. 1058

**** *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-ख, 3 अक्तूबर 1933, पृ. 1072.

से डा. अम्बेडकर का सुझाव नई भर्तियों के बारे में है?

11,670. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* हां, मैं नई भर्तियों के बारे में बात कर रहा हूं। ऐसे मामले में भारत मंत्री अपने पास कुछ विवेकाधिकार रख सकते हैं, जिसका प्रयोग उस व्यक्ति के पक्ष में किया जाए, जिसके बारे में भारत मंत्री और उनके सलाहकारों का वास्तव में समाधान हो जाए कि वह सेवा से इसलिए सेवानिवृत्त होना चाहता है कि वह नए परिवेश से असतुंष्ट है।

माननीय सेम्युअल होर: मैं उस सुझाव पर विचार करूंगा। मेरे मन में केवल एक संदेह है कि क्या इस तथ्य से कि विवेकाधिकार है, उस युवक के माता-पिता या विश्वविद्यालय या वह विद्यालय जिससे वह युवक निकला है, आश्वासन से वंचित नहीं हो जाएंगे। फिर भी मैं इस पर विचार करूंगा।

* * * *

12,025 डा. भीमराव अम्बेडकर*: माननीय सेम्युअल! मैं इन सामान्य उपबंधों से संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। इन पूर्व मंजूरी के नियमों का अंतिम प्रयोजन वास्तव में वीटो की शक्ति द्वारा भी प्राप्त हो जाएगा—वायसराय और गवर्नरों की अंतिम वीटो शक्ति। इस प्रकार इन उपबंधों से कोई लाभ नहीं होगा। मेरा अभिप्राय है कि यद्यपि वायसराय अपनी पूर्व मंजूरी प्रदान कर सकते हैं, वह इसके द्वारा उस विधेयक को अपनाने के लिए बाध्य नहीं हैं, जिसे अंतिम रूप में पारित कर दिया गया है, क्योंकि उनके पास वीटो की शक्ति है। अत:, इस दृष्टि से पूर्व मंजूरी के नियमों से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, क्योंकि वीटो की शक्ति के प्रयोग से जो कुछ किया गया है, वह सब विफल कर दिया जाएगा?

माननीय सेम्युअल होर: मैं डा. अम्बेडकर से इस बारे में सहमत नहीं हूं। वीटो एक भिन्न प्रकार की शक्ति है। मेरे विचार में, यह एक महत्वपूर्ण और अति विशिष्ट प्रकार की शक्ति है। इसका प्रयोग तब किया जाएगा, जब विधान-मंडल ने कुछ प्रस्तावों को औपचारिक रूप से पारित कर दिया हो। अत:, मेरे विचार से यह एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति है।

12,026 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसके अतिरिक्त, जहां तक इसका मुख्य उद्देश्य ऐसी किसी भी बात को रोकना है, जिससे वायसराय के विशेष उत्तरदायित्व प्रतिकूल रूप में प्रभावित होंगे, वीटो की शक्ति एक कारगर उपाय है?

माननीय सेम्युअल होर: मैं दूसरी धारणा पर चर्चा करूंगा। वीटो की शक्ति के पीछे एक लंबा इतिहास है और ब्रिटिश अनुभव के प्रकाश में सामान्यत: मूल्यांकन करने पर वीटो अधिकाधिक कालांतर में मात्र एक संवैधानिक औपचारिकता रह जाती है।

12,027 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* किंतु मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक पूर्व मंजूरी के नियम और अंतिम वीटो में अन्तर मैं समझ पाया हूं, जो एक सामान्य व्यक्ति करेगा, वह

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-ख, 5 अक्तूबर 1933, पृ. 118-19.

यह है कि पूर्व मजूंरी के नियम के अनुसार उसे प्राप्त किए बिना चर्चा नहीं की जा सकती, जब कि वीटो में ऐसा नहीं हैं। क्या ऐसा नहीं है?

माननीय सेम्युअल होर: यह अंतर तो है।

12,028 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* यह अंतर तो ठीक है। अब मैं माननीय सेम्युअल होर आपसे पूछना चाहता हूं कि 'यदि उस चर्चा को रोका जाता है, जिसमें वायसराय के विशेष उत्तरदायित्व की आलोचना होने जा रही है, तो निश्चय ही यह बात ध्यान में रखनी होगी कि यह पूर्व मंजूरी का नियम विधान-मंडल के बाहर प्रेस में या सार्वजनिक मंचों पर चर्चा को रोकने के लिए निश्चित रूप से लागू नहीं किया जा सकता और ऐसे मुद्दों पर जिसे पूर्व मंजूरी के अंतर्गत विधिसम्मत रूप से लाया जाएगा, सार्वजनिक प्रदर्शनों को भी रोका नहीं जा सकता। इस प्रकार, इस पूर्व मंजूरी के नियम का परिणाम यह होगा कि बहस को रोके जाने की प्रेस में और लोक मंचों पर व्यापक रूप से चर्चा और आलोचना होगी तथा सार्वजनिक प्रदर्शन भी हो सकते हैं। केवल विधान-मंडल पर ही छींका लगा रहेगा।

माननीय सेम्युअल होर: बात कहने का यह एक तरीका है। यह डा. अम्बेडकर का मत व्यक्त करने का अपना ढंग है।

12,029 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या इसे पेश करने का यह तरीका उचित नहीं है? किंतु यह बात स्पष्ट है और मेरा यह दृढ़ मत है कि वायसराय की पूर्व मंजूरी की शक्तियों का विस्तार इतना नहीं हो सकता कि उससे नियम की पूर्व मंजूरी के विषय पर प्रेस या जन-सभाओं में या अन्यत्र होने वाली चर्चा को रोका जा सके?

माननीय सेम्युअल होर: यह सही है कि इस प्रकार की चर्चा होगी। तथापि, मेरे विचार में विधान-मंडल में होने वाली बहस और बाहर होने वाली अपेक्षाकृत गैर-उत्तरदायी बहस में अंतर है। दूसरे, पूर्व सम्मति की यह मंजूरी कुछ समय से प्रवर्तन में है और प्रत्येक गोलमेज सम्मेलन में इसे नवीन संविधान के एक भाग के रूप में व्यापकत: स्वीकार किया गया। तीसरे, यदि डा. अम्बेडकर पैरा 119 में वर्णित विभिन्न प्रवर्गों को देखें, तो उन्हें यह पता चल जाएगा कि उनमें से प्रत्येक के लिए एक प्रकार की विशेष पूर्व सावधानी बरतने की विशिष्टत: अपेक्षा की गई है। उदाहरणार्थ, धार्मिक अधिकारों और प्रथाओं के प्रश्न पर विचार करते हुए यह महसूस किया जा सकता है कि रूढ़िवादी हिंदुओं के कुछ वर्ग इस विषय पर बड़ी उग्र भावनाएं रखते हैं। डा. अम्बेडकर इन लोगों से भले ही सहमत न हों और उन्हें गलत मानें। किन्तु यह सत्य है कि वे लोग इस विषय में बड़े उग्र विचार रखते हैं और वे चाहते हैं कि उनके धार्मिक अधिकारों और प्रथाओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर भारतीय विधान-मंडल में बिल्कुल भी चर्चा न हो। अब हमने इन दोनों विचारधाराओं में मध्यमार्गी दृष्टिकोंण अपनाया है। इनमें से प्रत्येक प्रवर्ग के संबंध में मेरा यही मत है और मैं कह सकता हूं कि अधिकांश जनमत चाहता है कि ऐसे विषयों में एक प्रकार की विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए।

12,030 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं यह समझाने की चेष्टा कर रहा हूं कि विधान परिषद और विधान सभा का प्रत्येक सदस्य इन विषयों पर बाहर जनता के बीच चर्चा करने के लिए तो स्वतंत्र होगा, किंतु विधान-मंडल के सदन में इस बाबत चर्चा करने से उसे वंचित किया जाएगा। इस पूर्व मंजूरी के नियम द्वारा आप मात्र यही भेद उत्पन्न करेंगे?

माननीय सेम्युअल होर: मुख्य बात आपके समक्ष स्पष्ट कर दी गई है, वे संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।

12,031. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अब मैं माननीय जयकर द्वारा 'धर्म और धार्मिक प्रथाएं' अभिव्यक्ति से संबंधित उठाए गए मुद्दे के संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं,क्योंकि यह एक ऐसा प्रश्न है,जिससे मेरा विशेष संबंध है। मेरा सुझाव है कि क्या 'धर्म और धार्मिक प्रथाएं' अभिव्यक्ति के बजाए 'धार्मिक विश्वास' (आर्टिकल्स आफ फेथ) अभिव्यक्ति का प्रयोग उपयुक्त नहीं रहेगा?

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार में 'धार्मिक विश्वास' से भी वैसा ही झगड़ा रहेगा।

12,032. *माननीय हरी सिंह गौड़:* और भी अधिक?

माननीय सेम्युअल होर: और इस प्रकार की नई अभिव्यक्ति रचने की भी समस्या होगी। पुरातन अभिव्यक्ति की अपेक्षा हमें इस नई अभिव्यक्ति पर अधिक सोचना पड़ेगा और गंभीरता से मनन करना पड़ेगा कि इसकी व्याख्या किस-किस रूप में की जाएगी।

12,033. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरा सुझाव है कि यथासंभव 'प्रथा' शब्द तो कम से कम निकाल ही दिया जाना चाहिए?

माननीय सेम्युअल होर: डा. अम्बेडकर ने जो कहा, उस पर मैं विचार करूंगा।

* * * *

12,751 *लार्ड रैंकीलर:** भारत मंत्री महोदय! क्या केंद्रीय सरकार के लिए संघीय विधान के अधीन प्रस्तावित आदेशों को लागू करना और प्रांत को इसके लिए उत्तरदायी ठहराना तथा खर्चा वसूल करना संभव होगा?

माननीय सेम्युअल होर: धन वसूल करने के लिए कोई तंत्र नहीं है।

12,752 *माननीय लार्ड रैंकीलर:* किंतु धन तो प्रांत केंद्रीय कोष के जरिए प्राप्त करते हैं। क्या यह बात नहीं है?

माननीय सेम्युअल होर: आयकर।

डा. भीमराव अम्बेडकर: मेरे विचार में इस प्रकार माननीय आस्टिन चैम्बरलेन के प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। जहां तक समवर्ती विधान का संबंध है, श्वेत-पत्र के एक पैरा में उल्लिखित कि संघीय विधान-मंडल द्वारा समवर्ती सूची में दिए गए किसी विषय से संबंधित विधि प्रांतीय सरकार द्वारा इसी विषय से संबंधित पारित की गई विधि पर प्रमुखता

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-ख, 10 अक्तूबर 1933, पृ. 1130

पाएगी। परिणामस्वरूप, समवर्ती सूची के किसी विषय से संबंधित केंद्र और प्रांत द्वारा पारित विधि में विरोध होने पर श्वेत-पत्र के उपबंधों द्वारा ही तथ्यत: संघीय विधि प्रांतीय विधि पर हावी होगी।

माननीय आस्टिन चैम्बरलेन: बिलकुल सही है। यही बात मैं पहले भारत मंत्री के समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूं।

डा. भीमराव अम्बेडकर: विधान के संबंध में भी यही स्थिति है।

माननीय आस्टिन चैम्बरलेन: मैं भी यही समझता हूं।

डा. भीमराव अम्बेडकर: जहां तक प्रशासन का संबंध है , मेरी समझ में स्थिति यह होगी कि कार्यपालिका को संघीय विधान-मंडल द्वारा पारित समवर्ती विधि लागू किए जाने के संबंध में प्रांतीय गवर्नरों के माध्यम से प्रांतीय सरकार को निदेश और अनुदेश जारी करने का प्राधिकार होगा और जहां तक मैं समझता हूं, गवर्नर इनका पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

मारक्वेस आफ रीडिंग: इस बात के बारे में भारत मंत्री अपने उत्तर में इंकार कर चुकेहैं।

माननीय हरी सिंह गौड़: दंड देने संबंधी एक खंड होना चाहिए कि जो व्यक्ति अप्राधिकृत समाचारपत्र प्रकाशित करेगा उसे दंडित किया जाएगा।

डा. भीमराव अम्बेडकर: क्या मैं एक दृष्टांत दे सकता हूं जो मुझे सूझा है? कल्पना कीजिए कि आपातस्थिति में केंद्रीय सरकार एक प्रेस अधिनियम पारित करे, जिसमें यह उपबंधित हो कि एक प्रतिभूति राशि का निक्षेप किए बिना किसी भी समाचारपत्र का प्रकाशन शुरू नहीं किया जाएगा। अब इस प्रकार के विधान से किसी विशिष्ट गैर-सरकारी व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। कल्पना कीजिए, किसी विशिष्ट प्रांत में ऐसा कोई समाचारपत्र है, जो तत्कालीन सरकार की सहायता कर रहा है, जिसे हम पार्टी का समाचारपत्र कह सकते हैं और इस समाचारपत्र से प्रेस अधिनियम, जिसे केंद्रीय विधान-मंडल द्वारा पारित किया गया है, का उल्लघंन हो रहा है और इस विशिष्ट समाचारपत्र, पत्रिका तथा प्रांत की सरकार में संबंध होने के कारण, सरकार उक्त समाचारपत्र, पत्रिका के विरुद्ध कार्रवाई करने से इंकार कर देती है, तब क्या स्थिति पैदा होगी? निश्चय ही इस खास मामले में कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं है?

माननीय हरी सिंह गौड़: दंड देने संबंधी एक खंड होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अप्राधिकृत समाचारपत्र प्रकाशित करेगा, उसे दंडित किया जाएगा।

डा. भीमराव अम्बेडकर: बिल्कुल सही बात है।

माननीय आस्टिन चैम्बरलेन: सूचना प्राप्त होते ही सरकार का संपूर्ण तंत्र कार्यवाई करेगा।

डा. भीमराव अम्बेडकर: यदि किसी विशिष्ट अधिकारी को अभियोजित किया जाता है और यदि स्थानीय सरकार इस अभियोजन के लिए खर्चा तो देती है, किंतु इसके लिए

बजट में कोई उपबंध नहीं किया जाता है, तब क्या होगा?

माननीय सेम्युअल होर: मैं इन कठिनाइयों से अवगत हूं। साथ ही मैं दूसरे पक्ष की कठिनाइयों को भी समझता हूं। डा. अम्बेडकर द्वारा कही गई बात का संबंध अवश्यमेव विधि और व्यवस्था के प्रश्न से है, और विधि और व्यवस्था प्रांतीय विषय है तथा इसमें उसका हित है। संघ का हित समरूपता में है, किंतु इससे इस तथ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि यह प्रधानत: प्रांतीय विषय है। यदि मैं कहूं कि डा. अम्बेडकर के प्रश्न और माननीय आस्टिन चैम्बरलेन के प्रश्न में दिए गए तर्कों पर तर्कसंगत निष्कर्ष निकालने के लिए जोर दिया गया है, तो वास्तव में इसका अभिप्रेत यह नहीं है कि प्रांतों में विधि और व्यवस्था संघ के नियंत्रणाधीन होगी, और यह प्रत्यक्षत: श्वेत-पत्र में उल्लिखित सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: क्षमा कीजिए! मेरा कहना तो यह है कि या तो आप विधि और व्यवस्था को विशुद्धत: प्रांतीय नियंत्रण के अधीन प्रांतीय विषय रखें, जिससे केंद्र का कोई संबंध न हो और वास्तव में तब आपका यह तर्क सही होगा, जो आपने अभी-अभी दिया है। किंतु यदि आप इसे समवर्ती सूची का विषय बना रहे हैं, तो विधि और व्यवस्था का उत्तरदायित्व संघ का होगा।

* * * *

13,129 *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* भारत मंत्री महोदय! मैं आपका ध्यान भारत सरकार अधिनियम में दी गई समवर्ती सूची की वर्तमान स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मैं इसलिए चिंतित हूं कि आपको यह बताया गया है कि वर्तमान भारत सरकार अधिनियम के अधीन कतिपय विषय या विषयों के भाग केंद्रीय विधान-मंडल के अधीन रखे गए हैं। जिस बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, वह यह है कि सर्वप्रथम ऐसे कुछ प्रांतीय विषय हैं, जिन्हें न्यायिक नियमों (डिवोलूशन रूल्स) के भाग-2 की प्रथम अनुसूची के अधीन विनिर्दिष्टत: समवर्ती बनाया गया है?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,130. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* जब विषय प्रांतीय रखे गए हैं, तो वे इस प्रावधान द्वारा नियंत्रित हैं कि वे केंद्रीय विधान-मंडल के विषय हैं?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,131. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैंने यह हिसाब लगाया है कि न्यायिक नियमों के भाग-2 की प्रथम अनुसूची में दिए गए 51 विषयों में से 14 विषय अभिव्यक्त रूप में केंद्रीय विधान-मंडल के अधीन रखे गए हैं अथवा केंद्रीय सरकार अथवा भारत मंत्री द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन हैं। एक तो यह बात और दूसरी यह कि सभी प्रांतीय विषय भारत सरकार अधिनियम की धारा 67, उपधारा (2) के अधीन पूर्व मंजूरी के उपबंध के कारण

---

* *मिनिट्स आफ एवीडेंस*, खंड 2-ख, 12 अक्तूबर 1933, पृ. 1178-81

केंद्रीय सरकार के समवर्ती अधिकारिता के अधीन हैं। यद्यपि किसी भी विषय को भाग-2 के अधीन प्रांतीय विषय माना जा सकता है, फिर भी केंद्रीय सरकार को उस संपूर्ण केंद्रीय विषय के संबंध में विधान बनाने की स्वतंत्रता है, परंतु यह तब,जब कि गवर्नर जनरल से पूर्व मंजूरी प्राप्त कर ली गई हो?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,132. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* धारा 80 (क) के अधीन प्रांतीय सरकार की ओर से समवर्ती सूची में केंद्रीय सरकार द्वारा नियंत्रण किया जाता है,जिससे कि किसी प्रांत का स्थानीय विधान-मंडल किसी केंद्रीय विषय या ऐसे किसी प्रांतीय विषय को नियमित करने के लिए, जिसे नियम या विधि द्वारा केंद्रीय विषय घोषित कर दिया गया है अथवा तत्कालीन प्रवृत्त विधि द्वारा अभिव्यक्तत: सपरिषद गवर्नर जनरल के लिए आरक्षित कर दिया गया है, कोई विधि केवल तभी बना सकता है या इस पर विचार कर सकता है, जब उसने गवर्नर जनरल की पूर्व मंजूरी प्राप्त कर ली है। वर्तमान स्थिति ऐसी है।

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,133 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* व्यावहारिक रूप से यह बात प्रांतीय क्षेत्र एवं समवर्ती सूची के संबंध में है, बशर्ते कि गवर्नर-जनरल की मंजूरी ले ली जाए?

माननीय सेम्युअल होर: हां, यह सही है।

13,134 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अब वर्तमान प्रस्तावों के अधीन स्थिति पूर्णत: भिन्न है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्रीय विधान-मंडल की समवर्ती शक्तियां अब अधिकाशं मामलों में छीन ली गई हैं?

माननीय सेम्युअल होर: हां, सूची-3 को छोड़कर।

13,135 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपका ध्यान सूची-3 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मुझे खेद है कि जो दस्तावेज मैंने इस विषय से संबंधित तैयार किया था वह कहीं खो गया है। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि सूची-3 में दिए गए अधिकांश विषय आज अनन्य रूप से या तो केंद्रीय विषय हैं या समवर्ती विषय हैं?

माननीय सेम्युअल होर: हां, मेरे विचार में, उनमें से ज्यादातर।

13,136. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* परिणामस्वरूप, यह कहना उपयुक्त रहेगा कि वर्तमान भारत सरकार अधिनियम के अधीन आपकी समवर्ती सूची को सदैव अखिल भारतीय महत्व देते हुए प्रमुख माना गया है। भारत सरकार अधिनियम, जैसा कि वर्तमान में है, के अधीन इन महत्वपूर्ण विषयों को या तो केंद्रीय सूची में या समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। मेरा सुझाव है कि भारत सरकार अधिनियम के अधीन,जो क्षेत्र अब समवर्ती है, उसे इस अधिनियम में अखिल भारतीय महत्व का माना गया है?

माननीय सेम्युअल होर: हां, मेरे विचार में सामान्यत: ऐसा ही है। एकात्मक सरकार

के अधीन ऐसा होना स्वाभाविक है।

13,137. *डा. भीमराव अम्बेडकर: बिल्कुल* ऐसा ही है। भारत मंत्री महोदय! मेरा कहना है कि यह बिल्कुल सही नहीं है कि भारत सरकार अधिनियम के अधीन जिस क्षेत्र को अखिल भारतीय महत्व का माना गया था, उसे प्रशासनिक दृष्टि से बाद में प्रांतीय माना जाए?

माननीय सेम्युअल होर: हां, मैं एकात्मक सरकार के अधीन की परिस्थितियों और संघ के अधीन की परिस्थितियों, जिनमें प्रांत स्वायत्त हैं, के अंतर को स्पष्ट करना चाहूंगा। हम निश्चित रूप से भारत सरकार के स्वरूप में अति केंद्रीयकृत सरकार से संघीय सरकार में परिवर्तन कर रहे हैं।

13,138. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* किंतु मैं उस विषय के महत्व के बारे में बता रहा हूं, वह विषय जो 1901 तक अखिल भारतीय महत्व का माना गया था, सहसा अखिल भारतीय महत्व का न रहकर विशुद्धतः स्थानीय विषय बन गया है। मैं जानता हूं कि नई प्रांतीय सरकार को काफी रिआयत दी जानी चाहिए। इस तथ्य को सदैव मानना होगा कि भारत सरकार आज तक स्थानीय महत्व से अधिक मानी गई है?

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार में ऐसी तुलना कठिन है,क्योंकि यह स्वीकार किया जा चुका है कि प्रस्तावित सरकार का स्वरूप एक भिन्न प्रकार की सरकार का स्वरूप है। मेरे विचार में ज्यों ही एकात्मक सरकार से संघीय सरकार में, जिसमें प्रांत स्वायत्त होंगे, परिवर्तन कर दिया जाएगा,नई समस्याएं पैदा होंगी।

13,139. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं इस पर और आगे जोर नहीं दूंगा। फिर भी मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि इन विषयों को अब तक विशुद्ध प्रांतीय विषयों की अपेक्षा अधिक महत्व का माना गया है?

माननीय सेम्युअल होर: फिर भी मेरी समझ में यह कहना उपयुक्त रहेगा कि इनमें से अधिकांश में प्रशासन अति केंद्रीयकृत सरकार के अधीन भी प्रांतीय रहा है।

13,140. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* हां, केंद्र के नियंत्रणाधीन विषय?

माननीय सेम्युअल होर: पुनः मेरी समझ में मेरे उत्तर से संबंधित डा. अम्बेडकर की टिप्पणी के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र आ जाता है। इसमें प्रांतों के अतंरित विषय सम्मिलित नहीं होंगे।

13,141. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* नहीं, अब मैं आपका ध्यान प्रस्ताव 125 और भारत सरकार अधिनियम की धारा 45 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारत सरकार अधिनियम की धारा 45 आज्ञा पालन खंड है और इसमें यह उल्लिखित है कि प्रांतीय सरकार शासन और अपने प्रांतों विषयक मामलों में भारत सरकार के अधीक्षण और नियंत्रण में होगी और उन समस्त मामलों से संबंधित अपनी कार्यवाहियों के बारे में भारत सरकार को ध्यानपूर्वक और नियमित रूप से अवगत कराती रहेगी,जिन विषयों से संबंधित उसकी राय में उसे सूचित

किया जाना अपेक्षित है। अब, भारत मंत्री महोदय! मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस धारा 45 के किन उपबंधों और अपेक्षाओं को आप निकालना चाहते हैं। मेरे विचार में आप अधीक्षण पसंद नहीं करते। वास्तव में, यह स्पष्ट है कि जब प्रांत स्वायत्त हो जाएंगे,तो आप केवल उन विषयों से संबंधित निदेश रखना चाहते हैं,जो गैर-समवर्ती होंगे?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,142 *डा. भीमराव अम्बेडकर:* और कोई नियंत्रण नहीं? अब मैं यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप चाहते हैं कि केंद्रीय सरकार को उस सबसे अवगत कराया जाना चाहिए,जो प्रांतीय प्रशासन के क्षेत्र में हो रहा है और क्या आप यह समझते हैं कि केंद्रीय सरकार को किसी प्रांतीय विषय के प्रशासन से संबंधित सूचना प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए,ताकि उसे यह पता चल सके कि क्या हो रहा है?

माननीय सेम्युअल होर: नहीं, हमारा सामान्यत: ऐसा कोई आशय नहीं है। हम समझते हैं कि ज्यों ही संघीय सरकार की स्थापना हो जाएगी, संघ और उसकी इकाइयों के मध्य निश्चित रूप से शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा। अनेक मामलों के विषय में स्पष्ट विभाजन हो जाने पर उत्तरदायित्व भी स्पष्ट हो जाएगा और किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं रहेगी और दो प्रकार की सरकारों के मध्य किसी प्रकार का टकराव भी नहीं होगा। वास्तव में हमारी योजना के अनुसार यह एक मूलभूत सिद्धांत है कि संघ, प्रांतों और इम्पीरियल संसद के मध्य विभिन्न कर्तव्यों का स्पष्ट विभाजन होना चाहिए।

13,143. *माननीय एन.एम. जोशी:* क्या मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता हूं? डा. अम्बेडकर द्वारा उठाए गए जानकारी के मुद्दों के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि अखिल भारत के संबंध में आंकड़े एकत्र किया जाना लाभप्रद रहेगा, जैसे संपूर्ण भारत में शिक्षा की क्या स्थिति है? वास्तव में वर्तमान में शिक्षा एक अंतरित विषय है, फिर भी भारत सरकार को संपूर्ण भारत से संबंधित रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। क्या भारत की भावी सरकार को संपूर्ण भारत की रिपोर्ट तैयार हो जाने पर इस अंतरित विषय से संबंधित जानकारी एकत्र करने और धन खर्च करने की शक्ति प्राप्त होगी?

माननीय सेम्युअल होर: केवल खास संघीय क्षेत्र के अंतर्गत; संघीय क्षेत्र से बाहर जो भी किया जाए, वह समझौते से किया जाए।

माननीय एन.एम. जोशी: शिक्षा संघीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है?

लार्ड यूसटेस परसी: भारत मंत्री महोदय! मुझे पक्का विश्वास है कि आपके दिमाग में है कि प्रत्येक संघ में, उदाहरणार्थ अमरीका में, संघीय सरकार के अनुसंधान और सांख्यिकीय विभाग संघ के कार्यक्षेत्र के बाहर कार्य करते हैं।

13,144. *श्री एन.एम. जोशी:* उदाहरणार्थ, अमरीका में वे संपूर्ण अमरीका से संबंधित शिक्षा रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं?

माननीय सेम्युअल होर: हां, यदि लार्ड यूसटेस प्रथम सूची के परिशिष्ट-IV को देखें तो उन्हें यह मालूम हो जाएगा कि उनकी बात का उत्तर इसके अंतर्गत है। जनगणना आदि को संघीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है और इसमें संघ के प्रयोजनार्थ संपूर्ण भारत के आंकड़ों पर विचार किया जाना भी सम्मिलित है।

13,145. *लार्ड यूसटेस परसी:* मेरी समझ में यह नहीं आता कि इसे इस प्रकार सीमित करने की क्या आवश्यकता है। संघीय सरकार की जानकारी क्यों नहीं प्रकाशित करनी चाहिए और उसकी जानकारी पूर्णत: संघ क्षेत्र तक ही क्यों सीमित रहनी चाहिए? यह बात समझ से परे है। ऐसा किसी अन्य संघ में नहीं है और न ही कभी मेरे सुनने में ऐसा आया है?

माननीय सेम्युअल होर: निश्चित ही संघीय सरकार केवल संघ के प्रयोजनार्थ ही कार्य कर सकती है। संघीय सरकार को संघ क्षेत्र के बाहर कोई अधिकार नहीं है।

13,146. *लार्ड यूसटेस परसी:* वास्तव में, यह प्रांतीय सरकारों द्वारा जानकारी प्रदान न किए जाने की स्थिति में भारत की बौद्धिक और नैतिक प्रगति से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है। मैं सहमत हूं, परंतु संभवत: यह प्रत्याशित नहीं है?

माननीय सेम्युअल होर: मैं नहीं समझता कि लार्ड यूसटेस और मेरे मध्य किसी प्रकार का मतभेद है। मेरी टिप्पणी मात्र इस प्रकार की कार्रवाई को उचित परिसीमाओं के अंतर्गत किए जाने के संबंध में है। यदि संघीय सरकार प्रांतीय सरकारों को हर प्रकार की जानकारी देने के लिए जिससे संघ सरकार का कोई संबंध नहीं है,तंग करती रहेगी, तो दोनों के मध्य निरंतर समस्याओं का पैदा होना स्वाभाविक है।

13,147. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या मैं भी एक दृष्टांत दे सकता हूं,जो मेरे मस्तिष्क में आया है? कल्पना कीजिए कि किसी विशिष्ट प्रांत में किसी विदेशी के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियां आरंभ की जाती हैं और उस सरकार द्वारा इन कार्यवाहियों के संबंध में भारत सरकार के समक्ष निर्देश किया जाता है और भारत सरकार इस विषय से संबंधित विचार करने के लिए जानकारी मांगे, तो क्या भारत सरकार को प्रांतीय सरकार द्वारा विषय में जानकारी नहीं दी जाएगी?

माननीय सेम्युअल होर: हां, कार्रवाई किए जाने की भी। यह विषय विदेशी कार्यों के क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

13,148. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरा निवेदन है कि विधि और व्यवस्था अंतरित विषय होने चाहिएं?

माननीय सेम्युअल होर: यह तो सही है, किंतु विदेशी मामले विशेष रूप से आरक्षित किए गए हैं। मेरे विचार में खंड 125, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, में यह भी सम्मिलित है। विदेश कार्य संघ का विषय है। खंड 125 के दूसरे पैरा के अधीन संघीय सरकार प्रांतीय सरकार को निदेश दे सकती है।

13,149. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरा अभिप्राय केंद्रीय सरकार द्वारा अपने प्रयोजनार्थ ऐसी अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता से है?

माननीय सेम्युअल होर: ठीक, मैं भी आवश्यकता महसूस करता हूं।

13,150. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपका ध्यान इस ओर इसलिए आकृष्ट करना चाहता हूं कि प्रस्ताव 125 में इस संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं है?

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार से प्रांतीय सरकार से आवश्यक जानकारी प्राप्त करने की पूर्व कल्पना की गई है। खैर, ऐसा होना स्वाभाविक है।

13,151. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अब, प्रस्ताव 114 के संबंध में, इसमें यह प्रावधान दिया गया है कि समवर्ती शक्ति का प्रयोग वित्तीय भार अधिरोपित किए जाने के लिए नहीं किया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस बाबत विवाद है कि कोई विशिष्ट प्रस्ताव वित्तीय भार सौंपता है अथवा नहीं और एक पक्ष का कहना है कि वित्तीय भार अधिरोपित नहीं किया गया और दूसरा पक्ष कहता है कि इसमें वित्तीय भार सौंपा गया है, तो इस विवाद को तय किया जाना चाहिए? सामान्यत: उदाहरणार्थ, केंद्रीय सरकार नए प्रांतों के लिए नई सेवा का प्रस्ताव करती है, तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इससे वित्तीय भार सौंपा गया, किंतु ऐसे भी मामले हो सकते हैं, जो मिलते-जुलते हैं और जिनमें कोई विशिष्ट अंतर नहीं है, ऐसे मामलों में विवाद होना स्वाभाविक है?

माननीय सेम्युअल होर: वर्तमान उपबंधों के अनुसार ऐसा विवाद पैदा होने पर संघीय न्यायालय का आश्रय लिया जाएगा। तथापि, यह ऐसा तरीका नहीं है, जिस पर पर्याप्त रूप से विचार किया गया हो और जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हम ऐसे मामलों में जो संघीय न्यायालय द्वारा तय किए जाने के लिए उपयुक्त नहीं हैं, मध्यस्थता पद्धति अपनाने की संभावना पर विचार कर रहे हैं।

13,152. *श्री एम.आर.जयकर:* अब यह पैरा 155 (ई) के अंतर्गत दिया गया है?

माननीय सेम्युअल होर: हां, संघीय न्यायालय।

13,153. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* एक और प्रश्न मैं भारत मंत्री महोदय!आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसके बारे में स्पष्ट नहीं हूं। मैं उन प्रशासनिक संबंधों की बावत जानना चाहता हूं,जिन्हें केंद्रीय सरकार सर्वप्रथम प्रांतीय सरकार से अपने अभिकर्ता के रूप में कार्य कराने के लिए आबद्ध है?

माननीय सेम्युअल होर: हां, समवर्ती क्षेत्र में ऐसा कर सकती है।

13,154. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या वह आबद्ध है?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,155. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या वह अपने अभिकर्ता नियोजित नहीं कर सकती है?

माननीय सेम्युअल होर: हमारा आशय है कि समवर्ती क्षेत्र में प्रशासन प्रांतीय होना चाहिए।

13,156. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसके निदेशों का पालन किया जाएगा अथवा नहीं, यह भिन्न बात है?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,157. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* तब यह भी स्पष्ट है कि प्रांतीय सरकारें केंद्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में अवश्य ही कार्य करेंगी, जब भी उनसे ऐसा करने के लिए कहा जाएगा?

माननीय सेम्युअल होर: हां, संघीय कानून के अधीन।

* * * *

13,411. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* सांप्रदायिक रूप से पिछड़े वर्गों को भी कुछ स्थान प्रदान करके इसमें सम्मिलित किया गया है। क्या इससे ये वर्ग 'अल्पसंख्यक' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ जाएंगे? मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि वे अल्पसंख्यक जिनके बारे में आपने अभी-अभी कहा वे समुदाय होंगे जो 'सांप्रदायिक निर्णय' के अंतर्गत आते हैं और इसमें सम्मिलित हैं। मुझे उम्मीद करनी चाहिए कि पिछड़े वर्ग भी 'सांप्रदायिक निर्णय' में सम्मिलित कर लिए जाएंगे?

माननीय सेम्युअल होर: इस विचार-विमर्श के उपरांत यह बेहतर होगा कि छोड़े गए क्षेत्रों के बाहर बिखरे उन लोगों के बारे में जो अपेक्षाकृत संख्या में कम हैं, अत्यंत कठिन प्रश्न पर एक बार फिर दृष्टिपात कर लिया जाए और कदाचित समिति के सदस्य तथा प्रतिनिधि भी इस बात पर सर्वोत्तम तरीके से विचार करेंगे।

13,412. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* भारतमंत्री महोदय! मैं आपका ध्यान अपराधी जनजातियों की विचित्र स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। ये अपराधी जनजातियां सामान्य आबादी में न्यूनाधिक रूप में बिखरी हुई हैं। मैं बंबई के बारे में अपना अनुभव बताना चाहता हूं। ऐसी ही स्थिति अन्य प्रांतों में है। सामान्य जनसंख्या के बीच बिखरी हुई इन अपराधी जनजातियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार अधिनियम की ही भांति क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट अधिनियमित किया जाना चाहिए। यहां मैं एक दृष्टांत दे रहा हूं, ताकि उन्हें संरक्षित किया जा सके। इस अधिनियम में गवर्नरों को इन लोगों के आवागमन और हितों से संबंधित विनियम बनाने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। क्या पैरा 106 के अधीन गवर्नर को इन बिखरे हुए लोगों के रहन-सहन के ढंग को प्रभावित करने वाले या इन्हें संरक्षित किए जाने से संबंधित ऐसे कुछ विनियम बनाने की शक्ति प्रदान करना संभव नहीं है?

माननीय सेम्युअल होर: इन खंडों के अधीन अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित, दोनों क्षेत्रों में ही संभव होगा।

---

* *मिनिटस आफ ऐविडेंस*, खंड 2 ख, 17 अक्तूबर 1933, पृ. 1206

13,413. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या उदाहरण के लिए पैरा 108 के अधीन ऐसा करने की स्वतंत्रता नहीं होगी कि एक बार किसी व्यक्ति की, जो कि जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, या आदिम वर्ग से संबंधित है, परिभाषा मिल जाने पर उसके लिए वह विधान पारित कर सके चाहे वह अपवर्जित क्षेत्र में निवास करता है या आबादी में, जैसा कि अपराधी वर्गों के संबंध में है। अपराधी वर्गों का विधान विशिष्ट जनजाति के सदस्यों को प्रभावित करेगा, चाहे वे कहीं भी निवास करते हों।

माननीय माल्कम हैली: 'द क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट' भारत सरकार अधिनियम नहीं है। वे प्रांतीय विधान के विषय बन गए हैं। 'द क्रिमिनल ट्राइब्स ऐक्ट' विनिर्दिष्टत: गवर्नर की अपेक्षा स्थानीय सरकार को इन लोगों के जो स्थानीय सरकार द्वारा अधिसूचित अपराधी जनजातियों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, आवागमन को नियंत्रित और विभिन्न प्रकार से निर्बाधित करने की शक्ति प्रदान करता है। अत: इस आधार पर इन बिखरी हुई आदिवासी जातियों या पिछड़े वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करना संभव नहीं है। जो भी हो, यह ऐसा मामला है, जिसमें स्थानीय विधान-मंडल को स्वयं अपनी ओर से कार्यवाही करनी चाहिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यह अधिनियम सरकार के अतिरिक्त गवर्नर को विशेष शक्ति प्रदान नहीं करता।

13,414. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* किंतु पैरा 108 के अधीन गवर्नर अधिसूचना जारी करके लोगों को आदिम जाति या पिछड़े वर्गों के रूप में वर्गीकृत कर सकता है और चाहे वे लोग किसी भी क्षेत्र में क्यों न निवास करते हों, उनसे संबंधित विधान पारित कर सकता है?

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार से वह पैरा 108 के अधीन ऐसा नहीं कर सकता। पैरा 108 के अधीन वह केवल अनुसूचित क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों की बाबत ही ऐसा कर सकता है।

* * * *

13,530. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* मैं इस समस्या के वित्तीय पहलू को साफ करने के लिए एक या दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सबसे पहले मैं उनके वित्त-पोषण के बारे में सवाल पूछना चाहता हूं, जिन्हें अंतत: अपवर्जित क्षेत्र कहते हैं?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,531. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं यह बता दूं कि सामान्य बजट, प्रांतीय बजट होगा, जिसमें अंशत: अपवर्जित क्षेत्र के लिए उपबंधित धन-राशि को भी शामिल किया जाएगा?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,532. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* उस दशा में निस्संदेह संपूर्ण बजट पर विधान-मंडल में चर्चा हो सकेगी?

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-ख, 17 अक्तूबर 1933, पृ. 1218

माननीय सेम्युअल होर: हां, पैरा 109 के अधीन रहते हुए।

13,533. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। वे तभी विधान-मंडल के कार्य-क्षेत्र से बाहर होंगे जब गवर्नर पैरा 70 के अधीन अपने विशेष उत्तरदायित्व का निर्वाह करेगा। क्या ऐसा नहीं है?

माननीय सेम्युअल होर: हां, और पैरा 109.

13,534. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* लेकिन स्वत: वे प्रांतीय बजट का अंग होंगे?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,535. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं पूर्णत: अपवर्जित क्षेत्रों के बारे में भी ऐसा ही सवाल पूछना चाहता हूं। मैं देखता हूं कि पैरा 70 (च) के अधीन गवर्नर का विशेष उत्तरदायित्व केवल अंशत: अपवर्जित क्षेत्रों तक ही सीमित है?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,536. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसका अभिप्राय यह है कि पूर्णत: अपवर्जित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए गवर्नर प्रांतीय कोष से धन नहीं ले सकता?

माननीय सेम्युअल होर: डा. अम्बेडकर की अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि ने श्वेत-पत्र में एक भूल को ढूंढ लिया है।

13,537. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या वह उसमें से धन नहीं ले सकता?

माननीय सेम्युअल होर: मसौदे के अनुसार ऐसा प्रांतीय कोष में से नहीं कर सकता। यह एक कमी है, जिसे हम अंतिम मसौदे में सुधारना चाहते हैं।

13,538. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* दूसरा पैरा 49 है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान इस संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके उपखंड (5) का कहना है कि अपवर्जित क्षेत्र के लिए अपेक्षित खर्च गवर्नर जनरल का विशेष उत्तरदायित्व होगा?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,539. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* क्या मैं यह समझूं कि पूर्णत: अपवर्जित क्षेत्र के प्रशासन में गवर्नर को, जो संभवत: गवनर जनरल का एजेन्ट होगा, उतनी धन राशि पर निर्भर करना पड़ेगा, जो उसे अपने विशेष उत्तरदायित्व का प्रयोग करते हुए गवर्नर जनरल द्वारा दी जाए?

माननीय सेम्युअल होर: नहीं: गवर्नर अपने आप प्रांत से धन मांगेगा।

13,540. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* इसलिए क्या आप गवर्नर के विशेष उत्तरदायित्व से संबंधित उपबंध का संशोधन करना चाहते हैं, जिससे कि वह पूर्णत: अपवर्जित क्षेत्र के प्रशासन के लिए भी प्रांतीय निधियों से धन ले सके?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

श्री एम.आर. जयकर: क्या अब यह पैरा 96 उप पैरा (ख) के अंतर्गत नहीं आता, 'गवर्नर

प्राक्कलित राजस्व का एक विवरण तैयार करवाएगा', और फिर आपने उन अतिरिक्त प्रस्तावों (यदि कोई हैं) को पृथक-पृथक विनिर्दिष्ट करने की शक्ति दी है, चाहे मतदान योग्य अथवा मतदानं के अयोग्य शीर्षों के अंतर्गत, जिन्हें गवर्नर अपने 'विशेष उत्तरदायित्वों' में से किसी की पूर्ति के लिए आवश्यक समझता है। विशेष उत्तरदायित्वों के अंतर्गत अंशत: अपवर्जित क्षेत्र पर किया गया खर्च भी शमिल है।

13,541. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं पूर्णत: अपवर्जित क्षेत्रों की बात कर रहा हूं?

माननीय सेम्युअल होर: डा. अम्बेडकर ने जो मुद्दा उठाया है, वह पूर्णत: अपवर्जित क्षेत्र के बारे में है और प्रारूपण में गलती से (इससे अधिक कुछ नहीं) यह दिखाई देगा कि प्रांतीय गवर्नर अंशत: अपवर्जित क्षेत्रों के लिए प्रांतीय निधियों के लिए लिख सकता है, जब कि वह पूर्णत: अपवर्जित क्षेत्रों के लिए प्रांतीय निधियों के लिए नहीं लिख सकता है। यह प्रारूपण की एक कमी है।

* * * *

13,722. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* श्री जोशी ने जो सवाल पूछे हैं, क्या मैं उनसे उत्पन्न एक सवाल पूछ सकता हूं। मैं भारत मंत्री का ध्यान उस कठिनाई की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसे मैं महसूस करता हूं। मसौदे के पैरा 109 के अधीन अपवर्जित क्षेत्र और अंशत: अपवर्जित क्षेत्र में किया गया अन्तर इस आधार पर है कि अंशत: अपवर्जित क्षेत्र में विचार-विमर्श संभव है अथवा गवर्नर को उसे नामंजूर करने की शक्ति है, जब कि पूर्णत: अपवर्जित क्षेत्र के मामले में गवर्नर को उस पर कोई चर्चा होने देना मना है। मेरी कठिनाई यह है कि कल, मेरे विचार में, मेजर एटली के एक सवाल के उत्तर में भारत मंत्री ने कहा था कि अपवर्जित क्षेत्र के कारण उत्पन्न कमी को पूरा करने की दृष्टि से केंद्र असम को जो अंशदान देने के लिए आबद्ध है, क्या वह एक निश्चित की गई रकम नहीं है, अपितु असम प्रांत के सामान्य राजस्व का एक अंग होगा। मैं यह मानता हूं कि आपने ऐसा ही कहा था?

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार में मैंने सवाल कुछ अनिर्णित छोड़ दिया था। क्या उसे एक विनिर्दिष्ट अनुदान होना चाहिए अथवा उसे साधारण अनुदान में मिला दिया जाए।

13,723. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरी धारणा यह बन गई थी कि आपने ऐसा कहा है कि आपको नहीं मालूम है कि वह एक निश्चित रकम होगी?

माननीय सेम्युअल होर: नहीं। मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने कहा था और जो भी मेरा कहने का आशय था, वह यह था कि जिन आंकड़ों की हम चर्चा कर रहे थे, उनमें हमने यह मान लिया था कि वह अंश सामान्य कोष का अंग होगा, किन्तु मैं इस बारे में निर्णय नहीं कर पाया था कि क्या यही इस बारे में सर्वोत्तम उपाय है।

13,724. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* बिल्कुल ठीक। मैं इस बात का एक और पहलू लेता

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेन्स*, खंड 2-ख, 18 अक्तूबर 1933, पृ. 1223-24

हूं। जो सवाल मैंने पूछा था,उसके उत्तर में आपने कहा था कि जहां तक अपवर्जित क्षेत्र के वित्त का संबंध है,आप श्वेत-पत्र में पाई गई कमी को दूर करने और प्रांत के गवर्नर को असम प्रांत के सामान्य कोष में से धन लेने की इजाजत देने जा रहे हैं,जिसे अपवर्जित क्षेत्र के अन्दर खर्च करना संभाव्य है?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,725. *डा. भीमराव अम्बेडकर :* मै जो कठिनाई महसूस करता हूं, वह यह है कि यदि गवर्नर के पास अपवर्जित क्षेत्र के प्रशासन चलाने के लिए असम के प्रांतीय कोष में से धन लेने की शक्ति होगी,तो क्या वह पैरा 109 में दिए गए इस उपबंध के अनुरूप है। विधान-मंडल को अपवर्जित क्षेत्र के कार्यकलापों पर चर्चा करने से सर्वथा प्रतिबद्ध होना चाहिए।

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार में डा. अम्बेडकर ने एक कठिन मामला उठाया है। यह ऐसा मामला नहीं है,जिसमें कोई बहुत बड़ी धन-राशि अंतर्ग्रस्त हो। इसका कारण यह है कि असम के पूर्णत: अपवर्जित क्षेत्र पर व्यय का बहुत बड़ा हिस्सा केंद्रीय कोष से प्राप्त किया जाएगा। किंतु मेरा विचार है कि यह मान लिया जाए कि आवश्यक धन-राशि के अतिरिक्त भी धन-राशि लेनी होगी।

13,726. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* जैसा कि आपने कल कहा था, इन सब क्षेत्रों में जहां अंशत: सभी अपवर्जित क्षेत्र होंगे, वहां का बजट सामान्य बजट होगा,जब तक कि गवर्नर अपने असाधारण उत्तरदायित्व के अधीन अतिरिक्त रकम की व्यवस्था न करे। उस दशा में संपूर्ण बजट विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा और उस पर चर्चा की जा सकेगी। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यह कठिनाई कैसे दूर हो पाएगी?

माननीय सेम्युअल होर: हमने इसी प्रकार की एक कार्यवाही की स्थिति में फायदा समझा था, अर्थात ठेके के माध्यम से, परन्तु इसमें कई वर्ष लग जाएंगे,मैं बार-बार के विचार-विमर्शों से बचना चाहता हूं।

13,727. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं मानता हूं कि यह प्रयोजन विचार-विमर्श प्रतिबद्ध करके और गवर्नर को उसे निषेध या अस्वीकार करने, जैसा भी वह आवश्यक समझें की शक्ति देकर सर्वोत्तम ढंग से पूरा किया जा सकता है?

माननीय सेम्युअल होर: इन भू-भागों पर काम करने वाले लोगों ने हम पर इस बात पर बहुत जोर दिया था कि पूर्णत: अपवर्जित क्षेत्र की दशा में विचार-विमर्श को अपवर्जित करने में बड़ा फायदा है, लेकिन मुझे असम में प्रांतीय कोष में से खर्च की हमेशा कठिनाई महसूस हुई है। मेरे विचार में, समिति और प्रतिनिधि इस बात पर विचार करें कि मान लीजिए तीन वर्ष की अवधि के लिए ठेका बजट हो और जब ठेके का नवीकरण किया जाए,तब क्या उस पर चर्चा हो सकती है। किन्तु यह भी मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि समिति संपूर्ण

स्थिति को जान ले कि ऐसा करना अनेक विशेषज्ञों के विचारों के प्रतिकूल है।

13,728. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* किन्तु मैं मानता हूं कि विशेषज्ञों का जो प्रयोजन आपकी दृष्टि में है वह इस बात से भली-भांति पूरा हो जाएगा कि गवर्नर को संकल्प और विचार-विमर्श की इजाजत देने की शक्ति हो।

माननीय सेम्युअल होर: हम जिस बात से बचना चाहते थे, वह यह है कि गवर्नर को इस प्रकार के विचार-विमर्श से सर्वथा इंकार करना पड़ेगा। इससे उनकी विकट स्थिति हो जाएगी और हम पूर्णत: अपवर्जित क्षेत्र की स्थिति में यह नहीं सोचते कि विचार-विमर्श होगा और हम कोई कार्रवाई क़रना नहीं चाहते, जिससे विचार-विमर्श की इजाजत देना प्रतीत हो और जो हमारे विचार में उस क्षेत्र के लिए नुकसानदायक होंगे। स्थिति यही है।

डा. भीमराव अम्बेडकर: मैं केवल यह सुझाव दे रहा था कि गवर्नर की शक्ति उसके खिलाफ पर्याप्त सरंक्षण होगी। मैं इतना ही पूछ रहा हूं।

* * * *

13,923. *डा. भीमराव अम्बेडकर:** क्या मैं इस मुद्दे पर एक सवाल पूछ सकता हूं। जैसा कि मैं समझा हूं, समवर्ती क्षेत्र में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील प्रिवी कौंसिल में की जाएगी?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

13,924. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं यह नहीं समझ पाया कि यदि समवर्ती क्षेत्र में समवर्ती विधि से निर्वचन से उत्पन्न किसी मसले में प्रिवी कौंसिल के समक्ष अपील की जा सकती है, तो संघीय न्यायालय से ऐसी अपील करने की इजाजत देने में क्या कठिनाई हो सकती है?

माननीय सेम्युअल होर: इसका एक कारण यह है कि हम संघीय न्यायालय पर काम का अम्बार लादना नहीं चाहते और शुरू में ही बहुत सारे न्यायाधीशों की मांग सुनना नहीं चाहते।

* * * *

14,373. डा. भीमराव अम्बेडकर**: भारत मंत्री से मैं पैरा 155 के बारे में एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह पैरा 155 संघीय न्यायालय की अनन्य आरंभिक अधिकारिता के बारे में है। मुझे कोई अंतर समझ में नहीं आता, जो इसमें किया गया प्रतीत होता है। पैरा 155 को पढ़ने पर मैं यह समझता हूं कि आप संघीय न्यायालय की अनन्य आरंभिक अधिकारिता के विषय में इस आधार पर अंतर करना चाहते हैं कि जहां विवाद के पक्षकार वे हों, जो उपखंड (क) और (ख) में वर्णित हैं, वहां संघीय न्यायालय को अनन्य आरंभिक अधिकारिता दी गई है। किंतु संघीय न्यायालय तब अनन्य आरंभिक अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, जब

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2 ख, 19 अक्तूबर 1933, पृ. 1247

* *वही*, 20 अक्तूबर 1933, पृ. 1292

पक्षकार गैर-सरकारी व्यक्ति हो। अब मैं जो प्रश्न पूछना चाहूंगा, वह यह है, दोनों स्थितियों में मसला एक ही है, अर्थात संवैधानिक मुद्दा जिसमें संविधान अधिनियम का निर्वचन निहित हो। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि पक्षकारों पर आधारित संघीय न्यायालय की अनन्य आरंभिक अधिकारिता के विषय में यह अंतर क्यों होना चाहिए,जब कि मुद्दा वही है?

माननीय सेम्युअल होर: मेरे विचार में संघीय न्यायालयों के साथ प्राय: यही होता है कि आरंभिक अधिकारिता इकाइयों के बीच के विवाद में अधिकारिता होती है और व्यक्ति अपीली अधिकारिता में ही साधिकार आता है।

14,374. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मेरा अभिप्राय यह है कि इसमें जहां संविधान अधिनियम का निर्वचन अंतर्ग्रस्त है,वहां मामला सीधे संघीय न्यायालय में आना चाहिए, तब मेरा विचार है कि इसमें कोई अंतर नहीं किया जा सकता चाहे पक्षकार संघ की इकाइयां हों या गैर-सरकारी व्यक्ति।

माननीय सेम्युअल होर: मैंने यह सोचा था कि यह संघीय न्यायालय की आवश्यक कार्य शर्तों में से एक है। मेरे विचार में यदि उसे व्यक्तिगत मामले में भी आरंभिक अधिकार होगा, तो उसमें मुकदमों का अम्बार लग जाएगा।

डा. भीमराव अम्बेडकर: किन्तु फिर भी मुद्दा दोनों स्थितियों में एक ही होगा, अर्थात संविधान अधिनियम का निर्वचन। यदि अंतर भिन्न वादहेतुक पर आधारित हो तो मैं उसे भली-भांति समझ सकता हूं, लेकिन जहां वादहेतुक वही है, अर्थात अभिवाक् वही है, यानि संविधान भंग किया गया है, वहां मुझे इकाइयों और पक्षकारों के आधार पर अंतर करने में कोई औचित्य दिखाई नहीं पड़ता।

* * * *

14,380. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* अब एक और सवाल है,जो कि भारत मंत्री से पूछना चाहता हूं और वह यह है, मुझे इसके बारे में श्वेत-पत्र में कोई भी उपबंध दिखाई नहीं पड़ता। क्या भारत मंत्री महोदय! आप यह वांछनीय समझते हैं कि ऐसा उपबंध किया जाना चाहिए, जो गैर-सरकारी व्यक्तियों को इस घोषणा के लिए मुकदमा चलाने की इजाजत दे कि अमुक अधिनियम असंवैधानिक है, भले ही वह किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन की मांग न करे। मेरा अभिप्राय है कि सब मामले जिनके लिए आपने उपबंध किया है मुझे ऐसे मामले दिखाई पड़ते हैं,जिनमें किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन की मांग की जाए। यह वांछनीय हो सकता है कि गैर-सरकारी व्यक्ति अपने भविष्य की रक्षा करने के लिए इसे परखना चाहे, यदि उसे कोई संदेह है, कि संघ द्वारा या किसी प्रांत द्वारा किया गया विशिष्ट प्रस्ताव असंवैधानिक है जिसका कि भविष्य में अपनी स्थिति के लिए विनिर्दिष्ट प्रयोजन मांगने का कोई कारण नहीं है?

माननीय सेम्युअल होर: इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने में मुझे वकील न होने के कारण।

---

* *मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2 ख, 20 अक्तूबर 1933

कुछ संकोच है। किन्तु यदि मैं एक आम आदमी की भांति अचानक इसका उत्तर दूं,तो मैं यह कहूंगा कि किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले किसी विनिर्दिष्ट मुद्दे के बिना इस प्रकार का साधारण अधिकार देना अत्यन्त कठिन था।

मारक्वेस आफ रीडिंग : क्या मैं यह मत व्यक्त कर सकता हूं कि जो कुछ आपने कहा है,वह वास्तव में कानून है,जो कि इस देश में लागू होता है। इस देश में इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर हम, अर्थात कठिनाई के मामलों को मंजूरी नहीं देते जब तक कोई सार्थक विवाद न हो और ज्यों ही विवाद होगा,ऐसा किया जा सकता है। हम इसको कभी मंजूर नहीं करते, और मैं नहीं समझता, भारत में वे करते हैं।

माननीय हरी सिंह गौड़: कोई वादहेतुक नहीं, कोई वाद अधिकार नहीं।

श्री जफरुल्ला खां: असल में यदि संविधान में ऐसा उपबंध डाल दिया जाए,तो बहुत अधिक कठिनाइयां हो जाएंगी। अधिनियम के पारित होते ही भारत में लाखों मुकदमें दाखिल होने लगेंगे।

14,381. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मैं नहीं समझता कि हर कोई अपने अधिकार का प्रयोग करेगा?

माननीय सेम्युअल होर: भारत में कानूनी पेशे के लिए यह उत्तम काम होगा।

* * * *

15,741. *डा. भीमराव अम्बेडकर*:* भारत मंत्री महोदय के (ग) में अपवादों के बारे में केवल एक प्रश्न 'विशेष अधिकार' (गवर्नर जनरल विशेष अधिकार) जो मैं समझा हूं स्थिति इस प्रकार है, साधारणत: विधान-मंडल विभेदकारी अधिनियम पारित नहीं कर सकता। मैं बिलकुल साधारण तौर पर बोल रहा हूं।

माननीय सेम्युअल होर: हां।

15,742. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* प्रशासनिक दृष्टि से विद्यमान सरकार तब तक विभेद नहीं कर सकती,जब तक कि वह गवर्नर इसका समाधान न कर दे कि असल में कोई विभेद नहीं हुआ है?

माननीय सेम्युअल होर: नहीं।

माननीय एम.आर. जयकर: गवर्नर जनरल।

15,743. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* गवर्नर जनरल या गवर्नर, क्योकि परन्तुक में दोनों का उल्लेख है। सैद्धान्तिक रूप से और साधारण रूप से यही स्थिति है , क्या ऐसा नहीं है?

माननीय सेम्युअल होर: हां।

15,744. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* अब उपखंड (ग) के अधीन गवर्नर जनरल को विभेद करने वाला अधिनियम पारित करने का अधिकार होगा,यदि वह इस प्रावधान के शब्दों

**मिनिट्स आफ ऐविडेंस*, खंड 2-ख, 7 नवंबर 1933, पृ. 1344

के अंतर्गत आता है। मेरा अभिप्राय यह है कि जो अधिकार आप गवर्नर को दे रहे हैं वह न केवल प्रशासनिक प्रयोजन के लिए, बल्कि विधायी प्रयोजन के लिए भी हैं?

माननीय सेम्युअल होर: श्वेत-पत्र के प्रस्ताव 18 के अंतर्गत यह व्यापक अधिकार है।

15,745. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* दोनों के बारे में, जिससे कि गवर्नर विभेद कर सके, हालांकि सरकार न कर सके।

माननीय सेम्युअल होर: शांति और सौहार्द के किसी गंभीर खतरे को रोकने के लिए।

15,746. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* हां। अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि इसका तात्पर्य क्या है? मैं यह देखने के लिए एक या दो विनिर्दिष्ट दृष्टांत रखूंगा कि क्या यही आपका अभिप्राय है। मैं यह मान लेता हूं कि इस खंड के अधीन गवर्नर जनरल किसी भी गंभीर खतरे के निवारण के रूप में कह सकेगा कि सेना में कुछ व्यक्तियों को नौकरी नहीं दी जाएगी। क्या गवर्नर इसके अधीन ऐसा कर सकेगा?

माननीय सेम्युअल होर: मैं मानता हूं कि सिद्धान्त: ऐसा होगा, किन्तु शांति और सौहार्दता को गंभीर खतरे के संबंध में यह बहुत दूर की बात होगी। उदाहरण के लिए, उस ठोस मामले को रखते हुए मैं यह कल्पना नहीं कर सकता, जो संभवत: डा. अम्बेडकर के मन में है कि गवर्नर जनरल यह कहे कि एक यूनिट शुरू करने के प्रस्ताव से भारत की शांति और सौहाद्रता को खतरा है।

15,747. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* मुझे यह सुनकर खुशी हुई। यही वह बात है, जो मुझे व्याकुल कर रही थी।

माननीय सेम्युअल होर: मैं यह नहीं कह रहा हूं कि क्या सैनिक दृष्टिकोंण से यह योजना सही होगी या गलत, किंतु मैं यह नहीं समझता कि यह रक्षोपाय की परिधि के अंतर्गत जाएगा।

15,748. *डा. भीमराव अम्बेडकर:* और न ही गवर्नर के विशेष अधिकार के अंतर्गत आएगा कि दलित वर्गों को पुलिस में नौकरी नहीं दी जाएगी।

माननीय सेम्युअल होर: नहीं।

अनुक्रमाणिका

अनौफयोर आयोग, 107
अमीरअली, वारिस, 283
अमरीका, 62, 129
अमृतकौर, राजकुमारी, 239-249
आचार्य, रग्म.के. 276-283
आयरलैंड, 32, 62, 147-149
आयंगर, 174-182
आर्चबिशप, केम्टरबरी के, 306
आस्ट्रिया, 129
इंगलैड, 15, 77
इटली, 77
बन्नस, चार्ल्स, 230-232
इर्विन, लार्ड, 307
उज्जवलसिंह, सरदार, 59-56, 96, 145, 188
कफ, जी.ई., 226
कनाडा, 32, 129
कनाडा डीमीनियन, 145, 147
कनाडा संविधान, 23
कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय, 140, 184
काक, बी., 216
काटन, इवान्स, 208
कार, हयूबर्ट, 193, 204, 302
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, 142
कृष्णमाचारी, रावबहादुर, 328
कैच, 295-296
कैटटौ, सरथामस, 232
खत्रा मैहरचंद, 257
खां, जफरुल्ला, 61,84,111, 113-116, 144-145, 150, 182, 184, 250, 295, 300, 313-314, 328-329, 340
खां, नबाव लियाकत हयात, 305
खां, शफात अहमद, 40, 50, 112, 132
खां, सईद अहमद, 34
खां, सरआगा, 187, 188, 204
गवई, जी.ए., 257
गांधी, महात्मा, 138, 140, 143, 187-197, 261, 282
गिडने, लेफटी, कर्नल, 23, 49, 58-59, 81, 96, 112, 119, 180, 189, 192, 204, 294-295
गुडप्पा, डी.बी., 129
गोकुलचंद (डा.), 262
गोड़, हरिसिंह, 218, 239-240, 295, 322, 333-334, 348
ग्रेटब्रिटेन देखिए इंगलैंड
चटर्जी, बी.सी., 257
चटर्जी, रामानंद, 260
चर्चिल, विन्स्टल स्पेन्सर, 290-294
चिंतामणि, सी.वाई., 40, 50, 55, 84-85, 95, 117
चेम्बरलेन, आस्टिन, 210, 307, 312, 334-335
जयकर, एम.आर., 137, 175-179, 183, 184, 219, 220, 241, 244,

265, 324, 340, 344, 349
जर्मन साम्राज्य, 129
जाधव, 88, 94, 96, 97
जिन्ना, 172, 175-177, 180
जेम्स, ए. डब्ल्यू, एच. 283
जोन्स, टी. गेविन, 151, 226
जोशी, एन.एम., 22, 58, 60, 85, 91-92, 94, 97-98, 138, 152, 183, 338, 339
टैगोर, रवीन्द्रनाथ, 250, 250-55, 260
ठक्कर, अमृतलाल, 251, 257
अयर, माइकेल ओ., 223-226
तिलक, 224
थामस, 101
थामसन, जोनपेरानद, 220
दक्षिण अफ्रीका, 147
दत्त, 193
दादाभाई, मानकजी, 131, 134-134, 150, 174
देशपांडे, एल.एम., 276, 278, 279-280
देशमुख, आर.एम., 257
नरेन्द्रनाथ, राजा, 40, 49-51, 110, 112, 117-119, 261
नानक चंद पंडित, 257
नायडू, श्रीमती सरोजिनी, 191
नारी मताधिकारी, 191
नारी मताधिकार, 79
नेहरु समिति, 80, 143
न्यूमैन, लान्सलोट, 208
पट्टणी, सर. पी., 218
पाणिक्कर, के.एम., 216, 218-219
परमानंद, भाई, 257
पर्सी, लार्ड यूसटेस, 302, 324, 339, 338-330
पाल, के.टी., 35, 84, 94
पात्रो, माननीय ए.पी., 40, 56-59, 103, 103, 105, 108, 305, 314, 323-324
पिकफोई, कुमारी मेरी, 241
पील, लार्ड, 143, 149, 166, 183,
पूना पैक्ट, 249, 257
पेज, डब्ल्यू. डब्ल्यू. के., 226, 228
पोद्दार, हनुमान प्रसाद, 251
फगन, पैट्रिक जेम्स, 208-210
फुट, 49, 51, 53, 61, 84, 96,
फ्रांस, 15, 17
बंगाल, 49
बंगाल विधान परिषद, 17
बंबई प्रेसिडेंसी, 44-45, 63
बटलर, 216, 226, 249
बनर्जी, जे., 257
बनर्जी, जे. एल., 276
बर्क, एडमंड, 21
बर्नम, बाईकाउंट, 210, 213, 226
बर्मा, बहिष्कार विरोधी अधिनियम, 1922, 65
बसु, 83, 89, 91, 94, 100, 106, 118
बिरला, घनश्यामदास, 250-251, 253, 257
बीकानेर, महाराजा, 130-131, 134, 136
बेन्थल, एडवर्ड, 232-236
बेसेंट, श्रीमती एनी, 140

ब्राइस कमेटी, 147-148
ब्राउन, न्यायमूर्ति, 146
ब्रिटिश कामनवेल्थ, 145
बूस, कर्नल सी.ई., 283
भारतीय सिविल सेवा, 106-107
मद्रास विधान परिषद, 77
महमूद, मीर मकबूल, 216-221
मांटेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रस्ताव, 142
मारच्स, नोवल, 30, 37-38
मालवीय, पंडित मदमोहन, 141-143, 257-259, 265, 282
मित, पी.सी., 49, 81, 85-86, 91, 103
मिल्टन, एच.एस., 295-296
मुखर्जी, श्यामाप्रसाद, 251
मुखर्जी, श्रीमती एल., 246, 249
मुंजे, डा. बी.एस., 50, 56, 58, 100, 190, 257-276
मेकरकर, विलियम, 226
मेहता, मनुभाई एन., 330
मैकमन, जार्ज, 283
मोदी, 118-119
यूगोस्लाबिया, 77
राजगोपालाचारी, (चक्रवर्ती), 265
राव, रामचंद्र दीवान बहादुर, 38, 39, 81, 86, 89
रावर्टसन, फेटरिक, वाइने, 208
रीडिंग, लार्ड, 54-57, 59, 334, 348
रैकीलर, लार्ड, 321, 333
रोडेशिया, 32
रोफी, एल.ए., 226
लवलक, ई.बी., 208
लाईआल, एफ.एफ., 283
लेटन, लेडी, 236-238
लेरोसिगनल, डब्ल्यू. ए., 283
लोथियन समिति, 251
लंका सिविल सेवा, 107
लंका संविधान, 107
वाट्सन, एल्फ्रेड, 229
विलियर्स, एडवर्ड, 229
व्रिंटर बाथ, जी.एल., 232
शफी, मोहम्मद, 49, 57-58, 144, 147, 150, 151, 154, 190
शिवराज, एन., 91, 94, 97-98, 104, 111, 113
शूबर्ट, हैरल्ड, 208, 209
श्रीनिवासन, रावबहादुर आर., 15, 62, 91, 94, 97-98
सईद, खां अहमद देखिए खां, सईद अहमद
सप्रू सर तेजबहादुर 100, 139, 143-144, 147, 149, 180, 184, 220, 265, 297, 299, 300, 305, 307, 316-317
सरकार, एन.एन. 249-251, 312-319
साइमन कमीशन, 33, 36, 40, 77, 226
सिन्हारु, सच्चिदानंद, 211-216
सिसिलकिंग, यूसटेस आर्थर, 208
सीडेन्हम, लार्ड, 224
सींतलवाड, सी., 84, 103, 10·, 108, 110-111, 114
सुस्वरायन, श्रीमती, 79, 84, 181-182
सेन, पी.के., 216, 219, 221-221
सेन, श्रीमती पी.के., 246-249

सेल्सबरी, मार्किवस आफ, 308, 309, 212
सेंकी, लार्ड, 22-23
सैल्बम, रावबहादुर पत्रीर, 58, 190, 204
संपूरनसिंह, सरदार, 113, 116
संयुक्त प्रांत विधान परिषद, 77
स्टुअर्ट, फिंउलेटर, 297, 301, 303, 313
स्टैनले, मेजर, 111, 118
हक्सर, कर्नल, 132-135, 143
हटन, जे.एच., 283, 290
हरोप, हेनरी, रोबट, 208
हाउस आफ कामन्स, 145, 147-148, 151
हाउस आफ लार्डस, 145, 147-148, 151
हामिद अली, श्रीमती, 239, 240
हार्टोंग, पिलिफ, 238
हेयटर, ओ.सी.जी., 283
हेली, मालकोम, 297, 299, 300, 302
हैदरी, सरअकबर, 323, 325, 329
होमरुल, 140
होर, सैम्युअल, 141, 143, 297-349